



परम पूज्य तपश्चर्या-चक्रवर्ती पट्टाधीशाचार्यश्री
सुविधिसागर जी महाराज

के

50 वें जन्मदिवस के पावन अवसर पर

सुविधि-परिवार के द्वारा आयोजित

जिन्नवाणी-महोत्सव

सहस्रग्रन्थसंग्रह

* जन्मदिवस 19-03-1971

* मुनिदीक्षा-11-05-1989

* आचार्यपद- 20-06-2004

पट्टाधीशपद- 24-12-2010 (20-06-2004 को की गई उद्घोषणा के अनुसार)

परम पूज्य आचार्यश्री सन्मत्तिसागर जी महाराज के द्वारा की गई उद्घोषणा:-

हमारी समाधि के पश्चात् आपको इस संग्रह के संचालकपद पर नियुक्त करते हैं।

(अंकलीकर वाणी-जुलाई 2004) (अक्षयज्योति-अक्तूबर 2004)

तिरुवल्लुवर एवं

कबीर का

तुलनात्मक अध्ययन

लेखक

डॉ. रवीन्द्रकुमार सेठ

प्रकाशक

नेशनल पब्लिशिंग हाऊस

दिल्ली

(परम्परानायक)



(द्वितीय पट्टाधीश)




परम पूज्य तीर्थभक्त-शिरोगणि,
आचार्यश्री महावीरकीर्ति जी महाराज

(तृतीय पट्टाधीश)



परम पूज्य सिद्धान्त-चक्रवर्ती,
आचार्यश्री सन्मत्तिसागर जी महाराज

(चतुर्थ पट्टाधीश)



परम पूज्य तपरचर्या-चक्रवर्ती, आचार्यश्री सुविधिसागर जी महाराज

दिगम्बर साधु निरन्तर पगविहार करते रहते हैं। ग्रन्थभण्डार को साथ में रख कर विहार करना अशक्यप्रायः होता है। फलतः उनको ग्रन्थों के सन्दर्भ देखने में असुविधा होती है। उनकी सुविधा के लिये इस कोश का निर्माण किया गया है। इस कोश के निर्माण में किसी भी प्रकार का व्यापारिक हेतु नहीं है।

आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न श्रावकबन्धुओं से निवेदन है कि वे ग्रन्थ का विक्रय कर अध्ययन करने की परम्परा को कायम रखें। मुखपृष्ठ पर हमने ग्रन्थकर्ता, अनुवादक, सम्पादक, प्रकाशक आदि के नाम दिये हैं। किसी संस्थान का कर्तृत्व हमने लुप्त नहीं किया है।

इस कोश के लिये आवश्यक ग्रन्थ हमें अनेक स्रोतों से प्राप्त हुये हैं। हम उन सभी का आभार मानते हैं।

सुविधि-परिचार

दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी०
उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध

तिरुवल्डुवर
एवं कबीर का
तुलनात्मक
अध्ययन

डॉ. रवीन्द्रकुमार सेठ

MUNSHI RAM MANOHAR LAL
Oriental & Foreign Book-Sellers
F.B. 1165, Nai Sarak, DELHI-4

© १९७२, डॉ० रवीन्द्रकुमार सेठ (१९१९ ई०)

O 31, 1 D 2 0 c O 152, 1 H 98
L 2

894 811

मूल्य	तीस रुपये
प्रथम संस्करण	१९७२
आवरण	नारायण
प्रकाशक	नेशनल पब्लिशिंग हाउस २३, दरियागज, दिल्ली-६
मुद्रक	राष्ट्रभाषा प्रिंटर्स, दिल्ली-६

TIRUVALLUVAR AVAM KABIR KA TULANATMAK ADHYAYAN (*Thesis*)
by DR RAVINDER KUMAR SETH Rs 30-00

भारतीय संस्कृति की जीवन्त प्रतिमूर्ति

डॉ० गोपाल स्वरूप पाठक

(भारत के उपराष्ट्रपति, कुलाधिपति,
दिल्ली विश्वविद्यालय)

को सविनय, साबर. .

अमिमत

श्री तिरुवल्लुवर और कबीर भारत की दो प्रमुख भाषाओं के विश्रुत कवि और मेधावी विचारक हैं। इन दोनों मनीषी कवियों के रचनाकाल में लगभग पन्द्रह सौ वर्ष का अन्तर है किन्तु यह एक सुखद आश्चर्य है कि दोनों के जीवन-दर्शन और चिन्तन में अत्यधिक समता है। दक्षिण और उत्तर के दो सुदूर सीमान्तों में उत्पन्न ये दो महापुरुष समाज को दिशाबोध और व्यक्ति को अभ्युदय एवं निश्चयेस का मार्ग बताने में आजीवन सलग्न रहे।

तिरुवल्लुवर और कबीर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व में विस्मयजनक समता होने हुए भी किसी विद्वान् का ध्यान इनके कृतित्व के तुलनात्मक अध्ययन की ओर नहीं गया। डा० रवीन्द्रकुमार सेठ ने तमिल भाषा का अध्ययन करने के उपरान्त इस दिशा में प्रयत्न किया और दोनों कवियों के धर्म, दर्शन, काम, अर्थ, आदि विषयों पर गवेषणात्मक दृष्टि में उच्च स्तरीय ग्रंथ का प्रणयन किया है। इस शोध-ग्रंथ में तिरुवल्लुवर और कबीर के विचार-दर्शन का केवल साम्य-वैषम्य ही उद्घाटित नहीं हुआ है बरन् दोनों के प्रदेय का भी आकलन किया गया है। मेरी जानकारी में इन दोनों कवियों के कृतित्व पर हिन्दी में अभी तक कोई ग्रंथ नहीं था। डा० सेठ ने साहित्य के स्तर पर भावात्मक एकता की सुदीर्घ परम्परा का सधान किया है। निस्सन्देह यह स्वस्थ दृष्टि का प्रमाण है। मैं इस कार्य के लिए डा० सेठ को साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि वे भविष्य में तमिल-हिन्दी के उच्चकोटि के विचारकों की कृतियों पर इसी प्रकार अनुसंधानपरक दृष्टि से कार्य करते रहेंगे।

(विजयेश्वर मिश्र)

भाचार्य एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

प्राक्कथन

‘सुधा से भी सुमधुर’ तमिल भाषा के कविवर तिरुवल्लुवर द्वारा लगभग दो सहस्र वर्ष पूर्व रचित ‘तिरुक्कुरल’ वस्तुतः भारतीय साहित्य का भव्य भूषण है। इस ग्रंथ में धर्म, अर्थ एवं काम की ऐसी सूक्ष्मातिमूक्ष्म समीक्षा की गई है जो स्थान एवं समय की परिधि को पार करके सर्वकालीन एवं सार्वलौकिक श्रेष्ठ आदर्श स्थापित करती है। इसमें उल्लिखित संदेश किसी भी धर्मावलम्बी के लिए मान्य है। कदाचिन् विश्व-साहित्य के नीति-ग्रन्थों में ‘तिरुक्कुरल’ का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। इसकी प्रशंसा प्राच्य एवं पाश्चात्य विद्वानों ने मुक्त-कंठ से की है। अभी तक त्रिभिन्न भाषाओं में इसके पचास से भी अधिक अनुवाद हो चुके हैं जिनमें संस्कृत, हिन्दी, बंगाली, बघेली, मराठी, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, सिंहली, पोलिश, बर्मी आदि विदेशी भाषाएँ प्रमुख हैं। अंग्रेजी में तो इसके २० से भी अधिक अनुवाद प्राप्य हैं।

हिन्दी साहित्य के विशाल इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो तिरुवल्लुवर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ मेल खानेवाले एक मात्र कविवर पन्द्रहवीं शताब्दी के कबीरदास ही प्रतीत होते हैं—इसलिए नहीं कि दोनों जुलाहे थे, परन्तु इसलिए कि दोनों का जीवन-दर्शन सनातन सामान्य मानव-मात्र के परिप्रेक्ष्य में निबद्ध था। राम-रहीम को एक मानने वाले कबीर विशुद्ध ज्ञान के रूप में ही ‘आदि-भगवन’ को परखनेवाले तिरुवल्लुवर के समान ही समन्वयवादी थे। यदि तिरुवल्लुवर शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध धर्मों में समान रूप से उपस्थित ‘विजयिनी मानवता’ की व्याख्या करने में सफल हुए तो कबीर हिन्दू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने में। यदि यह पूछा जाए कि तमिल और हिन्दी के ऐसे कौन कवि-द्वै भारत के विकास के लिए आज के युग में समान रूप से उपयोगी सिद्ध होंगे तो अविनाम्ब एवं निस्सकोच कहा जा सकता है कि वे तमिल के सत् कवि तिरुवल्लुवर और हिन्दी के सत् कवि कबीरदास ही हैं।

यद्यपि तमिल और हिन्दी दो बिलकुल भिन्न भाषा-कुलों, अर्थात् क्रमशः द्राविडी एवं भारतीय-आर्य कुल, की भाषाएँ हैं, तथापि तिरुवल्लुवर एवं कबीर के साहित्य एवं उनमें निहित विचारों के आधार पर स्पष्टतः कहा जा सकता है कि दोनों के माध्यम भिन्न होने पर भी मानस एक जैसे ही हैं। तिरुवल्लुवर एवं कबीर भारतीय भावात्मक एकता को प्रतिपादित करते हैं। इस एकता को जब हम उनके द्वारा कथित

धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति में देखते हैं तो मोक्ष के संबन्ध में पृथक् रूप से अभिव्यक्ति करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि यदि प्रथम तीन पुरुषार्थों का पालन उनके कहे अनुसार कोई युक्तियुक्त रीति से करे तो चतुर्थ की प्राप्ति उसे स्वतः सिद्ध होगी ही, जो निर्विवाद है।

यह बड़े हर्ष का विषय है कि प्रस्तुत ग्रंथ में तिरुवल्लुवर एवं कबीरदास के व्यक्तित्व एवं कृतिरत्व का तुलनात्मक अध्ययन दोनों कवियों में समान रूप से रचि रखने वाले सहृदय विद्वान् डा० रवीन्द्रकुमार सेठ के हाथों अनुप्राणित हुआ है जिन्होंने उत्तर और दक्षिण में दीर्घकाल तक रह कर दोनों कवियों का निकट से अध्ययन किया है। उनसे मैंने सुना है कि हिन्दी भू-भाग ने जितना उनको मोहित किया है उतना ही तमिल भू-भाग ने भी। मद्रास विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति श्रद्धेय डा० सर ए० लक्ष्मणस्वामी मुदलियार ने मेरे तिरुक्कुरल के हिन्दी अनुवाद का प्राक्कथन प्रदान करते हुए कहा है—

It is unfortunate that, while the treasures of the ancient Tamil classics are better known and better appreciated by scholars in western lands, very little attention has been paid to such works by scholars in other parts of India

अर्थात् 'यह दुर्भाग्य की बात है कि जब पाश्चात्य देशों के महान् विद्वानों को प्राचीन तमिल साहित्य भंडार के अमूल्य काव्य-ग्रन्थों का अधिक परिचय प्राप्त है और वे इनका सम्मान करते हैं, भारत के अन्य भागों के मान्य विद्वानों का ध्यान ऐसे ग्रन्थों की ओर बहुत कम गया है।'

डा० रवीन्द्रकुमार सेठ द्वारा प्रस्तुत यह शोध-प्रबन्ध जो उनकी पी-एच० डी० उपाधि की थीसिस है, सफलता के साथ यह सिद्ध कर रहा है कि भाग्य के सूर्य का उदय हो गया है और हिन्दी के मान्य विद्वानों का ध्यान तिरुक्कुरल जैसे ग्रन्थ की ओर आकृष्ट होने लगा है। डा० रवीन्द्रकुमार ने मद्रास में ही नहीं मद्रुरै, तजावूर, अन्ना-मलयनगर, कांचीपुरम् आदि अनेक तमिल नगरों में जाकर तिरुक्कुरल का अनुवादों के आधार पर गम्भीर अध्ययन एवं विद्वानों व ग्रन्थों की सहायता से तिरुवल्लुवर एवं कबीर पर अनुसंधान किया है। प्रस्तुत शोध-ग्रंथ में दोनों साधु-कवियों की जीवनी, दोनों द्वारा प्रतिपादित धर्म, अर्थ एवं काम तथा दोनों के सामाजिक सिद्धान्तों का पुखानुपुख रूप से तुलनात्मक विवेचन हुआ है।

तिरुवल्लुवर और कबीर को निकट लाकर डा० रवीन्द्रकुमार सेठ ने वस्तुतः दक्षिणोत्तर समन्वय की स्थापना की है जिसके लिए वे तथा उनके मार्ग दर्शक डा० ओम्प्रकाश (रीडर, हिन्दी-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय) तथा डा० आरुमुहम् (रीडर, तमिल विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय) भी धन्यवाद एवं बधाई के पात्र हैं।

मैं इस ग्रंथ-रत्न का स्वागत करता हूँ और शोधार्थी डा० रवीन्द्रसेठ को साधु-वाद समर्पित करता हूँ। मुझे आशा एवं विश्वास है कि यह ग्रंथ हिन्दी के सभी मान्य एवं सहृदय विद्वानों द्वारा सम्मानित होगा और अनेक अनुसन्धित्नु इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे।

मेरा डा० रवीन्द्रकुमार सेठ से सस्नेह अनुरोध है कि इस प्रकार के और भी दो-चार ग्रंथ वे प्रस्तुत करें जिससे दक्षिणोत्तर समन्वय और सुदृढ़ हो तथा हिन्दी भाषा-

भाषी तमिल के गौरव को ठीक प्रकार से पहचान सकें । 'आदि-भगवन आनेश्वर' से प्रार्थना है कि डा० रवीन्द्र दीर्घायु हों और उनका भविष्य स्वस्थ एवं सानन्द व्यतीत हो । उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ ।

उशंकर राजू

आचार्य एव अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग,
मद्रास विश्वविद्यालय
मद्रास-५

एव भूतपूर्व समापति, तमिल-लेखक संघ, मद्रास

उपक्रम

भारतीय विचारधारा मूलत एक सूत्र में आबद्ध है। सम्पूर्ण देश इस परम्परा से अनु-प्राणित हुआ है। इस देश के धर्म, दर्शन, विचार, आचार, व्यवहार सभी ने इस परम्परा से विकास प्राप्त किया है। अक्षुण्ण रूप से निरन्तर विकासमान इस परम्परा की अन्तर्निहित शक्ति के प्रभावस्वरूप परस्पर विरोधी भावधाराएँ इसमें समाहित हुईं परन्तु इसका अपना रूप आच्छा-दित नहीं हुआ, अपितु इसमें निरन्तर निष्कार ही आया है। इस महान परम्परा के अन्तर्गत तमिल साहित्य के कवि तिरुवल्लुवर का विशिष्ट स्थान है। उनके ग्रंथ 'तिरुक्कुरल' को तमिल साहित्य में वही स्थान प्राप्त है जो संस्कृत-साहित्य में वैदिक वाङ्मय अथवा भगवद्गीता को प्राप्त है। अपने मूल रूप में उपलब्ध यह ग्रंथ सम्पूर्ण तमिल प्रदेश में युगों से समादृत है।

हिन्दी निर्गुण-भक्त-कवि कबीर और तिरुवल्लुवर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व में अद्भुत भाव साम्य दृष्टिगत होता है। भिन्नत्व में निहित यह अभिन्नत्व ही इनके तुलनात्मक अध्ययन की प्रेरणा का आधार बना। 'तिरुक्कुरल' के तीन खण्ड हैं—(क) अरम् (धर्म), (ख) पोर्णु (अर्थ), (ग) इनबम् (काम)। संस्कृत, हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगला, मलयालम, उर्दू, अग्रेजी, बर्मी, मलय, फ्रेंच, जर्मन इत्यादि अनेक भाषाओं में इस ग्रन्थ का अनुवाद हो चुका है। हिन्दी में इसके चार अनुवाद हुए हैं, फिर भी तुलनात्मक अध्ययन के अभाव में न तो हिन्दी के विद्वान् तिरुवल्लुवर और उनकी रचना से परिचित हो सके और न मत कबीर की पुरानी परम्परा का भारत की सबसे प्राचीन आधुनिक भाषा तमिल में अनुसंधान हो सका। इस दृष्टि से मद्रास और दिल्ली विश्वविद्यालयों ने कुछ सराहनीय प्रयास किए हैं, प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध उसी परम्परा का एक परिणाम है। भाषा, काल एवं भौगोलिक वैविध्य के रहते हुए भी इन दोनों कवियों की रचनाओं के मूल में भावनात्मक-एकता को उद्घाटित कर सांस्कृतिक आत्मा की एकता का प्रतिपादन इस अध्ययन का प्रमुख लक्ष्य है।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में तिरुवल्लुवर और कबीर के काव्य का भारतीय परम्परा के परि-प्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। कवियों की जाति, उनकी रचनाएँ, काव्य-सौन्दर्य इत्यादि के विषय में अध्ययन प्रमुख लक्ष्य नहीं रहा, अपितु भाव-साम्य, काव्य में निहित संदेश एवं सामाजिक अभिव्यक्ति की दृष्टि ही प्रमुख रही है। 'तिरुक्कुरल' में पाठ-भेद की समस्या प्रायः नहीं है, अतः डा० सु० शंकरराजू नायडू द्वारा अनूदित 'तिरुक्कुरल' में दिया गया तमिल अक्षर मूलपाठ के रूप में ग्रहण किया गया है। कबीर-काव्य के अध्ययन के लिए सामान्यतः डा० श्यामसुन्दरदास द्वारा सम्पादित कबीर-ग्रंथावली (आठवाँ संस्करण, सन् २०१८) को ग्रहण किया गया है। स्थान-स्थान पर डा० पारसनाथ तिवारी द्वारा सम्पादित 'कबीर-ग्रंथावली' का भी उपयोग किया गया है।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध छह अध्यायों में विभक्त है। विषय की सीमा में रहते हुए प्रबन्ध की व्यवस्था एवं प्रस्तुतीकरण इस प्रकार किया गया है—

प्रथम अध्याय में तिरुवल्लुवर एवं कबीर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का संक्षिप्त परिचय है। हिन्दी में कबीर की जीवनी एवं तिथियों के विषय में पर्याप्त कार्य हुआ है पर तिरुवल्लुवर

का समय अभी भी अनिर्णीत एवं विवादास्पद है। विभिन्न साध्यों का संक्षिप्त विवेचन कर काल-निर्धारण करने का सम्यक् प्रयास किया गया है। तिरुवल्लुवर के रचनाकाल, तमिल-साहित्य के विकास में स्थान-निर्धारण एवं 'तिरुकुरल' पर हुए अनुवाद-कार्यों का उल्लेख कर ग्रथ के वर्ण्य-विषय अरम् (धर्म), अर्थ (पोरुल्) एवं काम (इनबम्) का परिचय है। इसके पश्चात् कबीर के जीवनवृत्त एवं व्यक्तित्व का उपलब्ध सामग्री के आधार पर विवेचन है।

द्वितीय अध्याय में दो खण्ड हैं—'क' खण्ड में तिरुवल्लुवर एवं कबीर की धर्म (अरम्) विषयक मान्यताओं का अध्ययन है। इस खण्ड के दो उपविभाग हैं—प्रथम उपविभाग में धर्म की व्युत्पत्ति, धर्म के आधार, धर्म-विषयक मान्यताओं का विकास एवं धर्म का स्वरूप-विवेचन है। इसके अन्तर्गत धर्म का नीति से सम्बन्ध अध्ययन का विषय बना है। तदनन्तर वेद, उपनिषद्, धर्मसूत्र, स्मृतिग्रन्थ, बाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि में धर्म विषयक मान्यताओं का अनुशीलन किया गया है। द्वितीय उपविभाग में तिरुवल्लुवर और कबीर के अनुसार धर्म का महत्त्व, धर्म और प्रवृत्ति मार्ग, धर्म और निवृत्ति मार्ग तथा धर्म और प्रेम-भाव का अध्ययन हुआ है। धर्म के व्यक्तिपरक रूप के अन्तर्गत मन (आत्म-सयम, इन्द्रिय निग्रह, तृष्णा त्याग), वचन (सत्यभाषण, मधुर भाषण, मित्रभाषण) और कर्म (अहिंसा, सदाचार, मासाहार-निषेध) का दोनों कवियों के आधार पर अध्ययन करने के पश्चात् धर्म के समाजगत रूप (लोकाचार) का भी अपरिग्रह, पर-निंदा-त्याग, अक्रोध, परस्त्री-वर्जन, बाह्याडम्बर-विरोध इत्यादि शीर्षकों के अन्तर्गत विवेचन किया गया है। अध्याय के अन्त में तुलनारमक अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

'ख' खण्ड में दोनों कवियों के दर्शन-सम्बन्धी विचारों का अध्ययन, तत्त्वज्ञान, ईश्वर, जगत् एवं उसकी नश्वरता, कर्म सिद्धान्त आदि शीर्षकों के अन्तर्गत किया गया है।

तृतीय अध्याय में अर्थ (पोरुल्) का अध्ययन है। इसके दो उपविभाग हैं। प्रथम उपविभाग में 'अर्थ' शब्द और उसकी व्याप्ति का विवेचन है और धर्म से उसके सम्बन्ध का अध्ययन है। इस सम्बन्ध में अर्थ-विषयक मान्यताओं का विकास स्पष्ट किया गया है। द्वितीय उपविभाग अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नलिखित रूप में विभक्त किया गया है—

(क) प्रशासन अथवा अधिकारी-वर्ग—राजा, सामन्त, दुर्ग, सैन्य, खाद्य, राजदूत, गुप्तचर, मित्र एवं इनसे सम्बद्ध विषय।

(ख) प्रजा अथवा सामान्य समाज सम्बन्धी विवेचन के अन्तर्गत सम्मान, महानता, शिष्टाचार इत्यादि गुणों के अतिरिक्त सामान्य व्यक्ति के लिए विधि-निषेध का मार्ग स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विषयों का विवेचन किया गया है। 'अर्थ' सम्बन्धी सामग्री कबीर के साहित्य में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों ही रूपों में जितनी उपलब्ध है उस समस्त के आधार पर दोनों कवियों की मान्यताओं की तुलना की गई है।

चतुर्थ अध्याय में तिरुवल्लुवर एवं कबीर के काम (इनबम्) विषयक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन है। भारतीय परम्परा में 'काम' का विकास, धर्म-आधृत काम की स्वीकृति, काम एवं मनोविज्ञान, वेद, उपनिषद्, महाभारत एवं पुराणों में काम, कामसूत्र में काम इत्यादि का उल्लेख कर 'काम' के व्यापक घरातल का स्पष्टीकरण हुआ है। 'काम' के लौकिक एवं आध्यात्मिक पक्ष को स्पष्ट कर संस्कृत-हिन्दी और तमिल साहित्य की श्रृंगार-वर्णन पद्धति में अन्तर का उल्लेख है। इसके उपरान्त तोलकाप्पियम् में वर्णित 'अहम्' और 'पुरम्' का विवेचन हुआ है। इस सदर्थ में 'अहम्' के अन्तर्गत प्रेम के रूप (तिर्नै) तथा तमिल साहित्य का तद्विष-

यक परम्परागत-विभाजन वर्णन का विषय बना है। प्रेम-सम्बन्धों का विभाजन, विवाहपूर्व प्रेम (कलह, पूर्वराग) विवाह-सम्बन्ध स्थापित होने के उपरान्त का प्रेम (करपु, दाम्पत्य प्रेम) का वर्णन हुआ है। तिरुवल्लुवर-काव्य में सयोग शृंगार, नायक-नायिका का लौकिक-प्रेम, प्राचीन काल में तमिल प्रदेश में प्रेम-पद्धति का रूप, प्रथम दर्शन, पूर्वराग, सयोग, मान, प्रणय-मान, ईष्यामान एवं सौन्दर्य चेतना आदि शीर्षको से तिरुवल्लुवर के सयोग-शृंगार चित्रों का विवेचन है। कबीर काव्य में अलौकिक प्रतिपाद्य के लिए अप्रस्तुत रूप एवं शृंगार का आध्यात्मिक चरित्र स्पष्ट कर सयोग शृंगार का वर्णन है। तिरुवल्लुवर के वियोग शृंगार में ऐन्द्रियता के स्थान पर सूक्ष्म मानसिक भाव का उल्लेख कर वियोग शृंगार का विवरण है। इसी पद्धति से कबीर-काव्य के विरह-वर्णन का विश्लेषण हुआ है। अध्याय के अन्त में तुलनात्मक अध्ययन के निष्कर्ष दिए गए हैं।

पञ्चम अध्याय में तिरुवल्लुवर एवं कबीर-काव्य में सामाजिक अभिव्यक्ति का अध्ययन है। काव्य में समाज-चित्रण का विश्लेषण कर समाज का विभाजन किया गया है। परिवार (पति, पत्नी और सतति) तथा राज्य (प्रजा एवं अधिकारीवर्ग) का उल्लेख कर तिरुवल्लुवर-काव्य में सामाजिक अभिव्यक्ति का अध्ययन हुआ है। इसमें पूर्वराग, दाम्पत्य-प्रेम, निषिद्ध-प्रेम, वेशभूषा, आभूषण, शृंगार-प्रसाधन, सामाजिक-विभाजन (गृहस्थ, सन्यासी, ढोगी-नपस्वी), भोजन-पान, मासाहार-निषेध एवं मद्य-निषेध इत्यादि का विवेचन किया गया है। कृषि-प्रधान समाज का कृषि के प्रति आदर-भाव तथा औषधि-ज्ञान का भी संक्षिप्त उल्लेख हुआ है। कबीर-काव्य में गृहस्थ एवं वैरागी, दाम्पत्य-जीवन में पत्नी, सतति, निषिद्ध-प्रेम, शृंगार-प्रसाधन एवं आभूषण, भोजन-पान, मासाहार-निषेध एवं मद्य-निषेध, वेश्यावृत्ति, तथा कृषि-विषयक अभिव्यक्ति का उल्लेख कर निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। तिरुवल्लुवर-काव्य में सामाजिक अभिव्यक्ति का यह अध्ययन मेरा विनोत प्रयास है, आशा है इससे सामाजिक-इतिहास के लिए महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध हो सकेगी।

अनेक विद्वानों ने तिरुक्कुरल एवं अन्य प्राचीन ग्रन्थों में साम्य के संकेत दिए हैं। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के षष्ठ अध्याय में उन संकेतों से लाभ उठाकर भारतीय-संस्कृति के कतिपय आधारभूत ग्रन्थों के विचार एवं तिरुक्कुरल के विचारों का भाव-साम्य अध्ययन का विषय बना है। यह पद्धति सांस्कृतिक-एकता का ठोस प्रमाण एवं सम्बल बन सकती है।

तिरुवल्लुवर और कबीर में तिरुवल्लुवर निश्चय ही अधिक प्राचीन एवं अधिक मान्य हैं। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के शीर्षक में तिरुवल्लुवर का नाम प्रथम और कबीर का द्वितीय है। तुलनात्मक अर्थों के प्रसंग में अध्ययन का मुख्य केन्द्र तिरुवल्लुवर और उनकी कृति तिरुक्कुरल—उसमें वर्ण्य-विषय—ही रहे हैं। कबीर की तुलना की अपेक्षा से जितना आवश्यक था और जिस रूप में आवश्यक था, उतना और उसी रूप में लिया गया है। काव्य-शास्त्रीय शब्दावली में तिरुवल्लुवर वर्ण्य अथवा प्रस्तुत हैं और कबीर अवर्ण्य अथवा अप्रस्तुत हैं, फिर भी कबीर का महत्त्व या उनकी अपेक्षा किसी भी प्रकार से कम नहीं है और न उसको कम मान कर यह तुलना की गई है। यह अध्ययन उत्तर एवं दक्षिण की सांस्कृतिक-एकता को और भी स्पष्ट करेगा एवं इससे उत्पन्न भावात्मक-एकता से श्रेष्ठ-समाज एवं दृढ़ राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करने में यत्किंचित योगदान होगा, ऐसा विश्वास है।

उपसंहार भाग में अध्ययन के निष्कर्ष अध्यायक्रम से संचित कर दिए गए हैं। जिस सूत्र को ग्रहण करके प्रस्तुत शोधकार्य प्रारम्भ किया गया था उनका क्रमिक विस्तार करते हुए समा-

हार रूप में यह निष्कर्ष निकलता है कि भौगोलिक, ऐतिहासिक वैविध्य एवं बाह्य वैचित्र्य (वेश-भूषा, खानपान आदि) के रहते हुए भी जीवन का सूत्र जहाँ से प्रारम्भ होता है वह विचार बिन्दु हमारे देश की अखण्ड सस्कृति में सर्वत्र दृष्टिगत होता है। मनीषियों के विचार साहित्य एवं परम्परा के द्वारा जन-जन के मानस में व्याप्त हो जाते हैं और साधक-साहित्यकार उन विचारों का अभिव्यक्ति-पुञ्ज बनकर स्थान-स्थान पर एवं समय-समय पर प्रकट होते रहते हैं। गंगा एवं कावेरी का निर्मल जल अनादि काल से बहता हुआ देश के अनेक भागों को सिंचित करता रहा है, उसी प्रकार सस्कृति के स्रोत राष्ट्रीय-जीवन को उल्लसित एवं उच्छ्वसित करते रहते हैं। समय बदलता है, स्थान बदलते हैं, वेश-भूषा और खान पान बदलते हैं, यहाँ तक कि विचार और भाव के उपयोग बदलते हैं, परन्तु विचारों के स्रोत, चिन्तन के केन्द्र, अपनी निरन्तरता में ही हमको आकृष्ट करते हैं। जो दूर दिखाई पड़ता है, वह पास जाने पर दूर नहीं रहता। यह अपनापन हमारी प्राचीन एवं नवीन भारतीय भाषाओं में भली-भाँति देखा जा सकता है। तिरुवल्लुवर एवं कबीर इसके प्रमाण हैं। प्रस्तुत प्रबन्ध इसी निष्कर्ष का एक लघु प्रयास है।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में सम्बद्ध सामग्री-सकलन के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों एवं अन्य सस्थाओं में जाकर कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई आर्थिक सहायता के लिए मैं आयोग का कृतज्ञ हूँ। इसी सहायता के फलस्वरूप मैं निम्नलिखित सस्थाओं में जाकर लाभान्वित हो सका —

मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय (मद्रास)

आड्यार थियोमौफिकल सोसायटी पुस्तकालय (मद्रास)

कन्निरा राष्ट्रीय पुस्तकालय (मद्रास)

अन्नामलै विश्वविद्यालय पुस्तकालय (अन्नामलैनगर)

मदुरै विश्वविद्यालय पुस्तकालय (मदुरै)

महाराज सरफरोजी सरस्वती महल पुस्तकालय (तमिऱ)

इसके अनिरिक्त सामग्री-सकलन दिल्ली-विश्वविद्यालय पुस्तकालय, हरदयाल (हार्डिंग) मार्ब-जनिक पुस्तकालय तथा अन्य स्थानीय पुस्तकालयों से किया गया। इन सभी सस्थाओं एवं उनके संचालकों का मैं हृदय से आभारी हूँ।

एम० ए० कक्षा में प्रवेश लेते समय मैंने डा० ओम्प्रकाश के परामर्श से सयुक्त पाठ्य-क्रम के लिए तमिल-भाषा एवं साहित्य का व्यवस्थित अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। तब से हिन्दी और तमिल मेरे लिए सस्कृत, अंग्रेजी और पंजाबी की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण बन गईं। इन दोनों साहित्यों के अध्यापकों की प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से मैं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम स्थान प्राप्त कर सका। शोधकार्य प्रारम्भ करते हुए मेरे सम्मुख डा० ओम्-प्रकाश का वल्लुवर विषयक लेख (जो हमराज कॉलेज पत्रिका में सन् १९५१ में प्रकाशित हुआ था और तदनन्तर उनके निबन्ध संग्रहों में समाविष्ट हो गया है) मेरे शोध का आधार बना जिसमें उन्होंने वल्लुवर की तुलना भर्तृहरि और कबीर से की थी। डॉ० के० अरुमुहम् (रीडर, तमिल विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय) ने मेरे तुलनात्मक शोध के विचार को पसन्द किया और मुझको हर प्रकार की सहायता भी देते रहे। इन दोनों निर्देशकों के स्नेह एवं आत्मीयता के कारण मेरा शोधकार्य सुगम एवं सहज बन गया और मैं कुछ वर्षों में ही पंजाबी भाषी से तमिल भाषी बन गया। इन परिस्थितियों को मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष, प्रोफेसर डॉ० विजयेन्द्र स्तातक के प्रति आभार

प्रकट करना मेरा कर्त्तव्य है। मेरे तुलनात्मक दृष्टिकोण को उन्होंने निरतर प्रोत्साहन दिया है।

मद्रास विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के प्रोफेसर एव अध्यक्ष डा० सु० शंकर राजू नायडू पिछले दो दशकों से तमिल एवं हिन्दी साहित्यों को एक-दूसरे के निकट लाने का प्रयास कर रहे हैं। मद्रास में रहकर उनसे मुझे अनेक प्रकार की सहायता एवं अनेक विषयों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को आद्यन्त पढ़कर उन्होंने इसके लिए एक महत्त्वपूर्ण प्राक्कथन लिखने की भी कृपा की है। इस बहुमुखी अनुग्रह के लिए मैं डा० नायडू के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ और मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक के प्रकाशन से वह भी उतने ही उल्लसित हुए हैं जितना कि मैं और मेरे दोनों निर्देशक। पिछले ११ वर्षों से मेरे मार्गदर्शक शिक्षाविद् डा० गोवर्धनलाल दत्त, भूतपूर्व उपकुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन एव प्राचार्य राजेन्द्रनाथ चौपडा (प्रिसिपल, डी० ए० बी० कॉलेज) का मैं विशेष आभार मानता हूँ। मेरी प्रत्येक कठिनाई इनके स्पष्ट चिंतन का स्पर्श करते ही अत्यन्त सरल होती रहती है। मेरी सहधर्मिणी सौ० 'रमेश' जीवन के सुख-दुःख की सहचरी हैं, शोध के सम्पूर्ण कार्यकाल में उन्हें और चि० 'स्मिता' को तथा परिवार के सभी सदस्यों को सम्बल मान कर आगे बढ़ता रहा हूँ।

इस शोध-ग्रन्थ में हिन्दी, तमिल, संस्कृत एव अंग्रेजी के जिन विद्वानों के ग्रन्थों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष उपयोग किया गया है, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मेरा पुनीत कर्त्तव्य है। नेशनल पब्लिशिंग हाउस के सचालक श्री कन्हैयालाल मलिक ने जिस कुशलता से प्रकाशन-कार्य में योगदान दिया है उसके लिए मैं उनका हादिक आभार मानता हूँ।

प्राध्यापक, हिन्दी विभाग,
पी० जी० डी० ए० बी० (साध्य) कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

दीपक कुमार

अनुक्रम

१. तिरुवल्लुवर एव कबीर : व्यक्तित्व एवं कृतिस्व १-२०

तिरुवल्लुवर का महत्त्व, जीवन-परिचय, रचना-काल, तमिल साहित्य के विकास में तिरुवल्लुवर का स्थान, तिरुक्कुरल पर हुआ अनुवाद-कार्य, वर्ण्य-विषय, कबीर-जीवन-वृत्त, कबीर की जाति, कबीर के गुरु, कबीर का पर्यटन, गृहस्थ जीवन, कबीर का व्यवसाय, कबीर का व्यक्तित्व ।

२. तिरुवल्लुवर एव कबीर की (अरम्) धर्म-विषयक मान्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन खण्ड 'क' २१-६०

धर्म-विषयक मान्यताओं का विकास, धर्म और तमिल अरम् का सम्बन्ध, धर्म की व्युत्पत्ति, धर्म के आधार, वेद में धर्म, उपनिषद् में धर्म, धर्मसूत्र में धर्म, स्मृति-ग्रंथों में धर्म, वाल्मीकि रामायण में धर्म, महाभारत में धर्म, पुराण में धर्म, धर्म और नीति, धर्म के रूप, परिभाषा का प्रश्न, तिरुक्कुरल के धर्म-खण्ड (अरस्तुपाल) का वर्ण्य—विषय, तिरुवल्लुवर और कबीर के अनुसार धर्म का महत्त्व, धर्म और प्रवृत्ति-मार्ग (गृहस्थ), धर्म और निवृत्ति मार्ग, धर्म और प्रेम भाव, धर्म का व्यक्तिपरक रूप—मन, वचन, कर्म से धर्मा-चरण, मन—आत्म-सम्यग्, इन्द्रिय-निग्रह, तृष्णा-त्याग, वचन—सत्यभाषण, मधुर-भाषण, मित-भाषण, कर्म—अहिंसा, सदाचार, मानाहार-निषेध, धर्म का समाजगत रूप (लौकाचार)—अपरिग्रह, परनिन्दा त्याग, अक्रोध, परस्त्री-गमन न करना, बाह्याडम्बर-विरोध, परोपकार, अतिथि-सत्कार, दान, कृत-ज्ञता, समदृष्टि, क्षमाभाव इत्यादि, निष्कर्ष ।

धर्म और दर्शन तिरुवल्लुवर एव कबीर के विचार

खण्ड 'ख' ९१-१०६

(अ) तत्त्वज्ञान, (आ) ईश्वर, (इ) जगत् एव उसकी नश्वरता,
(ई) कर्म-सिद्धान्त ।

३. तिरुवल्लुवर एवं कबीर के काव्य में अर्थ (पोरुल्) का तुलनात्मक अध्ययन १०७-१४७

भारतीय परम्परा में अर्थ, अर्थ (पोरुल्) का अर्थ, 'अर्थ' का सक्षिप्त विकास, तिरुक्कुरल में पोरुल्-खण्ड का वर्ण्य-विषय, वर्गीकरण ।

(क) प्रशासन अथवा अधिकारी-वर्ग विषयक द्विवचन

राज्य, राजा, अमात्य, दूत एव गुप्तचर, कोष, सैन्य, मंत्री, दुर्ग (राज-धानी), निष्कर्ष ।

(ख) वर्गीकरण के आधार का स्पष्टीकरण .

- (अ) मानव के विकास की प्रक्रिया
शिक्षा, अशिक्षा, श्रवण-ज्ञान, बुद्धिमत्ता, ज्ञान का विस्तार,
सभा ।
- (आ) सामाजिक सम्बन्धों के विभिन्न रूप
सज्जन-मैत्री, कुसग-त्याग, विश्वासपात्र का चुनाव, बहुओं
के प्रति सद्भाव, सद्ब्यवहार ।
- (इ) कर्म की विधि
बोधयुक्त कर्म, शक्ति, काल एव स्थल का बोध ।
- (ई) सामाजिक जीवन का दुर्बल पक्ष
(१) मानव स्वभावगत दुर्बलता (मूढता, अहंकार, नीचता)
(२) सामाजिक सगठन के फलस्वरूप उत्पन्न दोष (सपत्ति-संग्रह,
दरिद्रता, याचना) । निष्कर्ष ।

४. तिरुवल्लुवर एवं कबीर के काव्य में 'काम' (इनबम्) का

तुलनात्मक अध्ययन

१४६-१७८

भारतीय परम्परा में 'काम' का विकास , धर्म-आधृत 'काम' की स्वीकृति , 'काम' और मनोविज्ञान , वेद, उपनिषद् महाभारत इत्यादि में 'काम', कामसूत्र में 'काम', काम के व्यापक घरातल का स्पष्टीकरण । 'काम' का लौकिक एव आध्यात्मिक पक्ष, संस्कृत-हिन्दी और तमिल साहित्य की शृंगार-वर्णन पद्धति में अन्नर, तोलकाप्पियम् में वर्णित 'अहम्' और 'पुरम्' । अहम् के अन्नगंत प्रेम के रूप (तिर्न) । तमिल-साहित्य में स्वीकृत परम्परागत विभाजन— कुरिजि, पालै, मुल्लै, मरुदम्, नेयदल । प्रेम-सम्बन्धों का विभाजन विवाह पूर्व प्रेम (कलवु ,पूर्वराग), विवाह सम्बन्ध स्थापित होने के उपरान्त का प्रेम (करपु, दाम्पत्य प्रेम) । तिरुवल्लुवर-काव्य में सयोग शृंगार नायक-नायिका का लौकिक प्रेम , प्राचीनकाल में तमिल-प्रदेश की प्रेम-पद्धति का रूप , प्रथम-दर्शन, पूर्वराग, सयोग, मान, प्रणयमान (पुलवि), ईर्ष्यामान, सौन्दर्य चेतना । कबीर काव्य में सयोग , अलौकिक प्रतिपाद्य के लिए अप्रस्तुत रूप, शृंगार का आध्यात्मिक घरातल , प्रेम का रूप, प्रभाव, सयोग-शृंगार के चित्र । तिरुवल्लुवर काव्य में वियोग-शृंगार, वियोग में ऐन्द्रियता के स्थान पर सूक्ष्म मानसिक भाव । अग-असौष्ठव, पाण्डुता, प्रवास-जन्य विरह-वर्णन, स्वप्न, स्मरण, सध्या समय की व्याकुलता, मान-भंग । कबीर-काव्य में वियोग-शृंगार, प्रेम के दो रूप (अ) अलौकिक आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत ऐहलौकिक प्रेम (आ) प्रेम का मानवतावादी रूप । परम्परागत शास्त्रीय दशाओं के क्रम-उद्भूत विवेचन में अनायुद्ध । व्याकुलता, एकनिष्ठता एव प्रेम का दुस्तर मार्ग , त्याग की भावना , पतिव्रता एव सूर का आदर्श , निष्कर्ष ।

५. तिखदल्लुवर एवं कबीर-काव्य में सामाजिक अभिव्यक्ति

१७९-२०२

(क) सामाजिक अभिव्यक्ति .

परिवार—पति, पत्नी, संतति, मित्र ।

राज्य—प्रजा, अधिकारी-वर्ग ।

(ख) तिखदल्लुवर-काव्य में सामाजिक अभिव्यक्ति :

पूर्वराग, दाम्पत्य-जीवन, निषिद्ध-प्रेम, वेषभूषा, आभूषण, श्रृंगार-प्रसाधन, सामाजिक विभाजन—गृहस्थ, सन्यासी, ढोंगी तपस्वी, भोजन-पान, मासाहार-निषेध, मद्य-निषेध । सामाजिक जीवन में व्याप्त कुरीतिया—जुआ, बेइयावृत्ति । औषधि, कृषि-प्रधान समाज ।

(ग) कबीर-काव्य में सामाजिक अभिव्यक्ति :

गृहस्थ एवं बंरागी, दाम्पत्य जीवन में पत्नी, संतति, निषिद्ध-प्रेम, सामाजिक-विभाजन, श्रृंगार-प्रसाधन एवं आभूषण, भोजन-पान, मासाहार-निषेध एवं मद्य-निषेध, बेइयावृत्ति, कृषि । निष्कर्ष ।

६ भाव साम्य के ज्वलन्त उदाहरण

२०३-२२३

कतिपय संस्कृत ग्रंथ एवं तिरुक्कुरल

(क) तिरुक्कुरल एवं महाभारत ।

(ख) तिरुक्कुरल एवं मनुस्मृति ।

(ग) तिरुक्कुरल एवं कौटिलीय अर्थशास्त्रम् ।

सहायक-ग्रंथ सूची

२२५-२३१

हिन्दी

तमिल

संस्कृत

अंग्रेजी

संकेत-सूची

अथर्व०	अथर्ववेद संहिता
अनु०	अनुवाद, अनुवादक
अनु०	महाभारत, अनुशासन पर्व
अरण्य०	महाभारत, अरण्यपर्व
आ० घ० सू०	आपस्तम्ब धर्मसूत्र
आ०	आचार्य
ई० पू०	ईस्वी (सन्) पूर्वं
ई० प०	ईस्वी (सन्) पश्चात्
उद्योग०	महाभारत, उद्योग पर्व
उप०	उपनिषद्
कठ०	कठोपनिषद्
कर्ण०	महाभारत, कर्णपर्व
क० ब्र०	कबीर ग्रन्थावली
क० ब्र० (पा० ना० ति०)	स० डा० श्याममुन्ददास, आठवा सस्करण, (सवत् २०१८) कबीर ग्रन्थावली
क्र० स०	स० डा० पारसनाथ तिवारी क्रम-सख्या
कामन्दक०	कामन्दकीय नीतिसार
कौ० अर्थ०	कौटिलीय अर्थशास्त्रम् (स० वावस्पति गैरोला)
छा०	छान्दोग्योपनिषद्
डा०	डॉक्टर
तुल०	तुलनीय
तै० स०	तैत्तिरीय संहिता
पृ०	पृष्ठ (सख्या)
प्रो०	प्रोफेसर
ब्रा०	ब्राह्मण
भाष्य०	भाष्यकार
मनु०	मनुस्मृति
महा०	महाभारत, गीता प्रस
महा० (भण्डारकर)	महाभारत (भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीच्यूट द्वारा प्रकाशित)

मीसल०
ख० सू०
याज्ञ०, याज्ञवल्क्य०
घन०
वा० रा०
वसिष्ठ०
बृहद्
शांति०
सं० वा० स०
स०
सं० महा०

मीसलपर्व
वर्मसूत्र
याज्ञवल्क्य स्मृति
वनपर्व
वाल्मीकि रामायण
वसिष्ठ स्मृति
बृहदारण्यकोपनिषद्
महाभारत, शान्ति पर्व
संतवाणी संग्रह
सम्पादक
सक्षित महाभारत

तिरुवल्लुवर एवं कबीर व्यक्तित्व एवं कृतित्व

तिरुवल्लुवर का महत्त्व, जीवन-परिचय, रचना-काल, तमिल साहित्य के विकास में तिरुवल्लुवर का स्थान, तिरुकुरल पर हुआ अनुवाद-कार्य, वर्ण्य विषय, कबीर-जीवन-वृत्त, कबीर की जाति, कबीर के गुरु, कबीर का पर्यटन, गृहस्थ जीवन, कबीर का व्यवसाय, कबीर का व्यक्तित्व ।

तिरुवल्लुवर का महत्त्व

तमिल साहित्य एव सस्कृति की विशाल परम्परा में तिरुवल्लुवर का स्थान अद्वितीय है। उनके काव्य एव उसमें निहित सदेश ने अनेक भारतीय एव पाश्चात्य विद्वानों को अभिभूत किया है। देश-काल की प्रबल सीमाओं से अनाबद्ध, मानव मात्र के लिए आदर्श मार्ग का निर्देश करने वाले, प्रबल विचारक एव श्रेष्ठ कवि के रूप में तिरुवल्लुवर की महत्ता भारतीय एव विदेशी विद्वानों ने मुक्त कंठ से स्वीकार की है। “तिरुक्कुरल तमिल साहित्य का गौरव है और भारतीय साहित्य का भव्य भूषण है”—सु० शंकर राजु नायडू का यह कथन सत्य पर आधारित है।^१ तमिल प्रदेश में इससे पूर्व अथवा उपरान्त इतने विद्वत्तापूर्ण कथन अन्य किसीने प्रस्तुत नहीं किये, ऐसा विचार प्रो० एस० वैयापुरी पिल्लै ने अभिव्यक्त किया है।^२ श्री चार्ल्स इ० गोवर के मतानुसार तमिल साहित्य एव जीवन में इस ग्रन्थ का लगभग वही प्रभाव है जो इटली में दान्ते के महान् विचारो का है।^३ एम० एरियल ने तिरुक्कुरल को तमिल साहित्य का विशिष्ट ग्रन्थ मानते हुए इसे मानव-विचारो की उच्चतम और पवित्रतम अभिव्यक्ति माना है।^४

तिरुक्कुरल के प्रसिद्ध अनुवादक एव तमिल-विद्वान् डा० जी० यू० पोप वल्लुवर को विश्व की महान् प्रतिभाओं में से एक मानते हैं।^५ फ्रेडरिक पिनकांट ने माना है कि भारत में दो ग्रन्थों ने जनता के हृदय और मस्तिष्क पर पूर्ण नियंत्रण किया है। ये दो ग्रन्थ तुलसीकृत

१ तिरुक्कुरल, पृ० ३।

२ “Never before, nor since, did words of such profound wisdom issue forth from any sage in the Tamil land.”

—*History of Tamil Language and Literature*, p 86.

३ “It is no exaggeration to say that it is as important in Tamil literature, as influential on the Tamil mind, as Dante’s great work on language and thought of Italy ”

—*Tirukkural* K M. Balasubramaniam, p. 512

४ “The Kural is the masterpiece of Tamil literature—one of the highest and purest expression of human thought.”

—*Journal Asiaticque*, Nov-Dec. 1848.

५ “The weaver of Mayilapur, known now only as Tiruvalluvar was undoubtedly one of the great geniuses of the world ”

—*Tirukkural* Dr. G U. Pope, p XVII

४ ❏ तिरुवल्लुवर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन

‘रामायण’ और तिरुवल्लुवर का ‘कुरल’ हैं . इन दो में कुरल अधिक प्राचीन है ।^१ प्रो० एम० विन्टरनिस्स ने कुरल को विषय साहित्य का अनुपम रत्न माना है ।^२

इस प्रकार के महान् कवि जाति, समाज और राष्ट्र की सीमाओं को लाघ कर मानव मात्र के हो जाते हैं । युग-परिवर्तन उनके कथनों को प्रभावित कर पाने में असमर्थ होता है, प्रबल काव्य यहाँ अभिभूत होकर नतमस्तक हो जाता है । तिरुवल्लुवर के महान् ग्रन्थ ‘तिरु-वकुरल’ से तमिल प्रदेश ही नहीं मानव-मात्र का कल्याण सम्भव है, अतः इस प्रकार के ग्रन्थ का अध्ययन साहित्य-शोध का विषय बनना स्वाभाविक ही है ।

तिरुवल्लुवर में ‘तिरु’ आदरसूचक उपसर्ग है, मूल नाम ‘वल्लुवर’ ही है । इनका वास्तविक नाम अज्ञात है, हाँ ‘वल्लुवन’ एक सामान्य स्तर की जाति के नाम के रूप में प्रच-लित शब्द है । डा० सु० शंकर राजू नायडू ने कवि एवं उसके द्वारा रचित ग्रन्थ के प्रसिद्ध ६ नामों का उल्लेख किया है—

ग्रन्थ के नाम	लेखक के नाम
तिरुवकुरल	तिरुवल्लुवर
मुप्पानुल्	नायनार
उत्तर-वेदम्	देवर
देय्वनूल्	मुदपावलर
तिरुवल्लुवर	देय्वप्पुलवर
पोय्यामोळि	तान्मुहनार
वायुरं वाळुत्तु	मातानुबगी
तमिळ् मरै	चेन्नाप्पोदार
पोद्दु मरै	पेरुनावलर । ^३

जीवन-परिचय

तिरुवल्लुवर के विषय में अनेक जन-श्रुतियाँ तमिल-प्रदेश में प्रचलित हैं । श्री पोपले ने कुछ वृत्त-कथाओं का उल्लेख किया है, जिनके अनुसार वल्लुवर मयिलापुर गाव के एक जुलाहे थे । इस कथन में सम्भव तथ्य इतना ही है कि कवि को प्रायः मयिलापुर के जुलाहे के नाम से स्मरण किया जाता है । लगभग सभी लेखकों ने इस बात की ओर संकेत किया है कि तिरुवल्लुवर समाज में निम्न कही जाने वाली जाति के व्यक्ति थे । ‘वल्लुवन’ नाम की जाति के अवशेष चिह्न अभी भी विद्यमान हैं । यह सम्भव है कि वह ‘वल्लुवाकुडी’ नामक इस जाति के सदस्य रहे हों । इस जाति का कार्य राजाज्ञा की डोल इत्यादि द्वारा घोषणा करना था ।

१. “There are two books in India which have taken entire possession of the hearts and minds of the people, the first of these is the Ramayana of Tulsidas . and the other is the Kural of Tiruvalluvar of the two, the Kural is much the older”.

—Tirukkural K M Balasubramaniam, p 514

२. “Tiruvalluvar’s Kural...is one of the gems of world literature.”

—Ibid, p 515

३. तिरुवकुरल, पृ० १८-१९

परम्परा से यह भी विश्वास किया जाता रहा है कि तिरुवल्लुवर एक ब्राह्मण पुत्र (भनबन्) एवं एक निम्न जाति की स्त्री (आदि) की संतान थे। इस सम्बन्ध में सात सन्तानों का उल्लेख है जिनमें कपिलर और अर्वायार उल्लेख्य हैं। इस कथन में सत्य का अंशमात्र भी उपलब्ध नहीं और न ही इसे स्वीकार करने का कोई आधार ही उपलब्ध है। सम्भवतः कवि की प्रसिद्धि हो जाने के उपरान्त उसे उच्चकुल से सम्बद्ध करने के लिए इस प्रकार की कथा का निर्माण कर लिया गया। प्रो० रगाचार्य ने यह मत प्रस्तुत किया है कि तमिल 'वल्लुवर' संस्कृत साहित्य में 'राजनय' के समान है, एवं अपने ग्रन्थ में जिस व्यावहारिक एवं राजनीतिक ज्ञान का परिचय कवि ने दिया है उससे इसकी पुष्टि होती है कि वल्लुवर 'राज्य' का बड़ा अधिकारी रहा हो। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र की रचना 'नरेन्द्र' अथवा चन्द्रगुप्त के लिए की थी। इसी प्रकार सम्भवतः वल्लुवर ने यह रचना अपने मित्र 'एल्लाल' अथवा उसके पुत्र के लिए की हो। इसी तर्क का विकास कर यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार कौटिल्य को राज्य का संरक्षक नियुक्त किया गया, उसी प्रकार का दायित्व वल्लुवर को भी राज्य का उच्च पदाधिकारी बना कर प्रदान किया गया। इसमें प्रश्न सम्भावनाओं का नहीं, प्रमाणी के अभाव का है। समग्रतः विश्लेषण करने पर इस प्रकार की धारणाओं का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। इसी आधार पर एस० सोमसुन्दर भारती के एक लेख में इसी प्रकार की धारणा को मात्र अनुमान मानना होगा। जनश्रुतियों का आधार चाहे ऐतिहासिक न हो, तो भी उनका विकास एक विशेष अर्थ-युक्त होता है। चारों ओर से असत्य में लिपटी जनश्रुति में भी कहीं सत्य का कुछ अंश हो सकता है, चाहे वह कितना ही न्यून अथवा सूक्ष्म क्यों न हो। इसलिए वल्लुवर से सम्बद्ध जन श्रुतियों में सम्भवतः कुछ सार हो।

डा० ओम्प्रकाश ने भी तिरुवल्लुवर को वल्लुवा जाति में उत्पन्न माना है। उनका तर्क यह है कि सम्भवतः प्रारम्भ में इनके समकालीन लोग इनको जाति-नाम से पुकारते रहे होंगे, समय बीतने पर उसी नाम का आदर हुआ और उसके साथ आदरसूचक 'तिरु' उपसर्ग जोड़ दिया गया।^१

श्री रौबिन्सन ने एक जनश्रुति का उल्लेख किया है जिसके अनुसार एक नवजात शिशु मयिलापुर में शिव मंदिर के निकट पड़ा था। वैल्लाल वश की एक स्त्री पुत्र-प्राप्ति की कामना लेकर मंदिर में आई, पार्वती की आज्ञा पाकर वह स्त्री बालक को घर ले आई। गाव के लोगों द्वारा बालक के जन्म, वश इत्यादि के विषय में की गई आलोचना से तग आकर दम्पति ने बालक को एक 'परिया' परिवार को सौंप दिया। पाच वर्ष की आयु होने पर बालक ने यह जानकर कि वह माता-पिता की आलोचना का कारण है, घर से निकल कर गाव के बाहर ताड़-वृक्ष के नीचे आसन जमाया। गाव के लोग यह देख आश्चर्य-चकित हुए कि वृक्ष की छाया निरन्तर उसके चरणों पर बनी रहती है। इस चमत्कार को देख लोगों को ज्ञान हुआ कि यह बालक या तो कोई महान् ऋषि है अथवा कोई देवता। तदुपरान्त बालक उस स्थान को छोड़ कर उस पर्वत की दिशा में चला गया जहाँ तिरुमूलर, पुद्गार तथा अन्य ज्ञानी निवास करते थे।

तिरुवल्लुवर के गृहस्थ-जीवन विषयक दस्त-कथाओं के अनुसार इनकी पत्नी का नाम वासुकी था। वासुकी की मृत्यु पति के जीवन-काल में ही हो गई थी। तमिल-प्रदेश में वह

१. *Studies in Sangam History* (Editorial).

२. आलोचना की ओर, पृ० १३४।

३. तिरुवल्लुवर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन

अपने पतिव्रत-धर्म और कर्तव्य-निष्ठा के लिए विख्यात है। अपने काव्य में बर्णित गृहस्थ जीवन के आदर्श को कवि ने अपने जीवन में साकार कर दिया था। 'ईश न नित उठ पूजे पति को, बरसो कहूँ दे तो बरसे' का आदर्श वासुकी थी।^१

रचना-काल

तिरुवल्लुवर के रचना-काल के विषय में कोई निर्णय कर पाना अत्यन्त दुष्कर है। ऐतिहासिक प्रमाणों का अभाव तो है ही, अतः साक्ष्य भी इस दिशा में विशेष सहायक नहीं है। इस विषय में निम्नलिखित मत उपलब्ध हैं—

तिरुवल्लुवर का जन्म एव रचना-काल ८वीं से १०वीं शताब्दी मानने वालों में डा० जी० यू० पोप का नाम उल्लेखनीय है। इसका आधार तिरुवल्लुवर पर ईसाई-धर्म का प्रभाव मानने का पूर्वाग्रह है।^२ इस मत को विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया और इसका प्रबल खण्डन भी हुआ है।

ग्रंथ का रचना-काल पाचवीं और छठीं शताब्दी मानने वाले विद्वानों में श्री नीलकण्ठ शास्त्री,^३ श्री वैद्यापुरी पिल्लै^४ तथा श्री जैमुदासन^५ उल्लेख्य हैं। तिरुक्कुरल पर संस्कृत ग्रन्थों का प्रभाव मान कर उनके रचनाकाल के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। इसके अतिरिक्त संस्कृत शब्दों का अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत एव भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन से ये विद्वान् इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। परन्तु संस्कृत आर्ष-ग्रन्थों का रचना-काल भी अन्तिम रूप से निर्णीत नहीं है। अतः मतभेद का अवसर शेष रह जाता है।

तिरुवल्लुवर का रचना-काल ईसा की प्रथम और द्वितीय शताब्दी अथवा इससे पूर्व मानने वालों में श्री के० एन० शिवराज पिल्लै, श्री टी० एस० कन्दसामी मुदलियार, श्री वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार, श्री पूर्ण सोमासुन्दरम्, मु० गो० वेन्कट कृष्णन, डा० ओम्प्रकाश, श्री टी० पी० मीनक्षीमुन्दरम्, श्री अबधनदन, जी० एस० दुरैस्वामी^६ इत्यादि अनेक विद्वान् हैं।

श्री रामचन्द्र दीक्षितार ने तिरुवल्लुवर को ईसा पूर्व एक या दो शताब्दी का मानने के

१ तिरुक्कुरल—डा० सु० शंकरराजू नायडू, पृ० ७।

२ "I think between A D 800 and 1000 is its probable date . . . I cannot feel any hesitation in saying that Christian Scriptures were among the sources from which the poet derived his inspiration",
Tirukkural, p XXIII

३ ". . . 450-500 may be suggested as the best date for Kural"
A History of South India, p 356

४ "So we shall be fairly justified in concluding that Valluvar lived about the time of Appar, that is about A D 600"
A History of Tamil Language and Literature, p. 85

५ "Hence the latest limit of Kurral may be fixed as the fifth century A D."

A History of Tamil Literature, p. 40

६. *Tamil Literature*

लिए अथवा वही तर्क दिये हैं जो श्री वैयापुरी पिल्लै ने उन्हें पाँचवीं या छठीं शताब्दी का मानने के लिए दिये हैं। तिरुक्कुरल में वर्णित विषयों पर संस्कृत धर्मशास्त्रों और कौटिलीय-अर्थशास्त्र का प्रभाव मानकर, और इन ग्रन्थों को ईसा पूर्व की कृतियाँ मानकर उन्होंने तिरुक्कुरल-का रचनाकाल लगभग ईसा पूर्व एक शती माना है। उनके मतानुसार पञ्चतम, हितोपदेश, कामन्दकीय नीतिसार, मल्लुहरि इत्यादि से साम्य का कारण यह है कि इन ग्रन्थों में प्रचलित नीति को समाविष्ट कर लिया गया था, अतः यह वल्लुवर के स्रोत ग्रन्थ नहीं थे अपितु कोई समान ग्रन्थ इन सबका स्रोत ग्रन्थ रहा होगा।

इस विषय में कुछ अन्य साक्ष्यों पर विचार करना उपयुक्त होगा। मणिमेखला नामक तमिल काव्य में तिरुक्कुरल को उद्धृत कर उसे सच्चा कवि (पोयिलपुलवन्) कहा गया है।^१ इसी प्रकार शिलप्पदिकारम् महाकाव्य में भी 'कुरल' धर्म के प्रमाण रूप में उद्धृत किया गया है।^२ इन ग्रन्थों में कुरल का उद्धृत किया जाना इस बात का प्रमाण है कि कुरल की रचना इनसे एक अथवा दो शती पूर्व हो चुकी थी और एक महान् धर्म-ग्रन्थ के रूप में उसे मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। यदि मणिमेखला और शिलप्पदिकारम् का रचना-काल अन्तिम रूप से निर्णीत हो जाये तो 'कुरल' का रचनाकाल लगभग स्पष्ट हो जाये, पर इस विषय पर भी अनेक मत अभिव्यक्त किये गये हैं और इनका रचना काल चौथी से आठवीं शताब्दी तक माना गया है।

कुरल के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सामग्री का अध्ययन इस बात की ओर निश्चित कर सकता है कि प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों यथा मनुस्मृति, कौटिलीय अर्थशास्त्र, कामन्दकीय नीतिसार, कामसूत्र इत्यादि की परम्परा से वल्लुवर परिचित थे। इसके आचार पर यदि निष्कर्ष निकालें तो वल्लुवर का रचनाकाल दूसरी शताब्दी के लगभग अवश्य ही होना चाहिए क्योंकि मनुस्मृति २०० ई० पू० और १०० ई० पू० के बीच की रचना, और कौटिलीय अर्थशास्त्र ३०० ई० पू० और २०० ई० पू० की रचना (अपेक्षाकृत पहली सीमा के पास) मानी गई है।^३ इसके अतिरिक्त संस्कृत के सदृश सूत्र शैली, वेण्वा छन्द का प्रयोग, एवं साहित्यिक सामग्री इस ग्रन्थ की प्राचीनता की ओर इंगित करते हैं।

इस स्थल पर तिरुक्कुरल ग्रन्थ की प्रशस्ति रूप में उपलब्ध एक कृति 'तिरुक्कुरलमालै' का उल्लेख प्रासंगिक है। इस कृति में कपिलर, नक्कीरर, अब्बै, कूल वानिकन चात्तनार, परणर, पेरुन्देवनार इत्यादि अनेक महान् कवियों के द्वारा तिरुक्कुरल की प्रशस्ति में कहे गये तथाकथित छन्द सकलित हैं। इस कृति को अधिकांश विद्वानों ने अप्रामाणिक और बाद की रचना माना है। इसमें सकलित ४६ कवियों का एक ही समय में उपस्थित होना ऐतिहासिक दृष्टि से असम्भव है। इसके अतिरिक्त एक सुनियोजित, क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित होने के कारण इस कृति की अप्रामाणिकता और भी निश्चित हो जाती है। श्री एस० एस० भारती का कथन है कि कुरल की महत्त्ववृद्धि का लक्ष्य समझ रख कर रची गई यह बाद की जाली रचना है।^४ श्री के० एन० शिवराज पिल्लै का विचार है कि सम्भवतः वल्लुवर की असीम

१ मणिमेखला २२।१।६०-६१।

२. शिलप्पदिकारम् १६ १५, १६ एवं कुरल ५५५।

३ धर्मशास्त्र का इतिहास—डा० काणे, पृ० १२।

४ Journal of Annamalai University Aug'35, Vol. IV, No. 2

प्रशंसा वाचना से प्रेरित होकर किसी ने सम्पूर्ण सचम-साहित्य के सभी महान् कवियों के मुख से इन छन्दों की कहलवा कर कुरल को प्रमाण-पत्र प्रदान करने का प्रयास किया है।^१ काल-क्रम की दृष्टि से विवेचन, संकलित कवियों के रचनाकाल का अध्ययन, संकलित सामग्री—सभी से इसकी अप्रामाणिकता की पुष्टि होती है। परन्तु बल्लुवर की असीम प्रशंसा से युक्त होने के कारण इसका उल्लेख बल्लुवर सम्बन्धी अध्ययन में आना स्वाभाविक ही है।

तमिल साहित्य के विकास में तिरुवल्लुवर का स्थान

तमिल साहित्य में सचम-साहित्य का अपना निश्चित महत्त्व है। इस विषय में प्रायः परम्परागत विश्वास है कि तमिल प्रदेश में तीन सच रहे। यह सच श्रेष्ठ-कृतियों के मूल्यांकन का कार्य करते थे। इस विषय में जो वर्णन उपलब्ध हैं, वे अतिशयोक्तिपूर्ण हैं एवं तथ्यों पर आवृत्त प्रतीत नहीं होते। 'इरैयनार अहपोरुल्' (७५० ई०) की टीका की भूमिका में तीन संघों का वर्णन मिलता है। इनका रचनाकाल ६६६० वर्ष है और इनके अन्तर्गत ८५६८ कवियों का उल्लेख है। इन कवियों में कुछ देवताओं के नाम भी आये हैं। तीनों सच मिलाकर १६७ पाण्ड्य नरेशों के आश्रय में कार्य करते रहे। इनमें से कुछ नरेशों के नाम यथा—कन्दु-गोण एवं उन्नपेरुवालुदि के विषय में अभिलेखीय साक्ष्य भी उपलब्ध है। विद्वानों का मत है कि इस विषय में तथ्य और कल्पना का अद्भुत सम्मिश्रण हो जाने के कारण किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुँच पाना सम्भव नहीं है।^२

प्रथम सच का कार्यक्षेत्र प्राचीन मदुरा नगरी था। यह नगरी अब सागर में विलीन हो चुकी है। इस सच में अगस्त्य, तिरिपुरामेरिल, विरिसाडैकडवुल (शिव), कुन्रमेरिन्त कुमरवेल (सुब्रह्मण्य) एवं मुरन्जियूर मुडिनाहरायर (आदिशेष) का उल्लेख मिलता है। इस सच के कुल ५४६ सदस्य थे। ४४४६ कवियों ने सच में अपनी कृतिया अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त की। इस सच की सरक्षकता ८६ पाण्ड्य नरेशों ने की, तथा इसका कार्य-काल ४४०० वर्ष का रहा। इस सच के ग्रंथों में अगस्तियम्, परिपाडल, मुदुनारै, मुदुकुरुडु एवं कलरियाविरै उल्लेखनीय हैं।^३

द्वितीय सच का आयोजन कपाडपुरम् में हुआ। इसमें अगस्त्य, इरुन्दियूर कुरुगोकिमोसि वेल्लूरकाप्पियन् इत्यादि ४६ सदस्य थे। इस सच ने ३७०० कवियों की रचनाओं को स्वीकृति प्रदान की। ३७०० वर्षों तक कार्य करते हुए इस सच को ५६ पाण्ड्य नरेशों की सरक्षकता प्राप्त हुई। इस काल में अगस्तियम्, तोलकाप्पियम्, माँपुराणम्, इसै नुनुक्कम्, भूतपुराणम्,

१ (a) "Probably fired with an unbound admiration for Kural the writer may have thought that without this bunch of certificates from the whole Sangam conclave the excellencies of the great work could not be well and truly appreciated . . ."

(b) ". . . and the author of Valluvamalai, whoever he were, chose not only to be incognito but also to father his poems on to some imaginary Sangam bards with a view to enhance the value of his eulogies to Valluvaris deathless didactic distiches . . ."


२. *History and Culture of Indian People* Ed. R C Majumdar, p 292

३ *Ibid*, p. 222

काली, कुम्भ, केण्काली, व्यालमलै इत्यादि प्रमुख ग्रन्थों की रचना हुई। इस संघ में ८१४६ ग्रन्थ थे परन्तु समुद्र के विस्तार के कारण ये समस्त सागर में विलीन हो गये। प्रथम और द्वितीय सघ दोनों में अगस्त्य का उल्लेख है। अतः सम्भव है कि यह सघ पहले संघ का विस्तार मात्र ही रहा हो। 'लौलकाप्पियम्' के अतिरिक्त शेष समस्त ग्रन्थ अब अनुपलब्ध हैं।

तृतीय सघ का कार्य-स्थल वर्तमान 'मदुरै' नगर था। इसके ४६ सदस्य थे। ४४६ कवियो ने अपनी कृतियाँ स्वीकृति के लिए इस सघ के समक्ष प्रस्तुत कीं। १८५० वर्ष में ४६ पाण्ड्य नरेशों की संरक्षकता में यह सघ कार्य करता रहा। इसके अध्यक्ष 'नक्कीरर' थे, एच कपिलर, परणर, सीत्तलैचासनार और पाण्ड्य नरेश 'उग्र' का कार्य उल्लेखनीय है। इस सघ के नेडुन्तोहै, कुरुन्दोहै, नद्रिनै, ऐंगुरुनूरु, पदिट्टुपत्तु, नूट्टैम्बदु, परिपाडल, कूत्तु, वरी, पॅरिसै, जिटरिसै इत्यादि ग्रन्थ अत्यन्त समादृत हुए। इनमें से भी अनेक ग्रन्थ लुप्त हो चुके हैं, केवल नाम शेष हैं। परन्तु जो कुछ ग्रन्थ शेष हैं, उनमें हमें सघ साहित्य की समृद्धि एवं विषय का कुछ परिचय उपलब्ध हो सकता है।

विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम दो सघों का रूप न तो ऐतिहासिक है और न ही प्रामाणिक। देवताओं और मनुष्यों का सदस्यों के रूप में साथ-साथ उल्लेख, दोनों सघों के अध्यक्ष के रूप में अगस्त्य का उल्लेख, काल का अनावश्यक विस्तार, प्रत्येक रचित ग्रन्थ का पूर्णरूपेण नष्ट हो जाना, यह सबके करते हैं कि प्रथम दो सघों से सम्बन्धित कथा केवल कपोल-कल्पित है। अतः हमें तृतीय सघ की उपलब्ध सामग्री को ही अध्ययन का आधार बनाकर उसी की पृष्ठभूमि में तिरुवल्लुवर के ग्रन्थ 'तिरुक्कुरल' का स्थान निर्धारित करने का प्रयास करना होगा। तिरुवल्लुवर तृतीय सघ के कवि थे यह प्रायः मान्य धारणा है। तमिल का सघ-साहित्य अत्यन्त समृद्ध है। इसका वर्गीकरण विद्वानों ने निम्न प्रकार से किया है—



पत्तुप्पाट्टु के अन्तर्गत दस ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं—
 मुरुहाट्टुप्पडै, पोरुनाराट्टुप्पडै, सिरुपाणाट्टुप्पडै, पेरुम्बानाट्टुप्पडै, मुल्लैप्पाट्टु, मदुरैकजि, नेडुनलवाडै, कुरिजिप्पाट्टु, पट्टिनप्पालै, मलैपडुक्कडाम्।
 एट्टुतोहै में नद्रिनै, कुरुन्दोहै, ऐंगुरुनूरु, पदिट्टुप्पत्तु, परिपाडल, कलितोहै, अहनानूरु, पुरनानूरु नामक ग्रन्थ समाविष्ट हैं।
 पदिनेष्कीळकणक्कु के अन्तर्गत १८ नीति-काव्य समाविष्ट हैं। कुछ विद्वान् इन्हे सघ-साहित्य के बाद की रचनाएँ मानते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं—
 नाञ्जियार, नान्मणिकडिहै, इनियदुनार्पदु, इन्नानार्पदु, कानारिपदु, कलवळिनापदु, ऐम्बदु, तिणैमोळिऐम्बदु, ऐंदिणैएळुपदु, तिणैमालै नूट्टैम्बदु, तिक्कुरल, तिरिकडुहम्, आचार-कोवै, पळमोळि, सिरुक्कमूलम्, मुदुमोळिक्काजि, एलादि।
 प्रथम दृष्टि से यह विचार उठना अत्यन्त स्वाभाविक है कि सघ साहित्य के इस

१० ❁ तिरुवल्लुवर एव कबीर का तुलनात्मक अध्ययन

विद्यालय अंदर में से 'तिरुक्कुरल' को ही अध्ययन का विषय क्यों बनाया गया ? साहित्य एवं कलाकृतियों के मूल्यांकन में काल का विशिष्ट प्रभाव है। जो कृति युगों के उपरान्त भी नवीन प्रतीत होती हो, जीवन को प्रभावित करने की क्षमता से सम्पन्न हो, जिस कृति से विश्व का प्रत्येक प्राणी अपने लिए सामग्री प्राप्त कर सकता हो, ऐसी कृतियां बहुत अल्प होती हैं। तिरुक्कुरल इसी कोटि की कृति है। भारतीय एव विदेशी भाषाओं में इस ग्रन्थ के अनेकानेक अनुवाद इस बात की पुष्टि करते हैं। यूरोप में फादर बेस्की ने सर्वप्रथम १७३० ई० में इस ग्रन्थ का परिचय 'शेन तमिल ग्रामर' नामक पुस्तक द्वारा दिया जिससे प्रेरणा प्राप्त कर अनेक विद्वान् इसके अनुवाद कार्य में सलग्न हुए।^१

तिरुक्कुरल पर हुआ अनुवाद कार्य

हिन्दी अनुवाद

तिरुवल्लुवर के ग्रन्थ 'तिरुक्कुरल' का एक हिन्दी अनुवाद १९२४ ई० में श्री क्षेमानन्द राहत ने किया। १९५८ ई० में डा० सु० शकरराजू नायडू द्वारा किया गया अनुवाद मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त श्री बी० डी० जैन, एव श्री एम० वैष्णटकृष्णा के अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं। ये अनुवाद तिरुक्कुरल के एक भाग 'अरत्तुपाल' के हैं। श्री क्षेमानन्द राहत का अनुवाद इस दिशा में प्रथम प्रयास था। डा० नायडू का अनुवाद निश्चय ही तिरुवल्लुवर के अध्ययन के लिए एक महत्त्वपूर्ण योगदान है।

संस्कृत अनुवाद

श्री अप्पा दीक्षितार द्वारा एक संस्कृत अनुवाद 'नीतिकुसुममाला' १९२२ ई० में प्रकाशित हुआ। एक अत्यन्त सफल संस्कृत अनुवाद श्री एस० एस० श्रीरामदेसिकन् ने १९४२ ई० में किया।

अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद

तिरुक्कुरल के अन्य भारतीय भाषाओं में जो अनुवाद हुए हैं, उनकी सूची इस प्रकार है—

तेलुगु

अनुवादक	प्रकाशन
श्री वेण्कटराम विद्यानाथ	१८८० ई०
श्री कन्नूपार्थी वेण्कटरमन	१८८७ ई०
श्री नरसिंहलु नायडू	१८९२ ई०
श्री श्रीरामलू रेड्डी	१९४८ ई०
श्री राधाकृष्ण शर्मा	१९५४ ई०
मलयालम	
श्री गोविन्द पिल्लै	१९१५ ई०
श्री गोपाल कुहप	१९५७ ई०
श्री रामकृष्ण पिल्लै	१९५७ ई०

बंगला	श्री नलिनी मोहन सान्याल	१९३६ ई०
मराठी	श्री साने गुरुजी	१९४८ ई०
उर्दू	श्री हजरत सुहराबर्दी	१९६३ ई०

अंग्रेजी अनुवाद

पुस्तक का नाम	अनुबाधक	प्रकाशन
Extracts from Teeroovaulavar Kuddal or Ocean of Wisdom	Kundersley	1704
On Virtue (Kural) 13 Chapters	Ellis F W	1812
Cural of Tiruvalluvar 63 Chapters	Drew W H	1840
Odes from the Cural in English Verse	Gover C E	1872
Cural—A Meterical translation of the first 240 Couplets	Robinson E J	1873
The Divine Pariah (Parts I & II)	"	1885
English Translation of the Text (Appended to the Tamil Edition by Murngesa Mudaliar)	Lazarus J	1885
Sacred Kural of Tiruvalluva Nayanar	Pope G H	1886
Kural or the Maxims of Tiruvalluvar	Iyer V V S.	1915
Kural A Selection of 366 Verses	Tirunavukkarasu Mrs.	1915
Kural with Parimel Azhagar's Commentary and English Translation	K Vadivelu Chettiar	1919
English Translation of Kural	Sabharatna Mudaliyar	1920
English Translation of Kural	Poornalingam Pillai M S.	1929
The Sacred Kural	Popley H A.	1931
English Translation of Kural	Aranganatha Mudaliyar A	1933
English Translation of Kural A Few Verses from Part I	Rajagopalachari C.	1935
English Translation of Kural A Few Verses from Part I & II	"	1935
The Sacred Aphorisms of Tiruvalluvar	Michael S M.	1945
Tirukkural of Tiruvalluvar	Ramachandra Dikshitar V.R.	1949
Translation of Kural	Chakravarthy Nayanar A C.	1953

अंग्रेजी से इतर विदेशी भाषाओं के अनुवाद

जर्मन

अनुवादक	प्रकाशन
कैमर्स ए० एफ०	१८०८
फेडरिक स्कर्ट	१८४७
कार्ल ग्राल	१८५४

फ्रेंच

एरिअल (एशियाटिक जरनल में)	१८४८-५२
सेंट दुमा पी० जी० डे०	१८५७
लेमाराञ्जे एम०	१८६७
जैकोलियट	१८७६
फातेन	१८८६

लैटिन

सी० जे० बेस्की	१७३०
ग्रॉल	१८५६

सिंहस भाषा

मिसिगामी	१९६१
----------	------

इसके अतिरिक्त पोलैण्ड, बर्मा तथा कुछ अन्य देशों की भाषाओं में भी इस ग्रन्थ का अनुवाद हो चुका है।

वर्ण्य विषय

तिरुक्कुरल मुक्तक काव्य है, इसका प्रत्येक पद स्वतन्त्र रूप से पूर्ण अर्थ का द्योतक है पर विषय की दृष्टि से ग्रन्थ में निरन्तर एक क्रमबद्धता एवं धारावाहिकता है। प्रत्येक पद पूर्व-पद से और प्रत्येक अध्याय पूर्व—अध्याय से अत्यन्त सूक्ष्म रूप में सम्पृक्त है। ग्रन्थ तीन भागों में विभक्त है—धर्म (अरम्), अर्थ (पोरुल्), काम (इनबम्)।

धर्म खण्ड में प्रस्तावना के अन्तर्गत सर्वेश वन्दना, वर्षा-वैशिष्ट्य, सन्यासी का महत्त्व एवं धर्म की शक्ति का वर्णन करने के उपरान्त बीस अध्यायों में गृहस्थ के धर्म (इल्लड वियल्) का प्रतिपादन है। इसके अन्तर्गत गृहस्थ, पत्नी के गुण, सतति, स्नेह, सम्पन्नता, आतिथ्य, मधुर भाषण, कृतज्ञता, समय, सदाचार, परस्त्री-वर्जन, सहनशीलता, ईर्ष्या न करना, लोभ न करना, चूगली न करना, व्यर्थ प्रलाप न करना, शिष्टाचार, दान, यश, इत्यादि विषयों का विवेचन किया गया है। धर्म खण्ड के दूसरे अंश में सन्यास-धर्म (तुडवडवियल्) के अन्तर्गत दयालुता, मासाहार-निषेध, तपस्या, दुराचरण, चोरी न करना, सत्यभाषण, अक्रोध, अहित न करना, अहिंसा, स्थिरता, तत्त्वज्ञान, तृष्णादमन इत्यादि विषयों का विस्तृत विवेचन है। ये सभी कथन यद्यपि सन्यास-धर्म के अन्तर्गत आये हैं पर मानव-मात्र के लिए उपयोगी होने

के कारण इन्हें धर्म का अर्थ माना गया है। गृहस्थ और संन्यास का वर्गीकरण किसी सूक्ष्म सिद्धान्त पर आधारित न होकर सतही है। इसी खण्ड में एक अध्याय भाग्य (उच्छियल) पर है जिसमें कर्म-फल एवं भाग्य का उल्लेख है।

पुस्तक के द्वितीय-भाग अर्थ (पोषल्) के अन्तर्गत शासन-विधान, नरेश के गुण-कर्म, शिक्षा, अशिक्षा, श्रवण, बुद्धिमत्ता, शक्ति, समय, स्थल का बोध, विचारपूर्ण चुनाव, सुसासन, गुप्तचर, सामन्त, दुर्ग, खाद्य, सैन्य, मंत्री, वश इत्यादि से सम्बद्ध अनेकानेक कर्तव्यों एवं सिद्धान्तों का विवेचन हुआ है। सामाजिक कुरीतियाँ यथा वेदया, मद्य, जुआ का उल्लेख भी इसी भाग में हुआ है। इसमें शासन-विधान (अरचियल्), सामन्त (अमैचियल्), दुर्ग (अरणियल्), खाद्य (कूळियल्), सैन्य (पटैयियल्), मंत्री (नडपियल्), वश (कुटियियल्) इत्यादि सात खण्ड किये गये हैं परन्तु यहाँ भी यह वर्गीकरण ऊपरी ही है। उदाहरण के लिए मंत्री के अन्तर्गत स्त्री का अनुसरण न करना, वेदया, औषधि इत्यादि का समावेश ही जाता है। वश के अन्तर्गत दरिद्रता, याचना, नीचता इत्यादि का समाविष्ट हो जाना इस बात का संकेत है कि यह उपविभाजन सम्भवतः बाद में किया गया।

ग्रन्थ के तृतीय भाग काम (इनबम्) को गुप्त-प्रेम (कलबु) और पति-प्रेम (करपु) दो भागों में विभक्त किया गया है। सकेत-परिचय, मिलन सुख, प्रेम की महिमा, लज्जा का त्याग, प्रवाद का परिज्ञान इत्यादि गुप्त-प्रेम अथवा पूर्वराग के विषय बने हैं। पति-वियोग से प्रारम्भ होकर विरह के कारण वेदनापूर्ण नेत्र, स्वप्नावस्था, अग-सौन्दर्य की क्षति, स्वगत सलाप, मान-भंग, सयोग की प्रबल अभिलाषा पति-प्रेम के अन्तर्गत आये हैं। प्रिय-मिलन के पश्चात् हृदय पर वश न रहना, प्रणय कलह, प्रणय-कलह की सूक्ष्मता और उसका आनन्द इस भाग के विषय हैं। क्रमिक विकास की दृष्टि से यह विभाजन अत्यन्त सूक्ष्म है एवं मनो-वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यन्त सफल है। तिरुवल्लुवर ने धर्म, अर्थ और काम का वर्णन किया है, मोक्ष का वर्णन उन्होंने नहीं किया, कारण स्पष्ट है—धर्म-युक्त जीवन व्यतीत करने के उपरान्त, मोक्ष स्वाभाविक परिणाम है। यहाँ जीवन के रागात्मक सम्बन्ध, गृहस्थ की परिसीमा में आबद्ध होकर आये हैं, गृहस्थ के धर्म का विवेचन विस्तार से किया गया है। अर्थ के अन्तर्गत राज्य संगठन का विस्तृत विश्लेषण कर मानव-मात्र के कल्याण की भावना से 'राज्य' को प्रेरित किया गया है। इस प्रकार जीवन के सम्पूर्ण विवेचन के उपरान्त मोक्ष (वीडु) का वर्णन न होने का कारण सम्भवतः यह है कि धर्म-आधृत अर्थ और काम के आदर्श से युक्त जीवन की परिणति 'मोक्ष' है।

कबीर-जीवनवृत्त

कबीर के जीवनवृत्त पर अनेक विद्वानों ने कार्य किया है। इनमें डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी,^१ डा० रामकुमार वर्मा,^२ डा० पीताम्बरदत्त बड्यवाल,^३ डा० श्यामसुन्दरदास,^४ डा०

१ कबीर।

२. संत-कबीर—प्रस्ताव भाग, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास।

३ हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय।

४. कबीर-ग्रन्थावली—भूमिका।

कन्नडवली पाण्डेय,^१ डा० मोहनसिंह,^२ डा० मोविन्द त्रिगुणायत,^३ डा० परशुराम चतुर्वेदी,^४ डा० रामजीलाल 'सहायक',^५ डा० सरनामसिंह शर्मा,^६ इत्यादि अनेक विद्वानों का कार्य महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त डा० भण्डारकर,^७ श्री कितिमोहन सेन,^८ श्री जै० एन० फर्ग्युड,^९ रेवरेण्ड एफ० ई० के,^{१०} रेवरेण्ड एच० जी० वेस्काट^{११} इत्यादि विद्वानों ने भी अपनी कृतियों में कबीर के जीवन-वृत्त पर प्रकाश डाला है। पर समस्त ग्रन्थों के अध्ययन के उपरान्त भी यही कहने को बाध्य होना पड़ता है कि कबीर के जीवनवृत्त का अन्तिम एव प्रामाणिक निर्णय सम्भव नहीं है। निश्चय ही विश्लेषण के द्वारा, अन्त साक्ष्य और बहिःसाक्ष्य के सूक्ष्म विवेचन के उपरान्त प्राप्त निष्कर्ष सत्य से बहुत दूर नहीं हैं। हमारा लक्ष्य इस विषय का पुनर्विवेचन करना नहीं है। अपितु संकेत रूप में कुछ अंश लेकर कबीर का अनुमानित जीवन-वृत्त प्रस्तुत करना मात्र है। तिब्बतलुवर के जीवन के विषय में प्रचलित जनश्रुतियों से अद्भुत साम्य रखने वाली जनश्रुतियों का उल्लेख भी तुलनात्मक दृष्टि से लाभप्रद होने के कारण यहाँ किया जा रहा है।

यह जनश्रुति प्रचलित है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। काशी में स्वामी रामानन्द के पास एक बाल-विधवा अपने पिता के साथ स्वामी जी के दर्शनार्थ गई। उन्होंने आशीर्वाद के रूप में 'पुत्रवती भव' वचन कहे, परिणामस्वरूप कबीर का जन्म हुआ। महाराज रघुराजसिंह का अनुमान है कि उक्त विधवा ब्राह्मणी स्वामी रामानन्द की सेवा में रहती थी, एक दिन जब स्वामी जी ध्यानस्थ दशा में थे, उसे आशीर्वाद दे दिया जिसके कारण उसे गर्भ रह गया। उत्पन्न शिशु को लोक-लज्जा के कारण वह फेंक आई, जिसे जुलाहे दम्पति ने पाला।^{१२}

दूसरी किंवदन्ती है कि एक दिन स्वामी अष्टानन्द ने लहर तालाब में एक विचित्र ज्योति को अवतरित होते देखा। उन्होंने इस घटना की सूचना स्वामी रामानन्द जी को दी। स्वामी रामानन्द जी ने अनायास कहा कि ज्योति बालक का रूप धारण कर लेगी और वह बालक अत्यन्त प्रतिभाशाली होगा और लोक-कल्याण करेगा। आगे चलकर यही ज्योति से परिणत बालक 'कबीर' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।^{१३}

- १ कबीर साहब का जीवनवृत्त, ना० प्र० स० पत्रिका, भाग १४।
- २ *Kabir and His Biography*
- ३ कबीर की विचारधारा।
- ४ हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, चतुर्थ भाग।
- ५ कबीर-दर्शन।
- ६ कबीर व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धान्त।
- ७ *Vaishnavism, Shawism and Minor Religious Systems*
- ८ *One Hundred Poems of Kabir*
१६. *A Primer of Hinduism, An Outline of the Religious Literature of India*
• *Kabir and His Followers*
११. *Kabir and the Kabir Panth*
१२. कबीर दर्शन, रामजीलाल 'सहायक', पृ० १६।
- १३ यही, पृ० १६, एव *Kabir and His Followers*, p 10

कबीर के समय के विषय में प्रमुख रूप से निम्नलिखित अन्तःसाक्ष्य का प्रमाण प्रस्तुत किया है—

गुरु परसादी जयदेव नाया । भक्ति का प्रेम इनही है जाना ।^१

इससे कबीर का जयदेव तथा संत नामदेव का परवर्ती होना निश्चित होता है। जयदेव का समय बारहवीं शताब्दी और नामदेव का समय तेरहवीं शताब्दी का अन्तिम चरण माना जाता है। नामादास कृत भक्तमाल (संवत् १६४२) सन् १५८५ तथा अबुलफजल अल्तामी के आइन-ए-अकबरी (संवत् १६५५) सन् १५९८ में कबीर का उल्लेख मिलता है।^२ इसके अतिरिक्त अनेक प्रमाण देकर डा० रामजीलाल 'सहायक' ने निष्कर्ष निकाला है कि कबीर का समय चौदहवीं शताब्दी के आरम्भ से पूर्व नहीं था तथा पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण के पूर्व था। "हमारा निश्चित मत है कि कबीर का समय चौदहवीं शताब्दी तथा पन्द्रहवीं शताब्दी के बीच में था।"^३ डा० रामकुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एवं साहित्यिक प्रमाणों का विस्तृत विश्लेषण करने के उपरान्त सन्त कबीर का जन्म संवत् १४५५ (सन् १३९८) में और म्रियु संवत् १५५१ (सन् १४९४) के लगभग माना है।^४ डा० सरनामसिंह शर्मा इसी प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं के उल्लेख, पीपा के जन्मकाल, कबीर एवं स्वामी रामानन्द के सम्बन्ध, सिकन्दर लोधी द्वारा किये गए अत्याचार-विषयक जनश्रुति तथा कबीर-पन्थियों में प्रचलित पद इत्यादि अनेक प्रमाणों के आधार पर कबीर की जन्म-तिथि संवत् १४५५ की ज्येष्ठ पूर्णिमा स्वीकार करते हैं। मृत्यु तिथि के विषय में प्रायः स्वीकृत मत संवत् १५७५ है।^५ जन्म और मृत्यु की तिथियों के सचर्च में उलझना हमारे अध्ययन के लिए महत्त्वहीन है। यहाँ तो कबीर की उपलब्ध सामग्री का तिरुवल्लुवर काव्य से भारतीय चिन्ताधारा के सन्दर्भ में विवेचन करना ही अभिप्रेत है।

कबीर की जाति

कबीर की जाति के विषय में भी मतभेद बहुत प्रबल हैं। कोई उन्हें ब्राह्मण और कोई जुलाहा कहता है। अन्तःसाक्ष्य के रूप में अनेक परस्पर विरोधी प्रमाण मिलते हैं पर—

- (१) पूरब जनम हम तुम्हरे सेवक अब तो मिटया न जाई ।
तेरे द्वारे धुनि सहज की मर्थ मेरे दगाई ॥^६
- (२) तू ब्राह्मण मैं कासी का जुलाहा, चीन्हि न मोर गियाना ।

×

×

×

पूरब जनम हम ब्राह्मण होते, वोछे करम तप हीना ।।

रामदेव की सेवा चूका, पकरि जुलाहा कीन्हा ॥^७

१ कबीर ग्रथावली, पृ० २५१ ।

२ कबीर-दर्शन, रामजीलाल 'सहायक', पृ० १७ ।

३. वही, पृ० १८ ।

४. सन्त कबीर . डा० रामकुमार वर्मा, पृ० ५९ ।

५ कबीर . व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धान्त, पृ० ३-४ ।

६ कबीर ग्रथावली, पृ० २४९ ।

७ वही, पृ० १२८-२९ ।

- (३) जाति जुलाहा नाम कबीर, अजहूँ पतीजी नांही ॥^१
- (४) आइ हमारं कहा करीगी, हम ती जाति कमीनां ॥^२
- (५) जाति जुलाहा नाम कबीर, बनि बनि फिरौं उदासी ॥^३
- (६) ओछी मति मेरी जाति जुलाहा । हरि का नाम लह्यो मैं लाहा ।^४

इत्यादि अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिसके आधार पर यह निष्कर्ष सम्भव है कि कबीर, समाज में निम्न कही जाने वाली 'जुलाहा' जाति के थे। डा० रामजीलाल 'सहायक' कबीर कश्मीरी के 'माय तुरकनी बाम जोलाहा, बेटा भक्त होय'^५ और डा० सरनामसिंह शर्मा 'सन्त-कबीर' से 'मेरी जाति का सब कोई हसनहार' इत्यादि उद्धरण देकर दो भिन्न निष्कर्षों पर पहुँचे हैं। पहले विद्वान् कबीर को हिन्दू मानने के पक्ष में हैं, दूसरे कबीर को मुसलमान जाति का जुलाहा। इस विषय में डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का मत महत्त्वपूर्ण है। उनके अनुमान के अनुसार "कबीरदास जिस जुलाहा जाति में पालित हुए थे वह एकाध पुस्त पहले के योगी जैसी किसी आश्रम भ्रष्ट जाति से मुसलमान हुई थी या अभी होने की राह में थी।"^६ विचार करने पर यह निष्कर्ष अधिक समीचीन लगता है कि "कबीर के कुल का सम्बन्ध हिन्दू धर्म तथा हिन्दू संस्कृति से था। कालान्तर में उनके कुल वाले ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया। अनुलोम तथा अवर्णीय विवाह अथवा विलोम-विवाह प्रथाओं के अनुसार उनकी माँ मुसलमान वर्ण की तथा बाप हिन्दू वर्ण के होते हुए भी दाम्पत्य जीवन में ब्रह्म गये।"^७ कबीर के काव्य में भारतीय समाज, भारतीय जीवन, रीति-रिवाज का जो चित्र मिलता है वह अनुपम है और उससे यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि कबीर भारतीय परम्परा और जीवन-पद्धति से पूर्णरूपेण परिचित थे। कबीर की विचारधारा में ओतप्रोत यह तत्त्व उनके हिन्दू रूप को बार-बार स्वर प्रदान करते हैं।

कबीर के गुरु

स्वामी रामानन्द को कबीर का गुरु मानने में विद्वान् प्रायः सहमत हैं। डा० सरनामसिंह शर्मा जनश्रुति, समकालीनता, कबीर की उक्तिया, अन्य महात्माओं की वाणिया एव प्राचीन कृतियों इत्यादि अनेक सम्बद्ध विषयों का विश्लेषण कर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि कबीर के गुरु रामानन्द थे और उन्होंने ही कबीर को राम नाम का मन्त्र देकर प्रेमाभक्ति में दीक्षित किया था।^८ डा० भडारकर, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डा० श्यामसुन्दरदास, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डा० रामजीलाल 'सहायक' आदि अनेक विद्वानों का मत भी यही है।

- १ कबीर ग्रन्थावली, पृ० १३४।
- २ वही, पृ० १३५।
- ३ वही, पृ० १३५।
- ४ वही, पृ० २४२।
- ५ कबीर-दर्शन, पृ० १६।
- ६ कबीर, पृ० ११।
- ७ कबीर-दर्शन, पृ० १६।
- ८ कबीर व्यक्तित्व, कृतित्व एव सिद्धान्त, पृ० ५०।

कबीर का पर्यटन

कबीर ने पर्याप्त पर्यटन किया था। बीजक की एक रमैनी में कबीर का मानिकपुर जाना और वहाँ शेख तकी की प्रशंसा सुनना वर्णित है। "उसमें जीनपुर और भूसी में भी पीरों के नाम सुनने का उल्लेख है। इन स्थानों में कबीर का जाना असंभव नहीं।"^१ "अनेक प्रादेशिक शब्दों और शब्द-रूपों का भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन कबीर के व्यापक पर्यटन का परिचय देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कबीर ने गुजरात, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, भोजपुर प्रदेश, मिथिला आदि अनेक प्रदेशों में भ्रमण किया था।"^२

गृहस्थ जीवन

परम्परा से यह माना जाता है कि कबीर के अतिरिक्त इनके परिवार में नीरू (पिता), नीमा (माता), लोई (पत्नी या शिष्या) तथा कमाल और कमाली (संतान) थे।^३ कबीर की दो स्त्रियों का अनुमान डा० रामकुमार वर्मा ने किया है। पहली का नाम लोई था और दूसरी का घनिया, जिसे लोग रमजनिया भी कहते थे। अन्त साक्ष्य से प्रतीत होता है कि कबीर लोई के व्यवहार से असन्तुष्ट थे—

हम तुम बीच भयो नही कोई । तुमहि सुकत नारि हम सोई ।

कहत कबीर सुनहु रे लोई । अब तुमरी परतीति न होई ॥^४

कबीर के गृहस्थ जीवन विषयक उपलब्ध अन्त साक्ष्य और अन्य प्रमाणों का विश्लेषण कर डा० रामजीलाल 'सहायक'^५ इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि कबीर का गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं था। परिवार के भरण-पोषण का समूचा भार कबीर के कंधों पर था। कबीर ने गृहस्थ-जीवन वैराग्य भावना के साथ ब्रिताया। वे घर में अधिक लिप्त नहीं हुए, अपितु वैराग्य और निरासक्त भाव से गृहस्थ जीवन में रहकर ही आनन्द की खोज करते रहे।

कबीर का व्यवसाय

कबीर की जाति जुलाहा थी, इस निष्कर्ष पर पहुँचने के उपरान्त उनके व्यवसाय का उल्लेख प्रथम दृष्टि में अनुपयुक्त ही प्रतीत होता है, पर यदि इस तथ्य की ओर ध्यान दे कि हमारे विवेच्य विषय के दूसरे कवि—तिरुवल्लुवर की जाति भी जुलाहा मानी जाती है तो इस विषय में रुचि उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कबीर का जुलाहा-रूप उनके काव्य में अभिव्यक्ति प्राप्त करता है, तिरुवल्लुवर का 'जुलाहा' उनके काव्य से कहीं परे, बहुत दूर है। कबीर और तिरुवल्लुवर दोनों का जुलाहा होना दोनों को किसी प्रकार से निकट नहीं लाता, पर दोनों कवि समाज में

१ हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास डा० परशुराम चतुर्वेदी, पृ० १३२।

(मानिक पुरहि कबीर बसेरी । महति सुनि सेख तकि केरी ।

ऊनौ सुनी जवनपुर थाना । भूसी सुनि पीरन के नामा ॥—रमैनी ४८) ।

२ कबीर व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धान्त, डा० सरनार्मसिंह शर्मा, पृ० ६१।

३. कबीर दर्शन, पृ० ३५।

४. कबीर प्रथावली, पृ० २०६।

५. कबीर दर्शन, पृ० ३६।

तथाकथित निम्नजाति के हैं, यह निष्कर्ष हमारे अध्ययन में कहीं सहायक हो सकेगा, ऐसा अनुमान मात्र लगाया जा सकता है।

कबीर का कथन है—'कबीर मेरी जाति को सब कोई हसन हास' ^१ ऐसी निम्न जाति होने के कारण वे कहते हैं—जाति जुलाहा नाम कबीरा अजहू पतीजौ नाही। ^२ यही भाव अन्यत्र 'आइ हमारे कहा करौगी, हम तो जाति कमीना', 'तेरा हरि नामैं जुलाहा' ^३ और 'जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनि-बनि फिरौ उदासी' इत्यादि में भी अभिव्यक्त हुआ है। समाज में 'कमीन' जातियां वही कहलाती थीं जिनके कार्य हेतु दृष्टि से देखे जाते थे। पर कबीर अपनी इस स्थिति के कारण असंतुष्ट नहीं। प्रतिभा के प्रबल प्रताप और गुरु की कृपा से प्राप्त ज्ञान के कारण वे ब्राह्मण, मुल्ला, काजी इत्यादि समाज के तथाकथित उच्च वर्ग से अपने आपको श्रेष्ठ मानते हैं। 'कबीर जी की परबे' में अनन्तदास ने कबीर को जुलाहा ही बताया है—'जाति जुलाही कासी बसो, सबको जानै हरि को रसो।' रज्जब के अनुसार "जुलाहे ग्रामे उत्पन्नो साध कबीर।' कबीर काव्य में सूत, बुनाई के उपकरण, तथा बुनाई की प्रक्रिया सम्बन्धी शब्दों के बार-बार उल्लेख से इसी की पुष्टि होती है। ^४ जुलाहे के व्यवसाय और सतसेवा का संयुक्त परिणाम कम आय, पारिवारिक कलह, ^५ इत्यादि हुआ, जिसके कारण सम्भवतः कबीर ने यह व्यवसाय छोड़कर कोई व्यापार कर लिया था। 'बैठि बेगारि बुराई थाकी' ^६ से बेगार की प्रथा का और—

"जब हम बनजी लौंग सुपारी, तब तुम्ह काहे बनजी खारी।

जब हम बनजी परमल कस्तूरी, तब तुम्ह काहे बनजी कूरी ॥" ^७

से कबीर का अनेक वस्तुओं के क्रय-विक्रय के व्यापार का संकेत ग्रहण किया जा सकता है। डा० सरनामसिंह तो यहाँ तक निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि 'कबीर की आध्यात्मिक प्रवृत्ति ने उनके ध्यान को वाणिज्य में जमने नहीं दिया।' ^८ जो भी हो, कबीर का जीवन आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक सभी दृष्टियों से सघर्षमय था। यह निष्कर्ष एक ओर उनके कथनों की तीव्रता और तीक्ष्णता का विश्लेषण करता है तो दूसरी ओर उनकी असीम इच्छाशक्ति, सघर्ष की अद्भुत क्षमता और उनके जीवन में निहित प्रेरणा-शक्ति को भी उद्भासित करता है।

सामाजिक दृष्टि से निम्न मानी जाने वाली जाति के होते हुए कबीर ने समाज की जिन बुराइयों, कुरीतियों और आडम्बरयुक्त विधियों तथा उनके मानने वालों का जो विरोध किया है वह उनकी अपनी ही विशेषता है। वह समाज में देख रहे थे कि पंडित वेदों के अर्थों में उलझ

१ कबीर-दर्शन, पृ० ३८।

२ कबीर प्रथावली, पृ० १३४।

३ वही, पृ० १३५।

४ वही, पृ० १३६।

५ सामग्री का आधार—कबीर दर्शन, पृ० ३६-४०।

६ 'सरकी सरविकन खैबो नाहि, मुडीआ अनहिन घाये जाहि।'—वही, पृ० ४०।

७ कबीर प्रथावली, पृ० १३६।

८ वही, पृ० १४०।

९ कबीर व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धान्त, पृ० ५७।

कर रह गए हैं, सध्या, तर्पण, षट्कर्म इत्यादि में ही सत्य मान कर खर्च कर रहे हैं,^१ मुसलमान दिल में कपट रखते हैं और हज के लिए काबा जाते हैं,^२ कोई मन्दिर को अन्तिम सीमा मान चुका है और कोई अल्हाह का निवास केवल मस्जिद में ही मानता है।^३ दोनों ही मार्ग-भ्रष्ट हैं, ऊच-नीच का भेद-भाव करने वाले यह भूल गये हैं कि सृष्टि का निषामक, सञ्चालक, संहारक एक ही सत्यरूप प्रभु है।^४ स्वभाव से फक्कड़, सत्य के जिज्ञासु, अपनी धुन के मतवाले कबीर यह सब कहा सहन कर सकते थे? वे तो वेद-शास्त्र पढ़े-लिखे नहीं थे, हृदय की मस्ती उन्हींमे प्राप्त की थी। प्रखर और चेतन भस्तिष्क को 'भक्तों की कथाओं और बाणियों, दर्शनों की सामान्य चर्चाओं, सूफियों की ललित प्रेमालयाओं को सुनने-सुनाने का अवसर अवश्य मिला होगा। उनकी वाणी पर इनकी जो मुद्रा लगी हुई है, वह इस तथ्य को प्रमाणित करती है।'^५

कबीर का व्यक्तित्व

कबीर के व्यक्तित्व के विषय में हमें यह ध्यान रखना होगा कि सामाजिक भेदभाव का, चाहे वह धर्म, जाति, वर्ण, आर्थिक स्थिति, किसी कारण से भी था, उन्होंने डटकर विरोध किया। किसी भी शास्त्र अथवा बाह्य आधार पर ग्रहण की गई उपाधि इत्यादि को उन्हींने मान्यता प्रदान नहीं की। इस विषय में कबीर की अभिव्यक्ति कभी-कभी साधारण लोक-मर्यादाओं की सीमा में भी आगे चली जाती है। कुछ उदाहरण इस विषय को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त ही रहेंगे —

१. जे तू बांभन बभनी जाया, तो आन बाट ह्वै काहे न आया।
जे तू तुरक तुरकनी जाया, तो भीतरि खतना क्यू न कराया ॥^१
२. पाडे कौन कुमति तोहि लागि, तू राम न जपहि अभागी।
बेद पुरान पढ़त अस पाडे, खर चदन जैसे भारा ॥^२
३. माला तिलक पहुरि मनमाना, लोगनि राम खिलौना जाना ॥^३
४. देव पूजि पूजि हिंदू मूये, तुरक मूये हज जाई।
जटा बाधि बाधि योगी मूये, इन में किनहू न पाई ॥^४

विचित्र बात तो यह है कि इसके उपरांत भी जब उन्हें सत्य का मार्ग बताया जाता

१ पंडित भूले पढ़ि गुनि बेदा। आपु अपनपी जान न भेदा।
सम्मा तरपन अर खट करमा। लागि रहे इनके आसरमा ॥

—कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० १२०।

२. दिल मंहि कपट निवाज गुजारै क्या हज काबै जाए ॥—वही, पृ० १०३।

३. जो रे खुदाइ मसीति बसतु है और मुलुक किस केरा ॥—वही, पृ० १०३।

४. नही को ऊचा नही को नीचा, जाका प्यड ताही का सींचा ॥—कबीर प्रथावली, पृ० ७६।

५. कबीर—व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धान्त—डा० सरनाम सिंह शर्मा, पृ० ३६।

६. कबीर प्रथावली, पृ० ७६।

७. वही, पृ० ७८।

८. वही, पृ० १५३।

९. वही, पृ० १४६।

है जो अपने चमंड में डूबे, 'गंवार' सत्य को स्वीकार नहीं करते—

१. थां को जानै ना को मानै, ताथै अचिरज मोहि ।
मैं मेरी करि यहु तन खोयी, समभक्त नही गंवार ॥^१
२. जोगी जती तपी सन्यासी, मठ देवल बसि परसै कासी ।
सीन बार जे नित प्रति न्हावै, काया भीतरि खबरि न पावै ॥^२
३. पीरां मुरीदां काजियां, मुला अरु दरवेस ।
कहाँ थें तुम्ह किनि कीये, अकलि है सब नेस ।
कुराना कतेवा अस पढि-पढि, फिकरि या नही जाइ ।
टुक दम करारी जे करै, हाजिरा सूर खुदाइ ॥^३
४. माला पहरै मनमुषी, ताथै कछू न होइ ॥^४
५. केसों कहा बिगाडिया, जे मूडै सौ बार ॥^५
६. छापा तिलक बनाइ करि, दगध्या लोक अनेक ॥^६
७. का नागें का बाबे चाम, जी नही चीन्हिसि आतम राम ।
नाये फिरें जोग जे होई, बन का मृग मुकुति गया कोई ।
मड़ मड़ायें जी सिधि होई, स्वर्ग ही भेड न पहुती कोई ॥^७

इस प्रकार के अनेकानेक पद कबीर के सम्पूर्ण काव्य में एक विशेष स्थान रखते हैं। उनके काव्य में आये इस प्रकार के पद उनकी सम्पूर्ण सामाजिक स्थिति और उनके जीवन के सघर्ष का सकेत देते हैं। उन्होंने एक ओर पीरो, मुरीदो, काखियो, मुल्लाओ और दरवेशो के धृणित कार्यों का उद्घाटन किया तो दूसरी ओर पाडे, पुजारी, भक्ति-विमुख कर्मकाण्ड एव बाह्याचार में उलझे हुए हिन्दुओ को भी खूब खरी-खोटी सुनाई। कबीर की इस प्रवृत्ति ने निश्चय ही उन्हें कठिनाई में डाला होगा। तभी तो उन्हें 'तू ब्राह्मण मैं कासी का जुलाहा, चीन्हि न मोर गियाना' कहना पडा होगा। मुसलमानों के प्रति कहे गये वचनो ने उधर से भी विरोध उत्पन्न किया होगा। डा० सरनामसिंह शर्मा का मत है कि समी उन्चवर्ण, धर्म-पदाधिकारी तथा शाक्ताधिकारी कबीर से असन्तुष्ट थे। इस असन्तोष ने कबीर के चारो ओर सघर्ष का वाता-वरण पैदा कर दिया था।^८ कबीर पर किये गये अत्याचारो का उल्लेख भी मिलता है, पर उन्होंने निरन्तर हिन्दू और मुसलमान दोनो के दोषो को उभारा और अपनी दृष्टि से सुधार का हर सम्भव प्रयास किया। समाज में तथाकथित निम्न जाति, निरन्तर सघर्ष, अपने सिद्धान्तो पर प्रबल आस्था, अमिब्यक्ति का फक्कडाना अदाइ, किसी प्रकार का भी सैद्धान्तिक सम-भौता स्वीकार न करना इत्यादि कबीर के जीवन की ऐसी विशेषताएँ हैं, जिन्होंने उन्हें हिन्दी साहित्य ही नहीं, सम्पूर्ण जगत के साहित्य में विशेष स्थान उपलब्ध करवाया है।

१. कबीर ग्रथावली, पृ० १४६।
२. वही, पृ० १३६।
३. वही, पृ०, १३०।
४. वही, पृ० ३५।
५. वही, पृ० ३६।
६. वही, पृ० ३६।
७. वही, पृ० ६६।
८. कबीर व्यक्तित्व, कृतित्व एव सिद्धान्त, पृ० ६७।

तिरुवल्लुवर और कबीर की (अरम्) धर्म- विषयक मान्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन

खण्ड 'क'

धर्म-विषयक मान्यताओं का विकास

धर्म और तमिल 'अरम्' का सम्बन्ध, धर्म की व्युत्पत्ति, धर्म के आधार, वेद में धर्म, उपनिषद् में धर्म, धर्मसूत्र में धर्म, स्मृति ग्रन्थों में धर्म, वाल्मीकि रामायण में धर्म, महाभारत में धर्म, पुराण में धर्म, धर्म और नीति, धर्म के रूप, परिभाषा का प्रश्न ।

तिरुवल्लुवर और कबीर के अनुसार

धर्म का महत्त्व, धर्म और प्रवृत्ति मार्ग (गृहस्थ), धर्म और निवृत्ति मार्ग, धर्म और प्रेम भाव, धर्म का व्यक्तिपरक रूप—मन, वचन, कर्म से धर्माचरण, मन—आत्म-सयम, इन्द्रिय-निग्रह, तृष्णा-त्याग, वचन—सत्यभाषण, मधुर भाषण, मितभाषण, कर्म—अहिंसा, सदाचार, सांसाहार-निषेध, धर्म का समाजगत रूप (लोकाचार)—अपरिग्रह, परनिन्दा-त्याग, अक्रोध, परस्त्री-गमन न करना, बाह्याडम्बर-विरोध, परोपकार, अतिथि-सत्कार, दान, कृतज्ञता, समदृष्टि, क्षमाभाव इत्यादि, निष्कर्ष ।

खण्ड 'ख'

धर्म और दर्शन (तिरुवल्लुवर और कबीर के विचार)

(अ) तत्त्वज्ञान, (आ) ईश्वर, (इ) जगत एक उसकी नश्वरता, (ई) कर्म-सिद्धान्त ।

धर्म की व्युत्पत्ति

‘धर्म’ शब्द व्याकरण की रीति से ‘धृञ् धारणे’ धातु से ‘अतिस्तु-सुहृसृधृभिक्षु माया-वापदियक्षिनीभ्यो मन्’ इस पाणिनि व्याकरण के उणादि सूत्र से ‘मन्’ प्रत्यय लगने पर होता है। विद्वानो ने इसी धारणार्थ को लक्ष्य में रखकर इसकी व्युत्पत्ति की है —

(अ) ध्रियते लोक अनेन इति धर्म — जिससे लोक धारण किया जाए वह धर्म है।

(आ) धरति धारयति वा लोकम् इति धर्म — जो लोक का धारण करे वह धर्म है।

(इ) ध्रियते य स धर्म — जो दूसरो से धारण किया जाए वह धर्म है।

महाभारत में धर्म शब्द के व्युत्पत्तिगत दो अर्थ बताये गए हैं। पहला है ‘धन’ पूर्वक ‘ऋ’ धातु से ‘मक्’ प्रत्यय के योग से ‘धर्म’ शब्द बनता है। जिसका अर्थ है—‘जिसके द्वारा धन की प्राप्ति हो। ‘धन’ शब्द से पार्थिव, अपार्थिव हर प्रकार के धन को समझना चाहिए। दूसरी तरह से धारणार्थक ‘धृञ्च्’ धातु के साथ ‘मन्’ प्रत्यय का योग करने पर धर्म शब्द बनता है। इसका अर्थ है—जो सबको धारण करे, अर्थात् लोकस्थिति जिस पर निर्भर हो। उपर्युक्त दोनों अर्थों में से हम कोई भी ले सकते हैं। सारांश में—जिसके द्वारा व्यष्टि एवं समष्टि रूप से लोकस्थिति विधृत हो अर्थात् जिसको केन्द्र मानकर प्रत्येक का जीवन चलता हो अथवा जो वस्तु अर्थ-काम आदि की प्राप्ति में सहायक हो, उसे धर्म कहते हैं।^१

धर्म के आधार

विभिन्न स्मृतिकारो ने धर्म का मूल वेद माना है। गीतम धर्मसूत्र में वेद को धर्म का मूल माना है।^२ आपस्तम्बधर्मसूत्र में धर्मज्ञ, वेद को जानने वाले विद्वान् का मत ही धर्म प्रमाण माना गया है।^३ वसिष्ठ धर्मसूत्र में ‘श्रुतिस्मृति-विहितो धर्म’ द्वारा यही मत अभिव्यक्त किया गया है।^४ श्रीमद्भागवत में भी धर्म का आधार वेद ही स्वीकार किया गया है।^५ इस ग्रन्थ में

१ धनात् स्ववति धर्मो हि धारणादिति निश्चय । —शाति० ६०।१७।

धारणाद्धर्ममित्याहुधर्मो धारयते प्रजा ।

यत् स्याद्धारणसयुक्त स धर्म इति निश्चय ॥ —कर्ण० ६६।५६, शाति० १०६।११।

—महाभारत कालीन समाज, सुखमय भट्टाचार्य, पृ० २७२।

२ ‘वेदोऽखिलो धर्ममूलम्’—गीतम धर्मसूत्र, १।१।२।

३ ‘धर्मज्ञसमय प्रमाण वेदाश्च’—आपस्तम्ब धर्मसूत्र, १।१।१।२।

४ वसिष्ठ धर्मसूत्र, १।४।६।

५ वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्यय । —श्रीमद्भागवत पुराण, ६।१।४०।

वेद के अतिरिक्त स्मृति तथा चिन्त को प्रसन्न करने वाले आचरण को भी धर्म का मूल स्वीकार किया गया है।^१ मनु ने धर्म की कसौटी व्यावहारिक एव व्यापक बनाई है। उनका कथन है कि वेद, स्मृति, सदाचार एव स्वानुभूति ये चार धर्म के साक्षात् लक्षण हैं।^२ याज्ञवल्क्य स्मृति में भी अगमन यही कथन उपलब्ध है—वेद, स्मृति, सदाचार, जो अपने को प्रिय लगे तथा सम्यक् सकल्प से उत्पन्न इच्छा, ये ही परम्परा से प्राप्त धर्म के उपादान हैं।^३ मनु ने धर्म के उपादानों पर विचार करते हुए वेद, वेदज्ञो की परम्परा, उनका व्यवहार, साधु जनों का आचार तथा आत्मतुष्टि को क्रमिक महत्त्व दिया है।^४ धर्म का मूल एव मुख्य प्रमाण वेद है—‘वेदोऽखिलो धर्ममूलम्’^५ एव ‘धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः।’^६ इस प्रकार धर्म के मूल उपादानों के रूप में वेद, स्मृतिया तथा परम्परा से प्राप्त सदाचार ही स्वीकृत हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में इस विषय में कहा गया है कि धर्मशास्त्र के ज्ञाता चार ब्राह्मणों की परिषद् अथवा वेदत्रयी का एक भी ज्ञाता अथवा अध्यात्मज्ञान में निपुण जो धर्म बतलाता है वह धर्म है।^७ वेद धर्म सम्बन्धी नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि धर्मविषयक बातें प्रसंगवश आई हैं, पर कालान्तर में धर्मसूत्रों एव धर्मशास्त्रों में जिन विधियों का उल्लेख हुआ, वे मूलतः वैदिक साहित्य में उपलब्ध हैं। बोधायन स्मृति में धर्म के प्रश्न पर विचार करते हुए यह मत व्यक्त किया गया है कि प्रथम स्थान पर वेद, द्वितीय स्थान पर वेद-आधृत स्मृति और तत्पश्चात् शिष्ट-जन का आचरण धर्म है। ‘मत्सरता, अहंकार, संग्रह-लोलुपता, दम्भ, दर्प, लोभ, मोह और क्रोध’ से रहित मनुष्य को शिष्ट माना गया है। इसके साथ ही उसे वेद तथा उसके अगोपाग का ज्ञान होना अनिवार्य है। बोधायन ने इस प्रकार के विशिष्ट शिष्ट-जन को धर्म का प्रमाण माना है।^८ पाराशर स्मृति भी वेदों के ज्ञाता के कथन को धर्म मानने का आदेश देती है।^९ पाराशर,

१. धर्ममूलं हि भगवान् सर्ववेदमयो हरिः । स्मृतं च तद्विदा राजन् येन चात्मा प्रसीदति ॥

—वही, ७।१।७।

२. वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥—मनु०, २।१२।

३. श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य यः प्रियमात्मनः ।

सम्यक् सकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम् ॥—याज्ञवल्क्य, १।७।

४. वेदोऽखिलो धर्ममूलः स्मृतिशीले च तद्विदाम् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥—मनु० २।६।

५. मनु०, २।६।

६. वही, २।१३।

७. चत्वारो वेदधर्मज्ञः पशं दत्रैर्विद्यमेव वा ।

सा ब्रूते यत् स धर्मः स्यादेको बाध्यात्मवित्तमः ॥—याज्ञवल्क्य, १।९।

८. उपदिष्टो धर्मः प्रतिवेदम् । स्मार्तोऽद्वितीयः । तृतीयः शिष्टागमः ॥ शिष्टा खलु

विगतमत्सरान् निरहंकारान् कुम्भीधान्यामलोलुपा दम्भदर्पलोभ-मोहक्रोधविद्विजिताः ।

धर्मोणाऽधिगतो येषां वेद सपरिवृहणः । शिष्टास्तदनुमानज्ञा श्रुतिः प्रत्यक्षहेतव इति ॥

—बोधायन, १ से ६।

९. चत्वारो वा त्रयो वापि य ब्रुवन् वेदपारगा स धर्म इति ।—पाराशर, १७५।

बोधायन इत्यादि में ज्ञानी शिष्ट-जनों की परिषद् द्वारा भी धर्म-निर्णय का उल्लेख है।^१ धर्म-सूत्रों एवं स्मृति-ग्रन्थों में शिष्ट-जन के आचार को भी धर्म का उपादान स्वीकार किया है। इस विषय पर विचार अपेक्षित है। गौतम 'वेदो' 'धर्म मूलम्' कहने के पश्चात् 'तद्धियां च स्मृति-शीले'^२ कहकर वेदज्ञों के शील तथा स्मृति को भी धर्म का प्रमाण मानते हैं। आपस्तम्ब धर्म-सूत्र में सामवाचारिक धर्मों की व्याख्या करते हुए धर्मज्ञो एवं वेदज्ञों के आचरण को प्रमाण स्वीकार किया है।^३ वसिष्ठ के मतानुसार धर्म श्रुति और स्मृति विहित है। इनमें उपलब्ध न होने पर शिष्ट जनो का आचरण ही प्रमाण है। वसिष्ठ के अनुसार सांसारिक इच्छाओं से रहित मनुष्य शिष्ट हैं। उनके केवल वही कर्म धर्म माने जायें जिनके पीछे कोई लौकिक कारण या वृत्ति न हो।^४ मनु के मत का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वह वेद, स्मृति एवं शिष्ट जनो के आचार को धर्म का मूल मानते हैं।^५ यही मत याज्ञवल्क्य ने भी प्रस्तुत किया है।^६ उपर्युक्त मतों के आधार पर एक निश्चित तथ्य यह प्राप्त हुआ कि वेद धर्म का मूल है और वेद के पश्चात् 'स्मृति' का स्थान है। स्मृति और वेद के मत में अन्तर होने पर वेद का मत ही ग्राह्य होगा। स्मृति के पश्चात् शिष्ट-जनो के आचरण को धर्म का आधार मानने का विधान है। 'आचार', 'सदाचार' अथवा 'शिष्टाचार' को धर्म के मूल के रूप में मानने के प्रश्न पर विचार करते हुए डा० काणे ने मत व्यक्त किया है कि 'जिस प्रकार वेद एवं स्मृतियां धर्म के विषय में प्रामाणिकता उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार जीवन की परिवर्तित परिस्थितियों में वास्तविक धर्म की खोज में शिष्टो के व्यवहार हमें आवश्यक कसौटी प्रदान करते हैं अर्थात् शिष्टो के आचार से यह प्रकट हो जाता है कि हमारा कार्य शास्त्र-विहित है कि नहीं।'^७

'धर्म' शब्द का प्रयोग वैदिक काल से आधुनिक काल तक अशुष्ण रूप से हो रहा है। युग-परिवर्तन के साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन स्वाभाविक है। 'धर्म' भी युग-परिवर्तन के साथ अपना व्यावहारिक रूप बदलता है। उसका क्षेत्र कभी विस्तृत और कभी सकुचित होता रहता है। तिरुवल्लुवर और कबीर के काव्य के धर्म-विषयक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करने से पूर्व 'धर्म' के क्रमिक विकास का अध्ययन अनिवार्य आवश्यकता है। भारत की सांस्कृतिक परम्परा में वेद, उपनिषद्, धर्मसूत्र, स्मृतिशास्त्र, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराण ग्रन्थ एवं काव्य-साहित्य में 'धर्म' के अर्थ-विकास पर विचार कर 'धर्म' के अन्तर्गत स्वीकृत कर्तव्याकर्तव्य का निर्धारण कर लेना इस प्रसंग में समीचीन है।

१ देखें, बोधायन—७, ८, ९, पाराशर, १८१, १८२, १८३।

२ गौतमधर्मसूत्र, १।१.२।

३ अथात् सामवाचारिकान्धर्मान् व्याख्यास्याम।—धर्मज्ञसमय प्रमाणम् वेदाश्च।

आप० ध० सू०, १।१।१, २, ३।

४ श्रुतिस्मृतिविहितो धर्मः। तदलाभे शिष्टाचर प्रमाणम्। शिष्टः पुनरकामात्मा। अगृह्य-माणकारणो धर्मः—वसिष्ठ धर्मसूत्र, १।४-७।

५ मनु० २।१२।

६ याज्ञवल्क्य स्मृति, १।७।

७. धर्मशास्त्र का इतिहास—डा० काणे, प्रथम खण्ड, पृ० ६५३।

५०२५

वेद मे धर्म

भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत वेदो के अन्तर्गत 'धर्म' शब्द का प्रथम प्रयोग 'ऋग्वेद' में हुआ है—

त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य ।

अतो धर्माणि धारयन् ॥^१

वेद मे धर्म का प्रयोग विभिन्न अर्थों मे हुआ है। यहा धर्म मुख्यत रीति,^२ नैतिक नियम,^३ साधारण कर्त्तव्यकर्म^४ एव उचित^५ के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। वेदो का उपदेश है कि धर्म के अनुसार जीवन-यापन और समाज-संगठन होना चाहिए। इस काल के धर्म का आधार मूलत ऋत और सत्य^६ है। सत्य के मार्ग का अनुगमन करते हुए लौकिक सुखो की प्राप्ति करना, आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होकर सत्य को जानने का प्रयास मानव का लक्ष्य स्वीकार किया गया। सत्य को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। ऋग्वेद मे उल्लेख है कि सत्य वचन और असत्य वचन मे स्पर्धा होती है। इन दोनो मे जो सत्य है (यत् सत्य) जो ऋजु है (यतरत् ऋजीय) सोम उसीकी रक्षा करता है और असत्य को विनष्ट करता है।^७

अनेक स्थलो पर धर्म 'धार्मिक विधियो' या 'धार्मिक क्रिया-संस्कारो' के रूप मे ही प्रयुक्त हुआ है। कुछ स्थलो पर धर्म का अर्थ 'निश्चित नियम' या 'आचरण-नियम' है।^८ अथर्ववेद के 'ऋत सत्य तपो राष्ट्र श्रमो धर्मश्च कर्म च'^९ मे धर्म शब्द का अभिप्राय 'धार्मिक क्रिया संस्कारो मे प्राप्त गुण' से है। 'धर्म' शब्द के विकास पर विचार करते हुए डा० पाण्डुरंग वामन काणे का कथन है कि 'धर्म' शब्द का अर्थ समय-समय पर परिवर्तित होता रहा है किन्तु अन्त मे यह मानव के विशेषाधिकारो, कर्त्तव्यो, बन्धनो, आर्य-जाति के सदस्य की आचार-विधि का परिचायक एव वर्णाश्रम का द्योतक हो गया।^{१०} ब्राह्मण ग्रन्थो मे प्रयुक्त 'धर्म' के अर्थ के विषय मे डा० राधाकृष्णन् का मत यह है कि सामाजिक जीवन की विविध आवश्यकताओ

१. ऋग्वेद, १।२२।१८।

२ वही, ३।१७।१०

३. वही, ७।८६।११।

४ वही, १०।५६।१२।

५ वही, ८।६८।१।

६ वही, (अ) ६।१००।४।

(आ) ८।६२।१२।

(इ) १०।३१।२।

७ सुविज्ञान चिकित्सेषु जनाय सञ्चासञ्च वचसी पस्पृधाते । तयोर्यत्सत्य यतरदृजीयस्त-दित्सोमोऽवति हन्त्यासत् ।—वही, ७।१०४।१२।

८ (क) आ प्रा रजासि दिव्यानि पाथिवा श्लोक देव कृणुते स्वार्थधर्मणे ।

—वही, ४।५३।३।

(ख) द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा । —वही, ६।७०।१।

९ अथर्ववेद, ६।६।१७।

१०. धर्मशास्त्र का इतिहास—पृ० ४।

के कलस्वरूप ब्राह्मण ग्रन्थों में धर्म का अभिप्राय देवता, ऋषि, मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के प्रति कर्तव्य, नियम इत्यादि से होने लगा।^१

उपनिषद् में धर्म

भारतीय परम्परा में धर्म के विकास में विभिन्न उपनिषदों का स्थान विशेष महत्त्व रखता है। तैत्तिरीयोपनिषद् के एकादश अनुवाक के मन्त्र धर्म की सम्यक् व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध हैं। आचार्य द्वारा शिष्य को दिए गए इन उपदेशों से न केवल उपनिषद् काल के उच्च आदर्शों एवं मान्यताओं का पता चलता है अपितु धर्म के प्रति उस युग के ऋषि की भावना भी स्पष्ट रूप से ज्ञात होती है। 'सच बोलो, धर्म का आचरण करो, प्रजा के सूत्र को मत तोड़ो (ब्रह्मचर्य के पश्चात् गृहस्थ में प्रवेश करो), सत्य बोलने से प्रमाद न करो, धर्माचरण करने में आलस्य न करो, आत्म-कल्याण तथा समृद्धि के मार्ग से विचलित न हो इत्यादि।^२ इसी सदर्भ में दान, श्रद्धा, धर्म इत्यादि के मार्ग पर अग्रसर होने का भी सदेश है। इस उपनिषद् की एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कर्तव्याकर्तव्य या सदाचार के सम्बन्ध में सदेह की स्थिति में विचारशील, तपस्वी, कर्तव्य-परायण, शान्त-स्वभाव धर्मात्मा विद्वान् की सेवा में उपस्थित हो समाधान करने एवं उनके आचरण और उपदेश का अनुसरण करने का सदेश यहाँ सन्निहित है।^३

नारायणोपनिषद् में सत्य को सर्वोत्कृष्ट मानते हुए कहा है कि सत्य का आश्रय ग्रहण करने वाले मनुष्य स्वर्ग से, आत्मोत्कर्ष की स्थिति से च्युत नहीं होते। यहाँ सत्पुरुषों का स्वरूप सत्यमय मान उन्हें सत्य में रमण करने वाला कहा गया है।^४ कठोपनिषद् में धर्म शब्द का प्रयोग 'कर्तृत्व' के अर्थ में हुआ है यथा 'वर्म्यमणुमेतमाप्य',^५ 'धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्र'।^६ छान्दोग्योपनिषद् में धर्म के तीन स्कन्ध माने गये हैं। प्रथम यज्ञ, अध्ययन एवं दान, द्वितीय तप इत्यादि तथा तृतीय ब्रह्मचारी का आचार्य के गृह, में रहना।^७ यहाँ धर्म विभिन्न आश्रमों के कर्तव्यों का निर्देश दे रहा है। बृहदारण्यकोपनिषद् में धर्म को सत्य का पर्याय माना गया है अर्थात् जिसे धर्म कहते हैं वह सत्य है और जिसे सत्य कहते हैं वह धर्म है। सोने के पात्र से सत्य का

१. *Indian Philosophy* Dr S Radhakrishnan, Vol I, p 131.

२. वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्य वद । धर्मं चर । 'प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सी । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्न प्रमदितव्यम् । भूत्यै न प्रमदितव्यम् । तैत्तिरीयोपनिषद्, ११।१ ।

३. अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा स्यात् ॥ ये तत्र ब्राह्मणा समशिन । युक्ता आयुक्ता । अलूक्षा धर्मकामा स्यु । यथा ते तत्र वर्तेरन् । तथा तत्र वर्तेषा ।
—वही, ११।३, ४ ।

४. सत्य पर पर सत्यम् । सत्येन न सुवर्गाल्लोकाच् च्यवन्ते कदाचन । सता हि सत्यम् । तस्मात्सत्ये रमन्ते ॥ —नारायणोपनिषद्, ३।७८ ।

५. (सृष्टि रचना आदि) धर्मों से युक्त (परमात्मतत्त्व) को प्राप्त करके ।

—कठोपनिषद्, १।२।१३ ।

६. "धर्म से अन्यत्र, अधर्म से अन्यत्र" । —वही, १।२।१४ ।

७. त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययन दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानआचार्यकुलेऽवसादयन् । —छान्दोग्योपनिषद्, २।२।१ ।

मुख्य ढका हुआ है। हे जगत्सोचक ! सत्यधर्म के दिखाई देने के लिए तू उस आवरण को हटा दे।^१ मैं प्रयुक्त 'सत्य धर्माय दृष्टये' स्पष्टतः सत्य और धर्म को एक कर देता हूँ। इसी उपनिषद् की एक स्तुति के अन्तर्गत असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने को कहा गया है।^२ सत्य और धर्म को पर्याय रूप में व्यवहृत करते हुए एक अन्य स्थल पर कथन है—“जो यह धर्म है निश्चित् रीति से वह सत्य है इसलिए सत्य बोलने वाले के लिए कहा जाता है कि वह धर्म कहता है और धर्म बोलने वाले के लिए कहा जाता है कि यह सत्य कहता है—सत्य और धर्म ये दोनों एक ही वस्तु हैं।”^३ धर्म और सत्य को पर्याय रूप में व्यवहृत करने वाले अनेक कथन उपनिषदों में उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए मुण्डकोपनिषद् में आया है कि देव की ओर जाने वाला मार्ग सत्य से बना है, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं, आप्तकाम ऋषि उस पद को प्राप्त होते हैं, जहाँ वह सत्य का परम विधान वर्तमान है।^४ बृहदारण्यक के याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी सवाद में भी धर्म का विवेचन हुआ है, यहाँ धर्म का अर्थ किया गया, “ससार की धारण शक्ति” तथा इस धारण शक्ति के अधिष्ठाता त्रेत्रोमय अमृतमय पुरुष को आत्मा कहा गया।^५ उपर्युक्त एव उपनिषदों में प्राप्त अन्य सम्बद्ध सामग्रियों के आधार पर यह स्पष्ट है कि धर्म का विवेचन करते हुए उपनिषद् में उसे सत्य का पर्याय, कर्तव्य-कर्म, उचित कर्म एव व्यवहार के लिए निश्चित वेदानुमोदित कर्म के अर्थ में स्वीकृत एव प्रयुक्त किया गया है। यद्यपि इसके अतिरिक्त अन्य अनेक अर्थों में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है पर हमारे विवेच्य विषय के सदर्भ में उनका विवरण अप्रासंगिक होगा।

धर्म-सूत्र में धर्म

पूर्व-मीमांसा सूत्र ने वेदों में प्रयुक्त विधि-निषेध के अनुसार चलना ही धर्म माना है। धर्म का सम्बन्ध उन क्रिया-संस्कारों से जोड़ा गया जो वेदों द्वारा प्रेरित और प्रशंसित हैं।^६ गौतम धर्मसूत्र के अनुसार सब प्राणियों पर दया, क्षमा, अनसूया, शुचिता, अतिश्रमवर्जन, शुभ में प्रवृत्ति, दानशीलता और निर्लोभता—ये आठ आत्मगुण हैं।^७ गौतम संस्कारों से भी अधिक

१ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

तत्त्व पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ —बृहदारण्यक उपनिषद्, १५।१।१।
एव ईशावास्योपनिषद्, १५।

२ तदेतानि जपेदसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मांसृज्यते गमयेति ॥

—बृहदारण्यक उपनिषद्, १।३।२८।

३. यो वै स धर्मं सत्यं वै तत्समात्सत्यं वदन्तमाहुर्धर्मं वदतीति धर्मं वा वदन्त सत्यं वदतीत्येत्तु द्वयेनैतदुभयं भवति ॥ —बृहदारण्यक उपनिषद्, १।४।१४।

४. सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । येनाक्रमन्त्येषयो ह्याप्तकामा तत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥ —मुण्डक उपनिषद्, ३।१।६।

५. अयं धर्मः सर्वेषां भूतानां मध्यस्थः धर्मस्य सर्वाणि भूतानि ... यश्चायमस्मिन् धर्मो त्रेत्रो-
मयः सृज्यते मयः पुरुषो । —बृहदारण्यक उपनिषद्, २।५।११।

६. चोदना लक्षणोऽर्थो धर्मः । —पूर्व-मीमांसा सूत्र, १।१।२।

७. अथाष्टावात्मगुणाः । दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरनसूयागौचमनायासो मगलमकार्षणमस्पृहेति ॥
—गौतम धर्मसूत्र, ७।२०, २२।

महत्त्व इन आठ आदम-गुणों को देते हैं। जिसके ज्ञानीस संस्कार हो चुके हों पर ये आठ आदम-गुण न हों, वह ब्रह्म का सामुज्य और सालोक्य नहीं पा सकता।^१ योग दर्शन के अन्तर्गत वर्णित यम-नियम का धर्म से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। यम-तियम पांच हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता उसका मन या शरीर सबल नहीं रह सकता, फलतः वह धर्म के मार्ग में अपसर नहीं हो सकता। वैशेषिक सूत्रकार ने धर्म की परिभाषा की—'यतोऽभ्युदय नि श्रेयसिद्धि स धर्मः'^२ अर्थात् 'जिससे आनन्द और नि श्रेयस की प्राप्ति हो वह धर्म है।'

धर्मसूत्रों तक 'धर्म' अपने 'गुण' या 'आचार' अर्थ के रूप को स्पष्टतः प्राप्त करते समा या पर अभी तक विधि-निषेध, कर्त्तव्याकर्त्तव्य का स्पष्ट निर्देश धर्म के अन्तर्गत मुख्य नहीं था। यह कार्य स्मृति ग्रन्थों द्वारा प्रतिपादित हुआ।

स्मृति-ग्रन्थों में धर्म

मनु ने चारो वर्णों के लिए समान धर्म का निर्धारण करते हुए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शुद्धता और इन्द्रिय निग्रह को समाविष्ट किया है।^३ मनुस्मृति में धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध—इन दस लक्षणों से युक्त धर्म पर आचरण करने का निर्देश है।^३ अत्रि स्मृति में यम और नियम के नित्य पालन करने का विधान है। यहां यम दस स्वीकार किए गए हैं। क्रूरता न करना, क्षमा करना, सत्य-भाषण तथा सत्य का व्यवहार, अहिंसा, दान, सरलता, प्रीति, प्रसन्नता, मधुरता और कोमलता।^४ नियम भी दस माने गए हैं—शौच, इज्या, तप, दान, स्वाध्याय, निग्रह, व्रत, मौन, उपवास और स्नान।^५ अत्रि स्मृति में 'आचरण की शुद्धता' को भी धर्म के अन्तर्गत लिया गया है। इस प्रसंग में अस्पृहा, अक्रोध, दम, दान, दया इत्यादि को धर्म माना है। इन कर्मों को करने वाला मनुष्य परमगति को प्राप्त करता है, जन्मचक्र से मुक्त हो जाता है।^६ दक्ष स्मृति में गृहस्थ के लिए दान,^७ अतिथि-सत्कार^८ आदि का विधान है और मित्या-भाषण, परस्त्री-सम्पर्क, चोरी, हिंसा,

१ यस्यैते चत्वारिंशत्संस्कारा न चाष्टावात्मगुणा न स ब्रह्मणस्सायुज्य सालोक्य च गच्छति ।
—गौतम धर्मसूत्र

- २ अहिंसा सत्यमस्तेय शौचमिन्द्रिय निग्रह ।
एत सामासिक धर्मं चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनु ॥ —मनु०, १०।६३ ।
- ३ धृति क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह ।
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम् ॥ —वही, ६।६२ ।
४. आनुशस्यं क्षमा सत्यमहिंसा दान मार्जनम् ।
प्रीति प्रसादो माधुर्यमार्देव च यमा दश ॥ —अत्रिस्मृति, ४८ ।
५. शौचमित्या तपोदान स्वाध्यायोपस्वनिग्रह ।
व्रतमौनोपवासाश्चस्नानंच नियमा दश ॥ —वही, ५६ ।
६. वही, ३६ से ४२ तक
७. दक्ष स्मृति, ३।५ ।
८. वही, ३।६ ।

अर्थात्क कर्मों का आचरण इत्यादि त्याज्य माने गए हैं।^१ इस स्मृति में धर्म से सुख की प्राप्ति का भी उल्लेख है।^२ हारीत स्मृति में अतिथि-सत्कार, सत्य-भाषण, परस्त्री से विरक्त रहना, अक्रोध, मधुर-भाषण एवं धर्म-मार्ग पर चलने का आदेश है।^३ अधिकांश स्मृतियों में योग-दर्शन द्वारा स्वीकृत यम का प्रकारान्तर से ग्रहण कर लिया गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की स्वीकृति अनेक स्थलों पर हुई है। यही पांच यम जैन दर्शन में 'सम्यक्-चरित्र' के अन्तर्गत ग्रहण किए गए। बुद्ध ने सम्यक् दृष्टि के अन्तर्गत शरीर, वाणी और मन के द्वारा होने वाले दुराचरण के त्याग के लिए उपदेश दिया। शरीर से होने वाले दुराचरण में हिंसा, चोरी, कामभोग-सम्बन्धी दुराचार, वाणी से होने वाले दुराचरण, असत्य, चुगली, कटु-वचन, मिथ्या भाषण, और मन से होने वाले दुराचरण में लोभ, क्रोध का समावेश हुआ है। बुद्ध सभी दुराचरणों का मूल कारण लोभ, द्वेष, मोह (मानसिक दुराचरण) मानते हैं। इसके विरुद्ध आचरण सदाचरण है और वह दस प्रकार का है—अहिंसा, अस्तेय, इन्द्रियनिग्रह (काम-सम्बन्धी मिथ्याचार न करना), झूठ न बोलना (सत्य), चुगली न करना (अनसूया), कठोर वचन न बोलना, व्यर्थ न बोलना, अलोभ और सम्यक् दृष्टि।^४ सम्यक् व्यायाम के अन्तर्गत इन्द्रियनिग्रह काम, क्रोध, तृष्णा, हिंसा, द्वेष आदि के विचारों का त्याग करने को कहा है।^५ बुद्ध द्वारा स्वीकृत इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन स्मृति ग्रन्थों में भी हुआ है, उसका मुख्य कारण है स्मृति द्वारा आचरण की शुद्धता पर बल देते हुए मार्ग-निर्देश। बुद्ध भी यही कर रहे थे, फलत दोनो के विचारों में समानता उपलब्ध होती है।

वाल्मीकि रामायण में धर्म

वाल्मीकि रामायण के अन्तर्गत धर्म को ही सार माना है। 'धर्म से ही अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है।'^६ वाल्मीकि भी वेद और उपनिषद् के ही अनुसार धर्म और सत्य में अन्तर नहीं मानते। सत्य को धर्म की पराकाष्ठा स्वीकार किया गया है। 'धर्म सत्यपरो लोके मूल सर्वस्य चोच्यते'^७

- १ अनृतं पारदयूर्यं च तथाभक्ष्यस्य भक्षणम् ।
अगम्यागमनापेयपान स्तेय च हिंसनम् ॥ —दक्षस्मृति, ३।१०, ११।
- २ सुखं वाञ्छन्ति सर्वे हितत्व धर्मं समुद्भवम् ।
तस्माद्धर्मं सदा कार्यं सर्ववर्णं प्रयत्नत ॥ —बही, २३।
३. अतिथीनागताञ्छ्वरया पूज्येदविचारत ।
स्वदार निरतो नित्य परदार विवर्जित ।
** सत्यवादी जितक्रोधो नाधर्मं वर्तयेन्मतिम् ।
सत्या हिता वेदद्वार परलोकहितैषिणीम् ॥ —हारीत स्मृति, १।२६ से २६।
- ४ योगभाष्य, २।३०।
- ५ भारतीय नीतिशास्त्र का इतिहास—भीखनलाल आत्रेय, पृ० २८६-२९०।
- ६ बही, पृ० २६३।
७. धर्मादर्थं प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम् ।
धर्मण्य लभते सर्वं धर्मसारमिदं जगत् ॥ —वा० रा० अरण्य, ६।३०।
८. वा० रा० अयोध्या, १०।६।१२।

में सन्नहित भावना का प्रस्थापन अन्य प्रसंगों में भी हुआ है। अयोध्याकाण्ड में कहा है कि “अगन् में सत्य ही ईश्वर है, सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबका मूल है। सत्य से बढ़कर कोई अन्य परम पद नहीं।”^१ वाल्मीकि सत्य में ही सम्पूर्ण लोक की प्रतिष्ठा मानते हैं।^२ सत्य, धर्म, पराक्रम, समस्त प्राणियों पर दया, सबसे प्रिय वचन बोलना तथा देवता, अस्थि और ब्राह्मण की पूजा को धर्म के अन्तर्गत ग्रहण किया गया है।^३ वाल्मीकि धर्म के अन्तर्गत विधि-निषेध को समाविष्ट कर लेने के उपरान्त विभिन्न आश्रमों एवं वर्णों तथा वर्गों के कर्तव्याकर्तव्य का उल्लेख करते हैं। अरण्यकाण्ड में मिथ्याभाषण, परस्त्रीगमन, और हिंसा का निषेध^४ एवं इन्द्रियनिग्रह, सत्य तथा अहिंसा का स्वीकृति दी गई है।^५

महाभारत में धर्म

जीवन की विशालता और जटिलता में धर्म का वास्तविक रूप जान पाना अत्यन्त दुष्कर है। धर्म का एक सामान्य रूप है, उसके कुछ सामान्य लक्षण हैं जो सबके लिये मान्य हैं परन्तु व्यवहार में, विशिष्ट अवसरों और परिस्थितियों में धर्म का अर्थ उत्पन्न होता है। जीवन अपनी जटिलताओं और समस्याओं के कारण धर्म के प्रश्न को भी अपने रूप के अनुसार कर लेता है। इसलिए धर्मशास्त्रों और अन्य ग्रन्थों, विशेष रूप से महाभारत में धर्म के सामान्य लक्षणों के अतिरिक्त धर्म के अनेकानेक विशिष्ट रूपों का भी वर्णन हुआ है। धर्म के लक्षण दो प्रकार के हैं—सामान्य और विशिष्ट। क्षमा, धृति, अहिंसा इत्यादि को धर्म का सामान्य लक्षण कहा जा सकता है। प्रत्येक सामाजिक प्राणी के लिये यह लक्षण मान्य है। वर्ण, आश्रम, सम्बन्ध आदि के अनुसार विशेष मनुष्यों के लिये मान्य लक्षण विशिष्ट हैं यथा अध्यापन, यज्ञ करना इत्यादि ब्राह्मण के विशेष धर्म हैं।

कृष्ण ने धर्म के लक्षणों में अहिंसा, शौच, क्रोध का अभाव, क्रूरता का अभाव, दम, शम और सरलता को समाविष्ट किया।^६ युधिष्ठिर के प्रति भीष्म के धर्मविषयक वचन इस प्रकार हैं—“अहिंसा, सत्य, अक्रोध, तपस्या, दान, मन और इन्द्रियों का सयम, विशुद्ध बुद्धि, किसी के दोष न देखना, किसी से ईर्ष्या न करना, तथा उत्तम शील स्वभाव का परिचय

- १ सत्यमेवैवरो लोके सत्यधर्मं सदाश्रित ।
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति पर पदम् ॥ —वा० रा०, अयो० १०६।१३ ।
- २ (क) सत्ये लोक प्रतिष्ठित । —वही, १०६।१० ।
(ख) धर्मोहि परमो लोके धर्मो सत्य प्रतिष्ठितम् । —वही, अयो० २१।४१ ।
- ३ सत्यं च धर्मं च पराक्रम च ।
भूतानुकम्पाप्रियवादिता च ॥
द्विजाति देवातिथि पूजन च ।
पन्थानमाहुस्त्रिदिवस्य सन्त ॥ —वा० रा० अयो०, १०६।३१ ।
- ४ वही, अरण्य, ६।३४, ५०।८ (परस्त्रीगमन)
- ५ वही, अरण्य, ६।८, ६ ।
- ६ अहिंसा शौचमक्रोधमानुष्यं दम शम ।
आर्जव चैव राजेन्द्र निश्चित धर्मलक्षणम् ॥—आदवमेधिक पर्व, अ० ६२।

देना ।”^१ धर्म के लक्षण बताते हुए व्यासजी ने युधिष्ठिर से कहा—‘बिना ही हुई वस्तुओं को न लेना, दान, अध्ययन और तप में तत्पर रहना, किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, सत्य बोलना, क्रोध का त्याग करना, और यज्ञ करना—ये सब धर्म के लक्षण हैं ।^२ यज्ञ-युधिष्ठिर-सवाद संदर्भ में यज्ञ रूपी धर्म अपना रूप धारण करने पर कहता है—‘यश, सत्य, दम, शौच, सरलता, लज्जा, अचापल्य, दान, तपस्या, एव ब्रह्मचर्यं यही मेरा शरीर है, अहिंसा, सभता, शांति, तपस्या, शौच तथा अद्वेष आदि मेरी प्राप्ति के साधन हैं ।’^३

महाभारत में धर्म के विषय में वेद को प्राथमिकता दी गई है । ‘श्रुति प्रमाणो धर्म स्यादिति वृद्धानुशासनम्’^४ द्वारा धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिए वेद को प्रमाण माना गया है । वेद के उपरांत धर्म शास्त्रों का स्थान है । ‘वेदोक्त परमो धर्मो धर्मशास्त्रेषु चापर’^५ से इसकी पुष्टि होती है । धर्मशास्त्र में भी यदि सदिग्ध विषय में स्पष्ट निर्णय उपलब्ध न हो तो शिष्ट व्यक्ति के आचरण को धर्म मानना होगा । धर्म के विषय में शिष्टाचार का प्रमाण महाभारत में स्वीकार किया गया है । ‘महाभारत में साधु, सत्, शिष्ट आदि को जिस अर्थ में लिया है, महापुरुष को भी उसी अर्थ में लिया है । जो वेदशास्त्रों द्वारा बताये आचार-विचारों का निर्विरोध पालन करते हैं, उन्हीं को ग्रन्थकार ने महापुरुष माना है । जिस धर्म को समझना कठिन हो, उसके तत्त्व की गूढ़ता को समझने के लिए हमारे जैसे साधारण मनुष्यों को सदाचारी का ही अवलम्बन लेना चाहिए ।’^६ महाभारत के अनेक स्थलों पर सशय की स्थिति में ज्ञानी सज्जनों का उपदेश ग्रहण करने का विधान है ।^७ शांतिपर्व में परिस्थिति के अनुसार धर्मकृत्य में परिवर्तन की बात कही गयी है, पर स्वेच्छाचारिता की अनुमति नहीं है । धर्म के मार्ग पर चलने के सन्देह से युक्त अनेक कथन महाभारत में आये हैं । ‘धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षित’,^८ ‘धर्म एको मनुष्याणा सहाय पारलौकिक’^९ इत्यादि में धर्म की शक्ति तथा धर्म के लौकिक एव पारलौकिक महत्त्व का प्रतिपादन हुआ है । इसके मूल में

१. अहिंसा सत्यमक्रोधस्तपो दान दमो मति ।
अनसूयाप्यमात्सर्यमनीर्ष्या शीलमेव च ॥
एष धर्म कुरुश्रेष्ठ कथित परमेष्ठिना ॥ —शांति, १०६, श्लोक १२।१३ के मध्य
२. अदत्तस्यानुपादान दानमध्ययन तप ।
अहिंसा सत्यमक्रोध इज्या धर्मस्य लक्षणम् ॥—बही, ३६।१० ।
३. वन०, ३१३।७, ८ ।
४. वही, २०५।४१ ।
५. वही, २०६।८३ ।
६. महाभारतकालीन समाज—सुखमय भट्टाचार्य, पृ० २७५-७६ ।
७. न हि धर्मं विज्ञाय वृद्धाननुपसेव्य च ।
धर्माभी वेदितु शक्यी बृहस्पति समैरपि ॥—वन, १५०।२६ ।
और देखें—शान्ति, ३६।२०, १३६।१६ ।
८. वन०, ३१२।१२८ ।
९. शान्ति, २७२।२४ ।

मान्यता यह है कि सुख-सुखः अविद्यं वस्तु है, लेकिन धर्म तिर्यक है।^१ धर्म देवताओं की सीमा में सरकता नहीं। धर्म सम्बन्ध सद्बुद्धियों को धर्म के रूप में स्वीकार किन्ना चाहे तो कहा जायेगा कि ग्रहण-सारत में वर्णित धर्म, भविष्यद्वर, निर्मल, सार्वजनीन एवं सार्वभौमिक है। जिस धर्म का शब्द चित्रकल्पयाण हो, उसमें संकीर्णता को स्थापन नहीं मिलता। अनुष्ठेय धर्म प्रधानतः आत्मबुद्धि के साधन हैं, अनुष्ठाता के साध्य नहीं। आत्मबुद्धि अनुष्ठेय को महत् से महत्तर आदर्श की ओर अनुप्राणित करती है और अन्त में अनुष्ठाता को अपना साध्य मिल जाता है।^२

धर्म और नीति

सम्यता के प्रारम्भिक चरण से ही उचित और अनुचित का अन्तर सम्भवतः मानव मन में विकास करता रहा है। उचित के ज्ञान का आधार नैतिक मान्यताएँ एवं अनुष्ठेय की अपनी अन्तर्दृष्टि ही है। 'उचित' और 'नैतिक आधार पर उचित' कर्मों के क्षेत्र में एक निश्चित अन्तर है, नैतिक आधार पर उचित होने के लिए सामाजिक अनुसूचन की आवश्यकता है, पर केवल 'उचित' के लिए नहीं। व्यक्ति की अपनी इच्छाएँ उसके सामाजिक कर्तव्यों में बाधक हो सकती हैं पर धीरे-धीरे वह समाज के साथ समझौता करना सीखता है। इस समझौते का विकास समाज के विकास के साथ-साथ स्वतः ही होता रहता है। यही 'उचित' 'अनुचित' का निर्धारण अपने विस्तृत अर्थ में धर्म की परिभाषा ग्रहण करता है। यही कारण है कि प्रत्येक समाज के अपने नैतिक नियम होते हैं जिन्हे स्वीकार करना समाज के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य माना जाता है। इन नियमों के महत्त्व को कभी-कभी चुनौती दी जाती है और आने वाली पीढ़ियाँ उसमें परिवर्तन कर लेती हैं। पर कुछ नियम ऐसे हैं जो सभी पुर्णों, सभी देशों एवं सभी कालों में सदैव ग्रहणीय हैं। धर्म की वास्तविक परिधि वही है।

धर्म के मूल में विशिष्ट आचार की मान्यताएँ हैं। धर्म का सम्बन्ध जीवन में स्वीकृत आचार-व्यवहार से है। इस प्रकार धर्म आचार का व्यापक रूप ग्रहण कर लेता है। आचार की धारणा में नैतिकता के स्वरूप को विकास प्राप्त होता है। व्यक्ति एवं व्यक्ति, व्यक्ति एवं समाज के पारस्परिक सम्बन्ध की समस्या नैतिकता को जन्म देती है। इन्हीं सम्बन्धों की जटिलता और दृष्टिकोण के वैभिन्न्य के फलस्वरूप नैतिक धारणाओं में परिवर्तन होते हैं। इन सम्बन्धों के मूल में लौकिक सुख-भोग, आत्मिक-विकास का प्रयास और सासारिक कर्मों के सञ्चालन की धारणा है। न्यायसूत्र की टीका में धर्म को ससार-व्यापार के यथावत् निर्वाह के विधानों का समग्र कहा गया है।^३ जीवन के सहज स्वाभाविक रूप के विकास, अनुचित कृत्यों की निन्दा एवं लोक-व्यवहार के निर्वाह के रूपों में नैतिकता की धारणा स्वरूप ग्रहण करती है।

बा० गं० तिलक ने धर्म के अर्थ-विकास के विभिन्न स्रोतों पर विचार करते हुए गीता-रहस्य में यह मत व्यक्त किया है कि "क्या सस्कृत और क्या भाषा सभी धर्म-ग्रन्थों में 'धर्म' शब्द का प्रयोग उन सभी नीति नियमों के बारे में किया गया है जो समाज-धारणा के लिए विशिष्ट जनों के द्वारा अध्यात्म-दृष्टि से बनाए गए हैं।"^४ धर्म के अन्तर्गत राजधर्म, प्रजाधर्म,

१. नित्यो धर्मः सुखसुखे त्वनित्ये । —उद्योग०, ४०।१२।

२. महाभारतकालीन समाज, सुखभय भट्टाचार्य, पृ० २२५।

३. न्यायसूत्र, ५।१।६२।

४. गीता रहस्य, पृ० ६८।

वैशधर्म, आतिधर्म, कुलधर्म, मित्रधर्म आदि सांसारिक नीति-बन्धन भी समाविष्ट हैं। मनु ने धर्म के लिए जो धी शास्त्रेतर कसौटियां (अर्थात् साधु-जन का आचार एव धर्म में प्रवृत्त व्यक्ति की स्वानुभूति) ^१ निर्धारित की हैं, वे ही नीति का आधार हैं। धर्म की शास्त्रेतर पहली कसौटी है—धर्मात्मा एवं रागद्वेष से रहित विद्वानों द्वारा सेवित और हृदय से भली प्रकार जाना गया।^२ पर इसके साथ ही यह निर्देश भी है कि ये विद्वान् भी शास्त्रानुमोदित कर्तव्य-कर्म को जान-बख्शुओ से देखकर अपने कर्तव्य-धर्म का निश्चय करें।^३ इस कसौटी के पूर्ण न होने पर अर्थात् एकाधिक मार्ग का उल्लेख होने पर 'प्रियमात्मन' की स्थिति है। इस प्रकार नीति एवं धर्म का व्यावहारिक रूप प्राय एक ही है।

धर्म के रूप

समाज के व्यवहार के फलस्वरूप 'धर्म' दो रूप ग्रहण करता है—(क)मानसिक एव आचरण की पवित्रता, समाज में रहते हुए कर्तव्य-कर्मों का उल्लेख तथा (ख) बाह्य कर्म-काण्ड, विधि-विधान इत्यादि। धर्म का प्रथम रूप प्राय सार्वकालिक एव सार्वदेशिक है यथा, सत्य, अहिंसा दया, प्रेम इत्यादि। इनकी व्याख्या में अन्तर निश्चय ही उपलब्ध है, पर मूल रूप से इनकी स्वीकृति वेद, धर्मशास्त्रो, स्मृति तथा धर्म सम्बन्धी अन्य ग्रन्थों में हुई है। बाह्य कर्म-काण्ड का विधान देश और काल की सामाजिक, राजनीतिक एव अन्य अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तित होता रहा है पर उसका भी उल्लेख अधिकांश धर्म-ग्रन्थों में हुआ है। गौतम धर्मसूत्र में एक ओर दया, क्षमा आदि का विवेचन है तो दूसरी ओर अतिथियों के सम्मान करने की विधि, विवाह के प्रकार, श्राद्ध, ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के विषय में नियम, व्रत, प्रायश्चित्त इत्यादि का विस्तृत उल्लेख है। बोधायन धर्मसूत्र भी बाह्य विधि-विधान यथा यज्ञ के लिए पवित्रीकरण, परिधान, भूमि, घास, ईंधन, बर्तन, स्नान, आचमन, श्राद्ध, सध्या, प्रायश्चित्त इत्यादि पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार आपस्तम्ब धर्मसूत्र, हिरण्यकोशि धर्मसूत्र, वसिष्ठ धर्मसूत्र, विष्णुधर्मसूत्र, हारीतधर्मसूत्र, शालधर्मसूत्र इत्यादि में धर्म के विवेचन में एक ओर मनुष्य मात्र के वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्याकर्तव्य का विवेचन है तो दूसरी ओर बाह्य विधि-विधान इत्यादि पर भी यथेष्ट सामग्री उपलब्ध है। स्मृति-ग्रन्थों का विवेचन भी इसी परम्परा के अनुसार है। बाह्य विधि-विधान पर विवेचन का हमारे विषय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं क्योंकि वह धर्म के वास्तविक अर्थ से अपेक्षाकृत कम सम्बद्ध है, पर फिर भी समाज में उसका अपना महत्व है। वल्लुवर और कबीर दोनों कवि बाह्य-विधि-विधान, कर्मकाण्ड इत्यादि का अनुमोदन नहीं करते। अतः इस अंश का विस्तृत विवेचन असंगत होगा। पर धर्म के प्राय सर्वसम्मत, सर्वस्वीकृत सिद्धान्तों का विवेचन दोनों कवियों की परम्परा को समझने के उद्देश्य से काम्य है।

धर्म के सामान्य एव विशिष्ट दो रूप हैं। धर्म का सार्वभौम अथवा सामान्य पक्ष सबके

१ वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन — मनु०, २।१२।

२. विद्वद्भिः सेवित सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः।

हृदयेनाम्यनुजातो यो धर्मस्तं निबोधत ॥ बही, २।१।

३ सर्वं तु समवेक्ष्येद निखिल ज्ञानचक्षुषा।

श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्स्वधर्मं निविशेत वै ॥ वही, २।६।

लिए समान रूप से मान्य है, कृत्य है। इसका विधान सम्पूर्ण मानव-समाज के लिए है। अहिंसा, अस्तेय, इन्द्रिय-निग्रह, सत्य इत्यादि सामान्य-धर्म के अन्तर्गत आते हैं। विशिष्ट धर्म में अत्येक व्यक्ति के आश्रम तथा वर्ण के अनुकूल धर्म का समावेश है। इस कर्तव्य-कर्म के प्रति आश्चर्य रहने का आदेश गीता में श्रीकृष्ण द्वारा दिया गया है। गीता के 'स्वधर्ममपि चावेक्ष्य'^१ 'श्रेयान्स्वधर्मो विभुषणं परधर्मात्स्वनुष्ठितात्',^२ 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः'^३ में मानव को वर्णाश्रमरूप कर्तव्य-कर्म करने का आदेश है। स्वामी विवेकानन्द ने जातिधर्म अर्थात् स्वधर्म को सब देशों, सब जातियों के कल्याण एवं वास्तविक मुक्ति का सोपान माना है।^४

परिभाषा का प्रश्न

धर्म की विस्तृत परिभाषा के अन्तर्गत अनेक प्रकार के विश्वास, क्रियाएं, भावनाएं, मन-स्थितियां, दृष्टिकोण इत्यादि न जाने कितने परस्पर सम्बद्ध एवं असम्बद्ध तथ्यों एवं सत्त्यों का समावेश हो जाता है। तर्क की कसौटी पर कसने के पश्चात् धर्म, कला, नीति, इत्यादि में कोई स्थायी एवं निश्चित अंतर का निर्देश कर पाना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य ही है। विभिन्न व्यक्ति इनकी अन्तररेखा को अनेक कारणों से अलग-अलग स्थानों पर रखना चाहेंगे। महाभारत के वनपर्व में इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया गया है कि धर्म के बारे में परम्परा से प्राप्त श्रुतियां परस्पर भिन्न हैं, स्मृतियों में भी विचार-वैभिन्य दिखाई देता है। जितने भी मननशील विचारक हैं, उन सबके मन्तव्य भी एक-दूसरे से भिन्न हैं। अतः यदि विचार की दृष्टि से देखा जाए कि धर्म क्या है, यह बहू रहस्य है, जो अत्यन्त गूढ़ है।^५

धर्म के वास्तविक अर्थ में व्यक्ति और व्यक्ति में तो भेद होगा ही, एक ही व्यक्ति के जीवन में इस विषय में भिन्न धारणाएँ सम्भव हैं। मनुष्य मानसिक एवं आत्मिक विकास के क्रम में ही धर्म और अधर्म के अन्तर का ज्ञान प्राप्त करता है। धर्म के सामाजिक और व्यक्तिगत पक्षों में से व्यक्तिगत पक्ष निरन्तर रूप-परिवर्तन करता रहता है। इसके सामाजिक रूप में परिवर्तन अपेक्षाकृत कम होता है पर यह परिवर्तन धर्म की एक निश्चित सर्वस्वीकृत सार्व-कालिक परिभाषा के मार्ग में अचल पर्वत के सदृश है। इस प्रकार धर्म में ब्राह्म कर्म-काण्ड एवं विश्वास के अतिरिक्त मनुष्य के मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं। फलस्वरूप धर्म की निश्चित परिभाषा दे पाना सम्भव नहीं है। प्रस्तुत प्रश्न पर विचार करते समय इस कठिनाई को समझ रखना उपयुक्त होगा। धर्म का सम्बन्ध मानव एवं ब्रह्माण्ड के 'सत्य' से है। फिर भी इसका आलोचनात्मक, वस्तुपरक अथवा वैज्ञानिक अध्ययन सम्भव है। इस अध्ययन के अन्तर्गत तत्त्वों के अन्तिम प्राप्य का अध्ययन चाहे न हो, पर मनुष्य के विश्वासों और सिद्धान्तों के क्रमिक विकास एवं सामाजिक जीवन के सफलतापूर्वक निर्वाह

१ गीता, २।३१।

२ वही, ३।३५ तथा १८।४७।

३. वही।

४. Now this jati-Dharma, this Svadharma is the path of welfare of all societies in every land, the ladder to ultimate freedom.

—The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, p. 359

५ महाभारत, वनपर्व, ३१३।११७।

के लिए आधारों तथा तत्सम्बन्धित नीति, आचार-शास्त्र इत्यादि का अध्ययन वैज्ञानिक प्रक्रिया से सम्भव है। परम सत्य की खोज-सम्बन्धी साधना का अध्ययन दर्शन का विषय है, पर धर्म में इस खोज के लिए प्रयत्नशील मनुष्य के जीवन-सिद्धान्तों, निश्चित कर्तव्यकर्तव्य इत्यादि का भारतीय परम्परा के आधार पर विवेचन हमारे विषय की सीमा के अन्तर्गत है।

परम्परा से उपलब्ध एवं नवयुग की मान्यताओं से प्राप्त धर्म के उपर्युक्त आधार पर तिरुक्कुरल और कबीर की तद्विषयक मान्यताओं का अध्ययन एक ओर इन दोनों कवियों की विचारधारा का परिचय प्रदान करेगा और दूसरी ओर उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में स्वीकृत धर्म के रूप में समानता अथवा वैमिन्य का बोध कराएगा।

तिरुक्कुरल के धर्म-खण्ड (अरत्तुप्पाल) का वर्णन-विषय

तिरुक्कुरल ने अपने काव्य के धर्म-खण्ड के अन्तर्गत धर्म से सम्बद्ध लगभग सभी विषयों पर विस्तार से विचार किया है। प्रस्तावना भाग के चार अध्यायों में ईश्वर-स्तुति (कडबुल्लु बाळलु), बर्षा का महत्त्व (वान्बिरप्पु), सन्यासी का महत्त्व (नीत्तार पेरुम) एवं धर्म की शक्ति (अरन्बलियुरुत्तल) विषयों पर विचार है। तत्पश्चात् कवि ने गृहस्थ जीवन का महत्त्व स्पष्ट करते हुए संभ्रम, मधुर-भाषण, सदाचरण, परोपकार, आतिथ्य आदि धर्म के ब्रह्म वर्गों को काव्य का विषय बनाया है। गृहस्थ जीवन (प्रवृत्ति-मार्ग) एवं तत्सम्बन्धित विषयों के विस्तृत विवेचन के पश्चात् सन्यास (निवृत्ति-मार्ग) के लिए विधि-निषेध का निर्धारण किया गया है। इसके अन्तर्गत दया (अरुलुटेम), तप (तवम्), सत्य भाषण (वायम), अहिंसा (कोल्लाम), नश्वरता (निल्लैयाम), त्याग (तुरवु), सत्यज्ञान (मेय्युनत्तल), निष्काम कर्म (अवा-अरुत्तल) इत्यादि अनेक विषयों पर विचार करने के अनन्तर कवि ने भाग्य (ऊळ) पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। भाग्य (ऊळ) के अन्तर्गत कर्म-फल सिद्धान्त को स्वीकृत कर भाग्य की प्रबल शक्ति एवं पूर्व-जन्म के सत्कारों तथा इस जन्म के कर्मों के परिणामों की विवेचना प्रस्तुत की है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि के समक्ष दो वर्गों का चित्र रहा होगा। गृहस्थ अर्थात् प्रवृत्ति-मार्ग पर अग्रसर होकर जीवन व्यतीत करने वाले, एवं निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करने वाले त्यागी पुरुष। कवि ने गृहस्थ को सन्यासी की तुलना में अधिक महत्त्व प्रदान किया है, पर जो निवृत्ति-मार्गीय पथ को जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं अथवा कर चुके हैं उनके लिए भी औचित्य-अनीचित्य का निर्धारण कर देना कवि का लक्ष्य रहा है।

धर्म का महत्त्व

धर्म के महत्त्व पर विचार करते समय व्यास की प्रसिद्ध उक्ति समक्ष आ जाती है—

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धर्मं जह्याज्जीवितस्यापि हेतोः।

निरयो धर्मं सुख-दुःखे त्वनित्ये जीवो निरयो हेतुरस्य त्वनित्ये ॥१

अर्थात् 'सुख-दुःख अनित्य हैं, परन्तु धर्म नित्य है, इसलिए सुख की इच्छा से, भय से, लोभ से अथवा प्राण-संकट आने पर भी धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह जीव नित्य है और सुख-दुःखादि विषय अनित्य हैं।' तिरुक्कुरल ने धर्म के लक्षण एवं उसका स्वरूप प्रतिपादन कर धर्म के महत्त्व की ओर संकेत किया है। धर्म की शक्ति (अरन्बलियुरुत्तल) क्षीर्षक के अन्त-

मैंने ग्रहण करते योग्य संस्कारों को ही धर्म माना है। मन को निर्मल रखना ही वास्तव में धर्म है। अन्य सभी बाह्य आडम्बर मात्र हैं।^१ मनुष्य को सभी सम्भव अवसरों पर धार्मिक कार्य करते रहना चाहिए।^२ धर्म का भाग ईर्ष्या, लोभ और क्रदुश्चनों से परे रहने का भाव है।^३ इस प्रकार तिरुवल््लुवर के धर्म के अन्तर्गत धार्मिक पवित्रता तथा ईर्ष्या, लोभ, क्रोध और कदु-वचनों का निषेध समाविष्ट है। धर्म से दो प्रकार की उपलब्धि का उल्लेख हुआ है—
लौकिक सुख-ऐश्वर्य तथा पारलौकिक आनन्द। तिरुवल््लुवर के मतानुसार विभव में दो व्यक्तियों के सामाजिक स्तर के अन्तर का कारण धर्म ही है। शिक्षित उठाने वाले अधिक और उसमें बैठे व्यक्ति के अन्तर पर विचार करें तो धर्म का लाभ स्वतः स्पष्ट हो जाएगा।^४ उनका स्पष्ट संकेत है कि धर्म-कार्य करते पर मानव को जीवन में सुख, ऐश्वर्य इत्यादि की प्राप्ति होती है। धर्म से यश और धन दोनों की प्राप्ति होती है।^५ सुख की उपलब्धि कई प्रकार से सम्भव है परन्तु सत्कार्य से उत्पन्न सुख ही वास्तविक है, अन्य सभी प्रकार के सुख वास्तव में दुःख-प्रदायक एवं सज्जित करने वाले होते हैं।^६ धर्म से उद्भूत पारलौकिक लाभों के अन्तर्गत स्वर्ग-प्राप्ति का उल्लेख हुआ है। धर्म-कार्य करने के फलस्वरूप पारलौकिक सुख प्राप्त होते हैं,^७ वे धार्मिक-कृत्य मृत्यु के उपरान्त भी निरन्तर सहायक होंगे।^८ अतः एक भी दिवस नष्ट किए बिना श्रेष्ठ कर्मों में लगा व्यक्ति आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेगा।^९ यहाँ बल्लुवर मन की निर्मलता, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, कठोर-वचन का त्याग करने को धर्म का प्रमुख रूप स्वीकार करते हैं।

तिरुवल््लुवर के अनुसार अव-सागर से पार उतरने, मृत्यु उपरान्त सुख प्राप्त करने एवं स्वर्ग प्राप्त करने के लिए मनुष्य को इस जीवन में निरन्तर, एक भी दिन नष्ट किए बिना, धर्म-कार्य करते रहना चाहिए। इसके लिए अरम् (धर्म) के नियमों का अनुसरण करना होगा। उन्होंने विधि और निषेध का यह कार्य लोकजीवन पर बाधुत उदाहरणों के माध्यम से व्यक्त किया है।

‘धर्म’ शब्द को आधार बनाकर कबीर ने विशेष रूप से किसी प्रकार का कथन नहीं

१ कुरल ४०।

२ कुरल ३४ तुलनीय—शमस्तूपरमो धर्म प्रवृत्त सत्सु नित्यशः।

गृहस्थाना विशुद्धाना धर्मस्य निषयो महान्॥—महा०, अनु० १४१।

३ कुरल ३३।

७०।

४ कुरल ३५।

५ कुरल ३७।

६ कुरल ३१।

७ कुरल ३६।

८ कुरल ३८, तुलनीय—धर्म एको मनुष्याणां सहाय पारलौकिक।

—महा०, शक्ति।

९ कुरल ३६, तुलनीय—मृत शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसम क्षिती।

विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तत्तनुगच्छति॥—मनु० ४१२४१।

१० कुरल ३८, तुलनीय—तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छर्मैः।

धर्मण हि सहायेन समस्तरति दुस्तरम्॥—बही, २।२४२।

क्रिया परन्तु धर्म के सामान्य सिद्धान्तों एवं लक्षणों के विषय में उनके काव्य में अनेकानेक उक्तियाँ हैं। कबीर 'विधि' का मार्ग कम और 'निषेध' का मार्ग अधिक अपनाते हैं। धर्म और दया का सम्बन्ध है, पाप और लोभ का सम्बन्ध है, क्रोध और काल परस्पर सम्बद्ध हैं परन्तु जहाँ क्षमा है वहाँ पर प्रभु स्वयं ही निवास करते हैं।^१ कबीर गृहस्थ के लिए स्पष्ट कह देते हैं कि यदि गृहस्थ में निवास करना है तो धर्म के मार्ग का अनुसरण करो अन्यथा सन्यास लेकर संसार-कार्यों से अलग हट जाओ।^२ मनुष्य को यह जान लेना होगा कि जब तक वह काम और क्रोध से युक्त है, स्नान इत्यादि से कोई लाभ नहीं।^३ जब तक 'काम क्रोध हकार बिआपे' तब तक 'नां छूटे माया'।^४ जीवन का लक्ष्य तो हरि-पद प्राप्त करना है उसके लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्तुति, निन्दा, मान, अभिमान का त्याग करना होगा।^५ जब तक 'काम, क्रोध, अहकार' का त्याग नहीं होता, व्यक्ति बधनमुक्त नहीं होता। अतः कबीर का बार-बार यही कथन है कि 'परिहर्तु लोभु अरु लोकाचार। परिहर्तु कामु, क्रोधु हकारु।'^६ यह ध्यान रखना होगा कि भ्रम में फसकर व्यक्ति जिस बाह्य आडम्बर को धर्म मान बैठा है, उसके कारण अपने सिर पर और भी बोझ लाद रहा है।^७

धर्म-मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों के लिए कबीर ने किसी प्रकार के लौकिक अथवा पारलौकिक लाभों का उल्लेख नहीं किया। यह तो साधारण आवश्यकता का मार्ग है। हा, उनकी उक्तियों में तत्त्व-ग्रहण और हरिपद-प्राप्ति का वर्णन अवश्य है। यह सम्पूर्ण जगत् विनष्ट हो जाएगा, तत्त्व को जान लेने का मार्ग है, गुरु के उपदेश को धारण करना।^८ यह तत्त्व-वेत्ता जीवनमुक्त हो जाता है।^९ इस भवसागर में अथाह जल है, राम नाम तथा हरि के चरणों का आधार लेने वाले के लिए यह सागर गाय के बछड़े के खुर के विस्तार का बन जाता है।^{१०} यदि मनुष्य इस धर्म मार्ग पर आचरण न करे तो काल उसे देख कर हसेगा क्योंकि काया कच्ची है, मन अस्थिर है, और 'काम' अपना कार्य कर रहा है। ऐसी स्थिति में 'ज्यों-ज्यों नर निषङ्क

१ जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप।

जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ खिमा तह आप ॥

—कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० १६०।

२ जो ग्रिह करहि त धरम करु नाहि त करु बैराग ॥—वही, पृ० १६०।

३ काम क्रोध मल भरि रहे कहा देह पखारै ॥ वही, पृ० ४।

४ वही, पृ० २२।

५ काम क्रोध लोभ मोह बिबरजित हरि पद चीन्है सोई।

असतुति निंदा दोउ बिबरजित तजहि मानु अभिमाना ॥—वही, पृ० १६।

६ वही, पृ० ४६।

७ कबीर मनि फूला फिरै, करता हू ज धरम।

कोटि करम सिर परि चढ़ै, चेतन देखै मरम ॥—वही, पृ० २१४।

८ जो दीसै सो बिनसिहै, नाम धरा सो जाइ।

कबीर सोई तत्त गहि, जो सतगुर दिया बताइ ॥—वही, पृ० २००।

९ कहै कबीर सोई ततवेत्ता जीवन मुक्ति समाई ॥—वही, पृ० ८५।

१० भौ सागर अथाह जल तामैं बोहिध राम अघार।

कहै कबीर हरि सरन गहु तब गीबछ खुर बिस्तार ॥—वही, पृ० १२६।

फिर, स्वर्ग-स्थीं का लक्ष्य हूँ ।^१ अतः मनुष्य को धर्म मार्ग का, हरिनाम का आधार नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा करने से चाहे किसी भी प्रकार का लाभ क्यों न हो ?^२ मनुष्य इस तत्त्व को जन्म-में लक्ष्य नहीं रहता है, उसके नेत्र सत्य नहीं देख पाते, हृदय की सूक्ष्मता नहीं तथा वह काम, क्रोध, लोभ के बल में होकर बिना जल ही डूब मरता है ।^३ कबीर का निरन्तर प्रयास है कि मनुष्य काम, क्रोध, मोह और भ्रम का त्याग करे और निःशक मन से सत्सङ्ग में विचरण करे ।

कबीर और तिरुवल्लुवर के धर्म के महत्त्व के विषय में विचारों की तुलना से यह स्पष्ट है कि दोनों कवि सत्कर्म में प्रवृत्त होने का सदेश देकर मानव-मात्र को इस भव-सागर से मुक्त कराने का प्रयास कर रहे हैं । काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईश्यादि से मुक्त होकर यदि व्यक्ति धर्म में प्रवृत्त हो तो इनके मत से उसे निश्चय ही जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होगी । तिरुवल्लुवर धर्म-कार्य का प्रभाव सामाजिक भेदभाव में भी देखते हैं, यह पौराणिक दृष्टिकोण है, पर कबीर का धर्म, 'आत्मा' और 'परमात्मा' के सम्बन्धों की ओर अपेक्षाकृत अधिक उन्मुख है ।

धर्म और प्रवृत्ति मार्ग

जीवन में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति-मार्ग में से प्रवृत्ति-मार्ग की श्रेष्ठता असंदिग्ध है । कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना, कर्म त्याग कर वन-प्रदेश में तपस्या करने से कहीं श्रेष्ठ है । भारतीय परम्परा मूलतः प्रवृत्ति-मार्गीय जीवन-दर्शन पर आधृत है । प्रवृत्ति मार्ग का आधार गृहस्थ है । गृहस्थ का निर्माण पति-पत्नी और सतति से होता है । दाम्पत्य-सूत्र में आबद्ध पति-पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं । गृहस्थ के सतुलन के लिए परस्पर प्रेम एवं सद्भाव, अटूट विश्वास अनिवार्य आवश्यकता है । हमारे आस्तिक मनीषी पति और पत्नी के सम्बन्ध को आकस्मिक नहीं, प्रत्युत बृहन् लोको के सचालक ईश्वर के द्वारा पूर्व से ही सुनियोजित मानते हैं, "पति और पत्नी मूलतः ऋत और सत्य के ही प्रतिरूप हैं । एक को छाया तो दूसरे को पृथ्वी, एक को ऋक् तो दूसरे को साम भी कहा गया है । दोनों का मिथुनीभाव अथवा युग-सन्नद्धता गृहस्थ की इकाई कहलाता है ।"^४ परिवार सम्पूर्ण समाज की आधारशिला है, अतः इसके महत्त्व की स्वीकृति स्वाभाविक है ।

गृहस्थ जीवन प्रेम और माधुर्य से प्रेरित होता है । इसका मूल आधार है पति-पत्नी का पारस्परिक प्रेम । यही प्रेम विकास प्राप्त करता हुआ समाज के धरातल पर अनेक रूपों में प्रस्फुटित होता है । विस्तृत अर्थ में सामाजिक कर्तव्यों का आधारभूत ज्ञान गृहस्थ में ही प्राप्त होता है । मानव-धर्म की शिक्षा का स्थल यही है । यह प्रेम सकुचित भावनाओं से मुक्त होता हुआ अन्य के प्रति अपने दायित्व को पूर्ण करते हुए आत्मसतीत प्राप्त करने का मार्ग है । यदि गृहस्थ अपने कर्तव्यों की पूर्ति में असफल रहे तो यह मधुर भावनाओं का अभाव जीवन को नरक में परिवर्तित कर देता है । फलतः मनुष्य जीवन के एक महत् सुख से वंचित हो जाएगा ।

१. वही, पृ० २०१ ।

२. कहै कबीर हरि नाउ न छोडउं सहजै होइ सु होइ रे ॥—वही, पृ० ६१ ।

३. फूटे नैन हिरदै नहिं सूझै मति एकौ नहिं जानी ।

काम क्रोध तिसनां के मारे बूझि मुएहु बिनु पानीं ॥—वही, पृ० ४१ ।

४. वैदिक सस्कृति और सभ्यता, डा० मुनीराम शर्मा, पृ० १६६ ।

मनुस्मृति में गृहस्थ आश्रम को अन्य तीनों (ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास) आश्रमों का आधार माना गया है।^१ वसिष्ठ स्मृति के अन्तर्गत भी गृहस्थ को अन्य तीनों आश्रमों का मूलाधार स्वीकार किया गया है।^२ मनु गृहस्थ को अन्य आश्रमों के लिए प्राणवायु के सद्गुण मानते हैं।^३ वह तो लौकिक एवं पारलौकिक सुखों की कामना रखने वाले व्यक्ति के लिए गृहस्थ के मार्ग का ही निर्देश करते हैं।^४ याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार जिस घर में दम्पति में अनुकूलत्व होता है वहाँ धर्म, अर्थ और काम की वृद्धि होती है।^५ वसिष्ठ ने गृहस्थ के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए अतिथि-सत्कार,^६ मधुर-भाषण,^७ दान^८ इत्यादि को विशेष महत्त्व दिया है। वसिष्ठ स्मृति में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस प्रकार सभी नदियाँ अन्त में समुद्र में मिलकर स्थिति बनाती हैं उसी प्रकार अन्य आश्रमों का मूलाधार तथा पालक गृहस्थाश्रम ही होता है।^९ इसी प्रकार विषय के विभिन्न धर्मों में गृहस्थ को विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है। ईसाई धर्म में व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य गृहस्थ में रहकर 'धर्म' के मार्ग का ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार किया गया है।^{१०}

- १ यस्मात्प्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम् ।
गृहस्थेनैव धायन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥—मनु० ३।७८ ।
तुलनीय—सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः ।
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठं स त्रीनेतान्बिभर्ति हि ॥—मनु० ६।८६ ।
- २ चतुर्णामाश्रमाणां तु गृहस्थस्तु विशिष्यते ॥—वसिष्ठ स्मृति, २३१ ।
- ३ यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥—मनु० ३।७७ ।
- ४ स सन्धार्यं प्रत्यत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता ।
सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियं ॥—वही, ३।७६ ।
- ५ यत्रानुकूल्यं दम्पत्योस्त्रिभुवस्तत्र वर्धते ।—याज्ञवल्क्य, ७४ ।
तुलनीय—गृहाश्रमात् परो धर्मो नास्ति नास्ति पुनः पुनः ।
सर्वेतीर्थफलं तस्य यथोक्तं यस्तु पालयेत् ॥—वेदव्यासस्मृति, ४।२ ।
- ६ सार्थमागतमतिथिं नावरुन्ध्यात् ।—वसिष्ठ, २२१ ।
- ७ वही, २२६ ।
- ८ वही ।
- ९ चतुर्णामाश्रमाणां तु गृहस्थस्तु विशिष्यते ॥
यथा नदीनदा सर्वे समुद्रे यान्ति सस्थितम् ॥—वही, २३१, २३२ ।
तुलनीय—यथा नदीनदा सर्वे सागरे यान्ति सस्थितम् ।
तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति सस्थितम् ॥—मनु० ६।६० ।

१०. "It remains true that the first of Christian Social duties is to show piety at home and that home must always constitute to be the School of those graces and virtues which men need for effectual Service, whether in the state or in the Church."

गृहस्थ-जीवन (इत्यादि) कीदृश से बल्लुवर प्रवृत्ति-पार्षीय जीवन-दर्शन का प्रतिपादन करते हैं। कविने समाज में गृहस्थ का स्थान सर्वोपरि स्वीकार किया है। गृहस्थ के गृहस्थ का प्रतिपादन करने के उपरान्त उसके कर्त्तव्य-कर्मों का उल्लेख करते हुए उसे धर्म-मार्ग पर अग्रसर होने का संदेश दिया गया है।

ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सत्यास—इन तीनों आश्रमों के मनुष्य गृहस्थ पर अधिकृत हैं अतः धर्म में गृहस्थ की महती आवश्यकता है।^१ इसी प्रकार निराश्रित, निर्धन, और मृतकों का सहायक भी गृहस्थ ही है।^२ जो व्यक्ति धर्मानुसार गृहस्थ जीवन व्यतीत करने में समर्थ है उनके सम्पात्ती होने का क्या लाभ ?^३ धर्मकार्य करने का श्रेष्ठ धर्म गृहस्थ जीवन है, यह जीवन में अन्य सभी आश्रमों से श्रेष्ठ है।^४ ससार में धर्म कार्यों से युक्त सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत करने वाला मनुष्य स्वर्ग के देवता के समान है।^५ बल्लुवर के मतानुसार गृहस्थ अन्य व्यक्तियों को धर्म-पालन में सहायता प्रदान कर उन्हें धर्म-मार्ग पर अग्रसर होने के योग्य बनाता है। इस प्रकार का गृहस्थ जीवन तपस्वियों के जीवन से भी महान् होता है।^६

गृहस्थ को साधु, निर्धन और मृतकों की सहायता करनी चाहिए।^७ उसे पूर्वज, देवता, अतिथि, सम्बन्धी तथा स्वयं के प्रति निरन्तर धर्मानुसृत कार्य करना चाहिए।^८ धन-संग्रह के समय पाप से निरन्तर बचने एवं व्यय करते समय अन्य को खिला कर जीवन व्यतीत करने वाले गृहस्थ का कभी पतन नहीं होता।^९ परिवार में प्रेम और धर्म का आश्रय ग्रहण करने से गृहस्थ को सतीष की प्राप्ति होगी।^{१०} गृहस्थ जीवन नियमानुसार व्यतीत करना चाहिए,^{११} अन्य व्यक्तियों को धर्म-मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना एवं स्वयं भी धर्मानुसृत आचरण करना गृहस्थ का कर्त्तव्य है।^{१२} गृहस्थ जीवन को दोषों से मुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए।^{१३}

१ कुरल—४१।

२ कुरल—४२, तुलनीय—यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः।

एव गृहस्थमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति भिक्षवः ॥—वसिष्ठ, २३३।

एव ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा।

आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विज्ञानता ॥—मनु० ३।८०।

३ कुरल—४६।

४ कुरल—४७।

५ कुरल—५०।

६ कुरल—४८।

७ कुरल—४२।

८ कुरल—४३, तुलनीय : देवतातिथिभूत्यानां पितृणामात्मनश्च यः।

न निर्वपति पञ्चानामुच्छ्वसन्न स जीवति ॥—मनु० ३।७२।

९ कुरल—४४।

१० कुरल—४५।

११ कुरल—४७।

१२ कुरल—४८।

१३ कुरल—४६।

कल्लुवर का संदेश यही है कि इस जीवन का निर्वाह यथायोग्य धर्मानुसार करना चाहिए ।^१

कबीर प्रवृत्तिमार्गीय जीवन के महत्त्व से प्रभावित हैं । उन्होंने रयागी गृहस्थ को हि महत्त्व तथा यथेष्ट मान्यता प्रदान की है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे ससार की नश्वर प्रभावित ही मन को विमुक्त रखने का उपदेश देते हैं पर फिर भी व्यक्तिगत एवं साम्प्रदायिकताओं के कारण गृहस्थ के महत्त्व को वे अस्वीकार नहीं करते ।

गृहस्थ में धर्म-कार्य की अनिवार्य आवश्यकता कबीर को मान्य है—जो ग्रिह करी धरम कर ।^२ गृहस्थ का चित्त उदार होना चाहिए ।^३ साधु और हरि में कोई अन्तर नहीं । साधु का आचर एव हरि की सेवा करना गृहस्थ का धर्म है । यदि ऐसा नहीं तो वह घर म के समान है ।^४ परिवार का पालन-पोषण स्वयं मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है, पर यदि व्य अपनी समस्त शक्ति इसी में लगा दे तो आरिभक विकास के मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे अतः क का संदेश है कि मनुष्य धवा करते हुए ही अपने सम्पूर्ण जीवन को व्यतीत न कर दे, जीवन उच्चतर सोपानो की ओर अग्रसर होने का भी प्रयास करे ।^५ वे गृहस्थ को इस मार्ग के सोपान के रूप में स्वीकार करते हैं ।

मनुष्य को वश, जाति, अथवा सम्पत्ति इत्यादि का गर्ब नहीं करना चाहिए क कुछ भी तो अनवर नहीं । यदि कुल का गर्ब करे तो समान ले जाने पर उमका गर्ब र चूर हो जाएगा ।^६ अगर समाज का गर्ब करे और सत्य-मार्ग से विमुख हो जाए तो भी भू क्योंकि दुनिया किसी का साथ नहीं देती, अत व्यक्ति 'गाफिल' होकर अपने पांव पर कुल् क्यो मारे ?^७

धन का संग्रह कबीर जैसे फक्कड सत को भला कैसे रहता ? उन्होंने समाज के लोभी गृहस्थ व्यक्तियों को कड़ी चेतावनी दी है । ससार के सम्बन्ध नवर हैं, जब तक नहीं आती तभी तक सबका सम्बन्ध है, 'मरहट लौं सभ लोग कुटुब भयो आगे अकेला ।'^८ पर इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि मनुष्य जीवन के कार्यों से विमुख हो ज कबीर तो यह मानते हैं कि मनुष्य निर्लिप्त भाव से अपने कर्म में रत रहे, खोम, मोह, क

१ कुरल—५० ।

२ कबीर प्रथावली (पा० नि० ति०) पृ० १६० ।

३ बैरागी बिरकत भला, गिरही चित्त उदार ॥ —वही, पृ० १६५ ।

४ जिहि घरि साध न पूजिए, हरि की सेवा नाहि ।
ते घर मरहट सारिखे, भूत बसै तिन माहि ॥

—वही, पृ० १५३ ।

५ राम नाम जाना नहीं, पासा कटक कुटुब ।

धधा ही मैं भरि गया, बाहरि भई न बब ॥ —वही, पृ० १८७ ।

६ तब कुल किसका लाजसी जब ले घरहि मसानि ॥ —वही, पृ० १८६ ।

७ दीन गवाया दुनीं सौ दुनी न चाली साथि ।

पांव कुहाडी मारिया गाफिल अपने हाथि ॥ —वही, पृ० १८६ ।

८ ज्यो भाबी सहनै नाहि बिहुरै जोरि-जोरि धन कीन्हा ।

—वही, पृ० ४० ।

जीव इत्यादि से मुक्त रहता हुआ निष्काम कर्म में प्रवृत्त रहे, क्योंकि मोह की स्थिति होने पर कष्ट की प्राप्ति होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि इस 'मोह' एवं 'ममत्व' की भावना से मुक्त रहने का सदैव अनेक स्थलों पर दिया गया है।^१ गृहस्थ को त्याग निश्चुतिमार्गीय जीवक ग्रहण करने का निषेध भी कबीर ने किया है। गृहस्थ त्याग करना तभी लाभप्रद है जब विषयों का त्याग हो सके। यदि मानव गृहस्थ में रहकर ही विषय-त्याग कर ले तो यहीं सफलता प्राप्त कर सकता है। सम्भवतः इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने कहा—

मिह तबि बनखडि जाइअं बुनि खाइअं कदा ।

अजहु विकार न छोड़ई पापी मनु मंदा ॥^२

कबीर कहते हैं कि 'कुछ धिर न रहाई'^३ अतः मनुष्य को गृहस्थ में लिप्त नहीं होना चाहिए—

भूठा लोग कहै घर मेरा ।

जा घर माहँ बोलै डोलै, सोई नहीं तन तेरा ॥

बहुत बध्या परिवार कुटुंब में, कोई नहीं किस केरा ।^४

जैसे पदों में गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी निर्लिप्त रहने का सदैव देते हुए कबीर मूलतः ससार की नश्वरता से प्रभावित हैं। 'तुया का बदन देखि सुख पावै, साध की सगति कबहू न आवै'।^५ 'पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया। इनते कहु कौन सुख पाया।'^६ 'पुत्र कलत्र लच्छमी माया इहै तजहु जिय जानी रे।'^७ इत्यादि के मूल में गृहस्थ की अस्वीकृति नहीं अपितु अत्यधिक लिप्त होकर जीवन-यापन की अस्वीकृति है। सत्य तो यह है कि यह ससार 'धुवरि मेह' है यहाँ 'तन धन जोवन अजुरी कौ पानी जात न लागै बार'^८ अतः गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी कबीर का सदेश यही है कि 'जग सू प्रीति न कीजिये'।^९ कबीर इसी तर्क को आगे बढ़ाते हैं कि 'एक कनक अरु कामनी, जग में दोइ फदा। इनपै जो न बैधावई, ताका मैं बन्दा।'^{१०}

१ तुलनीय एक प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ।

एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥—मनु० ४।२४० ।

एव नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठत ।

न पुत्रदारा न ज्ञातिर्घर्मंस्तिष्ठति केवल ॥—मनु० ४।२३६ ।

एव (क) लाज न मरहु कहहु घर मेरा ।

अत की बार नहीं कछु तेरा ॥—कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० ४६ ।

(ख) मात पिता बनिता सुत सपति अति न चले संगत ॥—वही, पृ० ४४ ।

२ वही, पृ० २३ ।

३ कबीर प्रथावली, पृ० ६१ ।

४ वही, पृ० १२५ ।

५. वही, पृ० १२६ ।

६ वही, पृ० २०५ ।

७ वही, पृ० २०८ ।

८ वही, पृ० १४५ ।

९ वही, पृ० ११३ ।

१० वही, पृ० ११३ ।

संक्षेप में कबीर गृहस्थ की महत्ता को नो मान्यता देने हैं, पर निष्काम कर्म में प्रवृत्त होने का संदेश देते हुए, गृहस्थ से धर्म-मार्ग पर अग्रसर होने की आशा करते हैं। सत्सर की मधुवर्षता का उल्लेख उनके काव्य में मुखर है। अतः गृहस्थ सम्बन्धी कथनों में 'मधुवर्षा' का उल्लेख उनके काव्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति का स्रोतक है।

गृहस्थ

पत्नी

प्रवृत्ति मार्ग और गृहस्थ अभिन्न-प्राय है और गृहस्थ का आधार सहर्धामिणी एव सतति है। अतः इस सदर्भ में सहर्धामिणी के सम्बन्ध में विचार होना उचित है। विवाह के पश्चात् पत्नी का घर के साथ तादात्म्य स्थापित होता है। इस घर में उसके कर्तव्यों एव अधिकारों का उल्लेख वेद, स्मृति एव अन्य नीति-ग्रन्थों में हुआ है। ऋग्वेद में स्त्री को इवसुर, सास, ननद और देवरो की सम्प्राप्ति होने का आशीर्वाद है।^१ अथर्ववेद में पत्नी को 'रथ की धुरी' कहकर गृहस्थ का आधार माना है।^२ शतपथ ब्राह्मण पत्नी को गृहस्थ की प्रतिष्ठा मानता है।^३ पत्नी घर के कार्यों को नियमपूर्वक सम्पन्न करने वाली है।^४ वह व्यवस्थाकारिणी है।^५ मनु ने पति की आय का सग्रह और सगृहीत धन इत्यादि के उचित रीति से व्यय करने का अधिकार गृहिणी को प्रदान किया है।^६ मनु का मत है कि जो स्त्री मन, वचन और शरीर को सयत रखती हुई, पति का उल्लेख नहीं करती वह इम लोक में पतिव्रता कहलाती है और मृत्यु उपरान्त पतिलोक को प्राप्त करती है।^७ दक्ष स्मृति में पत्नी को घर का मूल माना गया है। यदि भार्या वश में हो तो गृहस्थाश्रम के तुल्य कुछ नहीं।^८ स्नेह-युक्त और इच्छा के अनुकूल पत्नी के द्वारा धर्म, अर्थ, काम त्रिवर्ग का फल प्राप्त होता है।^९ गृह का निवास सुख के लिए होता है और घर के सुख का मूल पत्नी ही है।^{१०} यजुर्वेद में, पत्नी के साथ, सौ वर्ष तक कर्तव्य-कर्म करने के लिए गृहपति की प्रार्थना है।^{११} स्त्री की महत्त्वपूर्ण स्थिति, उसके अद्विगिनी रूप की स्वीकृति उपनिषद् और ब्राह्मण ग्रन्थों में उल्लिखित है।^{१२}

१. सम्प्राप्ति इवसुरे भव सम्प्राप्ति इवश्रुवां भव ।
ननान्दरि सम्प्राप्ति भव सम्प्राप्ति अधि देवेषु ॥—ऋग्वेद, १०। ८५।४६।
२. अथर्ववेद, १४।१।६१।
३. गृहा वै पत्न्यै प्रतिष्ठा ॥—शतपथ ब्राह्मण ।
४. 'सुयमा गृहेभ्य'—अथर्ववेद १४।२।१७।
५. यन्त्री राड्यन्भ्यस्त्रियमनी ध्रुवासि धरित्री ।—यजुर्वेद, १४।२२।
६. अर्थस्य सग्रहे चैना व्यये चैव नियोजयेत् ॥—मनु० ६।११।
७. पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसयता ।
सा भर्तृलोकान्प्राप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥—मनु० ६।२६।
८. 'पत्नी मूल गृहम्' गृहाश्रमसम नास्ति यदि भार्या वशानुगा ॥
तथा धर्मार्थकामानां त्रिवर्गफलमश्नुते ।—दक्षस्मृति ४।१, २।
९. प्राकाम्ये वर्त्तमाना तु स्नेहान्नु निवारिता ॥—वही, ५।२।
१०. गृहवास सुखार्थाय पत्नी मूल गृहे सुखम् । वही, ४।७।
११. अश्रुरिणी गार्हपत्यानि सन्तु प्रातथु हिमा ॥—यजुर्वेद, २।२७।
१२. देखें, बृहदारण्यक, १।४।१७, शतपथ, ५।२।१।१० इत्यादि ।

स्त्री की रक्षा उसका अपना आत्मसंबंध है। कोई अनुपम शक्ति से स्त्री को बसा में नहीं कर सकता। 'यः कश्चिन्नोचितः शक्तः प्रसह्य परिवर्तितुम्'^१ परन्तु 'आत्मानमारमना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः'^२ सत्ताव की उत्पत्ति, पालन पोषण, लौकिक नियम का प्रत्यक्ष प्रसाज स्त्री ही है।^३ मनु ने पर-पुरुष से सम्बन्ध रखने वाली स्त्री, की निन्दा की है, 'व्यभिचारानु भवुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्दताम्'^४।

तिरुवल्लुवर के सहस्रमिणी के गुण (वाङ्मकौतुपीनलम्) शीर्षक अध्याय में पत्नी के लिए उचित कर्तव्यों का विश्लेषण और गृहस्थ में उसके महत्त्व का प्रतिपादन हुआ है। तिरुवल्लुवर ने अपने युग विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रख जी आदर्श प्रतिपादित किया, वह आज भी अक्षरशः स्वीकृत किया जाता है। जीवन-समिनी परिवार की भयंका के अनुसार सद्गुणों से सम्पन्न हो। पति की आय के अनुसार ही व्यय करवात पत्नी का धर्म है।^५ प्रातः काल उठकर पति की पूजा करने वाली स्त्री प्राकृतिक शक्तियों को नियमित करने में समर्थ होती है।^६ आदर्श पत्नी वही है जो अपने सतीत्व की रक्षा करे, पति की सुविधाओं का ध्यान रखे, मध्याह्न परिवार के भय और गौरव की रक्षा करे तथा अपने पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करे।^७

स्त्री के चरित्र की रक्षा बाह्य बन्धनों से नहीं, अपितु अपने इन्द्रिय-निग्रह से ही सम्भव है।^८ अपने पति का निष्ठापूर्वक आदर करने वाली स्त्री स्वर्ग का समस्त वैभव सहज ही प्राप्त करती है।^९ पत्नी के सुचरित्र के अभाव में पति अपमानित करने वालों के समक्ष सिंह सदृश सिर ऊचा कर नहीं चल सकता।^{१०} घर की मांगलिक शोभा है गृहदेवी का सद्गुण और उसका अलंकरण है—सुपुत्र।^{११} तिरुवल्लुवर गार्हस्थ्य जीवन में दृढ सतीत्व-धर्म से युक्त पत्नी से अधिक महान् कुछ नहीं मानते।^{१२} यदि स्त्री धर्म-परायण है तो परिवार में निर्धनता का वास सम्भव नहीं, इसके विपरीत यदि पत्नी सद्गुण रहित है तो किसी का जीवन कितना ही श्रेष्ठ क्यों न

१ मनु० ६।१०।

२ मनु० ६।१२।

३ उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्।

प्रत्यह लोकयात्राया प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम् ॥ —मनु० ६।२७।

४ मनु० ६।३०।

५ कुरल—५१, तुलनीय—सदा प्रहृष्टया भाव्य महकार्येषु दक्षया।

सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ —मनु० ५०१

६ कुरल—५५।

७ कुरल—५६।

८ कुरल—५७; तुलनीय—मनु० ६।१२।

९ कुरल—५८, तुलनीय—मनु० ५।१६५।

१० कुरल—५९।

११ कुरल—६०।

१२ कुरल—५४, तुलनीय—यदा धर्मैव भार्या च परस्परवशानुगौ।

तदा धर्माधिकारानां त्रयाणामपि समम् ॥ —सहा० वन०।

हो, सब व्यर्थ है।^१ यदि पत्नी सद्गुणों से युक्त है तो और क्या चाहिए? यदि वह गुणरहित है तो शेष ही क्या रहा? जीवन संगिनी यदि गुण-रहित हो तो गृहस्थ की सफलता असम्भव है।

स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म का निर्देश कबीर ने एकाधिक स्थलों पर किया है। वे व्यभिचार की घोर निन्दा करते हैं, व्यभिचार करनेवाली स्त्री पति के आदर से वंचित हो जाती है।^२ कबीर की इस सम्बन्ध में उक्तिया यद्यपि जीव परमात्मा के सम्बन्ध में हैं, पर सामाजिक व्यवहार का निर्देश स्वतः ही हो गया है। नारी का अपने पति के अतिरिक्त किसी के साथ सम्बन्ध रखना व्यभिचार है, पति भला इससे प्रसन्न कैसे हो सकता है?^३ कबीर ने प्रेम-सम्बन्ध में एकनिष्ठता को मान्यता दी है, दूसरा वहा समा ही नहीं सकता।^४ पतिव्रता स्त्री का समस्त दायित्व कबीर पति पर छोड़ते हैं क्योंकि 'पतिबरता नांगी रहै, तो उसही पुरिख कौं लाज।'^५ सती स्त्री अपना सर्वस्व प्रिय को अर्पित कर सम्पूर्ण अन्तरात्माको समाप्त कर देती है।^६ कामिनी की निन्दा करते हुए 'पतिबरता' पर वह कोटिश रूपवर्तियों को न्योछावर करते हैं।^७

सहस्रमिणी के विषय में वल्लुवर और कबीर के विचारों की तुलना से दो तथ्य स्पष्ट होते हैं। दोनों कवि स्त्री के चरित्र और पति के प्रति उसकी अनन्यता एवं एकनिष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। इस विषय में दोनों कवि पूर्ण रूप से एकमत हैं। दूसरी विशेषता है वल्लुवर के द्वारा स्मृति-ग्रन्थों के समान स्त्री के पारिवारिक कर्तव्यों का निर्धारण। गृहकार्य, व्यय, सन्तानोत्पत्ति, इत्यादि कर्तव्यों का उल्लेख 'वाळकैत्तुणैलम्' अध्याय में हुआ है। कबीर आध्यात्मिक भावना से प्रेरित हो 'जीव' ('सुन्दरी'),^८ 'पतिबरता',^९ 'नारि'^{१०} और 'पर-

१ कुरल—५२।

२ कुरल—५३, तुलनीय—आनुकूल्य हि दम्पत्योस्त्रिवर्गोदयहेतवे।

अनुकूल कलत्र चेत् त्रिदिवेन हि किं तत ?

प्रतिदूल कलत्र चेत् नरकेया हि किं तत ?

गृहाश्रय सुखार्थाय पत्नीमूल हि तत्सुखम् ॥

—प० पु० २२३।३६-३७, (कल्याण-धर्मांक, पृ० ६०३)।

३ कबीर जे कोइ सुदरी, जानि करं बिभिचारि।

ताहि न कबहु आदरै, परम पुरिख भरतार ॥

—कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० १७७।

४ नारि कहावै पीव की, रहै और सग सोइ।

जार मीत हृदया बसै, खसम खुसी क्यों होइ ॥—वही, पृ० १७५।

५ कबीर रेख सिदूर की, काजर दिया न जाइ।

नैननि प्रीतम रमि रहा, दूजा कहा समाइ ॥—वही, पृ० १७६।

६ वही, पृ० १७६।

७. 'तन मन सौपा पीव कौ, अतरि रहि न रेख।—वही, पृ० १८२।

८ पतिबरता मेली भली काली कुचिल कुरूप।

पतिबरता के रूप पर बारो कोटि स्वरूप ॥—वही।

९ वही, पृ० १७७।१५।

१० वही, पृ० १७६।८।

११ वही, पृ० १७५।५।

मात्मा' ('बीज'^१ 'ब्रह्म'^२ 'पुत्रित्व'^३ 'प्रीति'^४ 'सौह'^५ 'वरदार'^६) के सम्बन्धों का वर्णन लोक-जीवन के प्रतीकों के माध्यम से करते हैं। इसमें स्त्री के कर्तव्यों का उल्लेख प्रत्यक्ष हो जाता है। कबीर का पति-व्रती सम्बन्ध विषयक दृष्टिकोण स्पष्ट है। पुरुष को परकीया-प्रेम की अनुपति नहीं, स्त्री को पर-पुरुष से सम्बन्ध करने का अधिकार नहीं। पतिव्रता की एकात्मिक को अत्यन्त आदर-भाव से देखते हुए कबीर कहते हैं—

नैनं अतिरि आव तू, ज्यू हीं नैन रंभेउं।

ना हीं देखीं और कू, नां तुफ देखन देउं ॥^७

कबीर के अप्रस्तुत इस विषय की स्थिति अनेक स्थलों पर स्पष्ट करते हैं—

'जिन दिल बधी एक सू, ते सुखु सोवी नबीत',^८ 'नैनुं रमइया रमि रखा, दूजा कहां समाइ',^९ 'जि हँसि बोलीं और सौं, तौं नीख रंगाऊं बंत'^{१०} इत्यादि स्थलों में पतिव्रता नारी और एकमिष्ठ पुरुष की धारणा की स्वीकृति है।

सतति

'मकडपेर' अर्थात् 'पुत्र-प्राप्ति' अध्याय के अन्तर्गत बल्लुवर ने सन्तान-प्राप्ति, पुत्र का कर्तव्य, वात्सल्य का जीवन में स्थान इत्यादि का वर्णन किया है। उनके मतानुसार विद्वान् सतति ससार की सर्वोत्तम उपलब्धि है।^{११} निष्कलक तथा सच्चरित्र सतान से मनुष्यों को अनेक जन्मों तक कुकर्मों से मुक्ति मिल जाती है।^{१२} सतति ही किसी की सम्पत्ति होती है, पर बल्लुवर सतान-प्राप्ति पुण्य-कर्मों के फलस्वरूप ही स्वीकार करते हैं।^{१३} पुत्र का कर्तव्य यही है कि वह अपने कर्मों द्वारा लोगों के मुख से यह कहलवाए कि न जाने किस तप के प्रभाव से इसके पिता को इस पुत्र की प्राप्ति हुई।^{१४} पिता पुत्र के प्रति सर्वोत्तम उपकार यही कर सकता है कि उसे

१ कबीर प्रथावली, (पा० ना० ति०) पृ० १७५।५।

२ वही, पृ० १७५।५।

३ वही, पृ० १७७।१५, १७६।८।

४ वही, पृ० १७६।१३।

५ वही, पृ० १७६।१४।

६ वही, पृ० १७७।१५।

७ कबीर प्रथावली, पृ० १४।

८ वही, पृ० १५।

९ वही, पृ० १४।

१० वही, पृ० १४।

११ कुरल ६१।

१२. कुरल ६२, तुलनीय—लोकान्तरमुखं पुण्य तपोदानसमुद्भवम्।

सन्तति शुद्धवश्या हि परत्रेह च शर्मणे ॥

—रघुवश कालिदास, १।६६।

१३ कुरल ६३।

१४ कुरल ७०।

विद्वमण्डली में प्रथम पवित्र में बैठने योग्य बना दे ।^१ इस विशाल धरती पर सन्तानों के बुद्धि में अपने से बड़ ऋतुकर होने से प्रत्येक मनुष्य आनन्दित होता है ।^२ लोगों के मुख से पुत्र की विद्वेता की प्रशंसा सुनकर माता का आनन्द पुत्र-जन्म के समय हुए आनन्द से भी बड़ जाता है ।^३ शिशुओं के स्पर्श से शरीर को, और उनके तोतले शब्दों से कानों को आनन्द प्राप्त होता है ।^४ 'पिपहरी (कुडल) मधुर है, वीणा (याळ) मधुर है' ऐसा बही कहते हैं जिन्होंने अपने बच्चों की तोतली वाणी का आस्वादन नहीं किया ।^५ बच्चों के कोमल हाथों से जिस भोजन में खिल-वाड़ हुआ हो, माता-पिता के लिए वह अमृत से भी अधिक मधुर होता है ।^६ सति के विषय में कबीर के कथन अल्प हैं । ससार की नश्वरता एव जीवन की असारता का दृष्टिकोण उनके कथनों को इस सीमा तक प्रभावित करता है कि वे पुत्र-जन्म के अवसर पर मागलिक आनन्दोत्सवों को भी व्यर्थ मानते हैं ।^७ रावण के एक लाख पुत्र और सवा लाख नाती थे पर 'ता रावन बरि दिया न बाती' ।^८ कबीर अपने पुत्र की व्यापार-बुद्धि को भी कोसते हैं । उनकी दृष्टि में आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करने वाला पुत्र ही काम्य है । 'बूडा वश कबीर का उपज्यो पूत कमाल' का कारण उन्होंने यही माना है । कमाल ने हरि का स्मरण छोड़कर अपनी व्यावहारिक बुद्धि से लोक के पार्थिव आकर्षणों को महस्व प्रदान किया ।^९ माता भी वही धन्य मानी गई जिसका पुत्र 'ज्ञान' की आराधना में रत है, 'जिह कुन पूत न ज्ञान बिचारी, बिधवा कस न भई महतारी'^{१०} मे कवि का स्वर इसी कारण इसना तीव्र हो गया है । प्रभु को जननी और स्वयं को पुत्र मान कर किए गए कुछ वर्णनों का उल्लेख 'तिरुवल्लुवर एव कबीर काव्य मे सामाजिक अभिव्यक्ति' (पंचम अध्याय) के अन्तर्गत हुआ है । तिरुवल्लुवर की व्यावहारिक दृष्टि के फलस्वरूप सामाजिक जीवन में परिवार और उसमें कोमल भावों के आधार 'पुत्र' का उल्लेख सामान्य जीवन के सदर्म में हुआ है । कबीर की आध्यात्मपरक दृष्टि में 'कौन पूत को काकी बाप, कौन मरै कौन करै सताप'^{११} का स्वर प्रमुख है ।

धर्म और निवृत्ति मार्ग

भारतीय शास्त्र, साहित्य एव जनजीवन में प्रवृत्ति-मार्ग के महत्त्व पर अनेक स्थलों पर विचार प्रस्तुत हुए हैं । जीवन को चार आश्रमो-ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास में

- १ कुरल ६७ ।
- २ कुरल ६८ ।
- ३ कुरल ६९ ।
- ४ कुरल ६५ ।
- ५ कुरल ६६ ।
- ६ कुरल ६४, तुलनीय तं० ब्रा० ३।३।१०, शतपथ ब्रा० ५।२।१०, १२।८।२६, ३।३।१।१०, तं० स० ६।२।१, अथर्व० १।६।१२० ।
- ७ कबीर ग्रथावली, पृ० २०३ ।
- ८ वही, पृ० ६१ ।
- ९ वही, पृ० २०० ।
- १० वही, पृ० २२० ।
- ११ वही, पृ० ६० ।

विभक्त करने वाली विचारधारा क्रमशः भोग से त्याग की ओर, कामना से निष्कारण की ओर, लौकिक ज्ञानन्वय से पारलौकिक आनन्द की ओर गे जानेवाली है। इस विचारधारा का प्रभाव जीवन पर अनेक रूपों में हुआ। प्रवृत्ति-मार्ग के एक सोपाय के रूप में संन्यास अथवा त्याग के महत्त्व पर तो सदा ही विचार होता रहा है, पर समय-समय पर ससार के भोग का ऐकात्मिक त्याग कर, संन्यास-मार्ग को ग्रहण करने का भी संदेश प्रस्तुत किया गया है। बल्लुवर ने ब्रह्म-विभाजन को स्पष्टतः स्वीकार किया है,^१ गृहस्थ और प्रवृत्तिमार्गीय जीवन को प्रथम स्थान प्रदान किया।^२ इसके अतिरिक्त वानप्रस्थ और संन्यास को स्वीकार करते हुए त्याग के महत्त्व का प्रतिपादन किया। तप और त्याग को श्रेयस्कर मानते समय कवि के समक्ष समक्षत किसी निवृत्तिमार्गीय दर्शन का चित्र भी रहा होगा, पर इनके काव्य के स्वर तप को श्रेष्ठ स्थान न दे, उसे गौण मानते हैं। निवृत्ति-मार्गीय जीवन के लिए भी कर्त्तव्याकर्त्तव्य का निर्देश करने के उद्देश्य से ही इस विषय पर विचार हुआ है।

कष्ट का कारण है आसक्ति, अत आसक्ति-त्याग से ही मनुष्य कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस ससार की नश्वरता का ज्ञान ही जाने पर आसक्ति का त्याग होने की स्थिति आती है। 'तुरवु'^३ वीर्षक अध्याय में भौतिक वस्तुओं से निरासक्त होने का संदेश है। बल्लुवर का मत है कि जिस वस्तु से मनुष्य अपनी आसक्ति हटा लेता है, उससे उसे कष्ट नहीं होता।^४ त्याग से अनेक इच्छित फल प्राप्त होते हैं, अत अवसर रहते मनुष्य को सासारिक भोगों का त्याग कर देना उचित है।^५ पञ्चेन्द्रिय-दमन एव तत्सम्बन्धित पदार्थों का त्याग काम्य है।^६ तप का मूल लक्षण है 'सासारिक पदार्थों का त्याग', अधनयुक्त व्यक्ति वासना के बशीभूत रहेगा।^७ विद्वानों के मतानुसार कष्ट से मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति के लिए शरीर-बन्धन ही बहुत है।^८ 'अहम्' और 'मम' का बन्धन त्याग देनेवाला मनुष्य स्वर्ग से भी उच्च स्थान प्राप्त करेगा।^९ जो मनुष्य भौतिक पदार्थों से सम्बन्ध रखेगा, उसे कष्ट प्राप्त होगा।^{१०} जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति सर्वस्व-त्यागी ही करते हैं, अन्य व्यक्ति तो मोह-पाश में बद्ध विवश पड़े रहते हैं।^{११} मोह की समाप्ति होते ही आवागमन-चक्र समाप्त हो जाएगा अन्यथा नश्वरता विद्यमान रहेगी।^{१२} बल्लुवर ने परम 'वीतराग' प्रभु की कामना करने का उपदेश देते हुए मोह से मुक्ति

- १ कुरल ४१।
- २ कुरल ४१ से ५० तक।
- ३ जीवन के आनन्द, भोगादि का त्याग, संन्यासम्, तमिल लेक्सिकन, पृ० २००४।
- ४ कुरल ३४१, तुलनीय यथा यथा च पर्येति लोकतन्त्रमसारवत्।
तथा तथा विरागोत्र जायते नात्र सशय ॥—महा०।
- ५ कुरल ३४२।
- ६ कुरल ३४३।
- ७ कुरल ३४४।
- ८ कुरल ३४५।
- ९ कुरल ३४६।
- १० कुरल ३४७।
- ११ कुरल ३४८।
- १२ कुरल ३४९; तुलनीय प्रवृत्तं कर्म ससेव्य देवानामेति साम्यताम्।
निवृत्त सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वै ॥—मनु० १२।९०।

के लिए उससे सम्बन्ध स्थापित करने का मार्ग दर्शाया है।^१

इस विषय को नद्वर जान, कबीर भी इसके विषय भोगो से विरक्त रहने का उपदेश देते हैं। 'अहम्' और 'मम' का अहंकार भूटा है।^२ जब तक यह अहंकार और लिप्तावस्था विद्यमान है, एक भी कार्य सफल नहीं होगा।^३ ससार से मुक्ति पाने का मार्ग यह है कि मनुष्य विकारों को त्याग दे।^४ वैराग्य लेने पर मनुष्य को समस्त भौतिक पदार्थों से निर्लिप्त हो जाना चाहिए, यदि गृहस्थ हो तो उदार-हृदय हो, यदि ऐसा न होगा तो न इधर के रहेंगे और न उधर के, 'माया मिली न राम' की दशा होगी।^५ 'मोर' और 'तोर' का सारा बंधन भूटा है पर ससार उसी में उलझा हुआ है।^६ इस ससार में मनुष्य का अपना कुछ नहीं, और जो अपना नहीं उसे उसके स्वामी को सौंप देने में ही भलाई है।^७ 'मोर' 'तोर' के रस्से में बंधे हुए मनुष्य इस सत्य को नहीं समझते और मार्ग से भटक जाते हैं।^८ आवश्यकता इस बात की है कि सत्य को समझा जाए।

संन्यासी के धर्म का प्रतिपादन करते हुए बल्लुवर तप का निर्देश करते हैं। उनके अनुसार तप का लक्षण है—'स्वयं सभी कष्ट वर्यपूर्वक सहन करना और दूसरों को कोई कष्ट न देना।'^९ कवि ने तप, दया और अहिंसा में विशेष अन्तर नहीं माना। तप में प्रवृत्त होना पूर्व-जन्म के कर्मों के फलस्वरूप ही सम्भव है, अन्यथा मनुष्य इसमें सफल नहीं हो सकता।^{१०} तपस्वी का जीवन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, गृहस्थ तप में इसीलिए प्रवृत्त नहीं होते कि उन्हें तपस्वी की आवश्यकताओं की पूर्ति का महत् कार्य करना है।^{११} तपस्या से मनुष्य अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त करता है, वह दुराचारी पापियों का नाश और सत्कर्म में प्रवृत्त सज्जनों की उन्नति कर सकता है।^{१२} तप के प्रभाव से इच्छित वस्तु सहज ही सुलभ हो जाती है। अतः तत्काल ही तप में लग जाना उचित है।^{१३} कर्म तो केवल तपस्वी ही कर रहे हैं, अन्य तो तृष्णा-

१ कुरल ३५०।

२ कहां कबीर सुनो रे सती मेरी मेरी भूठी ॥

—कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० ३८।

३ जब लगि मेरी मेरी करे तब लगि काजु एक नहिं सरै ॥—वही, पृ० ४२।

४ करि बिचार विकार परिहरि तरन तारन सोइ ॥—वही, पृ० ४०।

५ बैरागी बिरक्त भला गिरही चित्त उदार ॥

दोऊ बूकि खाली पडै ताको वार न पार ॥—वही, पृ० १६५।

६ मोर तोर मह जर जग सारा ' ' ' ॥

—वही, पृ० १२७।

७ मेरा मुझ में किछु नहीं, जो किछु है सो तेरा ॥

तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे मेरा ॥—वही, पृ० १६१।

८ ' ' ' मोर तोर की जेवरी गलि बधा ससार ॥—वही, पृ० २१४।

९ कुरल २६१।

१० वही, २६२।

११ कुरल २६३।

१२ कुरल २६४, तुलनीय—यदुदराय दुरावनाय दुराधर्मं दुरन्वयम्।

तत्सर्वं तपसा साध्य तपोहि दुरतिक्रमम् ॥—महा०।

१३ कुरल २६५।

वश व्यर्थ कार्यों में लिप्त हैं।^१ स्वर्ण तप कर कुन्दन बनता है, इसी प्रकार कष्टों को भोग कर तपस्वी की प्रकृति विशुद्ध बनती है।^२ आत्म-वियोग 'तप' का भूज आधार है, ऐसे आत्म-संघर्षी तपस्वी की वन्दना सम्पूर्ण विश्व आदर-सहित करता है।^३ तपस्या से आत्मिक बल की उपलब्धि होती है जिससे मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करना सम्भव है।^४ तपस्या से अर्थात् समाप्त हो जाते हैं, तपस्या कर्म करने वाले अल्पसंख्यक हैं, इसीलिए विश्व में समूह व्यक्ति कम संख्या में हैं।^५

विभिन्न प्रवृत्तिमार्गीय सिद्धान्तों का प्रतिपादक कवि 'तप' जैसे निवृत्ति-परक धर्म को इतना महत्त्व दे रहा है, इसका कारण 'तप' के अर्थ के विषय में तिरुवल्लुवर का नवीन दृष्टिकोण भी है। तिरुवल्लुवर की तपस्या जीवन से हट कर करने वाला कार्य नहीं। किसी को कष्ट न देना, स्वयं कष्ट सहन करना, कष्ट सहन कर स्वप्रकृति विशुद्ध करना एवं इन्द्रिय नियन्त्रण द्वारा आत्मिक बल प्राप्त करना ही तिरुवल्लुवर के 'तवम्' का मार्ग है।

कबीर ने 'तप' शब्द का प्रयोग कम किया है, पर जिस विशिष्ट अर्थ में वल्लुवर ने 'तवम्' का प्रयोग किया है उस भावना से युक्त अनेक उक्तियाँ कबीर-काव्य में उपलब्ध हैं। इन्द्रियों को वश में करना, दूसरे को कष्ट न देना, स्वयं कष्ट सहन करना—यह तो कबीर के काव्य का मुख्य विषय है। जीवन में कष्ट सहन करने और आन्तरिक पवित्रता पर कबीर विशेष बल देते हैं। उनका मत यह है कि 'हरि' की प्राप्ति चतुराई से नहीं होती, जो मनुष्य निष्काम भाव से उसकी शरण में जाएगा, वह उसे प्राप्त करेगा।^६ मनुष्य को यदि इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके हृदय में व्याकुलता का होना अनिवार्यतः आवश्यक है।^७ अपनी इन्द्रियों को वश में कर लेने वाला मनुष्य ही सत है, वह निष्काम होता है, एवं विषयों से दूर रहता है।^८ जिस तपस्वी ने अपने मन को वश में नहीं किया, आशा और तृष्णा का त्याग नहीं किया, उसे दुःख की प्राप्ति होगी।^९ जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उसका तो जन्म ही

१ कुरल २६६।

२ कुरल २६७।

३ कुरल २६८।

४ कुरल २६९, तुलनीय—सचरन्ति तपो घोर व्याधिमृत्यु विवर्जित।

स्ववशादेव ते मृत्यु भीषयन्ति च नित्यश ॥ —महा०।

५ कुरल २७०।

६ चतुराई हरि ना मिलै, यह बाता की बात।

निसप्रेही निरधार का, माहक दीनानाथ ॥

—कबीर प्रयावली (पा० ना० ति०), प० २२३।

७ पीव न उपजै जीव में तो क्यू पावै करतार ॥

—वही, पृ० २१५।

८ निरबैरी निहकामता, साईं सेती नेह।

बिखया सौ न्यारा रहै, संतनि का अग एह ॥—वही, पृ० १५६।

९ योगी दुखिया जगम दुखिया तपसी कौं दुख भूना हो।

आसा तिसना सब कौं ब्यापे कौई महल न सुनां हो ॥—वही, पृ० ५३।

बुधा हो गया।^१ तपस्वी के लिए बाह्य वेशभूषा होना अनिवार्य नहीं। वास्तविक महत्त्व तो मनुष्य की आन्तरिक पवित्रता और 'नाम' का है। अतः बलकल-वस्त्र पहन कर बन के मध्य वास करने का क्या लाभ? स्वयं को 'ग्यानी', 'त्यागी', 'इन्द्रियजित', 'जोगी', 'भोगी', 'दाता', 'तपस्वी' कहने वाले सभी झूठे हैं क्योंकि सभी अहंकार-लिप्त हैं और आत्मतत्त्व को किसी में नहीं जाना।^२ कबीर अहम् के त्याग और आत्मतत्त्व के ज्ञान को प्रथम स्थान देते हैं क्योंकि ऐसा हो जाने पर चित्त विषयो में नहीं जाता और यही सबसे बड़ा तप है।^३ वह इन्द्रिय-नियंत्रण एवं निष्काम कर्म को तप के ही सदा महत्त्वपूर्ण मानते हैं। बाह्य आडम्बर में लगा व्यक्ति केवल स्वयं को छल सकता है, अन्तर्यामी प्रभु को नहीं। इसी प्रकार अहंकार के कारण स्वयं को कर्म का कर्ता मानने वाला कर्म-बन्धन में फस, सत्य-मार्ग से भटक जाएगा। कष्टों को झेलकर आत्मिक विकास प्राप्त करना ही सत्य-मार्ग की ओर अग्रसर करेगा। जिसका मन सच्चा है, प्रभु उसके निकट ही निवास करते हैं। इस प्रकार तप के अन्तर्गत कबीर मानसिक पवित्रता और निष्काम कर्म को महत्त्व देते हैं।

तिरुवल्लुवर और कबीर के काव्य में 'तप' विशिष्ट अर्थ में आया है। सासारिक दायित्वों की पूर्ति करते हुए, जीवन का त्याग किए बिना भी मनुष्य तपस्वी हो सकता है। 'किसी को कष्ट न देना', 'स्वयं कष्ट सहन करना' और इस प्रकार आत्मिक विकास की ओर अग्रसर होना दोनों कवियों को स्वीकार्य है। मानसिक पवित्रता एवं कर्म की पवित्रता ही वास्तविक तप है। विश्व-कल्याण की भावना से प्रेरित भारतीय सांस्कृतिक चेतना के इन दो महान् विचारक-कवियों का स्वर जीवन को आनन्दमय बनाने का मार्ग दर्शाता है, जीवन से पलायन को इन्होंने अस्वीकार किया है।

धर्म और प्रेम भाव

गृहस्थ के अन्तर्गत पति, पत्नी, और पुत्र को एक सूत्र में बाधने वाला तत्त्व है—'प्रेम-भाव'। यही प्रेम-भाव विकसित होकर व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों का आधार बनता है। भक्त और प्रभु के सम्बन्धों का मुख्य आधार भी प्रेम ही है। 'अनबुटैम' अर्थात् 'प्रेम-भाव' शीर्षक से वल्लुवर ने प्रेम की स्थिति, तथा उसके महत्त्व पर विचार किया है। कवि के विचारानुसार प्रेम को किसी भी अर्गला से आवृत्त नहीं किया जा सकता, प्रिय के अश्रु-बिन्दु उसके रहस्य का

१ बावरे तै ग्यान बिचारु न पाया ।

बिरया जनमु गवाया ॥

—कबीर प्रथावली, (पा० नि० ति०) पृ० ५१ ।

२ बलकल बस्तर किता पहिरवा क्या बन मखे वासा ॥—वही, पृ० १०८ ।

३. कोई कहै मैं ग्यानी रे भाई कोई कहै मैं त्यागी ।

कोई कहै मैं इन्द्री जीती अहं सभनि कौं लागी ।

कोई कहै मैं जोगी रे भाई कोई कहै मैं भोगी ॥

×

×

×

कोई कहै मैं दाता रे भाई कोई कहै मैं तपसी ।

निज तत नाउ निहचै नहिं जाना सब माया मैं खपसी ॥—वही, पृ० ११३ ।

४ जब अंतर हरिजी बसै तब बिखिया सौं चित नहिं ॥—वही, पृ० १५७ ।

उद्घाटन कर देते हैं।^१ प्रेम से सहृदयता का जन्म होता है। इन दोनों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न रूपी बहुमूल्य रत्न उत्पन्न होता है।^२ प्रेम का महत्त्व केवल धर्म से संयुक्त होने में ही नहीं है अपितु यह धर्म का सामना करने के लिए भी अस्त्र है।^३ धर्म एव प्रेम का अनिवार्य सम्बन्ध है, सूर्य अस्थिहीन जीवों को अपनी तीव्रता से नष्ट कर देता है, इसी प्रकार प्रेमविहीन-धर्म की दशा होती है।^४

प्रेम के अभाव में जीवन 'स्व' तक सीमित हो जाता है, पर दूसरो के प्रति प्रेम-भावना-युक्त व्यक्ति परोपकार के लिए स्वजीवन तक उत्सर्ग कर देते हैं।^५ स्पष्ट है कि तिरुवल्लुवर आत्मा के विकास के लिए प्रेम-भाव-युक्त परोपकार को महत्त्व देते हैं। मरुभूमि में शुष्क वृक्ष में कोंपल भाना असम्भव है, इसी प्रकार प्रेम-विहीन व्यक्ति के जीवन में आनन्द और प्रसन्नता का अस्तित्व सम्भव नहीं।^६ यदि हृदय में प्रेम का अभाव है तो बाह्य सौन्दर्य एवं रूप का क्या लाभ? आत्मा ने शरीर का बन्धन प्रेम के आनन्द की प्राप्ति के लिए स्वीकार किया है।^७ धर्म पर आधुत प्रेम से सिंचित जीवन का फल है—स्वर्ग समान आनन्द की प्राप्ति।^८ जिस शरीर में प्रेम है, वही जीवन है, प्रेम-विहीन शरीर केवल धर्म-आवृत अस्थिरों का ढांचा मात्र है।^९ इस प्रकार वल्लुवर तो प्रेम-विहीन शरीर को हाड मांस का पुतला मात्र मानते हैं जो अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट कर रहा है।

जीवन के साधारण सम्बन्धों की बात तो एक ओर, कबीर ईश्वर-प्राप्ति के लिए भी प्रेम को अनिवार्य आवश्यकता मानते हैं। कबीर का प्रेम नि स्वार्थ एव अहंकार-विहीन है। इस प्रेम में मनुष्य को सीस उतार कर हाथ में लेना होता है। इसके अभाव में व्यक्ति का जन्म व्यर्थ है। कबीर के नेत्र प्रिय के लिए अश्रु-बिन्दुओं से आप्लावित हैं—

अखिया प्रेम कसाइया जग जानै दूखडियाह।

राम सनेही कारनै, रोइ रोइ रातडियाह ॥^{१०}

प्रेम की पीडा मनुष्य के हृदय को अत्यधिक प्रभावित करती है।^{११} प्रेम का यह मार्ग अगम एव अगाध है, प्रेम का आनन्द लेने के लिए सीस काट कर पावों के नीचे रखना होता है।^{१२} इस

- १ कुरल ७१।
- २ कुरल ७४।
- ३ कुरल ७६।
४. कुरल ७७।
५. कुरल ७२।
- ६ कुरल ७८।
- ७ कुरल ७९।
- ८ कुरल ७३।
९. कुरल ७५।
- १० कुरल ८०।

११ कबीर ब्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० १४४।

१२. एक जु पीर पिरीति की रही कलेजा छाइ ॥—वही, पृ० १४५।

१३. कबीर निज घर प्रेम का मारग अगम अगाध।

सीस काटि पगत र घरै तब निकटि प्रेम का स्वाद ॥—वही, पृ० १८१।

ज्ञानन्द की प्राप्ति के लिए व्यक्ति-व्यक्ति में कोई भेद नहीं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा, जिसे इच्छा हो शीश देकर इसे प्राप्त कर सकता है।^१ यह मार्ग अत्यन्त कष्टप्रद है, 'बहु घर प्रेम का, खासा का घर नाहि', इसके लिए तो 'सीस उतार हाथ सौ तब पैसे घर माहि।'^२ कबीर में ऐसे अनेक कथन उपलब्ध हैं जिनमें शीश उतार कर प्रेम-मार्ग पर चलने की बात दोहराई गई है—

(क) कबीर भाठी प्रेम की, बहुतक बैठे आइ ।

सिर सौर्य सोई पिअै, नातर पिया न जाइ ॥^३

(ख) राम रसाइन प्रेम रस, पीवत अधिक रसाल ।

कबीर पीवन दुर्लभ है, मार्ग सीस कलाल ॥^४

कबीरदास प्रेम से इतने अधिक प्रभावित हैं कि वह प्रेमी जीव की खोज करते हैं परन्तु उन्हें 'प्रेमी' कोई नहीं मिलता। यदि प्रेमी से प्रेमी का मिलन हो जाए तो सब 'बिख', 'अभिन्न' में परिवर्तित हो जाए।^५ प्रेम के अभाव में इस विश्व में जन्म लेना बृथा है। सून घर का अतिथि जैसा बाता है वैसा ही लौट जाता है, प्रेमविहीन व्यक्ति इस ससार से ऐसे ही अतिथि के समान आता है।^६ प्रीति और प्रेम के अभाव में व्यक्ति बृथा ही जन्म लेकर जीवन-यापन करते हैं,^७ ऐसा जीव मृत्यु उपरान्त स्वामी को न जाने कैसे भेटेगा ?^८

जब मनुष्य को प्रेम का प्रकाश प्राप्त हो जाता है, तब उसमें अनन्त ज्योति का प्रकाश भर जाता है। उसका सशय छूट जाता है, सुख की उपलब्धि होती है, प्रिय से मिलन सम्भव हो जाता है।^९ एक अन्य स्थल पर भी कबीर का कथन है कि शरीर रूपी पिंजड़े में प्रेम का प्रकाश होने से अन्तस् में उजाला हो जाता है।^{१०} लोक प्रसिद्ध उक्ति 'जा घट प्रेम न सचरै, ता घट जान मसान' कबीर के प्रेम-विषयक दृष्टिकोण को स्पष्ट कर देती है। कबीर तो प्रेम के समक्ष ज्ञान को भी व्यर्थ मानते हैं। ज्ञान का बोझ ढाले से कोई लाभ नहीं, प्रेम का एक अक्षर पढ़ लेने

१ प्रेम न बारि ऊपजे प्रेम न हाटि बिकाई ।

राजा परजा जेहि रुचै सीस देइ लै जाइ ॥—कबीर ग्रन्थावली (पा० नि० ति०) पृ० १८३ ।

२. वही, पृ० १८३ ।

३. वही, पृ० १८३ ।

४. वही, पृ० १८३ ।

५. प्रेमी हूँत मैं फिर प्रेमी मिले न कोइ ।

प्रेमी सौ प्रेमी मिले, तो सब बिख अभिन्न होइ ॥ —वही, पृ० १६० ।

६. कबीर प्रेम न चाखिया, चाखि न लिया साव ।

सून घर का पाहुना, ज्यों आवै त्यों जाव ॥ —वही, पृ० १४७ ।

७. जिहि घटि प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहि राम ।

ते नर आइ ससार में, उपजि खर बेकाम ॥ —वही, पृ० १५० ।

८. न परतीति न प्रेम रस, ना इस तन में डग ।

क्या जानौं उस पीव सौं, कैसे रहसी रंग ॥ —वही, पृ० १६२ ।

९. पंजरि प्रेम प्रकासिया, जागी जोत अनन्त ।

संसय खूटा सुख भया, मिला पियारा कत ॥ —वही, पृ० १६७ ।

१०. पंजरि प्रेम प्रकासिया, अतर भया उदास ॥ —वही, पृ० १७० ।

पर व्यक्तित्व ज्ञानी हो जाता है।^१

बल्लुवर का प्रेम (अनकुटुम्ब) लौकिक धरातल पर परिपक्व होकर समाज के सम्बन्धों में मुखर होता है। वह प्रेम को जीवन एवं धर्म का आवश्यक अंग मानते हैं। कबीर का प्रेम-भाव आध्यात्मिक धरातल पर जीव और परमात्मा के सम्बन्धों का आधार है। लौकिक धरातल पर भी इसका वर्णन कबीर ने किया है। वे प्रेम के लिए अहंकार का पूर्णरूपेण त्याग करने का निर्देश करते हैं। इस प्रकार सामाजिक सम्बन्धों के लिए एवं आत्मिक विकास के लिए प्रेम-तत्त्व की महती आवश्यकता पर दोनों कवि बल देते हैं।

धर्म का व्यक्तिपरक रूप—मन

आत्मसंयम—मन की चञ्चलता की ओर वेद से लेकर वर्तमान मनोविज्ञान तक की परम्परा में निरन्तर विचार किया जाता रहा है, अतः मन को बश में कर इन्द्रियो का अपनी इच्छानुसार संचालन धर्म-मार्ग का प्रमुख अंग ही जाता है। गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है कि 'मन नि सदेह कठिनता से बश में होने वाला और चञ्चल है किन्तु अभ्यास और वैराग्य से यह बश में हो सकता है।'^२ इस नियन्त्रण का आधार अन्तस् ही है। स्टाउट भी इसी मत का प्रतिपादन करते हैं।^३ रस्किन ने मानव-भावनाओं के महत्त्व को स्वीकार करते हुए अनियंत्रित एवं असयत भावों को नियंत्रित करने का परामर्श दिया है।^४

तिरुवल्लुवर 'अटक्कुमुट्टै' अर्थात् 'आत्म-सयम' अध्याय के अन्तर्गत इसी आत्म-नियन्त्रण की आवश्यकता का प्रतिपादन कर उससे सम्भव लाभादि की ओर संकेत करते हैं। आत्म-सयम से देवत्व प्राप्त होता है, असयत-इन्द्रिय व्यक्ति अन्धकार को प्राप्त करता है।^५ आत्म-नियन्त्रण से बढ़कर कोई सम्पत्ति नहीं है, अतः उसकी रक्षा करनी चाहिए।^६ आत्म-सयम को धर्म-मार्ग मान उसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति विद्वज्जन द्वारा समादृत होता है।^७ सयत

१ पोथी पढि पढि जग मुवा, पडित भया न कोइ ।

एकं आखर प्रेम का, पढ़े सो पडित होइ ॥ —कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०),
पृ० २४१ ।

२ असशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ —गीता, ६।३५ ।

३ Self-control is control proceeding from the self as a whole and determining the 'self' as a whole—*Manual of Psychology* Stout, p 626

४. Not that any feeling possible to humanity is in itself wrong, but only wrong when undisciplined Its nobility is in its force and justice; it is wrong when it is weak and felt for paltry cause.

—Ruskin, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*,

५ कुरल १२१ ।

Vol. V, p 408 में उद्धृत ।

६. कुरल १२२ ।

७. कुरल १२३, तुलनीय—यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदशवा इव सारथेः ॥

—कठोपनिषद्, १।३।६ ।

व्यक्ति का यश पर्वत-सदृश दृढ़ होता है।^१ पर्वत के समान विशाल एवं दृढ़ यश-युक्त संयुक्त व्यक्ति आदरणीय है। आत्म-संयम सभी को शोभता है परन्तु समृद्ध व्यक्ति के लिए वह विनिश्चित आभूषण है।^२ एक कछुए के समान पचेन्द्रिय पर नियंत्रण कर लेने पर व्यक्ति सात जन्मों में सुरक्षित रहता है, पाप-कर्म उसे कष्ट नहीं देते।^३ यदि अन्य किसी अंग पर नियंत्रण सम्भव न हो तो अपनी जिह्वा पर अवश्य ही नियंत्रण रखो क्योंकि वाणी के दोष से अनेक कष्टों की प्राप्ति होती है।^४ यदि वाणी के कारण किसी को तनिक भी कष्ट पहुँचे तो बोलने वाले का सब धर्म नष्ट हुआ समझो।^५ आग का जला घाव कुछ समय पश्चात् ठीक हो, केवल चिह्न छोड़ जाता है पर वाणी का घाव सदा ही हरा बना रहता है।^६ ज्ञानयुक्त इन्द्रिय-निग्रही व्यक्ति यदि क्रोध से मुक्त है तो धर्म स्वयं चलकर उसके पास आएगा।^७

मन का संयम करने पर शान्ति की उपलब्धि होती है।^८ विषयों का चिन्तन करने वाले पुरुष की कर्म में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना और कामना के विघात से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से कार्य-अकार्य का अविवेक रूप मोह होता है, मोह से स्मृति विचलित होती है, स्मृति के विचलित होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने से पुरुष का नाश हो जाता है।^९ वाल्मीकि का कथन है कि इन्द्रियों को प्रिय मालूम होने वाले विषयों से मनुष्यों का मन व्यथित हो जाता है।^{१०} भर्तृहरि जब 'चेत आयासकात् एतस्मात् इन्द्रिय अर्थं गहनात् विरम्'^{११} कहते हैं तो उनका उद्देश्य भी मनुष्य को आत्म-संयम की ओर प्रेरित करना है। शरीर को सुख प्रदान करने वाली एवं ससार के साथ ही नष्ट होने वाली समस्त वस्तुएँ 'प्रिय' हैं। क्षणिक सासारिक सुख के लिए जीवन बिताने वाले 'प्रिय' मार्ग के

१ कुरल १२४।

२ कुरल १२५।

३ कुरल १२६, तुलनीय—यदा सहरते चाय कूर्मोऽङ्गानीव सर्वश ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता ॥

—गीता, २।५६।

४ कुरल १२७।

५ कुरल १२८।

६ कुरल १२९, तुलनीय—निरोहेदायुर्बन्धिनः सरोहेद्दग्धमग्निना ।
वाक्क्षतं च न सरोहेदाशरीरं शरीरिणाम् ॥

—महा०।

७ कुरल १३०।

८ 'मन संयम्य'—गीता ६।१४।

९ 'नियतमानस शान्तिं मरसंस्थामाधिगच्छति'।—गीता, ६।१५।

१० ध्यायतो विषयान्पुंस सङ्गस्तेषूपजायते ।
सङ्गात्सजायते काम कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥
क्रोधाद्भवति समोहः समोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥—वही, २।६२, २।६३।

११ बाबकाण्ड, १।१०।४।

१२ भर्तृहरि वैराग्यशतक, ५५।

अनुयायी हैं। परोपकार, दान, दया एवं परहित में जीवन व्यतीत करने वाले श्रेयमार्ग का अनुगमन करते हैं। इस मार्ग पर अग्रसर होने के लिए आत्म-संयम की महती आवश्यकता है।

आत्म-संयम के मूल में 'राग-द्वेष वियुक्त' का भाव है। इसके उपरान्त 'आत्मवश्यावि इन्द्रियाणि' का भाग आता है। धर्म-सर्वादा के अनुकूल अल्प विषय-सेवन से संयम विकास प्राप्त करता है। 'राग-द्वेष वियुक्त आत्मवश्याः इन्द्रियं' से विषयो में विचरता हुआ मानव प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। आत्म-संयम में 'इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु सर्वश निगृहीतानि' होने पर ही बुद्धि स्थिर, शान्त और गम्भीर होती है। जो पुरुष समस्त कामनाओं का त्याग कर निःस्पृह, ममत्वरहित और अहकाररहित होकर व्यवहार करता है 'स शान्तिमधिगच्छति'। सकाम और निष्काम मनुष्यों के कर्मों में अन्तर यह है कि सकाम मनुष्य वैयक्तिक स्वार्थ से अल्प क्षेत्र में कार्य करता है जबकि अकाम मनुष्य सम्पूर्ण मानव-समाज के हित के लिए अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र में कार्यरत होता है। मानव के नैतिक-नियंत्रण के मूल में इसी आत्म-संयम की स्वीकृति है, भावनाओं को जीवन के लक्ष्य की ओर प्रवृत्त करने के लिए इस आत्म-संयम की अपरिहार्यता पर विद्वानों का ध्यान गया है।^१ विद्वानों, धर्मोपदेशकों एवं साहित्यकारों के आत्म-संयम पर अधिक बल देने का एक कारण यह है कि जिस व्यक्ति का जीवन आदर्श और आचार के सामान्य नियमों से निरन्तर प्रभावित रहता है उसका आत्म-नियंत्रण अपेक्षाकृत अधिक होगा। आत्म-संयम ज्ञान, इच्छा और क्रिया के समन्वय से ही सम्भव है क्योंकि नियंत्रण व्यक्ति के किसी अश-विशेष या प्रवृत्ति-विशेष का नहीं अपितु उसके पूर्ण अस्तित्व का ही होगा। व्यक्ति के वैभिन्य में एकत्व की प्राप्ति की कामना इसी आत्म-नियंत्रण से ही पूर्ण हो सकती है।

आत्म संयम के अन्तर्गत बल्लुवर यद्यपि पाचो इन्द्रियों को संयत करने का उपदेश देते हैं, पर वाणी-नियंत्रण और क्रोध-नियंत्रण पर उन्होंने विशेष बल दिया है। यही नहीं, इन दोनों विषयों पर अलग विचार भी 'अरत्तुपाल' (धर्म-खण्ड) में उपलब्ध है जिन पर अन्यत्र विचार किया गया है।

कबीर की वाणी में आत्म-संयम के विषय में अनेक स्थलों पर विचार किया गया है। वास्तव में आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आत्म-संयम से श्रेष्ठ मार्ग की कल्पना नहीं हो सकती। कबीर का निश्चित मत है कि आत्म-नियंत्रण के अभाव में मनुष्य को किसी प्रकार की सफलता मिलना सम्भव नहीं। चाहे साधारण जीवन-यापन की बात हो अथवा हरि-पद-प्राप्ति की, काम, क्रोध, लोभ और मोह को त्यागने पर ही लक्ष्य प्राप्ति सम्भव है।^२

१ "The Duty of self-discipline has always a positive as well as a negative side. While negatively, it is the refusal to permit any single tendency of our nature to act in isolation and to dominate the life, on the positive side we find not merely the conquest of natural impulsive energy, but its pressure into the service of the total purpose of the life."

—Annie E. F. MacGregor, —*Encyclopaedia of Religion And Ethics*, p. 408

२. काम क्रोध लोभ मोह विबरजित हरिपद चीन्है सोई।—कबीर ग्रंथावली (पा० ना० ति०)

काम, क्रोध और तुष्णा के फलस्वरूप व्यक्ति बिना जल ही डूब जाता है।^१ कबीर का कथन है—'परिहर लोभु अह लोकाचार, परिहर काम, क्रोध हुकार।'^२ इसका कारण यही है कि 'पांच कुटुबी महा हरांमी, अन्नित में बिख चोर्ल।'^३ ये तो गढ में ही निवास कर वाले चोरों के समान हैं जो दिवस अथवा सांझ, किसी भी समय उसे लूट सकते हैं।^४ मनुष्य अज्ञानवश इन पांचो चोरों को अपने सग रखकर उनके ससर्ग में बहुमूल्य जन्म व्यर्थ ही ख देता है।^५ जो इन पर नियंत्रण कर लेता है, उसका जीवन सुधर जाता है,^६ पाप और पुण्य : उसे मुक्ति मिल जाती है।^७

बाणी-नियंत्रण के लिए भी कबीर का मत है कि सज्जन व्यक्ति को कटु-वचनो व प्रयोग नहीं करना चाहिए।^८ मनुष्य की बाणी उसके आन्तरिक भावो की छोटक है। अत सज्जन व्यक्ति की बाणी सदा मधुर और शुभ होगी। कटुवचनो का प्रयोग कठोर और असज्ज व्यक्ति ही करेगा। बाणी के आधार पर ही तो साधु और चोर का अन्तर ज्ञात हो जाता है। सारांश यह है कि कबीर मन, वचन और कर्म को सयत करने का उपदेश देते हैं। क्रोध, काम लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओ से तो मनुष्य को अपनी रक्षा करनी ही है, मधुर वचनो व प्रयोग भी उसे जागरूक रूप से करना होगा।

तिरुवल्लुवर और कबीर दोनो हृदय की शुद्धता एव आत्म-नियंत्रण को लौकिक ए पारलौकिक शान्ति के लिए आवश्यक स्वीकार करते हैं। मनुष्य द्वारा क्रोध और कटु-वचन के त्याग पर बल देते हुए दोनो ही इन्द्रिय-निग्रह के लिए सदेश प्रस्तुत करते हैं। वल्लुव लौकिक दृष्टि से प्रभावित हो मधुर वचनो के प्रयोग और क्रोध-त्याग पर विशेष ध्यान देते हैं कबीर की दृष्टि इन दोनो विषयो पर विचार करते समय भी प्रमुखतया अध्यात्म-परक रह है। उनके लिए काम, लोभ, मोह, माया इत्यादि के त्याग की आवश्यकता का कारण लौकिक कर्म, आध्यात्मिक अधिक है।

इन्द्रिय-निग्रह—आत्म-सयम एव इन्द्रिय-निग्रह में कोई तात्त्विक भेद नहीं है। यह भे केवल प्रयोग में है। 'नीत्तार पेरुमै' के अन्तर्गत वल्लुवर ने सन्यासी और गृहस्थ सभी के लि

१ काम क्रोध तिसनां के मारे बूडि मुएहु विनु पानी।—कबीर ग्रंथावली (पा० ना० ति०) पृ० ४१

२ वही, पृ० ४६।

३ वही, पृ० ५५।

४ पांच चोर गढ़ मझा। गढ लूटहिं दिवसउ सझा।—वही, पृ० ४२।

५ पांच चोर सगि लाइ दिए हैं इन सगि जनम गवायो।—वही, पृ० २२।

६ मन पबना पाचो बसि कीया तिन या राह सवारी।—वही, पृ० १०१।

७. पाचो इन्द्री निग्रह करई। पाप पुनि दोऊ निरवरई।

—वही, पृ० १३३।

८. साधु भया तो क्या भया, बोले नाहिं बिचारि।

हर्त पराई आतमा, जीभ बांधि तरवारि।—वही, पृ० १८७।

९. बोलत ही पहिचानिए, साहु चोर का घाट।

अन्तर घट की करनी निकसै मुख की बाट।—वही, पृ० १८७।

इन्द्रिय-विग्रह के महत्त्व पर विचार किया है। सन्यासी के लिए इन्द्रिय-निग्रह का महत्त्व गृहस्व की अपेक्षा निश्चय ही अधिक है, अतः सन्यासी का सर्वप्रथम प्रहण कर कवि ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।

मेघ, वायु, कण, सूक्ष्म, चेचि—ये पांच इन्द्रिया हैं।^१ पचेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना ही व्यक्ति को सन्यासी होने के योग्य बनाता है। तिश्वल्लुवर ने सन्यासी के लिए 'तुरन्दार्' शब्द व्यवहृत किया है। 'तुरन्दार्' वह मनुष्य है जिसने ससार के एषक्यों का त्याग कर दिया है। वह पचेन्द्रिय रूपी हाथियों को ज्ञान के अंकुश द्वारा बन्धीभूत कर लेता है,^२ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध के गुण का ज्ञाता होता है।^३ पचेन्द्रिय को नियंत्रित (ऐवचित्तान्) कर,^४ सन्यासी समस्त जीवों के प्रति स्नेह युक्त एव दयालु होता है।^५ उसकी वाणी नियंत्रित एव वचन तत्त्व-युक्त होते हैं।^६

इन्द्रिय-निग्रही सन्यासी व्यक्तियों की महिमा शास्त्र-स्वीकृत है। सभी धर्म-ग्रन्थों का निश्चित मत है कि सदाचारी सन्यासी की महिमा सर्वोपरि है।^७ जिस प्रकार बिषव में जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्तियों की सख्या जान लेना सम्भव नहीं, उसी प्रकार संतों के गुणों का वर्णन भी नहीं किया जा सकता।^८ वस्तुतः सम्पूर्ण ससार ही ऐसे व्यक्तियों के वश में है।^९ इन्द्रिय-निग्रही सत सम्पूर्ण बिषव मे यश प्राप्त करेगा,^{१०} वह स्वर्ग में भी उच्च स्थान प्राप्त करेगा।^{११}

कबीर-काव्य मे सन्यासी के लिए प्रयुक्त निकटतम शब्द 'सहज'^{१२} तथा 'सत' है।^{१३} विषय-विकार का त्याग करने पर ही सहज बना जाता है—“जिहि सहजै बिखया तजै, सहज कहावै सोइ”^{१४} अथवा वह मनुष्य सहज कहलाने का अधिकारी है जिसे 'साहिब' प्राप्त हुए हो।^{१५} परन्तु 'स्व' को त्याग, पचेन्द्रिय को वश मे करने में समर्थ अत्यल्प है, तभी तो कबीर को कहना

१ तमिल लेक्सिकन, पृ० २६४६।

२ कुरल २४।

३. कुरल २७।

४. कुरल २५।

५. कुरल ३०, तुलनीय अभय सर्वभूतेभ्यो सर्वेषामभय यत।

सर्वभूतात्मभूतो यस्त देवा ब्राह्मण विदु ॥ महा०।

६. कुरल २८, तुलनीय ऋषीणा पुनराद्याना वाचमर्थोनुधावति ॥—उत्तररामचरितम्।

७. कुरल २१।

८ कुरल २२।

९. कुरल २७।

१०. कुरल २३।

११ कुरल २४।

१२. कबीर ग्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० २४२।

१३. वही, पृ० २३६।

१४. वही, पृ० २४२।

१५. जिहि सहजै साहिब मिलै, सहज कहावै सोइ ॥ वही, पृ० २४२।

पका कि "अस कोई ना मिले अपना घर दे दे जराइ, पाचऊ लरिके पटक के रहै राम ली लाइ ।"^१ ये पाँच इन्द्रियां बहुत प्रबल हैं, इन पर नियन्त्रण करने पर ही व्यक्ति संत, सहज अथवा संन्यासी होता है। इन्द्रियां मनुष्य को कुमार्ग की ओर ले जाने का सतत प्रयास करती हैं। जिसने इनको वश में कर लिया वह सुख एवं शान्ति प्राप्त करेगा। ये इन्द्रियां अत्यन्त प्रबल हैं और मानव की सुख-शान्ति में विष का कार्य करती हैं।^२ पर जो इन पाँचों को नियंत्रित कर लेता है उसके जीवन की राह सबर जाती है।^३ उसे प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है।^४ इसके पश्चात् पाप और पुण्य का भ्रूट ही समाप्त हो जाता है।^५ पाचो इन्द्रियो को वश मे करने के लिए निरन्तर संघर्ष की आवश्यकता है, इनको पराजित करने के पश्चात् ही व्यक्ति 'राम' में ली लगा सकता है।^६ ये इन्द्रियां बार बार विद्रोह करती हैं, इन्हें निरन्तर वश में रखने वाला व्यक्ति महान् है।^७ सकल जग चाहे दुखी रहे पर सत मन को वश में रखने के फलस्वरूप सुखी रहेगा।^८ इन्द्रिय-निग्रह के माध्यम से ही 'हरि' के दर्शन सुलभ हो जाते हैं, कबीर इस विषय में स्पष्ट कहते हैं—'काम कोष लोभ मोह विबरजित हरि पद चीन्है सोई।'^९

इस प्रकार इन्द्रिय-जनित काम, क्रोध, लोभ, मोह, इत्यादि पर विजय प्राप्त करने वाला सत जल में कमल के सदृश निवास करता है। ससार के समस्त कार्य करता हुआ भी वह निर्लिप्त रहता है।^{१०} इस प्रकार का सत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, चाहे उसे कितने ही असत क्यों न मिलें ?^{११} जिस दिवस सत के दर्शन हो जाए वही धन्य है, ऐसे सत के सम्पर्क से पाप का नाश होता है।^{१२} सन्त को किसी के द्वेष नहीं रखना चाहिए, उसे निष्काम भाव से विषय वासनाओं से दूर रहकर प्रभु के साथ स्नेह रखना चाहिए।^{१३}

-
- १ कबीर प्रथावली (पा० ना० लि०), पृ० १६५।
 - २ पाच कुटुबी महा हरामी अश्रित में बिख धोलै ॥—वही, पृ० ५५।
 - ३ मन पवनां पाचो बसि कीया तिन या राह सवारी ॥—वही, पृ० १०१।
 - ४ जब बस कियो पाचो थाना। तब राम भया मिहरबाना ॥—वही, पृ० ३४।
 - ५ पाँची इन्द्री निग्रह करई। पाप पुनि दोऊ निरवरई ॥—वही, पृ० १३३।
 - ६ पाचउ लरिके पटक के रहै राम ली लाइ ॥—वही, १५६।
 - ७ पच बलषिया फिरकिडि, ऊजडि ऊजडि जाइ।
बलिहारी वा दास की पकड़ि जु राखै ठाइ ॥—वही, पृ० १५७।
 - ८ कहै कबीर सकल जग दुखिया सन्त सुखी मन जाती हो ॥—वही, पृ० ५३।
 - ९ वही, पृ० १६।
 - १० है साधु ससार में कवला जल माही।
सदा सरबदा सगि रहै जल परसत नाही ॥—वही, पृ० २०।
 - ११ संत न छाडै सतई, जो कोटिक मिलहि असत ॥—वही, पृ० १५३।
 - १२ कबीर सोई दिन भला, जा दिन सत मिलीहि।
अक भरे भरि भेटिए, पाप सरीरउ जाहि ॥—वही, पृ० १५६।
 - १३ निरबैरी निहकामता, साईं सेती नेह।
विषया सौं न्यारा रहै, सतनि का अग एह ॥—वही।

इन्द्रिय-निग्रह का विधान शास्त्र में सदा मान्य रहा है। गीता में कृष्ण इन्द्रिय और विषयों के सम्बन्ध से होने वाले भोग को दुःख का कारण मानते हुए कहते हैं कि विषयी पुरुष उनमें प्रीति नहीं करता।^१ अनुस्मृति में संन्यासी के लिए निर्देश है कि वह विषयों की ओर आकृष्ट होती हुई इन्द्रियों को अल्पभोजन और एकान्तवास द्वारा रोके।^२ इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से रोकने से, राग और द्वेष के त्याग से और प्राणियों की अहिंसा से मनुष्य मुक्ति के योग्य होता है।^३ विश्वल्लुवर और कबीर जिस इन्द्रिय-निग्रह का विवेचन कर रहे हैं वह परम्परा से प्राप्त विचारधारा पर आधृत है। इस प्रकार से इन्द्रिय-निग्रह कर लेने वाला संत उस वस्तु का सहज ही अधिकारी बन जाता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है।^४ ऐसे साधु-सन्त तो ईश्वर रूप हो जाते हैं^५ और 'हरि' स्वमुख से उनकी महिमा का वर्णन करते हैं।^६ जिसका मन निर्मल हो गया है, ऐसे सन्त के पीछे तो हरि स्वयं चमते हैं।^७ जब मनुष्य कामनाओं का त्याग कर 'जीवनमुक्त' हो जाता है तब प्रभु स्वयं उसकी सेवा करते हैं, वह दुःख प्राप्त नहीं करता।^८

उपर्युक्त मत का विवेचन करने पर स्पष्ट है कि वल्लुवर और कबीर दोनों इन्द्रिय-निग्रह के महत्त्व पर पूर्णरूपेण एकमत हैं। इन्द्रिय-निग्रह का विषय लौकिक सुख और पार-लौकिक आनन्द दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण है। 'धर्म' के अन्तर्गत काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विषयों से निर्लिप्त रहने का सदेश दोनों कवि देते हैं। दोनों ने मुक्त-कंठ से इन्द्रिय-निग्रह ही सत् की प्रशंसा की है। वास्तव में इस विषय पर दो भारतीय विचारकों के मत-वैमिष्य का कोई कारण ही नहीं।

तृष्णा का त्याग—परम सत्य की प्राप्ति के पश्चात् कामनाएँ समाप्त हो जाती हैं, 'अवाअस्तल' की स्थिति कामनाओं, इच्छाओं की समाप्ति की स्थिति है। कुरल के 'अरस्तुपल' के द्वितीय भाग 'तुरवरवियल' के अन्तर्गत संन्यासी, गृहस्थागी, तपस्वियों के कर्म-अकर्म का

१ ये हि सस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।

आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध ॥—गीता, ५।२२ ।

२. अल्पान्नाम्यवहारेण रहःस्थानासनेन च ।

ह्लियमाणानि विषयैरिन्द्रियाणि निवर्तयेत् ॥—मनु० ६।५६ ।

३ इन्द्रियाणां निरोधेनरागद्वेष क्षयेण च ।

अहिंसया च भूतानाममृत्वाय कल्पते ॥—मनु०, ६।६० ।

४ जा प्रसाद देवन कौ दुरलभ सन्त सदा ही पाही ॥—कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०),
पृ० २० ।

५. नारद साध सीं अतर नाही ।—वही, पृ० २१ ।

६. कहै कबीर साध की महिमा हरि अपने मुखि गावै ॥

—वही, पृ० २२ ।

७. कबीर मन निरमल भया, जैसा गगा नीर ।

तब पाछे लागा हरि फिरै, कहत कबीर कबीर ॥—वही, पृ० २०७ ।

८. जीवत मिरतक होइ रहै, तजै अगत की आस ।

तब हरि सेवा आपे करै, मति दुख पावै दास ॥—वही ।

व्याख्यान करते हुए, उनके धर्म का निर्धारण करते हुए, अन्त में 'अवावस्तल' का उल्लेख हुआ है। कवि का कथन है कि यदि कामना ही करनी है तो निष्काम होने की कामना करो। इससे मनुष्य आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है।^१ इस लोक में अथवा परलोक में निष्काम होने से श्रेष्ठ उपलब्धि कोई नहीं।^२ निष्काम होना ही मुक्ति है, सत्य-कामना से वह स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी।^३ कामना से मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है।^४ तृष्णा से डरना चाहिए क्योंकि असावधान पाकर यह मनुष्य को अपने जाल में फसा लेती है।^५ कामना का दमन करने में समर्थ स्वतः ही मुक्ति पा लेगा।^६ ऐसे मनुष्य को कभी दुःख नहीं होगा, पर तृष्णा के बन्धीभूत मनुष्य निरन्तर क्लेश प्राप्त करते रहेंगे।^७ दुःखों में महादुःख तृष्णा है, इसके समाप्त हो जाने पर स्थायी सुख की उपलब्धि होती है।^८ बल्लुवर का मत है कि कामना का स्वभाव तृप्त होने का नहीं है। अतः इसकी तृप्ति का प्रयास न कर इसके दमन से ही स्थायी आनन्द प्राप्त होगा।^९

तृष्णा एवं कामना का उल्लेख करते हुए कबीर-काव्य में उसे क्रोध, लोभ, अहंकार आदि की श्रेणी में ही रखा गया है। उनका मत है कि आशा और तृष्णा सबको प्रभावित करते हैं।^{१०} इनके फलस्वरूप मनुष्य नाश को प्राप्त होता है।^{११} मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन में कामना या आशा को स्थान न दे। कर्म पर ध्यान रखो एवं आशा या कामना से मुक्त रहो। गुरु के प्रताप से इसका नाश सम्भव है,^{१२} तृष्णा-पूति सम्भव नहीं, वह तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है।^{१३} यह नष्ट नहीं होती ^{१४} पर मनुष्य को चाहिए कि वह चिन्ता छोड़कर सर्वस्व

१ कुरल ३६१।

२ कुरल ३६२।

३ कुरल ३६३।

४ कुरल ३६५।

५. कुरल ३६६, तुलनीय—रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।

आत्मवश्यैविदेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥—गीता, २।६४।

६ कुरल ३६७।

७ कुरल ३६८, तुलनीय—प्रसादे सर्वदुःखाना हानिरस्योपजायते ।

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते ॥—गीता, २।६५।

८ कुरल ३६९।

९ कुरल ३७०।

और देखें—गीता, २।६६, ३।३७, ३।३८।

१० आसा त्रिसना सब काँ व्याप्य कोई महल न सूना हो ।

—कबीर ग्रन्थावली (पा० ना० ति०), पृ० ५३।

११ काम क्रोध त्रिसना के मारे, बूडि मुएहु बिनु पानी ॥—वही, पृ० ४१

१२ त्रिसनां काम क्रोध मदमतसर काटि-काटि कसि दीन्हा ।—वही, पृ० ३०।

एवं होनां ही सौ होइहै मनहि न कीजै आसु ।—वही, पृ० ४८।

१३ त्रिसनां सीधी ना बुझै, दिन-दिन बढ़ती जाइ ।—वही, पृ० २३६।

१४. आसा तूना ना मुई, यौ कहै दास कबीर ॥—वही, पृ० २३८।

सर्वधर्मों के हाथों में दे दे।^१ निष्काश हो जाने पर, एव धर्मों से सम्बन्ध जोड़ लेने पर मनुष्य सफलता प्राप्त कर लेगा।^२

धर्म का व्यक्तिपरक रूप—वचन

सत्यभाषण—सत्य-वचन के स्वरूप के विषय में विद्वानों में तनिक मतभेद रहा है पर सत्य की आवश्यकता और उसके महत्त्व पर प्रायः सभी धर्मों के अन्तर्गत प्रकाश डाला गया है। संस्कृत साहित्य एवं उससे पूर्व वैदिक-साहित्य के अन्तर्गत सत्य-भाषण करने का महत्त्व स्पष्ट करने वाले असंख्य कथन हैं। वाल्मीकि रामायण में सत्य को धर्म की पराकाष्ठा और सबका मूल कहा गया है।^३ सत्य ही जगत् में ईश्वर है, सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है, सत्य ही सबका मूल है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम-पद नहीं।^४ वाल्मीकि के अनुसार सत्य ही प्रणव रूप शब्द-ब्रह्म है, सत्य में ही धर्म है, सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्य से ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है।^५ मनु सत्य तथा प्रिय-भाषण का मार्ग स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सत्य बोले, प्रिय बोले, सत्य भी अप्रिय न बोले, और प्रिय भी असत्य न बोले, यही सनातन धर्म है।^६ अथर्ववेद में असत्य भाषण को रोग का कारण माना गया है।^७ सन्यासी के कर्त्तव्यों का निर्धारण करते समय मनु ने कहा है कि “सत्यपूतां वदेद्वाच मनः पूत समाचरेत्”^८ सत्य-भाषण का सदेश देने वाले कथन वैदिक एवं संस्कृत साहित्य में अनेक स्थलों पर उपलब्ध हैं।^९

- १ चिंता छाडि अचित रहू, साईं है समरत्थ ।—कबीर ग्रथावली, (पा०ना० ति०) पृ० २३६।
- २ निरबैरी निहकामता, साईं सेती नेह ।
बिखया सौं न्यारा रहै, सतनि का अग एह ॥—बही, पृ० १५६।
- ३ धर्म सत्यपरो लोके मूल सर्वस्य चोच्यते ।—बा० रा० अयो०, १०६।१२।
- ४ सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म सदाश्रित ।
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति पर पदम् ॥—बही, १०६।१३।
- ५ सत्यमेकं पद ब्रह्म सत्ये धर्म प्रतिष्ठित ।
सत्यमेवाक्षया वेदा सत्येनावाप्यते परम् ॥—बही, १४।७।
- ६ सत्य ब्रूयात्प्रिय ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।
प्रिय च नानूत ब्रूयादेष धर्म सनातन ॥—मनु० ४।१३८।
- ७ यदुक्थाऽनूत जिह्वया वृजिन बहु ।
राज्ञस्त्वाऽसत्यधर्मणो मुचाणि वरुणहम् ॥—अथर्ववेद ।
- ८ मनु० ६।४६।
- ९ (क) ऋग्वेद, १।११३।४।
(ख) अथर्ववेद, १।२४।१।
(ग) म० पुराण, २६।४२।
(घ) शतपथ ब्रा० १।१।१।४-५, १।३।४।२७ एव १।४।४।२।२६।
(ङ) तै० सं० ६।३।६, २।१।१।१।
(च) बा० रा०, अयो० १४।८।
(छ) सं० महा० १३।२।४०-४१, १२।१०।५६८।
(ज) चाणक्य, विदुर, भर्तृहरि इत्यादि नीति-ग्रन्थ ।

तिरुवल्मुवर का सत्य से अभिप्राय उस वचन से है जो किसी को कष्ट अथवा हानि न पहुँचाए ।^१ बहु तो किसी अन्य के लिए लाभप्रद असत्य को भी सत्य के अन्तर्गत मानते हैं ।^२ असत्य-भाषण से मनुष्य की अतरात्मा की सताप होता है ।^३ हृदय में भी असत्य विचार न करने वाले मनुष्य सब के हृदय में निवास करते हैं ।^४ मन और वचन से सत्य पर स्थिर व्यक्ति तपस्वी और दानी से भी महान् है ।^५ असत्य-त्याग से मनुष्य को यश प्राप्त होता है, ऐसा मनुष्य तपस्या बिना ही स्वतः 'धर्म' प्राप्त कर लेता है ।^६ सत्य-भाव से सदाचरण करने वाले मनुष्य के लिए अन्य सब धर्म व्यर्थ हैं ।^७ शरीर की बाह्य स्वच्छता जल से और आन्तरिक पवित्रता सत्य द्वारा होती है ।^८ सत्य ही वास्तविक प्रकाश देने वाली ज्योति है ।^९ विभिन्न धर्मशास्त्रों के चिन्तन और मनन के पश्चात् वल्मुवर का निष्कर्ष है कि सत्य-भाषण के समान कोई अन्य श्रेष्ठ विषय नहीं ।^{१०}

कबीर अपने युग की विषमता का सकेत करते हुए कहते हैं कि सत्य का कहीं सम्मान नहीं पर झूठ का सर्वत्र आदर है ।^{११} इस स्थिति में भी कबीर ने कहा कि सत्य के समान कोई तप नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं, जिसके हृदय में सत्य है वहाँ प्रभु स्वयं निवास करते हैं ।^{१२} कबीर-काव्य में सत्य-भाषण पर कथन अपेक्षाकृत कम है क्योंकि कबीर का 'सत्य' प्रभु स्वयं है, अतः इसका सम्बन्ध 'परम-सत्य' से हो गया । इस विषय में विस्तृत अध्ययन 'परम-सत्य' शीर्षक के अन्तर्गत हुआ है । कबीर के अतिरिक्त अन्य सत् कवियों ने भी सत्यभाषण

१. कुरल २६१, तुलनीय—मनु० ४।१३८ ।

एव—सत्यस्य वचन श्रेय सत्यादपि हित भवेत् ।

यद्भूतहितमत्यन्तमेतत्सत्य मत मम ॥—महा०, शान्ति० ।

२ कुरल २६२ ।

३. कुरल २६३, तुलनीय—नाय लोकोऽस्ति न परो न च पूर्वान् स तारयेत् ।

कुत एव जनिष्यास्तु मृषावादपरायण ॥

—महा०, शांति०, १६६।६१ ।

४ कुरल २६४ ।

५ कुरल २६५ ।

६. कुरल २६६ ।

७ कुरल २६७, तुलनीय—धर्म सत्यपरोलोके मूल सर्वस्य बोध्यते ।

वा० रा० अयो०, १०६।१२ ।

एव सत्य वदत मासत्य सत्य धर्म सनातन ॥—महा०, अनु०, ११५।

८ कुरल २६८ ।

६२ ।

९ कुरल २६९, तुलनीय—नास्ति सत्यसमो धर्म न सत्याद् विद्यते परम् ॥—महा० ।

१०. कुरल ३००, तुलनीय—सत्यदेवद्वरो लोके सत्ये धर्म सदाश्रित ।

सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति पर पद्म् ॥

—वा० रा०, अयो० १०६।१३ ।

११ साँचे कोई न पतीअइ झूठे जग पतियाय ।

गली गली गोरस फिरै, मदिरा बँठि बिकाय ॥—स० वा० सं०, भा० १, पृ० ४६ ।

१२ साच बरोबरि तप नहीं, झूठ बरोबरि पाप ।

जाकै हिरदै साच है, ताकै हिरदै आप ॥—कबीर ग्रंथावली (पा० ना० ति०), पृ० १८७ ।

पर बहुधा बल दिया है।^१ गीता में तीन प्रकार के तप का उल्लेख हुआ है—शारीरिक, वाचिक और भावसिक। तिरुवल्लुवर एवं कबीर दोनों कवि इस तप की स्पष्ट स्वीकृति देते हैं। सत्य-भाषण, मधुर-भाषण और भित्त-भाषण वाचिक तप के अन्तर्गत आते हैं। सात्विक कर्म के लक्षणों में फलासक्ति का न होना प्रमुख है। हमारे दोनो कवि इसी सात्विक कर्म के रूप में शोक-सग्रह की भावना से इस 'तप' के महत्त्व को स्वीकार करते हैं। तिरुवल्लुवर के सत्य-भाषण के मूल में 'सत्यं श्रुयारिप्रयं श्रुयान्नं श्रुयात्सत्यमप्रियम्' का भाव है।

मधुर भाषण—तिरुवल्लुवर ने मधुर वचनो के प्रयोग का उपदेश दिया है। मधुर वाणी धर्म के लक्षणों में से एक है, उसके महत्त्व का प्रतिपादन कर वे उससे सम्बद्ध लाभों को प्रस्तुत करते हैं। उनका मत है कि धर्म के मर्मज्ञो के स्नेह-युक्त, प्रवचना से रहित, वचन ही मधुर वचन होते हैं।^२ विभिन्न प्रकार के दानकर्म से अधिक महत्त्वपूर्ण मधुर मुस्कुराहट से युक्त मीठे शब्द हैं।^३ हृदय के प्रेम को प्रदर्शित करती हुई मधुर वाणी और महत्त्वपूर्ण दृष्टि में ही धर्म का निवास है।^४ दूसरे मनुष्यों के हृदयों को आह्लादित करनेवाली मधुर-वाणी बोलने वाले व्यक्ति के पास दारिद्र्य-दुःख नहीं फटकता।^५ नम्रता और स्नेहपूर्ण वचन ही मनुष्य के वास्तविक अलंकार हैं।^६ विचारो में पावित्र्य, वाणी में कोमलत्व से मनुष्य के पाप नष्ट होकर धर्म की अभिवृद्धि होती है।^७ अन्य की सहायता करते हुए मनुष्योचित मधुर-वाणी से इस जन्म में तथा इसके उपरान्त भी धर्म की रक्षा होती है।^८ सहृदयतापूर्ण, क्षुद्रतारहित शब्दावली इहलोक एव परलोक में भी लाभ प्रदान करती है।^९ मधुर-वचनो के प्रयोग से होने वाले लाभो को जानते हुए भी मनुष्य के कटु-वचनो के व्यवहार पर आश्चर्य होता है।^{१०} मीठे शब्दो के होते हुए कटु-वचनो का प्रयोग पके फल छोड़कर कच्चे फल तोड़कर खाने के सदृश है।^{११}

१ (क) साचा नाव अलाह का, सोई सति करि जाणि ।

निहचल करि ले बनूगी, दादू सो पखाणि ॥

—स० वा० स०, भाग १, पृ० ६४ ।

(ख) जो तेरे घर साच है तो कहि काठि जनाब ।

अन्तरजामी जानि है अतरतम का भाव ॥

—(कबीर), वही, पृ० ४६ ।

(ग) भूठा साचा करि लिया विष अमृत करि जाना ।

दुख कौं सुख सब कोई कहै, ऐसा जगत दीवाना ॥—(दादू) वही, पृ० ६४ ।

२ कुरल ६१, तुलनीय—ऋग्वेद ३।५।५।७।६—'या ते जिह्वा मधुमती सुमेधा' इत्यादि ।

३ कुरल ६२ ।

४ कुरल ६३ ।

५. कुरल ६४ ।

६ कुरल ६५ ।

७. कुरल ६६ ।

८. कुरल ६७ ।

९. कुरल ६८ ।

१० कुरल ६९ ।

११. कुरल १०० ।

संत कबीर कोमल एव मधुर-वाणी को तो धर्म का अंग मानते हैं। कटु-वचनों का आघात अत्यन्त तीव्र होता है, अतः मधुर, कोमल शब्दावली का प्रयोग ही श्रेष्ठ-मार्ग है। उनका मत है—

ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोइ ।

अपनां तन सीतल करै, औरा कौं सुख होइ ॥^१

मधुर-वाणी का प्रयोग न केवल बोलने वाले की शीतलता प्रदान करता है अपितु सुनने वाले को भी सुख देने में समर्थ होता है। साधु के लक्षणों में एक प्रमुख लक्षण मधुर वचनों का प्रयोग है। उस साधु का क्या लाभ जो जिह्वा पर नियन्त्रण नहीं कर पाता और कटु-वचनों का प्रयोग कर दूसरे को कष्ट देता है—

‘साधु भया तौ क्या भया, बोलै नाहि बिचारि ।

हतै पराई आतमा, जीभ बांधि तरवारि ॥’^२

कटु-वचन तलवार के समान घाव करते हैं। व्यक्ति के चरित्र की पहचान उसके द्वारा प्रयुक्त वचनों से सम्भव है, जैसे भाव हृदय में होंगे वैसे वाणी मनुष्य बोलेंगा, अतः शब्द-प्रयोग के आधार पर साधु और असाधु का अन्तर ज्ञात हो जाएगा।^३ ईश्वर के नाम से प्रेम रखनेवाले व्यक्ति की वाणी स्वयमेव मधुर हो जाएगी, उसकी वाणी से मानो मोती और हीरे झरेंगे।^४ समाज में कुटिल वचनों का प्रयोग तो किया ही जाता रहेगा अतः उनको सहन करने की क्षमता भी व्यक्ति में होनी चाहिए। सभी व्यक्ति तो इसमें समर्थ हो नहीं सकते, अतः कटु-वचन सहन करने में जो सफल हो जाए वही साधु है। खोदने को धरती सहन करती है, वन काट-छाट सहन करता है, इसी प्रकार कटु-वचनों को सहन करता है साधु।^५ कबीर का मत है कि प्रत्येक स्थान में वह सर्वनियामक स्वयं निवास करता है अतः कटु वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।^६

निम्न भाषण—तिरुवल्लुवर ने वाणी-नियन्त्रण पर विशेष बल दिया है। ‘इनियवै कूरल्’^७ अर्थात् ‘मधुर-वचन’ अध्याय के अन्तर्गत कटु-वचनों के त्याग का संदेश देते हुए मधुर-भाषण का

१. कबीर ग्रन्थावली (पा० ना० ति०), पृ० १६५।

२. वही, पृ० १८७।

३. बोलत ही पहिचानिए साधु चोर का घाट।

अतर घट की करनी निकसै मुख की बाट ॥

—वही, पृ० १८७।

४. कबीर हरि के नाब सौं, प्रीति रहे इकतार।

तौ मुख तै मोती भरै, हीरा अनत अपार ॥

—वही, पृ० १६५।

५. खोद खाद धरती सहै काट कूट बनराइ।

कुटिल बचन साधु सहै दूर्जे सहा न जाइ ॥

—वही, पृ० १५६।

६. घट घट में वह साईं रमता।

कटुक वचन मत बोल रे।

७. अध्याय, १०।

उपदेश दिया है। 'पयनिल चोत्सर्ग' अर्थात् 'व्यर्थ-भाषण' में वे व्यर्थ-भाषण के सम्भव दुष्परिणामों को स्पष्ट करते हुए इसके त्याग का संदेश देते हैं। उनका मत है कि व्यर्थ प्रलाप से अन्य व्यक्तियों को अप्रसन्न करने वाला सब की दृष्टि में हेव बन जाएगा।^१ बुधा प्रलाप करना मित्रों के प्रति अनुचित कर्म करने से भी हीन है।^२ निष्प्रयोजन प्रलाप करने वाला स्वयं को नीति-विहीन सिद्ध करता है।^३ असंस्कृत, निरर्थक वचन व्यक्ति को धर्म-विमुख कर निरादर देते हैं।^४ श्रेष्ठ व्यक्ति भी यदि व्यर्थ प्रलाप करे तो कीर्ति और सम्मान खो देगा।^५ बुधा भाषण करने वाला मनुष्य तो भूसे के समान थोथा है।^६ विद्वान् के द्वारा कठोर शब्दों का प्रयोग उसके द्वारा किए गए व्यर्थ प्रलाप से कहीं श्रेयस्कर है।^७ उच्चतर मूल्यों के ज्ञाता विद्वान् कभी भी निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करते।^८ यदि मनुष्य को बोलना ही है तो तत्त्वयुक्त शब्दों को व्यवहृत करे।^९ यही कारण है कि माया के भ्रम से मुक्त, तत्त्वज्ञानी अनजाने में भी व्यर्थ शब्दों का प्रयोग नहीं करता।^{१०}

कवि ने व्यर्थ-भाषण से बचने को उच्चतर मूल्यों के अन्तर्गत माना है। विद्वान् व्यक्ति का व्यर्थ-भाषण में लिप्त न होने का उदाहरण जन-साधारण के लिए इस अबगुण से परे रहने का संदेश है। कबीर जानते हैं कि बोलत बोलत तत नसाई, अत वे कहते हैं 'बोलना का कहिये रे भाई'। अधिक बोलने से विकार बढ़ते हैं, 'आधा घट' अधिक बोलता है। मनभाषण का एक अन्य कारण यह भी है कि सत कम हैं, और 'सत मिलै, कछु कहिये कहिये' तथा 'मिलै असत मुष्टि करि रहिये'। उनके अनुसार ज्ञानी व्यक्ति से वात्सलाप हितप्रद एवं आनन्ददायक है, पर 'मूरिख सू बोल्या म्ब मारी'।^{११} लोक प्रसिद्ध उक्ति 'अधजल गगरी छलकत जाए' को आधार बनाकर कबीर कहते हैं—कहै कबीर आधा घट डोलै, भरया होइ ती मुषां न बोलै।^{१२} कायर व्यक्ति ही बहुत अधिक बोलता है, शूरवीर कभी बहकता नहीं, वास्तविकता का ज्ञान तो अवसर आने पर होता है।^{१३} व्यक्ति का मूल्यांकन तो उसके कर्मों से होता है, उसके कथनों से नहीं।^{१४}

१. कुरल, १९१।

२. कुरल १९२।

३. कुरल १९३।

४. कुरल १९४।

५. कुरल १९५।

६. कुरल १९६।

७. कुरल १९७।

८. कुरल १९८।

९. कुरल २००।

१०. कुरल १९९।

११. कबीर प्रभावली, पृ० ८५।

१२. वही।

१३. कायर बहुत पमावहीं, बहकि न बोलै सूर।

काम परे ही जानिए, किसके मुख परि नूर ॥—वही, पृ० १८१।

१४. कथनीं कथी तो क्या मया जो करनी ना ठहराइ ॥—वही, पृ० २४१।

तिरुवल्लुवर और कबीर के व्यर्थ-भाषण विषयक विचारों की तुलना से स्पष्ट है कि दोनों कवि सारहीन कथनों को अनुचित मानते हैं। सारहीन व्यर्थ-प्रलाप से मनुष्य जीवन के मूल-सत्य से हटकर अनावश्यक कार्यों की ओर अग्रसर हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति व्यर्थ के प्रलाप से लिप्त नहीं होने क्योंकि इससे मनुष्य तत्त्व से बचित हो जाता है।

धर्म का व्यक्तिपरक रूप—कर्म

अहिंसा एवं मांसाहार निषेध—‘कोल्लाम’ के अन्तर्गत तिरुवल्लुवर अहिंसा को मूल धर्म मान मानव-मात्र को प्राणियों के प्रति दया भाव का संदेश देते हैं। हिंसा से सभी पाप स्वतः आकृष्ट होते हैं। अतः मनुष्य को अहिंसा धर्म का निर्वाह करना चाहिए।^१ अन्य मनुष्यों के साथ बांट कर भोजन करना और दूसरे जीवों की रक्षा करना सभी धर्म-ग्रन्थों का सार है।^२ महत्त्व की दृष्टि से सत्य-भाषण का स्थान भी अहिंसा के पश्चात् है।^३ मुक्ति भी जीव-हत्या से विमुख रहने पर ही प्राप्त होगी।^४ जीव-रक्षा में प्रवृत्त गृहस्थ का महत्त्व ससार-त्यागी से अधिक है।^५ अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य के आनन्दमय जीवन को जीवन-भक्षी मृत्यु भी नहीं घसती।^६ वल्लुवर का मत है कि अन्य के प्राणों की रक्षा में स्वप्राणों की आहुति दे देना भी उचित है।^७ हिंसा से प्राप्त धन से कितनी ही उन्नति प्राप्त हो, तत्त्वज्ञाता इसे निकृष्ट मानते हैं।^८ हत्याकर्म से प्राप्त साधनों से जीवन व्यतीत करने वालों का चाण्डाल-कर्म विद्वानों की दृष्टि में हेय है।^९ हिंसा-कर्म से मनुष्य को रोग एवं दारिद्र्य की प्राप्ति होती है।^{१०}

मांसाहार-निषेध का समावेश अहिंसा के ही अन्तर्गत हो जाता है पर विशेष बल देने की दृष्टि से वल्लुवर ने इन पर दो अलग अध्यायों में विचार किया है। मनु इत्यादि स्मृति-कारों ने अहिंसा और मांसाहार-निषेध को धर्म के अन्तर्गत मानते हुए इन पर विचार किया है। मनु अहिंसा से मनुष्य को मुक्ति मिलने की स्वीकृति देते हैं।^१ बृहस्पति स्मृति में कहा गया है कि दूसरे के जीवन की रक्षा करने से जीवन सफल होता है, अहिंसा से रूप, ऐश्वर्य, आरोग्य प्राप्त होते हैं।^२ महाभारत के अनुशासन-पर्व में अहिंसा को परम-धर्म मानते हुए दान, दम,

१ कुरल ३२०।

२ कुरल ३२१, तुलनीय सत्य धर्म इति ह्येके वदन्ति बहवो जन।

यत् स्यादहिंसासयुक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥—महा०।

३ कुरल ३२३, तुलनीय अनृत तु भवेद्वाच्यं न तु हिंसा कदाचन ॥—महा०।

४ कुरल ३२४।

५ कुरल ३२५।

६ कुरल ३२६।

७ कुरल ३२७।

८ कुरल ३२८, तुलनीय अहिंसापाश्र्व धर्मं दान्तो विद्वान् समाचरेत् ॥—महा०।

९ कुरल ३२९।

१०. कुरल ३३०।

११. अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥—मनु० ६।६०।

१२. धनं फलति दानेन जीवितं जीवरक्षणात्।

रूपमैश्वर्यमारोग्यमहिंसा फलमश्नुते ॥—बृ० स्मृति, ७१।

यज्ञ, सुख, तीर्थ इत्यादि से अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है।^१ महाभारतकार का मत है कि जो व्यक्तित्व प्राणीमात्र पर दया करता है, मांसभक्षण नहीं करता, किसी से नहीं डरता, वह धीर्बुद्धि, आरोग्य तथा सुखी होता है।^२ मनु का मत है कि जो जीवों का वध नहीं करता, वह सबका हिताभिलाषी अत्यन्त सुख प्राप्त करता है।^३ जीवों की हिंसा किए बिना मांस उपलब्ध नहीं हो सकता और जीवों की हिंसा स्वर्ग-साधन नहीं है, अतः मांस-भक्षण छोड़ देना चाहिए।^४ सौ वर्ष तक प्रतिवर्ष अवभेध यज्ञ करने एक मांस न खाने का पुण्यफल बराबर है।^५ इस प्रकार अहिंसा एवं मासाहार-निषेध को परम्परा का विश्वास और शास्त्र की स्वीकृति, दोनों ही प्राप्त हैं।

दया-भाव को धर्म का विशिष्ट अंग मानने वाला कवि 'पुलाल्मरुत्तल्' के अन्तर्गत मासाहार का विरोध करता है। किसी जीव के प्राणों का नाश कर उसके मांस का भोजन करने वाला मनुष्य दयारहित हो जाता है।^६ अपव्ययी के पाम धन और मासाहारी के पास दयाभाव शेष नहीं रहता,^७ इसी प्रकार सहारक-अस्त्र के धारण करने वाले के सदृश मासाहारी दयारहित होता है।^८ मासाहार अधर्म है, हिंसा क्रूरता है।^९ मांसभक्षण न करने से जीव-रक्षा होती है, मासाहारी को नरक प्राप्त होगा और उस नरक से बाहर निकलने के मार्ग अवरुद्ध हो

- १ अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिंसा पर तप ।
अहिंसा परम सत्य यतो धर्मं प्रवर्तते ॥—महा० अनु० ११५।२३ ।
अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिंसा परो दम ।
अहिंसा परम दानमहिंसा परम तप ॥
अहिंसा परमो यज्ञस्तथाहिंसा पर फलम् ।
अहिंसा परम मित्रमहिंसा परम सुखम् ॥
सर्वयज्ञेषु वा दान सर्वं तीर्थेषु वाऽऽप्लुतम् ।
सर्वदानफल वापि नैतत्तुल्यमहिंसया ॥—बही, ११६।२८-३० ।
- २ अधृष्य सर्वभूतानामायुष्मान्नीरुज सुखी ॥
भक्त्यभक्षयन्मांस दयावान् प्राणिनामिह ॥—महा० अनु० ११५।४० ।
और देखें अनुशासन पर्व, अध्याय ११४, ११५ ।
- ३ यो बन्धनवधक्लेशान्प्राणिना न चिकीर्षति ।
स सर्वस्य हितप्रेप्सु सुखमत्यन्तमश्नुते ॥—मनु० ५।४६ ।
- ४ नाकृत्वा प्राणिना हिंसा मांसमुत्पद्यते क्वचित् ।
न च प्राणिवध स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥—मनु० ५।४८ ।
- ५ वर्षे वर्षेऽवभेधेन यो यजेत शत समा ।
मांसानि च न खादेद्यस्तयो पुण्यफल समम् ॥—मनु० ५।५३ ।
- ६ कुरल २५१ ।
- ७ कुरल २५२, तुलनीय य इच्छेत्पुरुषोऽयत्तमात्मानं निरुपद्रवम् ।
स वर्जयेत् मांसानि प्राणिनामिह सर्वश ॥
महा० अनु० ११५।४८ ।
- ८ कुरल २५३ ।
- ९ कुरल २५४ ।

जाएँगे ।^१ कुछ मनुष्य यह तक देते हैं कि वे तो हत्या नहीं करते, केवल विक्रय के लिए प्रस्तुत मांस का ही रूप करते हैं, उनकी ओर संकेत करते हुए कवि का कथन है कि यदि लोग खाने के लिए मांस क्रय न करें तो कोई उसे विक्रय के लिए प्रस्तुत ही क्यों करे ?^२ मनुष्य यदि एक बार भी अन्य जीव को प्राप्त घाव और यन्त्रणा का ज्ञान प्राप्त कर ले तो कभी भी मांस खाने की कामना न करे ।^३ अतः विशुद्ध-बुद्धि मनुष्य जीव-हत्या से प्राप्त मांस कभी ग्रहण नहीं करते ।^४ आहुतियाँ दे कर यज्ञ-कर्म से भी श्रेष्ठ है जीव-हत्या एव मासाहार में प्रवृत्त न होना ।^५ अहिंसक मांसभक्षण न करने वाले व्यक्ति का सम्पूर्ण विश्व में आदर होता है ।^६

अहिंसा-धर्म से प्रभावित दृष्टि के कारण वल्लुवर मासाहार एव जीवहत्या का तीव्र विरोध करते हैं । दया-भाव को महत्त्व देने के फलस्वरूप हिंसा एव मासाहार का निषेध अनिवार्य रूप से धर्म के अंगों में समाविष्ट हो गया है । यही कारण है कि यज्ञादि कर्म करने से भी श्रेष्ठ कर्म मांस-भक्षण न करना स्वीकार किया गया है ।

कबीर के मत में दूसरे जीवों को नष्ट कर अपने शरीर को बृद्धि देना अपने जन्म को व्यर्थ करना है ।^७ हत्या चाहे 'जिबह' कही जाए या 'हलाल' हत्या ही है । इस प्रकार जीव की हत्या करने वाले से जब मुख्य-कार्यालय (दफतरि) में जीवन के कार्यों का लेखा मांगा जाएगा तब कोई भी रक्षा नहीं कर पाएगा ।^८ जीव हत्या का उत्तर तो ईश्वर के सम्मुख देना पड़ेगा । जो इस कार्य में लिप्त हैं, उन्हें दण्ड का भी भागी बनना होगा ।^९ कबीर 'हलाल' और 'हक्क' इत्यादि को बोर पाप मानते हैं क्योंकि यह जीवहत्या है, हिंसा है । चाहे बकरा हो, चाहे मुर्गा या अन्य कोई भी जीव, हत्या कर उसका मांस-भक्षण अधर्म है । यह पीडा देने वाला नृशस

१ कुरल २५५ ।

२. कुरल—२५६, तुलनीय यदि चेत् खादको न स्यान्त तदा घातको भवेत् ।
घातक खादकार्थयि तद् घातयति बं नर. ॥

—महा० अनु० ११५।२६ ।

३ कुरल २५७ ।

४ कुरल २५८ ।

५. कुरल २५९, तुलनीय मनु० ५।५३ ।

६. कुरल २६०, तुलनीय न भक्षयति यो मास न च हन्यान्त घातयेत् ।
तन्मित्र सर्वभूताना मनु स्वायभुवोऽब्रवीत् ॥

—महा० अनु० ११५।१० ।

७ जीवहिं मारि जीव प्रतिपारं देखत जनम आपनों हारं ॥

—कबीर ग्रन्थावली (पा० ना० ति०), पृ० १२१ ।

८ जीअ जु मारहि जोर करि कहते हैं जु हलाल ।

जब दफतरि लेखा मागिहै तब होइगा कौन हवाल ॥

—वही, पृ० २११ ।

९. जोर किया सो जुलुम है लेइ जवाब खुदाइ ।

दफतरि लेखा नीकसै मारि मुहँमुहि खाई ॥—वही ।

कारण है, साईं की सभी जीव प्यारे हैं, उन्हें कष्ट देने वाला कभी भी भुक्त नहीं होता ।^१ मांस क्रम करने वालों को इतित करते हुए कबीर मांस के घर लाने, जीवित को मारने, दोनों कार्यों से दूर रहने का उद्देश देते हैं ।^२ कबीर-काव्य में मांसाहार-निषेध विषयक कथन पर्याप्त मात्रा में आए हैं । निष्कर्ष यह है कि बल्लुवर और कबीर दोनों कवि अहिंसा मार्ग को अपनाने का आदेश देते हुए मांस-भक्षण का विरोध करते हैं ।

सदाचार—धर्म के व्यापक रूप को निश्चित शीर्षकों में समाहित कर पाना अत्यन्त दुष्कर है । तिरुवस्तुवर और कबीर द्वारा निर्दिष्ट धर्म का आधार समाज है । व्यक्ति की कर्म-शुद्धता समाज को प्रभावित करती है । अतः 'धर्म' के विश्लेषण में अनेक ऐसे विषय समाहित हो जाते हैं जो समाज के सदस्यों में नवीन अर्थवत्ता ग्रहण करते हैं । यह उल्लेखनीय है कि दोनों कवियों द्वारा निर्दिष्ट 'धर्म' का मार्ग आज भी स्वीकार्य है क्योंकि युग-परिवर्तन मूल मानवीय सिद्धान्तों में परिवर्तन नहीं करता ।

'ओळुक्कुमुट्टै' शीर्षक के अन्तर्गत चरित्र-रक्षा पर बल देते हुए, बल्लुवर ने, सदाचार के महत्त्व और दुराचरण के कुप्रभावों पर विचार किया है । आचरण की पवित्रता से यश प्राप्त होता है अतः सदाचरण प्राणों से भी बढ़कर है ।^३ सदाचरण के विकास एवं उसकी रक्षा का जागरूक प्रयास आवश्यक है क्योंकि इससे बढ़कर साथी कोई नहीं ।^४ सदाचार से मनुष्य के परिवार को यश प्राप्त होता है, दुराचरण उसे निम्न वर्ग में ले जाता है ।^५ ब्राह्मण को यदि ज्ञान विस्मृत हो जाए तो उसका पुनः अध्ययन सम्भव है, पर एक बार चरित्र नाश होने पर उसकी प्रतिष्ठा सदा के लिए नष्ट हो जाती है ।^६ ईर्ष्यालु मनुष्य सुख-समृद्धि प्राप्त नहीं करता, इसी प्रकार चरित्रहीन व्यक्ति को यश की प्राप्ति नहीं होती ।^७ दृढ मस्तिष्क व्यक्ति सदाचार का त्याग नहीं करते क्योंकि वे इससे होने वाले कष्टों से परिचित हैं ।^८ समाज में सदाचारी व्यक्ति सम्मानित होता है, दुराचारी अपयश और निन्दा का पात्र बनता है ।^९ आचरण की पवित्रता धर्म का मूल है, इसके विपरीत दुराचरण कष्टों को जन्म देता है । सदाचारी व्यक्ति अनजाने में भी अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करता ।^{१०} जो व्यक्ति अनेक विद्याओं का अध्ययन

१ (क) सरजीव आनं देह बिनासं माटी बिसमिल कीआ ।

जोति सरूपी हाथि न आया कही हलाल क्यू कीआ ॥

(ख) कुकडी मारै बकरी मारै हक्क हक्क करि बोलै ।

सब जीव साईं के प्यारे उबरहुगे किस बोलै । —कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०),

२. जितन न मारि मुवा मति लावै ।

पृ० १०७ ।

मास बिहनां धरि मति आवै हो कता ॥—वही, पृ० ७३ ।

३ कुरल १३३, तुलनीय साधूना पुनराचारो गरीयान् धर्मलक्षण. ॥—महा० ।

४ कुरल १३२ ।

५ कुरल १३३ ।

६ कुरल १३४ ।

७ कुरल १३५ ।

८ कुरल १३६ ।

९ कुरल १३७ ।

१०. कुरल १३८ ।

करके भी समाज के साथ^१ मिलकर उचित आचरण नहीं करते वे अज्ञानी ही कहे जाएंगे।^१ वल्लुवर आचरण की शुद्धता के अन्तर्गत कटु वचनों के प्रयोग से बचने का उल्लेख करते हैं। उनके मतानुसार आचरण की शुद्धता से यश, सुख एवं समृद्धि की आशा है पर यदि व्यक्ति सदाचार का त्याग कर दे तो पाप, कष्ट, अपयश, निन्दा, परिवार की निन्दा इत्यादि 'फल' उसे भोगने पड़ते हैं।

जीवन के विभिन्न पक्षों पर विचार करते समय कबीर ने मन की पवित्रता तथा सदा-चरण को भी अपने काव्य का विषय बनाया है। विभिन्न उक्तियों में उन्होंने मन को पवित्र रखने तथा विकार त्यागने के लिए उपदेश दिया है। कुछ स्थलों पर कबीर ने इस बात का अनुभव किया है कि विषय-वासना के त्याग एवं मन की निर्मलता के फलस्वरूप ईश्वर स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। कबीर मानते हैं कि सच्चा मन होने पर 'साहिब' निकट रहता है परन्तु मन में यदि झूठ है तो वह ऐसे व्यक्ति से बहुत दूर हो जाता है।^१ यदि भक्त शील और सतोष रूपी दो कगन धारण कर ले तो उसका मार्ग निश्चय ही सरल हो जाता है,^२ पर मन पापी है, विकार तथा विषय-वासनाओं को त्यागने पर भी सफल नहीं हो सकता।^३ कबीर तो यह मानते हैं कि 'तेई जन सूचे जे हरि भजि तजहि विकारा'^४ अतः उनका सदेश यही है कि 'डगमग छाडि दे मन बीरा'^५ ऐसा करने पर निश्चय ही जीवन का मार्ग सरल हो जाएगा। मन की निर्मलता ही तो सदाचार का मूल आधार है, जिसका मन निर्मल है उसे तो हरि स्वयं बूढ़ते फिरते हैं।^६ सत्य का आस्वादन तो निर्मल मन अर्थात् सदाचरण के द्वारा ही सम्भव है। जो ऐसा करने में असमर्थ है वे 'अनचीन्हें' रह जाते हैं और जो स्वयं निर्मल हो जाते हैं वे 'सत्य' जान जाते हैं।^७ अतः सज्जन व्यक्ति को सदाचार का त्याग नहीं करना चाहिए उसे अनेक असत ही क्यों न मिलें।^{१०}

संक्षेप में कबीर ने सदाचरण एवं मन की पवित्रता पर विशेष बल दिया है। शील तथा सतोष ग्रहण कर, मन को निर्मल रखने का सदेश दिया है। इस जीवन में यह महत् कार्य कितना कठिन है इसका अनुमान भी उन्हें था अतः उन्होंने कहा—'हिरदं सुख किया नहिं

१ कुरल १३६।

२. कुरल १४०।

३ साचं मन तैं साहिब नेरें भूठें मन तैं भागा ॥—कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० ११

४ शील सतोख पहिरि दोइ कगन होइ रही मगन दिवानी ॥—वही, पृ० ११।

५ अजहु बिकार न छोडई पापी मनु मदा।

बिख बिखिया की बासना तजौं नजी न जाई ॥—वही, पृ० २३।

६. वही, पृ० ११२।

७. वही, पृ० ३३।

८ कबीर मन निरमल भया जैसा गगा नीर,
तब पाछै लागा हरि फिरै कहत कबीर कबीर ॥

—वही, पृ० २०७।

९. जिन चीन्हें ते निरमल अगा अनचीन्हें ते भए पतगा ॥—वही, पृ० १२३।

१० सत न छाडै सतई, जो कोटिक मिलहिं असत ॥—वही, पृ० १५३।

बीरे कहत सुनत दिन बीता रे ।^१ इसी प्रकार के विचार अन्यत्र भी उपलब्ध हैं ।^२

धर्म का समाजगत रूप—लोकाचार

अपरिग्रह—जिस समाज में 'व्यक्ति' की सम्पत्ति को महत्त्व दिया जाता है, वहाँ यह एक अनिवार्य आवश्यकता है कि एक दूसरे की सम्पत्ति चोखे से हस्तगत करने का प्रयास न हो। वल्लुवर के समाज में अन्य की सम्पत्ति हस्तगत करने की घटनाएँ हुई हों और उन्हें इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता प्रतीत हुई हो, इसकी पूर्ण सम्भावना है। मानवमात्र को अधर्मकार्य से परिचित करवाने के लिए ही कवि पराई सम्पत्ति का लोभ न करने का उपदेश देते हुए इससे सम्भव अनेक कष्टो एव हानियो का उल्लेख करता है।

धर्म-मार्ग का त्याग कर दूसरे की सम्पत्ति हस्तगत करने वाले व्यक्ति का परिवार नष्ट हो उसे अपयश की प्राप्ति होगी ।^३ दुष्कर्मों से बचने वाले मनुष्य क्षणिक लाभ के लिए लोभ नहीं करते ।^४ वास्तविक आनन्द-प्राप्ति के इच्छुक अन्य की सम्पत्ति कभी नहीं हथियते ।^५ इन्द्रिय-निग्रही, निष्कलक, विद्वान् अभावग्रस्त होने पर भी अन्य की सम्पत्ति की कामना नहीं करते ।^६ यदि व्यक्ति लोभवश दूसरे की सम्पत्ति प्राप्त करने की मूर्खतापूर्ण चेष्टा करे तो उसका विस्तृत एव स्पष्ट ज्ञान व्यर्थ है ।^७ ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने का इच्छुक धर्म-मार्ग का पथिक यदि अर्थलोभ से पापकर्म में प्रवृत्त होगा तो नष्ट हो जाएगा ।^८ लोभवश प्राप्त धन के भोग से कभी भी आनन्द की प्राप्ति नहीं होती ।^९ यदि व्यक्ति अपनी सम्पत्ति की रक्षा करना चाहता है तो उसे अन्य की सम्पत्ति का लोभ नहीं करना चाहिए ।^{१०} धर्म के ज्ञाता, बुद्धिमान, निर्लोभी मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। लक्ष्मी स्वयं चल कर उसके पास आएगी ।^{११} लोभ से दुर्गति होगी और निर्लोभी व्यक्ति जीवन में अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होगा ।^{१२} स्पष्ट है कि वल्लुवर लोभ को अधर्म मानते हुए उसे मूर्खतापूर्ण चेष्टा कहते हैं। इससे प्राप्त सम्पत्ति से व्यक्ति आनन्दोपलब्धि नहीं कर सकता। वल्लुवर लोभ-विषयक अपने मत की पुष्टि में सभी सम्भव कष्टो का उल्लेख कर इसके फलस्वरूप प्राप्त सम्पत्ति को क्लेश और दुःख का कारण मानते हैं।

कबीरदास लोभ के अन्तर्गत केवल सम्पत्ति एवं धन इत्यादि समाविष्ट नहीं करते,

- १ वही, पृ० ५५।
- २ छाडि कपट नित हरि भज बौरा ॥—वही, पृ० १००।
३. कुरल १७१।
४. कुरल १७२।
५. कुरल १७३।
६. कुरल १७४।
७. कुरल १७५।
८. कुरल १७६।
९. कुरल १७७।
१०. कुरल १७८।
११. कुरल १७९।
१२. कुरल १८०।

वे तो विश्व की प्रत्येक वस्तु को इसमें गिनते हैं। उनका मत है कि लोभ त्याग देने पर व्यक्ति का मन संशय-मुक्त हो जाता है।^१ यह जन्म रत्न के सदृश अमूल्य है पर प्राणी लोभवश उसे व्यर्थ ही खो देता है।^२ यह नखर शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है पर मनुष्य लोभ में लिप्त है और लालच तथा माया के भ्रम में भूल कर जन्म को व्यर्थ ही नष्ट कर देता है।^३ लोभ की लहर में फस कर व्यक्ति बिना जल ही डूब जाता है।^४ जो व्यक्ति राम-नाम का आधार प्राप्त कर लेता है, उसको लोभ और अहंकार प्रभावित नहीं करते।^५ लोभ को कबीर पाप के अन्तर्गत मानते हैं।^६ इस आधार पर वे लोभ के त्याग का उपदेश देते हैं, सत्य-मार्ग की प्राप्ति का यही मार्ग है।^७

तिरुवल्लुवर और कबीर द्वारा ग्रहण किए गए 'लोभ' के अर्थ में अन्तर है। वल्लुवर 'बेहू-काम' के अन्तर्गत पराई सम्पत्ति पर दृष्टि रखने, उसे हस्तगत करने इत्यादि विषयो पर विचार करते हैं। कबीर के लिए ससार की प्रत्येक वस्तु के प्रति मोह 'लोभ' के अन्तर्गत है। वे निष्काम-कर्म के मार्ग पर अग्रसर होने का उपदेश देते हैं, उनके मत में किसी भी वस्तु के प्रति लोभ अनुचित है, अतः त्याग्य है।

निन्दा न करना — किसी व्यक्ति की, सद्भाव से प्रेरित होकर की गई स्वस्थ आलोचना उसको अपने दोष सुधारने का अवसर देना है। मनुष्य शनै-शनै अपने अवगुणों का त्याग कर श्रेष्ठ मानव बनने के मार्ग पर अग्रसर होता है। परन्तु इसके विपरीत एक अन्य प्रवृत्ति है— किसी मनुष्य की उसकी अनुपस्थिति में निन्दा करना। इस प्रकार की निन्दा में मनुष्य प्रायः ईर्ष्या अथवा द्वेषादि के कारण प्रवृत्त होता है। 'पुरडकूराम' के अन्तर्गत इसी प्रकार की निन्दा के विभिन्न पक्षों पर विचार करते हुए तिरुवल्लुवर ने निन्दा को अनेक कष्टों का कारण माना है। वे निन्दा में प्रवृत्त व्यक्ति को अधर्म में प्रवृत्त मानते हैं। 'निन्दा' की कटु आलोचना का एक अन्य कारण जीवन के उचित मूल्यों की स्थापना का जागरूक प्रयास है। निन्दक प्रायः विश्वास-पात्र होने का ढोंग रखकर स्वस्थ सामाजिक वातावरण में विष-वमन करता है, अतः ऐसे व्यक्ति की वास्तविकता का परिचय देना नीति एवं धर्म का निर्धारण करने वाले कवि के लिए उचित ही है।

तिरुवल्लुवर का कथन है कि व्यक्ति धर्म वचन न बोले, अधार्मिक-कार्य करे, परन्तु

१ होइ निसक मगन होइ नाचं लोभ मोह भ्रम छाडं ।

—कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० ३३ ।

२ प्राणी काहे कं लोभ लागे रतन जनम खोयी ॥—वही, पृ० ३५ ।

३. पापी जियरा लोभ करता है आजु कालि उठि जाइगा ।

लालच लागे जनम गवाया माया भरमि भुलाइगा ॥

—वही, पृ० ४४ ।

४ आबैगी कोई लहरि लोभ की बूडैगा विनु पानी ॥—वही, पृ० ५४ ।

५ राम नाम निज पाया मारा लागे लोभ न और हकारा ॥

—वही, पृ० १२८ ।

६ जहां लोभ तह पाप ॥—वही, पृ० १६० ।

७ (क) काम कोष लोभ मोह बिबरजित, हरिपद चीन्है सोई ॥—वही, पृ० १६ ।

(ख) परिहर लोभु अरु लोकाचार ॥—वही, पृ० ४६ ।

पीठ पीछे किसी की निन्दा का अधर्म न करे ।^१ पीछे किसी की निन्दा और उसके समक्ष मधुर भाव से सुझावना धर्म-विरोध करने और पाप में लिप्त होने से भी अधिक अनुचित है ।^२ पर-निन्दा जैसा दुष्कर्म करते हुए असरदायित्व जीवनयापन से अच्छा मार्ग तो दरिद्र रहकर श्रुत्यु प्राप्त करना है, इस प्रकार से परनिन्दा से विमुख मनुष्य, सद्गति प्राप्त करेगा ।^३ अपने सामने बैठे व्यक्ति की चाहे कितनी भी कटु आलोचना कर लो पर पीठ पीछे कभी कटु-वचन मत कहो ।^४ धर्म का ढोंग करने वाले की एक पहचान है—उसका परनिन्दा के पाप में प्रवृत्त होना ।^५ अन्य व्यक्तियों के दोषों का वर्णन करने वाले मनुष्य के दोषों की आलोचना अन्य व्यक्ति करेंगे, परिणामतः उसका निरादर होगा ।^६ मधुर-वचनों से मैत्री की रक्षा करने में अस्मर्थ पीठ पीछे कटु-वचनों के प्रयोग द्वारा बन्धु-बांधवों से भी अलग हो जाएंगे ।^७ जो अपने निकट के मित्र की भी निन्दा करते हैं वे अन्य लोगों के प्रति न जाने क्या कर्म करेंगे ?^८ धरती सम्भवतः अपने धर्म-धर्म की रक्षा के लिए ही ऐसे निन्दक व्यक्तियों को धारण करती है ।^९ मनुष्य यदि दूसरों के दोषों का छिद्रान्वेषण न कर अपने दोषों को देखे तो उसे कष्ट ही क्यों हो ?^{१०} इस प्रकार कवि ने परनिन्दा के पाप को स्पष्ट कर, इसमें प्रवृत्त मनुष्य को पृथ्वी का बोझ माना है । किसी की आलोचना उसके समक्ष करने की अनुमति दी है, पर किसी की अनुपस्थिति में दोष-विवेचन को कुकर्म माना है । अपने मित्र की निन्दा को अधर्म मान, ऐसे निन्दक से दूर रहने का सकते हैं ।

कबीर आत्मश्लाघा और परनिन्दा दोनों को त्याज्य मानते हैं क्योंकि इस विश्व में कब क्या हो जाए, कोई नहीं जान सकता ।^{११} मनुष्य अन्य के दोषों को देखकर अत्यन्त प्रसन्न होता है पर उसके अपने दोषों का न आदि है, न अंत, यह तथ्य उसकी दृष्टि से ओझल रहता है ।^{१२} ससार की कोई भी वस्तु, चाहे वह कितनी ही निम्न क्यों न हो निन्दा के योग्य नहीं, क्योंकि पावो तले रौंदी जाने वाली तुच्छ घास, आख में पड़ जाने पर क्या रग ला सकती है

- १ कुरल १८१ ।
- २ कुरल १८२ ।
- ३ कुरल १८३ ।
- ४ कुरल १८४ ।
५. कुरल १८५ ।
- ६ कुरल १८६ ।
- ७ कुरल १८७ ।
- ८ कुरल १८८ ।
९. कुरल १८९ ।
- १० कुरल १९० ।

- ११ आपनपौ न सराहिए, पर निदिए न कोई ।
अजहूं लबे घोहडे, ना जानौ क्या होइ ॥

—कबीर प्रयावली (पा० ना० ति०), पृ० २१८ ।

- १२ दोख पराए देखि करि, चला हसंत हसत ।
अपनै चीति न आवई, जिनकी आदि न अंत ॥—बही, पृ० २१७ ।

यह सर्वविधित है ।^१ दूसरों की निन्दा और अपनी की प्रशंसा भी कबीर उचित नहीं समझते ।^२ साधु की निन्दा करने वाले पर सकट आता है, वह नरक में गिरता है और कभी भी मुक्त नहीं होता ।^३

कबीर यद्यपि 'निन्दा' करना अनुचित मानते हैं, पर 'निन्दक' को अपने आगन में कुटी बनवाकर देने का विचार प्रकट करते हैं क्योंकि वह हमारे दोषों को दिखाकर हमारे स्वभाव को निर्मूल्य करने का महान कार्य करता है ।^४ निन्दा-विषयक कबीर की एक और दृष्टि भी है । निन्दक हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारे दोषों को प्रत्यक्ष कर देता है, यही कारण है कि कबीर 'निंदो निंदो मोको लोग निंदो' की रट लगाते हैं । 'निन्दा होय त बैकुंठ जाइये' इसलिए 'निन्दा करे सुह भरा मीत' । निन्दक तो हमारा धोबी है, 'हमारे कपरे निन्दक घोइ' और इस प्रकार 'निन्दा हमारा करे उधार' । जिसे हमारा उद्धार हो उसके प्रति आदरभाव होना स्वाभाविक है । निन्दक द्वारा हमारे दोषों का उद्घाटन होता है, हम उन दोषों के प्रति जागरूक हो उनका निराकरण करते हैं, इस प्रक्रिया में होता यह है कि 'निन्दक डूबा हम उतरे पार' ।^५ एक अन्य स्थल पर भी कबीर ने इसी भाव को अभिव्यक्त किया है ।^६ इस प्रकार के कथन कबीर की अपनी विशेषता है, जब मीधे कथन प्रभाव करने में असफल रहते हैं तो शैली व्यंग्य का आधार ग्रहण करती है ।

अक्रोध—मनु ने धर्म के दस लक्षणों में अक्रोध को भी स्थान दिया है ।^७ गीता में श्रीकृष्ण ने क्रोध को रजो-गुण से उत्पन्न मानते हुए इसे मनुष्य का शत्रु माना है ।^८ महाभारत में

१ कबीर घास न निदिए जो पात्रा तलि होइ ।

ऊडि पड़े जब आखि में, ती खरा दुहेला होइ ॥

—कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० २१८ ।

२ आपनपी न सराहिपे, और कहिए रक ॥

—वही

३ जो कोई निंदै साधु की मकटि आवै सोइ ।

नरक माहि जाई मरे मुकुनि न कबहू होइ ॥

—वही

४ निन्दक नेरे राखिए आगनि कुटि बधाई ।

बिन साबुन पानी बिना निरमल करै सुभाइ ॥—वही

५ कबीर प्रथावली, पृ० २२९-३० ।

६ जैसे धुबिया रज मल धोवै, हर तप रत सब निन्दक खोवै ।

न्यदक मेरे माई बाप, जन्म जन्म के काटे पाप ।

न्यदक मेरे प्रान अधार, बिन बेगारि चलावै भार ।

कहै कबीर न्यदक बलिहारी, आप रहे जन पार उतारी ॥

—वही, पृ० १५३ ।

७ मनु०, ६।९२ ।

८ काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भूव ।

महाशनो महागप्त्वा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥—गीता, ३।३७ ।

और देखें—गीता, ३।४१, ५।२३, ५।२६, १६।२१ ।

‘अक्रोध’ को धर्म के लक्षणों में से एक स्वीकार किया गया है ।^१ इसी परम्परा में तिरुवल्लुवर और कबीर ने अक्रोध की यथेष्ट महत्त्व प्रदान किया है । तिरुवल्लुवर क्रोध का वास्तविक दमन करने का उपदेश देते हैं ।^२ वास्तविक दमन से अभिप्राय है कि व्यक्ति क्रोध का वहां नियंत्रण करे जहां वह दूसरे को हानि पहुंचाने में समर्थ है, निर्बल व्यक्ति के क्रोध-नियंत्रण का कोई अर्थ नहीं होता ।^३ निर्बल का क्रोध अनुचित है, पर शक्तिशाली का क्रोध कुत्सित अपराध है ।^४ क्रोध का परिहार होना चाहिए अन्यथा यह अनर्थ का कारण बनता है ।^५ इससे अधिक भयंकर क्षत्रु नहीं क्योंकि यह मनुष्य के आनन्द और उत्साह को नष्ट करता है ।^६ मनुष्य को क्रोध से अपनी रक्षा करनी चाहिए अन्यथा यह सर्वनाश कर देगा ।^७ यही नहीं, क्रोध जीवनधारा में नाव-सवश सहायक दृष्ट-बन्धुओं को भी नष्ट कर देता है ।^८ पृथ्वी पर बलपूर्वक हाथ मारने का परिणाम है ‘कण्ट’, यही दशा क्रोध करने पर होती ।^९ यदि कोई अग्नि से जला डालने के सदृश अनर्थ भी करे तो भी क्रोध से यथासम्भव दूर ही रहना चाहिए ।^{१०} क्रोध को हृदय में स्थान न देने वाले मनुष्य की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी ।^{११} तिरुवल्लुवर के मत में क्रोध के वशीभूत व्यक्ति मृतक समान है, क्रोध-त्याग करने में समर्थ ऋषि समान हैं ।^{१२} इस प्रकार तिरुवल्लुवर क्रोध से सम्भव मोह और भ्रान्ति, और उसके परिणामस्वरूप कर्तव्याकर्तव्य-विवेक-हीन स्थिति से बचने के लिए क्रोध से विमुक्त होने का उपदेश देते हैं ।

कबीर का कथन है कि काम, क्रोध और तृष्णा के कारण मनुष्य बिना जल ही डूब जाता है ।^{१३} यह काम और क्रोध देह पर काबू पाए हुए हैं ।^{१४} जो मनुष्य इनसे बचना चाहे उसे जूझना पड़ेगा, सघर्ष करना होगा ।^{१५} इससे बचना कठिन है क्योंकि यह अपने दलबल सहित मन पर अधिकार किए हुए है ।^{१६} मनुष्य को जान लेना चाहिए कि जहां क्रोध है वहां काल का

१ स० महा० १३।२।४० ।

२ कुरल ३०१ ।

३ कुरल ३०२ ।

४ कुरल ३०३, तुलनीय क्रोधमूलो विनाशो हि प्रजानामिह दृश्यते ।

—महा०, अरण्य० ३।३०।३ ।

५ कुरल ३०४ ।

६ कुरल ३०५ ।

७ कुरल ३०६ ।

८ कुरल ३०७ ।

९ कुरल ३०८ ।

१० कुरल ३०९ ।

११ कुरल ३१० ।

१२ काम क्रोध तिसनां के मारे बूड़ि मुएहु बिनु पांनी ।—कबीर भथावली (पा० ना० ति०)
पृ० ४ ।

१३ काम क्रोध मल भरि रहा देह पखारै ॥—वही, पृ० ४ ।

१४ काम क्रोध सौं जूझना चौड़े मांडा खेत ॥—वही, पृ० १८० ।

१५ क्रोध प्रधान लोभ बड़ दुदर मनु मीवासी राजा ॥—वही, पृ० १६ ।

निवास है, इसका त्याग कर देने का सतत प्रयास करते रहना चाहिए।^{१३} इसके छूटे बिना माया नहीं छूटेगी।^{१४} पर जो हरि-पद-प्राप्ति के इच्छुक हैं, वे इसका त्याग कर देंगे।^{१५} बल्लुवर और कबीर दोनों ही कवि क्रोध का त्याग करने का उपदेश देते हैं और मानसिक-शान्ति तथा परम-सत्य की उपलब्धि में इसे बाधा स्वीकार करते हैं।

पर-स्त्री वर्जन—सामाजिक वातावरण में स्त्रीय लाने के लिए एव उसे दुराचरण से मुक्त रखने के लिए पारिवारिक जीवन की पवित्रता अनिवार्य आवश्यकता है। मनु ने पर-स्त्री-गमन को पुरुष की आयु क्षीण करने वाला कर्म कहा है।^{१६} हारीत स्मृति में परस्त्री गमन से विरत हो अपनी स्त्री से ही प्रेम करने का सदेश है।^{१७} वेद-व्यास स्मृति में भी परस्त्री-योग को ऐसा पाप माना गया है जो तीर्थ-स्नान से भी नष्ट नहीं होता।^{१८} बल्लुवर इस सत्य से परिचित हैं कि यदि पत्नी का चरित्र श्रेष्ठ हो, वह सतीत्व-युक्त हो, पति की आज्ञा का उल्लंघन न कर प्रेम और सद्भाव से गृहस्थ चलाए तो परिवार कलह एव क्लेश से मुक्त रहेगा। यह विचार उन्होंने 'बाळक-त्तुणनलम्'—'सहस्रमिणी के गुण' शीर्षक अध्याय में व्यक्त किए हैं।^{१९} यदि पत्नी का चरित्र उज्ज्वल न हो तो गृहस्थ-जीवन की आधार-शिला ही हिल जाती है। पत्नी के चरित्र की रक्षा के लिए समाज के पुरुष-वर्ग का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि अपने काम-सम्बन्ध अपनी पत्नी तक ही सीमित रखे। 'पिरनिलु बिळयामै'—'परस्त्री-वर्जन' शीर्षक के अन्तर्गत पुरुष-मात्र को इस अधर्म कार्य से विमुक्त रहने का आदेश देते हुए बल्लुवर व्यभिचार एव सीमोल्लघन के लिए पुरुष को दोषी ठहराते हैं।

बल्लुवर का मत है कि धर्म और सम्पत्ति के नियमों से परिचित व्यक्ति पर-स्त्री को प्रेम करने की मूर्खता नहीं करते।^{२०} धर्म-कार्यों से विमुक्त व्यक्तियों में निकृष्ट वह है जो पड़ोसी की स्त्री की कामना करता है।^{२१} पड़ोसी से कवि का अभिप्राय अन्य व्यक्ति से है। उसके अनुसार विश्वास करने वाले मित्र की पत्नी की कामना करने वाला तो मृत हो गया है।^{२२} मनुष्य

१. . जहा क्रोध तह काल है ॥—कबीर ग्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० १६०।

२. काम क्रोध हकार बिआर्प ना छूटे माया ॥—वही, पृ० २२।

३. परिहरु कामु क्रोधु हकार ॥—वही, पृ०, ४६।

४. . काम क्रोध सोभ मोह बिबरजित हरिपद चीन्हें सोई ॥—वही, पृ० १६।

५. न हीशमानायुष्य लोके किचन विद्यते ।

यादृश पुरुषस्येह परदारोपसेवनम् ॥—मनु०, ४।१३४।

६. स्वदारनिरतो नित्य परदार बिबरजित ॥—हारीत स्मृति, १।२७।

७. परदारान् परद्रव्य हरते यो दिने दिने ।

सर्व्वतीर्थाभिषेकेण पाप तस्य न नश्यति ॥—व्यासस्मृति, ४।५।

८. कुरल क्रम स० ५१ से ६० तक ।

९. कुरल १४१, तुलनीय परदारा न गन्तव्या सर्व्ववर्णेषु कश्चित् ।

नहीदशमानायुष्य लोके किचन विद्यते ॥—महा० ।

१०. कुरल १४२ ।

११. कुरल १४३, तुलनीय य स्वदारान् परित्यज्य पारक्या सेवते स्त्रियम् ।

निरयान्नेव मुच्यते यावदाभूतसप्लवम् ॥—महा० ।

चाहे कितना ही महान् क्यों न हो, यदि वह व्यभिचार की लज्जा का ध्यान न कर परस्त्री-गमन करता है तो वह किस काम का ?^१ परस्त्री-गमन को साधारण बात समझ कर जो व्यक्ति यह पापकर्म करता है, वह इसके पाप के प्रभाव से सदैव कलंकित रहेगा।^२ व्यभिचारी को शत्रुता पाप और भय तथा निन्दा से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी।^३ किसी अन्य की पत्नी की कामना न करना धर्माचरण मात्र ही नहीं, प्रत्युत मूल सदाचार है।^४ सद्गृहस्थ का यह लक्षण है कि वह अन्य की पत्नी की कामना न करे।^५ समुद्रावृत्त पृथ्वी के विभिन्न देशों का अधिकारी वही व्यक्ति है जो अन्य पुरुष की स्त्री के स्क्वो को अपने बाहुपाश में आबद्ध नहीं करता।^६ मनुष्य चाहे धर्मकार्य न करे, चाहे समस्त पापकर्म करे पर दूसरे की पत्नी की कामना न करे।^७

उपर्युक्त कथनों के आधार पर तिरुवल्लुवर द्वारा समाज में सामान्य गृहस्थ-जीवन के लिए स्त्री के सतीत्व को दिया गया महत्त्व स्पष्ट है। व्यभिचारी व्यक्ति न केवल अपनी हानि करता है अपितु सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन कर अविश्वास और अधर्म के बीज बोता है। अतः यह आवश्यक हो गया कि इस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए नीति का निर्धारण हो तथा इस कार्य की स्पष्ट एवं तीव्र निन्दा की जाए। कवि को अपने इस सद्प्रयास में अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है।

पर-स्त्री के साथ अनुचित सम्बन्धों को आधार बना कर सत कबीर ने व्यभिचार की निन्दा की है। कबीर ने यह कार्य दो प्रकार से किया है। प्रथम तो साधारण मानव-जीवन में इस प्रकार के सम्बन्धों की निन्दा और द्वितीय 'आत्मा' को नारी मान, उसका इस जगत् के भोग-विलास में लिप्त हो जाना भी 'व्यभिचार' के अन्तर्गत लिया है। कबीर की दृष्टि वल्लुवर से तनिक भिन्न है। उन्होंने साधारणतः इन सम्बन्धों के लिए नारी को दोषी ठहराया है। इसके लिए नारी की निन्दा की है, पुरुष-वर्ग पर विशेष आक्षेप नहीं किया। सम्भवतः यह 'नारी' और 'माया' को परस्पर सम्बद्ध करने के कारण हुआ है। लहसुन किसी भी कोने में बैठ कर खाया जाए, उसकी गन्ध आ ही जाती है। पराई स्त्री का सम्बन्ध भी चाहे कितना ही सावधानी से एव छिपा कर किया जाए, अन्ततः प्रगट हो ही जाता है।^८ पर-नारी प्रत्यक्ष छुरी के समान है, इससे मनुष्य को अपनी रक्षा करनी चाहिए।^९ "हरि" और सब अवगुण क्षमा कर

१. कुरल १४४।

२. कुरल १४५।

३. कुरल १४६।

४. कुरल १४७।

५. कुरल १४८।

६. कुरल १४९।

७. कुरल १५०।

८. परनारी की राखनी, जस लहसुन की खानि।

कौनै बैठे खाइए, परगट होइ निदानि ॥

—कबीर प्रयावली (पा० ना० ति०), पृ० २३१।

९. परनारी परतखि छुरी, विरला बाँचै कोइ ॥—बही, पृ० २३२।

देता है, व्यभिचार को क्षमा नहीं करता, किन्तु मनुष्य अधा है, सावधान नहीं होता।^१ पर-नारी में अनुरक्त व्यक्ति कुछ दिवस चाहे आनन्द कर ले, अन्त में समूल नष्ट हो जाता है।^२ मनुष्य चाहे कितना ही ज्ञानवान क्यों न हो, यदि इन्द्रियो के वशीभूत हो जाए तो निश्चय ही नष्ट हो जाता है।^३ यदि 'नारी' अपने 'पति' के अतिरिक्त किसी अन्य के साथ काम-सम्बन्ध स्थापित करती है तो पति के आदर की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? ^४ किसी स्त्री का अन्य के साथ व्यभिचार उसे पति की दृष्टि में हीन बना देगा, उसका आदर नष्ट हो जाएगा।^५ 'पर नारी पर सुन्दरी, बिरला बचै कोइ',^६ 'पर-नारी के रांचणै, औगुण है गुण नाहि'^७ के मूल में कबीर का यही सदेश है कि 'खाता मीठी खाड-सी, अति काल विष होइ'। 'नर नारी सब नरक है, जब लग देह सकाम' के आधार पर चलने वाले कबीर सामाजिक भयार्था को भग करने वाली इस प्रवृत्ति को पूर्णतया अस्वीकृत करते हैं। सामाजिक जीवन में स्थिरता लाने, वातावरण को निष्कलक बनाने और गृहस्थ जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिए कबीर सच्चरित्रता का सदेश देते हैं। इस दृष्टि से दोनों कवि पूर्णरूपेण एकमत हैं।

बाह्य-आडम्बर-विरोध—गीता में कृष्ण सन्यास और कर्मयोग दोनों को मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला मानते हैं।^८ ससार में दो प्रकार की प्रवृत्ति वाले मनुष्य होते हैं। प्रवृत्ति मार्ग पर अग्रसर और निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर। दोनों ही सत् मार्ग हैं, पर जो वेषधारी नाम-मात्र के सन्यासी हैं, जो सन्यास ग्रहण करने के पश्चात् भी विविध भोगादि के साधनों में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोग इस मार्ग के अधिकारी नहीं हैं। केवल वेष से सन्यासी समाज में अनर्थ का कारण बनता है। तपस्वी के सदभं में आचरण की पवित्रता का महत्त्व स्वप्रमाणित है। समाज में सत् और असत्, उचित एव अनुचित तथा तपस्वी एव ढोगी का अंतर जान लेना कठिन है। इस दृष्टि से तिरुवल्लुवर तवम् के पश्चात् 'कूटर ओळक्कुम्' अथवा 'पाखण्ड' शीर्षक के अन्तर्गत दुराचारी, ढोगी तपस्वियों का उल्लेख करते हुए प्रकारान्तर से तपस्वी के लिए निषिद्ध कार्यों का भी

१ अध्या नर चेतै नही, कटै न ससै सूल ।

और गुनह हरि बकसिहै कामी डाल न मूल ॥

—कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० २३३

२ पर नारी राता फिरै, चोरी बिढ़ता खाहि ।

दिवस चारि सरसा रहै, अन्ति समूला जाहि ॥—वही, पृ० २३४ ।

३ ग्यानी तौ नीडर भया मानै नाही सक ।

इन्द्री केरै बसि पडा, भूजं बिल्लै निसक ॥—वही

४ नारि कहाबै पीव की, रहै और सग सोइ ।

जार मीत हृदया बसै, खसम खुसी क्यों होइ ॥—वही, पृ० १७५ ।

५ कबीर जे कोइ सुदरी, जानि करै बिभिचारि ।

ताहि न कबहु आदरै, परम पुरिख भरतार ॥—वही, पृ० १७७ ।

६ कबीर प्रथावली, पृ० ३० ।

७ वही, पृ० ३१ ।

८ सन्यास कर्मयोगश्च नि श्रेयसकरावुभौ ॥—गीता ५।२ ।

संकेत देते हैं। शीश में वर्णित संन्यासी के लक्षणों से बल्लुवर का दृष्टिकोण अभिन्न है।^१

मनुष्य के दुराचरण को धन्य कोई जाने या न जाने, उसके शरीर के पाँचों तत्त्व उससे परिचित रहते हैं; तपस्वी के वेश में ढोगी के पाँचों तत्त्व अन्दर ही अन्दर उस पर हंसते हैं।^२ तपस्वी वेश आकाश के समान है। यदि उसे धारण करने पर भी मनुष्य पाप-कर्म में लिप्त रहे तो उसका क्या लाभ ?^३ तपस्वी के लिए इन्द्रिय-निग्रह प्रथम आवश्यकता है, इसमें असमर्थ व्यक्ति शेर की खाल में घास चरते वाली गाय से सदृश है।^४ तपस्वी वेश में पापाचार करने वाला मनुष्य पाखण्ड कर रहा है, वह छिपकर पत्नी पकड़ने वाले बहेलिए के समान बचक है।^५ स्वर्ण को 'विरक्त' कहने वाला मनुष्य यदि दुराचरण करेगा तो उसे कठोर यत्रणा का भोग करना होगा।^६ 'विरक्त' कहलाने से पूर्व मनुष्य को हृदय से मुक्त होना आवश्यक है।^७ ढोगी व्यक्ति का बाह्य रूप तो घुघुकी के समान सुन्दर होता है, पर उसका हृदय उसके काले दाग के सदृश होता है।^८ बल्लुवर का कथन है कि तीर्थस्थानों में अनेक ढोगी तापस-वेश धारण कर कुकर्मों में लिप्त रहते हैं।^९ मानव की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए; बाह्य रूप, वेश आदि से नहीं। क्योंकि तीर सीधा होता है पर घाव करता है, यादू (वीणा) टेढ़ी होने पर भी मधुर ध्वनि देती है।^{१०} यदि मनुष्य का हृदय शुद्ध है तो सिर मुड़वाने या जटा रखवाने की क्या आवश्यकता है।^{११}

बाह्य-आडम्बर एव ढोग के विषय में कबीरदास विशेष सजग हैं। उनके काव्य में व्रत, तप, तीर्थ, केश कटवाना, जटा रखना, माला फेरना, मूर्ति-पूजा, मुल्ला का बाग देना, यती या संन्यासी का विभिन्न वेश धारण करना, इत्यादि अनेक कार्यों को व्यर्थ मान, बाह्य-आडम्बर एव ढोग की कटु निन्दा की गई है। धर्म के बाह्य ढोग से धर्म का पालन नहीं होता, उसके लिए तो सतत प्रयास की आवश्यकता है।^{१२} विभिन्न प्रकार के पाखण्ड रचकर जनता को मूर्ख बनाना कबीर पूर्णतः अनुचित मानते हैं।^{१३} जब तक अन्तस् शुद्ध नहीं होता,

१ ज्ञेय स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ।

निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बध्नात्प्रमुच्यते ॥—गीता, ५।३।

२ कुरल २७१।

३. कुरल २७२।

४ कुरल २७३।

५ कुरल २७४।

६ कुरल २७५।

७ कुरल २७६।

८. कुरल २७७।

९. कुरल २७८।

१० कुरल २७९।

११ कुरल २८०।

१२ कुरल सुलनीय कल कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम् ।

न नगमग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥—मनु० ६।६७।

१३. छह दरसन पाखण्ड छपानदं, आकुल किनहु न जाना ॥

—कबीर अथावली (पा० ना० ति०), पृ० ३६।

तब तक तीर्थ-स्नानादि सब व्यर्थ हैं। इससे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी।^१ बाह्य वेश आदि के बिषय में उनका कथन है कि 'ब्रह्मा नहीं जब टोपी दीन्हा, बिस्नु नहीं जब टीका' तो फिर बाह्य-आडम्बर की क्या आवश्यकता है ?^२ उस परम सत्य को जान पाने में अनेक योगी, जटाधारी असमर्थ रहे हैं।^३ मूर्तिपूजा करते हुए हिन्दू, हज करते हुए तुर्क, जटा धारण करने वाले योगी सब नष्ट हो गए, पर उस प्रभु की शक्ति को कोई न जान पाया।^४ योगी, यती, तपस्वी, संन्यासी विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करते हैं, वे चाहे लम्बी जटाएं धारण कर लें, चाहे केश कटवा डालें, अब तक सत्यमार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे, ये सब व्यर्थ हैं।^५ उचित मार्ग तो भ्रम से मुक्ति प्राप्त कर लेना है, व्यक्ति चाहे असत्य वेश धारण करे हृदय के पवित्र हुए बिना सत्य ज्ञान प्राप्त करने में सफलता नहीं मिलेगी।^६

अनेक तथ्यों का एक तथ्य यह है कि दोग अथवा 'चतुराई' के मार्ग से हरि की प्राप्ति नहीं होगी।^७ यदि मन चंचल है तो तीर्थ-यात्रा करना व्यर्थ है, सत्य की प्राप्ति तो होगी नहीं, पापों का बोझ और भी बढ़ जाएगा।^८ तन से योगी तो सब हो सकते हैं, पर वास्तविक योगी तो मन का होता है। यदि मनुष्य मन से योगी हो जाए तो सब प्रकार की सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाएंगी।^९ बाह्य-आडम्बर और दोग की कटु आलोचना करते हुए कबीर ने अनेक उक्तियां कही हैं। इनमें मन को पवित्र करने का निर्देश करते हुए सत्य-मार्ग का अवलम्बन करने का संदेश है।^{१०} कबीर-काव्य में बाह्य-आडम्बर-विरोध विषयक समस्त कथन एक स्वतन्त्र

१ अंतरि भैस जे तीरथ न्हावै तिन बैकठ न जाना ॥

—कबीर ग्रन्थावली (पा० ना० ति०), पृ० ४६ ।

२ वही, पृ० ८४ ।

३ कबि जन जोगी जटा धारि, सब आपन औसर चले हारि ॥—वही, पृ० २६ ।

४ बुत पूजि पूजि हिन्दू भूप, तुष्क मुए हज जाई ।

जटा धारि धारि जोगी भूप, तेरी गति किनहु न पाई ॥—वही, पृ० ५० ।

५ जोगी जती तपी सन्यासी बहु तीरथ भ्रमना ।

सुचित मुडित मोनि जटाधर अति तऊ मरना ॥—वही, पृ० ५६ ।

६ भरम न भागा जीव का अनतहि धरिया भेख ।

सतगुर परचै बाहिरा अंतरि रहि गई रेख ॥—वही, पृ० २२२ ।

७ चतुराई हरि ना मिले यह बाता की बात ॥—वही, पृ० २२३ ।

८ तीरथ चाले बुद्धजना चित चंचल मन चोर ।

एकी पाप न काटिया लावा मन दस और ॥—वही, पृ० २२५ ।

९ तन कौ जोगी सब करे मन कौ बिरला कोइ ।

सब सिधि सहजै पाइए जो मन जोगी होइ ॥—वही, पृ० २२२ ।

१० (क) साईं सेती सांच चलि औरा सी सुध भाइ ।

भाबै लाबै केस करि भाबै घुरडि भुडाइ ॥—वही, पृ० २२१ ।

(ख) मन सेवासी मूडि ले केसौ मूडै कोइ ।

जो किछु किया सु मन किया, केसौ किया ताहि ॥—वही, पृ० २२१ ।

(ग) सासा फेरै मनमुली तारै कछु न होइ ।

मन मासा कौ फेरता घट उजियारा होइ ॥—वही, पृ० २२२ ।

अध्ययन का विषय बन सकता है। यहां अत्यन्त सीमित रूप में इस अंश को ग्रहण किया है। प्रस्तुत विवेचन से तिरुवल्लुवर और कबीर के विचारों के एक होने का प्रमाण स्वतः प्रस्तुत हो गया है। दोनों कवि मन की पवित्रता पर बल देते हैं, डोंम की कटु आलोचना करते हैं एवं सत्य मार्ग के अवलम्बन का संदेश देते हैं। इन कवियों द्वारा दिया गया यह संदेश सामाजिक सुधार का एक शक्तिशाली माध्यम रहा है।

परोपकार

तिरुवल्लुवर ने 'ओप्पुरवरितल्'^१ अर्थात् परोपकार को धर्म के अन्तर्गत समाहित करते हुए इसे विशेष महत्त्व प्रदान किया है। पूर्व-वर्णित धर्म-कार्यों के समान परोपकार के दो निश्चित प्रभाव हैं—(क) प्रत्येक व्यक्ति परोपकार करे तो मानव समाज का कल्याण सुगम हो जाता है। (ख) सामाजिक स्तर पर उच्चतर मूल्यों की स्थापना सम्भव हो जाती है। विभिन्न धर्मों में सह-अस्तित्व की भावना की स्वीकृति का आधार यही है कि अन्य मनुष्य भी हमारे ही समान महत्त्वपूर्ण हैं। 'स्व' का विस्तार कर अन्य को सुखी बनाने की भावना का संदेश कामायनीकार ने भी दिया है। औरों को सुखी बनाकर ही अपना सुख विस्तृत होता है।^२ परोपकार-सम्बद्ध परम्परागत भावों का मनुष्य की नैतिक प्रवृत्ति पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। जब मनुष्य सर्वाधिक स्वमूलक (Self-regarding) होता है वही समय उसके 'स्व' से दूर होने का होता है अर्थात् जब 'व्यक्तिगत' भावनाओं का त्याग कर, स्व-अस्तित्व को भुला समाज के अन्य मनुष्यों के साथ सम्बद्ध होता है उस समय वह अपने वास्तविक रूप का परिचय प्राप्त कर 'आत्म' का ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार मानव भावनाओं के उच्चतर सोपान पर परोपकार का भाव स्वतः जागृत एवं विकसित होता है। विद्वानों ने परोपकार को आत्मा के शक्ति-तत्त्व के रूप में स्वीकार किया है। यह तो धर्म ही है एवं इसका आधार प्रेम

(घ) कर पकरें अगूरी गिर्न मन धावै चहु ओर ।

जाहि फिराया हरि मिलै सो भया काठ की डोर ॥—वही, पृ० २२२ ।

(ङ) कबीर माला मन की और ससारी भेख ।

माला पहिरे हरि मिलै तो अरहट कै गलि देखि ॥—वही ।

(च) कबीर हरि की भगति का मन में बहुत हुलास ।

मनमनसा भाजै नहीं होत चहत है दास ॥—वही, पृ० २२३ इत्यादि ।

१ "ओप्पुरवरितल्" शब्द का अर्थ तमिल लेक्सिकन, पृ० ५९६ के आधार पर 'परोपकार' उचित ठहरता है। वहां उपलब्ध अर्थ है—'दान, इत्यादि से सम्बद्ध विषयों में समाजानु-मोदित उचित मार्ग का परिचय अथवा ज्ञान।' पर कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ 'शिष्टाचार' भी किया है। सम्भवतः दोनों में भेद न करने के कारण ऐसा हुआ है।

२. औरों को हँसते देख मनु

हँसो और सुख पाओ,

अपने सुख को विस्तृत कर लो

सब को सुखी बनाओ ।—कामायनी, प्रसाद, पृ० १३२ ।

तत्त्व है ।^१

तिरुवल्लुवर का मत है कि परोपकार के बदले में किसी प्रकार की आशा नहीं करनी चाहिए क्योंकि बर्षा प्रदान करने वाले बादलो को क्या पुरस्कार मिलता है ?^२ मनुष्य जीवन में परिश्रम से धन अर्जित करता है, उसका उद्देश्य यही है कि सत्पात्र की सहायता की जाए ।^३ परोपकार से श्रेष्ठ धर्म-कार्य इहलोक में अथवा देवलोक में नहीं है ।^४ परोपकारी ही जीवित है, शेष सब तो मृतक ही हैं ।^५ समृद्ध परोपकारी मनुष्य सदा जल से पूर्ण सरोवर के समान है ।^६ इस प्रकार का मनुष्य गाव के मध्य में लगे फलयुक्त वृक्ष के सदृश है ।^७ परोपकारी का धन, मनुष्यों को, औषधि के लिए प्रयुक्त होने वाले वृक्ष के समान कण्टो से मुक्त करता है ।^८ उचित कर्त्तव्य के ज्ञाता दारिद्र्य में भी परोपकार से विमुक्त नहीं होते ।^९ जब वे सहायतापेशी की सहायता करने में असमर्थ होते हैं तो स्वयं को दरिद्र समझते हैं ।^{१०} परोपकार से यदि नैर्बन्ध प्राप्त हो तो भी श्रेयस्कर है, स्वयं को बेचकर भी परोपकार उचित है ।^{११} कबीर-काव्य में 'परोपकार' पर विशेष बल दिया गया है । 'स्व' और 'पर' के अभेद की स्वीकृति निष्काम परोपकार का आधार है । जब तक 'मोर-तोर' और 'ऊँच-नीच' की स्थिति रहेगी भेद विद्यमान रहेगा । अन्य प्राणियों के प्रति सद्भाव से प्रेरित परहित-सलग्न मनुष्य ही जीवन में सफलता-श्री को प्राप्त करता है । यह ससार 'धूरि मेह' के समान है और 'तन धन जोबन अँजुरी की पानी', इस रहस्य को जानने वाले 'स्व' के स्थान पर 'पर' के कल्याण को प्राथमिकता देंगे । कबीर परोपकार को लौकिक एव पारलौकिक सफलता के लिए आवश्यक मानते हुए कहते हैं—'आपा पर सब एक समान, तब हम पाया पद निरबाण ।'^{१२}

अतिथि सत्कार

अतिथि सेवा प्राचीन काल से ही समाज में स्वीकृत है । गृहस्थ के कर्त्तव्य-कर्मों में

१ It (benevolence) is the very energy of the soul, according to its highest excellence, in a perfect life Man is no longer viewed as a mass of tendencies, among which benevolence may be enumerated He is living being, a true organism of 'unity in difference' when man is most self-regarding, he is least himself

—*Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol II, p 477

- २ कुरल २११ ।
- ३ कुरल २१२ ।
- ४ कुरल २१३ ।
- ५ कुरल २१४ ।
६. कुरल २१५ ।
- ७ कुरल २१६ ।
- ८ कुरल २१७ ।
९. कुरल २१८ ।
१०. कुरल २१९ ।
- ११ कुरल २२० ।
- १२ कबीर स्रवावली, पृ० २०८ ।

अतिथि-सत्कार सर्वस्वीकृत है। तिरुवल्दुवर के अनुसार गृहस्थ का निर्वाण ही अतिथि-सेवा के उद्देश्य से होता है।^१ अतिथि को घर से सत्पुष्ट किए बिना लौटा देना अनुचित है। अनिच्छम् (शिरीष) का पुष्प सूंघने से मुर्झा जाता है, अतिथि की ओर से मुंह फेर लेने पर उसके हृदय की भी यही दशा होती है।^२ मनुष्य चाहे अमरत्व प्रदान करने वाले अमृत का ही पान क्यों न कर रहा हो, उस समय भी अतिथि का सहर्ष स्वागत करना चाहिए।^३ यथोचित अतिथि-सत्कार के फलस्वरूप निर्धनता और दैन्य से रक्षा होती है।^४ प्रसन्न मुख से अतिथि का सत्कार करने वाले मनुष्य के घर में लक्ष्मी का सानन्द निवास होता है।^५ ऐसे व्यक्ति को, जो अतिथि को खिलाने के पश्चात् शेष बचा पदार्थ ग्रहण करता है, खेत बोने की भी आवश्यकता नहीं।^६ घर आए अतिथि की सेवा करने के उपरान्त आने वाले अतिथि की प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति देवलोक का प्रिय अतिथि बनेगा।^७ अतिथि-सत्कार नामक यज्ञ के परिणामस्वरूप मिलने वाला फल अतिथि द्वारा प्राप्त संतुष्टि पर निर्भर करता है।^८ अतिथि यज्ञ के अभाव में धन-ऐश्वर्य संचित करना व्यर्थ है, वास्तविक लक्ष्य तो अतिथि-सत्कार है।^९ इसके बिना धनी अपने धन के मध्य भी निर्धन है, यह मूर्खतापूर्ण स्थिति है।^{१०} कबीर ने अतिथि-सत्कार में सज्जन साधु की सेवा को विशेष महत्त्व दिया है। जिस घर में साधु की सेवा नहीं होती, उस घर को उन्होंने 'मरहट' सदृश मान कर उसमें निवास करने वालों को 'भूत' माना है।^{११} कबीर तो इस जगत् को भी अतिथिगृह मानते हैं और स्वयं को 'चारि दिवस के पाहुने',^{१२} पर यह एक अन्य दृष्टि-कोण है। सत की सेवा का कारण यह है कि वह 'राम' का नाम जपने का मार्ग दर्शाता है। तिरुवल्दुवर और कबीर दोनों कवियों ने अतिथि-सत्कार को दो भिन्न रूपों में समझा है। तिरुवल्दुवर ने इसे परम्परा से स्वीकृत गृहस्थ के धर्म के रूप में ग्रहण किया और कबीर ने इसे

१ कुरल ८१।

२. कुरल ६०।

३ कुरल ८२ तुलनीय न वै स्वय तदहनीयादतिथि यन्न भोजयेत् ।
धन्य यशस्यमागुष्य स्वर्ग्यं वातिथिपूजनम् ॥—मनु० ३।१०६

४ कुरल ८३।

५. कुरल ८४, तुलनीय सुमुख सुप्रसन्नात्मा धीमानतिथिमागतम् ।
स्वागतेनासनेनादिभिरन्नाद्येन च पूजयेत् ॥—महा० ।

६ कुरल ८५, तुलनीय अतो मृष्टतर नास्यत् पूत किञ्चिच्छतकतो ।
दत्त्वा यस्त्वतिथिभ्यो वै भुङ्क्ते तेनैव नित्यश ॥

—महा० वन० १६३।३४ ।

७. कुरल ८६।

८ कुरल ८७।

९ कुरल ८८।

१० कुरल ८९।

११ जा घर साध न सोवियहि हरि की सेवा नाहि ।

ते घर मरहट सारखे भूत बसहि तिन माहि ॥—कबीर ब्रंथावली, पृ० १६४ ।

१२. वही, पृ० १६५ ।

साधु-सेवा के परिप्रेक्ष्य में ग्रहण किया। वह साधु सगति को 'बैकुण्ठ' का आनन्द प्रदान करने वाली मानते हैं।^१

दान

परोपकार एव अतिथि-सत्कार के ही समान 'दान' का भी साप्सृहिक जीवन के लिए विशेष महत्त्व है। वास्तव में इनकी मूल भावना में अन्तर नहीं। भारतीय जीवन में 'दान' धर्म का एक अभिन्न अंग है। दयाभाव या त्यागभाव में प्रेरित होकर दान देना धर्म में स्पष्टतः मान्य है। वैदिक साहित्य एव धर्म-शास्त्रों में गृहस्थ के प्रमुख कर्त्तव्य के रूप में दान का उल्लेख हुआ है।

मनु ब्राह्मण,^२ क्षत्रिय^३ एव वैश्य^४ के कर्मों का उल्लेख करते समय 'दान' का उल्लेख करते हैं। ब्राह्मण के लिए दान देने और लेने का विधान है पर क्षत्रिय एव वैश्य के लिए दान देने मात्र का उल्लेख है। ब्राह्मण को दान देने के फलस्वरूप मृत्यु उपरान्त स्वर्ग प्राप्ति का भी मनु ने वर्णन किया है।^५ राजा के कर्त्तव्य-कर्मों का निर्देश करते समय मनु ने दान को बहुत महत्त्व दिया है।^६ यहाँ भी मनु मानते हैं कि मनुष्य सत्यात्र को दिए गए दान के फल को परलोक में प्राप्त करता है।^७

तिरुवल्लुवर ने 'ईकै' अर्थात् 'दान' शीर्षक अध्याय में दान से सम्बद्ध विभिन्न पक्षों पर विचार किया है। दान का अर्थ स्पष्ट कर उसका महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। तिरुवल्लुवर के मत में दान का अर्थ है—निर्धन अथवा अभाव-पीडित को दी गई सहायता।^८ अन्य सब उपहारों में तो बदले में कुछ प्राप्त करने की आशा रहती है, पर दान में यह भाव नहीं रहता।^९ दान देने से यदि स्वर्ग भी छिन्ता हो तो भी दान देना उचित है, पर दान लेने से यदि स्वर्ग भी मिलता हो तो भी दान लेना अनुचित है।^{१०} पीडित, निर्धन, व्यक्ति को मांगने से भी पहले दान देना सदवर्गीय मनुष्य का लक्षण है।^{११} याचित व्यक्ति जब तक याचक को पूर्णतः

१. कबीर प्रथावली, पृ० २२३।

२ "दान प्रतिग्रह चैव"—मनु०, १।८६।

३ 'दानमिज्याध्ययनमेव'—मनु०, १।८६।

४. मनु०, १।६०।

५ "धनानि तु यथाशक्ति विप्रेषु प्रतिपादयेत् . स्वर्गं समश्नुते।"—मनु० ११।६।

६. (अ) "धर्मार्थं चैव विप्रेभ्यो दद्याद्भोगान्धनानि च"—मनु०, ७।६६।

(आ) न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित्।

वरिष्ठमग्निहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम्।—मनु०, ७।८४।

(इ) सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणब्रूवे।

प्राधीते शतसाहस्रमनन्तं वेदपारये ॥—मनु०, ७।८७।

७. "अल्पं वा बहु वा प्रेत्य दानस्य फलमश्नुते।"—मनु०, ७।८६।

८ कुरल २२१।

९. कुरल २२१।

१०. कुरल २२२।

११ कुरल २२३, तुलनीयः कलित्तोहै, ४३।२६-१७, पुरनानूरु, २२।३१-३३,

एव ३।२५-२६, ३७६।१६-१८, परिपाडलु १०।८७-८८,

संकुष्ट नहीं कर लेता, उसे कष्ट होता है।^१ गृहस्थ और तपस्वी के अन्तर को स्पष्ट करतें हुए कवि का कथन है कि तपस्वी वृक्षों को नियंत्रित करता है पर गृहस्थ दान द्वारा अन्य की क्षुधा का निवारण करता है, अतः गृहस्थ की शक्ति अधिक है।^२ भविष्य के लिए संग्रह करने का श्रेष्ठ मार्ग है—चरित्र की क्षुधा का निवारण।^३ जो मनुष्य अन्य के साथ बाट कर भोजन करता है उसे दारिद्र्य कभी कष्ट नहीं देता।^४ दान से आनन्द की प्राप्ति होती है पर सच्य करने वाला निर्दयी समृद्ध उस आनन्द से अपरिचित ही रह जाता है।^५ भिक्षावृत्ति को बल्लुवर प्रोत्साहन नहीं देते, पर बचत के लोभ से अकेले भोजन कर लेना भी अनुचित मानते हैं। उनका कथन है कि 'भिक्षावृत्ति नीच कर्म है पर बचत के लोभ से अतिथियों के बिना ही अकेले भोजन करना उससे भी निम्न है।'^६ उनके मत में मृत्यु से प्राप्त यत्रणा सबसे भयंकर है, पर याचक को दान देने में असमर्थ व्यक्ति के लिए वह यत्रणा भी मधुर हो जाती है।^७

कृतज्ञता एवं समदृष्टि

अरितल्ल अर्थात् उपकार को स्वीकार करना, अथवा अपने प्रति किए गए उपकार के लिए कृतज्ञ होना एक श्रेष्ठ मानवीय गुण है। बल्लुवर ने इस प्रसंग में कृतज्ञता के महत्त्व को स्पष्ट कर, कृतज्ञता की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके साथ ही कृतघ्न व्यक्ति को नीच मानते हुए उसके पाप को अक्षम्य बताया है।

जो महायता बदले में कुछ प्राप्त करने की भावना से मुक्त होती है उसका मूल्य पृथ्वी और स्वर्ग के उपहार भी नहीं चूका सकते।^१ आवश्यकता के समय दी गई 'क्षुद्र' सहायता भी सम्पूर्ण विश्व से बढकर है।^२ इस प्रकार की भलाई सागर से अधिक विशाल है,^३ वह चाहे राई के समान ही क्यों न हो, विद्वान् मनुष्य की दृष्टि में ताडवृक्ष के समान है।^४ कृतज्ञता उपकार की मात्रा पर नहीं, उपकृत व्यक्ति की गुण-गरिमा पर निर्भर है।^५ निष्कलक चरित्र व्यक्ति द्वारा प्रदत्त सहायता को विस्मृत मत करो।^६ श्रेष्ठ व्यक्ति आपत्ति में काम आने वाले

१ कुरल २२४।

२. कुरल २२५।

३ कुरल २२६, तुलनीय यो दद्यादपरिक्लिष्टमन्नमध्वनि वर्तते।

आर्तायादृष्टपूर्वाय समृद्धर्ममाप्नुयात् ॥—महा०।

४ कुरल २२७।

५ कुरल २२८।

६ कुरल २२९।

७. कुरल २३०।

८ कुरल अध्याय ११।

९. कुरल १०१।

१०. कुरल १०२।

११. कुरल १०३।

१२. कुरल १०४।

१३ कुरल १०५।

१४. कुरल १०६।

मित्रों को सारतों जन्मो मे कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं ।^१ अपकार को तत्क्षण त्रिस्मृत कर श्रेणा महानता है ।^२ किसी मनुष्य द्वारा किया गया हत्या-समान अपकार उसके द्वारा किए गए एक पूर्व-उपकार की तुलना मे क्षम्य हो जाता है ।^३ उपकार को भुला देना नीच वृत्ति है । अग्य सभी प्रकार के पापकर्मों से मुक्ति सम्भव है पर कृतघ्न के लिए उद्धार का कोई मार्ग नहीं है ।^४

“नहुषुनिलैमै” शीर्षक से बल्लुवर ने न्यायोचित व्यवहार को धर्म का अग स्वीकार करते हुए पक्षपात के मार्ग से विरत रहने का उपदेश दिया है । धर्म-निष्ठ मार्ग पर चलते हुए मनुष्य को निर्धन ही क्यों न रहना पड़े, उसके लिए यही मार्ग श्रेयस्कर है । विपत्ति एव कष्ट में भी इस समदृष्टि मे बाधा नहीं पडनी चाहिए ।

बल्लुवर के मन मे मित्र, शत्रु तथा अपरिचित, सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार ही न्यायोचित एव न्यायसगत है ।^५ इसके फलस्वरूप न्यायनिष्ठ व्यक्ति की सम्पत्ति नष्ट नहीं होती ।^६ ऐसे मनुष्य के उत्तराधिकारियों को भी सुख एव समृद्धि प्राप्त होती है ।^७ अनुचित साधनों से प्राप्त सम्पत्ति से चाहे कितने ही लाभ की आशा क्यों न हो, उसका त्याग कर दो ।^८ मनुष्य के धर्म और अधर्म का पना उसकी सतति के चरित्र से चलता है ।^९ यदि मनुष्य पक्षपात रहित न्यायपूर्ण मार्ग का अनुमरण करे तो उसकी सतति सत्कर्म मे प्रवृत्त होती है अन्यथा नहीं । जीवन में सुख और दुःख तो सभी को प्राप्त होते है पर सभी परिस्थितियों मे सतुलित मस्तिष्क बनाए रखना बुद्धिमानो का आभूषण है ।^{१०} यदि मानव-मन पक्षपात की ओर आकृष्ट होने लगे तो सर्वनाश निकट ही समझना चाहिए ।^{११} धर्मनिष्ठ व्यक्ति की निर्धनता को बुद्धिमान हेय दृष्टि से नहीं देखते ।^{१२} समदृष्टि रखने वाले न्यायनिष्ठ व्यक्ति का मानसिक सतुलन तुला के समान

१ कुरल १०७ ।

२ कुरल १०८ ।

३ कुरल १०९, तुलनीय पूर्वोपकारी यस्ते स्यादपराधे गरीयसी ।

उपकारेण तत्तस्य क्षन्तव्यमपराधिन ॥ —महा० ।

४. कुरल ११०, तुलनीय (क) ब्रह्मघ्ने च सुरापे च चौरै भग्नव्रते तथा ।

निष्कृतिविहिता सद्भिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ॥

(ख) कुत कृतघ्नस्य यश कुत स्थान कुत सुखम् ।

अश्रद्धेय कृतघ्नो हि कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ॥—महा० ।

५ कुरल १११ ।

६ कुरल ११२ ।

७. कुरल ११३ ।

८ कुरल ११४ ।

९ वही ।

१० कुरल ११५, तुलनीय य सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।

नाभिनन्दति न द्वेषित तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता ॥—गीता, २।५७ ।

एव शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् य स मे प्रिय ।—वही, १२।१७ ।

११ कुरल ११६ ।

१२ कुरल ११७ ।

होता है।^{१२} वास्तविक समदृष्टि का अर्थ है—मनुष्य के बचन तथा मन में तनिक भी बकता न हो।^{१३} अन्य व्यक्तियों की वस्तुओं को अपनी वस्तुओं के समान मानकर समदृष्टि से व्यापार करना दक्षिण का कर्तव्य है।^{१४} तिरुवल्लुबर की समदृष्टि अथवा 'सम्यस्थिति'^{१५} का गीता के 'स्थितप्रज्ञ' से पर्याप्त साम्य है। कवि ने सम्पूर्ण मनोवत कामनाओं के त्याग के सदेश में लौकिक व्यवहार को प्रमुख रखा है, आध्यात्मिक विकास को यहाँ गौण स्थान मिला है। यहाँ निष्काम भाव से दुःख और सुख में लिप्त हुए बिना ('दुःखेष्वनुद्विग्नमना' एवं 'सुखेषु विगतस्पृह')^{१६} के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए भी लौकिक जीवन की आवश्यकताओं पर कवि की दृष्टि रही है।

क्षमा-भाव

क्षमा करने की शक्ति मानव-समाज में सद्भाव एवं मैत्री-भाव को विकसित करती है। इसी दृष्टि से कवि ने प्रस्तुत विषय पर विचार किया है। धरती इस ज्ञात का प्रमाण है कि वह अपने खोदने वालों को भी धारण करती है। इसी भान्ति निन्दा करने वाले व्यक्ति के कटु-बचन सहन कर लेना महान धर्म है।^{१७} किसी व्यक्ति द्वारा पहुँचाई गई हानि को क्षमा कर देना उचित है, पर उसके इस कार्य को भुला देना महानता है।^{१८} निकृष्टतम निर्धनता अतिथि को खाली हाथ लौटाना है और सर्वोत्तम वीरता है मूर्खों के कार्यों को क्षमा कर देना।^{१९} श्रेष्ठ मानवीय आचरण की रक्षा के लिए क्षमा की अनिवार्य आवश्यकता है।^{२०} विद्वत्समाज में बुराई का बदला बुराई से लेने वालों का आदर नहीं होता, पर शत्रु को क्षमा कर देने वाला स्वर्ण-तुल्य महत्त्व प्राप्त करता है।^{२१} शत्रु को दण्ड देने से प्राप्त आनन्द क्षणिक है जबकि क्षमा से प्राप्त आनन्द प्रलय-काल तक स्थायी है।^{२२} अपने प्रति अन्याय करने वाले व्यक्ति से दुःखित होकर बदला लेने में धर्महीन कार्य करना उचित नहीं।^{२३} अहंकार के कारण कोई तुम पर अत्याचार करे तो उसे क्षमा-भाव से जीतना चाहिए।^{२४} जो गृहस्थ मूर्खों द्वारा किए गए अपमान को धैर्य

-
- १ कुरल ११८।
 - २ कुरल ११९।
 - ३ कुरल १२०।
 - ४ तिरुकुरल, डा० सु० शंकरराजू नामुडू, पृ० ४७।
 - ५ गीता, २।५६।
 - ६ कुरल १५१।
 - ७ कुरल १५२।
 - ८ कुरल १५३।
 - ९ कुरल १५४।
 - १० कुरल १५५।
 - ११ कुरल १५६।
 - १२ कुरल १५७।
 - १३ कुरल १५८, तुलनीय अक्रोवेन जयेत् क्रोधमसाधु साधुना जयेत्।

जयेत् कदर्यं दानेन जयेत् सत्येन चानृतम् ॥ —महा०।

से क्षमा कर देता है वह संन्यासी से भी महान है ।^१ व्रत, तप इत्यादि से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है—अपमान-सूचक शब्दों को धैर्यपूर्वक सहन कर क्षमा कर देता ।^२

तिरुवल्लुवर ने संन्यासी को अपने काव्य में विशेष स्थान प्रदान किया है पर क्षमा-युक्त गृहस्थ को वे उससे भी श्रेष्ठ मानते हैं । यह इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने क्षमा को तप, व्रत इत्यादि से अधिक महत्त्व प्रदान किया है । उनका मत है कि व्यक्ति शत्रु को, अथवा अपराधी को सद्ब्यवहार एव प्रेम द्वारा विजित कर सकता है । दण्ड देने से प्राप्त आनन्द बदले की भावना की सतुष्टि-मात्र का आनन्द है, अतः क्षणिक है, क्षमा कर देने से प्राप्त आनन्द व्यक्ति की शक्ति एव हृदय की विशालता का द्योतक होने के कारण स्थायी है । क्षमा करने वाला समाज में आदर, सम्मान प्राप्त करता है, परिणामतः उसके शत्रुओं की संख्या कम होती जाती है । इन तथ्यों के आधार पर सामाजिक शान्ति और पारस्परिक स्नेह के लिए क्षमा का महत्त्व स्वतः स्पष्ट है ।

कबीर क्षमा को महान् व्यक्तियों का गुण मानते हैं । उनका मत है 'छिमा बड़ैन को चाहिए, छोटन को उतपात,' और इस मत की पुष्टि के लिए पौराणिक घटना का उल्लेख करते हैं—'कहा बिस्तु को घटि गया जो भूगु मारी लात ।' वल्लुवर के पद में धरती की सहन शक्ति का उल्लेख हुआ है, कबीर भी धरती एव वन का उदाहरण लेते हुए कहते हैं कि धरती अपना खोदा जाना, वन अपना काटा जाना सहन करते हैं । इसी प्रकार साधु प्रवृत्ति मनुष्य कुटिल वचनों को सहन करता है, क्षमा कर देता है ।^३ क्षमा-धर्म में प्रवृत्त होने वाले मनुष्य कभी भी संकट प्राप्त नहीं करते अपितु अक्षय-पद प्राप्त करने में सफल होते हैं । कबीर ने क्षमा को दया, लोभ, अक्रोध से अधिक महत्त्वपूर्ण माना है । दया के अभाव में धर्म नहीं होगा, जहाँ लोभ होगा वहाँ पाप भी विद्यमान होगा, और क्रोध तो साक्षात् काल ही है, पर जहाँ क्षमा है वहाँ तो प्रभु स्वयं विद्यमान हैं ।^४ स्पष्ट है कि दोनों कवियों में इस विषय में पूर्ण भाव-साम्य है ।



१ कुरल १५६ ।

२ कुरल १६० ।

३ खोद खाद धरती सहै, काट कूट बनराई ।
कुटिल वचन साधू सहै, दूजै सहा न जाइ ॥

—कबीर प्रयावली (पा० ना० ति०), पृ० १५६ ।

४ जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप ।

जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ छिमा तह आप ॥ वही, पृ० १६० ।

खण्ड 'ख' : धर्म और दर्शन

तत्त्व-ज्ञान

इस नाम-रूपात्मक जगत् को ही सत्य समझने वाले इसके वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, वे भौतिक ज्ञान में ही उलझ जाते हैं। कुछ लोग भौतिक पदार्थों के अन्तर्गत तथा इससे भिन्न किसी प्रकार की आधि-दैविक भावना से युक्त ही पूजा-पाठ का मार्ग अपनाते हैं। अनेक विचारक इस नाम-रूपात्मक जगत् के मूल में एक चैतन्य-सत्ता की खोज करते हैं और अनुभव-जन्य ज्ञान के आधार पर अध्यात्म-ज्ञान अथवा तत्त्व-ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। माया, अज्ञान, मोह, तूष्णा आदि जीव के नित्य मुक्त-स्वरूप को आच्छादित कर लेते हैं जिसके फलस्वरूप जीव इस अनित्य, नश्वर, नाम-रूपात्मक जगत् को ही सत्य मान लेता है। वह स्वयं को कर्ता और भोक्ता मान लेता है फलतः दुःख और सुख का भोग करता है। यह मिथ्याज्ञान है। इसके फलस्वरूप प्राप्त दुःख से मुक्ति पाने के मार्ग का विवेचन तत्त्व-ज्ञान के अन्तर्गत है।

कठोपनिषद् में तत्त्व-ज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्ग का निर्देशन करते हुए कहा गया है—“जो सदा विवेकशील, बुद्धि से युक्त सयत चित्त और पवित्र रहता है, वह उस परम-पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से पुनः जन्म नहीं होता।^१ श्वेताश्वतरोपनिषद् में उल्लेख है कि जीवात्मा इस प्रकृति के अधीन असमर्थ हो उसमें बन्ध जाता है और उस परम देव को जानकर सब प्रकार के बन्धनों से मुक्त हो जाता है।^२ “एक ही सत्ता समस्त प्राणियों में विद्यमान है।”^३ जो धीर पुरुष हृदय-स्थित उस सत्ता को निरन्तर देखते रहते हैं उन्हीं को शाश्वत-सुख प्राप्त होता है, अन्य को नहीं।^४ इस प्रकार सर्वभूतो में विशुद्ध चेतन-स्वरूप परमतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करने पर व्यक्तिपरक कर्मों और उनके समाजपरक रूप में कलमष का अन्त होना स्वाभाविक है।

तिरुवल्लुवर के मत में तत्त्व-ज्ञान का अभिप्राय है—भ्रम से मुक्ति, अज्ञान के पर्दे का हट जाना एव स्पष्ट-दृष्टि।^५ ससार के विभिन्न आकर्षण मनुष्य के मार्ग में बाधा हैं, वास्तव में

१ यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्क सदा शुचि ।

स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते ॥ —कठोपनिषद्, १।३।८ ।

२ अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाज्ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपापी ॥

—श्वेताश्वतरोपनिषद्, १।८ ।

३. “एको देव सर्वभूतेषु . . .”—बही, ६।११ ।

४ त्मात्मस्य येऽनुपश्यन्ति धीरा-

स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥ —बही, ६।१२।

५. कुरले ३५२ ।

बाह्य नामरूपात्मक जगत् एक भ्रम है। जो मनुष्य इसके वास्तविक रूप से परिचय प्राप्त कर लेता है वही तत्त्वज्ञानी है, वही मोक्ष की उपलब्धि कर सकता है। भव-पीडा का कारण है— 'अज्ञान' अतः अज्ञान को दूर कर 'ज्ञान' प्राप्त कर लेना ही इस पीडा से मुक्ति का मार्ग है।

तत्त्व-ज्ञान प्राप्त करने के लिए वल्लुवर अध्ययन और आत्मचिन्तन का उल्लेख करते हैं। 'तवम्' शीर्षक से 'तप' इत्यादि का उल्लेख भी हुआ है पर उसके अन्तर्गत भी 'आत्म ज्ञान' को महत्त्व मिला है। कवि के मतानुसार 'अन्य को कष्ट न देना' ही तपस्या है। यज्ञ, व्रत, पूजा इत्यादि किसी प्रकार के मार्ग का उल्लेख नहीं हुआ है। तत्त्व-प्राप्ति के मार्ग में अप्रसर होने वाले मनुष्य के लिए प्रेमसाध की आवश्यकता का प्रतिपादन हुआ है। स्नेह को धर्म के मार्ग का सहायक तत्त्व स्वीकार किया गया है। तत्त्वज्ञान के इच्छुक मनुष्य के लिए निष्काम-कर्म करने का विधान है क्योंकि कामनायुक्त कर्म बन्धन में आबद्ध करता है, और कामना ही जीव को गिरन्तर जीवन-मरण के चक्र में डालती है। निष्काम अवस्था ही पवित्र अवस्था है। परम-सत्य की अभिलाषा करने पर निष्काम और अतृष्णा की अवस्था की स्वतः उपलब्धि होती है। विश्व के भूल आधार का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य यदि निर्लिप्त हो जाए तो उसे भावी दुखों और कर्म-बन्धन से मुक्ति मिल जाएगी। काम, क्रोध और भ्रम का नाश होने से समस्त कर्म-फल नष्ट हो जाएंगे और मुक्ति की प्राप्ति होगी।^१

कबीर ने सत्य को तत्त्व-ज्ञान के अर्थ में ब्रह्म का रूप स्वीकार किया है। वे सत्य को सब प्रकार के तप से श्रेष्ठ मानते हुए सत्य और परमनत्त्व को एक ही मानते हैं।^२ तत्त्वज्ञान की प्राप्ति सत्यमार्ग पर अप्रसर होने पर ही होगी। मन सत्य-युक्त हो तो 'साहिब' निकट ही रहते हैं पर यदि असत्य का आश्रय ग्रहण किया जाए तो दूर हो जाते हैं।^३ कबीर के स्वामी तो 'सत्यज्ञानी' हैं, वे अन्तर्यामी हैं और सबके हृदय की बात समझने हैं।^४ उसको प्राप्त करने के लिए विषयों का त्याग करना पड़ता है। जिसने 'तत्त्व' जान लिया है उसे माया प्रभावित नहीं करती।^५ तत्त्वज्ञान रत्न और हीरे के सदृश है, पर 'काम' रूपी चोर उसे चुरा लेता है।^६ इस

१. कुरल, अध्याय ३६।

२. साब बरोबरि तप नही, भूठ बरोबरि पाप।

जाके हिरदै साब है, ताके हिरदै भाप ॥

—कबीर ग्रन्थावली (पा० ना० ति०), पृ० १८७।

तुलनीय—साचे का सुमिरन करी, भूठा दियो जजाल।

साचा साहिब आप है, भूठ कपट सब काल ॥

—सतवाणी सग्रह, भाग १, पृ० २०३।

३. साचै मन ते साहिब नेरै, भूठे मन तै भागा ॥

—कबीर ग्रन्थावली (पा० ना० ति०), पृ० ११।

४. पिया मोरा मिलिया सत्त गियानी।

सब मैं व्यापक सब की जानै जैसा अतरजानी ॥ —वही, पृ० ११।

५. बारबार बरजि बिखिया तै लै नर जी मन तेलै।

जह जह जाइ तही सचु पारबै माया तासु न झोलै ॥ —वही, पृ० १६।

६. इसु तन मन मद्धे मदन चोर। जिन ग्यान रतनु हरिलीन मोर ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० ८०।

संसार से मुक्ति पाने इत्यादि के विचार सभी तक हैं जब तक मनुष्य 'तत्त्व' नहीं जानता ।^१ इस सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कबीर का मत है कि यदि कुछ करना ही है तो तत्त्व-युक्त कार्य करो, व्यर्थ के कार्यों में लिप्त न हो अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा और भवंसागर के धक से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी ।^२ ज्ञान-विचार कौं कबीर इतना महत्त्व देते हैं कि जिसने इसे प्राप्त नहीं किया 'बाकी बिषया कस न भई महतारी ।'^३ वास्तव में सम्पूर्ण सत्ता एक ही है, पवन, जल, सब दिशाओं में व्याप्त ज्योति और सब मनुष्यों एवं जीवों के निर्माण में एक ही शक्ति कार्य कर रही है,^४ सकल घट में एक ही ज्योति व्याप्त है अन्य कोई तत्त्व नहीं है ।^५ जो इस तत्त्व को नहीं जानते वे कष्ट भोगते हैं ।^६ अतः मनुष्य को तत्त्वज्ञान का निरन्तर जागरूक प्रयास करते रहना चाहिए ।

कबीर के मतानुसार ज्ञान-प्राप्ति का प्रथम प्रभाव भाया एव भ्रम पर होता है । ज्ञान की आंधी इनके आबरण को समाप्त कर देती है ।^७ कबीर सच्चा ज्ञानी उसे मानते हैं जो साधना के द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान लेता है ।^८ सात्त्विक-ज्ञान के विषय में गीता में कहा गया है—'ज्ञानी पुरुष जिस अन्तःकरण परिणाम द्वारा एक-दूसरे से भिन्न समस्त भूतों में एक अविनाशी और विभागशून्य भाव को देखता है, उस ज्ञान को सात्त्विक समझो ।'^९ कबीर का मत इससे बहुत मेल खाता है । उनका मत है—

आपा पर सब एक समान, तब हम पाया पद निरबाण ।

कहै कबीर मन्य भया सतोष, मिलै भगवत गया दुख दोष ॥^{१०}

तत्त्व-प्राप्ति होने पर सब दुःख और दोष नष्ट हो जाते हैं और मन को सतोष मिलता है । कबीर जगत् के मूल रूप में स्थित परमतत्त्व को प्राप्त करने के इस मार्ग में सशय को बहुत बाधा मानते हैं, सशय मिट जाने पर तत्त्व की प्राप्ति हो जाती है—'कहै कबीर ससा गया मिला सारंग-पानी ।'^{११} उस ज्योति को अपने मन में स्थिर कर लेने के पश्चात् प्राणी संसार के कष्टों से मुक्त

१ सारन तरनु तबै लगि कहिए, जब लगि तत्त न जाना ॥ —कबीर प्रथावली, पृ० ८० ।

२ जे कुछ करहि सोइ तत सार । फिरि पछिताहु न पावहु पार ॥ वही, पृ० ३७ ।

३ जिहि कुल पूत न ग्यान विचारी ॥ वही, पृ० ३७ ।

४ एकै पवन एक ही पानी एकै जोति समाना ।

एकै खाक गढ़े सब भाई, एकै कोहरा साना ॥ —वही, पृ० ४५ ।

५ एकहि जोति सकल घट व्यापक दूजा तत्त न होई ॥ —वही, पृ० ६१ ।

६ जो तत्त नाऊ न जानिया गल मे परिया फद ॥ —वही, पृ० २४२ ।

७ सतो भाई आई ग्यान की आधी रे ।

भ्रम की टाटी सबै उडाणी भाया रहै न बाधी रे ॥

—वही, पृ० ६३ ।

८ कथता बकता सुरता सोई, आप विचारै सो ग्यानी होई ॥ —वही, पृ० १०२ ।

९ सर्वभूतेषु येनैक भावमव्ययमीक्षते ।

अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञान विद्धि सात्त्विकम् ॥—गीता, १८।२० ।

१०. कबीर प्रथावली, पृ० १०८ ।

११. कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० ६६ ।

हो जाता है।^१ इस परमतत्त्व की प्राप्ति के पश्चात् 'कालकराल निकटि नहि आवै कांय श्रेष मद् सोम अर्' ^२ की उपलब्धि तो स्वतः ही हो जाती है, जीव अमर होकर जन्म-मृतक से मुक्त हो जाता है।^३ इस प्रकार तत्त्व-वेत्ता जीवन-मुक्त हो जाता है।^४

तिरुवल्लुवर और कबीर के 'तत्त्वज्ञान' विषयक कथनों पर विचार करने पर अद्भुत समानता दिखाई देती है। 'सत्य का ज्ञान प्राप्त करना' दोनों के मार्ग का लक्ष्य है। ससार के विषयों के त्याग, निष्काम कर्म और प्रेम द्वारा ही इसकी उपलब्धि सम्भव है। यह सासारिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धारणा और मनन के मार्ग को दोनों कवि स्वीकार करते हैं। अनुभव द्वारा ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है। कबीर के काव्य के अन्तर्गत इस विषय की विशेष महत्त्व प्राप्त हुआ है। कबीर-काव्य का एक महत्त्वपूर्ण अंश परम-सत्य, परम-तत्त्व, तत्त्व-ज्ञान इत्यादि से सम्बद्ध है। इस सम्बन्ध में उनका अध्ययन अपेक्षाकृत विस्तृत है। बल्लुवर के इस विषय पर कथन संक्षिप्त एवं स्पष्ट हैं, उन्होंने इस विषय पर सामान्य दृष्टि से विचार किया है, किसी दार्शनिक पृष्ठभूमि के आधार पर नहीं, परन्तु धर्म एवं दर्शन-विषयक सिद्धान्तों को काव्य-सौंदर्य से परिपूर्ण करने में कवि ने निश्चय ही महान् सफलता प्राप्त की है।^५ विज्ञान-दृष्टि से संचालित इस युग में इस आध्यात्मिकता की आवश्यकता विद्वान् अब पुनः अनुभव कर रहे हैं, इस दृष्टि से 'स्व' का ज्ञान, सत्य-तत्त्व की खोज और भी महत्त्वपूर्ण हो गई है।

ईश्वर

वैदिक ऋषि ने सम्पूर्ण जगत् को एक रूप में अनुभव किया। ऋग्वेद के नारदीय सूक्त में वर्णित ब्रह्म निर्गुण है। वह सर्वव्याप्त है, उससे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उसे न सत् कहा जा सकता है और न असत्। उपनिषद् में समस्त विश्व की उत्पत्ति, गति, पालन और स्थिति तथा इस समस्त जगत् के भय के कारण को ब्रह्म कहा गया है।^६ यह ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है, यह जगत् भी पूर्ण है, उस पूर्ण से उत्पन्न हुआ है, पूर्ण से पूर्ण को निकाल देने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है।^७ ब्रह्म एक ही है, अन्य नहीं है।^८ उपनिषद् में ब्रह्म को निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अकला, आदि रूपों में वर्णित किया गया है। श्रीमद्भगवद्गीता में ब्रह्म के व्यक्त, अव्यक्त तथा

१ जोति माहि मन असचिर करै। कहै कबीर सो प्रानी तरै ॥—बही, पृ० ७७।

२ वही, पृ० ८५।

३ कहै कबीर सुनीं भाई साधो अमर होइ कबहू न मरे ॥—बही, पृ० ८५।

४ कबीर काव्य में दार्शनिक सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन यहाँ लक्ष्य नहीं रहा। इसके लिए कबीर व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धान्त—डा० सरनामसिंह शर्मा एवं कबीर-दर्शन डा० रामजीलाल 'सहायक' इत्यादि ग्रंथ महत्त्वपूर्ण हैं।

५ उलहम्—बाढुम्, डाँ० के० अरुमुहम्।

६ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रत्यन्त्यमिसविशन्ति। तद्वि-जिज्ञासस्व। तद् ब्रह्मेति ॥—तै० उप०, ३।१।

७ अ पूर्णमद् पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥—ई० उप०।

८ ब्रह्म एकमेवाद्वितीयम् ॥ छा० उप० ३।२।१ और देखें ई० उप० १, गीता ६।४, १०।३६, १०।४२, २।६४, १६।४६ इत्यादि।

अनन्तताव्यक्त इत्यादि स्वरूपों का वर्णन है। योग दर्शन अत्रिद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभि-
निवेश इन पांच क्लेशों से, पुण्य एवं पाप कर्मों से, कर्मों से उत्पन्न जाति, आयु तथा शरीर रूप
फलों से, उनसे उत्पन्न वासनार्थों से असंस्पृष्ट, एक विशेष प्रकार के 'पुरुष' को 'ईश्वर' कहता
है।^१ योग के ईश्वर 'ऐश्वर्य-सम्पन्न' हैं तथा 'सदैव मुक्त', हैं। यह सर्वज्ञ हैं।^२ अर्थात् दर्शन के
अन्तर्गत समस्त अज्ञानों से अविच्छिन्न 'चैतन्य' 'ईश्वर' है।^३ यहाँ ईश्वर 'सर्वज्ञ' है, 'सर्वेश्वर'
है, 'सर्वनियन्ता' है, 'अन्तर्गामी' है एवं 'जगत्' का कारण है।

श्रीमद्भागवत में यही परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, शिव के रूप धारण करता है। "सत्त्व,
रज और तम के तीन गुण परमात्मा की प्रकृति के हैं। इन गुणों से युक्त होने के कारण एक ही
परात्पर पुरुष ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीन सत्ताएँ धारण करके उत्पत्ति, स्थिति और लय
करता है और सम्पूर्ण मानवों का कल्याण करता है।"^४ कठोपनिषद् में यही कल्पना है—“जिस
प्रकार सम्पूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक रूप के अनुरूप हो गया” उसी प्रकार
सम्पूर्ण भूतों का एक ही अन्तरात्मा, प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है।^५
बृहदारण्यक के 'आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुषविध'^६ के मूल में भी यही सत्य है। छान्दोग्योप-
निषद् में इसकी व्याख्या इस प्रकार हुई—'वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह
सत्य है, वह आत्मा है और हे ध्वेतकेतो! वही तू है।'^७ बृहदारण्यक में ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त
रूपों का भी उल्लेख हुआ है।^८ ऋग्वेद के 'पादोऽस्य विद्वा भूतानि त्रिपादस्याभूत दिवि'^९
से विश्व परमात्मा का अल्पांश सिद्ध होता है। गीता में "मैं सबकी उत्पत्ति हूँ, मुझसे सब होता
है"^{१०} के मूल में 'विश्वरूप' का विस्तृत विवरण है।^{११} ब्रह्म एवं ईश्वर के सम्बन्ध में विभिन्न
दार्शनिक धारणाओं के विकास-क्रम पर विचार करने से स्पष्ट है कि ब्रह्म और ईश्वर के रूप
में निश्चित भेद है। इस भेद-निरूपण के मूल में मुख्य धारणा 'परमसत्तातरव' की है। परन्तु

१ भारतीय दर्शन—उमेश मिश्र, पृ० ३४०।

२ वही, पृ० ३४१।

३ वही, पृ० ३५६।

४ सत्त्व रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ती ।

युक्त पर पुरुष एक इहास्य धत्ते ।

स्थित्यादयो हरिविरञ्चि हरेति सज्ञा ।

श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्गुणा स्युः ॥

—श्रीमद्भागवत १।२।२३

५ अग्निर्यथैको भुवन प्रविष्टो

रूप रूप प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा

रूप रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥—कठोपनिषद्, २।२।६, और देखें—२।२।१०।

६ बृहदारण्यक उपनिषद्, १।४।१।

७ स य एषोऽग्निर्मतदात्म्यमिदं सर्वतत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि ध्वेतकेतो' ॥ ६।८।७।

८ 'द्वे वाक् ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवामूर्तं च', बृहदारण्यक २।३।१।

९ ऋग्वेद, १०।६०।

१०. वह सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते ॥ १०।८।

११ अध्याय—११।

भावः यह स्थान ब्रह्म के ही साथ सम्बद्ध हुआ है। ब्रह्म अथवा परमसत्ता के उपरान्त 'ईश्वर' का उल्लेख हुआ है। तिरुवल्लुवर ने साधारण रूप से ईश्वर (भगवन्) की बन्दना की है। ईश्वर-विद्ययक विवेचन से पूर्व तिरुवल्लुवर के मत का उल्लेख समीचीन है।

'कडवुल वाळुनु' अर्थात् 'ईश्वर-बन्दना' अध्याय में तिरुवल्लुवर ईश्वर के स्वरूप एवं उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए मानव-भाव को उसके चरणों का आश्रय ग्रहण करने का उपदेश देते हैं।

ईश्वर सर्वज्ञ^१ तथा निष्काम^२ है। वह सत्य-ज्ञान-रूप^३ है। उसके चरण अद्वितीय हैं।^४ वह सर्वेश है, भक्तों के हृदय-कमल में निवास करने वाला है।^५ उसकी प्राप्ति का मार्ग सत्य का मार्ग है। वह अनुपम है, सृष्टि का आदि कारण (आदि भगवन्) है। वह इन्द्रियों के बन्धन से मुक्त है,^६ परम दयालु है।^७

ईश्वर के स्वरूप से सम्बद्ध इन विशेषणों के आधार पर यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि कुरल किसी विशिष्ट धर्म अथवा सम्प्रदाय के नियमों से आबद्ध नहीं। परमसत्ता के लिए 'भगवन्' (आदि भगवन्) 'सर्वेश' (पयनेनकोल्) एवं 'ईश्वर' इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है।

वल्लुवर ने ईश्वर को सत्ता का आदि कारण माना है। जिस प्रकार वर्णमाला का प्रथम अक्षर 'अ' होता है (अहर मुदल एळुत्तेलाम् आदि भगवन्,) उसी प्रकार विश्व का प्रारम्भ ईश्वर से होता है।^८ वह मानव के हृदय-कमल को प्रफुल्लित करने वाला है।^९ उसके चरणों का आश्रय ग्रहण करने वाला पाप से मुक्त रहेगा।^{१०} भौतिक तत्व नाशवान् है, उनका सम्बन्ध अनश्वर आत्मा से है, इस सम्बन्ध के फलस्वरूप दुःख उत्पन्न होते हैं, ईश्वर उन दुःखों का नाश करने वाला है।^{११} जगत् पापमय है, इस भव-सागर को पार करना अत्यधिक दुष्कर कार्य है, परन्तु भगवान् के चरणों की सहायता से इस कार्य को भी सम्पन्न किया जा सकता है, प्राणी भवसागर पार कर लेता है।^{१२}

- १ कुरल २।
- २ कुरल ६।
- ३ कुरल २।
- ४ कुरल ७।
- ५ तुलनीय 'सदा जनाना हृदये सनिविष्ट'—श्वेताश्वतर, ४।१७।
- ६ कुरल ६।
- ७ कुरल ८।
- ८ कुरल १, तुलनीय (क) 'अक्षराणामकारोऽस्मि'। गीता, १०। ३३।
(ख) अक्षरात्सम्भवतीह विषवम् ॥मुण्डक उप०, १।१।७।
- ९ कुरल ३।
- १० कुरल ७।
- ११ कुरल ४, तुलनीय (क) मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्।
नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमा गता ॥—गीता, ८।१५।
- १२ कुरल १०।

श्री वैयापुरी पिल्लै 'मलरभिच एहिलान्', 'अरावली य अस्तानन' एवं 'एन गुनत्तन्' इत्यादि उक्तियों का सम्बन्ध जैन मतावलम्बियों के 'अर्हत' से मानना अधिक उपयुक्त सम्झते हैं। परन्तु श्लेष द्वारा 'हृदय कमल में निवास करने वाले' 'धर्म सिन्धु' तथा 'अष्टगुण-सम्पन्न' अर्थ लिए जाएँ तो इस मत का आधार ही समाप्त हो जाता है।^१ श्री पिल्लै ने वल्लुवर को जैन-मतावलम्बी मानने का दूसरा कारण दिया है कि कवि की कृति पर प्रारम्भिक टीकाओं के रचयिता जैन थे।^२ यह ठीक है कि जैन मतावलम्बियों ने इस पर टीकाएँ कीं क्योंकि वल्लुवर के अपरिग्रह, अस्तेय आदि सिद्धान्त उन्हें मान्य थे, पर टीकाकारों में मुकुटमणि परिमलहर वैष्णव थे। उन्होंने इसकी टीका अपने ढंग से की है। किसी प्रसिद्ध ग्रन्थ को, विशेषतः जहाँ मतैक्य हो, विशिष्ट-धर्म के अनुसार प्रस्तुत कर देना कोई नवीन बात नहीं। वेदों की व्याख्या, भाष्य, टीका सब दर्शनशास्त्रियों ने अपने-अपने ढंग से करने का प्रयास किया है।

वल्लुवर के मतानुसार उस 'अष्टगुणसम्पन्न' के चरणों की वन्दना न करने वाला सम्वेदनशक्ति से रहित इन्द्रिय के समान है।^३ ईश्वर-प्रज्ञा में अनुरक्त व्यक्ति अज्ञान के कारण होने वाले बन्धनों से आबद्ध नहीं होते।^४ उस ज्ञान प्राप्त करने का क्या लाभ यदि परम सत्य-युक्त ईश्वर के चरणों की वन्दना न की? सच्चा ज्ञान तो यही है कि उस परम ज्ञानमय के चरणों की वन्दना की जाए।^५

वल्लुवर ने ईश्वर के लिए 'अष्टगुणसम्पन्न' (एनगुनत्तन्) विशेषण का प्रयोग किया है। इस विषय में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। अष्ट-गुणों का अभिप्राय श्री वैयापुरी पिल्लै तथा श्री ए० चक्रवर्ती जैन-दर्शन में स्वीकृत चार धातीय-कर्मों (ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय एव अन्तराय) तथा चार अघातीय कर्मों (आयु, नाम, गोत्र एव वेदनीय) से 'युक्त' लेते हैं। पर कुछ विद्वान् यथा श्री वी० वी० एस० एय्यर इसका सम्बन्ध शैव-दर्शन द्वारा स्वीकृत अष्टगुणों से जोड़ते हैं। इन आठ गुणों का सम्बन्ध गीता में वर्णित 'अपरा प्रकृति' के साथ भी जोड़ा गया है। 'पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार इस प्रकार यह मेरी आठ प्रकार के भेदों से युक्त प्रकृति है।'^६ साथ ही द्वारा स्वीकृत पञ्चतन्मात्र,

१ The epithets 'Malar-misai-y-ekinan' (literally he who walked on the lotus flowers), 'aravali-y-antanan' (lit the Brahmin who had the wheel of dharma) and 'engunthan' (lit he of the eight-fold qualities) which Valluvar gives to his God clinch the question once for all, all the three epithets are jointly and severally applicable to 'arhat' alone and to none else

—History of Tamil Language and Literature—Prof S.V Pillai, P. 81

२ Ibid, p 81

३ कुरल ६, तुलनीय . अणिमा महिमा चैव प्राप्ति प्राकाम्यमेव च ।

ईशित्व च वशित्व च यत्र कामावसायिता ॥

एतानष्टगुणान् प्राप्य कथंचिद्योगिता वरा ।

ईशा. सर्वस्य लोकस्य देवानप्यतिशेरेते ॥—महा० ।

४. कुरल ५ ।

५ कुरल २ ।

६. भूमिरापोऽनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च ।

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥—गीता, ७।५ ।

अहंकार, महत्त्व और अव्यक्त से भी 'अष्टगुणसम्पन्न' का सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। 'सर्वज्ञ' का सम्बन्ध भी गीता के ईश्वर से सयुक्त करने का प्रयास हुआ है। श्रीकृष्ण का कथन है—“अर्जुन ! मेरे अतिरिक्त कोई और वस्तु परमार्थतः सत्य नहीं है। जिस प्रकार सूत में दाने पिरोये रहते हैं, उसी प्रकार मुझमें यह सारा जगत् ओतप्रोत है।”^१ वल्लुवर के सर्वज्ञ की सत्ता इस “सर्वमिदं प्रोत” से भिन्न नहीं। इस मत की पुष्टि वल्लुवर के ईश्वर की 'आदि-कारण' और 'परमसत्यमय' मानने से हो जाती है। इसी प्रसंग में गीता में वर्णन है—“पार्थ ! तुम मुझे समस्त भूतो का सनातन बीज जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्विणों का तेज हूँ।”^२

वल्लुवर के 'सर्वज्ञ', 'अष्टगुणसम्पन्न', 'आदि भगवन्', 'सर्वज्ञानमय परमसत्यरूप' ईश्वर का रूप उपनिषद् एव गीता की परम्परा तथा कवि के युग में विभिन्न मतों द्वारा मान्य ईश्वर का सम्मिलित रूप प्रतीत होता है। वह रूप वेदान्त और योग में मान्य ईश्वर से अधिक भिन्न नहीं है। इस प्रकार तिश्वल्लुवर के ईश्वर निर्गुण और सगुण दोनों से परे हैं। कवि एक ओर उन्हे ससार का आदि-कारण स्वीकार करता है तो दूसरी ओर उसके चरणों की बन्दना द्वारा मुक्ति के मार्ग का उल्लेख करता है। कवि के युग का प्रभाव इसका मूल कारण है। वैष्णव-परम्परा और जैन तथा बौद्ध परम्परा के समन्वय के परिणाम-स्वरूप ईश्वर का स्वरूप ऐसा निर्मित हुआ है जो दोनों को ग्राह्य हो सके। परमदयालु, भक्तों के हृदय कमल में निवास करने वाला प्रभु वैष्णवों को ग्राह्य है तो ससार का आदिकरण, निष्काम, सत्यज्ञानरूप, सर्वज्ञ (ईश्वर) शक्ति को जैन और बौद्ध मतानुयायियों ने स्वीकार किया।

कबीर के ईश्वर मानव-मात्र को बन्धन-मुक्त करने वाले और ज्ञान-प्रदान करने वाले हैं—

बध तैं निबध कीया तोरि मब तगी ।

कहै कबीर अगम किया गम राम रग रगी ॥^३

वह तीनों लोको एव ब्रह्माण्ड में सबका स्वामी है^४। वह सर्वव्यापक है, परम दयालु है।^५ वह स्रष्टा है, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, आवागमन के बन्धन से मुक्त है—

एक न मुवा जो सिरजनहारा ॥

कहै कबीर मुवा नहीं सोई जाकै आवागवन न होई ॥^६

१ मत्त परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय ।

मयि सर्वमिदं प्रोत सूत्रे मणिगणा इव ॥—गीता, ७।७ ।

२ बीज मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।

बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥—गीता, ७।१० ।

३. कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० ३ ।

४. तीनि लोक ब्रह्मण्ड मैं सबके भरतारा ॥—वही, पृ० ४ ।

५. कहै कबीर मेरे माधवा तू सरब बिआपी ।

तुम्ह समसरि नाही दयालु मोहिं समसरि पापी ॥—वही, पृ० २३ ।

६. वही, पृ० ६० ।

वह अविनाशी है, संसार के लपट हो जाने पर भी विद्यमान रहता है।^१ वह अपरम्पार है, ज्ञानरूप से सब स्थानों में विद्यमान है, अद्वितीय है। रमैनी में कबीर का कथन है—

अबिगत अपरपार ब्रह्म, स्थान रूप सब डोम ।

बहु विचार करि देखिया, कोइ न सारिख रांम ॥^२

वह पूर्ण परमात्मा है, उसकी गति कोई बिरला ही समझ सकता है।

कहै कबीर प्रभु पुरन की गति बुरै बिरला कोई ॥^३

कबीर का ईश्वर सृष्टि का मूल तत्त्व है। वह देश, काल और अवस्था से परे सकल अतीत है।^४ संसार के सभी पदार्थ परिवर्तनशील हैं, क्षणभंगुर हैं; यह शरीर भी नश्वर है, परन्तु ईश्वर नित्य और अविनाशी है।^५ उस परम सत्य को समझना सरल कार्य नहीं, वह 'अबिगत' है, उसके क्रियाकलापों का ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है।^६ बाद वेद, स्मृति, पुराण तथा व्याकरण ग्रन्थों द्वारा भी उसका 'मर्म' नहीं पहचाना जा सका। कबीर का ईश्वर जन्म और मृत्यु, सुख और दुःख से परे है, 'जाकी माई न बाप रे' ऐसा वह 'निरजन' है।^७ वह 'हरि' सर्वान्तर्यामी है, सर्वव्यापक है।^८ वह आवागमन के चक्र से मुक्त एव सभी तत्त्वों का कर्ता है, उसी का ध्यान करने का कबीर संदेश देते हैं।^९

प्रभु के चरणों की सेवा एव उनके महत्त्व का उल्लेख कबीर में स्थान-स्थान पर है यथा—

चरनन लागि करीं सेवकाई ॥^{१०}

चरन कवल चित लाइए रांम नाम गुन गाई ॥^{११}

चरन कमल चितु रह्यो समाई ॥^{१२}

१ कहै कबीर सबै जग बिनसै रहै राम अविनासी रे ॥

—कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० ६० ।

२ वही, पृ० ११८ ।

३ वही, पृ० ६१ ।

४ बरन अबरन कथ्यो नही जाई, सकल अतीत घट रह्यो समाई ॥

—कबीर प्रथावली, पृ० १७५ ।

५ पच पदार्थ भरिहै खेहा, जरि बरि जायगी कचन देहा ।

कहत कबीर सुनहु रे लोई, राम नाम बिन और न कोई ॥—वही, पृ० १५६ ।

६ अबिगत की गति लखि न जाई ।

चारि वेद अरु सुभ्रित पुराना । नो ब्याकरना मरम न जानां ॥—वही, पृ० ८६ ।

७. जनमें मरै न सकटि आवे नाव निरजन जाकी रे ।

दास कबीर की ठाकुर ऐसो जाकी माई न बापौ रे ॥—वही, पृ० ६० ।

८ हरि महि तनु है तन महि हरि है, सरब निरतरि सोह रे ॥—वही, पृ० ६१ ।

९ आवै न जाइ मरै नहिँ जनमें ताका करी बिचारा ॥

—कबीर प्रथावली, (पा० ना० ति०), पृ० ६२ ।

१०. वही, पृ० ६ ।

११. वही, पृ० ८ ।

१२. वही, पृ० १५ ।

राम चरन जाके हूँ बसत है, ताको मन क्यों डोले ।^१

राम चरन मनि भाए रे ।^२

कहै कबीर साहेब का बन्दा पहुँचा हरिपद माही ।^३

तजि बाबै दाहिने बिकारा हरिपद दिढ़ कर गहिए ।^४

... कहै कबीर भजि चरन मुरारि ।^५

कहै कबीर जिनि हरि पद चीन्हा, मलिन प्यड थै निरमल कीन्हां ।^६

इत्यादि अनेक स्थानों पर कवि ने प्रभु-चरणों की महिमा का उल्लेख किया है। ईश्वर के चरणों का आश्रय वही ग्रहण कर सकता है जो काम, क्रोध, लोभ, और मोह का त्याग करे ।^७ हरि का भजन करने पर तथा उसके चरणों का आश्रय ग्रहण करने पर भक्तों की कोई भी हानि सम्भव नहीं ।^८ कबीर ने विचार कर सम्पूर्ण विश्व को देखा तो उन्हें ज्ञात हो गया कि इस सागर से पार जाना असम्भव है, अतः वह प्रभु की शरण गये हैं। यह शरणागति समझ ब्रू कर प्राप्त किया गया मार्ग है। कवि ने स्वीकार किया है—

सोचि विचारि सबै जग देखा कहू न ऊबरना ।

कहै कबीर सरनाई आयो भेटि जनम भरना ॥

जीवन की नश्वरता एवं असारता पर विचार कर समाज को उचित मार्ग की ओर उन्मुख करने का प्रयास दोनों कवि कर रहे हैं। अतः दृष्टि-वैभिन्य के अवसर साधारणतः कम ही हैं। कबीर ने चरण-वन्दना तथा शरणागति को स्वीकार कर, भव-सागर पार करने के लिए 'राम' अथवा 'हरि' का सहारा ग्रहण करने का उपदेश दिया है। तिरुवल्लुवर ने भी शरणागति में आस्था प्रकट की है। वह सर्वेश के चरण-ग्रहण करने का निर्देश करते हैं। कबीर के इस विषय से सम्बद्ध कथन सख्या में अधिक हैं तथा भाव के प्रस्तुतीकरण में अधिक स्पष्टता है क्योंकि वहाँ 'ईश्वर' भक्ति एवं ज्ञान का विषय है। वल्लुवर का मुख्य उद्देश्य प्रारम्भ के कुछ पद्यों में ईश्वर-वन्दना कर, विभिन्न विषयों पर व्यवस्थित कथन प्रस्तुत करना है। अतः ये पद्य मात्रा में कम हैं तथा इस विषय पर विस्तृत विचार भी नहीं हुआ है। यह अन्तर उद्देश्य-वैभिन्य का परिणाम है।

जगत् एव उसकी नश्वरता

'निलंयामे' शीर्षक से तिरुवल्लुवर ने भौतिक पदार्थों की नश्वरता का उल्लेख करते

१. कबीर-प्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० १६।

२. वही, पृ० ७७।

३. वही, पृ० ११४।

४. वही, पृ० ११६।

५. कबीर प्रथावली, पृ० ६७।

६. वही, पृ० १२०।

७. काम क्रोध लोभ मोह बिबरजित हरि पद चीन्हे सोई ॥

—कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० १६।

८. भसति जाउ पर भाव न जइयो हरि के चरन निवासा ।

ओ अन जानि भजहिं अबिगत को तिनका कछु न नासा ॥—वही, पृ० ५२।

हुए मनुष्य को धर्म-कार्यों में प्रवृत्त होने का मार्ग दर्शाया है। सत्य, अहिंसा, तप, इत्यादि को जीवन में ग्रहण कर लेने के पश्चात् जब मन की शुद्धि हो गई तो मनैःशानैः इस बात का अनुभव होता है कि यह बाह्य संसार नश्वर है, इसके किष्काकल्पन स्थायी नहीं। नश्वरता (निष्काम) का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य परम-सत्य (मैट्युणर्त्सल्) की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। परम-सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, संसार से सम्पर्क फूट जाता है। निष्काम (अवाञ्छसल) हो जाने की स्थिति ही सुक्ति है, यह दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति की स्थिति है। तिरुवल्लुवर का विचार है कि संसार के समस्त पदार्थ नश्वर हैं परन्तु मनुष्य भ्रमवश उसे अनश्वर मान लेता है।^१ भौतिक समृद्धि नाटक देखने के लिए रमभूमि में आने वाले जनसमूह के सदृश है। नाटक के पश्चात् दर्शकों का विशाल समूह जिस प्रकार अति-शीघ्र रमभूमि से चला जाता है, वैसे ही लौकिक पदार्थों भी नष्ट हो जाते हैं।^२ अतः मनुष्य को जैसे ही धन प्राप्त हो उसे अनश्वर धर्म-कार्य तुरन्त ही कर लेने चाहिए। समय आरे के समान जीवन को धीरे-धीरे काट रहा है अतः पूर्व इसके कि अंतिम हिचकी आए, बाणी बन्द हो जाए, मनुष्य को सत्यकर्म में प्रवृत्त होना चाहिए।^३ इस विश्व की महिमा ही यह है कि जो कल था वह आज नहीं है।^४ मूर्ख मनुष्य इसको न समझ अनेकानेक योजनाएँ बनाता है।^५ आत्मा और शरीर का सम्बन्ध अस्थायी है। पख निकलने पर पक्षी अण्डे के खोल को त्याग देता है, इसी प्रकार आत्मा शरीर का बन्धन त्याग देता है।^६ मृत्यु का अर्थ नाश नहीं है, यह तो एक गहरी निद्रा के सदृश है, पुनर्जन्म निद्रा से जागने के समान है।^७ वल्लुवर का विचार है कि आत्मा को सम्भवतः निश्चिन्त आवास प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए वह शरीर में अस्थायी निवास करता है।^८

धर्म के मार्ग पर अग्रसर होने का उपदेश देते हुए वल्लुवर विश्व की नश्वरता, एवं असारता पर विशेष बल देते हैं। वे मनुष्य को इस विश्व की अस्थिरता एवं नश्वरता का परिचय देकर चिरस्थायी, अनश्वर धर्म-कार्य के लिए प्रेरित करते हैं।

यह संसार नश्वर है, अन्य सब पदार्थ नश्वर हैं, इस भावना से सम्बद्ध कबीर के अनेक कथन उपलब्ध हैं। वे अन्य विषयों की अपेक्षा विश्व की अस्थिरता एवं 'काख' की सबलता पर अधिक बल देते हैं। उनका मत है कि यह शरीर कच्चे षड़े के समान है, किसी भी समय फूट सकता है।^९ संसार सेबल फूल के सदृश है, बाहर के व्यवहार और झूठे रंग देख मनुष्य को

१. कुरल ३३१।

२. कुरल ३३२।

३. कुरल ३३३।

४. कुरल ३३४।

५. कुरल ३३५।

६. कुरल ३३६।

७. कुरल ३३८।

८. कुरल ३३९।

९. कुरल ३४०।

१०. यह तन काखा कुभ है लिया फिर था साथि।

छबका लागो फुटि गया कछू न आया हाथि ॥

—कबीर प्रयागली, (पा० ना० लि०), पृ० १६३।

पञ्चभ्रष्ट नहीं होना चाहिए।^१ काल का चक्र चल रहा है, चक्की के समान सब को घिस रहा है, कोई भी इससे बच नहीं सकता।^२ इस त्रिभुवन में देह धारण करने वाला कोई भी स्थिर नहीं रहा,^३ सभी चार दिन अपनी नौबत बजाकर चले जाते हैं।^४ यहा कोई भी अपना नहीं, रात्रि के स्वप्न के समान यह जीवन नष्ट हो जाता है।^५ यह तो मेला है, इसमें स्वयं का अभाव है।^६

यहां सब कुछ 'मृत' होना है वह तो मुदों का गांव ही कहलाएगा। यहा कोई भी सदा जीवित शेष नहीं रहा। पीर, पैगम्बर, योगी, राजा, प्रजा, वैद्य, रोगी, चन्द्र, सूर्य, धरती, आकाश सब नष्ट हो जाते हैं।^७ यह सब जानते हुए भी मनुष्य इसके साथ मोह बनाए हुए है। अन्त में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता,^८ कोई उसका नाम भी नहीं लेता।^९ मृत्यु तो सिरहाने खडी है, पर मनुष्य निश्चिन्त सो रहा है।^{१०} इसकी दशा पानी के बुलबुले अथवा रात्रि के तारों के समान है। पानी के बुलबुले का अस्तित्व क्षणिक है, वे पानी में ही समा जाएंगे, और तारे तो प्रभात होने के साथ ही छिप जाएंगे।^{११} काल का आक्रमण अचानक होता है जैसे बाज तीतर पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर देता है।^{१२} नश्वरता के विषय में कबीर-काव्य में प्रचुर मात्रा में

१. असा यह ससार है जैसा संबल फूल।

दिन दस के व्योहार हैं भूठे रगि न भूल ॥—कबीर प्रथावली, (पा० ना० ति०) पृ० १९२।

२. चाकी चलती देखि के, दिया कबीरा रोइ।

दोइ पट भीतर आइकै, सालिम गया न कोइ ॥—वही, पृ० १९८।

३. जिन जिन देह धरी त्रिभुवन में थिर न रहा है कोई ॥—वही, पृ० ९१।

४. चारि दिन अपनी नौबति चले बजाइ।

उतानै खटिया गडिने मटिया सग न कछु लं जाइ ॥—वही, पृ० ५८।

५. यहु जियरा चलि जाइगा जस रैनि का सपना रे ॥—वही, पृ० ५६।

६. यहु जु दुनिया सिहरु मेला कोइ दस्तगीरी नाहि ॥—वही, पृ० ५१।

७. सतौ ई मुरदन कै गाउ।

तन धरि कोइ रहन न पावै काकौ लीजं नाउ ॥

पीर मुवा पैगबर मूवा मूवा जिदा जोगी।

राजा मूवा परजा मूवा मूवा बंद और रोगी ॥

चदौ मरिहै सुरजौ मरिहै मरिहै धरनि अकासा।

चौदह भुवन चौधरी मरिहै काकी धरिजं आसा ॥—वही, पृ० ६१।

८. लाज न मरहु कहहु घर मेरा।

अत की बार नही कछु तेरा ॥—वही, पृ० ४६।

९. मरैये मरि जाहिगं, कोइ न लेगा नाऊ ॥—वही, पृ० १९४।

१०. काल सिरहाने है खडा, जागि पियारे मित।

रोम सनेही बाहिरा, तू बयो सोवै निश्चित ॥—वही, पृ० १८५।

११. पानी केरा बुदबुदा अस मान्स की जाति।

देखत ही छिपि जाइये ज्यौ तारे परभाति ॥—वही, पृ० २००।

१२. काल अचानक मारिहै ज्यौ तीतर कौ बाज ॥—वही, पृ० १८५।

अविवेकी अज्ञानवश हैं।^१ इस नश्वरता से परिचित होते हुए भी हम भूटे सुख को सुख मान बैठे हैं।^२ इस धन को, जिसे न कोई लाया है, न कोई ले जाएगा, हम बहुत महत्व देते हैं। कबीर का संदेश है कि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से प्राप्त होता है।^३ अतः मनुष्य को इसका साथ उठाकर सत्य मार्ग का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो भवचक्र में फँस कर निरन्तर कष्ट पाएगा, अतः 'राम' का स्मरण कर 'काल' के क्रूर पवनों से छूटने का प्रयास करना होगा।^४

कर्म-सिद्धांत

धर्म-खण्ड (अरसुपाल) के एक अलग खण्ड 'ऊठियल' के अन्तर्गत बल्लुवर ने केवल एक विषय 'ऊठ' को विचार का विषय बनाया है। 'ऊठ' शब्द का अर्थ पूर्व-कर्म से लिया गया है। इसका अनुवाद 'भाग्य', 'दैव' इत्यादि शब्दों में किया गया है। इस विषय में

१ (क) कबीर गरब न कीजिअँ, काल गहै कर केस ।

ना जानौं कह मारिहै, कै घर कै परदेस ॥

—कबीर प्रथाबली (पा० ना० ति०), पृ० १६१।

(ख) कबीर पाच पखेरवा, राखँ पोख लगाइ ।

एक जु आयी पारधी, लै गयो सभै उडाइ ॥—वही, पृ० २०२ ।

(ग) सब जग सूता नीद भरि, मोहि न आवै नीद ।

काल खडा सिर ऊपरै, ज्यौं तोरणि आया बीद ॥—वही, पृ० २०१ ।

(घ) काल अहेरी साभ सकारा । सावज ससा सकल ससारा ॥—वही, पृ० १२६ ।

(ङ) मृत्युकाल किनहू नहिं देखा । दुख कौं सुख करि सबहिं लेखा ॥

सुखकर मूल न चीन्हसि अभागी, चीन्हे बिना रहै दुख लागी ॥—वही, पृ० १२४ ।

(च) कोटि जतन करि यहू तन राखहु अत अवस्था धूरी ।

बालू के घरवा महि बैसे चेतत नाहि अयाना ॥—वही, पृ० ४१ ।

(छ) ना कोऊ लै आयो यहू धन ना कोऊ लै जात ।

रावन हू तँ अधिक छत्रपति खिन महि गए बिलात ॥—वही, पृ० ४३ ।

(ज) मात पिता बनिता सुत सपति अति न चले सगात ॥—वही, पृ० ४४ ।

(झ) जब जम आइ केस गहि पटकै ता दिन कछु न बसाइगा ॥

धरमराज जब लेखा मार्ग क्या मुख लै कै जाइगा ॥—वही ।

(ञ) दिना चारि के सुरग फूल । तेहि लखि भवरा रखी भूल ॥—वही, पृ० ४५ ।

इसके अतिरिक्त देखें—वही, पृ० ५८, पद सख्या ६६, १०० । वही, पृ० ५६, पद सख्या

१०१, १०२ । वही, पृ० ६०, पद सख्या १०३, १०४ । वही, पृ० ६२, पद सख्या १०६, १०७ ।

वही, पृ० ६६, पद सख्या ११३ । वही, पृ० २६, पद सख्या ४४ । वही, पृ० ३६, पद सख्या

२२ । वही, पृ० ४०, पद सख्या ३८ इत्यादि ।

२ मानुख जनमहिं पाइ कै चूकै अब की धात ।

जाइ परै भव चक्र में सहै घनेरी लात ॥—वही, पृ० १८५ ।

३. वही ।

४ सुमिरन करहु राम का काल गहै कर केस ॥—वही पृ० १२४ ।

श्री धी० वी० एस० ऐय्यर का मत है कि ऊर्ध्व से अभिप्राय मनुष्य के संचित कर्मों की उस शक्ति से है जिसका अभी व्यय नहीं हुआ। यह एक शक्तिशाली तत्त्व है और इसका प्रभाव जन्म से ही मनुष्य के चरित्र और प्रवृत्तियों पर होता है।^१ इस अध्याय की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए श्री ऐय्यर का कथन है कि कवि जिन नियमों का प्रतिपादन कर रहा है उनका पालन करवाने के लिए उसके पास कोई मार्ग नहीं है। कर्म के मार्ग पर मनुष्यों को अग्रसर करने के लिए किसी न किसी बन्धन की आवश्यकता का अनुभव कवि ने किया। यदि लोग यह समझ लें कि पाप कर्म करने पर उनका बोझ उनके सिर पर चढ़ेगा और उसका फल अगले जन्मों में भी दुःख और कष्टों के रूप में प्राप्त होगा तथा पुण्य-कर्म एक कोष के समान है जो अनेक जन्मों तक आनन्द की प्राप्ति में सहायक होंगे तो कवि के जनता के धर्ममार्ग पर अग्रसर करने के उद्देश्य की पूर्ति अत्यन्त सरल हो जाती है। सम्भव है कि कर्म-फल-सिद्धान्त की मान्यता के साथ-साथ इन्ने विशेष महत्त्व प्रदान करने का यह भी एक कारण रहा हो।^२

'मनुष्य का भाग्य अच्छा हो तो वह प्रयत्न कर धन-सचय करता है। यदि भाग्य विपरीत हो तो वह आलस्यवश धन-नाश करता है।'^३ वत्सुवर इस प्रकार कर्मफल का सम्बन्ध सामाजिक स्थिति के साथ करते हैं। भाग्य यदि विपरीत है तो बुद्धि मन्द हो जाएगी, पर यदि भाग्य पक्ष में है तो वही बुद्धि विशाल एवं निर्मल बनेगी।^४ भाग्य के अनुकूल न होने पर गहन शास्त्रीय अध्ययन करने पर भी मनुष्य उचित मार्ग का अनुसरण न कर पाएगा।^५ भाग्य के कारण विश्व में दो प्रकार की प्रवृत्ति है एक तो धन-सम्पत्ति की और दूसरी इसके विपरीत उचित ज्ञान-प्राप्ति की।^६ मनुष्य अपने कर्मों के वश हो धन-सम्पत्ति में प्रवृत्त होता है और असत्य को सत्य तथा सत्य को असत्य मान बैठता है।^७ जो भाग्य में नहीं है, उसकी रक्षा करने पर भी वह नहीं रहेगा, पर जो भाग्य में है उसका त्याग कर देने पर भी वह मनुष्य के पास ही रहेगा।^८ मनुष्य चाहे अतुल धन-वैभव का सम्पन्न कर ले, उसका उपभोग वह भाग्यानुसार ही प्राप्त करेगा।^९ दुःखभोग कर्मफल के अधीन है अन्यथा सभी दरिद्र मनुष्य कामना का त्याग कर संन्यासी हो जाए।^{१०} मनुष्य को जब भाग्यवश सुख प्राप्त होता है तो वह प्रसन्न होता है तब

१ The idea underlying the word is the accumulated unspent force of man's actions in all his past lives. It is this energy waiting to materialise itself in the new life of the soul that our philosophical writers call by the name of 'Karma' or Uj

— *The Kural*, V V S Aiyar, p XVIII

२. कुरल १६।
३. कुरल ३७१।
४. कुरल ३७२।
५. कुरल ३७३।
६. कुरल ३७४।
७. कुरल ३७५।
८. कुरल ३७६।
९. कुरल ३७७।
१०. कुरल ३७८।

दुःख प्राप्त होने पर दुःखी क्यों होता है ?^१ भाग्य से बढ़कर कोई शक्ति नहीं, उन्हीं ही कोई भाग्य को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, भाग्य अपने प्रभाव द्वारा उसे असफल कर देता है।^२

कबीर की कर्म सिद्धान्त में आस्था है। कर्मों को 'शुभ' एवं 'अशुभ' रूप में स्वीकार किया है। 'कर्म करीमां लिख रक्षा अब कछु लिख्या न जाइ'^३ के मूल में इसी भाग्य अथवा कर्म-फल-सिद्धान्त की स्वीकृति है। कबीर का कथन है कि कर्मों का फल तो अनिवार्य रूप से भोगना पड़ेगा।^४ 'कबीर ने जगत् में रहते हुए ऐसे परम सत को श्रेष्ठ कहा है जो निष्काम कर्म करते हुए, जगत्-व्यवहारों से जूझते हुए, जगत् के विकारों से लोहा लेते हुए, भगवद्भक्ति में मन को लगाता है।'^५ कबीर अपने इष्ट का भरोसा करते हुए निश्चिन्त होना जानते हैं और और कहते हैं—

कबीर का तू चितबै, का तेरा च्यत्या होइ।

अण च्यत्या हरिजी करै, जो तोहि च्यत न होइ ॥^६

१. कुरल ३७६।

२. कुरल ३७०।

३. कबीर ग्रन्थावली, पृ० ४५।

४. (क) मासा घटे न तिल बर्ष, जो कोटिक करै उपाइ ॥—वही, पृ० ४५।

(ख) जाको जेता निरमया, ताको तेता होइ।

रती घटे न तिल बर्ष, जो सिर कूटै कोइ ॥—वही, पृ० ४५।

(ग) च्येता न करि अच्यत रहू, साइ है सन्नय ॥—वही।

५. कबीर दर्शन, डा० रामजीलाल 'सहायक' पृ० ३६७।

६. कबीर ग्रन्थावली, पृ० ४५।

तिरुवल्लुवर एवं कबीर के काव्य में अर्थ (पोरुल्) का तुलनात्मक अध्ययन

भारतीय परम्परा में 'अर्थ', 'अर्थ' (पोरुल्) का अर्थ, 'अर्थ' का सक्षिप्त विकास, तिरुकुरल् में पोरुल्-खण्ड का वर्ण-विषय, वर्गीकरण।

- (क) प्रशासन अथवा अधिकारी-वर्ग विषयक विवेचन . राज्य, राजा, अमात्य, दूत एवं गुप्तचर, कोष, सैन्य, मंत्री, दुर्ग (राजधानी), निष्कर्ष।
- (ख) वर्गीकरण के आधार का स्पष्टीकरण . (अ) मानव के विकास की प्रक्रिया (शिक्षा, अशिक्षा, श्रवण-ज्ञान, बुद्धिमत्ता, ज्ञान का विस्तार, सभा)। (आ) सामाजिक सम्बन्धों के विभिन्न रूप : सज्जन-मंत्री, कुसन्त्याग, विश्वासपात्र का चुनाव, बहुओं के प्रति सद्भाव, सद्ब्यवहार। (इ) कर्म की विधि : बोधयुक्त कर्म, शक्ति, काल एवं स्थल का बोध। (ई) सामाजिक जीवन का दुर्बल पक्ष : १. मानवस्वभावगत दुर्बलता (मूढता, अहंकार, नीचता) २ सामाजिक सगठन के फलस्वरूप उत्पन्न दोष (संपत्ति संग्रह, दरिद्रता, याचना)। निष्कर्ष।

भारतीय परम्परा में अर्थ

प्राचीन भारतीय जीवन के विषय में विद्वानों की प्रायः धारणा रही है कि आरिभिक विकास और आध्यात्म-आधृत धार्मिक जीवन को अत्यधिक महत्त्व दिये जाने के फलस्वरूप इस देश का अर्थ-पक्ष अपेक्षाकृत पिछड़ा रहा। इस प्रकार का मत वैक्समूलर, श्री अरविन्द, महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इत्यादि विद्वानों ने अभिव्यक्त किया है।^१ इस प्रकार के कथनों में इस महत्त्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख है कि भारतीय जीवन में धर्म, आस्था, आरिभिक विकास इत्यादि को जीवन के आदर्श रूप में सदा प्रमुख स्थान प्राप्त था, पर यह कहना कि इस कारण जीवन को नकारा गया, जीवन से पलायन किया गया, सत्य पर आधृत नहीं। आध्यात्मिकता जीवन-वृष्टि थी, जीवनादर्श था, जीवन के कर्मों को नियंत्रित करने की एक पद्धति थी। आध्यात्मिकता के ही साथ सजोयी हुई अर्थ और काम को महत्त्व प्रदान करने वाली विचारधारा का प्रवाह निरन्तर बना रहा।

हमारी सांस्कृतिक परम्परा में 'अर्थ' और 'काम' धर्म पर आधृत माने गये हैं। 'अर्थ' जीवन की वास्तविकता है, जीवन का यथार्थ है, और इसी कारण जीवन का कठोर पक्ष है। 'काम' इच्छा से अनुप्रेरित है, यह जीवन का मधुर, कोमल पक्ष है। दूसरे शब्दों में अर्थ और काम जीवन का श्रेय है, इसको धर्म नियमित, नियंत्रित एवं संचालित करता है, धर्म प्रेय है, जीवन का आधार-तत्त्व है। रघुवश में राजा के गुणों का वर्णन करते समय यही सत्य कवि के समक्ष रहा है।^२

धर्म और अर्थ भारतीय विचारधारा में दो साथ चलने वाली धाराएँ हैं। यह भारतीय विचारधारा के दो कार्य-स्थल हैं। अर्थ जीवन की व्यावहारिक आवश्यकताओं एवं धर्म जीवन के आदर्श का आधार है। वास्तविक जीवन में दोनों अन्योन्याश्रित हैं, परस्पर सम्बद्ध हैं एवं आर्थिक विकास तथा सामाजिक उन्नति के लिए इनका कार्य-क्षेत्र भिन्न दिखाई देने पर भी मूलतः एक ही है। भारतीय जीवन में धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का उल्लेख प्रायः साथ ही साथ हुआ है। जीवन-यात्रा में इनके महत्त्व की स्वीकृति निरन्तर रही है। प्रस्तुत अध्याय का विषय 'अर्थ' का अध्ययन करना है।

जीवन में धन-सम्पदा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। धर्म की प्राप्ति एवं धार्मिक कृत्यों की पूर्ति के लिए धन का आधार अपेक्षित है। सामाजिक सुख-प्राप्ति के दो रूप हैं—व्यष्टिगत एवं समष्टिगत। इन दोनों की उपलब्धि अर्थ की प्राप्ति एवं उसके सम्यक् उपयोग आदि से सम्बद्ध है। अर्थ के अभाव में न तो व्यक्ति-जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है और न ही समाज समृद्ध हो सकता है।

१ *Indian Thought Through the Ages* p 49-50

२. अप्यर्थकामो तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः ॥—रघुवंश, कालिदास १।२५।

अर्थ—मोनियर विलियम्स के शब्दकोश में अर्थ को 'उद्देश्य', 'लक्ष्य' का पर्याय माना गया है। 'सार', 'धन-सम्पदा' इत्यादि का सकेत भी इस शब्द से मिलता है।^१ अर्थ के अनेकानेक अर्थों में सांसारिक वैभव की प्राप्ति का सकेत निश्चय ही महत्त्वपूर्ण है।^२ हेनरिच जिमर के अनुसार अर्थ से साधारणतः समृद्धि, सासारिक वैभव, सुविधा, लाभ, धन, व्यापारिक जीवन का परिणाम, व्यापारिक विषयवस्तु तथा कार्य, क्रिया, एक मूल्य का तात्पर्य ग्रहण किया जाता है।^३

'अर्थ' का विकास—वेद के अनेक मन्त्रों में अर्थ (धन) उपलब्ध करने की कामनाएँ प्रकट की गई हैं। हम धन के अधिपति बनें, ऐश्वर्य प्राप्त के लिए प्रभु हमें सतपथ पर ले जायें, जो रत्नों का धारण करने वाला, धनवान तथा दानी है, मैं त्यागी पुरुष को धन देता हूँ। जो द्वेषों से पार हो गया, धन उसी के पास जाता है। जो ऋत के पथ का अनुसरण करते हैं, उनके पास धी की नहरें बहती रहती हैं। देव मुझे धन दें, मुझे अन्न और धन के बीच में रखें, वह आशीर्वाद के साथ धन की भी इच्छा करता है, जो व्यक्ति उद्योगशील है, पीछे पैर नहीं रखता, वह वैयक्तिक एवं सामूहिक धनो पर विजय प्राप्त करता है, सतति तथा धन से तृप्त होते हुए तुम शुद्ध और पवित्र हो जाओ। तुम याज्ञिक जीवन व्यतीत करते हुए, जो धन मिल जाए, उसको बहुत समझ कर प्रसन्न रहो।' इत्यादि अनेकानेक उक्तिया धन की वाछनीयता एवं आवश्यकता के साथ ही धर्म-आधृत दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करती हैं।^४

ऋग्वेद के अनुसार पुरुषार्थ के सन्दर्भ में 'अर्थ' का तात्पर्य उन पार्थिव वस्तुओं से है जिनकी आवश्यकता गृहस्थ चलाने तथा तत्सम्बन्धी धार्मिक कृत्यों का सम्पादन करने में पड़ती है। पी० एच० प्रभू का कथन है कि पुरुषार्थ के सन्दर्भ में 'अर्थ' से उन सभी उपकरणों का तात्पर्य लिया जा सकता है जो सासारिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं। धन और सत्ता सासारिक समृद्धि के प्रतीक हैं।^५ महाभारतकार ने 'अर्थ' से धर्म, काम और स्वर्ग

१ अर्थ - aim, purpose, generally named with Kama and Dharma - Trivarga, substance, wealth, prosperity, opulence, money

A Sanskrit English Dictionary, Sir Monier Williams, p 90

२. *Sanskrit English Dictionary, Vol I, P K Gode and C G Karve, p. 224.*

३. The word 'artha' thus connotes "the attainment of riches and worldly prosperity, advantage, profit, wealth" also "result", in commercial life "business matter, business affair, work price" ...

—*Philosophes of India, Heinrich Zimmer, p 35*

४ 'अग्ने नय सुपथा राये', 'वयं स्याम पतयो रयीणाम', 'यो रत्नधा वसुभिश्च सुदत्र', 'अहं वक्षामि द्रविणं हृदिभ्यते', 'येन विश्वा परिद्विषो वृण्वित विन्दते वसु, 'घृतस्य कुल्या उपऋतस्य पथ्या अनु', 'मयि देवा द्रविणमायजन्ताम्', 'इषे च राये धेहि', 'स आशिषा द्रविणमिच्छमान', 'अप्रतीतो जयति सन्धनानि। प्रति जय्यानि उतवासजन्त्या', 'आप्यायमाना' प्रजया धनेन शुद्धा पूता भवत यज्ञियास ।', 'वित्तेरमस्व बहुमन्यमान', इत्यादि।

डा० मुशीराम शर्मा—वैदिक संस्कृति और सम्यता, पृ० १८०।

५. *Hindu Social Organisation, p 79-80.*

की सिद्धि मानती है। लोक-जीवन की यात्रा में धन का महत्त्व सर्वज्ञात है।^१

कौटिल्य का अभिमत है कि धर्म, अर्थ और काम इन तीनों में अर्थ प्रधान है, धर्म और काम अर्थ पर निर्भर हैं।^२ शासन का कर्तव्य है कि नीति द्वारा अर्थात् वस्तुओं को प्राप्त कर-बाए (उत्पादन), प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करे, रक्षित वस्तुओं की वृद्धि और संबद्धित वस्तुओं को समुचित कार्यों में लगाए (वितरण)।^३ कौटिल्य मनुष्यों से युक्त भूमि को भी 'अर्थ' के अन्तर्गत समाहित करते हैं। इस प्रकार की भूमि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने वाले उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है।^४ अर्थ के इस विस्तृत अर्थ में धन-उत्पादन, वितरण एवं उपभोग सम्बन्धी कार्यों का विवेचन, तथा मनुष्यों से युक्त भूमि की सुव्यवस्था के सबंध से शासन-व्यवस्था का विवेचन भी इसके अन्तर्गत आ जाता है।

वर्ष्य-विषय

पोरुल् (अर्थ) के अन्तर्गत वल्लुवर ने जिन विषयों को क्राष्य का आधार बनाया है उनकी सूची इस प्रकार है—

- (१) नरेश के गुण कर्म (इरमाट्चि)
- (२) शिक्षा (कल्वि)
- (३) अशिक्षा (कल्लामै)
- (४) श्रवण से प्राप्त ज्ञान (केल्वि)
- (५) बुद्धिमत्ता (अरिवुडैमै)
- (६) दोष-निरोध (कूट्टम् कडिदल्)
- (७) श्रेष्ठों का साहचर्य (पेरियारै तुणैक्कोडल्)
- (८) कुसंग का त्याग (सिट्टिनम् चेरामै)
- (९) बोधयुक्त कर्म (तेरिन्दु सेयल्वहै)
- (१०) शक्ति का बोध (वलियरिदल्)
- (११) समय का बोध (कालमरिदल्)
- (१२) स्थल का बोध (इडनरिदल्)
- (१३) विचारपूर्ण चुनाव (तेरिन्दु तेलिदल्)
- (१४) समझ कर कर्म करना (तेरिन्दु विनैयाडल्)
- (१५) बन्धुओं की उपेक्षा न करना (सूट्टम् तळाल्)
- (१६) अविस्मरण (पोच्चावामै)

१ अर्थात् धर्मद्वय कामद्वय स्वर्गद्वय नराधिप ।

प्राणयात्रापि लोकस्य विना ह्यर्थं न सिद्धयति ॥—महा० शान्ति० ८।१७ ।

२. अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्य ; अर्थं भूलौ हि धर्मकामाविति ।

—कौटिलीय-अर्थशास्त्रम्, अनु० वाचस्पति गैरोला, १।३।६।२ ।

३. अलम्बलाभार्था, लम्बपरिरक्षणी, रक्षितविवर्धनी, वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च ।

—वही, १।१।३।१ ।

४ मनुष्याणां वृत्तिरर्थं, मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः, तस्या पृथिव्या लाभ-पालनोपाय शास्त्र-सर्वशास्त्रमिति ॥—वही, १।१।८।१।१ ।

- (१७) सुशासन (सैंगोन्मै)
- (१८) कुशासन (कोडुगोन्मै)
- (१९) भयकम्पित न करना (वेरुवन्द सेय्यार्मै)
- (२०) दयावंता (कण्णोट्टम्)
- (२१) गुप्तचर (ओट्टाडल)
- (२२) उत्साह (ऊक्कम् उडैमै)
- (२३) निरालस्य (मडियिनमै)
- (२४) कार्य-कुशलता (आल्विनै उडैमै)
- (२५) दुःख में अधीर न होना (इडुक्कण अळियार्मै)
- (२६) मन्त्रित्व (अमैञ्चु)
- (२७) वाक्-शक्ति (सोल् वनमै)
- (२८) व्यवहार-विद्युद्धि (विनैत्तूयर्मै)
- (२९) कर्म की दृढता (विनै तिट्पम्)
- (३०) कर्म की रीति (विनै सेयल्वहै)
- (३१) दूत (तूडु)
- (३२) सम्राट से सहयोग (मन्नरै चेर्न्दु ओळुहल्)
- (३३) भावज्ञता (कुरिप्पु अरिदल्)
- (३४) सभा को समझना (अवै अरिदल्)
- (३५) सभा में निर्भीकता (अवै अञ्जार्मै)
- (३६) राज्य (नाडु)
- (३७) दुर्ग (अरण्)
- (३८) धन-बल निरूपण (पोरल् सेयल्वहै)
- (३९) सैन्य-सौष्ठव (पडै माट्चि)
- (४०) सैन्य-शौर्य (पडैञ्चेरुक्कु)
- (४१) मंत्री (नट्पु)
- (४२) मित्रता का विवेचन (नट्पु आरायदल्)
- (४३) चिर-परिचय (पळैमै)
- (४४) निकृष्ट मंत्री (तीनट्पु)
- (४५) झूठी मित्रता (कूडानट्पु)
- (४६) मूर्खता (पेडैमै)
- (४७) अहंकार-युक्त तुच्छ बुद्धि (पल्लरि वाण्मै)
- (४८) विरोध (इहल्)
- (४९) शत्रुता की उग्रता (पहैमाट्चि)
- (५०) शत्रु-बल का बोध (पहैस्तिरम् तेरिदल्)
- (५१) अंत-वैर (उट्पहै)
- (५२) महान् का अपमान करना (पेरियारै पिळ्ळैचार्मै)
- (५३) स्त्री का अनुसरण न करना (पेण्वळि चेरल्)
- (५४) वैध्या (तरैविन् महलिर)

- (५५) मद्य-निषेध (कल्लुण्णमै)
- (५६) ज्ञा (सूदु)
- (५७) औषधि (मरुन्दु)
- (५८) कुलीनता (कुडिमै)
- (५९) सम्मान (मानम्)
- (६०) महानता (पेरुमै)
- (६१) सर्वगुण सम्पन्नता (सान्णामै)
- (६२) शिष्टाचार (पण्णुडैमै)
- (६३) प्रयोजनहीन सम्पत्ति (नन्नुरियिल् सेल्वम्)
- (६४) लज्जाशीलता (नाणुडैमै)
- (६५) वश चलाने की रीति (कुडिसेयल्वहै)
- (६६) कृषि (उळवु)
- (६७) दरिद्रता (नल्लुवरु)
- (६८) याचना (इरवु)
- (६९) याचना की भयकरता (इरवञ्चम्)
- (७०) नीचता (कयमै)

स्पष्ट है कि वल्लुवर ने अर्थ का विस्तृत तात्पर्य ग्रहण किया है। इसके अन्तर्गत राज्य-सत्ता के विभिन्न उपकरणों—यथा राजा, मंत्री, दूत, सैन्य, खाद्य पर विचार करने के अतिरिक्त सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक नीति का भी विधान किया है। समाज में सम्मान-योग्य व्यक्ति के गुणों का विवेचन एवं घनाभाव से उत्पन्न दोषों का भी संकेत कवि ने दिया है। तिरुक्कुरल के 'अर्थ' (पोरुल्) के अन्तर्गत विवेचित विषयों को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है—

- (क) प्रशासन अथवा अधिकारी-वर्ग विषयक विवेचन इसके अन्तर्गत राजा, सामन्त, दुर्ग, सैन्य, खाद्य, राजदूत, गुप्तचर, मित्र एवं इनसे सम्बद्ध विषयों का विवेचन है।
- (ख) सामान्य-समाज सम्बन्धी विवेचन इसमें सम्मान, महानता, शिष्टाचार इत्यादि गुणों के अतिरिक्त सामान्य व्यक्ति के जीवन के विधि-निषेध का मार्ग स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विषयों पर विवेचन है।
- (क) प्रशासन अथवा अधिकारी वर्ग विषयक विवेचन

राज्य—डा० पाण्डुरंग वामन काणे के अनुसार "प्रायः सभी राजनीति शास्त्रों ने राज्य के सात अंग बतलाए हैं। यथा—स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, दण्ड एवं मित्र।"^१ तिरुक्कुरल द्वारा स्वीकृत राष्ट्र के इन्हीं सात अंगों की स्वीकृति कौटिल्य^२, मनु^३ एवं

१ धर्म-शास्त्र का इतिहास, भाग २, पृ० ५८५।

२ स्वाम्यमात्यजनपददुर्गकोशदण्डमित्राणि प्रकृतयः ॥

—की० अर्थ०, १६।१।१।

३ स्वाम्यमात्यो पुरं राष्ट्रं कोशदण्डी सुहृत्तथा ।

सप्त प्रकृतयो ह्येता सप्तांग राज्यमुच्यते ॥—मनु० ६।२६४।

याज्ञवल्क्य^१ ने दी है। कालिदास ने भी राज्य के सात अंगों का ही उल्लेख किया है। “शिव सप्तस्वंगेषु यस्य मे”^२ द्वारा राज्य के इन्हीं सात अंगों का उल्लेख रघुवश में दिलीप ने किया है। स्पष्ट है कि भारतीय अर्थ-सम्बन्धी विचारधारा की परम्परा के अनुसार ही वल्लुवर ने अपने आदर्श राज्य में कल्पना की, पर उल्लेखनीय यह है कि गौण गुणों का जिस प्रकार का उल्लेख वल्लुवर ने किया, वह मौलिक है। इसके अन्तर्गत प्रजा एवं राजा का सम्बन्ध अत्यन्त मधुर एवं पारस्परिक सहयोग पर आश्रित माना गया है। मूलतः कृषि-प्रधान अर्थ-व्यवस्था के कारण वल्लुवर उपज एवं उमके आवश्यक ‘जन के उभय स्रोत’^३ (वर्षा, नदी इत्यादि) का उल्लेख राज्य के अनिवार्य अंगों में करने हैं। तिरुवल्लुवर ने अनेक विरोधी सघ-सभाओं, विनाशकारी अन-कलह तथा राजा के लिए दुःखप्रद हत्यारे भूस्वामी से रहित राज्य को आदर्श माना है।^४ वे ऐसे राज्य को आदर्श मानते हैं जो इतना प्रबल हो कि दूसरों के लिए आकर्षण का केन्द्र हो परन्तु अपनी अत-शक्ति के कारण बाह्य आक्रमणों से मुक्त हो।^५

तिरुवल्लुवर ने राज्य (नाडु) के अन्तर्गत अक्षय उपज, योग्य विद्वान् एवं अतिहीन घनाढ्य की आवश्यकता पर बल दिया है। विशाल सम्पत्ति, जल के प्रचुर स्रोत, यथानुकूल पर्वत, प्रवाहपूर्ण नदी एवं सुदृढ दुर्ग राज्य के अनिवार्य अंग माने गए हैं। वल्लुवर के अनुसार सैन्य, प्रजा, धन, अमात्य, मित्र एवं दुर्ग जिसके पास हो वह राजाओं में पुरुष-मिह सद्गृह होता है।^६ राज्य के अलंकारों में व्याधि रहित अवस्था, सम्पत्ति, उपज-समृद्धि, आनन्दमय जीवन एवं सुरक्षा का उल्लेख हुआ है। जहाँ प्रजावग कठिन अवस्था में भी यथानुसार समस्त कर चुकाता रहे, जो निरन्तर व्याधि, बाह्य आक्रमणों से मुक्त हो, एवं जिसका एक श्रेष्ठ राजा हो, वही राज्य कहलाने योग्य है।

तिरुवल्लुवर के आधार पर प्रस्तुत उपर्युक्त राज्य की रूप-रेखा में दो प्रकार के गुणों का उल्लेख है—

(क) अनिवार्य।

(ख) गुण अभिवृद्धि करने वाले (गौण)।

अनिवार्य गुणों, में दुर्ग, प्रजा अमात्य, सैन्य, धन, मित्र एवं राजा का उल्लेख किया गया है। अक्षय उपज, विशाल सम्पत्ति एवं जल के स्रोत धन के अन्तर्गत, योग्य विद्वान् ‘मित्र’ अथवा ‘अमात्य’ के अन्तर्गत समाहित हो जाते हैं। बाह्य आक्रमणों से रक्षा दृढ दुर्ग एवं सैन्य-शक्ति पर निर्भर करती है।

गौण गुणों में व्याधि रहित सानन्द जीवन, प्रजा के द्वारा कर चुकाना, विनाश-काल में भी समृद्धि न रकने देना, राजा-प्रजा की सयुक्त शक्ति एवं पारस्परिक सहयोग भावना का

१ स्वाम्यमात्मी जनो दुर्ग कोशो दण्डमस्तथैव च।

मित्राण्येता प्रकृतयो राज्य सप्तांगमुच्यते ॥—याज्ञवल्क्य०, १।३५३।

२ रघुवश, १।६०।

३ कुरल ७३७।

४. कुरल ७३५।

५. कुरल ७३२, ७३४।

६ कुरल ३८१।

उल्लेख हुआ है।

राजा—भारत में व्यवस्थित शासन का प्राचीनतम रूप राजतन्त्र ही था। ऋग्वेद के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें राजतन्त्र को ही प्रचलित शासन-व्यवस्था माना गया है। राजा का पद सबसे अधिक सम्मानित और सर्वोच्च था। महाभारत शान्ति-पर्व में उल्लेख आता है कि सब प्राणी धर्म में स्थित रहते हैं और धर्म राजा में निवास करता है, उस धर्म की उत्तम रीति से रक्षा करने वाले राजा ही पृथ्वी के स्वामी होते हैं।

राजा की आवश्यकता का अनुभव सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने, एव मात्स्यन्याय की स्थिति से बचने के लिए हुआ होगा। ऐतरेय ब्राह्मण में आया है कि देवों ने राजा के न रहने पर अपनी दुर्दशा देखी और तभी एक मन से उसका चुनाव किया।^१ यहाँ सामरिक आवश्यकता से नृपत्य का जन्म हुआ। मनु ने लिखा है—जब सभी भयाकुल होकर इधर-उधर दौड़ने लगे और विश्व में कोई स्वामी नहीं था तो विधाता ने इस विश्व की रक्षा के लिए राजा का प्रणयन किया।^२ कौटिल्य का कहना है—जब दण्ड का प्रयोग नहीं होता तो मात्स्यन्याय की दशा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि दण्डधर के अभाव में बलवान दुर्बल को खा डालता है।^३ कौटिल्य के अनुसार इन मात्स्यन्याय से अभिभूत होकर लोगो ने मनु वैवस्वत को अपना राजा बनाया।^४ यही कथन धार्मिक रामायण,^५ महाभारत,^६ कामन्दक,^७ इत्यादि में भी उपलब्ध है। राजा को प्रायः दण्डधर की उपाधि दी गयी है।^८ मत्स्यपुराण, अनिलपुराण तथा महाभारत, शान्तिपर्व में आया है कि 'दण्ड' नाम इसलिए पड़ा है कि यह अनियन्त्रित लोगो को दबाता है और अमर तथा अनीतिमान को दण्डित करता है।^९ दण्ड सब पर राज्य करता है, सबकी रक्षा करता है, यह न्याय के रक्षको के सो जाने पर भी जगा रहता है, बुद्धिमान लोग इसे धर्म कहते हैं।^{१०} यहाँ दण्ड और राजा के एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाने का उल्लेख एक विशेष उद्देश्य से किया गया है। राजा के लिए वल्लुवर ने 'इरमाट्चि' अध्याय में 'इरै' शब्द का प्रयोग किया है। ईश्वर के लिए भी इरैवन् शब्द का प्रयोग हुआ है। यह राजा के देवी रूप की स्वीकृति है। राजा की शक्ति एव न्याय के लिए 'कोल' शब्द प्रयुक्त हुआ है। गडरिये के समान ही

१ १।१४ (धर्मशास्त्र का इतिहास, पृ० ५८६)।

२ अराजके हि लोकेऽस्मिन्मर्वतो विदूते भयात्।

रक्षार्थमन्य सर्वान्य राजानमसृजत्प्रभु ॥—मनु० ७।३, शुक्रनीति १।७१।

३ (दण्ड.) अप्रणीतो हि मात्स्यन्यायमुद्भावयति।

बलीयानबल हि ग्रसते दण्डधराभावे ॥—कौ० अर्थ० १।४।

४ मात्स्यन्यायाभिभूता प्रजा मनु वैवस्वत राजान् चक्रिरे ॥—वही, १।३।३।

५ मत्स्या इव जना नित्य भक्षयन्ति परस्परम्।—वा० रा० अयो० ६७।३।१।

६ दण्डश्चेन्न भवेत्लोके विनश्येयुरिमा' प्रजा।

जले मत्स्यानिवाभक्षयन् दुर्बलान् बलवत्तरा ॥—महा० शान्ति०, १५।३०।

और वेलें, वही, १५।३, १५।१२, १५।४०, १५।४३ इत्यादि।

७ दण्डाभावे परिष्वसी मात्स्यो न्यायः प्रवर्तते ॥—कामन्दक०, २।४०।

८ महाभारत शान्ति०, ६७।१६, कामन्दक०, १।१, गौतम०, १।१२८।

९ धर्मशास्त्र का इतिहास, पृ० ५८७।

१० मनु० ७।१८, महा० शान्ति०, १५।२, मत्स्य० ५२५।१४-१५।

राजा बनने हाथों में दण्ड धारण करता है। गडरिये के दण्ड को भी 'कोल' कहा जाता है। राजा और प्रजा का सम्बन्ध गडरिये और भेड़ों के सम्बन्ध से भिन्न नहीं था। दोनों स्थितियों में अव्यवस्था रोकने, नियन्त्रण करने एवं समूह के हित के लिए 'दण्ड' (कोल) का उपयोग होता है।^१

राजा के गुण—निरुक्त (२।३) में राजन् शब्द 'राज्' धातु से निष्पन्न माना गया है जिसका अर्थ है 'चमकना' परन्तु महाभारत (शांति ५६।१२५)^२ ने राजा को 'रञ्ज्' धातु से निष्पन्न बताया है जिसका अर्थ है 'प्रमन्न करना'। राजा वही है जो प्रजा को प्रसन्न एवं सुखी रखता है।^३ सभी राजनीति विषयक ग्रंथों में श्रेष्ठ राजा के गुणों की चर्चा हुई है। आत्मसम्पन्न राजा के गुणों का विस्तृत व्याख्यान कौटिल्य ने किया है। जन समाज के हृदय को जीतने की क्षमता के लिए कुलीनता, धर्मपरायणता, धैर्य सम्पन्नता, बड़े-बूढ़ों से सम्मति लेने की प्रवृत्ति, सत्यवादिता, सदाचारिता, कृतज्ञता, उत्साह, अप्रमाद, सामन्तों को वश में रखने की क्षमता, दृढ़-सकल्य इत्यादि गुण राजा में आवश्यक माने गये हैं। इन्हें अभिगामिक गुण कहा गया है।^४ राजा के बुद्धि-विषयक गुणों में सीखने की विशेष आकांक्षा, अध्ययन एवं समझने की प्रवृत्ति तथा धारण करने की शक्ति, सुविचारणा, वाद विवाद के उपरान्त निर्णय के प्रति आस्था का उल्लेख है।^५ उत्साह सम्बन्धी गुणों में शौर्य, अमर्ष, क्षिप्रकारिता एवं दक्षता का समावेश किया है।^६ इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ व्यक्तियों का साहचर्य,^७ सज्जनों की मंत्री,^८ सोच विचार कर

१ "The analogy is appropriate for the King's sceptre and the Shepherd's staff are both called 'Kol in Tamil. The King was the shepherd and the people were the sheep, and the relationship between the ruler and the ruled was not unlike that between the shepherd and the sheep" *Sangam Polity*—N Subrahmanian, p 71

२. रजिताश्च प्रजा सर्वास्तेन राजेति शब्दने ॥

३ धर्मशास्त्र का इतिहास—डा० काणे, पृ० ५६०।

४ तत्र स्वामिसम्पत्-महाकुलीनो देवबुद्धिसत्त्वसम्पन्नो वृद्धदर्शी धार्मिक सत्यवाग्विस-
बादिक कृतज्ञ स्थूललक्षो महोत्साहोऽदीर्घसूत्रः शक्य सामन्तोवृद्धबुद्धिरक्षुद्र परिषत्को
विनयकाम इत्याभिगामिका गुणाः ॥—कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, ६।६६।१।२।

५. बुभ्रूषाश्रवणग्रहणविज्ञानोहापोहतस्वाभिनिवेशा प्रजागुणा ॥—वही ६।६६।१।३।

६. शौर्यममर्षं शीघ्रता दाक्ष्य चोत्साहगुणा ॥—वही, ६।६६।१।४।

७ कुरल ३८४, ३८६, ३८७, ३८८, ३९०।

तुलनीय—सङ्ग्रह सर्वभूतानां दानं च मधुरा च वाक् ॥ महा०।

एवं, अप्रमादेन शिक्षेया क्षमां बुद्धि वृत्ति मतिम्।

भूताना सत्वजिज्ञासां साध्यसाधु न सर्वदा ॥—वही, शांति०।

८ कुरल ४४८।

९ कुरल ४५०।

कर्म में प्रवृत्त होना,^१ लोकानुकूल कर्म,^२ समयानुकूल कार्मरत होना^३ इत्यादि अनेकानेक गुणों का होना राजा में आवश्यक माना है। तिस्रवल्लुवर के अनुसार दीर्घसूत्रता, विस्मरण, आत्मस्थ एवं निद्रा का किसी राजा में होना विनाश की ओर अप्रसर करने वाली नाव के सदृश है।^४

तिस्रवल्लुवर एष कौटिल्य के राजा के गुणों में अवमृत साम्य है। इसका कारण है— वल्लुवर धर्म, अर्थ और काम में यद्यपि प्राथमिकता आदर्श को देते हैं, पर अर्थ-क्षेत्र में उनकी व्यावहारिक दृष्टि निरतर बनी रही है। राजा के आदर्श-रूप को कौटिल्य तथा अन्य विद्वानों ने जिस प्रकार समझा, वल्लुवर की दृष्टि उससे भिन्न नहीं। हा, वल्लुवर ने अपने आदर्श राजा में दया, मधुर-भाषण इत्यादि का समावेश अवश्य कर दिया है।

कबीर मूलतः सन्यासी थे। उनकी रुचि समाज की व्यवस्था में, अथवा संसार के भौतिक पक्ष में अत्यल्प थी। जिस राज्य का राजा क्रूर, अन्यायी, विलासी हो, उस युग का कवि यदि व्यवस्था के प्रति विद्रोह नहीं कर सकता तो अपनी दृष्टि आष्यारम की ओर प्रेरित करता है। इसी हेतु समकालीन राजा से निराश होकर कबीर ने राजाओं के राजा, राजाधिराज 'राम' के गुणों का वर्णन किया है जो समकालीन राजाओं को अप्रत्यक्ष आदर्श की शिक्षा माना जा सकता है। यही कारण है कि कबीर ने राजा को दो रूपों में प्रस्तुत किया है—आदर्श राजा की कल्पना एव समाज में राजा का वास्तविक रूप। राम को आदर्श राजा के रूप में कल्पित कर कबीर आदर्श रूप की प्रतिष्ठा करते हैं।

ये सांसारिक राजा तो धन-सम्पत्ति के लोभी हैं, कचन के प्रति इनका मोह, इनको नष्ट कर देता है।^५ धन पर गर्व करना व्यर्थ है क्योंकि 'दिवस चारि की है पतिसाही ज्यू बनि हरियल पान।'^६ इसके लिए तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी उपलब्ध है। रावण लका का छत्रपति था परन्तु उसकी सत्ता क्षण में ही नष्ट हो गई, माता, पिता सांसारिक संपदा, पुत्र, पत्नी कोई भी तो उसके साथ नहीं गया।^७ कबीर के समक्ष जो राजा हैं, वे राज्य, सिंहासन, सुन्दर नारी-रमण एव चन्दन, वस्त्र तथा कर्पूर आदि का सेवन करने वाले हैं, कबीर उन्हें भी संसार की असारता एव नश्वरता का संकेत देकर सद्कर्म में प्रवृत्त करने का प्रयास कर रहे हैं।^८

राजा समाज का पालन-पोषण करने वाला है, इस अर्थ में वह स्वामी है। परन्तु कबीर के युग में राजा अपने कर्तव्य से च्युत ऐश्वर्य-भोग में लिप्त हैं, अपने सामाजिक दायित्व से विमुख हैं। अपनी धारणा को स्पष्ट करने एव आदर्श रूप को प्रस्तुत करने के लिए कबीर

१ कुरल ४६७, ४६७।

२. कुरल ४७०।

३ कुरल ४८२।

४ कुरल ६०५।

५. धन सचते राजा मूये, अवं ले कचन भारी ॥—कबीर ग्रंथावली, पृ० १४६।

६. बही, पृ० १६७।

७ रावण होत लक की छत्रपति, पल में गई बिहात।

माता पिता लोक सुत बनिता, अति न चले सगात ॥—बही, पृ० १६७।

८ राज पाट स्थधासण आसण, बहु सुन्दरि रमणां।

चन्दन नीर कपूर बिराजत, अति तळमरणां ॥—बही, पृ० १२८।

राम का आश्रय लेते हैं। राजा राम जन-जन की पीडा को समझने वाले हैं, ^१ राम म्यामशील हैं, जो जैसा कर्म करना है उसे उसके अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। ^२ राम अपनी प्रजा की स्थिति का पूरा समाचार रखते हैं और उनके होने हुए किसी अन्न को अपनी पुकार सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ^३ राजा राम समाज की गतिविधियों को नियंत्रित एव संचालित करते हैं। ^४ राम की कल्पना एक विशाल साम्राज्य के अधिपति के रूप में की गई है। उनके यहाँ करोड़ों मूर्य प्रकाश करते हैं, उनके यहाँ कोटि ब्रह्मा वेद पढ़ते हैं, उनकी आज्ञा से कोटि दुर्गा दुष्टों का मर्दन करती है, कोटि चन्द्र दीपक का कार्य करते हैं, तैतीसो देव उनके यहाँ भोजन पाते हैं, कोटि नवग्रह उनके दरबार में रहते हैं, धर्मराज उनके प्रतिहार हैं, करोड़ों कुबेर उनके भंडार भरते हैं, कोटि इन्द्र उनकी सेवा करते हैं, उनके दरबार में यज्ञ होते हैं, करोड़ों गन्धर्वों की जयजयकार ध्वनि गूजती है, कोटि विद्याएँ उनका गुण कथन करती हैं, परन्तु उनके गुणों का पार नहीं पाती। यह राम ऐसे शक्तिशाली हैं कि उनसे रावण की सेना परास्त हुई, दुर्योधन मानहीन होकर मारा गया। उनके कोतवाश भी बावन करोड़ हैं, प्रत्येक नगर में उनके क्षेत्रपाल व्यवस्था करते हैं, उनकी छूटी लटें विकराल नृत्य करती हैं, ये अनन्त कलाओं के स्वामी 'नटवर-गोपाल' हैं। इनके सौन्दर्य का निर्माण कोटि कोटि कामदेव करते हैं और घट घट में मन का हरण करने वाले हैं। ^५ इस प्रकार का विशाल चित्र जिसके समक्ष हो, परम शक्तिमान राम (ईश्वर) का रूप जिनमें मन में निहारा हो उसके समक्ष यदि लोभ-मोह से लिप्त ये सासारिक राजा कोई महत्त्व नहीं रखते तो अनुचित बया है? निश्चय ही कबीर का दृष्टिकोण आदर्श से प्रेरित है और इसी कारण लोक-व्यवहार में आने वाली साधारण भूलों को वे स्वीकार नहीं कर पाते। उनका कथन है कि जो कहने की बात है वह मैं अवश्य कहूँगा। परन्तु समाज की स्थिति यह है कि यद्यपि कोई जानता नहीं है, फिर भी मानने की इच्छा का अभाव है, इसलिए आश्चर्य होता है। ^६ राजा राम इतने दयालु हैं कि जन-जन की बात को सुनते हैं, अपनी शरण में आने वाले को तनिक भी कष्ट नहीं होने देते, उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं। ^७ इसी प्रकार अनेक अन्य स्थलों पर कबीर ने आदर्श राजा की कल्पना की है।

इस स्थल पर एक स्पष्टीकरण देना उपयुक्त होगा। तिरुवल्लुवर एव कबीर दोनों के काव्य का लक्ष्य लोक कल्याण है, परन्तु दोनों की कार्यविधि में निश्चित अन्तर है। कबीर के युग का सामाजिक एव राज्य सगठन लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित नहीं था, वह एक

१. जन की पीर हो

राजा राम मल जानै ॥—कबीर ग्रन्थावली, पृ० १३८।

२ जो अस करिहै सो तस पइहै राजा राम नियाई ॥—वही, पृ० ११७।

३ राम राइ कासनि करौ पुकारा,
ऐसे तुम साहिब जाननिहारा ॥—वही, पृ० ११४।

४ राजा राम करै सो होई ॥—वही पृ० १३३।

५ वही, पृ० ११२, और देखे पृ० २११।

६ कहू रे जे कहिबे की होइ।

नां को जानै ना को मानै, तायँ अचिरज मोहि ॥—वही, पृ० १४६।

७. राम राइ मेरा कह्या सुनीजै, पहले बकसि अब लेखा जीजै ॥—वही, पृ० १५६।

विदेशी सत्ता का आधिपत्य था। बल्लुवर के समाज में ऐसी कोई जटिल स्थिति नहीं थी। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि कबीर के काव्य में राज्य का उल्लेख अपने युग की जटिलता को ग्रहण किए हुए है। जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ आदर्श राजा की कल्पना राम के सन्दर्भ में की गई है। बल्लुवर का लक्ष्य राज्य के विभिन्न अंगों के गठन, कार्यविधि एवं सामाजिक जीवन में उसके प्रभावों का क्रमबद्ध विवेचन रहा है। उन्होंने आदर्श और व्यवहार का अद्भुत सम्मिश्रण प्रस्तुत किया है। यही स्थिति राज्य के अन्य अंगों का अध्ययन करते समय हमारे समक्ष आती है। अमात्य, सेना, कोष इत्यादि राज्य के अंगों के विषय में कबीर और तिरुवल्लुवर काव्य में युग और समाज के भेद के कारण दृष्टि-भेद उत्पन्न हुआ है। कबीर में दुर्दशा का चित्रण और आदर्श की कल्पना प्रमुख है, बल्लुवर में आदर्श का विवेचन क्रमबद्ध ढंग से उपलब्ध होता है।

अमात्य—राज्य के सात अंगों में राजा के उपरान्त 'अमात्य' का स्थान है। कौटिल्य के अनुसार राजत्व-पद सहायको की मदद से ही सम्भव है, केवल एक पहिया कार्यशील नहीं होता, अतः राजा को चाहिए कि वह मंत्रियों की नियुक्ति करे और उनकी सम्मतियाँ सुने।^१ मनु का कथन है—एक व्यक्ति के लिए सरल कार्य भी अकेले करना कठिन है, तो शासन-कार्य जो कि कल्याण करना परम लक्ष्य मानता है, बिना सहायको के कैसे चल सकता है?^२ कौटिल्य (१।६), मनु (७।५४), याज्ञवल्क्य (१।३१२), कामन्दक (४।२५-३०), शान्ति पर्व (१।८।२,३), बालकाण्ड (७।७-१४), अयोध्याकाण्ड (१००।१५), अग्निपुराण (२३६।११-१५), राजनीति प्रकाश (पृ० १७४-१७८), राजधर्म कोस्तुभ (पृ० २५१-२५४) इत्यादि अनेक स्थलों में अमात्य के गुणों की तालिका प्रस्तुत की गई है।^३ मनु कहते हैं कि राजा वंश क्रमागत, शास्त्रज्ञाता, शूरवीर, शस्त्र चलाने में निपुण, उत्तम वंश में उत्पन्न और परीक्षित मंत्रियों की नियुक्ति करे।^४

कौटिल्य के अनुसार मंत्री देशवासी होना चाहिए, उच्च कुल का होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कला-निपुण, दूरदर्शी समझदार, अच्छी स्मृतिवाला, सतत जागरूक, अच्छा चक्ता, निर्भीक, मेधावी, उत्साह एवं प्रताप से परिपूर्ण, धैर्यवान, मन, कर्म से पवित्र, विनयशील, चरित्रबल, स्वास्थ्य एवं तेजस्विता से परिपूर्ण इत्यादि गुणों से युक्त मन्त्री ही कौटिल्य के अनुसार उत्तम है।^५ कामन्दक का कथन है कि राजा को त्रुटिमय मार्ग से हटाना मंत्रियों का कर्तव्य है और मंत्रियों की मन्त्रणा सुनना राजा का कर्तव्य है। अच्छे

- १ सहायसाध्य राजत्व चक्रमेक न वर्तते।
कुर्वीत सचिवास्तस्मात्तेषां च शृणुयान्मतम् ॥—कौ० अर्थ० ३।६।४।
- २ अपि यत्सुकर कर्म तदप्येकेन दुष्करम्।
विक्षेपतोऽसहायेन किंतु राज्य महोदयम् ॥—मनु० ७।५५।
- ३ धर्मशास्त्र का इतिहास—डा० काणे, पृ० ६२४-२५।
४. मौलाञ्छास्त्रविद शूराल्लब्धलक्षान्कुलोद्भवान्।
सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान् ॥—मनु०, ७।५४।
- ५ धर्मशास्त्र का इतिहास—डा० काणे, पृ० ६२५।

कर्त्तव्यशील भंजिगण न केवल मित्र है प्रत्युत राजा के गुरु हैं ।^१

वल्लुवर ने अमात्य के लिए 'अमैच्चन्' शब्द का प्रयोग किया है । 'अमैच्चु' अध्याय में प्रयुक्त यह शब्द 'अमात्य' का ही रूप है ।^२ अमात्य के लिए 'उल्लैह्फन्दार' का भी प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है—निकट रहने वाला । ऋग्वेद^३ में आये अमात्य शब्द का अर्थ—हमारे घर में रहने वाला—इससे भिन्न नहीं है ।

अमात्य के गुणो (अमैच्चु) के अन्तर्गत साधन, काल, कर्म एव उस कर्म को करने की विशिष्ट रीति के ज्ञान से युक्त होना अनिवार्य आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त निर्भयता, कुलीनता, सरक्षण शक्ति, अध्ययन से प्राप्त ज्ञान तथा दृढ प्रयास, आवश्यकतानुसार सम्बन्ध-विच्छेदन, सरक्षण तथा पृथक् हुए व्यक्ति को पुन मिला देने की शक्ति से भी मन्त्री को सम्पन्न होना चाहिए । वल्लुवर के अनुसार अमात्य में विभिन्न विषयों को समझने की विशिष्ट शक्ति, विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट कर्म करने एव अपने अभिप्राय को निर्भयतापूर्वक कहने की क्षमता होनी चाहिए । इस प्रकार का धर्मज्ञ, ज्ञान-सम्पन्न वक्ता, एव शक्ति को समझने वाला धर्मज्ञ ही मन्त्री होता है । केवल ग्रन्थ-ज्ञान पर्याप्त नहीं, उसके साथ तीक्ष्ण बुद्धि का समावेश, लोक-व्यवहार को समझ कर उसके अनुकूल कर्म करना एव दृढता का भी समावेश अमात्य में वल्लुवर ने माना है । यदि राजा अनुचित करे, अज्ञानी बना रहे तो भी न्याय को दृढतापूर्वक व्यक्त करना अमात्य का कर्त्तव्य-कर्म है ।^४ इस प्रकार का निर्भीक मन्त्री, राजा का नेत्र है । अतः उसका चुनाव ध्यानपूर्वक विचार करके करना चाहिए ।^५ मन्त्री के सबल होने पर ही स्वायत्तत्व प्राप्त होता है,^६ अन्यथा शत्रुओं के अभाव में भी राजा का नाश अवश्यम्भावी है ।^७ परन्तु यदि मन्त्री बाधा उपस्थित करने वाला हो तो वह सात करोड़ शत्रुओं से भी अधिक भय का कारण है, ऐसी स्थिति में सात करोड़ शत्रुओं के निकट रहने में ही भलाई है ।^८

दूत एवं गुप्तचर— राज्य में दूत का एक विशिष्ट स्थान है । ऋग्वेद में कई स्थलों पर अग्नि को दूत माना गया है । इसे यज्ञ में देवों को बुलाने के लिए कहा गया है ।^९ महाभारत उद्योग

१ धर्मशास्त्र का इतिहास—डा० काणे, पृ० ६२६ (कामन्दक ४।४१-४६) ।

२ He was called Amachan The word has been derived from 'Amatya', a Sanskrit word *Sangam Polity* p 94

३. ऋग्वेद ७।१५।३ ।

४. कुरल अध्याय ६४ ।

तुलनीय धर्मशास्त्रार्थतत्वज्ञ सान्धि विग्रहिको भवेत् ।

मतिमान्धुतिमान् ह्लीमान् रहस्यविनिगूहिता ।—महा० शान्ति० ८५।३० ।

एव कुलीन सत्वसम्पन्न शक्तोऽमात्य प्रशस्यते ।

देशकालविधानज्ञान्भर्तृकार्यहितेषिण ।

यो वाप्यस्थिर सकल्पो बुद्धिमानागतागम ।। इत्यादि—महा० शान्ति० ८२ ।

५. कुरल ४४५ ।

२३, २४ ।

६ कुरल ४४६ ।

७ कुरल ४४८ ।

८ कुरल ६३६ ।

९. ऋग्वेद, १।१२।१, १।१६।३, ८।४४।३ ।

पर्व में दूत के अठ गूणों का उल्लेख है—प्रतिनिष्ठिष्ट (ढीठ) नहीं होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए, दीर्घसूत्री नहीं होना चाहिए, दयालु एवं सुशील हो, ऐसा हो कि दूसरे अपने पक्ष में न झिंला सकें, रोग रहित एवं मधुर-भाषी होना चाहिए।^१ मनु के अनुसार दूत शास्त्रज्ञाता, इगित, आकार और चेष्टा को जानने वाला, शुद्ध-हृदय, चतुर, कुलीन, अनुरक्त, अच्छी स्मरण शक्ति वाला, देश और काल को जानने वाला, निर्भीकता आदि गुणों से युक्त होना चाहिए।^२ मनु दूत के महत्त्व को स्वीकार करते हुए कहते हैं—दूत ही शत्रु से मेल करा देता है और मिले हुए (शत्रु) से विग्रह करा देता है।^३ कामन्दक के अनुसार दूत तर्क और चेष्टा को जानने वाला, स्मृति वाला, शीघ्र पराक्रमी, बलेश और परिश्रम को सहने वाला, चतुरता, काल, बुद्धि उपाज्जन करने वाला होना चाहिए।^४ शुक्र के अनुसार दूत राजा के मन्त्रियों में से एक होता है। वह इंगित, आकार और चेष्टा का जानने वाला, स्मृतिमान, देशकाल का ज्ञाता, सधि, विग्रह आदि के विचार करने में समर्थ, वाग्मी और निर्भीक होता है।^५

राजनीति शास्त्रों में तीन प्रकार के दूतों का वर्णन है—(क) निसृष्टार्थ (वह, जिसे जो कहना है, उसे कहने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र है), इस प्रकार के दूत को अमात्य का अधिकार रहता है। (ख) परिमितार्थ (निश्चित कार्य के लिए भेजा गया), यह भी मन्त्री के बराबर रहता है किन्तु एक चौथाई कर्म। (ग) शासनहर (केवल राजकीय पत्र एवं सदेश ले जाने वाला), इसमें मन्त्रियों के केवल आधे गुण पाये जाते हैं।^६ कुरल के प्रसिद्ध टीकाकार परिमेलहर ने इन तीनों प्रकार के दूतों का उल्लेख किया है। यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त रहेगा कि बल्लुवर में इस प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं है। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि बल्लुवर-युग में दूत-कर्म का इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया हो। फिर भी यह तो सम्भव

- १ अस्तब्धमक्लीबमदीर्घसूत्र सानुक्रोश श्लक्ष्णमहायंमयं ।
अरोगजातीयमुदारवाक्य दूत वदन्त्यष्टगुणोपपन्नम् ॥—महा० उद्योग० ३७।२७ ।
- २ दूत चैव प्रकूर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम्
इगिताकारचेष्टज्ञ शुचिं दक्ष कुलोद्गतम् ॥
अनुरक्त शुचिर्दक्ष स्मृतिमान्देशकालवित् ॥
वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥—मनु० ७।६३, ६४ ।
- ३ दूत एव हि सधत्ते भिन्नस्येव च सहतान् ॥—मनु० ७।६६ ।
- ४ प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं सस्थाएँ—परमात्माशरण, पृ० २७० ।
- ५ वही, पृ० २७१ (शुक्रनीति २।५६) ।
- ६ अमात्य सम्पदोपेतो निसृष्टार्थः, पादगुणाहीनः परिमितार्थः, अर्धगुणहीनः शासनहरः ।

—कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, १।११।१५।१ ।

एव—“दूताश्च ये प्रकटमेव राजान्तरप्रतिगतागतमाचरन्ति । ते च त्रिविधा निसृष्टार्थं सद्विष्टार्थां शासनहराश्चेति । तत्र निसृष्टार्था राजकार्याणि देशकालोचितानि स्वयमेव कथयितु क्षमा । उक्तमात्रं ये परस्मै निवेदयन्ति ते सद्विष्टार्था । शासनहरास्तु राजलेखहारिण्या तान्यूर्ध्वप्रेषितानागतान्मन्त्रि-सगतः पश्येत् । दृष्ट्वा तद्वातामाकलय्य पुनः पुनः प्रेषयेत् ।

—याज्ञ० मिताक्षरा, पृ० १०२-१०३ ।

है ही कि परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार दूत को अलग प्रकार के अधिकार प्रदान किये जाते रहे हों।

‘दूत’ शब्द तमिल में संस्कृत राजनीति शास्त्रों से ग्रहण कर लिया गया।^१ वल्लुवर ने दूत के गुणों का विस्तार से वर्णन किया है। इनके लिए प्रेम, बुद्धि और विचारपूर्ण वाक्-शक्ति आवश्यक है।^२ स्नेह सम्पन्नता, उत्तम कुल में जन्म, राजा की इच्छा के अनुसार कर्म करना, दूत के आवश्यक गुण माने गये हैं।^३ इसके अतिरिक्त कर्त्तव्यनिष्ठता, देश और काल का विचार रख ध्यान से कथन करना^४, बुद्धि, व्यक्तित्व तथा गम्भीर-अध्ययन से युक्त होना भी दूत के गुण हैं।^५ तिरुवल्लुवर के अनुसार विज्ञ, निडर, प्रभावी वक्ता, प्रत्युत्पन्नमति से युक्त, अत्यन्त निर्भीक दूत ही राजा का श्री सम्पन्न कराने वाला होता है। वह दूत के लिए समयानुकूल मधुर भाषण और प्रकाण्ड विद्वत्ता का उल्लेख विशेषरूप से करते हैं।

गुप्तचर राज्य की आन्तरिक एवं बाह्य घटनाओं की विस्तृत सूचनाएँ एकत्र कर, राजा की शक्ति को ठोस धरातल प्रदान करता है। कौटिल्य, कामन्दक तथा याज्ञवल्क्य ने दूत और गुप्तचर में अन्तर को स्वीकार किया है। कामन्दक का कथन है कि दूत प्रकाश में कार्य करता है, किन्तु चर (गुप्तचर) छिपकर।^६ उसका कहना है कि चर में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह लोगों के मन की बात जान ले, उसकी स्मृति शक्तिशाली होनी चाहिए, मधुर-भाषी होना चाहिए, शीघ्रगामी होना चाहिए, उसमें विपत्तियों को सहने एवं कठिन परिश्रम करने की शक्ति होनी चाहिए, उसे क्षिप्र और प्रत्युत्पन्नमति होना चाहिए।^७ गुप्तचर द्वारा बैरागी साधु का वेश धारण कर काय करने का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। कौटिल्य ने राज्य में राजा के विषय में एक शासन कार्य के विषय में सन्तोष या असन्तोष का पता लगाने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति का वर्णन किया है। विदेशों के रहस्यभेदन के लिए भी गुप्तचरों की सेवाएँ ली जाती थीं।

गुप्तचर राजा के नेत्र हैं—इस प्रकार का कथन प्रायः मिलता है। कामन्दक ने राजा को ‘चारचक्षुर्महीपति’ की उपाधि दी है। विष्णुधर्मोत्तर में ‘राजानश्चारचक्षुष’ और महाभारत में ‘चारं पश्यन्ति राजानं’ के द्वारा यही भाव अभिव्यक्त हुआ है।^८ वल्लुवर ने भी गुप्तचर को राजा का नेत्र माना है, नीति-ग्रथ राजा के द्वितीय नेत्र के समान है।

तिरुवल्लुवर ने दूत एवं गुप्तचर में विद्यमान अन्तर को स्वीकार किया है। राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में होने वाली घटनाओं की सूचना प्राप्त करने का कार्य गुप्तचर का था। गुप्तचर और नीति-ग्रथ—ये राजा के उभय नेत्र हैं। प्रजा में हो रही अपवा होने वाली दूर सम्भव घटना की शीघ्र जानकारी प्राप्त करना गुप्तचर के ही द्वारा सम्भव है। गुप्तचर का

१ It (Duta) is a Sanskrit expression, there is no corresponding expression in Tamil, *Sangam Polity* p 96

२ कुरल ६८२।

३. कुरल ६८१।

४ कुरल ६८७।

५ कुरल ६८४।

६. धर्मशास्त्र का इतिहास, पृ० ६३७ (कामन्दक १२।२८)।

७. वही।

८ वही। (देखें, महा० उद्योग० ३४।३४)।

कर्म है—कर्मचारी, बन्धु, शत्रु सभी का अन्वेषण करना ।

गुप्तचर के प्रमुख गुणों में भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी हृदयस्थ भाव को अभिव्यक्त न होने देना, रूप-परिवर्तन, गुप्त-विषयो को खोजने की सामर्थ्य तथा ज्ञात विषयों में पूर्ण स्थिर भाव का उल्लेख हुआ है । बल्लुवर का मत है कि शासन-व्यवस्था ऐसी हो कि एक गुप्तचर को दूसरे गुप्तचर का भान न होने पावे, एक गुप्तचर की सूचना का अन्य दो गुप्तचरों की सूचना से मिलान करने के उपरान्त ही विश्वास किया जाये । गुप्तचर को बेरागी का वेश धारण कर विकट स्थलों में प्रवेश करके विषयो का पता लगाना चाहिए । राजा गुप्तचर के द्वारा वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त करता है । ऐसा न होने पर विजय प्राप्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है । गुप्तचर का सम्मान कभी भी व्यक्त रूप से न किया जाये, ऐसा करना रहस्य को अभिव्यक्त करने के समान होगा ।^१

कोष—कौटिल्य का कथन है कि राज्य के समस्त व्यापार कोष (फूळ) पर निर्भर करते हैं । इसलिये राजा को चाहिए कि सर्वप्रथम वह कोष पर ध्यान दे ।^२ कामन्दक ने तो यहाँ तक कहा है कि यह लौकिक प्रसिद्धि है कि राजा कोष पर आधारित है ।^३ मनु का कहना है कि राज्य कोष एव शासन राजा पर निर्भर करता है अर्थात् राजा को उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए ।^४

तिरुवल्लुवर 'धन-बल-निरूपण' (पोरुल्लेयल्वहै) के अन्तर्गत धन-संग्रह पर बल देते हैं, क्योंकि शत्रु के मिथ्याभिमान को नष्ट करने का वह सर्वोत्तम शास्त्र है ।^५ धन का संग्रह करने वाले को अन्य दोनो पुरुषार्थ—धर्म एव काम—एकसाथ मरलता से प्राप्त हो जायेंगे ।^६ धन का ऐसा चमत्कार है कि तुच्छ ब्यवित को भी सम्मानित स्थान प्रदान करता है, इस प्रकार की शक्ति अन्य किसी तत्त्व में नहीं ।^७ समाज की व्यवस्था ऐसी है कि निर्धन का सब अपमान करते हैं परन्तु धनवान की प्रशस्ति गाई जाती है ।^८ दया का भाव स्नेह से उत्पन्न होता है परन्तु दया-शिक्षु का पालन-पोषण तो धन नामक धाय ही करती है ।^९ अपना धन हाथ में लेकर कर्म-मार्ग पर अग्रसर होना टीले पर चढ़कर हाथी की लड़ाई देखने के समान है ।^{१०} धन ऐसा दीपक है जो कभी नहीं बुझता और अपने स्वामी की बाधाओं का नाश करता है ।^{११} इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण पदार्थ को उचित-अनुचित ढंग से प्राप्त करने की प्रबल कामना होना स्वाभाविक है । अतः बल्लुवर ने कहा कि न्याय-संगत, निर्दोष रूप से प्राप्त हुआ धन, धर्म एव आनन्द का कारण

१ कुरल अध्याय ५६ ।

२ कोषपूर्वा सर्दारम्भा । तस्मात् पूर्व कोपमवेक्षेन ।—कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, १।२४।८।१ ।

३ धर्मशास्त्र का इतिहास, डा० काणे, पृ० ६६७ ।

४ वही,

५ कुरल ७५६ ।

६ कुरल ७६० ।

७ कुरल ७५१ ।

८ कुरल ७५२ ।

९ कुरल ७५७ ।

१० कुरल ७५८ ।

११ कुरल ७५३ ।

बनेगा ।^१ परन्तु जो धन वैभव दया एव प्रेम भाव से प्राप्त नहीं होता उसे अस्वीकार कर देना चाहिए ।^२ उत्तराधिकार में प्राप्त, चुगी इत्यादि करो से प्राप्त तथा शत्रु-दमन के पश्चात् सङ्ग-हीत धन पर राजा का अधिकार होता है ।^३

सैन्य—'ऋग्वेद' में सेना, अस्त्र शस्त्रो, युद्धो आदि का वर्णन कई बार हुआ है । 'सेनानी' शब्द ऋग्वेद में (१०।८४।२) आया है जहा, युद्धाक्रोश को सेनानी के लिए पुकारा गया है ।^४ कामन्दक का कथन है कि परिपूर्ण कोष के रहने पर राजा अपनी क्षीण सेना बढ़ाता है, अपनी प्रजा की रक्षा करता है और उस पर उसके शत्रुगण भी आश्रित रहते हैं । बलशाली सेना के रहने पर मित्रो की सम्पत्ति तथा स्वयं राजा के राज्य की सीमाएं बढ़ती हैं, उद्देश्यो की शीघ्र एव मनचाही पूर्ति होती है, प्राप्त की हुई वस्तुओं की सुरक्षा होती है, शत्रु की सेनाओं का नाश होता है ।^५ सैनिको को युद्ध क्षेत्र में सघर्षरत रह कर मृत्यु में भयभीत न होने के लिए प्रेरणा देने की परम्परा पुरानी है । पुरस्कारो का मोह दिया जाता था । इनमें सर्वप्रथम लूटपाट का माल, भूमि इत्यादि, दूसरा क्षत्रिय-रूप में अपने कर्त्तव्य का पालन^६ तथा आदर-सम्मान एव यश प्रमुख हैं ।^७

तिरुवल्लुवर ने 'सैन्य-सौष्ठव' (पडैमाट्टिचि) एव सैन्य-शौर्य (पडैन्चेवुकु) के अन्तर्गत सेना के सगठन की आवश्यकता, उत्तम सेना के गुण एव सैनिको के आदर्शों का ही उल्लेख किया है । सेना के गठन-सम्बन्धी विस्तार, शस्त्र-अस्त्र इत्यादि का उल्लेख कवि ने नहीं किया । कारण स्पष्ट है कि शास्त्रीय पद्धति से विस्नृत विश्लेषण उसका उद्देश्य नहीं, वह तो सर्वयुगीन आवश्यकता को समझ रखकर प्रमुख रूप से मार्ग-दर्शन-हेतु इन विषयो को प्रस्तुत कर रहा है ।

विभिन्न अगो से पुष्ट, बाधाओं से अविचलित, विजय प्रदायिनी सेना राजा की सर्व श्रेष्ठ सम्पत्ति है ।^८ सेना का सगठन इतना प्रबल हो कि स्वयं यम द्वारा सक्रोध आक्रमण करने पर भी सगठित होकर शौर्यपूर्ण ढंग से उसका सामना करने में सक्षम हो ।^९ सेना की सख्या का महत्त्व नहीं, महत्त्व धूरना एव सगठन का है । बूहो की अपार सख्या का सागर के समान गर्जन व्यर्थ है, क्योंकि काले नाग के श्वास मात्र से उनका सर्वनाश हो जायेगा ।^{१०} प्रबल सेना वही है जो शत्रु की बन्धना में आकर क्षतिग्रस्त न हो और परम्परागत शौर्य में युक्त हो ।^{११} परम्परागत सेना की ही क्षमता है कि पराजय के सम्मुख भी अपनी अल्पशक्ति एव धावो की चिन्ता न कर,

- १ कुरल ७५४ ।
- २ कुरल ७५५ ।
- ३ कुरल ७५६ ।
४. धर्मशास्त्र का इतिहास—डा० काणे, पृ० ६७७ ।
- ५ वही ।
- ६ गीता, २।३१, ३२, ३३, ३४, ३५ ।
- ७ धर्मशास्त्र का इतिहास, डा० काणे, पृ० ६८४ ।
- ८ कुरल ७६१ ।
- ९ कुरल ७६३ ।
१०. कुरल ७६५ ।
- ११ कुरल ७६४ ।

राजा के साथ रहकर प्रहार सह सकती है।^१ सेना के लिए श्रेष्ठ रसक हैं—शौर्य, सम्मान, सरसाह्वर्द्धन एवं विश्वासपात्रता।^२ आक्रमण करने वाली सेना को रोक कर, उसकी धति से अबमत हो युद्ध में अग्रसर होने वाली सेना ही उत्तम है।^३ इस प्रकार की सेना में अनेक स्थायी वीर होने पर भी यदि सेनानायक न हो तो वह सेना ही नहीं है।^४ यदि सेना क्षीणता, स्थायी चूना एव निर्धनता से मुक्त हो तो उसकी विजय निश्चित है।^५ सेनानायक इतना प्रबल वीर हो कि उसके सामने डटना मृत्यु का आवाहन माना जाये।^६ बल्लुवर वीरत्व का प्रयोग दुर्बल पर नहीं अपितु प्रबल पर करने का परामर्श देते हैं। जंगली खरगोश पर अचूक बाण प्रहार करने की अपेक्षा हाथी पर चूकते हुए भी भाला प्रयोग करना श्रेयस्कर है।^७ दया एवं कठोरता का अद्भुत सम्मिश्रण वीर व्यक्ति में होना चाहिए। शत्रु पर की गयी निर्दयता महान् पीरुष है पर यदि उस पर कोई दुःख आन पड़ा हो तो उसकी सहायता करना इस पीरुष का प्रखर रूप है।^८ वीर सैनिक का शौर्य उसमें आश्चर्यजनक क्षमता उत्पन्न कर देता है, विकट युद्ध के समय अपने हाथ के भाले को शत्रु के हाथी पर प्रहार करके लौटते समय वीर सैनिक की छाती पर शत्रु द्वारा फेंका गया भाला चुभ जाता है, वह प्रसन्न होता है, क्योंकि शत्रु पर प्रयोग करने के लिए उसे एक और भाला प्राप्त हो गया है।^९ वीर व्यक्ति के जीवन में बही दिन महत्त्वपूर्ण है जब वह युद्ध में बड़े घाव प्राप्त करता है, अन्य दिनों को तो वह व्यर्थ मानता है।^{१०}

प्रतिज्ञा कर, आवश्यकता होने पर युद्ध में मृत्यु का वरण करने को प्रस्तुत रहने वाले वीर के दोषों को कौन विचारता है ?^{११} तिरुवल्लुवर वीर व्यक्ति के लिए उस मृत्यु को काश्य मानते हैं जिससे उसके राजा के नेत्रों में भी अश्रु आ जायें।^{१२} इस प्रबल वीर के नेत्र सामने से शत्रु द्वारा भाला फेंके जाने पर भी नहीं झपकते, ऐसे वीर तो मृत्यु से खिलवाड़ करते हैं।^{१३}

निष्कर्ष रूप में बल्लुवर का सेना, सेना-शौर्य एव सगठन का वर्णन काव्यमय पद्धति पर है। क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण, विश्लेषण पर आधृत दृष्टि लेकर शास्त्रीय पद्धति नहीं अपनायी गई। सामाजिक जीवन में शौर्य, पराक्रम के महत्त्व की स्वीकृति देते हुए वह क्षमा एव अपने से अधिक प्रबल व्यक्ति अथवा राज्य के साथ सघर्ष को ही मान्य करार देते हैं। अवसरानुकूल दयाभाव एव दुर्बल की रक्षा का भी दायित्व वीर योद्धाओं पर ही है, ऐसी उनकी मान्यता है।

- १ कुरल ७६२।
- २ कुरल ७६६।
- ३ कुरल ७६७।
- ४ कुरल ७७०।
- ५ कुरल ७६६।
- ६ कुरल ७७१।
- ७ कुरल ७७२।
- ८ कुरल ७७३।
- ९ कुरल ७७४।
- १० कुरल ७७६।
- ११ कुरल ७७६।
- १२ कुरल ७८०।
- १३ कुरल ७७५।

मंत्री—मनु ने राजा के लिए अच्छे मित्र के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है—राजा सोना एव भूमि पाकर इतना सम्पन्नशाली नहीं होना जितना कि अटल मित्र पाकर, भले ही वह मित्र कम कोष वाला हो क्योंकि भविष्य में वह शक्तिशाली हो जायेगा। एक लघु मित्र भी यदि पुणवान् एव कृतज्ञ हो, उसकी प्रज्ञा सन्तुष्ट हो और वह अपने हाथ में लिए हुए कार्य को अन्त तक करने वाला दृढप्रतिज्ञ हो तो वह श्लाघनीय है।^१ याज्ञवल्कर का मत मनु के ही सदृश है। 'हिरण्य का लाभ और भूमि का लाभ—इन दोनों लाभों से श्रेष्ठ मित्र का लाभ होता है। अतएव मित्र की प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए।'^२ कौटिल्य का मत इनसे नितान्त भिन्न है—'भूमि लाभ हिरण्यलाभ एव मित्रलाभ से श्रेयस्कर है तथा हिरण्यलाभ मित्रलाभ से श्रेयस्कर है।'^३

कौटिल्य ने मित्र उन्हें माना है जो वशपरम्परागत हो, स्थायी हो, अपने वश में रह सकें, जिनके विरोध की सम्भावना न हो, प्रभु, मन्त्र, उत्साह आदि शक्तियों से युक्त जो समय आने पर सहायता कर सकें।^४ कामन्दक के अनुसार मित्र के गुण हैं—हृदय की पवित्रता, दया-सुता, वीरता, सुख-दुःख में साथ देना, प्रेम, मित्र का कार्य सम्पन्न करने में जागरूकता, सत्यभाव, एव मित्र द्वारा वाञ्छित उद्देश्यों के प्रति श्रद्धा।^५

तिरुवल्लुवर ने 'मित्रता' के विषय पर विस्तृत विवेचन किया है। उनके कथन 'राजा' के विषय में तो सत्य है ही, मानव-मात्र के लिए भी मार्ग-दर्शन है। मित्रता (नट्पु), मित्रता का विवेचन (नट्पुआरायदस्), चिर-परिचय (पळैमै), निकृष्ट मित्रता (तीनट्पु), झूठी मित्रता (कूडानट्पु) इन पांच शीर्षकों के अन्तर्गत वल्लुवर ने मंत्री-सम्बन्धों, उसके लिए आवश्यक विचार-पूर्ण चुनाव, झूठी मित्रता की स्थिति एवं आदर्श-मंत्री के लिए आवश्यक त्याग-भाव पर विचार किया है।

तिरुवल्लुवर बुद्धिमानों की मित्रता करने का परामर्श देते हैं क्योंकि उनकी मित्रता बढ़ते हुए बालचन्द्र के ममान आनन्ददायिनी होती है जबकि मूर्खों की मित्रता घटते हुए पूर्ण-चन्द्र के ममान होती है।^६ इस प्रकार के बुद्धिमान सज्जनों की मंत्री अधिकाधिक सम्पर्क में

१. हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पाथिवो न तर्षधते ।

यथा मित्र ध्रुव लब्ध्वा कृशमयायतिक्षमम् ।

धर्मज्ञ च कृतज्ञ च तुष्टप्रकृतिमेव च ।

अनुरक्त स्थिरारम्भ लघुमित्र प्रगस्यते ॥—मनु० ७।२०८, २०९ ।

२. हिरण्यभूमिलाभेभ्यो मित्रलब्धिर्वरा यत ।

अतो यतेन तत्रप्रार्थ्यं रक्षेत्सत्य समाहित ॥—याज्ञवल्क्य०, १।३५२ ।

३. सहितप्रमाणे मित्रहिरण्यभूमिलाभानामुत्तरोत्तरो लाभ श्रेयान् । मित्रहिरण्ये हि भूमिलाभाद् भवत । मित्रहिरण्यलाभाद्यो वा लाभ सिद्ध शेषयोरन्यतर साधयति ॥

—कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, ७।९ । (धर्मशास्त्र का इतिहास, पृ० ६८८)

४. पितृपैतामह नित्य वक्ष्यमद्वैष्य महल्लघुसमुत्थमिति मित्रसम्पत् ॥

—कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, ६।९६।१।१ ।

५. धर्मशास्त्र का इतिहास, पृ० ६८९ ।

६. कुरल ७८२ ।

आने पर उसी प्रकार आनन्दप्रद होती जाती है जिस प्रकार अधिकाधिक अध्ययन से काष्ठ के रसोद्बोधन में वृद्धि होती है।^१ यह मित्रता हृदय को आनन्द प्रदान करने का स्रोत होती है।^२ मनुष्य के कर्म का अनुपम रक्षक मित्र ही है।^३ दुःख या विनाशकाल में इस प्रकार का मित्र विनाशकारी तत्त्वों को हटाकर अच्छे मार्ग पर ले जाता है।^४ ओढ़े हुए वस्त्र के खुलने पर जिस प्रकार हाथ तुरन्त बहा पहुँचकर शरीर को ढक लेता है^५ उसी प्रकार मित्र के दुःख का तत्काल निवारण करना ही मंत्री है।^६ इस प्रकार की मंत्री का तो केवल अनुभव होता है कथन नहीं किया जाता क्योंकि 'भरे ये मित्र ऐसे सहायक हैं और हम उनके ऐसे हैं'—इस प्रकार गौरवान्वित करते हुए कहने से मित्रता की महिमा मढ़ पड़ जाती है।^७ मित्र का अधिकार केवल हसी और आनन्द का नहीं अपितु सीमोल्लघन होने पर आगे बढ़कर डाटने का भी है।^८ ये मित्र कभी विलग नहीं होते और यथासम्भव सहायता करते रहते हैं।^९

इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण व्यक्ति का चुनाव निश्चय ही सावधानी की अपेक्षा करता है। मित्र बनने के पश्चात् स्नेहपूर्ण व्यक्ति के लिए स्वतन्त्रता नहीं रहती अतः विवेचन के उपरान्त ही मित्र बनाना चाहिए।^{१०} पूर्ण विवेचन के अभाव में मंत्री सम्बन्ध करना मृत्यु-सदृश भयकर हो सकता है।^{११} इसे ध्यान में रख गुण, वश, दोष तथा स्थायी बन्धुओं के स्वभाव को समझ कर,^{१२} उच्चकुलोत्पन्न, अपने दोषों पर लज्जित होने वाले,^{१३} आवश्यकता पड़ने पर डाट-डपट कर लोक-रीति का ज्ञान कराने वाले,^{१४} विषम परिस्थिति में साथ न छोड़ने वाले^{१५} निर्मल स्वभाव वाले सज्जन की मंत्री करनी चाहिए।^{१६} विपत्ति के समय जो साथ छोड़ दे, ऐसे लोगों की मित्रता का मृत्युकाल में स्मरण हृदय को तप्त कर देगा।^{१७} वल्लुबर तो यहाँ तक कहते हैं कि विपत्ति में भी एक प्रयोजन निहित है—वह मित्र के स्वभाव की विशालता का

-
- १ कुरल ७८३।
 - २ कुरल ७८६।
 - ३ कुरल ७८१।
 - ४ कुरल ७८७।
 - ५ कुरल ७८८।
 - ६ कुरल ७८८।
 - ७ कुरल ७९०।
 - ८ कुरल ७८४।
 - ९ कुरल ७८९।
 - १० कुरल ७९१।
 - ११ कुरल ७९२।
 - १२ कुरल ७९३।
 - १३ कुरल ७९४।
 - १४ कुरल ७९५।
 - १५ कुरल ७९८।
 - १६ कुरल ८००।
 - १७ कुरल ७९९।

भाष्यदण्ड है।^१ असम्बद्ध, मूर्ख व्यक्ति की मित्रता, कुछ देकर ही सही, छोड़ देना लाभप्रद है।^१ मित्रता की स्वीकृति के उपरान्त मित्र के उचित-अनुचित सभी कर्मों को भी स्वीकार करना पड़ता है। वल्लुवर कहते हैं—'चिर परिचित मित्रता से क्या प्रयोजन, यदि मित्र के अधिकार पूर्ण किए हुए कर्म को स्वयं किया हुआ जैसा न माना?'^२

मित्रता के इस आदर्श रूप के साथ ही वल्लुवर ने सम्भव व्यावहारिक रूप का सकेत भी दिया है। निकृष्ट मित्रता को परखने के कुछ आधारों को स्पष्ट किया है। घर में एकान्त में मैत्री प्रकट करना और भरी सभा में निन्दा करना, अपना लाभ हो तो मैत्री करना अन्यथा सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना, स्वलाभ को प्राथमिकता देना,^३ सम्भव कर्म को भी असम्भव बना देना,^४ कथनी कुछ और करनी कुछ^५ इत्यादि कुछ आधार ऐसे हैं जो मैत्री और निकृष्ट मैत्री में अन्तर करते हैं। वल्लुवर का कहना है कि अपने लाभ को समक्ष रखने वाले मित्र, घनाश्रित वेदयाए और लुटेरे एक समान हैं।^६ मूढ़ व्यक्ति की मैत्री की अपेक्षा बुद्धिमान की शत्रुता कोटिगुणा लाभप्रद है।^७ अन्तर से कटु पर बाहर से हसमुख की मित्रता की अपेक्षा शत्रु की घृणा दश कोटि गुणा लाभदायक है।^८ असम्य व्यक्ति की मित्रता प्रत्यक्षत कितना ही आनन्द प्रदान करे, पर उसके घनिष्ठ होने से शिथिल पडना अधिक रुचिकर होता है,^९ इसलिए वल्लुवर का दृढ मत है कि युद्ध क्षेत्र में योद्धा को गिराकर भाग जाने वाले मूढ़ अब्व जैसे व्यक्ति की मित्रता की अपेक्षा अकेला रहना श्रेयस्कर है।^{१०}

निकृष्ट मैत्री में मित्र मूढ़, असम्य, अपने लाभ को प्राथमिकता देने वाला, कथनी-करनी में भेद करने वाला होता है पर यहाँ हृदय में मित्र को सप्रयास हानि पहुँचाने का भाव-नहीं रहता। यह स्थिति झूठी मित्रता से भिन्न है। यहाँ जागरूक रूप से हानि करने का लक्ष्य नहीं रहता, जबकि झूठी मित्रता में ऐसा होता है। वल्लुवर इस प्रकार के मित्र-वेश में शत्रु से सावधान रहने का सकेत देते हैं। ये लोग बाहर में बन्धु बने हुए भी हृदय से बन्धु नहीं होते। इनकी मित्रता वेदया के मन के समान अस्थिर होती है।^{११} मुख पर मधुर हास्य सहित रहकर

१ कुरल ७६६।

२ कुरल ८००, ७६७।

३ कुरल ८०३।

४ कुरल ८२०, ८१२, ८१३।

तुलनीय 'करोत्यभीक्षण ससृष्टमससृष्टश्च भाषते।'

एव, 'परोक्षमगुणानाह सद्गुणानम्यसूयते।'—महा० शान्ति० १०३।४८, ४६।

५. कुरल ८१८।

६ कुरल ८१६।

७ कुरल ८१३।

८ कुरल ८१६।

९ कुरल ८१७।

१० कुरल ८११।

११ कुरल ८१४।

१२ कुरल ८२२।

मन में शंका से युक्त रहने वाले व्यक्तियों से सतर्क रहना चाहिए।^१ मैत्री से हृदयों का मित्रता आवश्यक है अतः जिससे मन न मिले उसके कथनों पर विश्वास न करे।^२ मित्र के समान लाभ-प्रद, अच्छे विषयों का कथन करने पर भी शत्रुओं के वचनों की पहचान हो जायेगी।^३ सम्भव है कि शत्रु के विनय-युक्त हास्य में शस्त्र छिपा हुआ हो, अतः उसके आसुओं पर भी विश्वास न करो। समाज में आपकी प्रशस्ति गाकर, हृदय में निन्दा का भाव रखने वालों के साथ प्रत्यक्षत मधुर सम्बन्ध रखो, पर उनको समाप्त कर डालो।^४ शत्रु का विरोध करने में अक्षमर्ष हो तो झूठी मित्रता कर उसका सामना करो।^५ शत्रु आपके समक्ष झुकने लगे तो भी उसका विश्वास न करो क्योंकि धनुष का झुकाव हानि की पूर्व-सूचना देता है।^६ सद्यन्धों के अध्ययन के उपरान्त भी शत्रु-स्वभाव वाले के हृदय की घृणा बुर नहीं होगी।^७

दुर्ग (किला अथवा राजधानी) — याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि दुर्ग की स्थिति से राजा की सुरक्षा, प्रजा एवं कोष की रक्षा होती है।^१ मनु ने राजधानी का स्थान दुर्ग से पूर्व माना है। मेधातिथि एवं कुल्लूक के अनुसार राजधानी पर शत्रु के अधिकार से गम्भीर भय उत्पन्न हो जाता है क्योंकि, 'वही सारा भोज्य पदार्थ एकत्र रहता है, वही प्रमुख तटव एवं सैन्यबल का आयोजन रहता है अतः यदि राजधानी की रक्षा की जा सके तो परहस्तगत राज्य लौटा लिया जा सकता है और देश की रक्षा की जा सकती है।'^२ दुर्ग के निर्माण का कारण स्पष्ट करते हुए मनु ने कहा है—दुर्ग में निवास करने वाले राजा को शत्रु जीत नहीं सकता। किले में रहने वाला एक धनुर्धारी सौ योद्धाओं से और सौ धनुर्धारी योद्धा दस हजार योद्धाओं से लड़ते हैं। इस कारण राजनीतिज्ञ दुर्ग की प्रशंसा करते हैं।^३

वल्गुवर के अनुसार दुर्ग कर्मठ योद्धाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और भयभीत जन के लिए भी रक्षा का कार्य करता है। दुर्ग के लिए आवश्यक उपकरणों में माणिक्य के समान स्वच्छ जल, विशाल भूभाग, ऊँचे पर्वत एवं शीतल छाया से युक्त सुन्दर वन हैं। यह दुर्ग ऊँचाई, चौड़ाई (विस्तार), दृढ़ता तथा दुर्जेयत्व से सम्पन्न होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से छोटे स्थान का भी निर्माण किया जाता था और साधारण व्यवहार के लिए अत्यधिक विशाल स्थल भी रक्षा

१ कुरल ८२४।

२ कुरल ८२५।

३ कुरल ८२६।

४ कुरल ८२८।

५ कुरल ८२९।

६ कुरल ८३०।

७ कुरल ८२७।

८ कुरल ८२३।

९ तत्र दुर्गाणि कुर्वीत जनकोशात्मगुप्तये ॥—याज्ञवल्क्य०, १।३२१।

१० धर्मशास्त्र का इतिहास, पृ० ६६३।

११ तथारयो न हिंसन्ति नृप दुर्गसमाश्रितम् ॥—मनु० ७।७३।

एक शत योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः।

शत दश सहस्राणि तस्माद्दुर्गं विधीयते ॥—वही, ७।७४।

जाता था। इसके भीतर प्रचुर खाद्य सामग्री, सभी आवश्यक पदार्थ एवं अन्य साधारण सुविधाओं का आयोजन रहता था। आवश्यकता पडने पर विषम परिस्थितियों में सहायता प्रदान करने के लिए यह दुर्ग योग्य वीरो से युक्त होता था। इसके निर्माण में यह ध्यान रखा जाता था कि बेरा डालकर अथवा घेरा डाले बिना युद्ध करके, अथवा पड़्यन्त्र इत्यादि से इसे हस्तगत न किया जा सके। यदि शत्रु अपनी प्रवीणता से बेरा डालने में सफल हो जाए तो भी दुर्ग के भीतर ही सुदृढ़ रह कर युद्ध करने के लिए आवश्यक शक्ति (धन-धान्य, युद्ध-सामग्री, अन्य आवश्यक सुविधाएँ) की व्यवस्था का उल्लेख हुआ है।^१

तिखल्लुवर और कबीर के काव्य में धर्म-विषयक मान्यताओं में अद्भुत साम्य है, परन्तु अर्थ-विषयक त्रिवेचन-पद्धति पर्याप्त भिन्न है। तिखल्लुवर काव्यमय पद्धति से, क्रमबद्ध विवेचन कर आदर्श राजा, अमात्य एवं राज्य के अन्य अंगों का उल्लेख करते हैं। कबीर के लिए इन सबका कोई महत्त्व नहीं। उनके काव्य में 'गढ़' प्रायः शरीर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—'छूटी फौज आनि गढ़ घेर्यो उडि गयो गूडर छाडि तनी',^२ 'पच चोर गढ़ मझा गढ़ लूट दिवस से सझा'^३ इत्यादि से दृष्टि-वैभिन्य स्पष्ट है। रावण ने कचन के कोटि गढ़ निर्मित किए पर उसे भी मृत्यु का प्रास बनना पडा^४ इत्यादि कथनों के मूल में जगन् की असारता, जीवन की नश्वरता का स्वर ही प्रमुख रहा है। राजा का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया जा चुका है कि युगिन परिस्थितियों से बाध्य होकर कबीर ने आदर्श की कल्पना 'राम' के माध्यम से की और तत्कालीन राजाओं के अनुचित कर्मों की तीव्र आलोचना एवं भर्त्सना करते हुए दृष्टि प्रायः यह रही कि 'सौभा राज बिभव बडि पाई, अत न काहु सग सहाई'^५ अमात्य, दूत, गुप्तचर इत्यादि का वर्णन कबीर में नहीं हुआ, इस दृष्टि वैभिन्य का कारण उद्देश्य-वैभिन्य के अतिरिक्त युग-वैभिन्य भी है।

१. तिखल्लुवर, अध्याय ७५।

२. कबीर प्रथावली, पृ० ९१।

३. वही, पृ० १३२।

४. जिन गढ़ कोटि किए कचन के छोड गया सो रावन।—वही, पृ० २२०।

५. वही, पृ० २०५।

खण्ड (ख)

वर्गीकरण का आधार

राज्य का उद्देश्य है—लोकसमृद्ध, लोक-कल्याण । यह दो रूपों में सम्भव है—राज्य के द्वारा, प्रजा के द्वारा । तिरुवल्लुवर-काव्य का प्रथम उद्देश्य 'मानव' है—उच्च कोटि के सज्जन, सदाचारी, धर्म के मार्ग पर दृढ़, समाज-कल्याण की प्रेरणा से ओतप्रोत 'मानव' । इस दृष्टि से समाज के साधारण प्राणी से लेकर राजा, असात्य अथवा राज्य के सञ्चालन में सलग्न समस्त व्यक्ति इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यरत हैं । फलतः जो नियम राजा, असात्य इत्यादि के लिए हैं, वही नियम न्यूनाधिक रूप में समाज के प्रत्येक मनुष्य के लिए हैं । केवल अधिकारी वर्ग के लोगों के विशिष्ट गुण-सम्पन्न होने से समाज का स्तर ऊँचा नहीं होता, समाज का विकास समाज के प्रत्येक मनुष्य के स्तर पर निर्भर करता है । इस दृष्टि से हम मानव के विकास की प्रक्रिया पर विचार करें तो जन्म के उपरान्त परिवार में धीरे-धीरे विकास करना हुआ बालक वय-प्राप्ति तक शिक्षा ग्रहण करता हुआ, साधारण गुणों को विकसित करता है । विकास की प्रक्रिया में एक स्थिति सामाजिक सम्बन्धों की आती है । सगी-साथियों का चुनाव, सामाजिक सम्बन्धों में मीठे-कड़वे अनुभव और अनुशासित जीवन के लिए आवश्यक गुणों यथा शिष्टाचार, लज्जाशीलता इत्यादि से उसका परिचय होता है । दिन-प्रतिदिन के कर्म करते हुए वह कर्म, शक्ति, समय, स्थल इत्यादि के अतिरिक्त कर्म की रीति से अवगत होता है । यही नहीं अनेकानेक प्रयत्नों के उपरान्त भी समाज में ऋटिया रहेगी ही यथा मूढ़ता, दरिद्रता, याचना इत्यादि । इनको सामाजिक जीवन की रूपरेखा से विलग कर पाना व्यावहारिक रूप में कभी सम्भव नहीं हो पाया । इस दृष्टिकोण से हमने वल्लुवर-काव्य के अर्थ-खण्ड (पोरुल्) के सामाजिक-जीवन को, अध्ययन की सुविधा के लिए, निम्न उपखण्डों में विभाजित किया है—

- (अ) मानव के विकास की प्रक्रिया
- (आ) सामाजिक सम्बन्धों के विभिन्न रूप
- (इ) कर्म की विधि
- (ई) सामाजिक जीवन का दुर्बल पक्ष

यह स्पष्ट किया जा चुका है कि राजा, असात्य, दूत, गुप्तचर इत्यादि के लिए विशिष्ट गुणों की आवश्यकता है । यह आवश्यकता सामाजिक जीवन में उस विशिष्ट दायित्व की पूर्ति के लिए है पर समाज का प्रत्येक प्राणी भी कुछ निश्चित गुणों से सम्पन्न होना चाहिए । यह आदर्श की स्थिति है और व्यवहार के लिए आदर्श की कल्पना अनिवार्य आवश्यकता है । वल्लुवर जानते हैं कि यह आदर्श है, व्यवहार में कुछ अन्तर आना स्वाभाविक है । फलतः वह कुछ सन्दर्भों में व्यवहार का उल्लेख करते हैं । मूढ़ता, अहंकार, दरिद्रता, याचना इत्यादि व्यवहार के कटु-सत्य हैं जिनसे सामाजिक जीवन स्वयं को असंपृक्त नहीं कर सकता ।

मानव के विकास की प्रक्रिया

माता-पिता के प्रेम और दुलार में विकास प्राप्त करता हुआ बालक समाज में अपनी प्रथम स्थिति से अवगत होता है। शिक्षा की प्रक्रिया यही से प्रारम्भ होती है। मानव की आन्तरिक मूलभूत शक्तियों का विकास और उनका ज्ञान ही शिक्षा है। शिक्षा की प्रबल आवश्यकता को स्वीकार करते हुए वल्लुवर कहते हैं—‘अक’ और ‘अक्षर’ प्राणिमात्र के नेत्र कहलाते हैं।^१ जो शिक्षित हैं वे नेत्रयुक्त हैं, अशिक्षित के नेत्र तो मुख पर दो घाव-मात्र हैं।^२ इसलिए आवश्यक विषयों का निर्दोषपूर्ण अध्ययन करना चाहिए तदनन्तर उनके अनुसार व्यवहार करने में स्थिर रहना चाहिए।^३ शिक्षा पृथ्वी के कुएँ के समान है, कुआँ जितना गहरा खुदेगा, उतना ही अधिक जल निकलेगा, व्यक्ति जितनी अधिक शिक्षा प्राप्त करेगा उतनी ही तीव्र उसकी बुद्धि बनेगी। इस प्रकार के विद्वान् का मिलन आनन्दप्रद और उससे बिछुड़ना हृदय को व्यथित करता है। शिक्षित के लिए सभी देश और सभी नगर अपने बन जाते हैं। शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए भी आनन्दप्रद है एव ससार के लिए भी आनन्द का स्रोत है, फलतः बुद्धिमान इसका अधिकाधिक उपार्जन करने की इच्छा करते हैं। यह एक अनश्वर, महान् सम्पत्ति है।^४ इस प्रकार शिक्षा का महत्त्व प्रतिपादित कर मानव के विकास की प्रक्रिया में उसकी आवश्यकता कवि ने सिद्ध की है, पर इस विषय को सकारात्मक रूप में उपस्थित करने के उपरान्त नकारात्मक रूप को भी ग्रहण किया। यदि शिक्षा इतनी महत्त्वपूर्ण है और सामाजिक जीवन के लिए अत्यावश्यक है तो अशिक्षा का उल्लेख कर शिक्षा के अभाव से उत्पन्न दोषों का भी वर्णन कवि-कर्म के अन्तर्गत आ गया।

जुएँ के नियमों को समझे बिना पासे खेलना पराजय की ओर कदम है, तत्त्व-युक्त ग्रन्थों के अध्ययन के बिना विद्वत्-सभा में प्रवेश करना इससे भिन्न नहीं।^५ अशिक्षितों की तुलना में विशद ज्ञान-ग्रन्थों में निष्णात व्यक्ति ठीक उसी प्रकार है जैसे पशुओं की तुलना में मानव।^६ उरोज-रहित नारी की प्रेम करने की अभिलाषा और विद्वत्-सभा में अशिक्षित के भाषण करने की अभिलाषा एक समान है।^७ यद्यपि अशिक्षित भी जीवित कहलाते हैं पर वह निष्प्रयोजन ऊसर भूमि के समान हैं।^८ श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होकर भी अशिक्षित का सम्मान

१ कुरल ३६२।

२ कुरल ३६३।

३ कुरल ३६१, ३६६, ३६४, ३६७।

तुलनीय विद्यायोगस्तु सर्वेषां पूर्वमेव विधीयते।

कार्याकार्यं विजानन्ति विद्याया देवि नान्यथा ॥—महा० अनु०, १४५।

४ कुरल ३६६।

५ कुरल ४००।

६ कुरल ४०१।

७ कुरल ४१०।

८ कुरल ४२०।

९ कुरल ४०६।

नहीं और निम्नकुल में जन्म लेकर भी शिक्षित सम्माननीय है।^१ सूक्ष्म, श्रेष्ठ एव तीव्र बुद्धि से रहित व्यक्ति का रूप-लावण्य शुभ्र मिट्टी से निर्मित गुब्बिया के सुन्दर रूप के सदृश ही है। शिक्षित के सम्मुख मौन धारण किये रहे तो अशिक्षित भी बड़े सम्य माने जायेंगे।^२

कथन से श्रवण का महत्त्व अधिक है। श्रवण के माध्यम से अशिक्षित व्यक्ति भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। ग्रन्थ-ज्ञान और सज्जनों की आत्मानुभूति से उत्पन्न ज्ञान में एक निश्चित अन्तर है। विद्वज्जनों के कथन ग्रन्थ-ज्ञान को विकास प्रदान करते हैं और व्यक्ति को व्यावहारिक जीवन का वास्तविक रूप दर्शाते हैं। जिह्वा का स्वाद निम्न है, विद्वानों के सरस वचन सुनने का स्वाद अनुपम है। सूक्ष्म-श्रवण से वञ्चित व्यक्ति न भ्रांषी नहीं हो सकता। सच्चरित्र के कथन फिसलन पर चलते समय आधार-दण्ड के समान सहायक होते हैं। विद्वानों के कथन में इतना रस है कि उसे सुनते हुए व्यक्ति खाना-पीना तक विस्मृत कर बैठता है।^३ अच्छी बात प्रत्येक की सुननी चाहिए क्योंकि अवसर आने पर वह विशिष्ट गौरव का कारण बनती है। श्रवण से प्राप्त ज्ञान की सम्पत्ति सभी सम्पत्तियों से श्रेष्ठ है।^४ इन कथनों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की बात वल्लुवर ने 'अरिवुडंमै' अर्थात् 'बुद्धिमत्ता' अध्याय में कही है—कोई विषय चाहे किसी से सुनें, उसमें निहित सत्य को देखना ही बुद्धिमत्ता है।^५

शिक्षा की प्राप्ति, अशिक्षा का त्याग एव श्रवण से प्राप्त ज्ञान के उपरान्त ही व्यक्ति बुद्धि-सम्पन्न होता है। इस स्थिति तक आते-आते सामाजिक जीवन में वह प्रवेश कर चुका है। वल्लुवर ने इस स्थल में 'बुद्धिमत्ता' की व्याख्या की है। मन का नियन्त्रण इस सन्दर्भ में प्रबल आवश्यकता है। सभी इच्छित स्थानों पर मन को जाने से रोक कर अशुभ से हटा कर, शुभ मार्ग की ओर प्रवृत्त करना बुद्धिमत्ता है।^६ बुद्धि विध्वंस में रक्षा करने का साधन और शत्रुओं से भी नष्ट न होने वाला सुदृढ दुर्ग है। इस स्थल पर वल्लुवर व्यावहारिकता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं—जंसा व्यवहार लोक में हो, उसी प्रकार का व्यवहार करना बुद्धिमत्ता है।^७ अपने विचारों को सरल रूप में स्पष्ट करना, दूसरे के गम्भीर तत्त्वों को समझने का प्रयास करना,^८ लोक को मित्र बनाना, मित्र के सम्मुख और पीछे सद्भाव बनाए रखना,^९ बुद्धिमत्ता

१ कुरल ४०६।

२ कुरल ४०७, ४०३।

३ कुरल ४३०, ४१६, ४१५, ४१२।

४ कुरल ४१६, ४११।

५ कुरल ४२३।

६ कुरल ४२२, तुलनीय तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता।

—गीता, २।६८।

एव यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा।

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदशवा इव सारथे ॥

—कठोपनिषद्, १।३।६।

७ कुरल ४२१, ४२६।

८ कुरल ४२४।

९ कुरल ४२५।

के साधारण परिणाम हैं। इस प्रकार के व्यक्ति भविष्य को देखने में समर्थ दूरदर्शी होते हैं।^१ बुद्धिमान के पास कुछ भी न हो तो भी वह सर्वसम्पन्न है, बुद्धिहीन सर्वसम्पन्न होकर भी कयाल है।^२

ज्ञान की प्राप्ति के उपरान्त अन्य गुणों के विकास पर दृष्टि डालनी चाहिए। वस्तुवर ज्ञान के ऐकान्तिक रूप की स्वीकृति नहीं देते। उनके लिए ज्ञान का विस्तार, उसका सामाजिक वितरण आवश्यक है। स्वयं अध्ययन किये हुए ग्रन्थों को दूसरों को समझाने की शक्ति से रहित व्यक्ति गंधहीन पुष्प-गुच्छ के समान होते हैं।^३ थोड़े से निर्दोष शब्दों में विचारों की अभिव्यक्ति करने में समर्थ व्यक्ति ही सफल हैं।^४ बोल वह जो सुनने वाले को वशीभूत कर ले और न सुनने वालों में भी सुनने की इच्छा उत्पन्न कर दे।^५ विचारों को सवार कर कथन करने वाले मधुर-भाषी के आदेश शीघ्र ही सारा ससार सुनेगा।^६ वाक्पटुता विशिष्ट गुण है,^७ 'शब्द' विकास और विनाश दोनों का कारण है।^८ अतः शब्द की शक्ति को समझकर उसका प्रयोग करना चाहिए।^९ स्वयं प्रिय कथन करना, दूसरों के कथनों के प्रयोजन को हृदयगम करना निर्मल स्वभाव वाले महान् व्यक्तियों का सिद्धान्त है।^{१०} वाक्पटु, निरालस्य और निर्भीक व्यक्ति से कोई विरोधी नहीं जीत सकता।^{११}

शिक्षित, ज्ञानी, 'शब्द' पर नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति के लिए भी सभा एक परीक्षा होती है। सभा को समझना, सभा के अनुकूल व्यवहार करना, सामाजिक जीवन में सदा महत्त्वपूर्ण रहा है। वस्तुवर इस विषय में कुछ आधारभूत सकेतों के माध्यम से विद्वज्जनों का मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं। श्रेष्ठ विद्वानों की सभा के प्रभावोत्पादन में समर्थ मूर्खों की सभा में भूलकर भी न बोले।^{१२} स्वजन से रहित सभा में किसी विषय पर बोलना स्वीकार न करो अन्यथा वह अशुद्ध आगम में गिराए गए अमृत के समान होगा।^{१३} शब्दों के क्रम की शक्ति का स्पष्ट ज्ञान रखने वाले सभा को समझकर, ध्यान में शब्दों का व्यवहार करें।^{१४} ज्ञान-सम्पन्न व्यक्ति को पहले श्रोताओं के श्रवण की अभिलाषा को स्पष्टतः समझना चाहिए और

-
१. कुरल ४२७।
 २. कुरल ४३०।
 ३. कुरल ६५०।
 ४. कुरल ६४६।
 ५. कुरल ६४३।
 ६. कुरल ६४८।
 ७. कुरल ६४१।
 ८. कुरल ६४२।
 ९. कुरल ६४४।
 १०. कुरल ६४६।
 ११. कुरल ६४७।
 १२. कुरल ७१९।
 १३. कुरल ७२०।
 १४. कुरल ७११।

किर उसी के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।^१ जो व्यक्ति सभा को समझने बिना कुछ कथन करते हैं वे शब्दों की रीति से अनभिज्ञ होते हैं।^२ अध्ययन-सम्पन्न व्यक्ति की विद्या विद्युद्-रूप से शब्दों के भाव को समझने वाले विद्वान् के सम्मुख ही प्रकाशित होंगी।^३ इसलिए श्रेष्ठ बुद्धि वाले व्यक्ति के सम्मुख बोलना विकसित हुई कृषि को जल से सिंचित करने के समान है।^४ बुद्धिमान के सम्मुख बुद्धिमान जैसा ही सम्भाषण करो, और बुद्धिहीन के सम्मुख सफेद चूने के समान वैसे ही बन जाओ।^५ इसी प्रकार श्रेष्ठ ज्ञानी के सयक्ष बह-बढ़कर सम्भाषण न करने का संयम मनुष्य के प्रयोजन-सम्पन्न विषयों में प्रधान है।^६ सभा को समझ कर उसके अनुकूल आचरण करना विद्वान् का लक्षण है पर ज्ञान का विस्तार अभिव्यक्ति से होता है, विभिन्न ग्रन्थों के अध्ययन के उपरान्त भी विद्वत्-सभा से भयभीत होने वाले व्यक्ति अनपढ़ों में भी निम्न हैं।^७ निडर होकर सभा का सामना करने का परामर्श देते हुए बल्लुवर कहते हैं कि सभा में भयभीत होने वाले के हाथ में सद्ग्रन्थ वैसे ही व्यर्थ हैं जैसे सग्रामस्थल में शत्रु से डरने वाले के हाथ में तलवार।^८ जो विद्वत्-सभा को अपने भाषण से प्रभावित न कर सके उसका अनेकानेक ग्रन्थों का अध्ययन निष्प्रयोजन ही होता है। ऐसा व्यक्ति संप्राण होकर भी निष्प्राण-सदृश है।^९ सभा के सम्मुख निर्भीक भाषण देना सग्रामस्थल में प्राण देने से भी कठिन है, इसीलिए बल्लुवर का कथन है—शत्रुओं के सग्राम-क्षेत्र में समाप्त होने वाले तो अनेक होंगे परन्तु विद्वत्-सभा में निर्भीक रहने वाले त्रिरले ही होंगे।^{१०} इसी कथन को पुष्ट करने वाला एक अन्य कथन है—निडर वीर के अतिरिक्त अन्य का खड्ग से क्या सम्बन्ध? विद्वत्-सभा में डरने वाले का सद्ग्रन्थों से क्या सम्बन्ध?^{११} इसलिए विद्वानों की सभा में जाने से पूर्व अपने से श्रेष्ठ विद्वानों से अन्य विषयों का अध्ययन कर लेना चाहिए,^{१२} एव सभा में निर्भीक रूप से प्रत्युत्तर देने के लिए नियमपूर्वक तर्क-शास्त्र का सतर्क अध्ययन कर लेना आवश्यक है।^{१३} शब्दों के क्रम की शक्ति का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर, सभा की रीति को हृदयगम कर सभा के समक्ष जाने वाला व्यक्ति विद्वानों के मध्य अपने मुख में अनुचित शब्द नहीं आने देगा।^{१४} अपने अध्ययन को विद्वानों के समक्ष प्रभावोत्पादक ढंग से अभिव्यक्त करने में सक्षम

- १ कुरल ७१२।
- २ कुरल ७१३।
- ३ कुरल ७१७।
- ४ कुरल ७१८।
- ५ कुरल ७१४।
- ६ कुरल ७१५।
७. कुरल ७२६।
- ८ कुरल ७२७।
- ९ कुरल ७२८, ७३०।
- १० कुरल ७२३।
- ११ कुरल ७२६।
१२. कुरल ७२४।
१३. कुरल ७२५।
- १४ कुरल ७२१।

व्यक्ति ही विद्वानों में विद्वान् कहलायेगा ।^१

सामाजिक सम्बन्धों के विभिन्न रूप

राज्य के सन्दर्भ में राजा के लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों के साहचर्य को विशेष महत्त्व प्रदान किया गया है। यह कथन समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी सत्य है, अतः सामाजिक सम्बन्धों के विभिन्न रूपों में इसी प्रकार के अनेक कथनों का उल्लेख एव विवेचन किया जायेगा। कुछ कथन मन्त्री अथवा राज्य के किसी अन्य अधिकारी के गुण, कर्म इत्यादि के सन्दर्भ में आए हैं पर प्रत्येक सामाजिक प्राणी उनका उपयोग कर सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है, इसी कारण उनकी भी यहाँ समाहित कर लिया गया है। एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि तिरुवल्लुवर ने कहीं भी यह नहीं कहा कि यह नियम अथवा सदेश केवल राजा अथवा अमात्य इत्यादि के लिए हैं। उनके कथनों के अध्ययन से यह ध्वनि अवश्य मिलती है कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए ग्राह्य सर्वयुगीन सिद्धान्त हैं।

श्रेष्ठ व्यक्तियों से अभिप्राय 'धर्मज्ञ धीर ज्ञानी' व्यक्तियों से है। ऐसे सज्जनों की मैत्री उनकी महानता को समझ कर यथानुसार प्राप्त करनी चाहिए।^२ सिर पर भाई विपत्ति को दूर कर, भविष्य में सम्भव विपत्ति से, पहले से ही रक्षा करने में योग्य व्यक्ति का सम्मान कर उससे साहचर्य स्थापित करो।^३ श्रेष्ठ व्यक्ति का सम्मान करके उन्हें अपना बना लेना दुर्लभ पदार्थों में दुर्लभ है। पर जिसे योग्य एव श्रेष्ठ व्यक्तियों के साहचर्य की शक्ति प्राप्त होगी उसे शत्रु किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचा सकते। मूलधन के बिना लाभ अप्राप्य होता है, सबल सहायक के अभाव में स्थायित्व अप्राप्य होता है। सज्जनों की मैत्री का त्याग अनेक व्यक्तियों की शत्रुता से दस गुना हानिप्रद है।^४

सज्जन की मैत्री आनन्द का कारण है तो कुसंग दुःख का आधार है। इसलिए सज्जनों की मैत्री के तुरन्त उपरान्त वल्लुवर 'कुसंग का त्याग' (मिट्टिनम् चेराम्) के अन्तर्गत कुसंग के त्याग का परामर्श देते हैं। भूमि के गुण से जल में परिवर्तन आ जाता है। मनुष्य भी सग के गुण के अनुकूल बुद्धि प्राप्त करता है।^५ मन एवं कर्म दोनों की शुद्धता, सग की शुद्धता पर निर्भर करती है।^६ मन की पवित्रता मानव का वैभव है, सग की विषुद्धता सकल सुयश प्रदान करती है।^७ मन पूर्णतः पवित्र होने पर भी बुद्धिमान के लिए सग की पवित्रता विशिष्ट सहायक सिद्ध होती है।^८ मन की पवित्रता से स्वर्ग-सुख प्राप्त होता है और वह सग की पवित्रता से

१ कुरल ७२२।

२ कुरल ४४१।

३ कुरल ४४२। तुलनीय 'गुणवन्तो महोत्साहा धर्मज्ञा साधवश्च ये।

सदधीत नृपस्त्वैश्च राष्ट्र धर्मेण पालयन् ॥

—महा० शान्ति० (भण्डारकर) १२।६१।१६।

४ कुरल ४४३, ४४६, ४४९, ४५०।

५ कुरल ४५२।

६. कुरल ४५५।

७ कुरल ४५७।

८ कुरल ४५८।

धैर्यतर बनता है।^१ मनुष्य की बुद्धि जो उसके मन में उपस्थित-सी प्रतीत होती है, वस्तुतः उसके संग का ही परिणाम है।^२ बल्लुवर का मत है कि अच्छे संग से बढ़कर कोई सहायक नहीं और कुसंग से बढ़कर अहितकर कोई शत्रु भी नहीं। इसलिए धैर्यता कुसंग से भयभीत होती है। नीचता ही उसे बन्धु मानकर उससे घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर लेती है।^३

सामाजिक जीवन में विश्वासपात्र सगी-साथी, सहयोगी का चुनाव एक कठिन कार्य है। इस प्रकार का सहयोगी न केवल दैनिक जीवन के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक है, अपितु विशिष्ट अवसरों पर महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन में भी उसका योगदान होता है। तिरुवल्लुवर कुलीन, निर्दोष, एव अपयश से लज्जित होने वाले^४ मनुष्य को विश्वासपात्र बनाने का परामर्श देते हैं। धैर्यता और नीचता को परखने की कसौटी मनुष्य के कर्म है।^५ किस कार्य के लिए कौन मनुष्य धैर्य है, इसका निर्णय करते समय उसकी धर्म, अर्थ, काम विषयक जीवन-दृष्टि एव प्राण-भय उत्पन्न होने पर उसकी प्रतिक्रिया का विचार करना चाहिए।^६ गुणों एव दोषों का विवेचन कर मनुष्य का विश्लेषण कर, विश्वासपात्र व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए।^७ विश्वासपात्र व्यक्ति के चुनाव में बल्लुवर का स्पष्ट मत है कि पूर्वाग्रह से युक्त होकर इसमें निर्णय न किया जाये। प्रेमवश उचित ज्ञान से रहित व्यक्ति का चुनाव तथा विश्लेषण किये बिना विश्वासपात्र बनाना, दोनों ही स्थितियाँ कष्टप्रद होंगी।^८ बहु-बाधवहीन को विश्वासपात्र नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वे ममताशून्य होने के कारण निन्दा से लज्जित नहीं होते।^९

राज्य-संचालन के लिए राज्य के अधिकारियों का चुनाव और फिर क्षमता के अनुसार कर्म का विवरण एक महत्त्वपूर्ण स्थिति है। इसी प्रकार जीवन में विभिन्न स्तरों पर अनेकानेक कार्यों की पूर्ति के लिए सत्पात्र की खोज, और खोज के उपरान्त पात्रानुकूल कर्म का विवरण भी पर्याप्त कठिन कार्य है। बल्लुवर ने इसके लिए कुछ आधारभूत सकेत दिए हैं जिनके माध्यम से इस स्थिति में उचित निर्णय लेना सम्भव हो सकता है।

स्नेह, बुद्धि, निश्चलता एव निर्लोभता— इन चार गुणों से पूर्णतः युक्त व्यक्तियों में ही निष्पक्ष निर्णय की क्षमता होती है।^{१०} परीक्षा चाहे किसी प्रकार की जाए मनुष्य का स्वभाव उसके विशिष्ट दायित्व के कारण परिवर्तित हो सकता है।^{११} अतः बल्लुवर का मत है कि कर्म का अधिकारी वही हो सकता है जो शुभाशुभ की सम्यक् समीक्षा करके शुभकर्म में प्रवृत्त होने की

१ कुरल ४५६, ४५४, ४६०, ४५१।

२ कुरल ५०२।

३ कुरल ५०५।

४ कुरल ५०१।

५ कुरल ५०४, ५०६।

६ कुरल ५०७, ५१०।

तुलनीय त्रिवर्गभयसशुद्धानमात्यान् स्वेषु कर्मसु।

अधिकुर्याद् यथाशौच्यमित्याचार्या व्यवस्थिता ॥

—कौ० अर्थ० १।५।६।२।

७ कुरल ५०६।

८ कुरल ५१३।

९ कुरल ५१४।

२३३ बल्लुवर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन

क्षमता से युक्त हो ।^१ कोई काम सौंपने से पहले देख लेना चाहिए कि अधिकारी व्यक्ति बुद्धि से काम लेया; बाधाओं को सहकर भी कर्म को पूर्ण करेगा ।^२ कर्म, कर्ता और अनुकूल समय—इन तीनों का विचार करके ही किसी कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए ।^३

सामाजिक-जीवन का आधार पारस्परिक मधुर-सम्बन्ध एव सद्भाव-युक्त सहायता का भाव है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि बन्धु-बाधव से सद्भाव एव सौहार्द बना कर रखा जाये। सुख-दुःख का चक्र विचित्र है, किसी भी व्यक्ति को सदा सुख अथवा सदा दुःख की प्राप्ति नहीं होती। अतः सुख के क्षणों में बन्धु-बाधव सुख को क्षिणित करते हैं तो दुःख के अवसर पर उनकी सहानुभूति दुःख सहन करने की क्षमता प्रदान करती है।

बल्लुवर का कथन है—अटूट प्रेम से युक्त बन्धुवर्ग जिसे प्राप्त है वह अनेक प्रकार से निरन्तर विकासोन्मुख सौभाग्य प्राप्त करेगा ।^४ यह बन्धुओं का ही गुण है कि किसी की दरिद्रता में भी उसे छोड़ें नहीं और पुराने सम्बन्ध बनाये रखें ।^५ धनी का धन-प्राप्ति का प्रयोजन बन्धुओं को साथ मिलाये रहने के सद्ब्यवहार में है ।^६ बल्लुवर का विचार है कि दानी, मधुर-वक्ता अक्रोधी, सदा निकट सम्बन्धियों से घिरा रहेगा ।^७ जो मनुष्य बन्धुओं के साथ मिलनसार नहीं है उसका जीवन तट-रहित विस्तीर्ण जलाशय के समान है ।^८ कौआ प्राप्त वस्तु को छिपाता नहीं अपितु पुकार कर अन्य बन्धुओं को बुलाता है, श्रीवृद्धि ऐसे ही स्वभाव वालों को सिद्ध होती है ।^९ यदि किसी कारण बन्धु स्वयसम्बन्ध-विच्छेद कर बैठे हो तो उस विच्छेद के कारण को दूर करने से पुनः मिलन सम्भव हो जाता है ।^{१०}

सद्ब्यवहार सामाजिक जीवन के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। इसी कारण शिष्ट-आचरण सज्जन व्यक्तियों का गुण माना गया है। विनम्र वार्तालाप से शिष्ट-आचरण नामक सदाचार की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। निन्दा हास्य में भी नहीं रचती, व्यवहार-कुशल व्यक्ति शत्रुता में भी शिष्टता को बनाये रखता है। इस लोक का आधार शिष्ट-जन हैं, अन्यथा यह मिट्टी में मिल जाता। मानवीय शिष्टता से रहित व्यक्ति, बल्लुवर के मतानुसार, आरी के समान तीक्ष्ण बुद्धियुक्त होने पर भी वृक्ष के समान जड़ होते हैं ।^{११}

१. कुरल ५१०।

२. कुरल ५१५।

३. कुरल ५१६।

तुलनीय अनुबन्ध च समप्रेक्ष्य विपाक चैव कर्मणाम्।

उत्थानमात्स्यनरचैव धीर कुर्वीत वा न वा। —विदुरनीति २।६।

४. कुरल ५२२।

५. कुरल ५२१।

६. कुरल ५२४।

७. कुरल ५२५, ५२६।

८. कुरल ५२३।

९. कुरल ५२७।

१०. कुरल ५२६।

तुलनीय : ये च कारणादभिक्रुद्धास्तानर्थ-मानाम्या शमयेत्। —कौ० अर्थ० १।६।१०।२।

११. कुरल ६६१, ६६३, ६६६, ६६७।

शरीर एवं रूप की समानता के आधार पर कोई किसी का बन्धु नहीं बनता, प्रस्युत शिष्ट-आचरण पर आश्रित मैत्री ही वास्तविक है।^१ अशिष्ट व्यक्ति को प्राप्त अतुल सम्पत्ति व्यर्थ ही रहती है। कलश-बोध से स्वच्छ दूध भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह सम्पत्ति भी बोध-प्रद हो जाती है।^२ लोक में न्याययुक्त, कृतज्ञ, हितचिन्तक के शिष्टाचार का सम्मान होना है।^३

कर्म की विधि

कर्म का प्रश्न भारतीय विचारधारा का सर्वाधिक चर्चित प्रश्न है। कर्म क्या हो, कैसा हो, उसके लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इत्यादि प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के समक्ष आते हैं। अतः कर्म, कर्म की विधि, उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन सामाजिक जीवन में एक अनिवार्य आवश्यकता है। वल्लुवर ने 'बोधयुक्त कर्म' (तेरिन्दु सेयल्वहै) 'शक्ति का बोध' (वलियरिदल्), 'काल का बोध' (कालमरिदल्) 'स्थल का बोध' (इडनरिदल्) शीर्षकों के अन्तर्गत कर्म एवं उसके सम्पादन से सम्बद्ध सम्भव प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत किया है। इन्हीं अंशों का विश्लेषण यदि युद्ध के सन्दर्भ में किया जाये तो उसके लिए भी कुछ सकेत उपलब्ध हैं। युद्ध 'राजा' के सन्दर्भ में और कर्म समस्त 'मानव-जाति' के सन्दर्भ में लें, तो ये अंश दोनों स्थितियों को अपने में समाहित किये हुए हैं। वल्लुवर युद्ध के विषय में कहते हैं—विभिन्न परिस्थितियों का विचार किये बिना आक्रमण करना शत्रु को सुदृढ भूमि प्रदान करने का एक मार्ग है।^४ पर युद्ध का उल्लेख कर्म की अपेक्षा कम हुआ है। वल्लुवर ने कर्म दो प्रकार के माने हैं—करणीय एवं अकरणीय। करणीयकर्म न करने से नाश होगा और अकरणीय कर्म करने से नाश होगा।^५ कर्म में प्रवृत्त होने में पूर्व उसके समस्त पक्षों का सम्यक् विश्लेषण अनिवार्य है क्योंकि प्रवृत्त होने के पश्चात् सोच-विचार करना मूढता है।^६ कर्म के समस्त पक्षों का विवेचन कर, परिवृत्त बन्धुओं के साथ विचार-विमर्श कर उसमें प्रवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिए कुछ भी असम्भव नहीं।^७ कर्म का साधन भी उचित होना चाहिए अन्यथा अनेक व्यक्तियों की सहायता मिलने पर भी कर्म में सफलता प्राप्त नहीं होगी। जिस व्यक्ति पर कर्म का प्रभाव होता है उसके स्वभाव को समझ कर उसके अनुकूल कर्म करना चाहिए। लोक जीवन में कर्म लोकानुकूल ही होना चाहिए, जो कर्म लोक के प्रतिकूल है, उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा।^८

कर्म करने का दूसरा पक्ष है शक्ति, समय और स्थान का बोध। कर्म को जानकर,

१ कुरल ६६३।

२. कुरल १०००।

३. कुरल ६६४।

४ कुरल ४६५।

५ कुरल ४६६।

६ कुरल ४६७। तुलनीय बुद्धिपूर्व समालोच्य दूरतो गुणबोधत।

आरभेत् तदा कर्म शुभं वा यदि वेतरत् ॥—महा० अनु० १४५।

७. कुरल ४६१, ४६२।

तुलनीय मन्त्रपूर्वाः सर्वारम्भा ।—कौ० अर्थ० १।१०।१४।१।

८ कुरल ४६८, ४६९, ४७०।

उसके लिए आवश्यक बल को समझ कर, दसचित्त हो दृढता के साथ चलने वाले के लिए कुछ भी असम्भव नहीं। स्व-शक्ति का पूर्ण परिचय प्राप्त किये बिना जो व्यक्ति आवेशवश किसी कर्म में प्रवृत्त होता है उसे कर्म को मध्य में छोड़ना पड़ता है और अवनति की प्राप्ति होती है। इसलिये यह आवश्यक है कि मनुष्य इच्छित कर्म, अपनी शक्ति, विरोधी की शक्ति और सहायको की शक्ति का विश्लेषण करने के उपरान्त ही किसी कर्म में प्रवृत्त हो।^१

दान, सत्कर्म इत्यादि में भी सीमा का ज्ञान होना चाहिए। वल्लुबर मर्यादित कर्म का सदेश देते हैं, चाहे यह कर्म कितना ही महत्त्वपूर्ण अथवा श्रेष्ठ हो। अपनी सम्पत्ति की सीमा को न विचार कर बड़ा दानी बनने से भी हानि होगी। इसलिए दान भी उचित मात्रा में, अपनी सीमा को समझ कर करना चाहिए। अपनी सम्पत्ति की सीमा को समझे बिना जीवन व्यतीत करने वाले का जीवन मम्पन्न-मा प्रतीत होकर भी सर्वरिक्त हो बिनाश को प्राप्त होता है। बूक्ष की चोटी की शाखा पर पहुच कर आवेश में कोई उससे भी आगे बढ़े तो वह आवेश प्राण-घातक भी हो सकता है।^२

अपनी सीमा एवं शक्ति का सम्यक्-परिचय प्राप्त करने के उपरान्त काल अथवा अवसर का चयन भी महत्त्वपूर्ण कदम है।^३ आवश्यक साधनों के साथ काल को समझ कर कर्म करने वाले के लिए कुछ भी असम्भव नहीं होता। इस प्रकार से कर्म करने वाले सम्पूर्ण ससार को वशीभूत कर सकते हैं।^४ युद्ध एवं शान्ति, दोनों कालों में वल्लुबर उचित अवसर की प्रतीक्षा करने का परामर्श देते हैं। सुअवसर प्राप्त हो तो असम्भव कार्य भी उस समय कर डालो।^५ अवसर प्रतिकूल हो तो विरोधी के समक्ष विनीत हो जाओ^६ क्योंकि अवसर का प्रबल महत्त्व है। दिन के समय उलूक पर उससे दुर्बल कौआ विजय प्राप्त कर लेता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से युक्त व्यक्ति तदनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करते हैं।^७ उरसाही व्यक्ति यदि अवसर की आवश्यकता समझ कर पीछे हटता है तो यह भेड का शत्रु पर आक्रमण करने से पूर्व अपने पंरो को पीछे हटाने के समान होता है।^८ शत्रु के दोष देख बुद्धिमान तुरन्त वहीं श्रेष्ठ को व्यक्त नहीं करते, उस ज्वाला को उचित अवसर के लिए मन में सजोये रखते हैं।^९ इसलिए

१. कुरल ४७२, ४७३, ४७१।

तुलनीय यथास्वबलवृद्धिकर कर्म प्रयुञ्जीत यत्रात्मन संन्यव्यायामाना भूमिरभूमि परस्य, स उत्तमो देश। विपरीतोऽधम साधारणो मध्यम।

—कौ० अर्थ० ६।१३५-१३६।१।१।

२ कुरल ४८०, ४७७, ४७६, ४७६।

३ कुरल ४८३।

४ कुरल ४८४।

५ कुरल ४८६।

६ कुरल ४८८।

७ कुरल ४८९।

तुलनीय काल श्रेयानित्येके। दिवा काक कौशिक हन्ति, रात्रौ कौशिक काकम् इति।—कौ० अर्थ० ६।१३५-१३६।१।४।

८ कुरल ४८६।

९ कुरल ४८७।

प्रतीक्षा के समथ सारस के समान शान्त रहो, अवसर आने पर उसके समान आक्रमण कर कर्म को पूर्ण करो ।^१

कर्म की इस विधि में स्थान का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। स्थल का चुनाव युद्ध में एक प्रमुख निर्णय है। पूर्ण रूप से विचार करके उचित स्थान से कर्म में प्रवृत्त होने पर निर्भयता के अतिरिक्त अन्य किसी की सहायता आवश्यक नहीं। अनुकूल स्थल को समझ कर दृढ़ता के साथ कर्म में प्रवृत्त होने वाले मनुष्य पर विजय प्राप्त करने का विचार रखने वाले अपनी कामनापूर्ति में असफल होंगे। अल्प-सैन्य-युक्त यदि अपने लिए उपयुक्त स्थल पर पहुँच कर डट जाये तो बृहद्-सैन्य-युक्त का उत्साह नष्ट हो जायेगा।^२ युद्ध में स्थल का चुनाव युद्ध का निर्णायक प्रश्न होता है। गहरे जल में मगर अन्य जीवों पर विजय प्राप्त करता है परन्तु जल के बाहर उभर पर अन्य जीव विजयी होते हैं।^३ बृहद् चक्रों से युक्त बड़े रथ समुद्र पर नहीं चल सकते, इसी प्रकार समुद्र-गामी जलयान भी पृथ्वी पर नहीं चल सकते। भालों से युक्त बीरो को छेदने वाले लम्बे दातों से युक्त निडर हाथी यदि पाव फंसाने वाले कीचड़ में फस जाये तो गीदड़ भी उसे मार डालेंगे। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि कार्य-पूर्ति (युद्ध) के लिए उचित स्थल का निर्णय किये बिना किसी कर्म (युद्ध) में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए।^४ यही कारण है कि दुर्ग तथा अन्य विशिष्ट साधनों के अभाव से युक्त व्यक्ति पर भी उसके ही क्षेत्र में उस पर आक्रमण करना दुष्कर होता है।^५

सामाजिक जीवन का दुर्बल पक्ष

वल्लुवर ने अपने काव्य में कुछ ऐसी स्थितियों का वर्णन किया है जो समाज के सम्यक् विकास में बाधा का कारण हैं। सुख और दुःख क्रम से आते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज में मानव स्वभाव की विभिन्नता के कारण अथवा सामाजिक संगठन की दुर्बलता के कारण दुर्बल-चरित्र व्यक्ति सदा से है। यहाँ वल्लुवर की दृष्टि अत्यन्त स्पष्ट है—मूढ़, अहंकार-युक्त-तुच्छ-बुद्धि मनुष्य एक नीच का उल्लेख हुआ है। सम्पत्ति-संग्रह, दरिद्रता, इसके फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति 'याचना' और उसकी भयकरता का उल्लेख भी हुआ है। मानव स्वभावगत-दुर्बलता और सामाजिक-संगठन के फलस्वरूप उत्पन्न कठिनाइयों का अध्ययन यहाँ अभिप्रेत है।

मूढ़ता—के लक्षणों में निर्लज्जता, लापरवाही, निर्दयता, किसी के साथ मिलाप न रखना प्रमुख हैं।^१ मूढ़ता के परिणामस्वरूप व्यक्ति लाभप्रद को त्याग हानिप्रद को ग्रहण कर

१ कुरल ४६०।

२ कुरल ४६७, ४६४, ४६८।

३ कुरल ४६५।

तुलनीय देश श्रेयानिर्यके, स्थलगतो हि श्वा नक्र विकर्षति, निम्नगतो नक्र श्वानमिति।

—कौ० अर्थ० ६।१३५-१३६।१।३।

एव, नक्र स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति।

स एव प्रच्युत स्थानाच्छूनापि परिभूयते ॥—महा०

४ कुरल ४६६, ५००।

५ कुरल ४६१, ४६६।

६ कुरल ८३३।

कैसा है।^१ सदाचरण के प्रतिकूल कर्म करने की अभिलाषा मूढ़ता से भी बढ़कर है।^२ अध्ययन, मनन एवं अध्यापन के उपरान्त भी स्वयं उसके अनुकूल आचरण न करना भी मूढ़ता ही है।^३ सदाचरण को न जानने वाला 'मूढ़' यदि किसी कर्म को प्रारम्भ करेगा तो वह अपूर्ण रह जायेगा, अन्यथा वह दण्ड का भागी होगा।^४ मूढ़ व्यक्ति को प्राप्त अतुल सम्पत्ति से दूसरे लोग तो आश्चर्यचकित होंगे, पर अपने लोग भूखे रहेंगे।^५ मूढ़ के साथ सैत्री अत्यन्त मधुर होती है क्योंकि वह टूटने पर दुःख नहीं देती।^६ मूढ़ व्यक्ति का बुद्धिमानों के मध्य प्रवेश मल-युक्त पंर को बोये बिना बीया पर रखने के समान होता है।^७

मूढ़ता के अतिरिक्त 'अहंकार' को भी वल्लुवर ने प्रबल दोष माना है। बुद्धिहीनता ही अहंकार है अतः बुद्धिहीनता को वल्लुवर बहुत बड़ा अभाव मानते हैं क्योंकि अन्य अभाव तो अभाव नहीं हैं।^८ यह बुद्धिहीनता क्या है? 'हम बुद्धिमान हैं'—इस भावना से उत्पन्न विक्षिप्तता को बुद्धिहीनता कहते हैं।^९ इस बुद्धिहीनता की कुछ अन्य स्थितियों का उल्लेख करते हुए वल्लुवर कहते हैं—अति रहस्यपूर्ण विषयो की रक्षा किये बिना उन्हें व्यक्त कर देना,^{१०} जिस विषय का अध्ययन न हो उस पर अज्ञाना अधिकार व्यक्त करना,^{११} स्वयं भी न जानना और समझाने पर भी न समझना,^{१२} प्रमुख रूप से बुद्धिहीनता का ही स्वरूप है। बुद्धिहीन को समझाना व्यर्थ है क्योंकि आप उसे समझा ही नहीं सकते, वह तो अपनी बुद्धि के ही अनुसार समझेगा।^{१३} यदि मानसिक विकृतिया प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है तो मूर्ख व्यक्ति का अपनी शारीरिक तन्यता को ढकने का क्या लाभ ?^{१४}

नीचता—कर्म शीर्षक के अन्तर्गत नीच व्यक्तियों का वर्णन हुआ है। मूढ़ व्यक्ति अपनी मूढ़ता के कारण क्षम्य हो सकता है पर नीच मूढ़ नहीं है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण एव अन्तर्निहित दोषों के कारण नीच समाज का सर्वाधिक दुर्बल अंग है। नीच व्यक्ति साधारण मनुष्यों जैसा ही तो होता है पर मन में चलने वाले कुचक्रों के कारण नीच कहलाता है।^{१५}

-
- १ कुरल ८३१।
 - २ कुरल ८३२।
 - ३ कुरल ८३४।
 - ४ कुरल ८३६।
 - ५ कुरल ८३७।
 - ६ कुरल ८३९।
 ७. कुरल ८४०।
 - ८ कुरल ८४१।
 - ९ कुरल ८४४।
 १०. कुरल ८४७।
 ११. कुरल ८४५।
 १२. कुरल ८४८।
 - १३ कुरल ८४९।
 - १४ कुरल ८४६।
 - १५ कुरल १०७१।

बल्लुवर ने ध्यान से नीच की तुलना देवता से की है,^१ क्योंकि नीच अपने से पतित व्यक्ति ही को देखकर स्वयं को उससे श्रेष्ठ मानकर गर्व का अनुभव करता है।^२ किसी के सुन्दर बस्त्रों अथवा भोजन इत्यादि का शोषान्বেषण करने वाले नीच हैं।^३ वे पिटने वाले ढोल के समान होते हैं क्योंकि स्वयं सुनी हुई गुप्त बात दूसरो को कह देते हैं।^४ वे तो विपत्ति के समय शीघ्र बिक जाते हैं।^५ इनका सदाचरण भय में निहित रहता है।^६ जिनके पास इनका जबाबा तोड़ने वाली मुट्टी नहीं होती, उन्हें तो यह हाथ की जूठन भी नहीं देते।^७ बुद्धिमान संकेत समझता है, पर नीच व्यक्ति तो गन्ने के समान घेले जाने पर ही लाभप्रव सिद्ध होते हैं।^८ नीच बुद्धिमानों से अधिक प्रसन्न रहते हैं क्योंकि हृदय को कचोटने वाली बुद्धि इनके पास नहीं होती।^९

सामाजिक संगठन के फलस्वरूप उत्पन्न दोष

प्रयोजनहीन सम्पत्ति—नन्ऱियल सेल्वम् के अन्तर्गत कवि ने सम्पत्ति-संग्रह को सामाजिक दोष के रूप में देखा है। सामाजिक भेदभाव के मूल में कर्म का प्रभाव मानने पर भी कवि अनावश्यक सम्पत्ति-संग्रह को एक अशुभ प्रवृत्ति के रूप में ग्रहण करता है। धन-संग्रह में मग्न, यश-इच्छा से रहित व्यक्ति पृथ्वी के लिए बोझ है।^{१०} जो देता नहीं भोगता नहीं, उसके पास यदि करोड़ों भी हैं तो व्यर्थ ही है।^{११} ऐसे मनुष्य तो विशाल सम्पत्ति के लिए व्याधि-सदृश हैं।^{१२} अद्भुत सौन्दर्ययुक्त रमणी निरन्तर एकाकी रहकर अपने यौवन को व्यतीत कर वृद्धा हो जाए, यही स्थिति निर्धन को धन न देने वाले कृपण की सम्पत्ति की है।^{१३} नगर के मध्य में लगा विषवृक्ष सबका अहित करता है उसी प्रकार किसी की सहायता न करने के कारण हुए अप्रिय व्यक्ति की सम्पत्ति है।^{१४} इस प्रकार के कृपण व्यक्ति की मानसिक-वृष्टि सीमित हो जाती है, वह दूसरो से प्रेम करना छोड़ स्वयं को कष्ट में डालता है, धर्म-मार्ग का भी अनुसरण नहीं करता। बल्लुवर तो यह मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति का भोग दूसरे ही करेंगे।^{१५}

- १ कुरल १०७३।
- २ कुरल १०७४।
- ३ कुरल १०७६।
- ४ कुरल १०७६।
- ५ कुरल १०८०।
- ६ कुरल १०७५।
- ७ कुरल १०७७।
- ८ कुरल १०७८।
- ९ कुरल १०७२।
१०. कुरल १००३ तुलनीय भर्तृहरि वैराग्यशातक, २३।
११. कुरल १००५।
१२. कुरल १००५।
- १३ कुरल १००७।
- १४ कुरल १००८।
१५. कुरल १००६।

सम्पत्ति का सग्रह किया पर न तो उसका भोग किया और न उसका वितरण किया तो ऐसे मनुष्य ने जीवन में प्राप्त ही क्या किया ?^१ पर कुछ लोग यह मानकर कि सम्पत्ति से सब कुछ सम्भव है, उसके सग्रह में ही सतुष्ट होकर एक विचित्र मादकता का अनुभव करते हैं, तिरुवल्लुवर के अनुसार इस प्रकार के लोगों को इस जीवन के उपरान्त भी तुच्छ-जन्म प्राप्त होगा।^२

सम्पत्ति का अनुचित ढंग से सग्रह करने के साथ साथ यदि उसकी निरन्तर रक्षा की कामना भी मनुष्य के हृदय में विकसित हो जाये तो स्थिति और भी कठिन हो जाती है। सग्रहीत सम्पत्ति यदि जन-कल्याण एवं लोक-सग्रह की भावना से सद्कार्यों में व्यय की जाये तो उचित रूप से सग्रहीत सम्पत्ति के प्रति किमी का भी रोप न हो। यह समस्या कृपणता एवं सम्पत्ति को स्वकार्यों तक सीमित करने की दृष्टि का परिणाम है। आर्थिक सघर्ष के इस युग में तिरुवल्लुवर एवं कबीर द्वारा दर्शाया गया मार्ग आज भी दिशा-निर्देश कर रहा है। कबीर तो सचित करने के ही पक्ष में नहीं हैं। वे तो इस जन्म को ससार की यात्रा मानते हैं, अन्त में यहाँ से जाना ही है, अतः वे 'थोरे दिन की का धन करना'^३ की बात कहते हैं। कोटि ध्वजाओं एवं हाथियों के स्वामी राजा यदि कृपण हैं तो उनका धन व्यर्थ है।^४ तिल-तिल करके जोड़ने के उपरान्त भी यह माया अन्त समय किसी प्रयोजन को सिद्ध नहीं करती।^५ कृपण की सम्पत्ति व्यर्थ ही सचित पड़ी रह जाती है, परन्तु यह मुग्ध होकर उसे अपनी समझता है। अन्तकाल में क्षण भर में ही यह ससार त्यागना पड़ जाता है।^६ धन का सचय व्यर्थ है, इसका कोई लाभ नहीं होगा—इस विषय में कबीर की धारणा अत्यन्त स्पष्ट है।^७ ससार में इम विषय में सबसे अधिक प्रबल प्रमाण मधुमक्खी का है, वह अपनी समग्र शक्ति से निरन्तर मधु सग्रह करती है, पर उसका भोग नहीं कर पाती।^८ धन का यह मोह एवं सग्रह करने की प्रवृत्ति मनुष्य के सुख-चैन का नाश कर उसके मानसिक सतुलन को बिगाड़ देती है। वह 'हावडि-धावडि'^९ में जन्म व्यर्थ कर देता है। जहाँ-जहाँ धन होता है अथवा मिलने की सम्भावना होती है, वहाँ भागता है, सग्रह कर लेने पर उसी को देख कर, गिन कर आनन्दित होता है।^{१०} पर यह तो व्यर्थ है

१ कुरल १००१।

२ कुरल १००२।

३ कबीर ग्रथावली, पृ० ६२।

४ कोटि धज साह हस्ती बध राजा, क्रिपण को धन कौनै काजा।—वही, पृ० ६२।

५ तिल-तिल करि यहू माया जोरी, चलती बेर तिणा ज्यू तोरी।—वही।

६ साची रही सूम की सपति, मुगध कहै यहू मेरी।

अत काल जब आइ पहुँता, छिन मैं कीन्ह न बेरी।—वही, पृ० ६३।

७. कहै कबीर सुनहु रे सती, धन सच्यो कछु सगि न गयो।—वही, पृ० १२७।

८ (क) मधुमाषी धन सग्रहै, मधुवा मधुले जाई रे।

गयो-गयो धन मूढ़ जना फिरि पीछै पछिताई रे।—वही, पृ० ६८।

(ख) ज्यू माषी मधु सचि करि, जोरि-जोरि धन कीनो।

मूये पीछै लेहु-लेहु करि, प्रेत रहन क्यू दीनू।—वही, पृ० १२६।

९ वही।

१०. जहाँ जहाँ दाम तहा तहा मन धावे, अगुरी गिनतां रैन बिहावै।—वही, पृ० १२६।

क्योंकि इस खीच से वह असूक्ष्म प्रश्न को बूझा कर देता है ।^१ इसी विषय में यह भी समझने की बात है कि स्वर्ग के मार्ग पर सभी जाते हैं, पर अपने शीघ्र पर धन की गंठरी साथ नहीं ले जाते ।^२ धन-संग्रह का सुख बूझा है, अतः इसके लिए गर्भ भी बूझा है ।^३ कबीर तो बार-बार कहते हैं कि जिन्होंने धन साधित किया वे पछताते हैं, इसके कारण अनावश्यक गर्भ का परिणाम और भी संभ्रंकर है, मूल सत्य तो यह है कि 'धन माया कछू संगि न गया ।'^४

दरिद्रता—दरिद्रता मनुष्य को कठिन धरातल पर लाकर खड़ा कर देती है । यह रोग अकेला नहीं आता अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ इसके साथ स्वयं उपस्थित हो जाती हैं ।^५ यदि यह प्रश्न किया जाये कि दरिद्रता के समान से दुःखप्रद और क्या है ? तो यही कहना होगा कि दरिद्रता के समान दुःखदायी पदार्थ तो दरिद्रता ही है ।^६ दरिद्रता से इस जन्म के तथा भविष्य जन्मों के सुख भी लुप्त हो जाते हैं ।^७ आग में तो कोई भी सो सकता है पर दरिद्रता में कोई किसी प्रकार भी आश्रय बन्द कर सो नहीं सकता ।^८ दरिद्र के लिए तो प्रत्येक दिवस एक भयकर आपदा के समान है ।^९ श्रेष्ठ विषय पर विशिष्ट चिन्तन के उपरान्त भी दरिद्र का कथन निष्प्रभाव ही ठहरेगा ।^{१०} दरिद्र व्यक्ति के प्रति माता का व्यवहार भी परिवर्तित हो जाता है ।^{११} दरिद्र यदि चाहे कि योग्य वस्तुओं के अभाव में सन्यास ग्रहण कर ले तो यह भी सम्भव नहीं क्योंकि नमक और सूखी रोटी के अभाव में सन्यास भी कहां भिलता है ?^{१२}

याचना—दरिद्रता के फलस्वरूप याचना की स्थिति उत्पन्न होती है । मुक्त हृदय, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के सम्मुख खड़े होकर याचना करने में भी एक आनन्द है^{१३} और संसार में

१ प्राणी काहै कै लोभ लागी, रतन जनम खोयो ॥—कबीर श्यावली, पृ० १२६ ।

२ सरग के पथि जात सब लोई, सिर धरि पोट न पहुँच्या कोई ॥—वही ।

३ उपजै बिनसै जाइ बिलाई, सपति काहू कै संगि न जाई ।

धन जोवन गरव्यौ ससारा, चहुतन जरि बरि ह्वै है छारा ॥

—वही, पृ० १३५ ।

४ (क) जिनि धन सच्या सो पछिताना, साथी चलि गये हम भी जाना ॥

—वही, पृ० १५८ ।

(ख) कहा नर गरबसि थोरी बात ।

मन दस नाज, टका दल गठिया टेढी टेढी जात ।

कहा लै आयो यहू धन कोऊ, कहा कोऊ लै जात ॥—वही, पृ० १६७ ।

और देखें, वही, पृ० ६१, ६२, १४६, १४७, २३५ इत्यादि ।

५ कुरल १०४५ ।

६. कुरल १०४१ ।

७ कुरल १०४२ ।

८. कुरल १०४६ ।

९ कुरल १०४८ ।

१० कुरल १०४६ ।

११ कुरल १०४७ ।

१२ कुरल १०५० ।

१३. कुरल १०५३ ।

ऐसे मनुष्य क्योंकि विद्यमान हैं, इसी लिए याचना करने वाले याचना-प्रवृत्ति में लीन हैं।^१ निन्दा किये बिना दान करने वालों को देख कर याचक का हृदय आनन्द प्राप्त करता है।^२ बिना दुःख के यदि याचित वस्तु प्राप्त हो जाये तो याचक के लिए यह आनन्द का कारण बनता है।^३ याचक याचना तभी करे जब याचना के योग्य व्यक्ति दिखें, यदि वे छिपायें तो निन्दा के पात्र याचक नहीं, छिपाने वाले हैं।^४ जो याचित वस्तु स्वप्न में भी नहीं छिपाते उनसे याचना करना दान देने के समान सुखप्रद होता है। याचक न होते तो यह महान लोक कठपुतली के नृत्य से अधिक आनन्दप्रद न होता। याचना करने वालों से ही तो दानियों को यश की प्राप्ति होती है। दान न मिलने पर याचक किसी पर क्रोध न करे क्योंकि वह अपनी स्थिति से अन्य की स्थिति की भी कल्पना कर सकता है।^५

याचना-विषयक अशो को पठकर यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि तिरुवल्लुवर कर्म में प्रबल आस्था के पोषक नहीं। वल्लुवर वास्तव में याचना को हेय और त्याज्य मानते हैं, पर सामाजिक जीवन के सत्य को झूठलाया भी नहीं जा सकता। वास्तव में याचना अन्तिम स्थिति है एवं यह स्थिति प्रबल दुःखप्रद है। वल्लुवर परिश्रम के महत्त्व की स्थापना करते हुए कहते हैं—“चाहे सूखी रोटी ही क्यों न हो, परिश्रम के स्वर्जित भोजन से मधुर और कुछ नहीं।”^६ ‘याचना की भयकरता’ (इरवच्चम्) शीर्षक से कवि ने यह भाव व्यक्त किया है कि यदि सृष्टि-कर्ता यह चाहता था कि व्यक्ति भिक्षा माग कर भी जीवन बनाये रखे तो उसे चाहिए कि वह भिक्षुक के समान मटक कर नाश को प्राप्त हो।^७ अपने समस्त काव्य में वल्लुवर ने इतने कठोर वाक्य का अन्यत्र कहीं प्रयोग नहीं किया। इस सन्दर्भ में प्रयुक्त इस विचार का कारण भिक्षा-वृत्ति के परिणामस्वरूप मानव का सम्भावित पतन, मानसिक क्लेश और नैतिक दृष्टि से कटु अनुभव ही हैं। दानी बिना छिपाये, सप्रेम दान करे यह तो स्थिति का एक पक्ष है, पर छिपाये बिना, सप्रसन्न देने वाले से भी याचना न करना, याचना करने से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है, इस विचार का दूसरा और अधिक प्रबल पक्ष है। दरिद्रता के दुःख को याचना से दूर करने के अज्ञान से बढकर कोई अज्ञान नहीं। जीवन बनाये रखने के लिए कहीं स्थान न होने पर भी याचना न करने का सद्गुण सम्पूर्ण पृथ्वी की विशालता से भी श्रेष्ठ है।^८ चाहे गाय के लिए

१ कुरल १०५५।

२. कुरल १०५७।

३. कुरल १०५२।

४ कुरल १०५१, १०५४। तुलनीय महा० अनु० ५६।२, ५६।५, ६६।६०।

याचिता अपि केचित् तु न ददत्येव किंचन।

अभ्यसूयापरा मर्त्या लोभोपहतचेतसः ॥

—महा० अनु० १४५।

५ कुरल १०५८, १०५९, १०६०। तुलनीय दीनश्च याचते चायमल्पेनापि हि तुष्यति।

इति दद्याद् दरिद्राय कारुण्यादिति सर्वथा ॥

—महा० अनु० १३८।१०।

६ कुरल १०६५।

७. कुरल १०६२।

८ कुरल १०६१, १०६३ १०६४।

जल की ही याचना क्यों न हो, जिह्वा के लिए याचना से अधिक जिन्दास्पद और कुछ नहीं।^१

दरिद्रता में भी याचना नहीं करनी चाहिए, यह एक स्थिति है। यदि याचक याचना करे तो दान देना ही चाहिए यह दूसरी स्थिति है। 'याचना' नामक भाश्रयहीन नाव 'निषेध' नामक चट्टान से टकराने पर टूट जायगी।^२ याचना के विचार से हृदय द्रवीभूत होता है और निषेध के विचार से प्राप्त वस्तु तो नष्ट होती ही है, हृदय विदीर्ण हो जाता है।^३ याचक को 'नहीं' मत कहो क्योंकि 'नहीं' कहे जाने मात्र से याचक के प्राण चले जाते हैं तो वस्तु होते हुए भी छिपाकर निषेध करने वालों के प्राण कहां छिपे रहेंगे ?^४

तिरुवल्लुवर एव कबीर की अर्थ-विषयक मान्यताओं के अध्ययन के उपरान्त स्पष्ट है कि कबीर ने 'अर्थ' का सामान्य प्रचलित रूप ग्रहण किया और इसलिए उनकी तद्-विषयक दृष्टि सीमित रही। वल्लुवर ने 'अर्थ' को शास्त्रीय, परम्परागत विस्तृत अर्थ में ग्रहण किया फलतः उनके काव्य में राज्य एव अधिकारीवर्ग, प्रजा एव अनेक सम्बद्ध विषय स्वतः समाहित हो गए। जिन-जिन प्रसंगों में तुलनात्मक अंश उपलब्ध है, वहां तिरुवल्लुवर एव कबीर के दृष्टिकोण में, युग्मभेद होने पर भी, पर्याप्त साम्य है।



-
१. कुरल १०६६।
 २. कुरल १०६८।
 ३. कुरल १०६६।
 ४. कुरल १०७०।

तिरुवल्लुवर एवं कबीर के काव्य में 'काम' (इन्बम्) का तुलनात्मक अध्ययन

भारतीय परम्परा में 'काम' का विकास, धर्म-आधृत 'काम' की स्वी-कृति, 'काम' और मनोविज्ञान, वेद, उपनिषद्, महाभारत इत्यादि में 'काम', कामसूत्र में 'काम', 'काम' के व्यापक धरातल का स्पष्टीकरण। 'काम' का लौकिक एवं आध्यात्मिक पक्ष, संस्कृत-हिन्दी और तमिल साहित्य की शृङ्गार वर्णन पद्धति में अन्तर, तोल-काप्पियम् में वर्णित 'अहम्' और 'पुरम्'। अहम् के अन्तर्गत प्रेम के रूप (तिने)। तमिल-साहित्य में स्वीकृत परम्परागत विभाजन—-कुंरिजि, पालै, मुल्लै, मरुदम्, नेपुवल। प्रेम-सम्बन्धों का विभाजन विवाहपूर्व प्रेम (कलवु, पूर्वराग), विवाह सम्बन्ध स्थापित होने के उपरान्त का प्रेम (करपु, दाम्पत्य प्रेम)। तिरुवल्लुवर-काव्य में संयोग-शृंगार, नायक-नायिका का लौकिक प्रेम, प्राचीन काल में तमिल-प्रदेश की प्रेम-पद्धति का रूप, प्रथम दर्शन, पूर्वराग, संयोग, मान, प्रणयमान (पुलवि), ईर्ष्यामान, सौन्दर्यचेतना। कबीर-काव्य में संयोग, अलौकिक प्रतिपाद्य के लिए अप्रस्तुत रूप, शृङ्गार का आध्यात्मिक धरातल, प्रेम का रूप, प्रभाव; संयोग शृंगार के चित्र। वियोग-शृंगार, वियोग में ऐन्द्रियता के स्थान पर सूक्ष्म मानसिक-भाव। अग-असौष्टव, पाण्डुता, प्रवासजन्य विरह-वर्णन, स्वप्न, स्मरण, सध्या-समय की व्याकुलता, मान-भग। कबीर-काव्य में वियोग-शृंगार। प्रेम के दो रूप—(अ) अलौकिक आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत ऐहलौकिक प्रेम, (आ) प्रेम का मानवतावादी रूप (द्वितीय अध्याय का अग), परम्परागत शास्त्रीय दशाओं के क्रम-बद्ध विवेचन में अनाबद्ध। व्याकुलता, एकनिष्ठता एवं प्रेम का दुस्तर-मार्ग, त्याग की भावना; पतिव्रता एवं शूर का आदर्श; निष्कर्ष।

‘काम’ का अर्थ एवं विकास

भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में चार पुरुषार्थ माने गए हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य जीवन का लक्ष्य अथवा सफलता इन्हीं चारों पुरुषार्थों में पर्यवसित हो जाती है। भौतिक जीवन के पोषण, संरक्षण, सर्वार्थन तथा सामाजिक जीवन के निर्वाह का अध्ययन ‘अर्थ’ के अन्तर्गत होता है। सामाजिक जीवन की व्यवस्था का आधार धर्म है, बुद्धि की सन्तुष्टि भी धर्म द्वारा होती है। काम का लक्ष्य मनस्तुष्टि करना है। मानव-मात्र के लिए ये अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। “जिस प्रकार धर्म से बुद्धि का सम्बन्ध है, उसी प्रकार शरीर का अर्थ से, मन का काम से और आत्मा का मोक्ष से सम्बन्ध है। इन्हीं अर्थ, धर्म, काम में मनुष्य के जीवन, रति, मान, ज्ञान, न्याय आदि की समस्त कामनाओं का समावेश होता है। तात्पर्य यह है कि जीवन की अभिलाषा अर्थ में, स्त्री पुत्र आदि की काम में, यश, ज्ञान और न्याय की धर्म में और परलोक की कामना मोक्ष में समाविष्ट हो जाती है।”^१

प्राचीन काल से ही हमारे देश में धर्मपूर्वक अर्थ और काम ग्रहण करना मानव जीवन का निर्दिष्ट लक्ष्य रहा है। सिद्धान्त और व्यवहार रूप में काम को मर्यादित करके उसे जीवन के विशिष्ट अंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई। वैशेषिक दर्शन ने ‘यतोऽम्बुदय नि श्रेयस-सिद्धि स धर्म’ कहकर धर्म के द्वारा अर्थ और काम समन्वित लौकिक सुख और मोक्ष-सम्बन्धी पारलौकिक आनन्द-प्राप्ति की स्थापना की है।

“इन्द्रिय भोग और एषणाओं के दृष्टिकोण से काम शब्द का अर्थ अधिक व्यापक हो जाता है। प्राकृत आवेग (Natural Impulses), मूल प्रवृत्तियाँ (Instincts), मानव-एषणाएँ (Desires of Man) और मन की प्राकृतिक-मानसिक प्रवृत्तियाँ (Natural Mental Tendencies) काम के अन्तर्गत आ जाती हैं। काम में वे सभी धारणाएँ आ जाती हैं जिन्हें आधुनिक समाज-मनोविज्ञान में अभिलाषाओं (Desires), प्रेरकों (Motives), आन्तरिक उद्दीपनों (Urges) या चालकों (Drives) की धारणाओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है।”^२ इस प्रकार काम से तात्पर्य मानव की आधारभूत जैविक आवश्यकताओं और एषणाओं से है जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। कामतृप्ति बाह्यनीय है, क्योंकि इसके बिना सृष्टि ही सम्भव नहीं है। काम की एक पुरुषार्थ के रूप में कल्पना से यह स्पष्ट है कि भारतीय विचारधारा कामएषणा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति को जीवन की आवश्यकता मानती है।

पुरुष स्त्री के स्वभाविक प्रकृत आकर्षण को काम का साधन माना गया है। इसी की एक अभिव्यक्ति दाम्पत्य-जीवन अथवा गृहस्थ के रूप में होती है। इसी आकर्षण को आध्या-

१. कामसूत्र—अनु० देवदत्त शास्त्री, पृ० ३।

२. भारत में समाजशास्त्र और संस्कृति—गौरीशंकर भट्ट, पृ० २५३।

निर्बल दृष्टि से देखकर आदि पुरुष और आदि शक्ति की, शरीर तथा आत्मा की प्राकृतिक-सौखा का अर्थ प्रदान किया गया। साहित्य में इसी शृङ्गारिकता का वर्णन एक और प्राकृतिक प्रेम को अभिव्यक्ति प्रदान करता है तो दूसरी ओर आध्यात्मिक प्रतीक-अर्थ से रहस्यात्मक धारणाओं को अपने में सजोये हुए है।

लौकिक अर्थ में 'काम' सामाजिक मर्यादा में बंध गृहस्थ तक सीमित हो जाता है। वेद में पति और पत्नी का पारस्परिक सम्बन्ध मधुर और सौहार्दपूर्ण चित्रित किया गया है। दाम्पत्य की एकनिष्ठा धर्माविरोध काम की स्थापना करती है। अथर्ववेद में पति पत्नी के प्रीति कामना करता है—'जिस प्रकार लता वृक्ष को, सब ओर से चिपट जाती है, उसी का आश्रय लेती है, इसी प्रकार हे स्त्री! मुझ पति को तू मेरी धर्मपत्नी प्रेम से सब प्रकार से आलिंगन कर और मेरा आश्रय ले। ऐसा व्यवहार कर कि तू जिस प्रकार से हो मुझे ही अनन्य चित्त से चाहने वाली बनी रह जिससे मुझे छोड़ कर दूर जाने वाली न हो।^१ प्रियतमा को हृदय में बसाने की कामना करते हुए कहा गया है—हे प्रियतमे, मैं हृदय में लगी, हृदय में बसी तुझको अपनी भुजा पर चिपटाऊँ, तुझे बाहु से आलिंगन करूँ जिससे तू मेरे हृदय की इच्छा के भीतर रहे और मेरे चित्त में आकर बसे।^२ पति के साथ रमण कर प्रजा को उत्पन्न करने का उपदेश देते हुए अर्धववेद का कथन है—हे नववधू, तू शुभ चित्तवाली होकर सेज पर चढ़। इस पति के लिए प्रजा की उत्पन्न कर। तू परमेश्वर की परम शक्ति के समान है, तू उत्तम ज्ञान-सम्पन्न होकर, ताराओं वाली उषाओं में ही सचेत होकर प्रतिदिन जागा कर।^३

वेद में काम-सम्बन्धी अनेक अंशों में से कुछ उल्लेखनीय अंश इस प्रकार हैं—

देवा अग्ने न्यपद्यन्त पत्नी समस्पृशन्त तन्वस्तनूभिः ।

सूर्यैव नारि विश्वरूपा महिस्त्वा प्रजावती पत्या स भवेह ॥^४

पूर्व काल में विद्वान् लोग अपनी पत्नियों के साथ एक सेज पर सोते रहे हैं और अपने शरीरों को अपनी स्त्रियों के शरीर के साथ स्पर्श करते रहे हैं। हे स्त्री तू, परमेश्वर की उत्पादक शक्ति के समान ही अपनी महिमा से नाना सामर्थ्यवती होकर, प्रजा से सम्पन्न होकर, इस गृहस्थ लोक में पति के साथ मिलकर सन्तान उत्पन्न किया कर।

तां पूष छिवतमामेरयस्व यस्या बीज मनुष्या बपन्ति ।

या न ऊरू उवाति विश्रयाति यस्यामुशन्त प्रहरेम शेष ॥^५

हे पोषक पति! तू उस प्रियतमा, अति कल्याणकारी स्त्री को प्राप्त कर, जिसमें मनुष्य अपना बीज बोते हैं। जो स्त्री कामना करती हुई हमारे लिए अपनी दोनों जबाएँ खोल

१. यदा वृक्ष लिबुजा समन्त परिष्वज ।

एवापरिष्वजस्व मा यथा मा कामिन्यसो यथा मन्नापना अस ॥ —अथर्व० ६।८।१ ।

२. मम त्वा दोषणिश्रिण कृणोमि हृदयश्रिषम् ।

यथा मम ऋतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ —बही, ६।६।२, और देखें, ६।६।१ ।

३. आ रोहू तल्प सुमनस्यमानेह प्रजा जनय पत्ये अस्मी ।

इन्द्राणीव सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिरया उषस प्रतिजागरासि ॥

—बही, १।४।३१ ।

४. अथर्व०, १।४।३२ और देखें २।३।२ ।

५. ऋग्वेद, १०।८५।३७। अथर्व० १।४।३८ ।

देती है और जिसमें हम कामना करते हुए प्रसन्न जन्म को प्रवेश करते हैं ।

या रोहीरमुप धस्त्वं हस्तं परि व्वजस्व भायां सुमनस्यवान् ।

प्रजां कृत्वाधाभिह मोदमानो दीर्घं वामायुं सखित्वा कृणोतु ॥^१

हे पुरुष ! अपनी पत्नी की जंघा पर बद्ध ! अपने हाथ की उसके सिरहाने के समान लगा दे और शुभ वित्तवाला होकर अपनी स्त्री का आलिंगन कर । हे स्त्री-पुरुषो ! गृहस्थ में परस्पर प्रसन्न रहते हुए, आनन्द-विनोद करते हुए तुम दोनों उत्तम सन्तानोत्पत्ति करो । सब संसार का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर तुम दोनों की दीर्घ आयु करे । ‘काम’ से होने वाली विशिष्ट पीड़ा एवं मानसिक दशा का अभूतपूर्व चिह्न अर्थात्वेद में उपलब्ध होता है । हे मेरी प्रियतमे ! कामदेव उस कामना-रूप बाण को व्यथा-रूप पंखों से सजाकर, परस्पर अभिलाषा का घाल्य लगाकर, उनको नाना सकल्प-विकल्पो की लेस से चिपकाकर और उसको उत्तम-रीति से भुकाकर स्मरदेव तुम्हें हृदय में ताडे ताकि तू एक मात्र मुझे ही चहे ।^२

वेद का ऋषि कामना करता है कि सुखकारी सेज से जागकर उठते हुए, परस्पर हँसी विनोद-युक्त होकर, तेज तथा बल से परस्पर आनन्द-विनोद करते हुए उत्तम इन्द्रियों (अथवा गायों) से सम्पन्न, उत्तम पुत्रो से युक्त और उत्तम गृह से सम्पन्न होकर वर-वधू दोनों सुख से जीवन व्यतीत करें ।^३ अन्यत्र अनेक स्थलो में भी आनन्द युक्त गृहस्थ-जीवन का उल्लेख आया है—हे परमेश्वर ! इन दोनों चकवा-चकवी के समान प्रेम में बधे (चक्रवाकेव दंपती) पति-पत्नी भाव से मिले हुए जोड़े को प्रेरणा करें कि वे दोनों उत्तम घर में रहते हुए अपनी प्रजा सहित पूर्णायु को नाना प्रकार से भोग प्राप्त करें ।^४ जीवन में ‘काम’ के महत्त्व से वैदिक ऋषि पूर्ण रूपेण परिचित है । विभिन्न प्रसंगों में पुरुष-स्त्री सम्बन्धों का विस्तृत विवेचन तो हुआ ही है, इसका अत्यन्त काव्यमय वर्णन, जीवन में काम की स्वीकृति का उद्घोष करता है । “जिस प्रकार युवा स्त्री भली प्रकार मुस्कुराती हुई, विशेष गुणों से प्रकाशित होती हुई अपने पति के समक्ष बाहुमूल आदि अंगो को प्रकट करती है ।”^५ “उषा के समान शोभावती नव-वधू निकट देखी जावे । जिस प्रकार शुन्ध्यु नाम का जलचर, बतक, हंस आदि अपने वक्ष-स्थल उन्नत कर चलते हैं उसी प्रकार कन्या भी उन्नत वक्ष स्थल वाली (पूर्ण युवती) हो ।

१. अथर्व० १४।२।३६।, और देखें—वही, १४।२।३७ ।

२. आधीपर्णो कामशल्यामिषुं सकल्पकुलमलाम् ।

ता सुसन्नतां कृत्वा कामो विध्यतु त्वा हृदि ॥

—अथर्व०, ३।२५।२ ।

३. स्योनाद्योनेरधि बुध्यमानो हसामुदो महसा मोदमानो ।

सुगु सुपुत्री सुगृही तराथी जीवावृषसौ विभाती ॥ अथर्व०, १४।२।४३।

४. इह्येमाविन्द्र स मुद चक्रवाकेव दपती ।

प्रजयन्ती स्वस्तको विश्वमायुष्यश्नुताम् ॥ वही, १४।२।६४।

और देखें— या जामयो वृष्ण इच्छन्ति शक्तिं नमस्यन्तीर्जानतेगर्भमस्मिन् ।

—वही, ५।५।७।१।

५. सस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविर्ब्रवीसि कृणुषे विभाती ॥

ऋषिदे, २।१।१२।१०।

स्तुतिशील विद्वान् जिस प्रकार उत्तम प्रिय वचनों का प्रकाश करता है, उसी प्रकार वधू भी हृदय को प्रिय वचने वाले गुणों और वचनों का प्रकाश करे ..^१ इत्यादि अनेक प्रसंग ब्रह्म कवचन की पुष्टि करते हैं। आदर्श गृहस्थ की स्थापना के मूल में काम की शक्ति का ऋग्वेद में अनेक प्रसंगों में उल्लेख हुआ है। सृष्टि के पूर्व वह मन से उत्पन्न होने वाली इच्छा के समान एक कामना ही सर्वत्र विद्यमान थी, जो सबसे प्रथम इस जगत् का प्रारम्भिक बीजवत् थी।^२

काम एक प्रबल क्षमतायुक्त मन शक्ति है जो 'भौतिक कार्यों में प्रकट होकर तथा अन्तःकरण की मानसी क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त हो कर दो भागों में बट जाती है। यही शक्ति चैतन्य के रूप में और कभी भौतिक शक्ति के रूप में प्रकट हुआ करती है। . मन की मूल वासनाएँ ही मूल प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। समस्त वासनाओं या मूल प्रवृत्तियों का यदि वर्गीकरण किया जाए तो वितेषणा, वारेषणा और लोकेषणा इन तीन ही भागों में सभी वासनाओं या मन की मूल प्रवृत्तियों का समावेश हो जाता है।^३

सृष्टि के आदि में एकाकी ब्रह्म ने भी सकल्प किया था—“एकोऽहं बहुस्याम्”। एक से अनेक होने की इच्छा ही अपूर्णता से पूर्णता की ओर अग्रसर करती है। बृहदारण्यक में उल्लेख है—अकेलेपन में आनन्द प्राप्त न कर उसने दूसरे की कामना की—स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमच्छत् ! काम की इच्छा आदि-शक्ति है।^४ बृहदारण्यकोपनिषद् में इसका उल्लेख आया है—

‘आत्मैवेवमग्र आसीत्पुरुषविच सोऽनुचीदय मान्यदात्मनोऽपश्यत्सोऽहमस्मीत्यग्रं व्याबहारसतोऽहं नामाभवत्’^५।

वह रममाण नहीं हुआ। इसी से एकाकी पुरुष रममाण नहीं होता। उसने दूसरे की इच्छा की, वह जिस प्रकार परस्पर आलिंगित स्त्री और पुरुष होते हैं, वैसे ही परिमाण वाला हो गया। उसने इस अपने देह को ही दो भागों में विभक्त कर डाला। उससे पति और पत्नी हुए।^६ एक से अनेक होने की कामना का अन्यत्र भी उल्लेख आया है तैत्तिरीय उपनिषद् में ‘सोऽकामयत्। बहुस्यां प्रजायेयेति’^७ एव छान्दोग्योपनिषद् का ‘तदक्षत बहु स्या प्रजायेयेति तत्सोऽसृजत्।’^८ इत्यादि अनेक प्रसंगों से सृष्टि के मूल में ‘कामना’ का स्थान स्वप्रमाणित ही है। ‘पुरुष काममय है, उसका रूप, उसकी शक्ति, उसकी प्रकृति, काम ही है।’^९ शरीर धारी जीव का सुख-दुःख इन्द्रियों के विषयों के द्वारा होता है, अतः प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त

- १ उपो अर्दशि शुन्धुवो न वक्षो नोधा इवाविरकृत प्रियाणि ॥ —ऋग्वेद, २।१।१२।४।
- २ कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत प्रथम यदासीत् ॥ —वही, १०।१२६।४।
- ३ कामसूत्र, अनु० देवदत्त शास्त्री, पृ० ७।
- ४ बृहदारण्यक०, १।४।३।
- ५ वही, १।४।१।
- ६ स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमच्छत्। स हैतावानस यथा स्त्री पुमाँसौ सम्परिष्वक्तौ स इमभेवात्मान द्वेषापातयत्तत पतिश्च पत्नी चाभवता ।।
—बृहदारण्यक०, १।४।३।
- ७ तैत्तिरीय०, २।६।
- ८ छान्दोग्य०, ६।२।३।
- ९ पुरुषार्थ—डा० भगवानदास, पृ० १८३।

मनुष्य के लिए काम स्वाभाविक प्रकृत प्रवृत्ति के रूप में हमारे समझ आता है। धर्म का एक काम और इन सबका मूल सकल्प 'विषयों' का होता है। अतः जीवन का यह विषय-कासना पक्ष निश्चय ही विशिष्ट हुआ।^१

काम के विस्तृत एवं मर्मभेदी प्रभाव से विभिन्न शास्त्र पूर्णरूपेण परिचित हैं। महा-भारत में उल्लेख आया है—

सनातनो हि संकल्प काम इत्यभिधीयते,
सकल्पाभिरक्षि' काम' सनातनतमोऽभवत् ।
जगत्पतिर् अनिर्देश्य सर्वग सर्वभावन..
हृच्छय. सर्वभूताना, ज्येष्ठो ह्यद्रादपि प्रभु ॥^२

मनस् का, चित्त का, जीवत्व का, संसार का रेतस्, बीज, 'काम' परमात्मा के 'निष्काम' हृदय में सदा, सबके आगे वर्तमान है। धर्मानुकूल काम के समर्थन में महाभारत में स्पष्ट किया गया है कि गृहस्थ-धर्म में त्रिवर्ग के बीच परस्पर कोई विरोध नहीं है। एकमात्र पतिव्रता भार्या की सहायता से पुरुष धर्म, अर्थ एवं काम रूप 'त्रिवर्ग' का एक साथ उपभोग कर सकता है।^३ महाभारत में अत्यन्त मार्मिक उल्लेख है—“मैं ऊर्ध्व बाहु होकर स्पष्ट शब्दों में घोषणा करता हूँ कि धर्म से ही अर्थ व काम की उत्पत्ति होती है, लेकिन किसी ने कर्णपात तक नहीं किया।”^४

ऋषि वात्स्यायन ने कामसूत्रम् के प्रथम छन्द में ही धर्म, अर्थ और काम को नमस्कार किया।^५ काम का लक्षण बताते हुए वात्स्यायन कहते हैं—

श्रोत्र त्वक्चक्षुर्जिह्वाघ्राणाणामात्मसयुक्तेन मनसाधिष्ठिताना स्वेषु स्वेषु विषयेष्वानु-
कूल्यत प्रवृत्ति काम ॥^६

अर्थात् कान, त्वचा, आँख, जिह्वा, नाक—इन पाँच इन्द्रियों की इच्छानुसार शब्द, स्पर्श, रूप रस और गंध अपने इन विषयों में प्रवृत्ति ही काम है। काम की व्यावहारिक व्याख्या करते हुए वह चुम्बन, आलिंगन आदि प्रासंगिक सुख के साथ कपोल, स्तन, नितम्ब आदि विशेष अंगों के स्पर्श करने से आनन्द की फलवती प्रतीति को काम में समाहित करते हैं।^७ पर यहाँ यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कामसूत्र का रचनाकार भी धर्म, अर्थ और काम इन तीनों की सहति में

१. धर्ममूलोऽर्थ इत्युक्त कामोऽर्थफलमुच्यते ।

सकल्पमूलास्ते सर्वे, सकल्पो विषयात्मक ॥

—महा०, (पुरुषार्थ—डा० भगवानदास, पृ० २१०)

२ पुरुषार्थ—डा० भगवानदास, पृ० १८२

३ यदा धर्मश्च भार्या च परस्परवशानुगौ ।

तदा धर्मार्थकामाना त्रयाणामपि सगम ॥—महा०, वन०, ३१२।१०२ ।

४ ऊर्ध्वबाहु विरौम्येष नहि कश्चित् शृणोति माम् ।

धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्म कि न सेव्यते ॥—महा०, स्वर्गा० ५।६३ ।

५ धर्मार्थकामेभ्यो नम ।

६ कामसूत्रम्, १।२।११ ।

७. स्पर्शविशेषविषयास्त्वस्याभिमानिकसुखानुविद्धा । फलवत्यर्थप्रतीतिः प्राधान्यात्काम ॥

—कामसूत्रम्, १।२।१२ ।

काम से खेपठ धर्म को और अर्थ से खेपठ धर्म को मानता है।^१ केवल कवीर की तृप्ति-मात्र ही खेपठ नहीं है। ज्ञान-विवेक विचार द्वारा धर्म-सम्मत काम की स्वीकृति गीता में भी है—
'धर्माविरुद्धोऽसृतेषु कामोऽस्मि मरतधर्म'।

स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही काम 'धर्म' का प्रमुख अंग था और 'धर्म' में काम की यथेष्ट प्रतिष्ठा थी। ब्रह्मवैवर्त-पुराण में राधा और कृष्ण की अद्भुत, अलौकिक लीलाओं के प्रसंग में 'काम' का व्यापक चित्रण हुआ है। इसी प्रकार के अनेक अन्य स्थलों की प्रतीकात्मक माना जाने पर भी उसमें निहित लौकिक तत्त्व निश्चय ही महत्त्वपूर्ण है। प्रवृत्ति-भारतीय जीवन-दर्शन में गृहस्थ की मर्यादा में काम की तृप्ति स्वाभाविक आवश्यकता के रूप में अनुभव की गई अतः काम को जीवन का अंग मानकर उसकी स्वीकृति हुई।

व्यावहारिक जीवन में काम की अभिव्यक्ति स्त्री और पुरुष के पारस्परिक आकर्षण और उससे उत्पन्न प्रेम के अन्तर्गत होती है। साहित्य में वर्णित प्रेम इससे अभिन्न है। ऐंद्रिय सुख के लिए नियंत्रण की आवश्यकता का ज्ञान होने पर तर्क और इच्छा-शक्ति द्वारा इन्द्रिय-नियंत्रण कर इनसे जीवन को सुखी और पूर्ण बनाने के प्रयास की निरन्तर स्वीकृति हुई है। यह अनुभव होने पर मानव जीवन को अधिकाधिक सुखी और प्रसन्न रखने के लिए मनुष्य 'स्व' को तो नियंत्रित करता ही है, समाज और परिस्थितियों के साथ भी समझौता करता है। समाज का समग्र आर्थिक विकास एवं औद्योगीकरण तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के मूल में यही 'काम' कार्यरत है। 'कामायनी' का कवि इस सत्य से पूर्ण रूपेण परिचित है—

आकर्षण से भरा विश्व यह
केवल भोग्य हमारा,
जीवन के दोनो कूलो में
बहे वासना धारा ।^२

'कामायनी' की श्रद्धा 'काम' के विस्तृत धरातल, काम को तिरस्कृत करने से लोक-जीवन की असफलता से परिचित है—

काम मगल से मडित श्रेय
सर्ग, इच्छा का है परिणाम,
तिरस्कृत कर उसको तुम भूल
बनाते ही असफल भवधाम ॥^३

काम के परिणामस्वरूप 'उद्दाम लालसा', 'तीव्र उन्माद' 'मथने वाली पीड़ा' 'मधुर विरक्ति भरी आकुलता', मादकता से युक्त 'तरल वासना' के होते हुए भी 'अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ'^४ का भाव 'काम' के विस्तृत धरातल की व्याख्या है।

हमारे विवेक्य कवि तिरुवल्लुवर के काव्य में इस धर्म-सम्मत काम की ही अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने गृहस्थ की परिधि में, सासारिक सुख प्राप्ति के लिए 'काम' खण्ड (कामसु-पाल) में इस विषय का विस्तृत वर्णन किया है।

१. एषां समवाये पूर्वं पूर्वो गरीयान् ॥—कामसूत्रम्, १।२।१४।

२. कामायनी, पृ० १२८।

३. वही, पृ० ५३।

४. वही, पृ० १३२।

अर्थ-विषय

गुप्त-प्रेम (कल्विणल्) के अन्तर्गत प्रथमवर्धन, संकेत-परिषय (कुरिप्परिणल्), भिन्न-सुख (पुणर्बिन्ध महिन्द्रल्), सौन्दर्य-प्रशंसा (नलम्बुनैन्दुरैतल्), प्रेम की महिमा (कास्वल् विरप्पुरैसल्), इत्यादि के उपरान्त गुप्त-प्रेम के प्रवाद की चर्चा (अल्लर अरिक्कस्तल्) का वर्णन है। पातिकात्य (कर्पियल्) के अन्तर्गत बसह्म वियोग (पिरिवु आट्टामै) विरहिणी का विलाप (पडर् भेलिदिरंगल्), वेदनापूर्ण नेत्र (कण्विवुप् अरिदल्) इत्यादि अनेक अध्यायों में विरह का विस्तृत वर्णन हुआ है। अतः में प्रिय-भिलन होते पर मान-भंग (निरैयळितल्), प्रणय-कलह (पुलवि), प्रणय-कलह की सूक्ष्मता (पुलविनुणुवकम्) एवं प्रणय-कलह का आनन्द (अट-लुबहै) इत्यादि का वर्णन कर कवि ने प्रेम के संयोग एवं वियोग पक्षों का अत्यन्त सूक्ष्म तथा मनोवैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है।

“रूपालम्बित और शरीरी आकर्षण का परिणाम है संयोग सुख। इसमें परम्परानुसार हावादिजन्य चेष्टाएं, सुरत, विहार, मद्यपान आदि का वर्णन होता है।”^१ हिन्दी साहित्य की रीति-काव्य पर यह कथन जिस प्रकार सत्य उतरता है उसी प्रकार तिरुवल्लुवर के काव्य के 'काम' (इनबम्) अंश के विषय में भी। नायक-नायिका का परस्पर गुप्त-प्रेम, शरीरी आकर्षण और उसके फलस्वरूप मानसिक सुख एवं आनन्द, परस्पर संकेत (हावादिजन्य चेष्टाएं) इत्यादि से यह प्रेम व्यापार प्रारम्भ होता है। सस्कृत-हिन्दी साहित्य और प्राचीन तमिल साहित्य की शृंगार-वर्णन की दृष्टि में पर्याप्त अन्तर है। यह अन्तर विषय-वस्तु अथवा भाव-साधना का नहीं अपितु वर्णन-पद्धति एवं वर्गीकरण का है। तमिल के काव्य-शास्त्र विषयक प्रसिद्ध ग्रन्थ 'तोलकाप्पियम्' में इससे सम्बद्ध सामग्री उपलब्ध है। तमिल-काव्य 'अहम्' और 'पुरम्' दो भागों में विभक्त किया जाता है, अहम् के अन्तर्गत प्रेम के सात रूपों का उल्लेख है—इन्हें 'तिनै' कहा गया है। सर्वप्रथम 'केकिलै' के अन्तर्गत पुरुष का 'मुग्धा' के प्रति एकांगी प्रेम वर्णित होता है, सबसे अन्त में 'पेरुन्तिनै' के अन्तर्गत असमान प्रेम के परिणामस्वरूप हुई अति का वर्णन किया जाता है। अन्य पांच प्रकार के वर्णनों में प्रत्येक प्रकार से योग्य, परस्पर आकर्षण के कारण प्रेमपाश में आबद्ध युवक और युवती के शृंगार का वर्णन किया जाता है। 'तोलकाप्पियम्' में प्रेम के पांच प्रकारों का वर्णन पांच विभागों में विभक्त किया गया है। ये पांच विभाग हैं—

कुरिजि—पर्वत-प्रदेश

पाल्लै—शुष्क भू-प्रदेश

मुल्लै—अरण्य प्रदेश

मुशुदम्—जल-समुद्र समतल प्रदेश

नेय्दल—समुद्र-तट प्रदेश।

“ये पांचों नाम वास्तव में पांच पुष्पों के वाचक हैं, किन्तु इन प्रदेश-विशेषों के लिए विशिष्ट पुष्प के रूप में इनको माना गया है। ये ही पुष्प-विशेष उक्त प्रदेश-विशेषों के अभिधान हो गए, फिर उन प्रदेशों की पृष्ठभूमि पर वर्णित होने वाले प्रेम-प्रकार के भी नाम बन गए।”^२

१. हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास-षष्ठ भाग—सं० डा० जनेन्द्र, पृ० १६३।

२. तमिल और हिन्दी के काव्यशास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन

इन पाँचों भूप्रदेशों के अनुसार ही प्रेमाभिष्यक्ति को भी पाँच रूपों में विभक्त कर दिया गया है। प्रथम दर्शन एव प्रेम 'कुरिजि' में, अल्पकालीन विरह 'मुल्लै' में, दीर्घकालीन विरह 'नेयदल्' में, दीर्घकालीन वियोग 'पालै' में एव गृहस्थ का मधुर-प्रणय 'मरुदम' में वर्णन का विषय बना। कालक्रम से काव्य में यह एक नियम के रूप में मान लिया गया और प्रत्येक विभाम विशिष्ट वर्णन के लिए पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार कर लिया गया।

पुरुष और स्त्री के पारस्परिक प्रेम सम्बन्धों को दो भागों में विभाजित किया गया है। विवाहपूर्व प्रेम अथवा पूर्वराग (कलवु) और विवाह-सम्बन्ध स्थापित होने के बाद का प्रेम (करपु)।

तिरुवल्लुवर ने श्रुगार के अन्तर्गत सयोग का वर्णन अपेक्षाकृत कम किया है। भाव की तीव्रानुभूति, मामिकता इत्यादि का जो रूप वियोग में उभर कर आता है, वह सयोग में समब नहीं, परन्तु सयोग-श्रुगार का जो वर्णन उपलब्ध है वह प्रभावोत्पादक है, उसमें जीवन्त तत्त्व है, हर्ष और उल्लास का वातावरण है। वल्लुवर के सयोग-वर्णन का विवेचन करने से पूर्व उस युग के समाज में व्याप्त प्रेम-विषयक धारणाओं का एक संकेत प्रस्तुत करना उचित होगा।

तिरुवल्लुवर के 'इनबम्' (काम) खण्ड को प्रायः समस्त टीकाकारों ने नायक-नायिका के प्रथम दर्शन (पूर्वराग), प्रेम, विरह और पुनर्मिलन का वर्णन माना है। यह प्रेम नायक-नायिका के एकान्त में आकस्मिक मिलन से प्रारम्भ होता है। प्रथम दर्शन में प्रेम का सूत्रपात होता है। धीरे-धीरे विकसित होता हुआ यह शान्त प्रेम-सम्बन्ध शब्दों में अभिव्यक्त होता है। प्रिय एव प्रिया-परिणय सूत्र में आबद्ध हो जाते हैं। पारस्परिक अदम्य विश्वास के अतिरिक्त इस सम्बन्ध-सूत्र के लिए कोई सामाजिक क्रिया (rites) सम्पन्न नहीं की जाती परन्तु तमिल-प्रदेश के उस काल में सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए इतना ही पर्याप्त था।^१ यह संस्कृत काव्य एव धर्मशास्त्रों में वर्णित गधर्व-विवाह के समान ही है। इस विवाह-सम्बन्ध की सूचना प्रेमी-युगल द्वारा अपने तक ही सीमित रखी जाती है और वे यह प्रयास करते हैं कि अनुकूल अवसर प्राप्त करते ही इसे सबको बता दिया जाये परन्तु पति और पत्नी दोनों उस समुचित अवसर की प्रतीक्षा करते में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। प्रेम में धैर्य कहा? वे चोरी-छिपे परस्पर मिलते रहते हैं। युवती के माता-पिता एव सम्बन्धी अभी मानसिक रूप से सबध को स्वीकृति प्रदान करने की स्थिति में नहीं होते और इधर काम-मिलन धीरे-धीरे चर्चा का विषय बनना प्रारम्भ हो जाता है। तमिल-प्रदेश के प्रेमीजनों ने इसका भी समाधान निकाला, युवक एक प्रकार की शारीरिक और मानसिक तपस्या करता है जिससे कि युवती के माता-पिता एव सम्बन्धी तथा ग्राम-निवासी उसकी प्रेमिका को उसे सीप दें। ताड-वृक्ष की कुछ शाखाएँ इस प्रकार से एकत्र कर ली जाती हैं कि एक मनुष्य के बैठने योग्य स्थान बन जाये। प्रेमी इस शाखा में बैठ जाता है और उसके अनेक मित्र इसी मुद्रा में उसे ग्राम भर में घुमाते हैं। इस अवसर पर मित्र मण्डली द्वारा अनेक भावपूर्ण प्रेम-गीत गाये जाते हैं। ताड-वृक्ष की नोकें काफी तीखी और कठोर होती

१ "No rites are gone through but the simple plighting of the faith, but that was sufficient in the heroic age of Tamil society to legalise the marriage "

हैं अतः यह प्रतिक्रिया पर्याप्त कष्टप्रद तपस्या है। प्रेम-भाग्य के इस पथिक को ग्राम-निवासियों के उपहास का पात्र भी बनना पड़ता है और अनेक बार उसकी प्रिया का नामोल्लेख भी होता है। यह समस्त कोलाहल ग्राम के बूढ़-जनो एवं युवती के माता-पिता और सम्बन्धियों तक पहुंचना स्वाभाविक है। युवक-युवती अपने विषय में होने वाली इस चर्चा को सुन कर अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। प्रतिक्रिया क्रोध-मिश्रित होती है, युवती को डांट-फटकार भी मिलती है पर अब इस विवाह-सम्बन्ध की स्वीकृति के अतिरिक्त और कोई भाग्य भी शेष नहीं, अतः युवक-युवती के सम्बन्ध की सामाजिक स्वीकृति हो जाती है।^१

संयोग-शृंगार

‘पारस्परिक प्रेम के वशीभूत होकर जब नायक-नायिका एक दूसरे के दर्शन, मिलन, स्पर्श और आलाप आदि में लीन होते हैं, विद्वानो ने उस अवस्था को संयोग और उसके वर्णन को संयोग-शृंगार कहा है।^२ तिखवल्लुवर ने संयोग का बड़ा सघट परन्तु प्रभावोत्पादक वर्णन किया है।

पूर्वराग ^३ पूर्वराग में आलम्बन निकट भी रह सकता है परन्तु कुछ व्यवधानों के उपस्थित हो जाने के कारण अथवा समुचित साधनों के अभाव से आश्रय आलम्बन का मिलन नहीं होता। तिखवल्लुवर के नायक और नायिका का प्रथम मिलन दोनों के हृदय में प्रेम के अकुर को प्रस्फुटित कर देता है। एकान्त स्थल में, नायक नायिका को देखकर, उसकी ओर आकृष्ट होता है। परिचय के अभाव में मन-ही-मन उसकी रूप-माधुरी की प्रशंसा करता है। वह सोचता है— यह सुर-बाला है अथवा मयूरी? कहीं स्वर्ण-कुण्डल ग्रहण किये हुए यह कोई युवती ही तो नहीं है? ^४ नायक के हृदय पर नायिका के तीक्ष्ण नयनों का आघात होता है, उसे नेत्रों के समक्ष हो कर निहारना मानो सबल संन्य से युक्त सुर-बाला से स्वयं सन्नाम फरने के समान लगता है। ^५ बाला की वक्र भ्रुकुटी, उभरे हुए कुचभाग पर पडा हुआ वस्त्र, उज्ज्वल मस्तक, हिरणी के समान दृष्टि, सभी मानो बाध से लेते हैं। उन्मुक्त प्राकृतिक वातावरण में यह प्रथम मिलन आकर्षण का रूप धारण करता है। ‘पूर्वानुरागिनी नायिकाए अवस्था की दृष्टि से प्राय मुग्धा होती है। इस अवस्था में भावुकता का स्वाभाविक अतिरेक होता है और वह उनकी भावनाओं

१. सामग्री का आधार—कूरल, वी० वी० एस० अय्यर, भूमिका।

२. दर्शनस्पर्शनादीनि निषेधेते विलासिनी।

यत्रानुरक्तावन्योन्य सम्भोगोऽयमुदाहृत ॥

सख्यातुमशक्यतया चम्बनपरिम्भणादि बहुभेदात्।

अयमेक एव धीरै कथित सम्भोगशृंगार ॥—सा० दर्पण, ३, २१०, २११।

३. तिखवल्लुवर से पूर्वराग का अभिप्राय ‘विवाह-पूर्व मिलन’ इत्यादि होने के कारण उसे ‘वियोग’ के अन्तर्गत समाहित न कर संयोग के अन्तर्गत रखा गया है।

४. कूरल १०८१।

५. कूरल १०८२, तुलनीय—तिय, कित कमनैती पकी, विनु जिहि भौहकमान।

चलचित्तं बेरुं चुकति नहि बक बिलोकनि-बान ॥

—विहारी, ३५६।

को अत्यधिक तीव्र बना देता है।^१ तिरुक्कुरल की 'मुग्धा' भावुकता के इस स्वाभाविक अतिरिक्त एवं तीव्र भावनाओं से युक्त है।

एकाग्र में सर्वानुपशान्त प्रेम धर्म-धर्म विकास प्राप्त करता है। संकेतादि से मन के भावों की सम्बन्ध लेने के उपरान्त नेत्रों के मिलन से हृदयों का मिलन हो जाता है। नायक की नायिका के शरीर में रूप, शब्द, रस, गन्ध और स्पर्श इन पांचों विषयों का सुख प्राप्त होता है।^२ प्रेमिका के अतीव कोमल स्कन्धों का आलिमन-सुख विष्णु-सोक के सुख से भी श्रेष्ठ प्रतीत होता है।^३ बाला के शरीर का प्रत्येक स्पर्श प्राणों को अमृत के समान नव-स्फूर्ति प्रदान करता है। नायक नायिका का आलिगन करता है तो उसे उसी प्रकार का आनन्द अनुभव होता है जो अपने परिवार में बाट कर भोजन करने से प्राप्त होता है। तिरुवल्लुवर ने प्रिय-प्रिया के ऐसे वादाङ्गन का वर्णन किया है जिसके मध्य वायु की स्थिति भी स्वीकार्य नहीं है। परि-रम्भण से उत्पन्न आनन्द को अधिकाधिक अध्ययन से अवगत अज्ञानबोध के समान कहा है।^४

तिरुवल्लुवर के संयोग श्रुगार के वर्णन में एक निश्चित मर्यादा है। कवि यहाँ भी अपने नीति पर आधृत दृष्टिकोण से स्वयं को असम्पुक्त नहीं करता। तिरुक्कुरल के श्रुगार में उन्मुक्त वातावरण में उन्मुक्त वर्णन है, पर यह वर्णन अपनी मर्यादा जानता है। वर्णन की मौलिकता, प्राकृतिक जीवन की उपमान-सामग्री और वातावरण-निर्माण में कवि सफल रहा है पर नैतिक दृष्टि की सीमा-रेखा उसे निरन्तर बाधे रखती है।

भाव—तिरुवल्लुवर-काव्य में श्रुगार के विभिन्न रूपों में मान को सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त हुआ है। यहाँ मान प्रायः प्रणय-मान है और भरपूर प्रेम की स्थिति में प्रेमवृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। तिरुवल्लुवर में 'खडिता' इत्यादि का वर्णन नहीं है। यहाँ तो गृहस्थ की मर्यादा में सहज उल्लासमय जीवन व्यतीत कर रहे दो प्रेमियों के पारस्परिक हास-परिहास, कठना-मनाना आदि को ही स्थान मिला है। ईर्ष्या-मान का वर्णन हुआ तो है, पर वहाँ कवि की दृष्टि परम्परागत वर्णन से भिन्न है।

प्रथममान—'पुलवि' अथवा प्रणयकलह का आधार कुछ भी हो सकता है। बस यही छेड़छाड़, मान-मुनावल अथवा प्रिय के हृदय के प्रेम को विकास प्रदान करने के उद्देश्य से मान कर लिया जाता है। सखी नायिका को समझाती है कि प्रणय-कलह की पीडा उनमें देखने के लिये तनिक कृत्रिम-क्रोध कर, आलिगन किये बिना रहो।^५ पर साथ ही वह उसे समझा देती

१ हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास—स० डा० नगेन्द्र, पृ० १०८।

२ कुरल ११०१।

३. कुरल ११०३।

४ कुरल ११०६, ११०७, ११०८, १११०।

५ कुरल १३०१, तुलनीय—(क) सखी सिखावति मान-विधि, सैनन बरजति बाल।

हरै कहे, मो हीय मैं बसत बिहारी लाल ॥—बिहारी।

(ख) मुग्धे मुग्धतयैव नेतुमखिल काल किमारभ्यते
मान धत्स्व पृति वधान ऋजुता दूरे कुरु प्रेयसि।

सख्यैव प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना

नीचैः सस हृदि स्थितो हि ननु मे प्राणेश्वर श्रोष्यति ॥

—अमरशातकम् ७०।

है कि मान प्रेम का नमक है, मोजन में अधिक नमक रचिकर नहीं होता, इसलिए मान भी सीमा में होना चाहिए ।^१ मान का लक्ष्य है प्रेम को विकास प्रदान करना क्योंकि छोटे-बड़े प्रणय-कलह न हो तो प्रेम अधिक पके अथवा अथ-कच्चे फल के समान रह जायेगा ।^२

सखी के समझाने के उपरान्त नायिका मान करने का विचार करती है पर प्रणय-मान में मानिनी नायिका की स्थिति कुछ विचित्र-सी होती है । मन में प्रेम उमड़ रहा है, प्रिय से कोई भूल भी नहीं हुई, हृदय को मान के लिए प्रेरित करने के उपरान्त भी हृदय वश में नहीं है, अतः कई प्रकार से तर्क देकर उसे वश में करने का प्रयास नायिका करती है ।^३ अपने हृदय के प्रति नायिका का कथन है—हे हृदय, प्रियतम के हृदय को उनका साथ देता हुआ देखकर भी तू मेरा साथ क्यों नहीं देता ?^४ पर हृदय तर्क से कहा प्रभावित होता है ? नायिका पुनः समझाती है—हे हृदय, तू प्रणय-कलह के प्रतिफल को समझ नहीं पाता, यदि तू मान नहीं करेगा तो मैं तेरा भरोसा कैसे कर पाऊँगी ?^५ हृदय का पागलपन इस सीमा तक जाता है कि वह प्रिय को किसी क्षण भी विस्मृत नहीं करता फलतः नायिका स्वयं ही खीर कर कह उठती है—उन्हें विस्मृत न करने वाले गोरव-व्युत एव पागल हृदय के साथ मिल कर तो मैं अपनी स्त्रियोचित लज्जा भी खो बैठती हूँ ।^६ मान के लिए प्रिय का कोई न कोई दोष तो ढूँढना ही होगा, पर प्रिय में दोष-दर्शन का कार्य हृदय करने नहीं देता, क्योंकि नायक की निन्दा में नायिका की अपनी निन्दा निहित है, अतः हृदय निरन्तर प्रिय के श्रेष्ठ गुणों का स्मरण करता है ।^७ इस प्रकार नायिका अपने हृदय से पराजित होकर स्वीकार कर लेती है कि विपत्ति के समय अपना ही हृदय अगर साथ न देता हो तो और कौन साथ देगा ?^८ और फिर जब अपना हृदय ही साथ न दे तो दूसरो का हमारा साथ न देना स्वाभाविक ही है ।^९

प्रेम की निरन्तरता एकरसता का रूप धारण कर आनन्द-विहीनता की ओर अग्रसर हो सकती है । पर प्रणयमान उसमें आनन्द का पुनः सृजन करता है । प्रेम के किंचित मात्र मुर-

१ कुरल १३०२ ।

२ कुरल १३०६ ।

३ तुलनीय—सपने हूँ मनभावतो, करत नहीं अपराध ।

मेरे सन ही मे रही, सखी ! मान की माव ॥—२४६ ।

—मतिराम, रसरज, पृ० ५२ ।

४ कुरल १२६१ ।

५ कुरल १२६४ ।

६ कुरल १२६७ ।

७ कुरल १२६८ ।

तुलनीय—भ्रू भङ्गे रचितेऽपि वृष्टिरधिक सोत्कण्ठमुद्गीक्षते

रुद्धायामपि वाचि सस्मितमिदं दग्धानं जायते ।

कार्कश्यं गमितेऽपि चेतसि तनू रोमाञ्चमालम्बते,

दृष्टे निर्वहणं भविष्यति कथं मानस्य तस्मिञ्जने ॥—अमरुशातकम्, २८ ।

८ कुरल १२६६ ।

९ कुरल १३०० ।

काने पर भी प्रणय-कलह से उत्पन्न लघु पीडा प्रशसनीय होती है।^१ भोजन करने से अधिक आनन्ददायक उसका पचना होता है, इसी प्रकार प्रेम से भोग से अधिक आनन्ददायक प्रणय-कलह होता है।^२ निर्दोष होने पर भी नायक को मान में कुछ क्षणों के लिए नायिका के कोमल बाहुओं से अलग रहने में अद्भुत आनन्द की प्राप्ति होती है।^३ नायिका जानती है कि प्रिय निर्दोष है, पर फिर भी मान करती है क्योंकि इससे प्रिय के प्रेम में वृद्धि होती है।^४ पृथ्वी पर जल का पृथ्वी के साथ जो नैकट्य है, इसी प्रकार से परस्पर आबद्ध नायक-नायिका के लिए प्रणय-मान स्वर्ग के समान ही आनन्द प्रदान करता है।^५ वल्लुवर के अनुसार सद्गुणी सञ्जन की शोभा सुमन-नयनी के मन में उत्पन्न प्रणय-कलह ही में है।^६ प्रणयमान का इतना महत्त्व होते हुए भी एक आशका इसमें रहती है कि मिलन सुख कहीं अस्थायी न रह जाय।^७ प्रणय-मान में मान-मनावल में नायक को भी अतीव सुख की प्राप्ति होती है। वह भी प्रार्थना करता है कि प्रकलपूर्ण आभूषणों से युक्त मेरी प्रणयिनी प्रणय-कलह करती रहे, रात लम्बी होती रहे और मैं प्रेम-याचना करता रहूँ।^८ इस प्रणय-कलह में पराजित ही विजयी होते हैं, पुनर्मिलन इसका प्रमाण है।^९ प्रणय-मान के टूटते ही जो काम का वेग प्रवाहित होता है उसी का परिणाम होता है ललाट पर स्वेद-क्षण उत्पन्न करने वाला प्रबल सम्भोग।^{१०} वल्लुवर का निश्चित मत है कि प्रेम का आनन्द प्रणय-कलह में है और प्रणय-कलह का आनन्द पुन मिलकर प्रेमालिगन में आबद्ध होने में है।^{११}

ईर्ष्यामान—ईर्ष्यामान में नायिका नायक को परस्त्री से प्रेम करते देख, सुन, अथवा अनुमान कर ईर्ष्या से कोप करती है। वल्लुवर-काव्य में आदर्श सामाजिक स्थिति का चित्र होने के कारण पुरुष का परस्त्री सम्बन्ध त्याज्य माना गया है। इसका उल्लेख पितृनिल विष्टयामे के अन्तर्गत हुआ है। ईर्ष्यामान के अन्तर्गत नायक का परस्त्री-प्रेम इत्यादि का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। परस्त्री के हृदय में स्थित कृत्रिम शका के कारण नायक को उपालम्भ का शिकार बनना पड़ता है। नायक प्रिया को आलिगन में आबद्ध करने का उपक्रम करता है तो

१ कुरल १३२२।

२ कुरल १३२६।

३ कुरल १३२५।

४ कुरल १३२१।

५ कुरल १३२३।

६ कुरल १३०५।

७ कुरल १३०८।

८ कुरल १३३०।

तुलनीय—मनु न मनावन कौं करे, देतु ठाई ठाई।

कौतुक-लाग्यो प्यो प्रिया-लिजहू रिभवति जाइ ॥

—बिहारी, ४५४।

९ कुरल १३२७।

१० कुरल १३२८।

११ कुरल १३३०।

वह कहती है—हे दुराचारी ! सभी स्त्रियाँ तुम्हें सामान्य मानकर तुम्हारा रस-पान कर रही हैं, मैं तुम्हारी छाती से न लगी।^१ नायक ने पुष्पमाला धारण की तो नायिका रुष्ट हो उठी क्योंकि उसके विचार में यह माला किसी अन्य को दिखाने के लिए धारण की गई है।^२ नायक स्पष्टीकरण देता है—'मुझे और किसी से प्रेम नहीं है,' बस नायिका के रुष्ट होने का पर्याप्त कारण है—पूछने लगी—'और किससे, और किससे ?'^३ नायक समझाता है—'इस जन्म में कभी अलग न होंगे ?'^४ नायिका के नेत्र सजल हो उठे क्योंकि इसमें यह भी तो अर्थ निहित है कि अगले जन्म में हो सकते हैं। जन्म-जन्मान्तर के सम्बन्धों में दृढ़ आस्था रखने वाली स्त्री इसी जन्म में अलग न होने की बात से कैसे सतुष्ट हो सकती है ?

एक और स्थिति की कल्पना कीजिए। नायक नायिका बैठे हैं, नायक को जरा छीक आ गई। नायिका ने कहा—'बघाई।' और नेत्र सजल। प्रश्न हुआ कि किसके स्मरण करने के कारण यह छीक आई ?^५ इससे पाठ मिला, एक और अन्य बचसर पर छीक आई तो उसे नायक ने दबा लिया। नायिका ने देखा और रोती हुई बोली—अपनी किसी प्रिया के स्मरण को मुझसे छिपाते हैं।^६ इस कठिन स्थिति का विवेचन करते हुए डा० शंकरराजू नायडु का कथन है—“प्रणय कलह के आधार पर इससे अधिक सूक्ष्म वर्णन और हो ही क्या सकता है। छीको तो दोषारोपण, और आती हुई छीक को रोको तो उससे बढ़कर दोषारोपण। प्रेम दो हृदयों के सामीप्य का सहज परिणाम है। परिपक्व फल के समान तनिक-सी ठंस से भी इसको क्षति पहुँच सकती है।”^७ नायिका रूठी हुई है, प्रिय मनाने का प्रयास करता है, प्रेम से समझाता है, वह और भी रुठ जाती है और कहती है—अन्य को आप इसी प्रकार प्रसन्न करते होंगे।^८ नायक प्रेमपूर्वक नायिका को निहार रहा है, नायिका मान कर बैठती है। प्रश्न किया जाता है—किससे मेरे सर्वांगों की तुलना करने के विचार से मुझे ध्यान से देख रहे हैं ?^९ इस प्रकार के चित्रों में एक ओर नाटकीयता का समावेश भी हुआ है तो दूसरी ओर सुखद प्रेम-जीवन के एक पक्ष का सफल उद्घाटन भी। इस सन्दर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि बल्लुवर ने इसे प्रणयमान ही माना है और इस प्रकार का वर्णन प्रणय-कलह की सूक्ष्मता (पुलवि-नुणुकम्) के अन्तर्गत किया है। पर हममें सकेतित अन्य स्त्री की कल्पना रूप में उपस्थिति के कारण इसे ईर्ष्यामान के अन्तर्गत माना जा सकता है।

मान-भंग—मान कर लेने के उपरान्त स्थिति और भी कठिन हो जाती है। प्रेम-रूपी कुल्हाड़ी मान नामक लज्जा की अंगला से युक्त किवाड़ों को तोड़ डालती है।^{१०} नायिका ने

- १ कुरल १३११।
- २ कुरल १३१३।
- ३ कुरल १३१४।
- ४ कुरल १३१५।
- ५ कुरल १३१६।
- ६ कुरल १३१८।
७. विहारी, स० डा० ओम्प्रकाश, पृ० १२०।
- ८ कुरल १३१६।
- ९ कुरल १३२०।
१०. कुरल १२५१।

मान क्रिया पर मध्य-रात्रि तक आने-आने समय टूटने लगा ।^१ वह प्रेम को अपने मन में छिपाने का प्रयास करने लगी पर प्रेम छीक के समान बिना किसी पूर्वयोजना के व्यक्त हो गया ।^२ नायिका ने मान किया है, वह प्रणय-कलह के उद्देश्य से प्रिय के निकट गयी, पर हृदय प्रिय से भिल गया, घर में ही फूट पड गई और वह नायक का आलिंगन कर बैठी ।^३ इस सदम में नायक का एक कथन है—नायिका ने मान क्रिया, नेत्रों में थी कलह-भावना पर भेरे वहा पहुचते ही अस्थिर हो मुझमें अधिक वही गाढालिंगन करने लगी ।^४ प्रेम की गति बाढ के भयकर प्रवाह के समान होती है । नायिका यह जानती है अत सखी को कहती है—'बाढ के भयकर प्रवाह को समझ कर भी उसमें कूदने वाले के समान भूठमूठ उनसे कलह करने में प्रयोजन ही क्या है ?'^५ लिखते समय नेत्र जिस प्रकार लेखनी को नहीं देखते, उसी प्रकार प्रियतम को देखते ही उनके दोष नायिका को दिखायी नहीं देते ।^६ पियकड मदिरा को देख अपना नियंत्रण, अपनी सुघ-बुध खो बैठता है, प्रिय के वक्षस्थल को देख नायिका की भी यही स्थिति होनी है ।^७ प्रेमी-रूपी मदिरा का प्रभाव अद्भुत है । मदिरा का तो पान करना पडता है, वह देखने-मात्र से आनन्द प्रदान नहीं करती, पर प्रेम-मदिरा स्मरण-मात्र से सुख और दर्शन-मात्र से आनन्द प्रदान करने वाली होती है ।^८ इस प्रकार प्रेम की मदिरा के वशीभूत होकर नायिका का मान-भग होता है, प्रिय के दर्शन होते ही सभी उगालम्भ धरे-के-धरे रह जाते हैं, उनकी अनुपस्थिति में अनेक दोष दिखाई देते थे अब उन्हें समक्ष पा कर कोई नहीं दीवता^९ और प्रिय-प्रिया आलिंगन-आबद्ध हो प्रेम के अतीव आनन्द की प्राप्ति करते है । जिस प्रकार मोम अग्नि में पिघल जाता है, उसी प्रकार प्रिय-सयोग कोमल-हृदया मानिनी के अग अग को पिघला कर गाढालिंगन में आबद्ध होने के लिए विवश कर देता है ।^{१०}

१ कुरल १२५२ ।

२ कुरल १२५३ ।

३. कुरल १२५६ ।

तुलनीय—मोहिं लजावत, निलज ए हुलसि मिलन सब गात ।

मानु-उदै की ओम ली मानु न जानति जात ॥—बिहारी, ५६६ ।

४. कुरल १२६० ।

५. कुरल १२७७ ।

तुलनीय—सुहूँ कहति, ही आपु हूँ, समुझति सबै सयामु ।

लखि मोहनु जो मनु रहै, तो मन राखी मानु ॥—बिहारी, ५४८ ।

६. कुरल १२८५ ।

७ कुरल १२८८ ।

८. कुरल १२८१ ।

तुलनीय—रूप-सुधा आसव छत्रयी, आसव पियत बनै न ।

प्यालै ओठ, प्रिया-बदन रह्यौ लगाए नैन ॥—बिहारी, ६५० ।

९ कुरल १२८६ ।

१०. कुरल १२६० ।

सौन्दर्य-चेतना

प्रिया की रूप-राशि का वर्णन करते समय तिरुवल्लुवर का नायक नायिका के अंगों का वर्णन कर प्रिया की समग्र रूप-चेतना को अपने समक्ष रखता है। नायिका के अंगों की कोमलता, नेत्रों का अद्भुत प्रभाव, मुख का अतीव प्रभावोत्पादक सौन्दर्य इत्यादि नायक के हृदय को बांध लेते हैं।

तिरुवल्लुवर के सौन्दर्य-चित्रों में भगिमा और रस का अद्भुत सम्मिश्रण है। मुख-सौन्दर्य के वर्णन पर कवि की विशेष दृष्टि गई है—हे चन्द्र ! यदि तुम सुमन सदृश नेत्र वाली मेरी सुन्दरी के मुख की समानता चाहो तो सबके नेत्रों में न पड़ो (केवल मुझे दिखाई दो)।^१ चन्द्रमा तथा इस कन्या के मुख में अभेद के भ्रम के फलस्वरूप आकाश के नक्षत्र विचलित हो उठे हैं।^२ बास जैसी भुजाओं वाली इस बाला के लिए कोपल ही शरीर, मोती ही दात, सुगन्धि ही गन्ध तथा शूल ही अजन-रजित-नेत्र हैं।^३ चन्द्र तो अपूर्णता से पूर्णता की ओर अग्रसर होता है, पर उस बाला की मुख सौन्दर्य राशि पूर्ण भी है और निष्कलक भी।^४ नेत्रों का सौन्दर्य ऐसा कि कुमुदिनी देख ले तो अपने को तुच्छ मान कर नतमस्तक हो, पृथ्वी की ओर निहारने लगे।^५ जब मैं उसकी ओर देखता हू तो वह पृथ्वी की ओर दृष्टि डालती है, अन्यथा वह मेरी ओर देखकर मन्द-मन्द मुस्कराती है।^६ प्रिय की भगिमाएँ तिरछी चितवन, प्रेमपूर्ण नेत्र, मधुर और कठोर वचन आदि के द्वारा प्रिया के सौन्दर्य को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। यहा प्रिय के साक्षात्-मात्र से हृदय उमड़ आता है, वाणी मौन हो जाती है और रूप सौन्दर्य पाश से आबद्ध हो चेतना लुप्त हो जाती है।

कबीर सयोग-शृंगार

कबीर-काव्य में 'काम', लौकिक परिभाषा में बंधकर नहीं आया अपितु अलौकिक प्रति-पाद्य के लिए उसका अप्रस्तुत रूप में ही प्रयोग है। कवि लोकजीवन और अपने युग का द्रष्टा होता है, फलतः लोकजीवन की उपलब्ध उपमान-सामग्री को अभिव्यक्ति का एक साधन बना लेता है। कबीर-काव्य में इस पद्धति का उपयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। उदाहरण के लिए—

कबीर सुदरि यो कहै, सुणि हो कत सुजाण ।

बेगि मिलौ तुम आइ करि नहिं तुर तजौ पराण ॥^७

मे वर्णित सुन्दरी के प्रिय वियोग में प्राण-त्याग करने के कथन को यदि पारलौकिक अर्थ में न

१ कुरल १११६ ।

२ कुरल १११६ ।

३ कुरल १११३ ।

४ कुरल १११७ ।

५ कुरल १११४ ।

६ कुरल १०६४ ।

तुलनीय—समुख न वीक्षते ब्रीडा दशंयति । प्रमत्त प्रच्छन्न नायकमतिक्रान्त च वीक्षते ॥

—कामसूत्रम्, ३।२५।२७ ।

७. कबीर अथाबली, पृ० ८० ।

लिया जाए, तो निश्चित रूप से लौकिक जीवन में प्रिया का प्रिय-वियोग में व्याकुल होने का सुन्दर शब्द-चित्र हमारे समक्ष है। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है कि लोकजीवन में उपलब्ध संकेत, उपमान-सामग्री का उपयोग कवि करता है। आरोपित अर्थ के स्थान पर अभिधार्थ अथवा वास्तविक शब्दार्थ को देखकर चलना चाहे कितना दुष्कर क्यों न हो, कवि के समक्ष उपलब्ध बिखरी हुई सामग्री का प्रमाण अवश्य ही है।

कबीर-काव्य में सयोग का वर्णन अपेक्षाकृत कम है। आध्यात्मिक धरातल के इस प्रेम की सहज अनुभूति का मार्मिक रूप वियोग में अधिक प्रभावोत्पादक बना है, सयोग के अणों का वर्णन भी अपनी अतृप्त बुभुक्षा, असीम भावों और कभी न बुझने वाली अमिट प्यास से उद्वेलित है पर इसके साथ ही कबीर की अपने स्वामी के प्रति आस्था अटूट है। यह वर्णन अप्रस्तुत रूप में ही उपलब्ध है क्योंकि कबीर के काव्य का विषय भक्ति की साधना था, लौकिक श्रुगार नहीं।

कबीर ने प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट करने का अनेक स्थलों पर प्रयास किया है। 'यह हृदय की पीड़ा है, मानव के सम्पूर्ण अस्तित्व को व्याप्त कर लेती है।'^१ इस प्रेम की कथा अकथनीय है, वर्णनातीत है, इसका रस गूगे द्वारा खाई गई शक्कर के स्वाद के समान है, गूगा इस स्वाद का अनुभव तो करता है, पर उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकता।^२ यह तो बाण की चोट है, अतस् को छेदने वाले इस तीर की पीड़ा असाधारण है,^३ इसे 'मारणहारा जांगिहै, कं जिहि लागी सोई।'^४ प्रेम का बाण लगने से यह मन मग्न हो जाता है।^५ विश्व में आकर जिसने प्रेम का आस्वाद ग्रहण नहीं किया, वह तो 'सूने घर का पाहुणा' है, जैसे आया है, बैसे ही लौट जाता है। जिनके हृदय में 'प्रीति न प्रेम-रस', कबीर के शब्दों में 'ते नर इस ससार में उपजि षये बेकाम।' प्रेम के बादलों की जिस पर वर्षा हो जाती है उसका अतरतम भीग जाता है, शरीर का रोम-रोम हरा-भरा हो जाता है, आत्मा निर्मल हो जाती है, समस्त दुःख विनष्ट होकर पूर्णता का अनुभव प्राप्त हो जाता है।^६ यह प्रेम-तत्त्व हृदय की अपार शक्ति का परिचायक है, इसी की ज्योति से 'तन-पिजर' जगमगाता है। जब इस प्रेम के परिणामस्वरूप प्रिय-मिलन होता है तो समस्त सशय दूर हो, परम सुख की उपलब्धि होती है।^७ एक बार 'पियारा

१. एक ज पीड परीति की, रही कलेजा छाई ॥—कबीर ग्रन्थावली, पृ० ७।

२. अकथ कहानी प्रेम की, कछू कही न जाई।

गूगे केरी सरकरा, बंठे मुमकाई ॥—वही, पृ० १०४।

३. कर कमाण सर साधि करि, खैचि जु मार्या माहि ॥—वही, पृ० ७।

४. वही, पृ० ६।

५. मन भया मगन प्रेम सर लागी ॥—वही, पृ० १३८।

६. बरस्या बादल प्रेम का, भीजि गया सब अग ॥

कबीर बादल प्रेम का हम परि बरष्या आइ।

अतरि भीगी आत्मा हरी भई बनराई।

पूरे सूँ परचा भया, सब दुख भेल्या दूरि।

निर्मल कीन्ही आत्मा, तार्थ सदा हजूरि ॥—वही, पृ० ४, ५।

७. पिजर प्रेम प्रकासिया, जान्या जोग अनत।

ससा खूटा सुख भया, मिल्या पियारा कत ॥—वही, पृ० १०।

कल’ मिल जाने से अंततः तक ज्योतिर्मय हो, जाता है। ऐसा अनुभव होता है मानो मुख में कस्तूरी का बास हो गया है, बचन में वही प्रेम-कस्तूरी पराग-सदृश व्याप्त होकर सबको मुग्ध करती है।^१ इस प्रेम-सुधा को पी लेने के उपरान्त किसी प्रकार का दुःख शेष नहीं रहता।^२

प्रिय का दर्शन-मात्र आनन्द का संचार करने वाला है। उस स्थिति में सुखी भी सुख-सम्पत्ति में परिवर्तित हो जाती है।^३ यहाँ साथी भी ऐसा बना गया है जिसे सुख-दुःख नहीं होता, जो हिल-मिलकर खेलता है, कभी वियोग दुःख नहीं देता।^४ प्रिय के मिलन के लिए ही प्रियसी शृंगार करती है—‘किया स्यंगार मिलन के ताई।’^५ और जब मिल जाते हैं तो कबीर की प्रिया कहती है—‘अब मैं पायो राजा राम सनेही, जग बिनु दुख पावै मेरी देही।’^६

कबीर ‘प्रियसी’ के लिए प्रिय के निकट पहुँच पाना अत्यन्त दुष्कर है क्योंकि ‘लबा मारग दूर घर, बिकट पथ बहु भार।’^७ हरि का दीदार पाने के लिए, राम को रिझाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील कबीर ‘राम रतन’ को प्राप्त करने में भला असफल कैसे हो सकते हैं? निरन्तर स्मरण का प्रभाव यह हुआ कि ‘मेरा मन सुमिरै राम कू, मेरा मन रामहि आहि, अब मन रामहि हूँ रह्या, सीस नवावों काहि।’^८ यह स्थिति अद्भुत है, पर प्रबल आस्था और प्रिय-मिलन की दृढ़-इच्छा का यह स्वाभाविक परिणाम है। प्रेम की यह अग्नि, जिसके हृदय में घडकती है, वही इसका अनुभव कर सकता है—‘हिरदा भीतरि दौं बलै, धूवा न प्रगट होइ’ इसका अनुभव तो ‘जाकं लागी सो लखै’ अथवा ‘कै जिहि लाई सोई।’^९

कबीर का ‘सयोग’ अद्भुत है। इस वर्णन से उनका उद्देश्य ‘शृंगार-रस की निष्पत्ति करना नहीं है। कबीर में प्रेम-काव्य का नहीं, आत्मा का गुण है। कबीर का लक्ष्य प्रियतम राम के प्रति मधुर भावों की अभिव्यक्ति मात्र है।.. कबीर में किसी काव्य-रीति की खोज व्यर्थ है, परन्तु रीतिशास्त्र जिन भावनाओं पर टिका है, उनके सहज सस्कार प्रेमी कबीर के हृदय में अवश्य हैं।’^{१०}

प्रेम के मार्ग में कबीर पूर्ण समर्पण एवं पूर्णरूपेण लीन हो जाने के महत्त्व से परिचित हैं, उनके सयोग के मार्ग में ‘लूण बिलगा पाणिया पाणी लूण बिलग’ अथवा ‘पाणी ही तै हिम भया हिम हूँ गया बिलाई’^{११} का सिद्धान्त कार्य करता है। इन पदों में एक ओर आध्यात्मिक-

१ प्यजन प्रेम प्रकासिया अतरि भया उजास।

मुख कस्तूरी महमही, बाणी फूटी बास ॥—कबीर ग्रन्थावली, पृ० १०।

२ प्रेम-सुधा रस पीवै कोई। जरा मरण दुख फेरि न होई ॥—वही, पृ० २३१।

३ दरसन भया दयाल का, मूल भई सुख सोई ॥—वही, पृ० १२।

४ कबीर साथी सो किया, जाकं सुख दुख नहीं कोइ।

हिलि मिलि हूँ करि खेसियू कदे बिछोह न होइ ॥—वही, पृ० ६८।

५ वही, पृ० ६५।

६ वही, पृ० १३७।

७ वही, पृ० ५।

८ वही, पृ० ४।

९ वही, पृ० ६।

१०. भक्ति का विकास—डा० मुशीराम शर्मा, पृ० ४८५।

११. कबीर ग्रन्थावली, पृ० १०।

दृष्टि सस्य का अनुभव करती है तो दूसरी ओर लौकिक जीवन के प्रेम-मार्ग का आदर्श रूप भी इनमें दृष्टिगत होता है। प्रिय के निकट जाते हुए प्रेयसी भिन्नकती है, विचित्र प्रकार के भाव उसके हृदय को मथते हैं, यह स्थिति लज्जा, सकीर्ण, आशका मिश्रित है। पर प्रिय-मिलन का आकर्षण भी तो कम प्रबल नहीं है। प्रिय-मिलन के मार्ग पर अग्रसर होती हुई यह प्रेयसी भक्तकीर्ण देने वाले विचारो को दमित करने का असफल प्रयास करती है, पर प्रिय-मिलन होते ही सुध-बुध भूल जाती है, उसका मिलन इन सब आशकाओ को समाप्त कर देता है—

बालपन के करम हमारे काटे जानि दई,

बाह पकरि करि कृपा कीन्ही, आप समीप लई ।^१

‘आप समीप लई’ से ही आने वाले सयोग-सुख की कल्पना साकार रूप धारण कर लेती है। जल की बूद से पिण्ड तैयार करने वाले उस प्रियतम के साथ वह अधिक से-अधिक समय रहती है, यह प्रेम कम होना नहीं जानता, नित्य प्रति नवीन होता रहता है।^२ प्रिय के अभाव में ‘आ कारनि हम देह धरि है मिलिबो अगि लगाई’^३ का विचार करने वाली भक्त रूपी प्रेयसी को जब प्रियतम ‘बाह पकरि करि कृपा’ करता है तो सब कष्ट भूल जाते हैं, हृदय गद्गद् हो उठता है, कण्ठ का स्वर रुद्ध हो जाता है, शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रहती, यही तो सभोग-शृंगार की विशिष्ट शक्ति है। विरह की अग्नि में जलने के उपरान्त जब प्रिय से मिलन होता है तो नायिका अपने भाग्य को सराहती है, मगलाचार इत्यादि के उपरान्त ‘मदिर माहिं भया उजियारा, ले सूती अपना पीत्र पियारा’ की स्थिति आती है। ‘हर्माहि कहा यहु तुमहि बडाई’, ‘कहै कबीर मैं कछू न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा’ में प्रिया प्रिय को प्राप्त करने मात्र से ही स्वयं को धन्य मानती है, यहा कोई शिकायत का, उपालम्भ का भाव नहीं है।^४

सयोग सुख प्राप्त होने पर कबीर उसे छक कर पीते हैं—‘कबीर हरि रस यौं पिया, बाकी रही न थाकि ।’^५ पर प्रेम के इस ‘उज्जल निर्मल नीर’ को ‘तन मन जोवन भरि पिया’ के उपरान्त भी प्यास न मिटी सरीर’।^६

कबीर-काव्य में सयोग-शृंगार के अत्यन्त मार्मिक, हृदयग्राही चित्र हैं। नदी के पार मिलनस्थल पर प्रिय ने भूना भूलने का प्रबन्ध किया है। कबीर की ‘सुलक्षणी नारि’ वहा नित प्रति भूलने के लिए जाती है।^७ उद्दाम सयोग में शरीरों का मिलन ऐसा हो कि दो शरीर एक हो जाये। तिरुवल्लुवर आलिंगन के अवसर पर शरीरो के मध्य की वायु को भी स्वीकार नहीं

१. कबीर प्रथावली, पृ० १४३।
२. पानी की बूद यें जिनि प्यड साज्या, ता सगि अधिक करई।
दास कबीर पल प्रेम न घटई, दिन दिन प्रीति नई ॥—वही, पृ० १४३।
३. वही।
४. बहुत दिनन थैं मैं प्रीतम पाये। . . .
मगलचार माहिं मन राखौं राम रसाइण रसना चाषी ॥—वही, पृ० ६६।
५. वही, पृ० १३।
६. वही, पृ० १३।
७. दरिया परि हिंडोलना मेल्या कत मचाइ।
सोइ नारि सुलक्षणी नित प्रति भूलण जाइ ॥ —वही।

करते।^१ पर कबीर के यहाँ तो ते क्यूँ मिले, जब लग दोइ शरीर^२ की स्थिति है। प्रिय के सग-मात्र से ही शरीर शीतल हो जाता है, ताप मिट जाता है, रात्रि-दिवस सुखमय हो जाते हैं।^३

तिरुक्कुरल में वियोग-श्रृंगार

विरहावस्था में श्रृंगार-रस का पूर्ण प्रस्फुटन एवं परिपाक होता है। इस स्थिति में पूर्ण मानसिक मिलन रहता है। मिलने की इच्छा ज्यो-ज्यो तीव्र होती जाती है, त्यो-त्यो प्रेम की गहराई बढ़ती जाती है। . विरहाग्नि में तपकर प्रेमी का स्वरूप निखर उठता है, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार अग्नि में तपने के बाद ही स्वर्ण की निकाई निखरती है।^४

विरह के विकास की स्थिति अद्भुत है। सयोग में शरीर की प्रमुखता होती है, पर वियोग में धीरे-धीरे इन्द्रियजन्य सुख-प्राप्ति के स्थान पर प्रिय दर्शन की कामना शेष रह जाती है। इसके उपरान्त तो प्रिय के कुशल-समाचार, उनके सदेश अथवा उनके विषय में किसी अन्य के कथन की कामना ही प्रमुख हो जाती है। यह प्रेम धीरे-धीरे ऐन्द्रियता के स्थान पर मानसिक धरानल का आधार ग्रहण करता है। तिरुवल्लुवर-काव्य में वियोग इसी प्रकार ऐन्द्रिय धरानल से उठता हुआ मानसिक धरानल पर पहुँचता है। विरह-वर्णन का विश्लेषण करते हुए डा० ओम्प्रकाश का कथन है—वर्णन के तीन विषय और हैं—‘स्तन, नेत्र तथा मुस्कान। जिस प्रकार मुख रूप का सामान्य प्रतिनिधि है, उसी प्रकार स्तन यौवन-जन्य शारीरिक विकास के सामान्य द्योतक है। यदि काव्य-शास्त्र की शब्दावली का प्रयोग करें तो यौवन-रम की अभिव्यक्ति में ज्योति-वर्णन ध्वनिकाव्य है, नेत्र-मुस्कान का वर्णन गुणीभूत व्यंग्य और स्तन-वर्णन चित्र-काव्य।^५ तिरुवल्लुवर-काव्य के कामखण्ड को इस दृष्टि से देखें तो निश्चय ही वह ध्वनि काव्य और गुणीभूत-व्यंग्य-काव्य है, उसमें चित्र-काव्य के अंश का अभाव है।

अग-प्रसौष्ठव—प्रिय-विरह में नायिका का शरीर अपनी स्वाभाविक कान्ति और सौन्दर्य को खो बैठा है। फलतः नेत्रों को सुन्दर पुष्पो के सम्मुख लज्जित होना पडा।^६ रोती हुई पीली आँखें प्रियतम का प्रेम प्राप्त न होने की मानो धोषणा करती है।^७ सयोग में आलिंगन-आनन्द से उठी हुई भुजाएँ अब ढीली होकर वियोग को स्पष्टतः अभिव्यक्ति प्रदान कर रही हैं। भुजाओं के सौन्दर्य-च्युत हो सिकुडकर क्षीण हो जाने से बूडिया फिसलती जा रही हैं और निष्ठुर प्रियतम की निर्ममता को व्यक्त कर रही हैं।^८ सखी कहती है—तुम्हारे प्रिय निर्दयी हैं।

१ कुरल ११०८।

२ कबीर प्रथावली, पृ० ११।

३ हरि सगति सीतल भया मिटी मोह की ताप।

निस बासुरि सुख निध्य लहेया जब अतरि प्रगट्या आप ॥—बही, पृ० ११।

४ श्रृंगार-रस का शास्त्रीय विवेचन, डा० राजेश्वरप्रसाद अतुर्वेदी।

५ बिहारी, स० डा० ओम्प्रकाश, पृ० १२५।

६ कुरल ११३१, तुलनीय ‘तबतेँ इन सबहिन सचु पायो,

जबते हरि सदेश तुम्हारो सुनत तावरो आयो—सूरसागर।

७ कुरल १२३२।

८ कुरल १२३३, १२३४।

नायिका मन में बिचार करती है—दीले बाजूबंद और क्षीण हुई मृजाबो के साथ हृदयेश के नाम का अपथला सुनने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ।^१ विरह-पीडा के कारण शरीर के कृश होने, पीला पड़ जाने, लावण्य रहित हो जाने इत्यादि का वर्णन विरह की तीव्रता और विरह-जन्य मानसिक प्रभावों का ही वर्णन है। तिरुक्कुरल्लुवर की नायिका प्रियतम के प्रवास के समय परि-स्त्यसि-जन्य विवशता के कारण अपनी सहमति दे देती है, पर अब व्याकुल होकर पूछती है कि अपने पीलापन की व्यथा किससे कहूँ ?^२ पीलापन प्रियतम-प्रदत्त है फलतः पूर्ण अधिकार-जन्य अहंकार के साथ सम्पूर्ण शरीर पर फैलता जा रहा है।^३ जाते समय प्रिय लावण्य और लज्जा तो ले गये और प्रतिफल स्वरूप विरह-वेदना और पीलापन दे गये।^४ नायिका के शरीर पर पीलापन उसी क्षण छा जाता है, जिस क्षण प्रिय प्रवास के लिए प्रस्तुत होते हैं। नायिका को देख सखी, परिवार के सदस्य एव अन्य लोग भी कहने लगते हैं—देखो कितनी दुर्बल और पीली हो गई है। नायिका कहती है—‘पर यह कहने वाला कोई नहीं कि मुझे वे छोड़कर चले गए।’^५ नायिका को अपने विषय में की जा रही चर्चा में कोई आपत्ति नहीं, पर इसी प्रसंग में होने वाली प्रियतम की निन्दा से अवश्य आपत्ति है।^६ तिरुक्कुरल्लुवर ने प्रवास-जन्य विरह का वर्णन ‘कपियलु’ के अन्तर्गत किया है। इस प्रवास के दो कारणों का उल्लेख है—१ नायक का युद्ध के लिए जाना एव २ धनोपाजन के लिए विदेश जाना।^७ तिरुक्कुरल के अन्तर्गत प्रेम के प्रारम्भिक अंश में शरीर और शरीर-जन्य सुख की कामना प्रबल रूप में उभर कर हमारे समक्ष आती है। प्रवास की सूचना मिलते ही प्रेम ऐन्द्रियता के स्थान पर मानसिक रूप धारण करने लगता है। प्रिय से वियोग आनन्द और उन्लास से वियोग है, प्रिया के समस्त भावों का आश्रय प्रेमी ही है, उनके अलग होते ही उसका जीवन भावना-विहीन, निरानन्द, तरु से कटी शाखा के सदृश हो जाता है। तिरुक्कुरल्लुवर ने विरहिणी की असहायवस्था और वैश्य के अनेक भावनामय चित्र प्रस्तुत किए हैं।

नायक के प्रवास की सूचना मिलने ही शरीर के समस्त अवयवों और मन पर मानो आघात-सा हुआ। प्रियतम का स्वभाव तो शीतल है परन्तु उनके वियोग का आघात अत्यन्त प्रबल, उनके वियोग को ‘हम से पूर्व हमारी चूड़िया ताड़ गई।’^८ प्रवास के लिए प्रस्तुत नायक आकर प्रिया को अपने शीघ्र लौट आने का आश्वासन देना चाहता है, पर नायिका

१. कुरल १२३६।

२. कुरल ११८१, तुलनीय—कर के मीडे कुसुम ली गई विरह कुम्हिलाइ।
सदा-समीपनि सखिनु हू नीठि पिछानी जाइ ॥

—बिहारी, ५१६।

३. कुरल ११८२।

४. कुरल ११८३, तुलनीय—है हिय रहति हुई छई, नई जगति जग जोइ।
बीठिहिं दीठि लगै, दई, देह दूबरी होइ ॥

—बिहारी, ५०२।

५. कुरल ११८८।

६. कुरल ११९०।

७. कुरल १२६८, १२३०।

८. कुरल १२७७।

कहती है—हे प्रिय, जाना न हो तो मुझसे कहें, अन्यथा अपने शीघ्र लौट आने का आग्रह करने उन्हें वे जो तब तक जीवित रहेंगे।^१ नायक की दृष्टि पहले तो आनन्द का कारण बनती थी परन्तु इस सूचना के उपरान्त आलिंगन में भी वियोग-भय से उत्पन्न दुःख है।^२ वह विचार करती है—अब तो किसी पर विश्वास करना भी कठिन हो गया क्योंकि मेरे हृदय को पूर्णरूपेण जानने वाले प्रियतम के मन में भी मुझसे दूर जाने का विचार उत्पन्न हुआ है।^३ नायिका सखी से कहती है—यदि मुझे बचाना ही है तो शीघ्र प्रिय के वियोग से बचाओ, अन्यथा वियोग के उपरान्त पुनर्मिलन असम्भव है।^४ प्रिय के समझाने-बुझाने के सभी प्रयास निष्फल ही रहते हैं; नायिका का तर्क है कि ‘तुम इतने कठोर हो गए कि मुझसे विलग होने की चर्चा कर रहे हो, फिर लौटकर प्रेम निभाओगे, इसकी इच्छा ही व्यर्थ है।^५ वियोग-सूचना-अन्य मानसिक पीडा का तुरन्त प्रभाव होता है और कलाई से न उतरने वाली चूड़ियां फिसल कर गिर पड़ती हैं।^६

वियोग-जन्य व्याकुलता और दैन्य का चित्रण करने में तिरुवल्लुवर को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। विरहिणी के हृदय में धधकती प्रिय-समागम की इच्छा प्रिय वियोग में तीव्रतर होकर असह्य वेदना का कारण बनती है। काम-वेदना का प्रबल समुद्र उपस्थित है, पर प्रिय के अभाव में उसे पार करने के लिए आवश्यक साधन रूपी नाव का अभाव है।^७ सयोग के क्षणों में काम आनन्द का समुद्र होता है, पर वियोग में उसका दुःख समुद्र से भी अधिक विशाल हो जाता है।^८ अर्धरात्रि में वह अपने साथ तर्क-वितर्क करती है, पर काम की ‘भवर’ में डूबती-उतराती रहती है।^९ जगत् उपकारिणी रात्रि सम्पूर्ण जीवों को अपनी गोद में सुलाती है, पर स्वयं अकेली रह जाती है। इस समय उस रात्रि का एक सहायक है—प्रिय-वियोग में निद्रा के अभाव से युक्त नायिका।^{१०} यह तो मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि कष्ट में समय एक-एक कर व्यतीत होता है, दिन तो किसी प्रकार कट ही जाता है, पर रात्रि प्रियतम की निर्ममता से भी अधिक कठोर हो जाती है क्योंकि यह दीर्घ होती जाती है।^{११} हृदय तो प्रियतम के पास चला जाता है पर नायिका ऐसा कर पाने में असमर्थ है फलतः नेत्रों के अश्रु-प्रवाह में ही तैरकर समय व्यतीत

१ कुरल ११५१।

२ कुरल ११५२।

३ कुरल ११५३।

४ कुरल ११५५, तुलनीय—दुसह बिरह दारुन दसा, रहै न और उपाइ।

जात जात ज्यों राखियतु, प्यो को नाऊँ सुनाइ ॥

—बिहारी, ६६९।

५ कुरल ११५६।

६ कुरल ११५७।

७ कुरल ११६४।

८ कुरल ११६६।

९ कुरल ११६७।

१०. कुरल ११६८।

११ कुरल ११६९। तुलनीय रझी ऐँचि, अतु न लहै, अबधि-दुसासनु बीर।

आली, बाढ़तु बिरहु ज्यों पचाली को चीर ॥—बिहारी, ५००।

करती है।^१ नायिका के नेत्रों में अश्रु देख सखी समझाती है पर विवश नायिका का कथन है—
मैं इस जल को छिपा तो लू पर यह तो स्रोत के जल के समान निकाले जाने पर भी पुनः भर
जाता है।^२

वियोग में शरीर के प्रत्येक अंग पर प्रभाव होता है पर नेत्रों की स्थिति विशिष्ट है।
प्रथम-मिलन में इन्हीं नेत्रों ने भाग कर प्रिय के दर्शन किए थे, आज ये स्वयं विलाप कर रहे हैं।
नायिका के अनुसार यह हास्यास्पद स्थिति है।^३ इन कामुक नेत्रों ने पहले तो बिना विचार
किये प्रेम किया, वही अब धैर्यहीन होकर विलाप कर रहे हैं।^४ नायिका के हृदय में असह्य
और अनन्त काम-वेदना उत्पन्न कर कामुक नेत्र स्वयं रो-रो कर सूख गये हैं।^५ यह असह्य काम-
वेदना समुद्र से भी विशाल है और इसे देने वाले नेत्र भी निद्राहीन और वेदना-पीडित हैं।^६ पर
यह नायिका के सतोष का कारण भी है क्योंकि 'मुझमें इस प्रकार की काम-वेदना उत्पन्न करने
वाले नेत्र अब दुःख से पीडित हैं—यह अच्छा ही हुआ।'^७

प्रिय-वियोग में निरन्तर स्मरण, चिन्तन का एक स्वाभाविक परिणाम है स्वप्न में प्रिय-
दर्शन। निद्रावस्था में देश-काल की सीमाएँ लाघ कर अवचेतन प्रिय-दर्शन करता है। यद्यपि
'स्मरण' में प्रिय-चित्र समक्ष ही रहता है, पर निद्रावस्था में प्रिय के दर्शनो का विशिष्ट आनन्द
है। नायिका अतिथि-सत्कार में विशेष आस्था रखती है, पर प्रियतम का सदेश लाने वाले
स्वप्न का आतिथ्य तो विशेष ही होना चाहिए।^८ नायिका के प्राण अभी टिके हुए है, उसका
कारण है जाग्रतावस्था में अप्राप्त प्रियतम को स्वप्नावस्था में देख लेना।^९ नायिका इसी कारण
जाग्रत अवस्था की कामना न कर केवल निद्रावस्था की कामना करती है क्योंकि उस स्थिति
में प्रियतम कभी पृथक् नहीं होते।^{१०} जागते हुए प्रिय-समागम का आनन्द सयोग के क्षणों में ही
रहता है, इसी प्रकार स्वप्न भी देखने भर तक मधुर होना है।^{११} निद्रा के समय स्वप्न में तो
प्रिय बाहुओं में रहते हैं, स्वप्न टूटते ही भाग कर हृदय में छिप जाते हैं,^{१२} पर नायिका के लिए
तो स्वप्न जाग्रतावस्था में प्रेम न करने वाले प्रियतम को खोज लाने का साधन बन गया है,^{१३}
और प्रियतम भी कितना निष्ठुर है, जाग्रतावस्था में तो दूर रहता है, पर स्वप्न में आकर छेड़-

- १ कुरल ११७०।
- २ कुरल ११६१।
- ३ कुरल ११७३।
- ४ कुरल ११७२।
- ५ कुरल ११७४।
- ६ कुरल ११७५।
- ७ कुरल ११७६।
- ८ कुरल १२११।
- ९ कुरल १२१२।
- १० कुरल १२१६।
- ११ कुरल १२१५।
- १२ कुरल १२१८।
- १३ कुरल १२१४।

छात्र प्रारम्भ कर देता है।^१ स्वप्न-मिलन से प्राप्त संतुष्टि के फलस्वरूप नायिका को अब प्रिय से कोई शिकायत नहीं क्योंकि स्वप्न में जो प्रियतम के दर्शन नहीं करती वही वियोग में प्रिय-तम को बुरा भला कहेगी।^२

समग्रतः यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि प्रिय वियोग में स्वप्न एक उपलब्धि के समान बन जाता है। चेतन-अवचेतन का भेद समाप्त हो अवचेतन चेतन पर हावी हो जाता है। सामान्य जीवन में अतृप्त आकांक्षा स्वप्न के माध्यम से संतुष्टि प्राप्त करती है। यह स्थिति मनोबैज्ञानिक दृष्टि से अस्वाभाविक हो सकती है, प्रेम में पने, गहरे पैठे लोगो के लिए तो यह प्रिय-मिलन की अत्यन्त स्वाभाविक प्रक्रिया है। तिष्ठवस्तुवर की नायिका को दृढ़-आस्था, भाव की अनन्यता, आदर्श प्रेम का श्रेष्ठ उदाहरण है, यह गृहिणी का विरह है, शात-सरिता के समान, गाम्भीर्य से युक्त, पर सहज, कोमल भावनाओं से ओतप्रोत ; रीतिकालीन दरबारी कवियों के उफान-युक्त प्रेम से इसकी भिन्नता स्पष्ट है।

सध्या—विरह में प्रत्येक क्षण दुःखप्रद होता है, पर सध्या का अवसर विशेष पीडा-जनक है। दैनिक जीवन के कार्यों में सलग्न नायिका का हृदय सध्या आते-आते धैर्यहीन हो उठता है। ‘सध्या’ रात्रि की सूचना है और प्रिय-विरह में रात्रि पीडा और व्याकुलता का समय है। सध्या के आने ही उसकी मद प्रभा को देख नायिका जमसे प्रश्न करती है—क्या तू भी मेरे प्रियतम के समान निर्दय है ?^३ प्रियतम के सयोग के अवसर पर आनन्दप्रदायिनी इस सध्या के इस दुःखप्रद व्यवहार से अनभिज्ञ नायिका^४ के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है—प्रातः काल का मैंने क्या उपकार किया था और दुःखदायिनी इस सध्या का क्या अपकार ?^५ पर ओसकण युक्त, मन्द-प्रभा सध्या नायिका को अतीव बलेश देती हुई बढती आती है।^६ प्रातः काल में प्रेम की पीडा कली-रूप में होती है, सम्पूर्ण दिवस में वह विकास प्राप्त करती है और सध्या में पूर्ण विकास प्राप्त कर लेती है।^७ दुःखदायिनी सध्या के आने की सूचना देने वाली ग्वाले की मुरली नायिका के लिए सहायक अस्त्र का कार्य करती है।^८ दिन भर तो प्राण प्रिय-स्मरण से बश में रहते हैं, पर बुद्धि को विकार-ग्रस्त करते हुए ढलने वाली सध्या के समय तो प्राण कूच कर रहे प्रतीत होते हैं।^९

स्मरण—नायिका अपनी स्थिति से धीरे-धीरे समझौता कर लेती है। प्रिय के प्रेम में दृढ़ आस्था और प्रबल विश्वास इसका आधार है। पर यह समझौता प्रिय स्मरण में बाधा नहीं बनता। प्रिय का स्मरण अनन्त आनन्दप्रद है। मद्यपान का स्मरण मधुर नहीं होता, पर

१ कुरल १२१७।

२ कुरल १२१६, तुलनीय मैन न खोलू डरपते मत सपना हो जाए।”

३ कुरल १२२२।

४ कुरल १२२६।

५ कुरल १२२५।

६ कुरल १२२३।

७ कुरल १२२७।

८ कुरल १२२८।

९ कुरल १२२९, १२३०।

प्रेम की मस्ती का स्मरण मधुर होता है।^१ प्रियतम के स्मरण मात्र से ही वियोग से उत्पन्न सम्पूर्ण दुःख अगोचर हो जाते हैं।^२ नायिका विचार करती है कि मेरे हृदय में वे तो उपस्थित हैं, क्या मेरे लिए भी उनके हृदय में स्थान है ?^३ यदि ऐसा है तो प्रिय-विरह शीघ्र दूर होगा, पर सम्भवतः प्रिय अपने हृदय से मुझे निरन्तर अलग रखते हैं। यदि ऐसा है तो मेरे हृदय में प्रवेश करते हुए लज्जित क्यों नहीं होते ?^४ वियोग में जीवन का आधार सयोग के मधुर-क्षण ही होते हैं अन्यथा जीवित रहने के लिए शेष रह ही क्या जाता है ?^५ प्रियतम ने सयोग के क्षणों में कहा था—हम दो नहीं हैं। ऐसा कथन कह कर भी विरह-पीडा देने वाले प्रियतम मे प्रेम के अभाव का अनुमान कर नायिका के स्नेहयुक्त प्राण सूखे जा रहे हैं।^६ नायिका चन्द्र से अनुनय-विनय करती है—हे चन्द्र ! पहले अभिन्न रहकर, फिर बिछुड जाने वाले प्रियतम को जब तक इन नेत्रों से न देख लू तब तक यही बने रहो।^७ सकेत स्पष्ट है, ज्योतिष चन्द्र में ही वह अपने प्रिय चन्द्र-मुख को देख कर सतुष्ट हो लेगी।

कबीर-काव्य में वियोग-शृंगार

कबीर ने प्रेम को दो रूपों में ग्रहण किया है—(क) अलौकिक अथवा आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत ऐहलौकिक प्रेम, यह परम सत्य, परम तत्त्व, परम आनन्द इत्यादि के ससर्ग से नवीन अर्थवत्ता ग्रहण करता है। आध्यात्मिक सदर्थ में देखने से ही उसका रूप स्पष्ट हो सकता है। अप्रस्तुत आधार लौकिक है अतः लौकिक प्रेम-विषयक अनेक निष्कर्ष इमसे प्राप्त हो सकते हैं। (ख) प्रेम का मानवतावादी रूप जिसमें अनन्त कष्टना, अहिंसा, सद्भाव, सौजन्य, मैत्री आदि मानवीय गुणों से मानव का मानवमात्र के प्रति प्रेम है। यह प्रेम धर्म का मूलाधार है, अतः इसका अध्ययन 'धर्म' के अन्तर्गत हुआ है।

कबीर का उपास्य निर्गुण, निराकार परब्रह्म है। भक्ति की साधना के लिए इस निर्गुण, निरुपाधि ब्रह्म में गुणों का आरोप आवश्यक है अतः उन्होंने परमात्मा के साथ सासारिक प्रेममूलक सम्बन्धों की स्थापना की। दाम्पत्य भाव में सम्पूर्ण समर्पण, दृढ़-निष्ठा-आधून-अनुरक्ति सम्भव देख उन्होंने इस लौकिक सम्बन्ध को अपनी साधना का अंग बनाया।

कबीर के विरह-वर्णन को परम्परागत शास्त्रीय मनोदशाओं—यथा अभिलाषा, चिन्ता, स्मरण, गुण-कथन इत्यादि के क्रमबद्ध विवेचन में बाध पाना सम्भव नहीं। इनके वियोग से निरन्तर एक प्रवाह है जो अपने मूलरूप में चरम-आस्था पर आधृत है। इसी प्रकार विरह की स्थितियों—पूर्वराग, मान, प्रवास, करुण इत्यादि का आधार यहाँ नहीं है। शुद्ध पूर्वराग

१ कुरल १२०१।

२ कुरल १२०१। तुलनीय—ध्यान आनि ढिग प्रातपति, रहति मुदित दिन राति।

पलकु कपति, पुलकति पलकु, पलकु पसीजति जाति।।

—बिहारी, ५६५।

३. कुरल १२०३।

४ कुरल १२०५।

५. कुरल १२०६।

६ कुरल १२०६।

७. कुरल १२१०।

का यहाँ अभाव है क्योंकि यहाँ प्रेम पति-पत्नी रूप को धारण कर लेता है, प्रिय का भावमन ही पतिरूप में होता है। विरह प्रवास-जन्य न होकर विभोग-जन्य है, एकाध स्थल पर प्रवास का उत्प्रेष केवल साकेतिक है।

'कबीरदास का प्रियतम 'दु ख का राजा' है। उसका रास्ता देखते-देखते आँखों में आँसू पड़ गई है, नाम पुकारते-पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं। रात-दिन आँखों से निर्भर कर रहा है, मुख से पपीहे की रट लगी हुई है—विरह-वेदना से सारा शरीर म्लान हो गया है।^१ यहाँ दु ख है, पर उसकी लीला विचित्र है। यह कन्त "हंसि हंसि न पाइये"^२ इसे प्राप्त करने का मार्ग खन है। विरह की यह अग्नि प्रबल है, शरीर को जलाकर भस्मीभूत कर रही है।^३ दिवस जिसकी प्रतीक्षा में व्यतीत होता है, रात्रि भी उसी का पथ जोहने में बीत जाती है, प्रिय लौट कर नहीं आते और हृदय निरन्तर तडपन का अनुभव करता है।^४ दिवस-रात्रि की पीडा तो है ही, स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता।^५

व्याकुलता—यहाँ स्थिति लोक में प्रचलित शृङ्गार-वर्णन से नितांत भिन्न है। नायक का परस्त्री-सम्बन्ध का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, प्रवास की स्थिति भी यहाँ नहीं है, विरह का समस्त आधार ही भिन्न है। यहाँ प्रिय भी विचित्र है, प्रिया भी, पर दूरी विद्यमान है, "आइ न सकौं तुम्ह पैं, सकू न तुम्ह बुलाइ"^६ से असहायावस्था और मार्मिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इस पीडा-जन्य व्याकुलता को वही समझ सकता है जिमने इसका स्वय अनुभव किया हो।^७ 'बहुत दिनन के बिछुरे' प्रिय के दर्शन के लिए आतुर प्रिया विरह की अग्नि में रात्रि-दिवस जल रही है, वह प्रिय से शीघ्र लौट आने की अत्यन्त कातर भाव से प्रार्थना करती है।^८

प्रिय-मिलन की उत्कट अभिलाषा—प्रियतम के प्रति अनन्य निष्ठा एवं मिलन की प्रबल कामना से युक्त प्रिया के मन में अनेक इच्छाएँ उमड़ती हैं। मिलन-सुख और हिलमिल कर खेलने की प्रबल कामना उसे व्याकुल करती है। प्रिय की प्रतीक्षा में शय्या सिंह के समान हो गई है, जब वह उस पर सोने का उपक्रम करती है, वह खाने को दौड़ती है। शय्या पर पड़े-पड़े

१ कबीर—ह० प्र० द्विवेदी, पृ० १६३ ('दु ख रातेर राजा'—रवीन्द्रनाथ ठाकुर)

२ हँसि हँसि कत न पाइये, जिनि पाया तिन रोइ।—कबीर ग्रथावली, पृ० ७।

३ यहू तन जाँलौ मसि करू, ज्यू धूवा जाइ सरगि ॥—वही, पृ० ६।

४ कबीर देखत दिन गया, निस भी देखत जाइ।

विरहणि विव पाबै नहीं, जियरा तलपै माइ ॥—वही, पृ० ८।

५ बासुरि सुख नाँ रैणि सुख, नाँ सुख सुपनै माहि ॥—वही, पृ० ६।

६ वही।

७ सोई पैं जानै पीर हमारी, जिहि सरीर यहू ब्योरी ॥—वही, पृ० १४३।

८ हो बलिया कब देखोगी तोहि।

अह निस आतुर दरसन कारनि, ऐसी ब्यापं मोहि।

नैन हमारे तुम्ह कू चाँहैं, रती न मानै हारि ॥

विरह अग्नि तन अधिक जराबै ऐसी लेहु बिचारी।

×

×

बहुत दिनन के बिछुरे मावो, मन नहीं बाँधे धीर ॥—वही, पृ० १४३।

रात्रि भर जाग कर शरीराग्नि में निरन्तर जलते हुए भी यही कामना रहती है कि 'मिलै जे साईं, मिलि करि मंगल गाइ ।'^१ वियोग में व्याकुल प्रिया को न अन्न अच्छा लगता है, न रात्रि में नींद आती है, प्रिय बिना जीवन व्यर्थ है ऐसा भाव उसके मन में बार-बार आता है। प्रिय के स्नेह का प्रमाण तो तभी मिलेगा जब वह आकर प्रिया के सग एक ही शय्या पर सोबेथा।^२ वह सखी से बिनती करती है—'चली सखी जाइये तहा, जहा गयें पाइयें परमानद ।'^३ मछली के समान तड़पती हुई वह दीन भाव से कहती है—'कोई मोहि राम मिलावै ।' विरह की यह अग्नि अन्दर-ही-अन्दर जलती रहती है, इसका धुआ बाहर प्रकट नहीं होता, विरह जग्य व्याकुलता का अनुमान तो 'जाके लागी सो लखै ।'^४ प्रिय ने जब से वित्त चुराया है तब से कुछ भी अच्छा नहीं लगता^५ और 'बिसरे ग्यान बुद्धि सब नाही, भई विकल मनि भौरी' की स्थिति हो गई है।^६

एकनिष्ठता एव प्रेम का दुस्तर मार्ग—कबीर के प्रेम में सम्पूर्ण एव सर्वांगीण त्याग की भावना का स्वर है। गृहस्थ में दम्पति का प्रेम पारस्परिक सहयोग, विश्वास, सद्भाव एव सम-भौते पर आधृत होता है। प्रिय का वियोग यत्नी को अस्थिर कर सकता है व्याकुल कर सकता है, पथभ्रष्ट नहीं। कबीर-काव्य का दाम्पत्य-प्रेम आदर्श पतिव्रता की असीम त्याग भावना, एकनिष्ठता और अपने 'स्व' को पूर्णरूपेण लीन कर देने के भाव से युक्त है। 'ज्यू' हरि राखै स्यू रहीं, जो देवै सौ खाउ' में मनमा, वाचा, कर्मणा समर्पण है।^७ लौकिक प्रेम में इस त्याग एवं उत्सर्ग का महत्त्व सर्वस्वीकृत है। यह आदर्श प्रेम का प्रमुख आवार है, पर कबीर की प्रिया तो निरन्तर बलिदान का माकार रूप है। विषय वासना से प्रेरित सामान्य मनुष्य तो मृत्यु से भयभीत रहता है, पर यहा तो शूरीरता का चिह्न ही हसते हसते मृत्यु का आलिगन करना है। यह पतिव्रता सती तो मृत्यु का आवाहन करती है, उसे सामने से भेंटती है, उसे प्राप्त कर हर्षातिरेक से आनन्द-विभोर हो उठती है। जो शूर है, वह तो सीस उतार कर हाथ में रखता

१ वै दिन कब आवेंगे माइ ।

जा कारनि हम देह धरी है, मिलिबौ अगि लगाइ ।

हौं जानू जे हिन मिलि खे लू, तन मन प्रान समाइ ।

या कामना करी परपूरन, समरथ हौ राम राइ ।

माहि उदासी माधी चाहै, चितवति रैनि बिहाइ ।

सेज हमारी स्यध भई है, जब सोऊ तब छाइ ॥—कबीर ग्रथावली, पृ० १४३-१४४ ।

२ एक मेक ह्वै सेज न सोवै तव लग कंसा नेह रे ।

आन न भावै नीद न आवै ग्रिह बन धरै न धीर रे ।

×

×

×

... बिन देखे जीव जाइ रे ॥—वही, पृ० १४४ ।

३. वही, पृ० १४३ ।

४ हिरदा भीतरि दी बलै, धुवा न प्रगट होइ ॥—वही, पृ० ६ ।

५. व्यतामणि चित चोरियो, तार्थ कछू न सुहाइ ॥—वही, पृ० १४३ ।

६ वही ।

७ वही, पृ० १५ ।

है।^१ प्रेम के इस बोधे पर चैतन्य सवार ही चढ़ सकता है।^२ यह मार्ग तो 'खडि की धार' और 'अनामि की भाव' है।^३ इस प्रेम के मार्ग में दूरी का कोई महत्त्व नहीं, यहाँ तो 'जो जाही को भावता, सो ताही के पास'^४ की स्थिति है। कुमुदिकी जल में वास करती है, पर आकाश के निवासी चन्द्र से प्रेम करती है। जो प्रेम करता है, उसे प्रिय कभी-न कभी अवश्य मिलेंगे क्योंकि जिसे तन और मन सौंपा जाता है वह कभी छोड़कर नहीं जा सकता।^५ यहाँ प्रेम के मूल में आस्था और पूर्ण विश्वास का स्वर प्रमुख है, निरन्तर आशावती प्रेयसी के हृदय में स्पष्ट धारणा है कि प्रिय-मिलन होगा। वह विचार करती है—एक बार प्रिय मिल जाये तो उसे अपने नेत्रों में इस प्रकार बन्द कर लूगी कि मैं अन्य किसीको न देख सकूँ और नेत्रों में बन्द प्रिय भी तब किसी अन्य को नहीं देख पाएँगे।^६ अपने प्रिय पर इतना प्रबल विश्वास और अधिकार का दावा तो बही कर सकता है जो एकनिष्ठ भाव से प्रेम करे। यही भाव 'जि मन लागै एक सू, तो निरबात्या जाइ', 'जिन दिल बधी एक सू, ते सुख सोवै नबीस', और 'आसा एक जु राम की, दूजी आस निरास'^७ इत्यादि अनेक प्रसंगों में अभिव्यक्त हुआ है।

बूढ़ आस्था और प्रबल इच्छा शक्ति—इस सम्बल का आश्रय ग्रहण करने पर ही प्रेयसी कह सकती है—

जेते तारे रँगि के, तेतैं बैरी मुझ ।

धड सूली सिर कगुरै, तऊ न बिसारौं तुझ ॥^८

प्रिया की इसी निष्ठा का ही परिणाम है कि वह अपने तन और मन को 'राम पियारे जोग' ही मानती है। 'राम भरतार' के लिए ही वह शृंगार करती है।^९ जो स्वयं को निरन्तर उत्सर्ग कर सकता है, वह मृत्यु को भी हमते-हसते ग्रहण कर सकता है। प्रिय-मिलन में बाधा तो 'स्व' ही है, इस 'स्व' का त्याग ही तो मृत्यु है, इस मृत्यु की कामना कौन शूर नहीं करेगा? पतिव्रता का प्रेम आदर्श है क्योंकि यहाँ प्रेम आवेश नहीं, एक स्वभाव है, यह क्षणिक उफान नहीं, निरन्तर बना रहने वाला सरिता का घात प्रवाह है। यह गम्भीर, कर्तव्य और दायित्व से प्रेरित, स्निग्ध, कोमल भावनाओं पर आधारित है। कबीर काव्य में सती और शूर प्रेम का आदर्श रूप माने गए हैं। डा० ह० प्र० द्विवेदी के शब्दों में 'जो प्रेम पद पद पर भाव-विह्वल कर देता है, जो मन और बुद्धि का मथन कर धनुष्य को परवश बना देता है, जो उत्तम भावावेश प्रेमी को हतचेतन बना देता है, वह कबीरदाम का अभीष्ट नहीं है। भवन का संग्राम शूर के संग्राम से

१ सीस उनारें हाथि करि सो लेसी हरि नाम ॥—कबीर ग्रथावली, पृ० ५५।

२ वही, पृ० ५५।

३ वही।

४ वही, पृ० ५३।

५ जो है जाका भावता, जदि तदि मिलमी आइ।

जाको तन मन सौंपिया, सो कबहू छाडि न जाइ ॥—वही, पृ० ५३।

६ नैनो अंतरि आव तू, ज्यू ही नैन भँपैऊ।

नां हौं देखीं और कू, नां तुझ देखन देउ ॥—वही, पृ० १५।

७ वही, पृ० १५।

८ वही, पृ० ५५।

९ वही, पृ० १५३।

भी बढ़ कर है, सती के आत्म-बलिदान से भी श्रेष्ठ है।^१ प्रेमिका सखी से पूछती है—

“हैं लोहि पूछीं हे सखी, जीवत क्यूं न मराइ ।

मूँदा पीछे सत करे, जीवत क्यूं न कराइ ॥^२

सती को प्रेम का आदर्श मान कर कबीर ने प्रेम-मार्ग की दुस्तरता का उल्लेख अनेक स्थलों पर किया है।^३ मृत्यु का यह प्रेम अगम्य है, खाला का घर नहीं, यहा तो जो 'सीस उतारै हाथि करि, सो पैसे घर माहि।'^४ यहा दूरी तो है पर नैक्य शीश-दान से ही प्राप्त हो सकता है, और अन्य मार्ग नहीं है—जब लग सिर सौपे नाहि, कारिज सिधि न होइ। यह प्रेम अद्भुत है, असाधारण है, पर सर्वसुलभ है, यह खेत से उत्पन्न नहीं होता, दुकान पर नहीं बिकता, 'राजा परजा जिस रचै, सिर दे सो ले जाइ'।^५

निष्कर्ष

तिरुवल्लुवर एव कबीर के शृंगार-सम्बन्धी वर्णनों के तुलनात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों कवि प्रेम की गहनता और गम्भीरता को विशेष महत्त्व प्रदान करते हैं, इनका 'प्रेम' मर्यादित है। दोनों कवियों के शृंगार-वर्णन की मूल-सामग्री में अन्तर है। तिरुवल्लुवर के शृंगार-वर्णन का धरातल लौकिक है एव नायक-नायिका का प्रकृत प्रेम वर्णन का विषय है। कबीर ने अलौकिक, आध्यात्मिक प्रेम को वर्णन का विषय बनाया है, इस आध्यात्मिक प्रेम की आधार-सामग्री प्रकृत प्रेम ही है। लक्ष्य-वैभिन्य होने पर भी प्रेम की मादकता, प्रिय-हृदय की अद्भुत व्याकुलता, प्रिय-वियोग में मिलन की उत्कट अभिलाषा इत्यादि के वर्णन में अद्भुत साम्य दृष्टिगत होता है। तिरुवल्लुवर ने प्रेम में जिस प्रणय-मान और काल्पनिक ईर्ष्या पर आवृत्त 'ईर्ष्यामान' का वर्णन किया है वह कबीर में उपलब्ध नहीं, कबीर में उत्सर्ग एव सम्पूर्ण-समर्पण का भाव अधिक प्रबल है। शूरवीर एव पतिव्रता के आदर्श ग्रहण करने का यही कारण है। प्रेम की सूक्ष्मता और प्रेमी-हृदयों की कोमल भावनाओं को समझने एव अभिव्यक्त करने में दोनों कवि अत्यन्त सफल रहे हैं, इनके काव्य का अनुभूति-पक्ष भारतीय साहित्य की अमूल्य सम्पत्ति है।

१. कबीर, पृ० १६४।

२. कबीर ग्रन्थावली, पृ० ५६।

३. (क) सती जलन कूं नीकली, पीव का सुमरि सनेह।

सबद सुनत जीव नीकल्या, भूलि गई सब देह ॥

(ख) सती जलन कूं नीकली चित धरि एकबमेख।

तन मन सौंप्या पीव कू, तब अतरि रही न रेख ॥—वही, पृ० ५६।

(ग) सती सूरु तन साहि करि, तन मन कीया घाण।

दिया महीना पीव कू, तब मडहट करे बषाण ॥—वही, पृ० ५५।

(घ) टूटी बरत अकास पै, कोइ न सकै भड भेन।

साध सती अरु सूर का, अणी ऊपिला खेल ॥—वही।

(ङ) सती बिचारी सत किया, काठौं सेज बिछाइ।

ले सूती पिव आपणा, चहु दिसि अगनि लगाइ ॥—वही' . . . इत्यादि।

४. वही, पृ० ५४।

५. वही, पृ० ५५।

तिरुवल्लुवर एवं कबीर-काव्य में सामाजिक अभिव्यक्ति

- (क) सामाजिक अभिव्यक्ति - परिवार—पति, पत्नी, संतति, मित्र (तृतीय अध्याय में), राज्य—प्रजा, अधिकारी-वर्ग ।
- (ख) तिरुवल्लुवर-काव्य में सामाजिक अभिव्यक्ति - पूर्वराग, दाम्पत्य-जीवन, निषिद्ध प्रेम, वेषभूषा, आभूषण, श्रुगार-प्रसाधन सामाजिक विभाजन—गृहस्थ सन्यासी, ढोंगी तपस्वी, भोजन-पान, मासाहार निषेध एवं मद्य-निषेध, सामाजिक जीवन में व्याप्त कुरीतियाँ—जुआ, वेद्यावृत्ति औषधि, कृषि-प्रधान समाज ।
- (ग) कबीर काव्य में सामाजिक अभिव्यक्ति : गृहस्थ एवं वैरागी, दाम्पत्य जीवन में पत्नी, संतति, निषिद्ध-प्रेम, सामाजिक-विभाजन, श्रुगार-प्रसाधन एवं आभूषण, भोजन-पान, मासाहार-निषेध एवं मद्य-निषेध, वेद्यावृत्ति, कृषि । निष्कर्ष ।

4
2 1

2

2

सामाजिक अभिव्यक्ति

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कोई भी मनुष्य समाज से असम्पृक्त नहीं। जन्म से मृत्यु पर्यन्त हमारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म सामाजिक-संगठन एवं परिवेश से प्रभावित होता है। विकास के क्रम में हम निरन्तर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में समाज से सम्पृक्त रहते हैं। खान-पान, वस्त्र इत्यादि से लेकर हमारे चिन्तन-मनन एवं विभिन्न क्रिया-कलापों को सामाजिक जीवन की परिधि में ही विकास एवं दिशा प्राप्त होती है।

कवि स्रष्टा है, वह समाज से प्रेरणा प्राप्त कर अपने काव्य से समाज को प्रभावित करता है। इस प्रकार काव्य में समाज एवं सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पर जो कलाकार अपने युग के समाज एवं उसकी परिस्थितियों के प्रति विशेष जागरूक होता है, उसकी कला एक ओर सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन करती है तो दूसरी ओर समाज को दिशा देने का कार्य भी सपन्न करती है। ऐसा कवि अपने युग की चेतना को अभिव्यक्त करने वाला युग-प्रतिनिधि कहा जाता है।

तिरुवल्लुवर एवं कबीर के काव्य में सामाजिक अभिव्यक्ति अत्यन्त सहज है। ये दोनों कवि समाज के विभिन्न पक्षों के प्रति इतने अधिक जागरूक हैं कि अनायाम ही समाज अनेकानेक प्रसंगों में इनके द्वारा स्वतः चित्रित होता चला गया। इन कवियों के काव्य में सामाजिक अभिव्यक्ति के रूप में अध्ययन करने के उद्देश्य से सामाजिक ढांचे को विभक्त कर लेना उचित होगा। इसके लिए हमें समाज के स्वरूप और उसकी इकाइयों का परिचय प्राप्त करना होगा।

मनुष्य की प्रवृत्ति एक ऐसे संगठन के निर्माण और पुनर्निर्माण करने में व्यक्त होती है जो उसके व्यवहार का अनेक प्रकार से मार्ग-दर्शन और नियन्त्रण करता है। यह संगठन 'समाज' है, जो मनुष्य की क्रियाओं को स्वतन्त्र और सीमित करता है, उनके लिए स्तर निश्चित करता है जिन्हें वे अपनाते और बनाये रखते हैं। 'समाज कार्य-प्रणालियों और प्रकारों की, अधिकार-सत्ता और पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों और बगैरों की तथा मानव-व्यवहार के नियन्त्रणों और स्वतन्त्रताओं की एक व्यवस्था है। इस निरन्तर परिवर्तनशील व जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं।'^१

परिवार

समाज में परिवार सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण इकाई है। "परिवार लैंगिक सम्बन्धों से परि-

१ Society is a system of usages and procedures of authority and mutual aid, of many groupings and divisions, of controls of human behaviour and of liberties. This ever-changing complex-system we call society. It is the web of social relationships, and it is always changing

भावित एक समूह है जो सन्तानोत्पत्ति व उसके पालन-पोषण में पर्याप्त सुनिश्चित एवं सहिष्णु है। उसके भीतर सगीत्री तथा गोण सम्बन्ध हो सकते हैं, किन्तु वह अपनी सन्तान तथा सहृदय व्यक्तियों के साथ जीने की सुस्पष्ट इकाई है।^{११} यह ठीक है कि गणनात्मक अथवा संख्यात्मक रूप प्रायः व्यक्तियों का ही लिया जाता है पर वास्तविक सामाजिक सगठन का आधार परिवारों का समूह है। इसीलिए सामाजिक जीवन का आधार, सबसे छोटी इकाई परिवार ही है।^{१२} समरूपता, अन्योन्याश्रित होना, सहकारिता इत्यादि गुण समाज के महत्त्वपूर्ण लक्षण हैं। परिवार को तीन अंगों में विभक्त किया जा सकता है—(अ) पति, (आ) पत्नी, (इ) सतति। इन तीनों के सम्मिलन से ही परिवार का निर्माण पूर्ण होता है। यद्यपि परिवार के अस्तित्व के लिए सन्तान अनिवार्य आवश्यकता नहीं तथापि साधारणतया सतति के महत्त्व को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। परिवार समाज का प्रमुख आधार है और परिवार-मुक्त सन्यासी, साधु आदि भी परिवार अथवा गृहस्थ पर निर्भर करते हैं। इस आधारभूत इकाई के अतिरिक्त सामाजिक संस्थाओं में अंतिम और प्रमुख संस्था राज्य है। राज्य के अन्तर्गत (अ) प्रजा, और (आ) शासक तथा अधिकारी-वर्ग, दो प्रमुख वर्ग हमारे समक्ष आते हैं।

भारतीय परम्परा में गृहस्थ अथवा परिवार को सदा विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। मनु के अनुसार गृहस्थ सभी आश्रमों के लिए उसी प्रकार आश्रय है जिस प्रकार समस्त जीवों के लिए प्राणवायु।^{१३} समाज में गृहस्थ इतर तीनों आश्रम गृहस्थाश्रम से ही ज्ञान तथा अन्न को प्राप्त करते हैं, इस कारण गृहस्थ ही सबसे श्रेष्ठ है।^{१४} कालिदास के दिलीप ने गृहस्थ के लिए सन्तान को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मानकर कहा—

लोकास्तरसुख पुण्य तपोदानसमुद्भवम् ।

सन्तति शुद्धवश्या हि परत्रेह च शर्मणे ॥^{१५}

सन्तान से विरहित मनुष्य स्वयं को अपूर्ण अनुभव करता है। इस प्रकार गृहस्थ एक ओर समाज के अन्य आश्रमों के लिए आधार है और दूसरी ओर जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर होने का सुनियोजित एवं सुनिश्चित मार्ग है।

तिरुवल्लुवर-काव्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति

गृहस्थ की पूर्वभूमिका स्त्री और पुरुष का पारस्परिक आकर्षण अथवा पूर्व-राग है। अतः तिरुवल्लुवर काव्य में सामाजिक चित्रण का अध्ययन इसी प्रसंग से प्रारम्भ करते हैं—

१ समाज—एक परिचयात्मक विश्लेषण, अनु० जी० विश्वेश्वरय्या, पृ० २४२ ।

२ Socially and morally considered, family groups are the smallest units into which social life can be resolved

—On Society, Fredrick Harrison, p. 34

३. यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वं जन्तव ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वं आश्रमा ॥—मनु०, ३।७७ ।

४. यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम् ।

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥—वही, ३।७८ ।

५. रघुवश, १।६६ ।

पूर्व-राग

तिरुवल्लुवर ने तमिल के परम्पराभित ढग से प्रेम के दो रूपों को स्वीकार किया है। पूर्व राग एवं दाम्पत्य-प्रेम (कमल कलवु एवं करपु)। पूर्वराग (कलवु) सम्बन्धित सामग्री के अध्ययन से तिरुवल्लुवर के समाज में व्याप्त विवाह-पूर्व प्रेम-जीवन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। युवक-युवतियों को प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करने की पर्याप्त स्वतन्त्रता थी पर यह स्वतन्त्रता होते हुए भी सामाजिक परिवेश पर्याप्त दृढ़ था और गन्धर्व विवाह का सामाजिक अनुमोदन अत्यन्त सरल नहीं था। सारीरिक आकर्षण से बन्धे हुए युवक और युवती के हृदय में उत्पन्न अनेक भावों की अभिव्यक्ति करते हुए कवि ने युवती की स्वाभाविक लज्जाशीलता, उसकी हिरणी के सदृश यौवन-वृष्टि^१ तथा सकोच-युवन दृष्टि में छिपे हुए आनन्द का उल्लेख किया है।^२ प्रथम दृष्टि में ही प्रेम का उदय होता है पर लज्जा के कारण नायिका सिर झुका लेती है,^३ जब नायक उसको निहारता है तो वह पृथ्वी पर दृष्टि डालती है, जब उसका ध्यान हटता है तो उसकी ओर देखकर मन्द-मन्द मुस्कान^४ मरल स्वाभाविक प्रकृत-प्रेम के विकास की सामग्री बनती है। जब नायिका सीधी दृष्टि से अपने आकर्षण के पात्र को देखने में स्वयं को असमर्थ पाती है तो नेत्र निकोड कर मुस्काती है,^५ अपरिचित के समान बात करती हुई भी स्नेह-भीन शब्द बहुत कुछ कह देते हैं।^६ नायक को नायिका के मधुर एवं कठोर शब्द तथा दृष्टि बाह्य रूप से अपरिचित प्रतीत होती है पर उसका हृदय नायिका के हृदय के स्नेह की सूचना प्राप्त कर ही लेता है।^७ धीरे-धीरे यह आकर्षण विकास प्राप्त करता है, नायक के देखने पर नायिका मुस्काती है और उस क्षण उस कोमलांगी में एक अनुपम सौन्दर्य की झलक नायक प्राप्त करता है।^८ यह प्रक्रिया नयनों के नयनों से मिलने से पूर्ण होती है क्योंकि नयनों के नयनों से मिलते ही शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।^९ नायक के हृदय में भी इसी प्रकार प्रथम दर्शन से प्रेम का उदय दिखाया गया है। वह उसके नेत्रों, उभरे हुए वक्षस्थल,^{१०} उज्ज्वल मस्तक,^{११} वक्र-भृकुटि^{१२} एवं सौन्दर्य में अभिभूत हो जाता है। इस प्रकार के वर्णन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि युवक-युवतियों के परस्पर एकान्त मिलन, आकर्षण और प्रेम की स्थिति विद्यमान थी और इसे अत्यन्त स्वाभाविक माना जाता था।

१. कुरल १०८६।
२. कुरल १०६२।
३. कुरल १०६३।
४. कुरल १०६४।
५. कुरल १०६५।
६. कुरल १०६६।
७. कुरल १०६७।
८. कुरल १०६८।
९. कुरल ११००।
१०. कुरल १०८७।
११. कुरल १०८८।
१२. कुरल १०८९।

यह आकर्षण एकान्त-भिलन से विकास प्राप्त कर प्रेम का रूप धारण करता है। नायक नायिका का शरीर-सम्बन्ध स्थापित होता है। शरीर का सम्पर्क एक विचित्र क्रिया है, मिश्रित पहुँचने पर बाला की शरीरान्ति युवक के लिए वीतलता प्रदान करने वाली बनती है।^१ युवक को अपनी प्रिया के सुकोमल स्कन्धो का आलिंगन विष्णुलोक के आनन्द से भी श्रेष्ठ दिखाई देता है।^२ कल्पलता के समान ही पुष्प-गुथित केश-युक्त बाला उसे इच्छित पदार्थ का विचार करते ही उन्हीं के समान आनन्द प्रदान करती है।^३ नायिका के प्रत्येक स्पर्श में नायक को नवस्फूर्ति प्राप्त होती है।^४ आलिंगन, अद्भुत शरीर-सुख एव मानसिक उल्लास का आधार बनता है और फिर ऐसा आलिंगन कि मध्य में वायु भी न रह सके, दोनों को अतीव आनन्द प्रदान करता है।^५ मनुष्य ज्यो-ज्यो अध्ययन करता है वह अपने अज्ञान से परिचित होता है, उसी प्रकार प्रत्येक बार स्वर्णाभूषिता के परिस्मन से नवीन अनुभव की उपलब्धि नायक को होती है।^६ उसे आलिंगनाबद्ध नायिका का शरीर अनिच्चम् (शिरीष) के पुष्प से भी अधिक कोमल प्रतीत होता है।^७ उसके नेत्र कुमुदिनी से श्रेष्ठ, मुख चन्द्रमा से श्रेष्ठ और कोमल चरण अनिच्चम् तथा हस के पखो से भी कोमल प्रतीत होते हैं।^८ प्रेम-सम्बन्धो के स्वाभाविक विकास के इस प्रकार के अनेक चित्र तत्कालीन समाज के स्वतन्त्र चिन्तन एव उल्लास-मय जीवन का स्पष्ट प्रमाण हैं।

दाम्पत्य जीवन

तिरुवल्लुवर सामाजिक जीवन के लिए गृहस्थ की अनिवार्यता स्वीकार करने हैं। उनके युग के गृहस्थ एव दाम्पत्य जीवन की स्थिति का अनुमान तद्विषयक कथनों में हो सकता है। गृहस्थ जीवन समाज में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्वीकार किया जाता था क्योंकि गृहस्थ अन्य तीनों आश्रमों में धर्मानुसूल जीवन व्यतीत करने वाले के लिए स्थायी आधार होता है।^९ गृहस्थ जीवन का निर्वाह करने वाले व्यक्ति के लिए अन्य मार्ग की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया जाता था।^{१०} क्योंकि नियमानुसार गृहस्थ-जीवन व्यतीत करने वाला जीवन में प्रवृत्त सभी आश्रमवासियों से श्रेष्ठ माना जाता था।^{११} साधु, निर्धन, निराश्रित और मृतक का सहायक गृहस्थ ही था।^{१२} गृहस्थ के प्रमुख कर्तव्यों में अतिथि-सत्कार, धन-संग्रह और सन्तान-प्राप्ति था।

-
- १ कुरल ११०४।
 - २ कुरल ११०३।
 - ३ कुरल ११०५।
 ४. कुरल ११०७।
 - ५ कुरल ११०८।
 - ६ कुरल १११०।
 - ७ कुरल ११११।
 - ८ कुरल ११२०।
 - ९ कुरल ४१।
 १०. कुरल ४४।
 - ११ कुरल ४७।
 - १२ कुरल ४२।

सन्तान के पालन-पोषण पर अत्यधिक बल दिया जाता था। इसका लक्ष्य था निष्कलंक एवं सम्बन्धित नागरिक प्रस्तुत करना।^१ बुद्धिमान सन्तान ही वास्तविक सम्पत्ति मानी जाती थी। पारिवारिक जीवन साधारणतया मधुर एवं उल्लासयुक्त होता था—विशु, की तौतली बोलती, सन्तान का तन-स्पर्श, बच्चे के शिशु-हाथों से भोजन से खिलवाव इत्यादि परिवार में आनन्द और सुख की वर्षा करते थे।

पत्नी प्रायः धर्म-कार्यों में पति का साथ देती थी। पत्नी के प्रमुख गुणों में गृहस्थ की पति की आज्ञा के अनुसार संचालित करना,^२ सुवृद्ध सतीत्व से युक्त रहना^३ एवं अपनी मर्यादा को बनाये रखना^४ था। पर सामाजिक जीवन में यदाकदा यह नियम भंग भी हो जाता था। पर-पुरुष अनुरक्ता स्त्री का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इस प्रकार की स्त्री का पति अपमानित करने वालों के समक्ष पुरुष-सिंह के समान ऊंचा शीश करके चलने में स्वयं को असमर्थ पाता है।^५ पर यह जन-जीवन का साधारण रूप न होकर निन्दनीय घटना के रूप में ही था। साधारणतया गृहिणी सद्गुण-सम्पन्ना, गृहस्थ^६ की मर्यादा को बनाये रखने वाली ही होती थी। ऐसी स्त्री को गृहस्थ की मागलिका शोभा स्वीकार किया गया है।^७

पत्नीतर प्रेम (निषिद्ध प्रेम)

तिरुवल्लुवर का समाज प्रायः गृहस्थ की मर्यादा का दृढतापूर्वक निर्वाह करता है, पर यदाकदा परस्त्री से प्रेम के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं। उस समाज में परस्त्री अनुरक्त पुरुष एवं परपुरुष अनुरक्ता स्त्री का सम्मान नष्ट हो जाना था। अन्य की स्त्री के गृहद्वार पर प्रतीक्षा करने वाला अधर्म-पथगामियों में सर्वाधिक मूढ माना गया है।^८ अति सुलभ मानकर अन्य स्त्री पर आसक्त होने वाला स्थायी निन्दा का पात्र बनता था।^९ दूसरे की पत्नी को कामेच्छा से निहारना मूल सदाचरण के विपरीत माना जाता था।^{१०} इस प्रकार के मनुष्य को सामाजिक निन्दा के अतिरिक्त शत्रुता और पाप-भय का भी सामना करने के लिए तत्पर रहना होता था।^{११} धर्म-परायण गृहस्थ से वल्लुवर अन्य की धर्म-पत्नी में कभी भी आसक्त होने की आशा नहीं करते।^{१२}

स्पष्ट है कि तिरुवल्लुवर के समाज में स्व-पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य की स्त्री से

-
- १ कुरल ६२।
 - २ कुरल ६१।
 - ३ कुरल ५१।
 ४. कुरल ५४।
 - ५ कुरल ५६।
 - ६ कुरल ५६।
 - ७ कुरल ६०।
 - ८ कुरल १४२।
 ९. कुरल १४५।
 १०. कुरल १४८।
 ११. कुरल १४६।
 १२. कुरल १४७।

सम्पर्क करना धर्म और सदाचार का उल्लेखन माना गया है। स्त्री से आशा की जाती थी कि वह पर-पुरुष में अनुरक्त न हो, गृहस्थ की मर्यादा को अपने सतीत्व से बनाये रखे और पुरुष से भी आशा की जाती थी कि वह परस्त्री की ओर कामेच्छा से न देखे, पर-स्त्री के स्कन्धों का आलिंगन कर पाप का अधिकारी न बने। इस प्रकार के सम्बन्धों का दायित्व स्त्री और पुरुष दोनों पर होता है, इसलिए दोनों के लिए सामाजिक विधान उपलब्ध था। पर इस प्रकार के सम्बन्धों के विषय में समाज-निन्दा और पाप के भय के अतिरिक्त और किसी प्रकार के दण्ड-विधान का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता।

वेशभूषा, आभूषण, शृंगार-प्रसाधन आदि

तिरुवल्लुवर-काव्य के आधार पर यदि इस युग के इस पक्ष का अध्ययन करना चाहे तो दो प्रकार के आभूषणों का उल्लेख प्राप्त होता है। स्वर्णाभूषण और पुष्प-आभूषण। अपार प्राकृतिक वैभव एवं पुष्पों के भंडार से युक्त इम कृषि-प्रधान समाज में आभूषण प्रायः पुष्पों के होते थे। तिरुवल्लुवर ने नायिका के 'पुष्प गुथित केश'^१ और अनिच्चम् (शिरीष) के पुष्प को वेशों में धारण करने^२ का वर्णन किया है। स्वर्ण आभूषणों में किसी आभूषण विशेष का उल्लेख प्राप्त नहीं होता, पर स्त्रियाँ प्रायः सौन्दर्य-अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण आभूषण धारण करती थीं, इसका सकेत 'स्वर्ण-कुण्डल भूषिता युवती'^३, 'भूषण-भूषिता'^४ 'स्वर्णाभरण भूषिता'^५ इत्यादि से मिलता है। आभूषणों में सर्वाधिक प्रिय आभूषण चूड़ी थी, चूड़िया घनी और शृङ्खलाबद्ध पहनी जाती थी। इनको सम्भवतः चमकीला बनाया जाता था। वल्लुवर 'प्रकाश-पूर्ण चूड़ियो से आभूषित बाला'^६ 'माला जैसी शृङ्खलाबद्ध चूड़िया'^७, 'घनी चूड़ियो से युक्त मेरी प्रियसी'^८ का वर्णन करते हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रसंगों में नायिका की चूड़ियों का वर्णन आया है। विद्योग में शरीर की दुर्बलता का परिचय देने का कार्य भी चूड़ियों का ही है।^९ सौन्दर्य-प्रसाधन में केवल काजल (अजन) का वर्णन उपलब्ध है, 'अजन रजित नयन'^{१०} और प्रियतम के नेत्रों में बसे होने के कारण काजल लगाने से भयभीत नायिका^{११} का वर्णन मिलता है। सम्भव है अन्य सौन्दर्य-प्रसाधन भी रहे हों, पर उनका वर्णन तिरुक्कुरल में नहीं हुआ।

-
१. कुरल ११०५।
 २. कुरल १११५।
 ३. कुरल १०८१।
 ४. कुरल ११०२।
 ५. कुरल १११०, और देखें, कुरल ११०२ एवं ११२४।
 ६. कुरल ११०१।
 ७. कुरल ११३५।
 ८. कुरल १२७५।
 ९. कुरल ११५७, १२३४, १२३५, १२३६, १२३८, १२७७, १२७९।
 १०. कुरल १०६१।
 ११. कुरल ११२७।

सामाजिक विभाजन

तिरुवल्लुवर के काव्य से सामाजिक विभाजन के दो प्रमुख रूपों की सूचना उपलब्ध होती है—गृहस्थ और संन्यासी। गृहस्थ जीवन को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है। नियमा-नुसार गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाला मनुष्य जीवन में प्रवृत्त सभी आश्रमवासियों से श्रेष्ठ माना गया है।^१ गृहस्थ ही धर्म का पूर्ण रूप है^२, स्नेह एव धर्म से युक्त होने पर यह स्वयं ही अपना फल है।^३ गृहस्थ की तुलना स्वर्ग के देवता के साथ की गई है।^४

गृहस्थ के प्रमुख कर्तव्यों में धर्म का पालन, साधु, निर्धन और निराश्रित मृतकों की सहायता,^५ पाप से बचकर धन-संग्रह करना और परोपकार का उल्लेख आता है।^६ इस प्रकार से गृहस्थ-जीवन व्यतीत करने वाला तपस्वियों के जीवन से कहीं अधिक महान् माना गया है।^७

तपस्वी अथवा संन्यासी वेशधारी मनुष्यों का भी तिरुवल्लुवर ने उल्लेख किया है। संन्यासी के प्रमुख लक्ष्यों में 'स्व' का ज्ञान प्राप्त करना,^८ कामना का नियन्त्रण करना, पचेन्द्रिय की वासनाओं का सहार और उनकी आधारभूत वस्तुओं का परित्याग,^९ 'द्वै' और 'मेरा' के अहंकार का दमन करना^{१०} तथा बन्धन-मुक्त होकर भव से मुक्ति प्राप्त करना था।^{११} समाज में संन्यासी का पर्याप्त आदर सम्मान था। तपस्वी के भोजनादि की व्यवस्था करने का दायित्व गृहस्थ पर था।^{१२} तपस्वियों के दो रूप समाज में थे—(क) सत्य की आराधना करने वाले, तपस्या के आचरण से युक्त, (ख) ढोंगी तपस्वी।

सत्य मार्ग पर अग्रसर संन्यासी—सदाचरण को स्थिर रूप से धारण कर समाज में सम्मान के अधिकारी बनते थे।^{१३} दृढता रूपी अकुश द्वारा पचेन्द्रिय रूपी हाथियों को वशीभूत करने वाले^{१४} ये संन्यासी जन्म से मुक्ति प्राप्त करने के लिए संन्यास ग्रहण करते थे।^{१५} प्रायः माना जाता था कि संन्यासी, शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गंध के गुण-ज्ञाता हो जाते हैं।^{१६} बन्धन मुक्त

- १ कुरल ४७।
- २ कुरल ४६।
- ३ कुरल ४५।
४. कुरल ५०।
- ५ कुरल ४२।
६. कुरल ४४।
- ७ कुरल ४८, (त्रिस्तुत विवेचन द्वितीय अध्याय में देखें।)
- ८ कुरल २६८।
- ९ कुरल ३४३।
- १० कुरल ३४६।
११. कुरल ३४६।
१२. कुरल २६३।
१३. कुरल २१।
- १४ कुरल २४।
- १५ कुरल २३।
१६. कुरल २७।

होने की प्रबल कामना संन्यास का कारण बनती थी क्योंकि यह मान्यता थी कि जिन-जिन वस्तुओं से मानव बन्धन-मुक्त हो जाता है उन-उन वस्तुओं से उसे दुःख नहीं होता।

ढोंगी तपस्वी—अन्तःकरण में बन्धन-मुक्त हुए बिना ही त्यागी का ढोग रचने वाले पन्नाचारी लोगों का भी वल्लुवर ने उल्लेख किया है। इन वचक तपस्वियों के विषय में उनका कथन है—बाहुर से जगली सेव के समान सुन्दर अरुणवर्ण से युक्त दोखते हुए भी हृदय के काले व्यक्ति संसार में अनेक हैं।^१ तपस्वी वेश में दुराचारी उस बहेलिये के सदृश्य माना गया है जो झाड़ो में छिपकर, जाल बिछाकर पक्षियों को पकड़ता है।^२ इस प्रकार के ढोंगी तपस्वियों की स्थिति पापाचार मन में रख परम तपस्वी के समान तीर्थ-स्नान करके दुष्ट-प्रवृत्ति में लीन व्यक्ति के समान है।^३ सामाजिक दृष्टि से सत्कर्म और दुष्कर्म में प्रवृत्त व्यक्ति का अन्तर अधिक कठिन नहीं था। वल्लुवर इन दो प्रकार के तपस्वियों में भेद करने का आधार उनका आचरण ही मानते हैं। बाण सीधा होने पर भी कर्म में निर्दय होता है, पर बीणा टेढ़ी होने पर भी कर्म में मधुर होती है। इसी प्रकार मानव को उसके कर्म से जानना चाहिए।^४ अन्तःकरण की शुद्धि और सत्कर्म के पथ पर चलना तपस्वी के लिए अनिवार्य लक्षण माने जाते थे।

भोजन-पान

तिरुवल्लुवर का समाज मूलतः कृषि-प्रधान समाज है। उस कृषि-प्रधान समाज में खाद्य-सामग्री की यथोचित उपलब्धि है। समाज में शाकाहार और मासाहार दोनों प्रचलित थे परन्तु मासाहार समाज में प्रायः स्वीकृत नहीं था। इसके मूल में अहिंसा और धर्म की प्रवृत्ति रही होगी। मासाहार-निषेध प्रसंग में वल्लुवर अहिंसा को धर्म का अंग मानते हुए मासाहार को अधर्म मानकर उसका पूर्ण निषेध करते हैं। पशु-मांस के विक्रय का संकेत कुरल २५६ से प्राप्त होता है। “भक्षण के लिये लोग यदि मास क्रय न करें तो मास विक्रय करने वाला भी कोई न रहेगा।” मास-भक्षण के विरोध में वल्लुवर कहते हैं—अपने मास की वृद्धि के लिए दूसरे प्राणी के शरीर का भक्षण करने वाला कैसे दयावान हो सकता है? जीवहत्या एव मास-भक्षण न करने वाला आदर और सम्मान का अधिकारी बनता है।^५ इन कथनों से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि समाज में यद्यपि मासाहार भी प्रचलित था पर उसके विरोध में प्रबल जनमत विद्यमान था। सम्भवतः सामाजिक विकास की प्रक्रिया में जैन, बौद्ध और अन्य अहिंसा पर बल देने वाले धर्मों के उत्तरोत्तर प्रवेश से यह दृष्टि विकास प्राप्त कर रही थी।

मद्यपान—सामाजिक जीवन की एक कुरीति के रूप में विद्यमान था। इसका संकेत ‘मद्य-निषेध’ (कल्लुण्णामे) अव्याय में प्राप्त होता है। इस सम्बन्ध में वल्लुवर के कथनों से

१. कुरल २७७।
२. कुरल २७४।
३. कुरल २७८।
४. कुरल २७९।
५. कुरल २५१।
६. कुरल २६०।

बहु स्पष्ट हो जाता है कि मद्यपान के विरोध में भी जनसम्राज का एक प्रबल वर्ग था। मद्य से होने वाली बुरी बसा देखकर ही कई लोग मद्यपान से दूर रहते थे।^१ धन देकर मद्य भोजन लेने का उल्लेख बल्लुवर ने किया है, इससे मद्य के विक्रय का प्रमाण मिलता है।^२ मद्यपान-निषेधन को ईठता है,^३ समाज में आदर और सम्मान से वंचित हो जाता है।^४ अपने शरीर की सुख-दुःख उसे नहीं रहती^५ और वास्तव में वह मद्य नहीं, विष का पान करता है।^६ इस प्रकार के कथनों से मद्यपान और मद्यपान के प्रति समाज में व्याप्त विरोधी-दृष्टि का अनुमान लगाया जा सकता है।

कुछ लोग चोरी-छिपे मद्यपान करते थे पर मगर के लोगों को जब यह ज्ञात होता था तो वे छिपे-छिपे हसते थे।^७ शरीर की विस्मृति और मानसिक सन्तुलन के अभाव में इस प्रकार के मनुष्यों को तर्क द्वारा उचित मार्ग पर लाना प्रायः सम्भव नहीं होता था। बल्लुवर का कथन है कि मद्यपान किये हुए व्यक्ति को कारण दिखाकर ठीक मार्ग पर लाने का प्रयास करना जल के नीचे डूबे हुए व्यक्ति को दीपक लेकर डूबने के समान होता है।^८ मद्यपान के भयकर शारीरिक एवं मानसिक प्रभावों से बल्लुवर का समाज परिचित था पर इस प्रकार का कोई सकेल उपलब्ध नहीं जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि मद्य बेचने अथवा मद्यपान करने पर किसी प्रकार का वैधानिक बन्धन रहा होगा। यहाँ भी समाज में सम्मान-नाश और सभव शारीरिक-रोग मद्यपान की आदत के विस्तार को रोकने का कार्य करते थे।

सामाजिक जीवन में व्याप्त कुरीतियाँ

तिरुवल्लुवर के युग में सामाजिक जीवन सुगठित एवं सुनियोजित था। सामाजिक मर्यादा ही मनुष्य को नियंत्रित करने का उपाय था पर मानव स्वभाव बिचित्र है, वह कब किस प्रकार से कर्म करेगा यह कह पाना सम्भव नहीं और प्रत्येक समाज में जुआ, मद्यपान और वेद्यावृत्ति इत्यादि कुरीतियाँ न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान रहती हैं। तिरुवल्लुवर ने अपने काव्य में जिस जागरूक रूप से सामाजिक जीवन को अभिव्यक्ति प्रदान की है, उसे ध्यान में रख विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि जुआ, मद्यपान और वेद्यावृत्ति—ये तीन प्रकार की कुरीतियाँ सामाजिक जीवन में विद्यमान थीं। मद्यपान का उल्लेख 'भोजन-पान' के अन्तर्गत किया जा चुका है।

जुआ—जुआ खेलने के लिए पासे का प्रयोग होता था और इसके लिए कुरल ६३७ में धूतशाला का उल्लेख हुआ है। कवि का कथन है—जनेक मनुष्य पांसा, जुआवर और धूत-

१. कुरल ६३०।
२. कुरल ६२५।
३. कुरल ६२८।
४. कुरल ६२४।
५. कुरल ६२५।
६. कुरल ६२६।
७. कुरल ६२७।
८. कुरल ६२६।

कौशल का अभिमान करते हैं पर अन्त में सभी कष्ट को प्राप्त करते हैं।^१ खुदकने वाले पाँसे और जुआघर का उल्लेख अन्यत्र भी हुआ है।^२ जुए के व्यसन से शत्रु द्वारा धन छीने जाने का उल्लेख भी मिलता है।^३ वल्लुवर ने जुए को सम्मान नष्ट करने वाला,^४ पैतृक सम्पत्ति और सदाचार का नाश करने वाला^५ माना है। वस्त्र, धन, भोजन, यश और विद्या—ये पाँचो जुए से हाथ डालने वाले के पास नहीं फटकेंगे।^६ उनका स्पष्ट मत है कि विजय ही क्यों न प्राप्त हो, जुए की इच्छा न रखो, क्योंकि यह विजय बसी के लोहे को मछली के निगलने के समान होती है।^७ जुए में ज्यो-ज्यो धन जाता है, मोह की वृद्धि होती है^८ और यह धन का नाश करके, असत्य-भाषण करवा कर हृदय को भी भ्रष्ट कर विपत्तियों को प्रस्तुत कर देता है।^९

समग्रत यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समाज में कुछ व्यक्ति इस कुवृत्ति के कारण कष्ट प्राप्त करते थे, उनकी धन-सम्पत्ति नष्ट हो जाती थी और वे अपयश के भागी बनते थे। मद्यपान, जुआ, वेश्यावृत्ति इत्यादि के विषय में किसी प्रकार के दण्ड-विधान का उल्लेख न होने का कारण स्पष्ट है—वल्लुवर का काव्य नीति-शास्त्र है, धर्म-शास्त्र नहीं। वह स्वस्थ सिद्धान्तों का वर्णन करता है, उचित-अनुचित का संदेश देता है, उसके विधि-निषेध और दण्डादि की व्यवस्था नहीं करता।

वेश्यावृत्ति—वेश्याओं के प्रचुर सकेत वल्लुवर-काव्य में मिलते हैं। यह शरीर-विक्रय का कार्य प्रायः धन-प्राप्ति के उद्देश्य में होता था।^{१०} वेश्या पर्याप्त चतुर और अपने उद्देश्य में प्रवीण होती थी।^{११} मधुर-भाषण,^{१२} नृत्य और गान की कला में प्रवीण,^{१३} सौन्दर्य-प्रसाधन में चतुर ये स्त्रियाँ शरीर-विक्रय के साथ-साथ धन को सर्वाधिक महत्त्व देती थी। वेश्या को समाज में किसी प्रकार का स्थान प्राप्त नहीं था। वल्लुवर ने जिस शब्दावली में वेश्या से दूर रहने का उपदेश दिया है, वह अपेक्षाकृत कठोर है और यह इस बात का सकेत है कि इस प्रथा को सामाजिक जीवन के लिए किसी प्रकार भी प्राह्य नहीं माना जाता था पर दोषारोपण पूर्णरूपेण वेश्या पर ही हुआ है। उसे आचरणहीन, उभय-हृदयवाली स्त्री, मायाविनी, मोहिनी और सामान्य-स्त्री, धनलोलुप इत्यादि विशेषणों से सम्बोधित किया गया है। वेश्या के साथ भोग

-
- १ कुरल ६३५।
 - २ कुरल ६३३, ६३७।
 - ३ कुरल ६३३।
 - ४ कुरल ६३४।
 - ५ कुरल ६१७।
 - ६ कुरल ६३६।
 - ७ कुरल ६३१।
 - ८ कुरल ६४०, ६२०।
 - ९ कुरल ६३८।
 - १० कुरल ६१४।
 - ११ कुरल ६११।
 - १२ कुरल ६१२।
 - १३ कुरल ६१६।

करने वाले मनुष्यों को अज्ञानी, पतित और दुर्बल-हृदय कहा गया है। उनके मतानुसार ज्ञान-सम्पन्न विशिष्ट बुद्धिमान, सामान्य-स्त्री के तुच्छ सौन्दर्य का स्पर्श न करेंगे।^१ वैद्या, भूष और जूए से उसी व्यक्ति का सम्पर्क होता है जिसे लक्ष्मी परित्यक्त करती है।^२ सामाजिक सम्मान और मर्यादा के नाश का भय अवश्य रहता होगा पर ये कुरीतियाँ समाज में वर्तमान थीं और विचारकों के लिए यह चिन्ता का विषय था, ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

औषधि

आयुर्वेद की प्रणाली का सम्यक् विकास इस युग में हो चुका था। तिरुवल्लुवर ने इस विषय को काव्य में वर्णन करने योग्य समझा और तत्सम्बन्धी अध्ययन का परिचय दिया, यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि समाज में रोगादि के कारणों और निदान पर पर्याप्त विचार हो चुका था। वैद्यक-शास्त्र का वर्गीकरण चार भागों में किया है—रोगी, वैद्य, औषधि और उसे देने वाला।^३ रोगी का परीक्षण कर वैद्य औषधि का निर्णय करता था। औषधि तैयार कर उसे रोगी को देने का कार्य किसी अन्य प्रशिक्षित व्यक्ति का था। रोग का प्रमुख कारण वात, पित्त और कफ में से किसी का अधिक अथवा कम होना माना जाता था।^४ वैद्य का दायित्व था कि वह बीमारी का पता लगाए, उसके कारण को समझे और उसके निग्रह का उपाय खोज कर उसके अनुकूल उपचार करे।^५ इस समस्त प्रक्रिया में रोगी की आयु, रोग की मात्रा और काल का ध्यान रखना आवश्यक माना जाता था।^६ इससे स्पष्ट है कि वल्लुवर का समाज भेषज-शास्त्र से परिचित था। इसके अतिरिक्त रोग से बचने के उपायों में सबसे अधिक प्रमुखता 'मित-भोजन' को दी जाती थी।^७ खाए हुए भोजन के पच जाने पर ही भोजन करना,^८ भूख लगने पर मात्रा का ध्यान रखकर भोजन करना,^९ उपयुक्त पदार्थ का सेवन करना,^{१०} स्वास्थ्य-सुख की रक्षा और दीर्घजीवी होने का मार्ग माना गया है। औषधियों का वर्णन तिरुक्कुरल में नहीं मिलता।

कृषि-प्रधान समाज

वल्लुवर-काव्य में जिस समाज का चित्रण हुआ है वह सम्पन्न कृषि-प्रधान समाज है। सामाजिक जीवन की विविधताओं को अभिव्यक्ति देने का कवि ने कोई क्रमबद्ध प्रयास नहीं किया, पर 'कृषि' (उळवु) तथा 'वर्षा का महत्त्व' (वान्-चिरप्पु) के अन्तर्गत वल्लुवर ने

१. कुरल ६१५।
२. कुरल ६२०।
३. कुरल ६५०।
४. कुरल ६४१।
५. कुरल ६४८।
६. कुरल ६४६।
७. कुरल ६४६।
८. कुरल ६४२।
९. कुरल ६४३।
१०. कुरल ६४४।

समाज के कृषि-प्रधान होने और कृषि के लिए वर्षा पर निर्भर करने के पर्याप्त संकेत मिले हैं। कृषि के विषय में बल्लुवर कहते हैं—संसार कुछ भी करता फिरे, हल पर ही आश्रित है अतएव कष्टप्रद होने पर भी कृषि-कर्म ही श्रेष्ठ है।^१ कृषक समस्त संसार के लिए धुरी के समान है, क्योंकि वही जन्य सभी का भार वहन करता है।^२ कृषको का जीवन ही जीवन है,^३ अनेक धर्मों की छाया से मुक्त सम्राट भी अन्न की फली की छाया में रहने वाले कृषक पर निर्भर करता है।^४ गृहस्थ ही नहीं, त्यागी सन्यासी भी कृषक-आश्रित है।^५ जुताई, खाद डालना, अनावश्यक घास-पात को नष्ट करना, मिचवाई और सुरक्षा के क्रमिक महत्त्व से बल्लुवर का समाज पूर्णतया परिचित है। इस सम्बन्ध में श्रम के महत्त्व का पर्याप्त प्रतिपादन कवि ने किया है। एक कथन है—'अपने हाथ में कुछ नहीं—ऐसा समझ कर जो आलस्य करे उसे देख धरती रूपी सुन्दरी-बधू मन-ही-मन हसेगी।'^६

बल्लुवर ने अपने काव्य-ग्रन्थ में प्रभु-वन्दना के तुरन्त उपरान्त 'वर्षा के महत्त्व' का उल्लेख किया है। इसका स्पष्ट कारण वर्षा और जीवन का निकट सम्बन्ध ही है। उनका कथन है—संसार का अस्तित्व वर्षा पर आधृत होने के कारण वही संसार की सुधा कहलाने योग्य है।^७ वर्षा के अभाव में कृषि-कर्म के रुकने का उल्लेख हुआ है।^८ जलद के जल के अभाव में अनीम समुद्र के सूखने का भय,^९ वर्षा के अभाव में विशाल वसुधा से दान और तपस्या का सम्भव लोप^{१०} और संसार में जीवन का सम्भावित अन्त^{११} इत्यादि के द्वारा वर्षा के महत्त्व की स्वीकृति ही मिलती है। कृषि के वर्षा पर निर्भर होने के कारण जीवन का वर्षा-आश्रित होना स्वाभाविक है। प्रभुप्रदत्त होने के कारण प्रभु-वन्दना के तुरन्त बाद इस विषय को कवि ने प्रस्तुत किया है। तिष्कुरल के प्रतिद्ध टीकाकार मनबकुडवर का यही मत है।

कबीर एवं तिष्कुरल की दृष्टि समाज को अत्यन्त पैनी दृष्टि में देखती है, पर दोनों में एक तार्किक भेद विद्यमान है। बल्लुवर-काव्य प्रायः व्यवस्थित, क्रमबद्ध विवेचन प्रस्तुत करता है, कबीर-काव्य में समाज का रूप ग्रहण करने के लिए अनेकानेक पदों में आए कथनों की खोज करते हुए कई आवरणों को हटा कर हमें समाज-सम्बन्धी सामग्रियों का सङ्गठन करना होगा। समाज के अन्तर्गत व्याप्त अनेक कुरीतियाँ भी इसी प्रकार से उद्घाटित करनी होंगी। कबीर मूलतः भक्त कवि हैं, उनमें उनदेश का स्वर प्रमुख है, बल्लुवर में भक्ति का अंश कम, आदर्श का आधार अधिक है।

१. कुरल १०३१।
२. कुरल १०३२।
३. कुरल १०३३।
४. कुरल १०३४।
५. कुरल १०३६।
६. कुरल १०४०।
७. कुरल ११।
८. कुरल १४।
९. कुरल १७।
१०. कुरल १६।
११. कुरल २०।

कबीर-काव्य में सामाजिक अभिव्यक्ति

गृहस्थ : कबीर ने समाज में गृहस्थ एवं गृह-स्थापी का उल्लेख किया है। गृहस्थ के गृहस्थ से कबीर पूर्णरूपेण परिचित हैं, गृहस्थ और बैरागी दोनों को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए पर बैरागी का बन्धन में पडना अनुचित मानते हुए कबीर ने कहा है—

जो ग्रिह करहि त धरम कच, नाहि त कर बैराग ।

बैरागी बचन करे, ताकी ब्रह्मी अभाग ॥^१

गृहस्थ को अपना चित्त उदार रखना चाहिए और बैरागी को 'विरक्त' रहना चाहिए।^२ विरक्ति से रहित बैरागी और उदारता से रहित गृहस्थ का जीवन व्यर्थ है।

समाज में सत्य की आराधना में रत, विरक्त संन्यासी कर्म थे, जोगी, जती, तपी, जटाधर, लुचित, मुंडित, मौनी इत्यादि अनेक बेशों एवं रूपों में धूमने वालों में सच्चे तत्त्व-चिन्तक कम थे, ढोगी अधिक—

मुनिजन सती सिध अरु साधिक, तेऊ न आयै छूटे ।

जोगी जती तपी सन्यासी, अह-निसि खोजै काया ॥^३

इसी प्रकार का संकेत 'जोगी जती तपी सन्यासी बहुतीरथ भरमणा, लुचित मुंडित मौनी जटाधर, अति तऊ मरणा'^४ इत्यादि उक्तियों से लिया जा सकता है। कबीर यह अनुभव कर रहे थे और इसीलिए उन्हें कहना पडा—

कबीर कलियुग आइया, मुनियर मिलन कोइ ।

कामी क्रोधो मसखरा, तिनका आदर होई ॥^५

योगी के स्थान पर ढोगी साधुओं और समाज को भ्रमित करने वालों के सम्मान को देखकर कबीर जैसा फक्कड सत शान्त नहीं रह सकता था। उसने मिथ्या बाह्याडम्बर का प्रबल विरोध किया और कहा—

निरबैरी निहकामता, साईं सेती नेह ।

बिखया मौ न्यारा रहै, सतनि को अग एह ॥^६

बैरागी और गृहस्थ का उल्लेख एक साथ अन्यत्र भी हुआ है।^७ गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी जो मन एवं इन्द्रिय-नियन्त्रण में सफल हैं, ऐसे मनुष्य कम ही होते हैं पर यह

१. कबीर प्रथावली, (पा० ना० ति०), पृ० १६५ ।

२. बैरागी विरक्त मला, गिरही चित्त उदार ॥—वही, पृ० १६० ।

३. कबीर प्रथावली, पृ० ११४ ।

४. वही, पृ० १२८ ।

५. कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० २१४ ।

६. वही, पृ० १५६ ।

७. (अ) कबीर कहता जात हू, चेतै नहीं गवार ।

बैरागी गिरही कहा, कामी वार न पार ॥—कबीर प्रथावली, (पा० ना० ति०), पृ० २३३ ।

(आ) घाटे बाटे सब जग बुखिया क्या गिरही बैरागी हू ॥—वही, पृ० ५३ ।

(इ) इक बैरागी ग्रिह करे, एक ग्रिही बैराग ॥—वही, पृ० २४० ।

काव्यों की विधिति है। कबीर का कथन है कि मन के विकार का त्याग प्रथम आवश्यकता है, यदि 'अनहि बसें' 'मन नहीं ठजे विकार' तो 'का कीजिअ' और इसी प्रकार 'घर बत समझदि विनि किया ते बिरजा संसार।'^१ गृहस्थ के सन्दर्भ में विवाहादि विषयक कबीर के कथनों का उल्लेख प्रासंगिक है। विवाह की विभिन्न क्रियाओं का सूक्ष्म चित्रण 'दुखहिनी गावहु मंगलकार', चर्चित से प्रारम्भ होने वाले प्रसिद्ध पद में हुआ है।^२ इस पद में बरात, अतिथि, बैदी, बैदो-म्बार, भावर इत्यादि का वर्णन आया है। एक पुरुष के एक से अधिक विवाहों का संकेत भी मिलता है।^३ एक अन्य पद में भी अप्रस्तुत रूप में स्त्री के स्वसुरालय गमन का चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें मडप, लगन लिखाना, मगलाचरण, हल्दी चढाना, भावर, फेरे, गठजोड इत्यादि का उल्लेख आया है।^४

स्त्री

कबीर-काव्य में स्त्री के स्वतन्त्र अस्तित्व की स्वीकृति नहीं है। यहाँ तो स्त्री अपने प्रिय को रिझाने वाली पर वृद्ध आस्थायुक्त एकनिष्ठ प्रेम के मार्ग पर अग्रसर है। प्रायः स्त्री और माया को पर्याय रूप में प्रयुक्त किया गया है। प्रस्तुत सन्दर्भ में स्त्री के पत्नी-रूप विषयक अप्रस्तुत कथनों को आधार बनाकर ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। प्रिय के प्रेम से ही स्त्री को धन्य माना जाता है। 'धनि पिउ एकै सगि बसेरा। सेज एक पै मिलन दुहेरा'^५ से स्त्री के पति-आश्रित होने का संकेत ग्रहण किया जा सकता है। 'बहुत दिनन के बिछुरे' हरि (पति) को प्राप्त कर वह 'चरनन लागि करौ मेवकाई' और 'प्रेम प्रीति राखी उरभाई' की कामना करती है।^६ 'बालम' के बिना व्याकुल स्त्री उसे घर आने के लिए कहती है—'तुम्ह बिन दुखिया वेह रे।'^७ इससे स्त्री के प्रति समाज के दृष्टिकोण की एक झलक मिल सकती है। सुख-साधन की सामग्री के रूप में स्त्री को देखने वाला कबीर-युग स्त्री के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार करने में असमर्थ है। वह तो स्त्री से एकनिष्ठ और अनन्य प्रेम की आशा ही करता है। वहाँ तो 'बहुत दिनन में प्रीतम' के आने पर भाग्य को सराहा जाता है क्योंकि 'भाग बडे

१ वही, पृ० १००।

२ वही, पृ० ५।

३ एक भाई दीलैं सब नारी, नां जानों को पियहि पियारी।

कहे कबीर जाकैं मस्तकि भाग, सभ परिहरि तार्को मिलैं सुहाग ॥ - वही, पृ० ७।

४ मैं सासुरे पिय गौहनि आई।

साईं सगि माघ नहि पूजी गयो जोबन सुपिने की नाईं।

पाँच जना मिली मडप छायो तीनि जना मिली लगन लिखाई।

सखी सहेली मगल गावैं सुख दुख मायैं बावैं पतियाई।

नाना रगैं भाबरि फेरी गाठि जोरि बाबैं पतियाई।

पूरि सुहाग भयो किनु डूलह, चोकैं राड भई सग साईं ॥—वही, पृ० ६३। इत्यादि

५ कबीर प्रथावली, (पा० ना० ति०), पृ० ८।

६ वही, पृ० ६।

७ वही, पृ० ६।

करि बेटे-बाए' ।^१

पत्नी होने का प्रमाण भी इसी के अनुकूल है—

सब कोइ कहै तुम्हारी नारी सोकी यह बन्नेहरे ।

एकमेक हूँ सेज न सोवै तब लगि कैसा नेहरे ॥^२

इसी प्रकार 'सुरति देखि सुभांनी' और 'तन की तपनि बुझांनी'^३ इत्यादि में निहित अर्थ की स्त्री के शरीर-पक्ष को अधिक बल प्रदान करते हैं ।

पत्नी के लिए पातिव्रत धर्म के निर्वाह को कबीर ने अनिवार्य माना है ।^४ यह परम्परागत भारतीय दृष्टि के अनुकूल भी है और कबीर-युग में व्याप्त व्यभिचार और परस्त्री-लोलुप कामी जनों के कारण भी । पतिव्रता स्त्री की लज्जा और मर्यादा का दायित्व पति का माना गया है ।^५ कबीर-काव्य की स्त्री एकनिष्ठ प्रेम का सुन्दर उदाहरण है—

प्रीति रीति जो तुज्जक सौं भेरे बहु गुनियालेकत ।

जो हसि बोलू और सौं ती नील रंगाऊं दत ॥^६

वह तो प्रिय को नयनों के भीतर सजो कर रखना चाहती है । इस अनन्य भावना में दोनों पक्षों को मर्यादित होना होता है ।^७

“कबीरदास भक्त और पतिव्रता को एक कोटि में रखते थे । दोनों का कर्म कठोर है, दोनों की वृत्ति कोमल है, दोनों के सामने प्रलोभन का दुस्तर जजाल है, दोनों ही काचन-पद्मधर्म हैं—बाहर से मृदु, भीतर से कठोर, बाहर से कोमल, भीतर से परुष । सबकी सेवा मे व्यस्त, पर एकाकी आराधिका पतिव्रता ही भक्त के साथ तुलनीय हो सकती है ॥”^८

संतति

सन्तान परिवार के सुख का प्रबल आधार होती है । कबीर ने परिवार में संतति का उल्लेख करते हुए उस नारी को घन्य माना है जिसने 'बैसनो पूत' को जन्म दिया है ।^९ नारी का मातृरूप सन्तान-प्राप्ति से ही पूर्णता की ओर अग्रसर होता है । सन्तान की भूल को क्षमा करना, बालक के दुःख में स्वयं दुःख का अनुभव करना मातृत्व के स्वाभाविक परिणाम हैं ।

१ कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० ६ ।

२ वही, पृ० ६ ।

३ वही, पृ० ११ ।

४ सोइ तिरिया जाकं पतिव्रत आग्याकार न लोपं ।

और सकल ए कूकरि सूकरि सुदरि नाउ न ओषै ॥—वही, पृ० १०२ ।

५ पतिव्रता नागी रहै, तो उसही पुरिख कौं लाज ॥—वही, पृ० १७६ ।

६ वही, पृ० १७६ ।

७ नैना अतरि आव तू, ज्यौं हौ नैन भपेउ ।

ना हौं देखौं और कौं, नां तुम्ह देखन देउं ॥—वही ।

८ कबीर—ह० अ० द्विवेदी, पृ० १६१ ।

९ कबीर धनि सौ सुन्दरी, जिन जाया बैसनीं पूत ।

राम सुभिरि निरमै भया, सब जग गया अऊत ॥—कबीर प्रथावली, (पा० ना० ति०),

पृ० १५८ ।

सतति के सन्दर्भ में कबीर ने दो प्रकार के कथन प्रस्तुत किये हैं—(क) इस असार संसार में सब कुछ नश्वर होने के कारण पुत्र-जन्म के अवसर पर आनन्द मनाना व्यर्थ है क्योंकि जन्म-मृत्यु का चक्र मनुष्य को निरन्तर बाधे हुए है।^१ (ख) दूसरा 'हरि जननी में बालिक तोरा' का रूप है जहाँ भक्त स्वयं को प्रभुसतति और प्रभु को जननी के रूप में ग्रहण करता है। यहाँ जननी की स्वाभाविक कोमलता, पुत्र के प्रति उसका अगाध, अकारण प्रेम, उसके सुख-दुःख में सुखी और दुःखी होने का भाव चित्रित है। 'बालक दुखी दुखी महतारी', 'सुत अपराध करै दिन केते, जननी के चित रहै न तेते'^२ से परिवार के परिवेश और मातृ-हृदय दोनों को अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। सन्तान प्रभु को प्राप्त करने के ज्ञान से युक्त हो, ऐसी मान्यता कबीर की है। इस विषय में उनके कथन सीधे और मर्मस्पर्शी हैं, यहाँ कोई समझौते की भावना नहीं, अपितु दृढ़ भाव से कथन है, जो उनके तद्-विषयक दृढ़ विचारों की अभिव्यक्ति है, जिस कुल में ज्ञान का विचार करने वाला पुत्र नहीं, उसकी माता गर्भ को ही नष्ट करके बध्या क्यों न हो गई? जो पुत्र सुअर की तरह कलियुग में भ्रमण करते रहते हैं, 'वाकी विधवा काहे न भई महतारी।'^३ कबीर के लिए जीवन का लक्ष्य 'राम-भक्ति' और 'ज्ञान-प्राप्ति' है, अतः वे सतति से इसी लक्ष्य पर अग्रसर होने की कामना करते हैं। वल्लुवर की दृष्टि समाज के लिए श्रेष्ठ नागरिक प्रस्तुत करना है अतः वहाँ सतति से इस लक्ष्य की पूर्ति की आशा की जाती है। सूक्ष्म रूप में दोनों लक्ष्य एक ही हैं, मृत्यु की आराधना और श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए ज्ञान प्राप्त करना मूलतः एक ही हैं। युग और जीवनादर्शों में परिवर्तन से दोनों कवि अपने-अपने ढंग से आदर्श की स्थिति की कल्पना करते हैं।

निषिद्ध प्रेम

कबीर-काव्य में अनेक पदों में परस्त्रीगमन की निन्दा की गई है। परस्त्रीगमन को कबीर लहसुन खाने के समान मानते हैं। यह कर्म चाहे कितना ही छिपाकर किया जाये प्रकट हो ही जाता है।^४ परनारी तो प्रत्यक्ष छुरी के समान है, स्वर्ण-निर्मित होने पर भी नाश ही का कारण बनेगी।^५ परनिन्दा, परवन, और परदारा के त्याग का संदेश कबीर ने दिया है।^६ कारण स्पष्ट

१ बेटा जाए क्या हुआ, कहा बजावै थाल ।

आवन जावन हूँ रहा, ज्यो कीडी का नाल ॥—कबीर ग्रथावली, पृ० २०३ ।

२ कबीर ग्रथावली, पृ० ६४ ।

३ जा नरि राम भगति गही साधी,
सो जनमत काहे न मूवो अपराधी ॥

गरभ मुचे मुचि भई किन बाभ, सूकर रूप फिरै कलि माभ ।

जिहि कुलि पुत्र न ग्यान बिचारी, वाकी विधवा काहे न भई महतारी ॥

—वही, पृ० ६७ ।

४ परनारी को राखनौ जस लहसुन की खानि ।

कौनै बीठे खाइए परगट होइ निदानि ॥—कबीर ग्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० २३१ ।

५ परनारी परतखि छुरी, बिरला बांचे कोइ ।

नाऊ पेट सचारिए जौ सोने की होइ ॥—वही, पृ० २३२ ।

६ वही, पृ० २४ ।

हे—'तैं अनेक पुरुष का शिवी है भीग' पर उससे 'सुख न भयो तन बढ़ची रोग ।'^१ समाज में इस निषिद्ध प्रेय के मूल में काम का आकर्षण प्रमुख है। कबीर के समाज में इस प्रकार के सम्बन्ध विद्यमान थे, इसके लिए इतिहास के प्रमाण गिनवाए जा सकते हैं, पर कबीर द्वारा इसका उल्लेख इस सन्दर्भ में पर्याप्त होना चाहिए। कबीर स्त्री को अन्य पुरुष-प्रेम की अनुमति चर्हीं देते। उनका स्पष्ट कथन है—

नारि कहावै पीव की, रहै और संग सोइ ।

जार मीत हृदया बसै, खसभ खुसी क्यौं होइ ॥^१

यहां स्त्री द्वारा व्यभिचार करने का परिणाम आदर और सम्मान का नाश है—

कबीर जे कोइ सुन्दरी जानि करै बिभिचारि ।

ताहि न कबहू आदरै, परम दुरिख भरतार ॥^२

और पुरुष के लिए इसका परिणाम अन्त में समूल नाश है ।^३

इसीलिए प्रेम की एकनिष्ठता पर बल देते हुए उन्होंने कहा—

जिन दिल बधी एक सू, ते सुखु सोबै नचीत ॥^४

ऐसी सुन्दरी का प्रिय भी उसे कभी नहीं छोड़ सकता, निरन्तर अपने संग रहता है ।^५ परनारी से प्रेम अवगुण है, गुण नहीं। खारे समुद्र में मत्स्य जिस प्रकार बहा चला जाता है, उसी प्रकार इस मार्ग पर अग्रसर होने वाले की गति होती है ।^६ पुरुष को चाहिए कि प्रेम उसी से करे जो अंत तक निर्वाह कर सके, क्योंकि 'बनिता बिबधिन राचिये, देषत लागै षोड़ि ।'^७ आचरण की पवित्रता के इस सन्देश में कबीर की दृढ़ आस्था इस सीमा तक गई है कि उन्होंने कन्या का सम्मान करने वाले ससारी 'साकत' को दुर्गाचारी 'बैरनों' से श्रेष्ठ माना है ।^८

विदेशी शक्तियों के आगमन और मुगल-शासन के कारण सामाजिक व्यवस्था में पहले के समान प्रभावशाली अनुशासन नहीं था, पर प्रबुद्ध-जन अब भी समाज में स्त्री और पुरुष के अनुचित लैंगिक सम्बन्धों को हेय मानते थे।

श्रृंगार-प्रसाधन एवं आभूषण

कबीर काव्य की 'जोबन मैमाती'^९ नायिका का श्रृंगार-प्रसाधन अत्यन्त सीमित है।

- १ कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० ४५।
- २ वही, पृ० १७५।
- ३ वही, पृ० १७७।
- ४ पर नारी गता फिरै चोरी बिढता खाहि ।
दिवस चारि सरसा रहै अत समूला जाहि ॥—वही, पृ० २३४।
- ५ कबीर प्रथावली, पृ० १५।
- ६ जे सुन्दरि साईं भजै, तजै आन की आस ।
ताहि न कबहू परहरै, पलक न छाडै पास ॥—वही, पृ० ६३।
- ७ पर नारी के राचये, औगुण है गुण नाहि ।
घार समद के भछला, केता बहि बहि जाहि ॥—कबीर प्रथावली, पृ० ३१।
- ८ वही, पृ० ३८।
- ९ वही, पृ० ५२।
- १० वही, पृ० ६९।

वह जो अपने प्रिय के साथ आनन्द प्राप्त कर उसी की कान्ति से अपने शरीर में उन्मात्त कर लेती है।^१ वह शृंगार की ओर ध्यान न देकर 'चरनन लगि करो बरिं आई' और 'प्रेम प्रीति राखीं उरआई'^२ में विश्वास करती है। यहा प्रिय के ससर्ग में शृंगार शोभा देता है, कुमारी कन्या के शृंगार को बर्जित माना गया है।^३ शृंगार प्रसाधन का लक्ष्य प्रिय को रिझाना है पर कबीर इसका साधन पातिव्रतधर्म को मानते हैं क्योंकि 'जौ पै पतिव्रता ह्वै नारी कसै हीं रही सो पियहि पियारी' अत इसके लिए तन मन और जीवन को समर्पित करने वाली नारी ही 'सुहा-विध' कहलायेगी।^४ यहा शृंगार का समस्त प्रयोजन प्रिय-मिलन है।^५

कबीर ने प्रसंगवश जिन शृंगार-प्रसाधनों का उल्लेख किया है, उनमें 'सिन्दूर' और 'काजल' का विशेष स्थान है। इसके अतिरिक्त उजले कपड़े एव 'पटम' पहनना, पान-सुपारी खाने इत्यादि का उल्लेख आया है। निम्न स्थलों पर आये तद्विषयक उल्लेख महत्वपूर्ण हैं—

- (क) काजल देइ सबै कोइ, अषि चाहन माहि बिनान।^६
- (ख) कबीर रेल स्यदूर की, काजल दिया न जाइ।^७
- (ग) उजल कपडा पहरि करि, पान सुपारी खाहि।^८
- (घ) पीव के मन भावै नहीं, पटम कीये क्या होइ।^९
- (ङ) काजल स्यदूर के दीये सोलह स्यगार कहा भयो कीये।^{१०}
- (च) हार गुह्यो मेरी राम ताग, बिचि बिचि मान्यक एक लाग।^{११}
- (छ) रतन प्रवाल परम जोति, ता अतरि अतरि लागे मोती।^{१२}
- (ज) जैसे बहु कचन के भूपन, ये कहि गालि तवावहिमे।^{१३}

आभूषणों में चूड़ा, पायल और बिछुवा का उल्लेख आया है।^{१४} इसके अतिरिक्त उर्मुक्त उद्धरणों में कचन के आभूषणों, रत्न, प्रवाल, माणिक्य से बने हार इत्यादि के प्रयोग का अनुमान लगाया जा सकता है। कबीर के लिए इन आभूषणों, शृङ्गार-प्रसाधन और

१ मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपनां पीव पियारा ॥

—कबीर ग्रथावली, पृ० ६६।

२ वही, पृ० ६६।

३. कवारी कन्या करै स्यगार, सोभ न पावै बिन भरतार ॥—वही, पृ० ६८।

४ वही, पृ० १००।

५ किया स्यगार मिलन कै ताई, काहे न मिली राजा राम गुसाई ॥—वही, पृ० ६५।

६ वही, पृ० ७६।

७ वही, पृ० १४।

८ वही, पृ० २०।

९ वही, पृ० २७।

१० वही, पृ० १००।

११ वही, पृ० १६१।

१२ वही।

१३ वही, पृ० १०२।

१४. का चूरा पायल भूमकार्ये, कहा भयो बिछुवा ठमकार्ये ॥

—वही, पृ० १००।

मूलव्याज अस्मि इत्यादि का प्रयोग विशेष महत्त्व नहीं रखता, वहाँ तो निरन्तर यह व्याज बना हुआ है कि 'तन-मन जीवन अँजुरी की पानी, जात न लागे बार'।^१ यही कारण है कि मृगार के स्थान पर वहाँ "तन मन जीवन सौंफि सरीस, ताहि सुहायिन कहे कबीरा"^२ को अधिक महत्त्व प्राप्त हुआ है।

भोजन-पात

कबीर ने मांस-भक्षण को अनुचित माना है और जीव को मार कर अपने शरीर की वृद्धि करने की अनुमति वह नहीं देते।^३ 'जिबह', 'हृलाल' इत्यादि विभिन्न रूपों से की जाने वाली हत्या को हेय माना गया है।^४ 'जिसत न मारि मुआ मति लागे, मास बिहूना धरि मति आवे ही कता'^५ से मांस-भक्षण का पर्याप्त प्रमाण मिलता है पर सत् कबीर ने इसका पूर्णरूपेण वर्जन किया है एवं इसे पाप-कर्म माना है। मांस-भक्षण के विरोध के मूल में अहिंसापरक दृष्टि तथा स्वस्थ एवं सम्य समाल के निर्माण की कामना रही है।^६

विभिन्न प्रकार के भोजन कबीर जैसे सत्त के लिए कोई आकर्षण नहीं, परन्तु पूजा के नाम पर भक्तों से विभिन्न प्रकार के व्यजन प्रभु-अर्पित करवा स्वयं उनका आनन्द उठाने वाले पुजारियों को उन्होंने देखा था। इसीलिए उन्होंने कहा—

लुचरी लपसी आप सघारै, द्वारै ठाढा राम पुकारै।^७

लुचरी (मैदे की पुड़ी) के अतिरिक्त लड्डु, खीर का भी उल्लेख आया है।^८

कबीर तो भिक्षा में प्राप्त भाति-भाति के अन्न से बनी 'मधुकरी' को सर्वोत्तम मानते हैं।^९ खीर, खाड और घृत से शरीर को सवारने का क्या काम? इस झूठे तन की कहा, रबइये, मरिये ती पल भरि रहण न पइये।^{१०} के ज्ञान से युक्त मनुष्य तो व्यजनों के स्थान पर 'इस मन को मैदा करौ, नान्हां करि करि पीसि' का ही सन्देश दे सकता है।^{११} जब 'मोट चून' 'मैदा भया' तो कबीर उसका आनन्द लेते हैं।^{१२} अपनी मस्ती में रमे हुए कबीर तो तनिक नमक से युक्त खिचड़ी में ही आनन्द मानते हैं, वही उनके लिए अमृत है।

१. कबीर ग्रथावली, पृ० १४५।

२. वही, पृ० १००।

३. जीवाँह मारि जीव प्रति पारै देखत जनम आपनों हारै ॥

—वही, पृ० १८२।

४. कबीर ग्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० २११।

५. वही, पृ० ७२।

६. इस विषय पर विस्तृत विवेचन के लिए द्वितीय अध्याय देखें।

७. कबीर ग्रथावली, पृ० १००।

८. लाडू लाबण लापसी, पूजा चढ़े अपार ॥—वही, पृ० ११६।

९. मीठा खाण मधुकरी, भाति-भाति की लाज ॥

—वही, पृ० ४६।

१०. वही, पृ० ६१।

११. वही, पृ० ६४।

१२. मोट चून मैदा भया बैठि कबीरा जीम ॥—वही, पृ० ४२।

रोटी और पेड़े के लिए यदि धर्म-भ्रष्ट होना पड़े तो वह व्यर्थ है ।^१

मद्यपान

कबीर ने मद्यपान को हेय माना है। साधु स्वर्ण-कलश में भरी सुरा को भी निन्द्य मानता है ।^२ मास और मदिरा का सेवन करने वाले को मुक्ति की नहीं, कोटि नरक की प्राप्ति होगी ।^३ परन्तु कबीर राम नाम के रस की मदिरा पीने की खुली छूट देते हैं। वास्तव में यह कवि प्रत्येक स्थिति में प्रभु और ज्ञान को सर्वोपरि मानता है। यही कारण है कि वह 'हरि रस' पीने की बात करते हैं जिसका खुमार कभी नहीं उतरता ।^४ पर यह प्रेम-रस 'पीवण हुलम' है क्योंकि 'मागे सीस कलाल'। कबीर इस सदभं में अप्रस्तुत रूप में मद्य बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं, और महुवा तथा गुड को मट्टी की आग में पकाकर चुवाने का संकेत आया है ।^५ इस रस को पीकर खुमारी चढती है, प्याले पर प्याले पीने के बाद भक्त इसी रस में विभोर हो जाता है और तदुपरान्त 'तूजा कछु न सुझई'। कबीर का यह प्रेम का मद अद्भुत है। इसमें 'शिव सनकादिक माते' पर 'पीवत अजहू न अषाई'। यह 'राम रस' है इसे प्राप्त करने के बाद 'तायै तिसरि गये रस और' इमे ईश्वर और गौरी पीते हैं। यह महारस है, अत्यन्त महगा है, इसे तो कोई 'पीवणहार' ही पी सकता है। इसे पीने के उपरान्त—

पूरा मिल्या तबै सुष उपज्यो, तन की तपति बुझानी ।

कहै कबीर भवबधन छूटै, जोतहि जोत समानी ॥^६

की स्थिति आ जाती है ।

कबीर-समाज में मद्यपान की कुरीति उनके काव्य में अमृत का सदेश लेकर आई । विभिन्न रूपों में मद्य को प्रभु के नाम के साथ सयुक्त कर कबीर ने इमे नई अर्थवत्ता प्रदान की, रस यहा प्रेम का रस हो गया, भट्टी यहा डगला-पिंगला हो गई, अत सम्पूर्ण सन्दर्भ ही परिवर्तित हुआ, समस्त कल्मष धुल गया और यह 'मद्यपान' एक काम्य वस्तु बन गया ।

१ खूब खाड है खीचडी, माहि पड टुक लूण ।

पेडा रोटी खाइ करि, गला कटावे कौण ॥—कबीर ग्रथावली, पृ० ३३ ।

२ सोवन कलस सुरै भरघा, साधू निंछा सोइ ॥—वही, पृ० ३७ ।

३ पापी पूजा बैसि करि, भवै मास मद दोइ ।

तिनकी दष्या मुक्ति नही, कोटि नरक फल होइ ॥—वही, पृ० ३३ ।

४ हरि रस पीया जाणिये, जे कबहू न जाइ खुमार ॥—वही, पृ० १३ ।

५ (क) गुड करि स्थान ध्यान कर महुवा भव माठी करि भारा ।

× × ×

दोइ पुड जोडि बिगाई भाठी, चुया महारस भारी ॥—वही, पृ० ८६ ।

(ख) बहुत भोलि महगे गुड़ पावा, लै कसाब रस राम चुवावा ॥—वही ।

(ग) इला प्यगुला भाठी कीन्ही, ब्रह्म अगनि परजारी ॥—वही ।

(घ) चन्द सूर दोड भाठी कीन्ही, सुषमनि बिगवा लागी रे ॥

—वही, पृ० ८५ ।

६. वही, पृ० ८६ ।

वेश्यावृत्ति

सन्त कवियों ने नारी के कामिनी रूप को प्रलोभन का कारण मान त्याग्य माना है। वेश्या समाज में सर्वाधिक गृहित मानी गई है, पर कामुक मनुष्य की इच्छा-नृप्ति का साधन बनी रही। पुरुष के बनावार का शिकार यह नारी एक ओर समाज के पाप को डोती रही और दूसरी ओर सम्मानित जीवन से वंचित की जाती रही। कबीर-काव्य में वेश्या का उल्लेख प्रायः माया के पर्याय के रूप में हुआ है। 'माया बेसा लाइ' और 'बिस्वा केरा पूत ज्यों, कहै कींन सौं बाप'^१ में वेश्या का उल्लेख केवल प्रासंगिक है। जिस प्रकार वेश्या पुरुष को भ्रमित करती है, वही स्थिति माया की है। यह जग एक बाजार है, इन्द्रियों के आस्वाद रूपी ठग इसमें विचरण करते हैं और 'माया' वेश्या है।^२ यह माया पापिन है, लोगों को आसक्ति में फसा लेती है। वेश्या की भाँति इसका भी पूरा भोग कोई नहीं कर पाता।^३ यह माया-वेश्या आसक्ति के फंदे को लेकर ससार रूपी बाजार में बैठी हुई है, तभी लोग इसके फंदे में आ जाते हैं, पर कबीर इसे काट कर मुक्त हो गया।^४ यह माया वेश्या पापिन है, हरि के प्रति भी धर्म-विरुद्ध आचरण करती है, मनुष्यों को दुर्बुद्धि की ओर अपसर कर धर्म-मार्ग से विमुख करती है।^५ विषय-सुख की कामना से 'गणिका' से प्रीति लगाने को कबीर ने हेय माना है।^६ स्पष्ट है कि वेश्यावृत्ति समाज में विद्यमान थी, कबीर ने वेश्या को 'माया' का पर्याय बना कर अपने विचारों की अभिव्यक्ति का एक साधन बना लिया।

कृषि

कबीर ने भी वल्लुवर के समान 'कृषि' के महत्त्व को स्वीकार किया है। निरन्तर भ्रमण-कारी प्रवृत्ति होने के कारण अपने युग के प्रमुख व्यवसाय के रूप में कृषि से उनका सम्पर्क स्वाभाविक है। कृषि के लिए सिंचाई साधनों में 'ढीकुली' का उल्लेख आया है।^७ सदाफल, अपूर, बिजौरा, नीबू इत्यादि की लहलहाती वाटिकाओं का उल्लेख भी हुआ है।^८ जल उलीचने के लिए टोकरे का उपयोग, वाटिका की निरन्तर सेवा और रक्षा की आवश्यकता, रखवाले

१ कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० १५१।

२ जग हटवाडा स्वाद ठग माया बेसा लाइ ॥

—कबीर प्रथावली, पृ० २५।

३ कबीर माया पापणी, लाल लाया लोग।

पूरी किनहू न भोगई, इनका इहै बिजोग ॥—वही।

४ कबीर माया पापणी, फध ल बैठि हाटि।

सब जग ती फध पड्या, गया कबीरा काटि ॥—वही, पृ० २५।

५ कबीर माया पापणी हरि सू करै हराम।

मुखि कुड़ियाली कुमति की, कहण न देइ राम ॥—वही।

६ विषिया सुख के कारन, जाइ गणिका सँ प्रीति लगाई रे।

अबे आगि न सूभई, पढ़ि पढ़ि लोग बुझाई ॥—वही, पृ० ६८।

७. ल्योकी लेज पवन की ठीकू, मन मटका ज बनाया ॥—वही, पृ० १२०।

८. फल लघा बडहूसी।

सदा सदाफल बाख बिजौरा कौतिक हारी झूली ॥—वही, पृ० १२०।

द्वारा पक्षित हरी-भरी बाटिकाओ में शीतल जल-युक्त कुर्वा इत्यादि एक सुन्दर शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं।^१ पर यहा भी ससार से निर्लिप्त रहने की अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मेरे लिए तो 'नाउ मेरी खेती नाउ मेरे बारी, भगति करी मैं सरनि तुम्हारी।'^{११} कृषि को मृग इत्यादि पशुओ द्वारा नष्ट होने से बचाने के लिए विशेष ध्यान देने की बात कही है, इसी प्रसंग मे रक्षा हेतु रखवालो की सहायता के लिए 'बिजूका' के प्रभाव का उल्लेख हुआ है।^{१२} 'पूरब जनम करम भूमि बीज नाहीं बोयो'^{१३} इत्यादि कथनों से स्पष्ट है कि कबीर कृषि-विषयक कथनों में भी आध्यात्मिक दृष्टि की ही अभिव्यक्ति करना चाहते हैं। सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति के प्रसंग मे कृषक की स्थिति विषयक कतिपय सकेत उपलब्ध होते हैं। इस विषय मे निम्न पद महत्वपूर्ण है—

गाइ कु ठाकुर खेत कु नेपै, काइय खरच न पारै।

जोरि बेवरी खेति पसारै, सब मिलि मोकी मारै हो राम।

खोटौ महतौ बिकट बलाही, सिर कसदम का पारै।

बुरी दिवांन दादि नहिं लागै, इक बाधै इक मारै हो राम।

यही कारण है कि कबीर ने कहा कि—'अब न बसू इहिं गाइ गुसाईं।'

इस सदर्भ मे यह उल्लेख आवश्यक है कि इस प्रकार के अशो मे विद्यमान आध्यात्म परक दृष्टि लक्ष्य है पर अपने युग के जीवन का जो रूप कवि हमे प्रदान करता है, वह पर्याप्त प्रामाणिक है।

तिरुवल्लुवर एवं कबीर-काव्य मे सामाजिक अभिव्यक्ति के उपर्युक्त अध्ययन से दोनों कवियों के युग का एक चित्र उभर कर हमारे समक्ष आता है, यह चित्र विभिन्न रंगो से युक्त चाहे न हो, पर इसकी रेखाए अत्यन्त स्पष्ट हैं। तिरुवल्लुवर के युग का यह मौलिक अध्ययन साहित्य के द्वारा सामाजिक इतिहास प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। ठोस ऐतिहासिक सामग्री का अभाव होने के कारण तिरुवल्लुवर-युग के तमिल-प्रदेश का यह अध्ययन निश्चय ही महत्वपूर्ण है। कबीर के युग का इतिहास उपलब्ध है, पर सामाजिक जीवन के तत्त्वो का अध्ययन इतिहास की सामग्री का पूरक बनता है। तिरुवल्लुवर एवं कबीर दोनों समाज को आदर्श रूप प्रदान करने के लिए कृत-सकल्प थे। फलत सामाजिक अभिव्यक्ति के उपर्युक्त अशो का अध्ययन आदर्श सामाजिक धारणाओ को भी उद्घाटित करता है।



१. बाधि लं घोरा सीचि लं क्यारी ज्यू तू पेड भरै।

काया बाड़ी माहँ माली, टहल करै दिन राती।

कबहुं न सोवै काज सवारै, पाणतिहारी माती।

सेम्है कूवा स्वाति अति सीतल, कबहुकुवा बनही रे ॥—कबीर ग्रंथावली, पृ० १२०।

२. बही, पृ० १२१।

३. जतन बिन भृगनि खेत उजारे।

× × ×

बुद्धि मेरी किरपी, गर मेरी बिभुका, आखिर दोइ रखवारे ॥—बही।

४. कबीर ग्रंथावली (पा० ना० ति०), पृ० ३५।

भाव-साम्य के उवलन्त उदाहरण

(कतिपय संस्कृत ग्रन्थ एवं तिखकुरल)

अध्ययन का उद्देश्य—भाव-साम्य का उद्घाटन

- (क) तिखकुरल एवं महाभारत ।
- (ख) तिखकुरल एवं मनुस्मृति ।
- (ग) तिखकुरल एवं कौटिलीय अर्थशास्त्रम् ।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन में कई स्थलों पर तिरुक्कुरल एवं अन्य कई ग्रन्थों यथा महाभारत, गीता, मनुस्मृति, कौटिलीय-अर्थशास्त्रम्, कामसूत्र इत्यादि के साथ भाव-साम्य का उल्लेख किया गया है। साधारणतया इस अध्ययन के अन्तर्गत तिरुवल्लुवर एवं कबीर के काव्य का तुलनात्मक विवेचन ही ग्रहण किया जाना चाहिए, पर हिन्दी में तिरुक्कुरल विषयक प्रथम अध्ययन होने के कारण इस ग्रन्थ के अध्ययन की सम्भावनाओं का सकेत देने के लिए 'तिरुक्कुरल तथा महाभारत', 'तिरुक्कुरल तथा मनुस्मृति', 'तिरुक्कुरल तथा कौटिलीय अर्थशास्त्रम्' शीर्षकों से साम्य दर्शाने वाले कुछ अंशों का उल्लेख इस अध्याय में किया जा रहा है। भारतीय चिन्तन की विशालता, गहनता एवं निरन्तरता के मूल में विद्यमान भावात्मक एकता को उद्घाटित करने का यह एक लघु प्रयास मात्र है। निश्चय ही तिरुक्कुरल की तुलना में इन ग्रन्थों के अनेक अंशों में विपरीत भाव भी खोजे जा सकते हैं, पर यहाँ 'साम्य' का उद्घाटन ही विषय की सीमा मान ली गई है।

तिरुक्कुरल एव महाभारत

महाभारत की महिमा जगत्-विख्यात है। अखिल-ज्ञान के भण्डार के रूप में इस ग्रन्थ का भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों में बहुत आदर है। आकार की विशालता, विषयों की व्यापकता की दृष्टि से महाभारत भारतीय संस्कृति का विश्वकोष बन गया है। 'यन् भारतं तन्न भारते' की लोक-प्रचलित उक्ति इसी ओर संकेत करती है। तिरुक्कुरल में वर्णित धर्म, अर्थ, काम का महाभारत में आए तद्विषयक अशो से अद्भुत साम्य है। दोनो महान् ग्रन्थों में भारतीय सांस्कृतिक धारा का आकलन हो गया है। महाभारत अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है, 'तिरुक्कुरल' सक्षिप्त रूप में अभिव्यक्ति के लिए विख्यात है। यहा दोनो ग्रन्थों के कुछ ऐसे अंश उद्धृत किये जा रहे हैं जिनमें भाव-साम्य प्रत्यक्ष है।

गृहस्थ-धर्म (इलवाळर्क) शीर्षक के अन्तर्गत वल्लुवर का कथन है. गृहस्थ अन्य तीनों आश्रमों में धर्मानुकूल जीवन व्यतीत करने वालों का स्थायी सहायक होता है।^१ महाभारत में गृहस्थ के महत्त्व को स्वीकृत किया गया है

यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः ॥

एव गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्त इतरेऽऽश्रमाः ॥^२

वल्लुवर ने पूर्वज, देवता, अतिथि, बन्धु के लिए धर्मानुकूल निरन्तर कर्म करना गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य माना है।^३ महाभारत के अनुसार

देवतातिथिभृत्यानां पितृणां प्रतिपूजनात् ॥^४

सतति (मक्कटपेरु) के सन्दर्भ में तिरुवल्लुवर कहते हैं—

सतान का अपने से अधिक वृद्धिमान होना विशाल भूतल के सभी मनुष्यों को आनन्द प्रदान करता है।^५ महाभारत में यह भाव निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त हुआ है—

एकमेव हि लोकेऽस्मिन्नात्मनो गुणवत्तरम् ।

इच्छन्ति पुरुषा पुत्र लोके नान्य कश्चन ॥^६

प्रसन्नबदन से श्रेष्ठ अतिथियों का सत्कार करने वालों के गृह में लक्ष्मी का सानन्द निवास रहता है।^७ वल्लुवर का यह विचार महाभारत में इस प्रकार अभिव्यक्त है—

१ कुरल ४१ ।

२ महाभारत (भण्डारकर) १२।२६१।६ ।

३ कुरल ४३ ।

४ महाभारत, (भण्डारकर) अरण्य० १६६।४ ।

५ कुरल ६८ ।

६ महाभारत, द्रोण०, १६४।५ ।

७ कुरल ८४ ।

सुमुख सुप्रसन्नात्मा धीमानतिविभागतम् ।

स्वायतेनासनेनाङ्गिरन्नाद्येन्न च पूजयेत् ॥^१

कृतज्ञता (चैयन्नरि अरिदत्) के सदर्थ में वल्लुवर मानते हैं—‘मरण सदुश अति विषम अप-
कार करने पर भी अपकारी के पूर्वकृत एक उपकार का स्मरण उस अपकार को भुला देया ।^२
महाभारतकार की मान्यता भी यही है—

पूर्वोपकारी यस्ते स्यादपराधे गरीयसि ।

उपकारेण तत् तस्य क्षन्तव्यमपराधिन ॥^३

मासाहार-निषेध प्रसंग में वल्लुवर कहते हैं—

‘मास भक्षण के लिए लोग जीवहत्या न करें तो मूल्य के लिए मास विक्रय करने वाला
भी कोई नहीं रहेगा ।’ इस भाव को महाभारत का निम्न अंश अभिव्यक्त करता है—

यदि चेत् खादको न स्यान्न तदा घातको भवेत् ।

घातक खादकार्थीय तद्घातयति वै नर ॥^४

वल्लुवर तपस्या के महत्त्व का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उमग सहित तपस्या मे
लौन व्यक्ति के लिए ‘यम’ पर विजय प्राप्त करना भी सम्भव है ।^५ महाभारत मे इसी भाव को
अभिव्यक्त करते हुए कहा गया है—

सचरन्ति तपो घोर व्याधिमृत्युविवर्जिता ।

स्ववशादेव ते मृत्यु भीषयन्ति च नित्यश ॥^६

‘सत्य’ की व्याख्या वल्लुवर करते हैं—‘किसी प्रकार की हानि से रहित कथन को सत्य
बोलना कहते हैं ।’^७

महाभारत के शान्ति पर्व मे नारद का कथन है—

सत्यस्य वचनं श्रेय सत्थादपि हित भवेत् ।

यद्भूतहितमत्यन्तमेतत्सत्य मत मम ॥^८

अक्रोध (वेदुलामे) के अन्तर्गत वल्लुवर ने किसी पर भी अवस्थित क्रोध को भूलने
का सदेश दिया है, क्योंकि इससे अनिष्टकारी परिणाम ही उत्पन्न होते हैं ।^९ महाभारत मे क्रोध
के विषय मे कहा गया है—

१. महाभारत, आश्व०, ६२ ।
२. कुरल १०६ ।
३. महाभारत, वन० २८।२६ ।
४. कुरल २५६ ।
५. महाभारत, अनु० ।
६. कुरल २६६ ।
७. महाभारत, अनु० ।
८. कुरल २६१ ।
९. महाभारत, (भण्डारकर) १२।३१६।१३ ।
१०. कुरल ३०३ ।

क्रोधमूली विवाश्री हि प्रभावाभिह दूषयते ।

तत्कथं मयूषा क्रोधमुत्सृजेत्पोकनाशनम् ॥^१

'कोई अपनी रक्षा करना चाहे तो क्रोध से करे, अन्यथा क्रोध ही उसको मार डालेगा।'^१ बल्लुवर के इन शब्दों की ध्वनि निम्नलिखित पद में है :—

क्रोधो हन्ता मनुष्याणां क्रोधो भावयिता पुनः ।

इतिविद्धि महाप्राज्ञे क्रोधमूलो भवाभवौ ॥^२

सन्यास (तुर्वु) के अन्तर्गत बल्लुवर का कथन है—'जिन-जिन वस्तुओं से मानव बन्धन-मुक्त हो जाता है, उन उन वस्तुओं से उसे दुःख प्राप्त नहीं होता।'^४

यह भाव महाभारत के प्रस्तुत श्लोक में उपलब्ध है—

यथा यथा च पर्येति लोकतन्त्रमसारवत् ।

तथा तथा विरामोऽत्र जायते नात्र सदाय ॥^५

इसी भाव की अभिव्यक्ति एक अन्य स्थल पर भी हुई है—

यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते ।

निवर्तनाद्धि सर्वतो न वेत्ति दुःखमण्वपि ॥^६

कुरलकार का मत है—'बधनमुक्त होने पर ही भव से मुक्ति प्राप्त होगी अन्यथा जन्म-मृत्यु की अस्थिरता बनी रहेगी।'^७ महाभारत में उल्लेख है—

प्रवृत्त कर्म ससेव्य देवानामेतिसाम्प्रताम् ।

निवृत्त सेवमानस्तु भूतामत्येति पञ्च वै ॥^८

तिरुवल्लुवर प्रश्न करते हैं—'भाग्य से बढकर शक्ति कौन है ?'^९ उत्तर महाभारत में निर्दिष्ट है—'देव तु बलवत्तरम्',^{१०} तिरुवल्लुवर के अनुसार 'मैं' और 'मेरा' के अहंकार का जो दमन कर डाले वह देवताओं में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करेगा।^{११} महाभारत में यह भाव इस रूप में व्यक्त हुआ है—

१ महाभारत, (भण्डारकर) आरण्यक०, ३०।३।

२ कुरल ३०५।

३ महाभारत, (भण्डारकर) आरण्यक०, ३०।१।

तुलनीय 'यो हि सहरते क्रोध भावस्तस्य सुशोभने ।

य पुन पुरुष क्रोध नित्य न सहते क्षुभे ।

तस्य भावाय भवति क्रोध परमदारुणः ॥

—वही, ३०।२।

४ कुरल ३४१।

५ महाभारत, शांति०, २२७।६६।

६ वही, उद्योग० ३६।१४।

७ कुरल ३४६।

८ महाभारत, अश्व०, ३६।१० (देखें मनु० १२।६०)।

९ कुरल ३८०।

१० महाभारत, कर्ण०, २२।३१।

११ कुरल ३४६।

ध्यानयोगेन शुद्धेन निर्ममा निरहङ्कृतः ।

आप्नुवन्ति महारमानो महान्तं लोकमुत्तमम् ॥^१

एव निर्ममो निरहकारो मुच्यते नात्र सशय ॥^२

भाग्य (ऊर्ध्व) अध्याय के अन्तर्गत तिरुक्कुरल का कथन है—

‘धन-प्राप्ति के सौभाग्य से परिश्रम प्रकट होता है और विसर्जन के दुर्भाग्य से आलस्य ।^३
इसी विचार की अभिव्यक्ति महाभारत के विराट पर्व में निम्न ढग से हुई है—

दैवेन किल यस्यार्थं पुनीतोऽपि विपद्यते ।

सदा दैवागमे यत्र तेन कार्यो विजानता ॥^४

इसी प्रकार के अन्य सन्दर्भों का भी उल्लेख किया जा सकता है ।

बल्लुवर के अनुसार ‘धन खोने का दुर्भाग्य मनुष्य को मन्द-बुद्धि और धनोपलब्धि का सौभाग्य उसे विशालबुद्धि बना देगा ।^५ यही भाव महाभारत में इस प्रकार उपलब्ध है—

बल बुद्धिश्च तेजश्च प्रतिपत्तिश्च भारत ।

भवन्ति भवकालेषु विपद्यन्ते विपर्यये ॥^६

बल्लुवर कहते हैं कि भाग्य के फलस्वरूप ससार का स्वभाव दो प्रकार का है । एक है सम्पत्ति-सम्पन्नता और दूसरा है सद्ज्ञान-सम्पन्नता ।^७

महाभारत में इसी विचार को निम्न रूप में प्रस्तुत किया गया है—

न विधिं ग्रसते प्रजा प्रज्ञा तु ग्रसते विधि ।

विधिपर्यागतानर्थान् प्रज्ञावान्प्रतिपद्यते ॥^८

महाभारत एवं तिरुक्कुरल में भाव-साम्य के अनेकानेक स्थलों में से कुछ का उल्लेख द्वितीय अध्याय की पाद-टिप्पणियों में किया जा चुका है । यहाँ इसी प्रकार के कुछ और अर्थ प्रस्तुत किए जा रहे हैं—

तिरुक्कुरल ‘धर्मज्ञ व अपने से बड़े ज्ञानी पुरुषों की मित्रता उत्तरी महानता को सम्भ्रम कर यथानुसार प्राप्त करो ।’^९

महाभारत गुणवन्तो महोत्साहा धर्मज्ञा साधवश्च ये ।

सदधीत नृपस्तेश्च राष्ट्र धर्मेण पालयन् ॥^{१०}

तिरुक्कुरल ‘इच्छित कर्म की शक्ति, अपनी शक्ति, शत्रु की शक्ति तथा दोनों के सहायकों की शक्ति को तौल कर ही उक्त कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए ।’^{११}

१ महाभारत, आश्व०, ५१।२२ ।

२ बही, ३६।१६ ।

३ कुरल ३७१ ।

४ महाभारत ।

५ कुरल ३७२ ।

६ महाभारत, मौसल०, ६।३७ ।

७ कुरल ३७४ ।

८ महाभारत ।

९ कुरल ४४१ ।

१० महाभारत, शांति० (भण्डारकर) ६६।१६ ।

११ कुरल ४७१ ।

- महाभारत : सारासारं बलं वीर्यमात्मनो द्विषत्तश्च य ।
जानन्विवचरति प्राज्ञो न स याति परामवम् ॥^१
- तिरुक्कुरल : सैन्य, प्रजा, धन, अमात्य, मित्र, दुर्ग—ये स्रष्टो जिसके पास हों वह राजाओं में
पुरुष-सिंह के समान होता है ।^२
- महाभारत : आत्माभात्यश्च क्रोधाश्च दण्डो मित्राणि चैव हि ।
तथा जनपदश्चैव पुर च कुहनन्दन ।
एतत्सप्तात्मकं राज्यं परिपाल्य प्रयत्नतः ॥^३
- तिरुक्कुरल : गहरे जल के भीतर मगरमच्छ सबको जीतने में समर्थ है पर जल से बाहर उसे
पराजय ही प्राप्त होगी ।^४
- महाभारत : नर स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति ।
स एव प्रच्युतं स्थानाच्छुनापि परिभ्रूयते ॥^५
- तिरुक्कुरल : 'राजा वही है जो शासननीति से च्युत न होते हुए राज्य से अधर्म को हटा कर
अपनी वीरता को सम्मान से बनाए रखे ।'^६
- महाभारत : अप्रमादेन शिक्षेया क्षमा बुद्धि धृति मतिषु ।
भूतानां सत्वजिज्ञासा साध्वसाधु च सर्वदा ॥^७
- तिरुक्कुरल : 'अभिमान, क्रोध व विषयवासना के दोषों से रहित व्यक्ति अधिकाधिक वैभव
सम्पन्न होते जाये ।'^८
- महाभारत : 'एतेभ्यो नित्ययत स्यान्नक्तचर्या च वर्जयेत् ।
अत्याय चातिमान च दम्भ क्रोध च वर्जयेत् ॥^९
- तिरुक्कुरल : 'कोई स्वयं अपनी रक्षा करना चाहे तो क्रोध से रक्षा करे, अन्यथा क्रोध ही
उसको नष्ट कर देगा ।'^{१०}
- महाभारत : किन्तु रोषान्वितो जन्तुर्हून्यादात्मानमात्मना ।
यो हि सहरते क्रोध भावस्तस्य सुशोभने ।
यो न सहरते क्रोध तस्याभावो भवत्युत ॥^{११}

१ महाभारत, शान्ति० (भण्डारकर), ११४।१३ ।

२ कुरल ३८१ ।

३ महाभारत, शांति० (भण्डारकर), ६६।६२, ६३ ।

४ कुरल ४६५ ।

५ महाभारत ।

६ कुरल ३८४ ।

७ महाभारत, शांति० (भण्डारकर), ६२।४२ ।

८ कुरल ४३१, तुलनीय न हि कामात्मना राज्ञा सतत शठकुण्डिना ।

नृशसेनातिलुब्धेन शक्या पालियतु प्रजा ॥

—महाभारत, शांति० (भण्डारकर), ७६।१४ ।

९ महाभारत, शांति०, (भण्डारकर), ६१।२६ ।

१० कुरल ३०५ ।

११ महाभारत, वन०, ३६।४ ।

तिरुक्कुरल 'मन मे क्रोध को स्थान न दो तो सभी इच्छिन वस्तुओं की तुरन्त शक्ति होगी ।'^१

महाभारत : य' समुत्पतित क्रोधमक्रोधेन निरस्यति ।
देवयानि विजानीहि तेन सर्वमिदं जितम् ॥^२

तिरुक्कुरल 'धर्मों में अतुलनीय अग्रिम स्थान अहिंसा का है । उसके अनन्तर 'असत्य न बोलना' उचित है ।'^३

महाभारत अहिंसा सर्वभूतानामेतत्कृत्यतमं मतम् ।^४
तथा अनृतं तु भवेद्वाच्यं न तु हिंसा कदाचन ।^५
तथा सत्यं धर्म इति ह्येके वदन्ति बहवो जनाः ।
यत्स्यादहिंसासयुक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥^६

इस प्रकार के अध्ययन से भारत की सांस्कृतिक एकता का जो चित्र उभर कर हमारे समक्ष आता है वह वर्तमान युग में एक प्रबल आवश्यकता है । महान विभूतियों का चिन्तन, आदर्शों की स्थापना द्वारा मानव-मात्र के मार्ग-दर्शन का कार्य करता है । तिरुक्कुरल एवं महाभारत में भारतीय जीवन एवं संस्कृति की सफ़र अभिव्यक्ति हुई है । उपर्युक्त प्रकरण इस सांस्कृतिक ऐक्य का सकेत-मात्र देने का एक लघु प्रयास है । दोनों ग्रन्थों के इस पक्ष का विस्तृत विवेचन भावी शोध का सम्भव विषय है ।



-
- १ कुरल ३०६ ।
 २. महाभारत, आदि०, ७३।३ ।
 - ३ कुरल ३२३ ।
 - ४ महाभारत, अश्व०, ५०।२ ।
 - ५ महाभारत, कर्ण०, ७२।२४ ।
 - ६ महाभारत, कर्ण०, ७२।५६, ५८ ।

तुलनीय अहिंसा सकलौ धर्मौ हिंसा धर्मस्तथाहित ।

—बही, छांति०, २७२।२०।

तिरुक्कुरल एवं मनुस्मृति

तिरुक्कुरल-काव्य के अध्येताओं का विचार है कि तिरुक्कुरल एवं मनुस्मृति में पर्याप्त साम्य है। मनुस्मृति एवं तिरुक्कुरल दोनों ग्रन्थों में कर्म-फल के सिद्धान्त में आस्था का भाव विद्यमान है। धर्म के मार्ग पर अग्रसर होने का एक लाभ श्रेष्ठ पुनर्जीवन अथवा जन्म-चक्र से मुक्ति है।^१ कर्म-फल-सिद्धान्त अपने व्यापकत्व के कारण समस्त भारतीय काळवय में अनेक रूपों में समाहित हो गया है। तिरुक्कुरल एवं मनुस्मृति में साम्य का अध्ययन करने के अनेक अन्य उदाहरण लिये जा सकते हैं—

धर्म के महत्त्व का वर्णन करते हुए वल्लुवर का कथन है—‘धर्म यशप्रद है और धन-प्रद भी, अतः जीवन के लिए धर्म से श्रेष्ठ और कौन-सा पदार्थ है?’^२ इस कुरल में ‘चिरप्पु’ (श्रेयस्) और ‘चेलवम्’ (प्रेयस) की तुलना मनुस्मृति से की जाये तो अद्भुत साम्य दिखाई देता है

“सुखाभ्युदयिक चैव न श्रेयसिकमेव च”^३

गार्हस्थ्य जीवन के विषय में वल्लुवर का कथन है—‘वस्तुतः गार्हस्थ्य जीवन ही धर्म का पूर्ण रूप है और वह भी दोषारोपण से मुक्त हो तो फिर कहना ही क्या?’^४ मनुस्मृति में निम्नलिखित विचार प्रतिपादित है—

यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम् ।

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥^५

वल्लुवर कहते हैं—‘गृहस्थ अन्य तीनों आश्रमों में धर्मानुकूल जीवन व्यतीत करने वालों का स्थायी सहायक होता है।’^६ मनुस्मृति का कथन है—

यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तव ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमा ॥^७

१ “In the ethics of the Kural, as in those of the laws of Manu, the idea of reward has a place. The way of virtue is recommended because it leads to a better re-incarnation or to liberation from re-birth.”

—*Indian Thought and Its Development*—Albert Schweitzer, p 201.

२ कुरल ३१ ।

३. मनुस्मृति, १२।८८ ।

४. कुरल ४६ ।

५. मनुस्मृति, ३।७८ ।

६. कुरल ४१ ।

७. मनुस्मृति, ३।७७ ।

‘बाळबकैतुचीनलम्’ अर्थात् जीवन-सगिनी के गुणों के अन्तर्गत स्त्री की मर्यादा का बर्णन करते हुए बल्लुवर ने माना है कि घर की दीवारों में स्त्री को मर्यादित रखना व्यर्थ है, उसकी वास्तविक मर्यादा तो उसका सतीत्व है।^१

अरक्षिता गृहे रुद्धा पुरुषैरात्कारिभिः ।

आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ता सुरक्षिता ॥^२

इसी प्रकार, ‘पयनिल चोल्लामै’ अर्थात् ‘प्रलाप न करना’ में बल्लुवर कहते हैं—‘व्यर्थ प्रलाप से दूसरी को अप्रसन्न करने वाला मनुष्य सभी द्वारा असम्मान प्राप्त करेगा।’^३ मनुस्मृति में कट्ट-भाषण, असत्य-भाषण, परोक्ष में किसी का दोष कहना एवं निष्प्रयोजन बात करना अशुभ माना गया है।^४ इन सभी का उल्लेख बल्लुवर ने भी किया है।

मासाहार-निषेध (पुलाल् मरुत्तल्) के सदर्म में बल्लुवर का कथन है—अपने मांस की वृद्धि के लिए दूसरे प्राणी के शरीर का भक्षण करने वाला दयावान् कैसे हो सकता है ?^५ मनुस्मृति में इस सदर्म में कथन है—

स्वमांसं परमासेन यो वर्धयतिमिच्छति ।

अनम्यर्च्यं पितृन्देवास्ततोऽन्यो नास्त्य पुण्यकृत् ॥^६

इसी प्रसंग में कुरलकार का मत है—मनुष्य का सशरीर जीवित रहना मासाहार निषेध के तत्त्व पर आधृत है, अतः मामाहारी को नरक से भी मुक्ति नहीं मिलेगी।^७ इसी भाव को अभिव्यक्त करने वाली मनुस्मृति की पवित्रया इस प्रकार हैं —

समुत्पत्तिं च मासस्य वधवन्धो च देहिनाम् ।

प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमामस्य भक्षणात् ॥^८

मास-भक्षण की वर्जना बल्लुवर इस आधार पर भी करते हैं कि ‘विश्लेषण करने पर समझे कि मास दूसरे जीव का घाव ही है।’^९ इसी कारण ‘मास का भक्षण ही अधर्म है’,^{१०} अतः ‘निर्दोषबुद्धि वाले एक जीव के शरीर से पृथक् होकर आए हुए मास का भक्षण नहीं करेंगे।’^{११} मनुस्मृति में कथन है—

१ कुरल ५७ ।

२ मनुस्मृति, ६।१२ ।

३ कुरल १६१ ।

४. पारुष्यमनूत चैव पैशून्य चापि सर्वंश ।

असबद्धप्रलापश्च वाङ्मय स्याच्चतुर्विधम् ॥—१२।६ ।

५ कुरल २५१ ।

६. मनुस्मृति, ५।५२ ।

७ कुरल २५५ ।

८ मनुस्मृति, ५।४६ ।

९ कुरल २५७ ।

१० कुरल २५४ ।

११ कुरल २५८ ।

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित् ।
 न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विषर्जयेत् ॥^१
 तिरुवल्लुवर कहते हैं—भूत की आहुति देकर किए गए, सहस्र हवनों से धोष्ठ है—जीवहृत्का एवं मांस-भक्षण न करना ।^१ मनु इसी भाव को इस प्रकार अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं—

वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शत सभाः ।
 मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफलं समम् ॥^१
 तिरुवल्लुवर आगे कहते हैं—जो अहिंसक हो और मांस न खाता हो, उसको सभी जीव करबद्ध प्रणाम करेंगे ।^१ मनु का कथन अधिक विस्तार ग्रहण करता है, पर 'स लोके प्रियता' विशेष तुलनीय है—

न भक्षयति यो मांसं विधिं हित्वा पिशाचवत् ।
 स लोके प्रियता याति व्याधिभिश्च न पीडयते ॥^१
 तपस्या (तपस्) का वर्णन करते हुए तिरुवल्लुवर कहते हैं—जिस प्रकार स्वर्ण तपते-तपते निर्मल एवं प्रकाशमान होता है, उसी प्रकार तपस्वी भी कष्ट से तपते-तपते निर्मल एवं ज्ञान के प्रकाश से युक्त हो जाता है ।^१ मनु में यह भाव निम्नलिखित रूप में उपलब्ध है—

दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूर्ता हि यथा मला ।
 तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात् ॥^१
 सन्यास (तपस्) का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए तिरुवल्लुवर मानते हैं कि बंधन मुक्त होने पर ही भव से मुक्ति होगी अन्यथा अस्थिरता बनी रहेगी ।^१ इसका कारण यह है कि 'बंधनयुक्त व्यक्ति को विविध प्रकार के दुःख बांध कर उसे कभी मुक्त न करेंगे ।'^१ मनु कहते हैं—निवृत्त कर्म का सेवन करता हुआ, पचभूत का अतिक्रमण करता हुआ (पुनर्जन्म रहित होकर) मोक्ष प्राप्त करता है ।^{१०}

राजा के गुणों का वर्णन करते हुए वल्लुवर का मत है—राजा वही है जो धन के सप्रयत्न उपार्जन, उसकी वृद्धि, रक्षा एवं वितरण में प्रवीण हो ।^{११} मनु ने—
 अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्प्रयत्नतः ।
 रक्षितं वर्षयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत् ॥^{११}

-
- १ मनुस्मृति, ५।४८ ।
 २ कुरल २५६ ।
 ३ मनुस्मृति, ५।५३ ।
 ४. कुरल २६० ।
 ५ मनुस्मृति, ५।५० ।
 ६ कुरल २६७ ।
 ७ मनुस्मृति, ६।७१ ।
 ८ कुरल ३४६ ।
 ९ कुरल ३४७ ।
 १० निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यभ्येति पञ्च वै ॥—१२।६० ।
 ११. कुरल ३८५ ।
 १२. मनुस्मृति, ७।६६ ।

में राजा के लिए कहा है—'अप्राप्त को पाने की इच्छा करे, प्राप्त की यत्नपूर्वक रक्षा करे, रक्षा किए गए को बढ़ाये और बढ़ाये हुए को सत्पात्र को दान कर दे।' (कल्वि) शिक्षा अध्ययन में कल्लुवर कहते हैं—'पृथ्वी में कुआ जितना गहरा खुदेगा, उतना ही अधिक जल निकलेगा; एवम् मनुष्य में जितनी ही शिक्षा अधिक होगी, उतनी ही बुद्धि तीव्र बनेगी।'१ मनु में बुद्ध की सेवा करने वाले शिष्य के संदर्भ में आया है—

यथा खनन्खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति ।

तथा गुह्यता विद्या शुश्रुषुरधिगच्छति ॥२

यहाँ आवश्यक यद्यपि केवल अभिव्यक्ति में है, पर अत्यन्त आकर्षक है। सम्राट् से सहयोग (मन्त्रचरन्दु ओल्लुकल) शीर्षक से सम्राट् के प्रति व्यवहार का विश्लेषण करते हुए तिरुवल्लुवर ने परामर्श दिया है—अल्पवयस्क, अथवा बन्धु कहकर सम्राट् का अपमान न कर अपनी स्थिति के अनुकूल मर्यादित व्यवहार करना चाहिए।३

दूत के गुणों का विवेचन करते हुए तिरुवल्लुवर ने स्नेह-सम्पन्नता, कुलीनता, इच्छा-नुसार सदाचरण, तीक्ष्ण बुद्धि, वाक्चातुर्य, विद्वत्ता एवं निर्भयता का उल्लेख किया है।४ मनु द्वारा दूत के लक्षणों में इन सब गुणों का आकलन हुआ है—

दूत चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् ।

इगिताकारचेष्टज्ञ शुचि दक्ष कुलोद्गतम् ॥

अनुरक्त शुचिर्दक्ष स्मृतिमान्देशकालवित् ।

वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञ प्रशस्यते ॥५

तिरुवल्लुवर कहते हैं—'अन्यायपूर्ण एवं विचारहीन शासन करने वाला नरेश धन एवं प्रजा से वंचित हो जाएगा।'६ मनु का निम्नलिखित कथन ठीक इसी भाव की अभिव्यक्ति कर रहा है—

मोहाद्वाजा स्वराष्ट्रं य कर्षयत्यनवेक्षया ।

सोऽचिराद्भ्रश्यते राज्याज्जीविताच्च सवान्धव ॥७

तिरुवल्लुवर राजा को परामर्श देते हैं कि असीम दण्ड का भय दिखाकर भी मनु-व्यवहार स्थायी समृद्धि प्रदान करता है।८ मनु भी यही उचित मानते हैं—

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपति ।

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति समत ॥९

इन उद्धरणों का अधिक विस्तार न करते हुए इनसे उपलब्ध निष्कर्ष पर विचार करें

१ कुरल ३९६।

२. मनुस्मृति, २।२१८।

३ कुरल ६९८।

४ तिरुकुरल, अध्याय ६९।

५ मनुस्मृति, ७।६३-६४।

६ कुरल ५५३।

७ मनुस्मृति, ७।१११।

८. कुरल ५६२।

९ मनुस्मृति, ७।१४०।

तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बल्लुवर और मनु अनेक विषयों पर समान दृष्टिकोण अपनाकर चले हैं। इसके मूल में एक ही परम्परा एवं सांस्कृतिक चेतना का प्रभाव है। यद्यपि अनेक भारतीय एवं पश्चात्य विद्वानों ने मनुस्मृति का तिरुवल््लुवर पर प्रभाव स्वीकार किया है, परन्तु प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत इस प्रश्न का विवेचन लक्ष्य नहीं रहा। तिरुवल््लुवर ने मनु से कुछ प्रभाव ग्रहण किया अथवा स्मृतिकार ने तिरुवल््लुवर से कुछ प्रभाव ग्रहण किया, इससे साहित्य एवं धर्म के विद्वेषण में कोई अन्तर नहीं आता। सच तो यह है कि दोनों ही अपनी परम्परा एवं संस्कृति से प्रभाव ग्रहण कर रहे हैं। प्रभाव-ग्रहण विषयक प्रश्न का निर्णय इतिहासकार करें, दोनों ग्रन्थों के साहित्यिक एवं सामाजिक साम्य का उल्लेख इस अध्ययन की विषय-सीमा है।

तिरुक्कुरल एव कौटिलीय अर्थशास्त्रम्

अनेक विद्वानो ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि तिरुक्कुरल ग्रन्थ के लिए तिरुवल्लुवर ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की सामग्री का उपयोग किया है। इनमें श्री आर० सी० मजूमदार, श्री नीलकण्ठ शास्त्री, श्री के० एस० रामास्वामी शास्त्री, श्री वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार, डा० पी० एस० सुब्रह्मण्यम् शास्त्री इत्यादि विशेष रूप से उल्लेख्य हैं। श्री आर० सी० मजूमदार ने उल्लेख किया है कि लगभग समकालीन तमिल साहित्य में वर्णित राज्य-गठन इत्यादि की सामग्री अर्थशास्त्र से मेल खाती है।^१ श्री नीलकण्ठ शास्त्री के मतानुसार राज्य (नाडु) के उपादानो के विषय में तिरुवल्लुवर की धारणाएँ अर्थशास्त्र का पुनराख्यान हैं एव अनेक स्थलों पर उनमें अपेक्षाकृत अधिक स्पष्टता है।^२ श्री रामास्वामी आयंगर का मत है कि 'यह स्मरण रहना चाहिए कि 'कुरल' में मात्र दक्षिण-भारतीय सस्कृतिके श्रेष्ठ अंशों का ही सकलन नहीं अपितु इसमें उत्तर भारत के कौटिल्य-अर्थशास्त्र जैसे ग्रन्थों का निचोड़ भी ग्रहण कर लिया गया।'^३

यह स्पष्ट किया जा चुका है कि हमारे अध्ययन का लक्ष्य इस प्रकार के किसी प्रभाव का विवेचन करना नहीं अपितु तिरुक्कुरल एव कौटिलीय अर्थशास्त्र में आएँ समान अभिव्यक्ति के कुछ अंशों का उल्लेख करके दोनों ग्रन्थों के विचार-साम्य को प्रस्तुत करना मात्र है।

तिरुक्कुरल में शक्ति (वनियरित्तल्), समय (कालम् अरित्तल्) एव स्थल (इटन् अरित्तल्) तीनों को समान महत्त्व प्रदान किया गया है। शक्ति, देश और काल का उल्लेख करते समय कौटिल्य भी यही भाव अभिव्यक्त करता है—'परस्पर साधका हि शक्तिदेशकाला'।^४ इसी प्रकरण में वल्लुवर का कथन है—

दिन के समय उलूक पर (उसमें दुर्बल) कौआ विजय प्राप्त कर लेता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले सम्राट् के लिए तदनुकूल अवसर की आवश्यकता होती है।^५

कौटिल्य द्वारा उल्लिखित निम्नलिखित मत इससे अद्भुत साम्य रखता है—

'काल. श्रेयानित्येके । दिवा काक कौशिक हन्ति, रात्री कौशिक काकम् इति।'^६

१. The Political data supplied by presumably contemporary Tamil Literature tally with the Arthasastra

—History and Culture of the Indian People, Vol II, p 324

२. The Cholas, Nilakantha Sastri, p 79

३. Studies in South Indian Jainism

४. कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, ६।१३५-३६।४।

५. कुरल ४८१।

६. कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, ६।१३५-३६।३।

परन्तु कौटिल्य ने स्पष्ट किया है कि शक्ति देश और काल एक-दूसरे के पूरक हैं।

शिक्षा (कसृषि) के सद्वर्ग में बल्लुवर का कथन है—'आवश्यक विषयों का विशेष-पूर्व अध्ययन करना चाहिए। तदनन्तर उनके अनुसार व्यवहार करने में स्थिर रहना चाहिए।'^१ कौटिल्य का इस सद्वर्ग में कथन है—विद्यानां तु यथास्वभावाद्यैर्प्राभाष्याद्विनयो नियमसूचः।^२

शक्ति का बोध (बलियरित्तम्) प्रसंग में बल्लुवर इच्छित कर्म की शक्ति, अपनी शक्ति, शत्रु की शक्ति तथा दोनों के सहायकों की शक्ति को तोल कर ही कर्म में प्रवृत्त होवे का^३ परामर्श देते हैं। कौटिल्य का 'शक्तिदेशकाल बलाबल ज्ञान' प्रसंग में कथन है—'विजिगी-धुरात्मन परस्य च बलाबल शक्तिदेशकालयात्राकालबलसमुत्थानकालपश्चात्कोपक्षयव्यय-साभापदा ज्ञात्वा विशिष्टबलो यायात्। अन्ययासीत्।'^४ इसी सद्वर्ग में बल्लुवर आगे कहते हैं—अपने कर्म तथा उसके लिए आवश्यक बल को समझकर उस पर दत्तचित्त होकर दृढता-पूर्वक कार्य करने वाले के लिए कुछ भी असम्भव नहीं है।^५ कौटिल्य ने 'मन्त्रशक्ति श्रेयसी। प्रज्ञाशास्त्रचर्चुर्हि राजा अल्पेनापि प्रयत्नेन मन्त्रमाधात् शक्त'^६ में बुद्धि और शास्त्र तथा प्रयत्न करने पर अच्छी प्रकार अनुष्ठान करने का उल्लेख किया है। दत्तचित्त होकर दृढतापूर्वक कर्म में प्रवृत्त होना और अच्छी प्रकार अनुष्ठान करना एक ही स्थिति का द्योतन करने वाले प्रसंग हैं।

'तेरिन्दुतेलित्तल्'—'विचारपूर्ण चुनाव' के अन्तर्गत बल्लुवर धर्म, अर्थ, काम व प्राणभय इन चारों का विचार करके ही किसी को कर्म के उपयुक्त मानने की बात कहते हैं।^७ कौटिल्य ने धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा, एव भयोपधा इत्यादि चार परीक्षाओं का उल्लेख किया है। विस्तृत विवेचन करने के उपरान्त वह कहते हैं—

त्रिवर्गभयसशुद्धानमात्यान् स्वेषु कर्मसु।

अधिकुर्याद् यथाशीघ्रमित्याचार्या व्यवस्थिता ॥^८

दूत के लिए बल्लुवर का कथन है कि मरण-सकट में भी निर्भय हो अपने सम्राट् को श्रीसम्पन्न कराने वाला,^९ विज्ञ, निडर, हृदयबेधक वक्ता एव प्रत्युत्पन्नमति होना चाहिए।^{१०} कौटिल्य ने इस विषय में विस्तृत विवेचन किया है। एक स्थल पर आया है—शासन च यथोक्तं त्र्यायत प्राणाबाधेऽपि दृष्टे।^{११} कुरलकार 'इरैमाट्चि'—'नरेश के गुणकर्म' के अन्तर्गत 'सैन्य, प्रजा, धन, अमात्य, मित्र एव दुर्ग—इन छ से युक्त राजा को राजाओं में पुरुष-सिंह सवृष मानता

- १ कुरल ३६१।
- २ कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, २।४।३।
- ३ कुरल ४७१।
- ४ कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, ६।१३५-१३६।१।१।
- ५ कुरल ४७२।
- ६ कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, ६।१३५-१३६।१।३।
- ७ कुरल ५०१, ५१७, ५१८।
- ८ कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, १।५।६।२।
- ९ कुरल ६६०।
- १० कुरल ६८६।
- ११ कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, १।११।१५।२।

२१६. कौटिल्य का विरुवल्लुवर एवं कर्षीर का तुलनात्मक अध्ययन

है।^१ कौटिल्य कहते हैं—स्वाम्यमात्य अपददुर्गकोशदण्ड मित्राणि प्रकृतयः।^१ विरुवल्लुवर के अनुसार अश्विनी वर्षान् सुखं भवति, जो कठोर वचन नहीं कहता हो, उस नृपति के राज्य की प्रशंसा होती है।^२ कौटिल्य का लगभग यही भाव इस कथन में है—उपस्थानयत. कार्याभिधानाम्हरा-संगं कारयेत्।^३ राजा के विशिष्ट गुणों में विरुवल्लुवर बुद्धिमत्ता, दान और उत्साह,^४ सतर्कता, विद्या तथा निर्भीक-प्रकृति,^५ दान, दया, धर्म-नीति और प्रजा-सरक्षण^६ का उल्लेख करते हैं। कौटिल्य ने इन गुणों का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से वर्णन किया है

'तस्मान्नित्योत्थितो राजा कुर्यादर्थानुशासनम्'^७ के अतिरिक्त निम्न अश द्रष्टव्य हैं -

राज्ञो हि व्रतमुत्थानयज्ञं कार्यानुशासनम् ।

दक्षिणा वृत्तिसाम्यं च दीक्षितस्याभिषेचनम् ॥

प्रजामुखे सुखं राज्ञं प्रजानां च हिते हितम् ।

नात्मप्रियं हितं राज्ञं प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥^८

राजा एव अधिकारी वर्ग के लिए विरुवल्लुवर जिन दोषों से मुक्त रहने का उल्लेख करते हैं उनमें अभिमान, क्रोध, विषय-वासना, दानहीनता, अनुचित आनन्द, कृपणता इत्यादि महत्त्वपूर्ण हैं।^९ कौटिल्य ने इस विषय में यही परामर्श दिया है—विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजय, कामक्रोधलोभमानमदहर्षत्यागात्कार्यं ।

एक अन्य स्थल पर विरुवल्लुवर ने कहा है—प्राप्ति का सुअवसर प्राप्त हो तो असम्भव कार्य भी उसी समय कर लेना चाहिए।^{१०} कौटिल्य का कथन 'यदा वा प्रयात कर्षयितुमुच्छेत्तु वा शक्युयादमित्रं तदा यायात्'^{११} में अभिव्यक्त भाव भी यही सकेत देता है। सुशासन (चंगो-ण्मै) के अन्तर्गत वल्लुवर कहते हैं—ब्राह्मण के ग्रन्थ एव धर्म का मूल आश्रय सम्राट् का राज-दण्ड है,^{१२} कौटिल्य का कथन—'पवित्र मर्यादा में अवस्थित, वर्णाश्रम-धर्म से नियमित और त्रयी धर्म से रक्षित प्रजा दुःखी नहीं होती'^{१३} इसी भाव की अभिव्यक्ति भिन्न रूप में करता है।

१. कुरल ३८१ ।
२. कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, ६।६६।१।२ ।
३. कुरल ३८६ ।
४. कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, १।१४।१८।१ ।
५. कुरल ३८२ ।
६. कुरल ३८३ ।
७. कुरल ३८० ।
८. कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, १।१४।१८।१ ।
९. कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, १।१४।१८।४-५ ।
१०. कुरल ४३१, ४३२, ४३८ ।
११. कुरल ४८६ ।
१२. कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, ६।१३५-१३६।१।६ ।
१३. कुरल ५४३ ।
१४. व्यवस्थितार्यंमर्यादा कृतवर्णाश्रमस्थिति ।
व्ययं हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति ॥ १।१।२।४ ।

इस प्रकार के अनेक असंगो का संग्रह किया जा सकता है। इस संदर्भ में अल्लेक्सीय साम्य को देखते हुए यह निष्कर्ष अनिवार्य है कि इसके मूल में चिन्तन-पद्धति का साम्य है। भारतीय चिन्ताधारा के इन दो महान् चिन्तकों ने बाह्य की परम्परा को अत्यधिक प्रभावित किया है। तिरुवल््लुवर सिद्धान्तत, 'अर्थ' को 'धर्म' द्वारा सञ्चालित करते हैं, पर कौटिल्य में धर्म को प्राथमिकता मिली है।

उपसंहार

सांस्कृतिक दृष्टि से भारत अखण्ड है। राष्ट्रीय एकता का आधार सांस्कृतिक एक भावात्मक एकता हुआ करती है। भिन्नत्व में एकत्व का परिचय भारत-देश में वर्तमान परिस्थितियों की अनिवार्य आवश्यकता है। भाषा, रचना-काल एवं भौगोलिक वैविध्य के होते हुए भी यदि दो कवियों—तिरुवल्लुवर एवं कबीर—में भाव-साम्य है तो यह स्पष्टतः ही इस एकत्व का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तिरुवल्लुवर ईसा की प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दी में हुए और कबीर मध्ययुग में, परन्तु विभिन्न विषयों पर मूलतः एक जैसी दृष्टि से प्रेरित ये दो महान् विभूतियाँ आज भी हमारा मार्ग-दर्शन करने में सक्षम हैं।

तिरुवल्लुवर-काव्य आदर्श-समाज की कल्पना साकार करता है, कबीर-काव्य अपने युग के भ्रमित समाज का खण्डन कर कर्त्तव्याकर्त्तव्य एवं औचित्य-अनौचित्य का संकेत देता है। तिरुवल्लुवर के समक्ष समाज का आदर्श-रूप विद्यमान है, उसमें जो काम्य नहीं, उसकी ओर उन्होंने स्पष्ट संकेत किया। फलतः तिरुवल्लुवर की दृष्टि मण्डनात्मक है, विधि और निषेध के प्रसंग में विधि प्रमुख है। यहाँ निषेध भी विधि की ओर इंगित करता है। कबीर के काव्य में मण्डन कम, खण्डन अधिक है। कारण, समाज में व्याप्त अनाचार, विदेशी शासन के फलस्वरूप उत्पन्न अस्त-व्यस्त स्थिति एवं सामाजिक विघटन में विद्यमान है। कबीर के व्यक्तित्व में व्याप्त फसकड़पन, उनकी मस्ती, उनकी स्पष्ट चिन्तन-क्षमता ने समाज के इस रूप में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए उन्हें प्रेरित किया।

सामाजिक वैषम्य, रुढ़िवादिता, बाह्य आडम्बर इत्यादि के विरुद्ध रणभेरी बजाने वाले सत कबीर की दृष्टि खण्डन की ओर अधिक उन्मुख हुई। दोनों कवियों का जीवन-वृत्त अनेक अनुभूतियों से आच्छन्न है, ये अनुभूतियाँ इन्हे जुलाहा-परिवारों से सम्बद्ध करती हैं, दोनों गृहस्थ थे, आदर्श गृहस्थ की कामना से प्रेरित। सन्यास अथवा ससार-त्याग के स्थान पर कर्मरत होकर भी सन्यासी के समान त्यागमय जीवन व्यतीत करते हुए ये दो मनीषी दो विभिन्न युगों में अनादि सत्य की उपासना में अनुरत रहे। सासारिक व्यवहारों का सम्यक् आचरण करते हुए भी 'स्थितप्रज्ञ' की उक्ति को चरितार्थ करने वाले ये दो महान् चिन्तक हमारी परम्परा की विशिष्ट अभिव्यक्ति करने में सलग्न रहे। तमिल-प्रदेश में तिरुवल्लुवर के ग्रन्थ को शताब्दियों से वही सम्मान प्राप्त है जो उत्तर-भारत में वैदिक-वाङ्मय को प्राप्त है। शिल्पदिकार्म, मणिखेल, बालवार-सतो, कम्ब-रामायण एवं वर्तमान कवियों—यथा सुब्रह्मण्यम् भारती तक में तिरुवल्लुवर द्वारा निर्दिष्ट सामाजिक मार्ग की स्वीकृति है।

एक ही ग्रन्थ में धर्म, अर्थ एवं काम—'पुरुषार्थत्रय' को प्रस्तुत कर तिरुवल्लुवर ने अभूतपूर्व सिद्धि प्राप्त की है। कबीर-काव्य आध्यात्मिक चिन्तन की दृष्टि से अधिक सम्पन्न है, उनकी वाणी सत्य की खोज में लीन साधक की वाणी है। अन्य मध्यकालीन सतों के समान वे भी भावात्मक एकता की प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्नशील हैं। अरुलाह, राम, रहीम, इत्यादि

सभी नाम बिखर सता की ओर सकेत करते हैं, उस ईश्वर को धर्म एवं जाति की मान्यताओं के बंधन से मुक्त कराने का सत्प्रयास करने वाले कबीर 'मानव-बन्धुत्व' एवं 'बसुचैव कुटुम्बकम्' के मार्ग की प्रवृत्त कर रहे थे। विश्वल्लुवर का आदर्श भी इसी विश्व-बंधुत्व की स्थापना है परन्तु इसके लिए उनकी पद्धति तनिक भिन्न है।

धर्म के व्यक्ति-परक रूप के अन्तर्गत मन, वचन एवं कर्म की पवित्रता का समावेश ही जाता है। दोनों कवियों की दृष्टि में इन्द्रिय-निग्रह, आत्म-सयम, सत्यभाषण, मृदुभाषण, मित-भाषण, मांसाहार-निषेध इत्यादि विभिन्न विषयो पर अद्भुत भाव-सादृश्य विद्यमान है। तद्विषयक अध्ययन से स्पष्ट है कि धर्म और मानव-सहानुभूति एवं प्रेम-भाव के महत्त्व को दोनों कवि स्वीकार करते हैं। गृहस्थ के महत्त्व की स्वीकृति, और सन्यासी के लिए आदर्श-रूप में तप एवं त्याग के सिद्धान्त में दोनों एकमत हैं। समाजगत धर्माचरण अथवा लोकाचार सामाजिक मर्यादा की आवश्यकता है। इस सदर्म में भी अपरिग्रह, पर-निन्दा-त्याग, अक्रोध, पर स्त्री-व्रजन, बाह्य-आडम्बर विरोध इत्यादि अनेक विषयो पर दोनों के काव्य का भाव-साम्य निश्चय ही महत्त्वपूर्ण है। यदि काल-भेद, भाषा-भेद एवं स्थान-भेद के परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो यह साम्य अद्भुत है और इसके मूल में भारतीय सांस्कृतिक एकता विद्यमान है। ईश्वर, जगत् की नश्वरता और कर्म-सिद्धान्त के विषय में विचारैक्य इस धारणा को सम्युष्ट करता है। इस भाव-साम्य का अभिप्राय यह नहीं कि दोनों कवि एक ही कथन की आवृत्ति कर रहे हैं, इसका अभिप्राय इन कथनों के मूल में निहित भाव में अवस्थित दृष्टिकोण का ऐक्य है।

अर्थ (पोरुल) विषयक अध्ययन से स्पष्ट है कि इस विषय में विश्वल्लुवर एवं कबीर की विवेचन-पद्धति भिन्न है। विश्वल्लुवर क्रम-परम्परा-बद्ध विवेचन और काव्यत्व का संयोग कर आदर्श राजा, अमात्य, एवं राज्य के अन्य अंगों का उल्लेख करते हैं। कबीर-काव्य में तद्विषयक विवेचन अत्यल्प है और जो हैं भी, वे भिन्न सदर्म में। कबीर के लिए नाम-रूपात्मक जगत् के समस्त पदार्थों की नश्वरता अधिक महत्त्व रखती है। अपने युग के भ्रष्ट राजा एवं अधिकारी-वर्ग के कारण कबीर आदर्श की कल्पना 'राम' के माध्यम से करते हैं। दोनों कवियों के काव्य के इस पक्ष के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कबीर ने 'अर्थ' का सामान्य, प्रचलित रूप ग्रहण किया फलतः उनकी तद्विषयक दृष्टि सीमित रही। विश्वल्लुवर ने 'अर्थ' परम्परागत शास्त्रानुरूप अर्थ में आया और इससे उनके काव्य में राज्य, अधिकारी-वर्ग, प्रजा एवं अन्य सम्बद्ध विषयो पर विस्तृत विवेचन उपलब्ध है।

श्रु गार-विषयक अध्ययन में दोनों कवियों की दृष्टि का वैभिन्न्य द्रष्टव्य है। विश्वल्लुवर शुद्ध लौकिक, शरीरी शृङ्गार की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। वे प्रिय-प्रिया का मिलन, आलिंगन, परिरभण, गन्धर्व-विवाह, वियोग, वियोग-जन्य व्याकुलता, स्वप्न में प्रिय दर्शन, अग-सौन्दर्य-अति इत्यादि की अभिव्यक्ति अपने काव्य में इसी रूप से करते हैं, अनेक भावना-पूर्ण शब्द-चित्रों के माध्यम से तमिल-प्रदेश के तत्कालीन प्रेम-सम्बन्धों की पद्धति एवं समाज में युवा-वर्ग के शरीरी-मुख से उत्पन्न मानसिक उल्लास की अभिव्यक्ति इस सदर्म में हुई है। कबीर का प्रिय इससे नितान्त भिन्न अलौकिक परब्रह्म है, वहाँ की पद्धति भिन्न है, वहाँ केवल समर्पण है—मनसा, वाचा, कर्मणा समर्पण, किसी प्रतिदान की आकांक्षा नहीं। 'प्रिय को रिक्ताना' ही लक्ष्य है। कबीर के अलौकिक शृङ्गार के विस्तृत चित्रण में अप्रस्तुत रूप से कथित कुछ अंशों का सकलन कर तद्विषयक आधार का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन दोनों कवियों के भाव-वैषम्य का प्रतिनिधित्व करता है।

काव्य में सामाजिक अभिव्यक्ति जीवन के सत्य की अभिव्यक्ति है। तिरुवल्लुवर एवं कबीर-आश्रम में अभिव्यक्त समाज के चित्र निश्चय ही अभूतपूर्व हैं। सामाजिक विभाजन, भोजन-पान, शृङ्गार के लिए आसूषण एवं शृङ्गार-प्रसाधन, सांसाहार-निषेध, मद्यपान-निषेध, बेदमावृत्ति इत्यादि विषयों का अध्ययन दोनों कवियों की दृष्टि के साम्य को उद्घाटित करता है। हमारे देश की अखण्ड संस्कृति में व्याप्त जीवनसूत्र की एकता इस अध्ययन से और भी स्पष्ट होती है।

तिरुवल्लुवर के ग्रन्थ में क्रमबद्ध विवेचन की शास्त्रीय शैली अपनाई गई है। कबीर में विवेचन का बिखराव उनकी विशिष्टता है। तिरुवल्लुवर के समक्ष एक समृद्ध समाज एवं सांस्कृतिक परम्परा है, कबीर तक आते आते यह परम्परा भ्रमित और किञ्चित् अव्यवस्थित हो गई थी।

इस प्रकार प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में आधुनिक भारतीय भाषाओं में एक और सर्वप्राचीन, दूसरी ओर सर्वव्यापक भाषाओं—तमिल और हिन्दी—के दो मूर्धन्य कवियों, तिरुवल्लुवर और कबीर को एक दूसरे के सन्दर्भ में सांस्कृतिक एकता की अपेक्षा से देखने का प्रयत्न किया गया है। देश, काल एवं व्याकरण की दूरी पर अवस्थित इन दो साहित्यों में इन प्रतिनिधियों के द्वारा जो साम्य अभिव्यक्त होता है वह भारतीय संस्कृति का मेरुदण्ड है, और जो यत्किञ्चित् अन्तर दृष्टिगत होता है वह युग एवं परिवेश का सकेत-मात्र करता है।

इन दोनों कवियों के तुलनात्मक अध्ययन का यह प्रथम प्रयास है, यद्यपि अपनी-अपनी भाषाओं में इन दोनों कवियों के अलग अलग अध्ययन विद्वानों ने अनेक दृष्टियों से किए हैं। इस शोध-प्रबन्ध में विभिन्न भाषाओं (विशेषतः तमिल और अंग्रेजी) में उल्लेख्य सामग्री के आधार पर नवीन परिप्रेक्ष्य में कबीर के साथ तुलना करके उनके कृतित्व का मूल्यांकन एक विनम्र मौलिक प्रयास है। इस प्रबन्ध में तटस्थ एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार कर साम्य-वैषम्य-विषयक विशिष्टता को सप्रमाण यथातथ्य प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन से हम उत्तर एवं दक्षिण की विचारधारा में विद्यमान सांस्कृतिक एवं दार्शनिक एकता का अनुभव कर सकते हैं। एकता की यह अनुभूति सद्भाव एवं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण एवं विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता है।

सहायक ग्रन्थ-सूची

हिन्दी

आलोचना की ओर
उत्तरी भारत की सत परम्परा
कबीर प्रथावली
कबीर ग्रन्थावली
कबीर दर्शन
कबीर की विचारधारा
कबीर व्यक्तित्व, कृतित्व

एव सिद्धान्त

कबीर साहित्य की परख
कबीर साहित्य चिन्तन
कबीर
कबीर
कबीर में रहस्यवाद
कबीर की टीकाओं की

दार्शनिक व्याख्या

कामायनी
तामिल वेद
तामिल साहित्य की रूपरेखा
तामिल साहित्य और सस्कृति
तामिल और हिन्दी काव्य-शास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन
तिरुक्कुरल
दक्षिण भारत का इतिहास
धर्मशास्त्र का इतिहास

पुरुषार्थ

प्राचीन भारतीय संस्कृति
प्रमुख स्मृतियों का अध्ययन
प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाओं
बिहारी
बिहारी रत्नाकर

डा० ओम्प्रकाश
आ० परशुराम चतुर्वेदी
(सं) डा० क्यामसुन्दरवास
(स) डा० पारसनाथ तिवारी
डा० रामजीलाल 'सहायक'
डा० गोविन्द त्रिगुणायत

डा० सरनामसिंह शर्मा
आ० परशुराम चतुर्वेदी
आ० परशुराम चतुर्वेदी
(स) डा० विजयेन्द्र स्नातक
डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी
डा० रामकुमार वर्मा

डा० गिरीशचन्द्र तिवारी
श्री जयशंकर प्रसाद
श्री क्षेमानन्द 'राहत'
श्री पूर्ण सोमासुन्दरम्
श्री अवधनन्दन

डा० न० व० राजगोपालन
डा० सु० शंकरराज नायडू
डा० बलराम श्रीवास्तव

महामहोपाध्याय डा० पाण्डुरंग वामन काणे,
(अनु० अर्जुन जीवे कव्यप)

डा० मयवानवास
श्री बी० एन० जूनिवा
डा० लक्ष्मीवत ठाकुर
डा० परमारया शरण
(सं) डा० ओम्प्रकाश

श्री जगन्नाथदास रत्नाकर (१९२६ ई०)

बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन	डा० भरतसिंह उपाध्याय
भारतीय वाङ्मय	(स) डा० नगेन्द्र
भारतीय साहित्य दर्शन—तमिल साहित्य	(प्र०) दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा
भारतीय सस्कृति—एक समाजशास्त्रीय समीक्षा	श्री गौरीशंकर भट्ट
भारतीय नीतिशास्त्र का इतिहास	श्री भीखनलाल आश्वेय
भक्ति का विकास	डा० मुशीराम शर्मा
महाभारत-कालीन समाज	श्री सुखमय भट्टाचार्य (अनु० श्रीमती पुष्पा जैन)
मध्ययुगीन कृष्ण-काव्य मे सामाजिक अभिव्यक्ति	डा० हरगुलाल
महाभारत मे धर्म	डा० शकुन्तला रानी
बैदिक सस्कृति और सभ्यता	डा० मुशीराम शर्मा
सत कबीर	डा० रामकुमार वर्मा
सतों के धार्मिक विश्वास	डा० धर्मपाल मैनी
समाज—एक परिचयात्मक विश्लेषण	अनु० जी० विरवेदवरय्या
हिन्दी काव्य मे निर्गुण सम्प्रदाय	डा० पीताम्बरदत्त बहुधवाल
	(अनु० आ० परशुराम चतुर्वेदी)
हिन्दी मे निर्गुण काव्य-धारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि	डा० गोविन्द त्रिगुणायत
हिन्दी मे नीति-काव्य का विकास	डा० रामसरूप शास्त्री
हिन्दी साहित्य का इतिहास	आ० रामचन्द्र शुक्ल
हिन्दी साहित्य की भूमिका	डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी
हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास	डा० रामकुमार वर्मा
हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, भाग ४	(स०) आ० परशुराम चतुर्वेदी
हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास भाग ६	(स०) डा० नगेन्द्र

तमिल

कम्बरामायण

तमिल लैक्सिकन

तमिल-इन्गलिश-डिक्शनरी

तिरुक्कुरल पोरुतपालम्, कामत्तुपालम्

श्री टी० पी० एस० सुब्रह्मण्य शास्त्री

तिरुक्कुरल इतबम्

श्री शुद्धानन्द भारती

तिरुक्कुरल चोल्लाटेवु

श्री स्वामी वेलायुतम् पिल्लै

तिरुक्कुरल

तिरुवाचकमणि के० एम० बालसुब्रह्मण्यम् (अग्रेजी अनु० सहित)

तिरुक्कुरल

एलिस (अग्रेजी टीका सहित)

तिरुक्कुरल

प्रो० ए० चक्रवर्ती (अग्रेजी अनु० सहित)

तिरुक्कुरल उरैक्कोत्तु अरत्तुपाल

श्री पत्तुसामी ओत्तुवर

तिरुक्कुरल पोरुल् विलक्कम्

श्री रामस्वामी पिस्लै

तिरुक्कुरल एनबदु

श्री रामलिंग मुदलियार

तिरुक्कुरल विलक्क कयैहल

श्री कामस्वामी पुलवर (इनियम)

तिरुक्कुरल कुमरेच वेण्बा अरत्तुपाल

(हस्तलिखित तंजौर० क्र० स० १८६०)

तिरुक्कुरल मूलमुम् परिश्लेषकरैयुम
तरुवल्लुवर-तिरुक्कुरल उरैवलम्

- (१) अरत्तुपाल
- (२) पोस्तपाल
- (३) कामत्तुपाल

तरुवल्लुवर-तिरुक्कुरल अरत्तुपाल
तरुवल्लुवर-तिरुक्कुरल कामत्तुपाल
ग्लिजर उरै

तरुवल्लुवर कृत तिरुक्कुरल
तरुवल्लुवर काव्यम्
तरुवल्लुवर-वाळकै विल्लक्कम्
तरुवल्लुवमालै
ग्लिकाप्पियम्

गणक्कुडवर उरैयुम
ग्लिमेश्लै

ल्लुवर वळिप्पियणम्

ल्लुवरुम महलिरुम

ल्लुवर अरम्

ल्लुवर विरन्दु

शलप्पदिकारम्

ग्लित्तोहै

रनानुरु

रिपाडल्

(हस्तलिखित तंजीर० क्र० सं० २६६)

स० स० दण्डपाणि देसिकर

स० स० दण्डपाणि देसिकर

सं० स० दण्डपाणि देसिकर

श्री टी० दण्डपाणि पिल्लै

स० श्री टी० पी० पलनियप्पा पिल्लै

प्रो० सु० शकरराजू नायडू (हिन्दी अनु० सहित)

श्री कृष्णस्वामी नायडू

श्री मु० वरदराजन्

(हस्तलिखित, तंजीर क्र० सं० १३१)

स० के० पोन्नुस्वामी नाट्टार

तिरु वी० मुनिस्वामी

प्रो० टी० पी० मीनाक्षीसुन्दरनार

श्री नटेश मुदलियार

जी० सुब्रह्मण्य पिल्लै

संस्कृत

अथर्ववेद संहिता

अथर्ववेद संहिता

अमरशतकम्

अत्रि स्मृति

आपस्तम्ब धर्मसूत्रम्

आर्या सप्तशती

आत्रास्थोपनिषद्

आत्तराम चरितम्

अथर्ववेद संहिता

आतरेय उपनिषद्

अठ उपनिषद्

सायण भाष्य

(भाष्य०) प० जयदेव शर्मा

(स०) महामहोपाध्याय प० दुर्गाप्रसाद
एव काशीनाथ पाडुरग (१९०० ई०)

(व्या०) डा० उमेशचन्द्र पाण्डेय

(स०) महा० प० दुर्गाप्रसाद

काशीनाथ पाडुरग (१८९५)

गीता प्रैस

(भाष्य०) प० जयदेव शर्मा

गीता प्रैस

गीता प्रैस

कामसूत्रम् भाग १, २.

(व्या०) श्री भाषवाचार्य

लक्ष्मी वेङ्कटेश्वर स्टीम प्रेस (१९३४ ई०)

कामसूत्रम्

(व्या०) श्री जैवन्त शास्त्री

कौटिलीय अर्थशास्त्रम्

(व्या०) वाचस्पति मैरोला

गाथा सप्तशती

(व्या०) प० दुर्गाप्रसाद (१९०६ ई०)

गीतम धर्मसूत्र

तैत्तिरीयोपनिषद्

गीता प्रेस

दक्षस्मृति

धर्मशास्त्र

(स०) श्री मन्मनाथदत्त (१९०८ ई०)

पाराशर स्मृति

बोधायन स्मृति

बीस स्मृतिया

(व्या०) श्रीराम शर्मा आचार्य

महाभारत

(स०) श्री बिष्णु सुकथकर, एस० के० बेलवलकर

(भण्डारकर ओरियण्टल प्रिन्सिपल्स इन्स्टीच्यूट)

भर्तृहरि वैराग्य शतक

भर्तृहरि शृंगार शतक

भर्तृहरि नीति शतक

महाभारत

अनु० प० रामनारायणदत्त शास्त्री (गीता प्रेस)

माण्डूक्य उपनिषद्

गीता प्रेस

मुण्डक उपनिषद्

गीता प्रेस

याज्ञवल्क्य स्मृति

(स०) डा० उमेशचन्द्र पाण्डेय

याज्ञवल्क्य स्मृति (मिताक्षरा सहित)

(स०) वामुदेवलक्ष्मण शास्त्री

पणशीकर (१९०६ ई०)

यजुर्वेद संहिता

(भाष्य०) प० जयदेव शर्मा

रघुवश

बृहदारण्यक उपनिषद्

गीता प्रेस

बसिष्ठ स्मृति

वेदव्यास स्मृति

वाल्मीकि रामायण

विदुर नीति

गीता प्रेस

शुक्रनीति

(व्या०) प० ब्रह्मशंकर मिश्र

श्रीमद्भागवत पुराण

श्रीमद्भागवद् गीता

(व्या०) प० श्री० दामोदर सातवलेकर

सामवेद संहिता

(भाष्य०) प० जयदेव शर्मा

सर्वदशैव संप्रह.

श्री उमाशंकर शर्मा

हारीत स्मृति

ENGLISH

- A History of Tamil Language and Literature**
(Beginning to 600 A D) **Vaiyapuri Pillai, S. Prof.**
- A History of Tamil Literature** **Meenakshisundaran T. P.**
- A History of Tamil Language** **Meenakshisundaran T. P.**
- A History of Tamil Literature** **Jesudasan, C. & Jesudasan, Hephazibah.**
- A Primer of Hinduism** **Farquhar, J. N. (1914 Ed.)**
- A Study of the Bhagvata Purana** **Sinha Purnendu Narayan**
- Ancient India** **Radha Kumud Mookerji**
- An Introduction to the Study of**
Tiruvalluvar **Duraiswamy, Pillai S. Avvai, Prof.**
- Ancient India and South Indian**
History and Culture **Krishnaswami Aiyangar, S. Dr.**
- A History of South India** **Sastri, Nilakantha K. A.**
- A Literary History of India** **Frazer, R. W. (1898 Ed.)**
- A Source-book in Indian Philosophy** **Radhakrishnan, S. Dr.**
- A New History of Indian People (Vol VI)** **Majumdar, R. C. Dr. & Altekar, A. S. Dr.**
- An Outline of the Religious Literature**
of India **Farquhar J. N. (1920 Ed.)**
- Comparative Grammar of Dravidian Languages** **Caldwell**
- Contemporary Indian Philosophy** **Ed Radhakrishnan, S. & Murrhead, J. H.**
- Critical Studies in the Kural** **Purnalingam, M S Prof.**
- Development of Moral Philosophy in Indian**
Ethics **Das Gupta Surama**
- Fundamentals of Hindu Faith and Culture** **Prince Kropotkin.**
- Gleanings of Tamil Culture** **Aiyar C. P. Ramaswami Dr.**
- History of Tamil Language from the**
Earliest times to 600 A D **Pranasivandam, A M**
- History of and Culture of the Indian**
People (Vol II) **Srinivasa Ayyangar, P T.**
- History and Culture of Indian People** **Majumdar R. C. Ed.**
- Historical Tamil Reader** **Dalvi, D. A, Mahadevan, V etc:**
- History of Dharamsastra** **Subrahmanya Sastri, P. S.**
- History of Tamil (2 Vols.)** **Vaman Kane, P.**
- Hindu Social Organisation** **Srinivasan Pillai. K. S.**
- Indian Thought Through the Ages** **Prabhu, P. H.**
- India's Past** **Gokhale, B. G.**
- India-A Short Cultural History** **Macdonnell, A. A.**
- Indian Philosophy** **Rawlinson, H. G.**
- Indian Thought and its Development** **Radhakrishnan, S. Dr.**
- Indian Wisdom** **Albert Schweitzer (1951 Ed.)**
Monier Williams (1876 Ed.)

३३* ■ तिरुवल्लुवर एव कबीर का तुलनात्मक अध्ययन

Kabir and his Followers	Keay, F. E. Rev. (1931 Ed.)
Kamban's Treatment of Tiruvalluvar	Kamala T. S.
Kabir and the Kabir Panth	Westcott, G. H. Rev (1907 Ed)
Medieval Mysticism of India	Khshatimohan Sen
Manual of Psychology	Stout
On Virtue	Ellis F W
On Society	Harrison Fredrick
One Hundred Poems of Kabir	Tr Tagore Rabindra Nath
Prof T P Meenakshisundaran Sixty-first birthday Commemoration Volume	Annamalai University
Philosophies of India	Heinrich Zimmer
Rigveda Sanhita	Tr Wilson H H
Sangam Polity	Subrahmanian, N
Society	Maciver, R M , Charles, H
Some Contributions of South India to Indian Culture	Krishnaswamy Ayyangar, S Dr
Sources of Indian Tradition	William Theodore de Bary & others (Compiled by)
Some Milestones in the History of Tamil Literature	Sundaram Pillai, P Prof
Studies in South India Jainism	Ramaswamy Ayyangar M S (1922 Ed)
Studies in Ancient Hindu Polity (Vol I)	Narendra Nath Law (1914 Ed)
Studies in Kural	Sethu Pillai, R
Sukraniti	Sarkar Benoy Kumar (1914 Ed)
Two Thousand Years of Tamil Literature-An Anthology	
The Religion of India	Berth, A
The Gita Idea of God	Gitanand Brahmachari
The Heart of India	Barnett, L D
The Hindu View of Life	Radhakrishnan S Dr
Tamil Literature	Purnalingam Pillai, M S
Tamilnad Through Ages	Paramasivanandam, A M
Tamil Wisdom	Robinson, E J
Tamil India	Purnalingam Pillai M S
The Cholas	Sastri Nilakantha
The Dharma Sastra Vol I, Vol II	Dutt Manmatha Nath (1909 Ed)
The Principal Upanisads	Radhakrishnan S Dr
The Mahabharata	(Ed.) Sukhankar Vishnu Belvalkar S K
The Tamil Plutarch	Simon Casie Chitty
The Pageant of India's History (Vol 1)	Gerturude Emerson Sen
The Sacred Book of Kural	Rajgopalachari, C
The Kural	Lazarus, Dr
Tirukkural of Tiruvalluvar	Ramachandra Dikshitar, V
Tiruvalluvar's Tirukkural	Rajgopal Ayyangar, M. R
Tirukkural	Tr. Pope, Drew, Lazarus, Ellis

- The Complete Works of Swami Vivekananda (Vol. V)**
The Pageant of Tamil Literature Meeanakshisundaranar, T. P.
The Mind and Thought of Tiruvalluvar Appadurai, K.
The Kural or the Maxims of Tiruvalluvar Tr. Aiyar, V. V. S.
The Sacred Kural or the Tamil Veda of Tiruvalluvar Tr. Popley, H. A.
The Tamils 1800 Years Ago Kanakasabhai, V.
The Sacred Books of the Hindus Vol I
(The Upanisads) Vasu Srisa Chandra (1909 Ed.)
The Message of the Gita Sri Aurobindo, Ed. Roy Anilbaran

- Annals of Oriental Research Institute**
All India Oriental Conference, 1955
A Sanskrit English Dictionary Monier Williams, Sir.
Cyclopaedia of India Edward Balfour S. G. (Ed.)
Concept and Structure of Poetry
in Tholkappiyam Shakaranarayanan (Typed thesis, Univ of Madras)
Dravidic Studies (Article by) Anavaratavinayakam, S
Encyclopaedia of Religion and Ethics Ed James Hastings
Indian Antiquary Vol XXXVII Richard Carnac Temple Bart, Sir (Ed.)
Journal of Oriental Research.
Sanskrit English Dictionary Gode P K & Karve C. G
Studies in Silappathikaran Shanmughan Pillai, M (Typed thesis,
Annamalai University)
Tamil Culture
The Madras Christian College Magazine Old and New Series
The Tamilian Antiquary
The Journal of Royal Asiatic Society
Union for the Study of the Great
Religions (India) : Seminar Reports (Bangalore & Madras)



